राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक–4 विधान सभा के चतुर्थ सत्र का अट्ठाइसवां दिवस • संख्या–14

बुधवार,
19 अप्रेल, 1995

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन।)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन वर्मा।

प्रश्न संख्या 392

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 393

दावेदार विस्थापितों के मुआवजा प्रकरण

393. **श्री अर्जुनदास मदान** (लाड़पुरा) : क्या पुनर्वास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या दावेदार विस्थापितों के मुआवजे सम्बन्धी प्रकरण भारत सरकार से राज्य सरकार को प्राप्त हो गये हैं ? यदि हां, तो प्राप्त प्रकरणों की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इन प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या सरकार द्वारा इसके लिए प्राधिकृत अधिकारी की नियुक्ति कर दी गयी है ? यदि हां, तो कब, व किसे ? यदि नहीं, तो क्या सरकार अब इस विषय में कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

श्री अध्यक्ष : स्थगित।

श्री अर्जुनदास मदान : आप क्या व्यवस्था दे रहे हैं इसमें ?

श्री अध्यक्ष : थोड़े दिन में जब भी आएगा लगा देंगे।

श्री अर्जुनदास मदान : एक हफ्ते में लगा देंगे ?

श्री अध्यक्ष : कोशिश करेंगे। श्री कालूलाल जी।

पायराइट फास्फेट केमिकल्स लि. हेतु खण्डेला सीकर में आरक्षित क्षेत्र

394. **कालूलाल गुर्जर** (माण्डल) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पायराइट फास्फेट केमिकल लि. के लिए पचास वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र खण्डेला, जिला सीकर में आरक्षित किया गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इसमें विभिन्न तरह के खनिजों के भण्डार हैं ?

(3) पायराइट फास्फेट केमिकल लि. द्वारा अब तक क्या प्रगति की गयी ? क्या सरकार इस क्षेत्र के समुचित विकास हेतु इस क्षेत्र में मिलने वाले अन्य खनिजों के खनन पट्टे आबंटित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ?

खनिज मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) :

(1) जी, हां। पायराइट फास्फेट एण्ड केमिकल्स लि. सलादीपुरा के लिये इंफ्रास्ट्रक्चर फैसेलिटी हेतु शासन द्वारा 143 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आरक्षित रखा गया है।

(2) जी, हां। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसेलिटी हेतु आरक्षित भूमि में खनिज, मारबल, लाइमस्टोन एवं ग्रेनाइट उपलब्ध है।

(3) सर्वश्री पायराइट फास्फेट ऐण्ड केमिकल लि. सलादीपुरा की पाइराइट्स पर आधारित सल्फर एवं सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र स्थापित करने व सुपर फास्फेट फर्टीलाइजर उत्पादित करने की योजना थी। लेकिन भारत सरकार से समुचित वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होने के कारण कारखाना स्थापित होने के मामले में अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी। आरक्षित क्षेत्र में पड़ने वाले खनिज मार्बल का आबंटन करने हेतु मार्बल नीति के अनुसार डेलिनियेशन की कार्यवाही की जा रही है। बाद डेलिनियेशन नियमानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

श्री कालूलाल गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है उससे सम्बन्धित मैं दो-तीन प्रश्न और पूछना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगा कि इन्होंने यह बताया है कि 143 वर्ग किलोमीटर भूमि इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट के लिये आरक्षित की थी और अब यह लिख रहे हैं इसमें कि मार्बल नीति के अनुसार डेलिनियेशन करके नियमानुसार आबंटन की कार्यवाही की जाएगी। पहला, मैं यह पूछना चाहता हूं कि एक तो 143 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया आरक्षित किया गया था इसको आरक्षण से कब मुक्त किया गया ? दूसरा, क्या इस एरिये का आरक्षण समाप्त हो गया है ? तीसरा, मेरा प्रश्न यह है कि क्या आरक्षण से मुक्त करके नियमों के अनुसार इसे फ्री डिक्लेयर कर दिया या नहीं ? चौथा, मेरा प्रश्न यह है कि यह आरक्षण किया उससे लेकर आज दिन तक इस भूमि के ऊपर पट्टे लेने हेतु खानें आबंटन कराने हेतु कितने प्रार्थना पत्र पेश हुए और उनमें

(श्री कालूलाल गुर्जर)

से कितने स्वीकार किये और कितने अस्वीकार किये गये ? अस्वीकार किये गये तो क्यों किये गये और जिनको स्वीकार किया उनके कारण क्या थे ?

यह पी. पी. सी. एल जो कारखानें नहीं लगा रही है, जैसा कि इस जवाब में आया है कि भारत सरकार से वित्तीय सहायता उनको नहीं मिली, क्योंकि भारत सरकार का ही प्रतिष्ठान है। तो क्या कारखाना या संयंत्र नहीं लगायेंगे सल्फ्यूरिक एसिड का ? मंत्री महोदय बतायें कि क्या दूसरों को इस तरह का संयंत्र लगाने के लिए इस जमीन की लीज देने की कार्यवाही चल रही है ? लीज देना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं ? चाहते हैं, तो इस पर क्या कार्यवाही आगे हो रही है ? मंत्री महोदय बतायें।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, 1964 में 120 मिलियन टन भण्डारों की यहां खोज की थी और 1964 के बाद 1969 में इसका पूर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ किया था फर्टिलाइजर पायराइट फास्फेटिक केमिकल लि. ने, और यह कार्य लगातार चालू होता रहा और फिर बीस वर्ष की अवधि पूरी होने पर दस वर्ष के लिए फिर से लीज की अवधि बढ़ायी गयी थी। और वह बढ़ाने के बाद 5-2-1994 से क्योंकि मूल जो पट्टा दिया गया था वह 518 हैक्टेयर में दिया गया था और 5-2-1994 को 318 हैक्टेयर उन्होंने सरेंडर कर दिया बाकी 143 वर्ग किलोमीटर है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर फैसीलिटीज अगर वहां कारखाना लगाते तो वहां पर उनके मकान बनाने, रिहायशी मकान बनाने, कारखाने की इमारत बनाने के लिये यह सुरक्षित रखा गया था और अब वहां संभावनाएं नहीं बनी हैं, और इसलिये धीरे-धीरे हमने वहां प्लाट देने की कार्यवाही चालू की है और इस साल हमने सात ब्लाक्स वहां आइडेंटिफाई किये हैं मार्बल के। उनको हम प्लाट देंगे। पहले भी वहां इस शर्त के ऊपर 6 पट्टे दिये गये हैं कि अगर इस कम्पनी को आवश्यकता पड़ेगी तो एक महीने के अन्दर-अन्दर खाली कर देंगे और कोई कम्पनसेशन उसका नहीं मांगेंगे। इस आधार पर पट्टे पहले स्वीकृत किये गये हैं, इन शर्तों के आधार पर। अब मेरा ऐसा ख्याल है कि यह कारखाना लगाने की संभावना भी नहीं बन रही है और चूंकि सल्फर जो है ... (व्यवधान) ... पूर्व मंत्री हैं उनको सारी जानकारी है, तो पूरा विस्तार से ही जवाब दे दूं मैं। तो ऐसी स्थिति वहां पर डेलिनियेट हो सके। मार्बल के और ग्रेनाइट के दूसरे पट्टे भी दिये जा रहे हैं और मुझे अब संभावना लगती नहीं क्योंकि सल्फर अन्तरराष्ट्रीय मार्केट में सस्ता मिलता है और यहां की इस कारखाने की जो इकोनोमी है वह केन्द्रीय सरकार का प्रतिष्ठान है। उन्होंने एप्रूव नहीं किया हैं और ऐसी स्थिति में यहां जितने भी पट्टे दिये जा सकेंगे, दिये जायेंगे। बीच में जो इनका प्रोस्पेक्टिग जहां चल रहा था वहां के जो कुछ पट्टे मांगे गये थे, वह स्वीकार नहीं किये गये और अब वापस दरख्वास्तें आएगी तो

(श्री कैलाश मेघवाल)

हम स्वीकार करेंगे । यह सरकार की नीति है ।

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता था कि जिनको पट्टे पहले दिये, दो आदमियों को इन्होंने दिये । एक तो निरंजन लाल अग्रवाल को, एक सुप्रिया मार्बल एण्ड ग्रेनाइट प्राइवेट लिमिटेड को, तो इनको पट्टे क्यों दिये ? इनके साथ जिन लोगों ने एप्लीकेशन लगायीं उनको क्यों नहीं दिये ? मैं यह पूछना चाहता हूं कि कुल कितनी एप्लीकेशंस लगीं और कितनी पर आपने डिसीजन लिया ? उनमें कितनी स्वीकार कीं और कितनी अस्वीकार कीं ? और स्वीकार कीं तो क्यों कीं और अस्वीकार कीं तो क्यों की ? इसके कारण बतायें । आप यह कह रहे हैं कि दिये हैं, दे दी । हमको भी पता है दे दी लेकिन क्यों दे दी ? देने में ही तो गड़बड़ हुई है । इसलिए यह प्रश्न पूछना पड़ा, नहीं तो विधान सभा में प्रश्न पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती ।

इसलिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि आरक्षित हुआ है 1981 में, यह 143 वर्ग किलोमीटर जमीन । आप बता रहे हो, 318 एकड़ जमीन सरेंडर कर दी और 518 रखी । यह तो उनकी मूल लीज है । मैं पूछना चाहता हूं कि 143 वर्ग किलोमीटर जमीन जो इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट के लिये आरक्षित थी उसके बारे में । लीज इनकी अलग है इस कम्पनी की, और यह जो डवलपमेंट के लिये इन्होंने 143 वर्ग किलोमीटर जमीन ले ली है इसमें कितनी एप्लीकेशंस लगीं आज दिन तक और कितनी स्वीकार हुई और कितनी अस्वीकार हुई ? यह है मेन बात । इसलिये इस पर बतायें ।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, 6 पट्टे दिये गये थे । उसमें दो पट्टे तो सुप्रिया मार्बल्स एण्ड ग्रेनाइट्स को दिये गये, दो पट्टे निरंजनलाल जी को दिये गये, दो पट्टे पी. पी. सी. एल. ने स्वयं ने लिये सलादीपुरा में । यह 6 पट्टे चार तो पहले 1985 में दिये गये थे और उसके बाद सलादीपुरा में स्वयं कम्पनी को एक 1987 में दिया गया और एक 1988 में दिया गया । उसके बाद यह सारा वहां पर चल रहा था । पुरानी जो दरख्वास्तें थीं, माननीय विधायक को यह मालूम है कि नयी खनिज नीति जब आयी तो नयी खनिज नीति में पट्टों की साइज, पट्टों की अवधि सारी बढ़ायी गयी है और उसके साथ एक निर्णय लिया गया कि पुराने सारे पट्टे जो हैं वह प्रार्थना-पत्र निरस्त कर दिये जाएं । तो उसके अन्तर्गत पुराने सारे प्रार्थना-पत्र निरस्त करने के बाद अब डेलिनियेटेड प्लाट्स जो होंगे, वह डेलिनियेटेड प्लाट्स सरकार निर्धारित करके गजट में नोटिफाई करके और जो प्रक्रिया नयी निर्धारित की है उस प्रक्रिया के अनुसार अलाट कर देगी ।

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय मैंने जो पूछा उसका कोई जवाब नहीं है ।

(श्री कालूलाल गुर्जर)

मंत्री महोदय, मैं तो यह कहता हूं कि कितनी एप्लीकेशंस लगीं और उनमें से कितनी अस्वीकार कीं और उस समय जब 1981....

श्री अध्यक्ष : सभी रिजेक्ट हो गयीं, बिराजिए।

श्री कालूलाल गुर्जर : एक मिनट, मेरा जवाब आने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछ रहा हूं कि 1981 में जिस दिन से आपने आरक्षित किये हैं वहां से लेकर आपकी नई खनिज नीति बनी है, एक सवाल और है। आपने घोषणा की उसके बीच में एप्लीकेशंस लोगों की रिजेक्ट क्यों की गयी और क्या ...

श्री अध्यक्ष : वह जितनी हैं वह सब रिजेक्ट की गयीं।

श्री कालूलाल गुर्जर : और जो चार पट्टे दिये गये दो आदमियों को वह क्यों दिये गये और जैसा आप कहते हैं कि हमने शर्त लगा दी कि आप जब चाहेंगे जब खाली करें, ऐसी शर्त तो सभी मानने के लिये तैयार थे। दूसरे लोगों की उस समय जो एप्लीकेशंस खारिज हुई उनका क्या कारण रहा? जवाब दीजिये, जवाब दिलवाइये कितनी एप्लीकेशन है।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल अपने आप में बहुत साफ है। सवाल की दृष्टि से जितना जवाब देना था, मैं दे चुका हूं और अब 1981 से लगाकर कब--कब, कितनी--कितनी, दरख्वास्तें किस-किस रूप में लगीं, यह माननीय विधायक चाहेंगे, तो मैं रिकार्ड से सारे आपको बता दूंगा और निरस्त करने का कारण भी मैंने आपको बता दिया। नयी मार्बल नीति आने के बाद हमने सबको एक आदेश से निरस्त किया है।

श्री कालूलाल गुर्जर : यह चार पट्टे दिये यह गलत दिये। इसकी जांच करा लिजिये आप।

श्री कैलाश मेघवाल : इसको भी देख लेंगे।

श्री कालूलाल गुर्जर : इसमें अवैधानिकता बरती गयी है। नियमानुसार गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि यह 1985 से चल रही थी जब वह मंत्री थे तब तो इन्होंने जांच नहीं करायी। आज मेरे से वह उम्मीद कर रहे हैं तो मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि प्रोप्राइटी अलाटमेंट की जो है उसकी जांच करा लूंगा।

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैंने इसकी जांच करायी थी और वह जांच रिपोर्ट आपके पास आ गयी और 12 महीने से पड़ी हुई है। आपने आदेश नहीं किये इसलिए और याद दिला रहा हूं। अब आप आगे कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष : विराजिये । श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास ।

जिला जोधपुर में केरोसीन तेल का वितरण

395. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उचित मूल्य की दुकानों पर दिया जाने वाला केरोसिन केवल उपभोक्ताओं के घरेलू कार्य के लिए ही दिये जाने के आदेश हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य में उचित मूल्य की दुकानों हेतु आबंटित किया गया केरोसिन घरेलू उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं के अलावा अन्य कार्यों के लिए भी दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों व किस आदेश के तहत ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) जोधपुर जिले में 1 जनवरी, 1993 से 31 दिसम्बर, 1994 तक केरोसिन के कितने परमिट उपभोक्ताओं के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए किस-किस को आबंटित किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या जोधपुर जिले में वर्ष 1994 में केरोसिन की कालाबाजारी की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों एवं उन पर की गयी कार्यवाही का माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (डा. रामप्रताप) : (1) यह सही नहीं है कि सरकार द्वारा उचित मूल्य की दुकानों पर दिया जाने वाला केरोसिन केवल उपभोक्ताओं के घरेलू कार्य के लिये ही दिये जाने के आदेश हैं।

(2) यह सही है कि राज्य में उचित मूल्य की दुकानों हेतु आबटित किया गया केरोसिन घरेलू उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के अलावा सरकारी विभाग, अर्द्ध सरकारी संस्थाएं चिकित्सीय एवं शैक्षणिक प्रयोगशालाओं, मुद्रणालय, स्टोव एवं पेट्रोमैक्स की मरम्मत करने वाले और स्वर्णकारों को खाना पकाने एवं रोशनी करने के उपयोग के अतिरिक्त उनके कारोबार हेतु भी केरोसिन राज्य सरकार द्वारा केरोसिन (उपयोग पर निर्बन्धन एवं कीमत नियन्त्रन) आदेश, 1993 के खण्ड 3 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपलब्ध कराती है। आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) जोधपुर जिले में 1 जनवरी, 1993 से 31-12-1994 तक केरोसिन के जितने परमिट उपभोक्ताओं के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिये जिस-जिस को आबंटित किये गये, की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(डा. रामप्रताप)

(4) जी, हां। प्राप्त शिकायतों का विवरण एवं उन पर की गयी कार्यवाही का माहवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(प्रति एवं विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहूंगी कि 2 सितम्बर, 1993 को केरोसिन देने के सम्बन्ध में आदेश प्राप्त हुए थे। क्या यह सही है कि उन आदेशों के क्रम में 24 अक्टूबर, 1994 को राजस्थान राज्य में आदेश प्रकाशित किये गये थे? जबकि 2 सितम्बर, 1993 को यह भारत सरकार से आये थे, तो खाद्य विभाग ने इस बारे में क्या कार्यवाही की और साल भर तक इसको रोककर रखने का क्या कारण था? क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार के आदेश के करीब 12 महीने बाद खाद्य विभाग ने केरोसिन के वितरण के आदेश 24 अक्टूबर को ही किये, इसकी जानकारी मैं मंत्री महोदय से चाहूंगी कि यह बतायें कि साल भर तक इसको रोक कर रखने का क्या औचित्य था?

डा. रामप्रताप : अध्यक्ष महोदय, इस आदेश को लागू करने की मंशा सिर्फ इतनी थी कि पेरेलल मार्केटिंग में जो केरोसिन आया है उसको रेगुलेट करना है और उसको टी. डी. एस. में जो केरोसिन आ रहा है उसे कलर से डिफरेंशिएट करना है, तो जो 1993 का आदेश है उसकी मंशा सिर्फ इतनी है। हम जो वितरण कर रहे हैं 1966 का जो केरोसिन आर्डर है उसके तहत 1982 में एक आर्डर निकाला, उसके तहत हम इनको आबंटित कर रहे हैं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, साल भर तक रोके रखने में, साल भर तक कलर मिलाने में इतना समय लगता है क्या? साल भर तक तो क्या मालूम क्या-क्या सरकारी अधिकारियों ने इसमें किया होगा। मैं इसकी जानकारी चाहती हूं आपसे, यह बताइये आप कि साल भर तक क्या किया?

डा. रामप्रताप : साल भर तक इसके लिए हमारा पहले वाला आर्डर एग्जिस्ट कर रहा था फिर इसमें कलर....

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : साल भर तक कलर ही मिलाया?

डा. रामप्रताप : और तो क्या मिलाया आप लोग बतायेंगे, उसकी जांच करवा लेंगे। मैंने तो मेरे ख्याल से कलर के सिवाय कुछ नहीं मिलाया....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। आपको केरोसिन के बारे में कुछ कहना है गहलोत साहब? आपको केरोसिन से क्या लेना देना है?

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : सबको लेना देना है। मैं आपके माध्यम से

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

माननीय मंत्रीजी से जानकारी चाहूंगा कि जोधपुर जिले को कितना केरोसिन तेल आबंटित किया जाता है, कितनी उपभोक्ताओं की मांग है, उसके अनुरूप कितनी कमी पड़ रही है और उसकी पूर्ति कैसे करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न से सम्बन्धित तो नहीं है।

श्री राजेन्द्र गहलोत : सम्बन्धित है। आज केरोसिन नहीं मिलने के कारण उपभोक्ता भण्डारों में लोगों की मांग बढ़ रही है। कालाबाजारी हो रही है। उसके कारण आज लोगों की मांग के अनुरूप पूर्ति नहीं हो पा रही है। मंत्रीजी बतायें। जोधपुर और अन्य जिलों में अन्तर किया जा रहा है और आबंटन के मामले में भी भेदभाव किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, इतनी सरलता से आप मंत्रीजी को, आप मुझे संरक्षण प्रदान कीजिये। जोधपुर की जनता को पूरा केरोसिन नहीं मिल रहा है। इसके बारे में मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कितनी जोधपुर से आपके पास डिमाण्ड आयी है और कितना आप आबंटन करते हैं ? (व्यवधान) मंत्रीजी जवाब देना चाहते हैं। आप जवाब दिलवाइये।

श्री अध्यक्ष : कुछ कहना है मंत्रीजी ?

डा. रामप्रताप : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की केरोसिन की कमी की जो बात है, निश्चित तौर पर जितने हमारे राशन कार्ड्स हैं उसके लिहाज से पूरे प्रदेश को ही केरोसिन मिलता है और जो जोधपुर को आबंटन किया जाता है वह कन्वेन्शनल तरीके से जो पहले से चला आ रहा है उसी हिसाब से मिल रहा है। तकरीबन एक साल के तीन स्लाक्स बनाये जाते हैं, इसके बारे में पहले भी निवेदन किया था गर्मी, सर्दी और बरसात का, तो उस लिहाज से जितना हमें मिल रहा है उसके हिसाब से हमने इनका कम नहीं किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट को हम बार-बार इस बारे में लिखते हैं कि हमारा कोटा बढ़ाया जाए। जब भी सेंट्रल से कोटा और मिलेगा तो निश्चित तौर पर जोधपुर को भी और दिया जाएगा। किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा ....(व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : मेरा प्रश्न पूरा नहीं हुआ। मेरा सवाल ही पूरा नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : आपको जोधपुर के केरोसिन के बारे में कुछ कहना है.... (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : मेरे सवाल का मंत्री महोदय ने उत्तर ही नहीं दिया।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : "खा गये चीनी पी गये तेल, ये देखो बी. जे. पी. के खेल।"

श्री अध्यक्ष : रामस्वरूपजी बिराजिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : मेरे सवाल का तो उत्तर ही नहीं दिया। मैं इनसे सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूं कि साल भर तक उस आर्डर को रोके रखने में कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं और उनके खिलाफ क्या सरकार कार्यवाही करने की मंशा रखती है ? मैं मंत्रीजी से यह पूछना चाहती हूं उसका उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। यह जवाब दें फिर मैं मेरे दूसरे प्रश्न पर आती हूं। पहले प्रश्न का ही जवाब नहीं मिल रहा है तो दूसरा क्या करूं।

श्री अध्यक्ष : आप दूसरा भी पूछ लें साथ-साथ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : यह इसका जवाब तो दें ना। इन्होंने तो दे दिया कलर मिला रहे हैं। यह कोई उत्तर है इनका। मैं सन्तुष्ट ही नहीं हुई इस उत्तर से। कलर मिलाने के अन्दर क्या इतना समय लगता है। साल भर तक क्या किया ? मैं इसका जवाब चाहती हूं मंत्री महोदय से। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह जवाब दिलवाइये आप। उसके बाद मैं आगे की कार्यवाही शुरु करूंगी।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। माननीय मंत्रीजी, आपका स्पेसिफिक प्रश्न है एक साल तक नहीं दिया उसका क्या करे रहे हैं आप ?

डा. रामप्रताप : माननीय सदस्या, जो पूछना चाहती हैं इनका मतलब सिर्फ यही है कि बिना आर्डर के तो काम नहीं हुआ। मैंने आपसे निवेदन किया कि 1982 का हमारा आर्डर एग्जिस्ट कर रहा है और सिर्फ जो 1993 में आर्डर दुबारा दिया गया....

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : मैं देरी का कारण पूछना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष : आप पूरा सुनिये. माननीय सदस्या। आप पूरा सुनिये।

डा. रामप्रताप : देरी के लिये इस व्यवस्था में कोई फर्क नहीं है। फिर भी अगर आप चाहेंगी मैं इसकी जांच करवाकर आपका आर्डर पूरा कर दूंगा.... (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं....

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : मेरा सवाल बाकी पड़ा है। मेरा पूरा सवाल ही नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब बिराजिये आप।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, ने मुझे मौका दिया है बोलने का।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : अध्यक्ष महोदय, सारे ही बाकी पड़े हैं।

श्री अध्यक्ष : हां, तो बिराजिये आप।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : मेरे को पूछने ही नहीं दोगे क्या आप ?

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजिये । श्री खेतसिंह साहब कोई बात फरमा रहे हैं ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं, माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जोधपुर में निश्चित तौर पर शक्कर और केरोसिन के वितरण के अन्दर वहां का जो डी.एस.ओ. है, वह गड़बड़ करता है । आप एक मीटिंग रखिये । कृपया आप जोधपुर आयें हम सब एम. एल. एज. को बुलायें वहां बैठ कर डिटेल में हम आपको बतायेंगे कि कितना कितना केरोसिन में किस तरह की कौन सी तहसील में कितनी गड़बड़ी हुई है । यह सारा का सारा तेल, आप कहते हैं कि कंपनी वहां से रंग डाल कर भेजती है । इसके अन्दर तो केमिकल डालकर वापस सफेद कर देते हैं । फिर यह सारा का सारा तेल ब्लैक में बिकता है और वापस यह डीजल पेट्रोल में मिलता है । इसलिए आप मीटिंग रखिये ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये । माननीय धारीवालजी ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि घरेलू उपयोग के उपभोक्ताओं के अलावा सरकार किन-किन को केरोसिन का आवंटन करती है ? दूसरा, प्रश्न यह है कि डीजल में मिलावट के लिए क्या सरकार ने जांच की है ?

श्री अध्यक्ष : इससे रिलेटेड हो तो वह पूछें । जोधपुर के बारे में चल रही है बात ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सवाल वही है । सवाल के उत्तर में लिखा हुआ है कि घरेलू उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के अलावा अन्य कार्यों के लिए भी दिया जाता है । तो मैंने यह पूछा कि किन-किन कार्यों के लिए दिया जाता है ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये । उन्होंने यह सब बता दिया था ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : तीसरा, यह है कि डीजल में मिलावट करने वालों की क्या सरकार ने कभी जांच की है ? डीजल में मिलावट के लिए केरोसिन उनके पास कैसे पहुंचता है ?

श्री अध्यक्ष : हां, राधेश्यामजी आपको क्या पूछना है ? आपको भी जोधपुर के बारे में पूछना है क्या ?

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : एक सैकण्ड, कोई लम्बा-चौड़ा मामला नहीं है । मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह जानकारी चाहता हूं कि गंगानगर जिले के लिए और हनुमानगढ़ जिले के लिए....

श्री अध्यक्ष : जोधपुर की बात हो रही है।

श्री राधेश्याम : दोनों जब एक थे तब तो पूर्ति हो रही थी, परन्तु अब सारा तेल हनुमानगढ़ जिले में जा रहा है और गंगानगर में उपभोक्ताओं को बिलकुल नहीं मिलता है। इससे क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। माननीय मंत्रीजी से मिलकर बात कर लें।

श्री राधेश्याम : मैं जानकारी चाहता हूं, जवाब दिलवा दें, वहां हाहाकार मची हुई है। आप जवाब दिलवाइये।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री राधेश्याम : जवाब तो दिलवा दीजिये। आपके माध्यम से मंत्री महोदय कुछ बोलें तो सही।....(व्यवधान)

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : सैंकड़ों भीलों ने थानों में एफ. आई. आर. लाज करवा रखी है कि 20 ड्रम चोरी हो गये। पब्लिक ने उनका कई जगह घेराव किया ...

श्री अध्यक्ष : माननीय विराजिये।

श्री कन्हैयालाल मीणा : सैंकड़ों केसेज की एफ. आई. आर. लाज है, उन्होंने खुद ने एफ आई. आर. लाज करवायी है, ब्लैक करते हुए उनको पकड़ा भी है। इसलिए आपसे निवेदन है कि एफ. आई. आर. लाज करवा रखी है उनकी जांच की जाए और जो पेट्रोल पम्प पर पकड़े गये हैं.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। बहुत हो गया।

श्री कन्हैयालाल मीणा : इसलिए ऐसे डीलरों के लाइसेंस तुरन्त रद्द किये जाएं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि 4 के उत्तर में शिकायतों का विवरण दिया गया है....

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी ध्यान देवें वह प्रश्न पूछ रही हैं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : मैंने पूछा था कि की गयी कार्यवाही का माहवार विवरण बताने की कृपा करें। उन्होंने सिर्फ दिसम्बर, 1994 तक प्राप्त हुई शिकायतों का उल्लेख किया है। मार्च और जनवरी, फरवरी में क्या कोई शिकायत नहीं हुई ? सिर्फ एक महीने ही शिकायत हुई और इसका मतलब बाकी महीनों में कोई वारदात नहीं हुई, न कोई घासलेट की कालाबाजारी हुई। मैं मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहती हूं कि कृपया इसकी जानकारी करें ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब माननीय सदस्या 6-7 सप्लीमेंटरी तो हो गये। अब जोधपुर के बारे में आपको क्या पूछना है ?

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : मैं यह पूछना चाहती हूं कि क्या मंत्री महोदय मिट्टी का तेल पेट्रोल में मिला कर

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

बेचने वालों और कालाबाजारी करने वालों के ऊपर कोई अंकुश लगाने के लिए कोई कार्यवाही करेंगे या नहीं ?

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, यह मिट्टी का तेल ही खराब है या तो महिलाओं की जान लेता है या रोटी बनाते वक्त महिलाओं की जान चली जाती है ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप । तेल को कहेंगे कि महिलाओं की जान नहीं ले ।

डा. रामप्रताप : माननीय अध्यक्ष महोदय, गंगानगर से आने वाले माननीय विधायक की बात के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि गंगानगर में गैस की एजेंसीज ज्यादा हैं और हनुमानगढ़ क्षेत्र में गैस की एजेंसीज कम हैं । इसलिए हो सकता है कि वहां पर ज्यादा दिया जाता हो । बाकी और कोई यह दुर्भावना नहीं है....

श्री अध्यक्ष : जोधपुर के बारे में फरमा दें ....

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, सुनायी नहीं दे रहा है ।

श्री अध्यक्ष : मैं सुन रहा हूं ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : अध्यक्ष महोदय, सुनायी नहीं दे रहा है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय थोडी शांति रखिये ।

डा. रामप्रताप : इसके अलावा जहां तक मिलावट की बात माननीय सदस्यों ने कही उसके बारे में मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर केरोसिन मिलाया जाता है डीजल या पेट्रोल में उसके बारे में जितनी भी जानकारी या सूचनाएं मुझे किसी भी वक्त दी जाएगी, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि उसके ऊपर पूरी कार्यवाही करूंगा और यही नहीं मैं सहृदय से इस बात का स्वागत करूंगा ।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : माननीय मंत्री महोदय आपको जानकारी है क्या कि पेट्रोल में मिलाने के लिए केरोसीन कहां से लाते हैं ? केरोसीन का अलाटमेंट तो आप ही करते हो ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बिराजें । दूसरे प्रश्न भी लेने हैं ।

डा. रामप्रताप : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई मिलावट का मामला आज का नहीं है और जिस तरह से सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है, मैं भी उनमें शामिल हूं । लेकिन आप सब लोगों के सहयोग से इस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं आपसे पूरी अपेक्षा करता हूं, अधिकार स्वरूप करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय शांतिलालजी ।

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी से एक बात कही, मंत्रीजी ने ऐसा जवाब दिया कि कोई भी मेरे को बतायेंगे....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये । माननीय शांतिलालजी ।

श्री मोहनलाल मोदी : मैं आपको कहना चाहता हूं, मंत्रीजी से मैं स्वयं मिला हूं । नीमका-थाना के एक इन्स्पेक्टर ने 100, 100 रुपये लिये हैं....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह तो बाद में ही कह सकते हो । आप बिराजिये । सदन के समय का ध्यान रखें ।

श्री मोहनलाल मोदी : उस पर उन्होंने जवाब दिया कि 100 रुपये भी कोई बड़ी चीज है । ऐसी तो उनकी स्थिति है ।

श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि विभाग ने डीजल पेट्रोल के कितने सैम्पल जाँच के लिए लिये ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये । अब खत्म हो गयी बात । माननीय सदस्य बिराजिये क्वश्चन से रिलेटेड हो तो पूछिये । कुछ तो माननीय सदस्य अपने आपको रेस्ट्रेंट करें । माननीय शांतिलालजी ।

राजसमन्द झील की नहर से जल रिसाव

396. **श्री शांतिलाल खोईवाल** (राजसमंद): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राजसमंद झील की नहर से मावा गांव की भील बस्ती (पंचायत भवन के पास) में पानी रिसाव होकर आवासीय मकानों में भर जाता है ? यदि हां, तो उक्त बस्ती के लोगों के घरों में पानी के रिसाव से बचाव के लिए विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है तथा उक्त समस्या का निवारण कब तक कर दिया जायेगा ?

सिंचाई मंत्री (श्री देवीसिंह भाटी) : अध्यक्ष महोदय, जी नहीं । परन्तु काश्तकारों द्वारा निर्मित कच्चा धोरा जो भील बस्ती के आवासीय मकानों के पास से निकलता है, से रिसाव होता है । उससे आवासीय मकानों में पानी भर जाता है । धोरों का रख-रखाव काश्तकारों द्वारा किया जाता है । अतः विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

श्री शांतिलाल खोईवाल : अध्यक्ष महोदय, जिन अधिकारियों ने माननीय मंत्री महोदय को इन्फोर्मेशन फर्निश की है वह करेक्ट नहीं है । पहले प्रश्न के उत्तर में आपने फरमाया है कि पानी नहीं भरता है । मेरा मंत्री महोदय से निवेदन यह है कि पानी उसमें भरता है और जो धोरा आपने दर्शाया है अपने उत्तर में, वह धोरा नहीं होकर माइनर कैनाल है । उपभोक्ताओं द्वारा निर्मित नहीं होकर यह माइनर कैनाल विभाग द्वारा निर्मित है । जब विभाग द्वारा निर्मित है तो पूरे

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

प्रश्न का स्ट्रक्चर ही बदल जाता है। अगले पार्ट में माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया है, क्योंकि यह व्यक्तिगत धोरा है इसलिए इसमें विभाग द्वारा कोई मरम्मत करवाने की आवश्यकता नहीं है। मेरा कन्टेंशन यह है जो मैंने पर्सनल विजिट करके इस बात को देखा है कि यह धोरा नहीं होकर माइनर कैनाल है और विभाग द्वारा निर्मित है। सर्दी में जब सिंचाई होती है कड़ाके की सर्दी पड़ती है, उस समय उन 25 भीलों की बस्ती में, भीलों के घरों में पानी भर जाता है और एक ही मकान में उनका पूरा परिवार रहता है, उनके जानवर रहते हैं। यदि उसमें पानी भर जाता है उस कड़ाके की सर्दी में तो वे लोग कहां रहेंगे। ऐसी स्थिति में मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इसमें कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है, इसमें मात्र एक आध लाख रुपये का खर्चा है। तो उस नहर की मरम्मत करवाइये और यदि मरम्मत नहीं कराएं तो उसको डाइवर्ट करिये। इसमें भी ज्यादा खर्चा आने वाला नहीं है। मैं माननीय मंत्रीजी से स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि उन भीलों की आवासीय कालोनी में रिसाव हो रहा है उसको रोकने की क्या व्यवस्था करेंगे ?

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सूचना दी है कि विभाग द्वारा जो सूचना हमें यहां सदन में दी गयी है वह बिल्कुल तथ्यों से परे है। मुझे विभाग ने यह सूचना दी है कि आर. डी. 283 से कच्चा धोरा निकलता है, और वह काश्तकारों द्वारा निकाला हुआ है और वह हाई लेवल पर बनाया हुआ है। उसमें सीपेज होकर पानी इकट्ठा होता है। माननीय सदस्य ने जो कहा है कि विभाग ने जो सूचना दी है, वह गलत दी है। हकीकत में यह नहर से रिसाव होता है। वह नहर माइनर एक ही बात है, यदि नहर से रिसाव होता है और उससे आवासीय कालोनियों को क्षति पहुंचती है, और इस प्रकार की गलत सूचना दी है तो मैं निश्चित तौर पर विभागीय अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करूंगा और इसके साथ मैं आपको यह भी विश्वास दिलाता हूं कि मैंने आज पूर्व में भी यह निर्देश दे दिये कि उच्च अधिकारी मौके पर जाएंगे और माननीय सदस्य को साथ ले जाएंगे। यदि नहर से रिसाव हो रहा है तो इसका समाधान तुरन्त किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंहजी, श्री परसादी लालजी।

श्री लक्ष्मणसिंह (भीम) : अध्यक्ष महोदय, एक छोटा-सा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : इसमें क्या प्रश्न है ? यह मावा की बात हो रही है, कांकरोली के पास।

श्री लक्ष्मण सिंह : हां, हां, इसीलिए माननीय सिंचाई मंत्रीजी से मैं जानना

(श्री लक्ष्मणसिंह)

चाहूंगा कि आपने यह बताया कि वह काश्तकारों द्वारा निर्मित धोरा है तो कृपया यह भी बताएं कि वह धोरा सिंचाई के परपज के लिए ही है या किसी और परपज के लिए ? अगर सिंचाई परपज के लिए ही है, तो आप क्या उन धोरों को पक्का कराने पर कुछ विचार करेंगे ? दूसरा, कोई मानवीय दृष्टि अपनाते हुए वह पानी का रिसाव एससी., एस. टी. की लोकेशन में हो रहा है, किसी तरह से आप एस. सी., एस. टी. वालों को क्या बेनिफिट देंगे ?

श्री अध्यक्ष : मावा का धोरा जरूर ठीक करेंगे। श्री हरिसिंहजी, श्री परसादी लाल जी।

अनुसूचित जन जाति आयोग द्वारा प्रकाशित प्रतिवेदन

397. **श्री परसादी लाल मीणा** (लालसोट) (श्री हरिसिंह (महुआ) के स्थान पर) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग समय-समय पर अपनी रिपोर्ट प्रकाशित कर समाज कल्याण विभाग को भिजवाता है ? यदि हां, तो आयोग द्वारा इस प्रकार के कितने प्रतिवेदन वर्ष 1990 से वर्ष 1994 तक निदेशालय, समाज कल्याण विभाग को प्रस्तुत किये गये ?

(2) क्या इस प्रकार के प्रतिवेदन सदन के माननीय सदस्यों को उपलब्ध करवाये जाते हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग का उन्तीसवां प्रतिवेदन निदेशालय, समाज कल्याण विभाग को प्राप्त हो चुका है ? यदि हां, तो कब एवं कितनी प्रतियां ?

राज्य मन्त्री, समाज कल्याण (श्री मदन दिलावर) : (1) जी हां, भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एव अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रथम प्रतिवेदन वर्ष 1992-93 राजस्थान सरकार को प्रेषित किया गया।

(2) इस प्रकार के प्रतिवेदन सदन में चर्चा के समय भारत सरकार से प्राप्त कर उपलब्ध करवाये जाते हैं।

(3) अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का उन्तीसवां प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आयुक्त, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उन्तीसवें प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को दिनांक 25-9-1990 को भेजी गयी थी। 300 अतिरिक्त प्रतियां भारत सरकार से प्राप्त हो गयी थीं।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जवाब के पैरा 3 में कहा कि प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। उसके नीचे कहा है कि उन्तीसवें प्रतिवेदन की प्रतिलिपि भारत

(श्री परसादीलाल मीणा)

सरकार से 25-9-1990 को प्राप्त हुई और उसकी 300 प्रतियां भी राजस्थान सरकार के समाज कल्याण विभाग को मिल चुकी हैं। क्या माननीय मंत्रीजी उन प्रतियों को सदस्यों को उपलब्ध कराकर उन पर चर्चा कराने का इरादा रखते हैं ?

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो प्रतिलिपि उपलब्ध करवा दी जाएगी और इसमें यदि राजस्थान के सम्बन्ध में कोई चर्चा होगी तो माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय को भेजते, राज्यपाल महोदय सदन के माध्यम से प्रेषित करवाते।

श्री परसादीलाल मीणा : भारत सरकार से तो आपको 300 प्रतियां मिल चुकीं। आप उपलब्ध करवाइये माननीय सदस्यों को आप उस पर चर्चा करवाइये। आपको आज तक कितने प्रतिवेदनों की प्रतियां मिल चुकीं, एक भी प्रतिवेदन की प्रति आपने माननीय सदस्यों को आज तक उपलब्ध नहीं करवाई, न किसी पर आज तक चर्चा करवायी। जितनी प्रतियां आपको मिली हैं क्या सरकार उन पर चर्चा कराने का इरादा रखती है ? कितने प्रतिवेदनों की प्रतियां आपको मिलीं ?

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कह चुका हूं कि माननीय सदस्यों को प्रतिलिपि उपलब्ध करवा दी जाएगी।

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, यह पुरानी परम्परा रही है कि अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट पर सदन में विचार हो। माननीय मुख्य मंत्री जी भी इस पर चर्चा कर चुके हैं। जब पुराने समय में एक दिन का समय होता तो माननीय श्री भैरोंसिंह शेखावत के अनुरोध पर 2-2 दिन तक इस पर चर्चा हुई है। अब क्या सरकार इस रिपोर्ट पर चर्चा कराने का विचार रखती है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : पहले भी रिपोर्ट्स आती थी, वह समय पर नहीं आती थी। चर्चा होती थी लेकिन 5 वर्ष पहले की रिपोर्ट होती इसलिये चर्चा सार्थक नहीं थी। कई बार हम सबने प्रयत्न किया कि हाथोंहाथ अगर रिपोर्ट मिल जाए तो उसकी चर्चा सार्थक होगी। आप चाहेंगे तो इस पर चर्चा करवा देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री परसादीलाल मीणा : जो भी लेटेस्ट रिपोर्ट हो उस पर चर्चा करवा दीजिए। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष : विराजिये, श्री किशनजी मोटवानी।

अजमेर में मलेरिया की रोकथाम के उपाय

398. **श्री किशन मोटवानी** (अजमेर

(श्री किशन मोटवानी)

पश्चिम) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा अजमेर शहर में सम्भावित मलेरिया की रोकथाम के लिऐ क्या प्रयास किये जा रहे हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या शहर के राजकीय अस्पतालों में दवाइयां निःशुल्क दी जा रही हैं ?

राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (श्री राजेन्द्र राठौड़) : (1) राज्य सरकार द्वारा अजमेर शहर में सम्भावित मलेरिया की रोकथाम के लिए अनेक प्रभावी और कारगर प्रयास किये जा रहे हैं। प्रयासों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां, मलेरिया के रोगियों को क्लोरोक्वीन व प्रोमाक्वीन की गोलियां निःशुल्क उपलब्ध करवायी जा रही हैं। सभी राजकीय अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्रों के अतिरिक्त शहर में बुखार के रोगियों के लिये 104 दवा वितरण केन्द्र भी खोले गये हैं और क्लोरोक्वीन की दवाइयां विभाग द्वारा आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी वितरण हेतु उपलब्ध करा दी गयी हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री किशन मोटवानी : माननीय अध्यक्षजी, जो उत्तर आया है उससे राज्य सरकार मलेरिया के प्रति सीरियस नहीं लगती। जैसे रेड बुक में लिखी हुई चीजें पढ़ दी जाती हैं, जो परिशिष्ट दिया है, आप स्वास्थ्य मंत्रीजी अवलोकन कर लें, वह इसी तरह से हैं कि जब कोइ महामारी आ जाए या अकाल आ जाए या गवर्नर आ जाए या प्रेसीडेन्ट आ जाए तो रेड बुक की तरह उसमें जो कार्यवाही होनी है, वह आपने इसमें लिख दी। मैं आपसे चार सवाल पूछता हूं अगर आप उनका पिन पाइंटेट जवाब दे देंगे तो मुझे लगेगा कि आप मलेरिया के प्रति सीरियस हैं और उसका प्रोजेक्शन कितना है, उसकी आपको जानकारी है। आपने लिखा है कि सेम्पल स्लाइड्स लिए जाते हैं। सेम्पल स्लाइड्स कितने लिए ? घरों में जाकर कितने और अस्पतालों में आपके कारिन्दों द्वारा जाकर कितने ? आप यह बताइये कि अजमेर में कितनी कच्ची बस्तियां हैं ?....(व्यवधान) मैं जो सवाल पूछ रहा हूं यह सीरियस मेटर है, यह मजाक का मसला नहीं है। मुझे यह बताइये कि आज तक आपने कितनी गोलियां बांटी हैं ? चौथा क्वेश्चन, आपने कितने टन डी. डी. टी. प्रयोग किया है ? आप जवाब दे दीजिये, हम समझ जाएंगे कि आप सीरियस हैं कि नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, अजमेर जिले में 1 जनवरी से लेकर 8 अप्रेल तक 20, 724 ब्लड स्लाइड्स लिये गये जिनमें से 444 मलेरिया पोजिटिव पाये गये, जिनमें 339 पी. वी. पोजिटिव और 101 मलेरिया पी. ए. पोजिटिव पाये

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

गये। अध्यक्ष महोदय, जिन कच्ची बस्तियों की सूची आपने मांगी है मुझे अभी तक उसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि वह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। परन्तु फिर भी माननीय सदस्य यह चाहेंगे तो मैं उनको यह जानकारी उपलब्ध करवा दूंगा। इसके अलावा अजमेर में कच्ची बस्तियों में एक रिवेम्पिंग योजना हम लोगों ने चालू कर रखी है। उसमें 6 स्टाफ नर्स हैं, 10 ए. एन. एम. हैं जो इन कच्ची बस्तियों में जाकर सरवेइलेंस का काम भी करती हैं और वहां ब्लड स्लाइड्स लेकर और पोजिटिव पाये जाने पर वहीं ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। इसके अलावा अजमेर में 1 मार्च से डी. डी. टी- का स्प्रे भी प्रारम्भ किया है और अजमेर में लगभग 6 हजार घरो, कमरों के अंदर, इसमें घर कितने हो सकते हैं, पर हमारी जो सूचना है घरों के हिसाब से है, 6 हजार घरों में डी. डी. टी. का स्प्रे हो चुका है और इसके लिए 6 टीमें गठित की गयी हैं। अजमेर में शहरी मलेरिया योजना के तहत 45 फील्ड वर्कर्स भी काम कर रहे हैं जो पूरे अजमेर को दो हिस्सों में, 22 खण्डों में बांटकर डी. डी. टी. के स्प्रे के साथ-साथ नालियों की सफाई और एंटी लार्वा मेजर्स का काम भी कर रहे हैं।

श्री किशन मोटवानी : Let us satssfy with the reply. ऐसी बात नहीं है, जस्ट वेट""(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : माननीय बीच में न बोलिये।

श्री किशन मोटवानी : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा क्वेश्चन था आपके कारिंदों ने कितने घरों में जाकर स्लाइड्स लिये, उसका जवाब नहीं दिया। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि वाकई में जो पैराफर्नेलिया आपने उपलब्ध कराया है वह कार्यरत है कि नहीं, सीरियसली कार्य कर रहे हैं या नहीं ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, अजमेर शहर में 1-1-95 से लेकर 8-4-95 तक 2602 स्लाइड्स पोजिटिव पाये गये इनमें से कितनी स्लाइड्स पेसिव और कितनी एक्टिव रही, इसकी तो मुझे विस्तृत तौर पर जानकारी नहीं है। मैं माननीय सदस्य को व्यक्तिगत तौर पर उपलब्ध करवा दूंगा।

श्री किशन मोटवानी : ना, ना, मैं वह नहीं पूछ रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अजमेर शहर के अंदर ब्लड स्लाइडस जो कलैक्ट की गयीं उनमें 2602 ब्लड स्लाइड्स में मलेरिया पोजिटिव पाये गये। इसके अन्दर घरों में कितने लिए गये और चिकित्सालय में कितने लिये गये इसके बारे में मैं निजी तौर पर माननीय सदस्य को अवगत करा दूंगा।

श्री किशन मोटवानी : अध्यक्ष महोदय, यह मैं इसलिए पूछ रहा था कि जो इसके

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

लिए पैराफर्नेलिया है वह वर्क कर रहा है या नहीं ? अब मैं सवाल पूछता हूं कि इन परिणामों से क्या प्रोजेक्शन आया कि मलेरिया का मामला सीरियसली चल रहा है या रोकथाम हो गई ?

श्री शांतिलाल खोईवाल : अध्यक्ष महोदय, मामला मलेरिया और मच्छरों का है। पिछले दिनों हाउस में एक बिन्दु आया।

श्री किशन मोटवानी : Please let the reply come. जो मेरा सवाल है उसका जवाब आने दीजिए। Then you ask.

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछ रहे हैं, पूछें।

श्री शांतिलाल खोईवाल : अध्यक्ष महोदय जैसा निवेदन किया कि यह मामला मच्छरों और मलेरिया का है। पिछले हाउस में एक बिन्दु चर्चा का विषय बना था कि माननीय विधायकगण अपने आवास-गृहों में मच्छरों से परेशान हैं और इस तरह की परेशानी है। मुझे हाउस कमेटी का चैयरमैन बना रखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह माननीय सदस्यों की परेशानी का विषय है कि नींद नहीं निकाल पाते हैं. बहुत परेशानी है। साल भर से मैं आब्जर्व कर रहा हूं कि मच्छरों को मारने के लिए सरकारी स्तर पर कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। क्या मंत्री महोदय तत्काल इस तरह की कोई व्यवस्था करायेंगे ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, विधायक नगर में भी बड़े-बड़े मच्छर पैदा हो गये हैं जिससे विधायक गण बीमार हो हो रहे हैं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये (व्यवधान) आपको खुद को तो मलेरिया नहीं है। आप बिराजें (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : पिछली बार भी इसके बारे में काफी कहा गया था. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये, माननीय सदस्य (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर माननीय सदस्यों ने जो मलेरिया प्रकोप की ओर ध्यान आकर्षित किया है और पिछले वर्ष जिस तरह का अनुभव रहा है मैं समझता हू कि वास्तव में पिछले वर्ष की बरसात के कारण प्रदेश में मलेरिया ज्यादा फैला। इस वर्ष पिछले वर्ष के अनुभव को देखते हुए हम इसमें प्रयत्नशील हैं कि किसी प्रकार से मलेरिया प्रकोप का रूप नहीं ले। इसलिए पिछली बार भी हम लोगों ने प्रयास किये थे और इस बार अजमेर जिले में हमने 52 टीम बनायी हैं जिनमें से 34 मोबाइल टीम हैं जो कि अलग-अलग गांवों में जाती

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हैं और वहां जाकर वहीं स्लाइड्स भी लेती हैं और स्लाइड्स पोजिटिव आती हैं, तो वहां जाकर ट्रीटमेंट भी देती हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि माननीय सदस्य और कोई बात से अवगत कराना चाहेंगे तो निश्चित रूप से यह एक ऐसा विषय है कि हम सब को मिलकर चिन्ता भी करनी चाहिए और रोकथाम कैसे हो, इसके लिए सामूहिक तौर पर प्रयास भी करने चाहिए। मैं इसके लिए पूरी तरह चिन्तित हूं और निश्चित तौर पर मैं इसको स्वीकार भी करता हूं (व्यवधान) और इस साल पिछले वर्ष की पुनरावृत्ति नहीं हो इसके लिए विभाग पूरा प्रयत्नशील रहेगा(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री शांतिलाल खोईवाल : माननीय मंत्री महोदय ने कोई टिप्पणी नहीं की (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मच्छरों से पूरा शहर परेशान है और यह हर आम जनता की बात है। इसमें एम. एल. ए. ही नहीं है, सारी जनता का सवाल है। रात को नींद नहीं ले पाती है और बड़ी दिक्कत होती है। क्या स्वास्थ्य विभाग दवाइयों का छिड़काव कर रहा है या धुंआ का कर रहा है जिससे समुचित व्यवस्था हो? माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी इसके लिए घोषणा करें। यह कोई हंसी मजाक का विषय नहीं है। यह आम व्यक्ति और जनता से सम्बन्धित मामला है। पूरे राजस्थान का मामला है....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। (व्यवधान) एक प्रश्न में मलेरिया पर दो-दो बार बोलना है (व्यवधान) माननीय मामड़ा साहब बोलना चाहते हैं, एक मिनट बिराजें। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भामड़ा (उप-मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो मलेरिया के सम्बन्ध में सदन का ध्यान आकर्षित किया है मैं समझता हूं कि जिस गम्भीरता से (व्यवधान) आपस में थोड़ा बात चीत बन्द करें तो मैं बोलूं (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : आप थोड़ा शांति रखें।

श्री हरिशंकर भामड़ा : सरकार ने वास्तव में इस वर्ष मामले को बहुत गम्भीरता से लिया है और आपने जिस मानीटरिंग की तरफ ध्यान दिलाया है कि जो व्यवस्था की है वह हो रही है या नहीं। इस सम्बन्ध में सरकार ने जो 6 विभागों में 6 मंत्री नियुक्त किये हैं उसमें मलेरिया भी शामिल है कि वह इस बात की भी मानीटरिंग करेंगे। तो मलेरिया के लिए विभाग ने व्यवस्था की है वह वस्तुतः नीचे तक उसका कार्य हो रहा है या नहीं निरन्तर इसकी मानीटरिंग मंत्री स्तर तक होगी और पूरे राजस्थान में होगी कि मलेरिया आगे नहीं फैले इसके लिए जितने कदम उठाये जा सकते हैं प्रिवेन्टिव, उसकी

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

व्यवस्था कर ली गयी है और उस व्यवस्था के अनुसार काम हो इसकी व्यवस्था भी कर दी गयी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें (व्यवधान) श्रीमती मीना अग्रवाल। (व्यवधान) बिराजिये, बिराजिये, श्रीमती मीना अग्रवाल (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मामला केवल जयपुर का ही नहीं हैं, पूरे राजस्थान का है। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा और पूछना भी चाहूंगा कि मलेरिया की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग, स्वायत शासन विभाग और जलदाय विभाग इन तीनों की सम्मिलित कोई एक टीम बना करके पूरे राज्य में ऐसी कोई योजना बनाने का आप विचार रखते हैं ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बना ली गयी है माननीय सदस्य।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : विभागवार बनायी है।

जयपुर शहर के विभिन्न स्थानों को जोड़ने हेतु मास्टर प्लान

399. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विभाग ने जयपुर शहर के विभिन्न स्थानों को लिंक रोड से जोडने हेतु कोई मास्टर प्लान बनाया है ? यदि हां, तो निर्धारित प्लान के अनुसार कार्य कब से आरम्भ किया जावेगा ?

(2) क्या सरकार उक्त कार्य वित्तीय वर्ष 1995-96 में पूर्ण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा आपका प्रश्न स्थगित किया है। (व्यवधान) बिराजिये आपका प्रश्न स्थगित है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कल जवाब दे देंगे ?

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न स्थगित है। स्वायत्त शासन मंत्रीजी के पास गया है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, यह सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बन्धित है। दोनों विभागों में यह गलतफहमी थी

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। अब इसमें भाषण और डिबेट का कहां सवाल है। स्वायत्त शासन मंत्रीजी जवाब देंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप मुझे इसका जवाब इसी सत्र में दिलवा देंगे ?

श्री अध्यक्ष : हां, बिराजिये। नैक्स्ट श्रीमती मीना अग्रवाल। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि हनुमानगढ़ जिले में मेरे विधान सभा क्षेत्र में राजस्थान से ही अलग समस्या है, परेशानी है मच्छरों के सम्बन्ध में

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। आपको भी मच्छर बहुत सता रहे हैं और आपको भी बहुत सता रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मच्छरों की वाकई में पूरे राजस्थान में ही ऐसी बात है और यह गम्भीर मामला है। मैं तो अभी चिकित्सा मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि यह जो दवाइयां देते हैं और धुआं करते हैं उससे एक भी मच्छर नहीं मरता है। अभी दो दिन पहले एक घंटा लाइट चली गयी और मेरे यहां तीन आदमी ऊपर सो गए....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। (व्यवधान) कम से कम इसमें 15 मिनट हो गये (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मामला है। मंत्रीजी कोई तो जवाब दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इतने माननीय सदस्य एक साथ बोलेंगे तो सुनेगा कौन ? (व्यवधान) आप बिराजें माननीय सदस्य। (व्यवधान) बिराजिये माननीय सदस्य....

श्री रामप्रताप कासनियां : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में सी पेज के कारण से मच्छर बहुत ज्यादा हैं....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये माननीय सदस्य (व्यवधान)।

श्री रामप्रताप कासनियां : अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां अलग वेरायटी के मच्छर हैं मैं निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री रामप्रताप कासनियां : चश्मा लगाकर भले ही निकल जाएं बिना चश्मा के पांच बजे के बाद बाहर ही नहीं निकल सकते। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से चाहूंगा कि सीपेज वाले गांव में अलग से ही कोई अभियान चलाकर के डी. डी. टी. का छिड़काव किया जाए।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री रामप्रताप कासनियां : ताकि वहां के लोग बीमारियों से बच सकें....

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप ।

श्री गुलाबसिंह (जैसलमेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मलेरिया से तो आदमी पांच दस दिन निकाल लेता है लेकिन हमारे यहां सांप काटने से जो लोग मर रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : अभी मलेरिया की बात चल रही है, सांप की बात कहां से आ गयी ? विराजिये आप । बीच में सांप आप कहां से ले आये । शांति बनाए रखें । श्रीमती मीना जी ।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में मलेरिया से मौत हुई....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया है, बिराजें आप ।... (व्यवधान) बिराजें आप ।

श्री अमराराम चौधरी : क्योंकि डी. डी. टी. समाप्त हो गयी, दवाइयां उपलब्ध नहीं करायी गयी । मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन कर रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : कोई अंकित नहीं करें ।

श्री अमराराम चौधरी : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य थोड़ा सहयोग दें । इतना बोलने का अवसर दे रहे हैं उसके बावजूद भी मर्जी आये जब खड़े हो जाते हैं । कम से कम थोड़ा सा तो ख्याल रखें । श्रीमती मीना जी ।

पंचायत चुनाव के दौरान जिला अलवर में जब्त वाहन

400. **श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर)** : क्या चुनाव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अलवर जिले में पंचायत चुनाव के दौरान प्रत्याशियों की कितनी गाड़ियां पकड़ी गयीं और कितनों की शिकायतें सरकार को की गयीं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) गाड़ियां छुड़वाने हेतु रिश्वत मांगने से सम्बन्धित कितने लोगों की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई और ऐसी शिकायतों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस प्रकार के समाचार, समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुए हैं ?

चुनाव मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) किसी भी प्रत्याशी की गाड़ी नहीं पकड़ी गयी, ना ही इस सम्बन्ध में कोई

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्री कैलाश मेघवाल)

शिकायत राज्य सरकार को प्राप्त हुई है।

(2) गाड़ियां छुड़वाने हेतु किसी व्यक्ति विशेष की कोई शिकायत राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई। जब शिकायत ही प्राप्त नहीं हुई, तो कार्यवाही करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(3) जी हां।

श्रीमती मीना अग्रवाल : अध्यक्ष जी, मैंने खुद ने जिला कलक्टर को गाड़ियां छुड़वाने के लिए लिखकर दिया है और जो रिश्वत मांगी गयी उसके बारे में भी मैंने लिख कर दिया है कि इसके बारे में जांच की जाए। जो इन्होंने जवाब दिया है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं।.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं तो दूसरे सब माननीय सदस्य क्यों खड़े हो रहे हैं ?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायिका ने जो सवाल किया हैं, यह सवाल थोडा सा भ्रम पैदा करता है। सवाल किया हैं कि प्रत्याशियों की कितनी गाडियां पकड़ी गयी। अब पकड़ी गयी और अधिग्रहण करने में फर्क है। एक तो चुनाव के लिए गाड़ियों का अधिग्रहण किया जाता है और उस अधिग्रहण में अपनी कोई दिक्कतें बताकर गाड़ी को छुड़वाना चाहता है, और एक पकड़ी गयी। इसलिए मैंने निवेदन किया कि इसमें पकड़ी कोई नहीं गयी। अधिग्रहण के बारे में माननीय विधायिका ने अगर किसी गाड़ी को छुड़वाने की कही और उसके सही कारण थे, नहीं छोड़ी इस तरह के समाचार भी छपे थे। उन समाचारों की जांच भी करवा ली और जांच करवाने के बाद उन समाचारों को छापने वाले दूसरे कोई भी सामने नहीं आये और उनकी सत्यता नहीं पायी गयी।

श्री अध्यक्ष : श्री आर. पी. शर्मा जी।

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के बारे में कहा है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह प्रश्न कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बिराजिये आप।

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय मंत्रीजी को पता है कि अधिग्रहण के बारे में इसके शब्दों पर नहीं जाएं, भावनाओं पर जाएं। अधिग्रहण की जाती है, मानलो उनको 20 की आवश्यकता है तो 200 अधिग्रहण कर लेते हैं....(व्यवधान) छोड़ते वक्त जो भ्रष्टाचार का मामला होता है। वह उन्होंने आपके सामने रखा है। इन्होंने खुद ने कलक्टर को शिकायत की है फिर यह कहना कि राज्य सरकार के पास

(श्री रमाकान्त शर्मा)

शिकायत नहीं आयी, उचित नहीं है। शिकायत की है और फिर कार्यवाही नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप। श्री आर. पी. शर्मा जी। ....(व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : इसी से सम्बन्धित सवाल है।

श्री अध्यक्ष : इसमें क्या पूछेंगे? गाड़ियां अधिग्रहण की बात थी वह बात खतम हो गयी, चुनाव भी खतम हो गए। गाड़ियां अधिग्रहण करनी पड़ती हैं, इसमें कौन सी नयी बात हो गयी? ....(व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : ... महिला एस. सी. और एस. टी. के सदस्यों की गाड़ियां अधिग्रहण कर लीं, गाड़ियां नहीं छोड़ी इसलिए सदस्य हार गये।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। श्री आर. पी. शर्मा जी।

जिला भरतपुर में जिला रसद अधिकारी का रिक्त पद

401. **श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) :** क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर में पिछले एक साल से जिला रसद अधिकारी का पद रिक्त है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार इस रिक्त पद को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री (डा. रामप्रताप) : (1) भरतपुर में जिला रसद अधिकारी का पद दिनांक 11-8-94 से रिक्त। जिला स्तर पर अन्य अधिकारी को कार्यभार देकर कार्य संचालन व्यवस्था कर रखी है।

(2) जी हां, सहायक जिला रसद अधिकारियों की विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंसा के अनुसार जिला रसद अधिकारी (ग्रेड III) पद पर पदोन्नति की जा चुकी है। अतः जिला रसद अधिकारी, भरतपुर के पद पर शीघ्र ही पदस्थापन कर दिया जावेगा।

श्री आर. पी. शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने क्वेश्चन, पूछा था, कि क्या यह सही है कि भरतपुर में पिछले एक साल से जिला रसद अधिकारी का पद खाली है? यदि हो, तो क्यों? मैं यह पूछना चाह रहा हूं कि भरतपुर ही एक ऐसी जगह मिल गयी जहां जिला रसद अधिकारी का पद खाली रखा हुआ है....

श्री अध्यक्ष : माननीय, भर देंगे।

(26)

श्री आर. पी. शर्मा : क्यों खाली है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपको इसमें क्या पूछना है ? कह दिया है जल्दी भर देंगे ।

श्री अरूणसिंह (डीग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बड़ा गम्भीर है । क्या सरकार भरतपुर को राजस्थान में मानती है या नहीं मानती है ? एक साल से मांग कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री अरूण सिंहजी बिराजिये, बात हो गयी है वह कह रहे हैं लगा देंगे, इससे ज्यादा और आप क्या चाहते हैं ?

श्री आर. पी. शर्मा : दूसरा मेरा प्रश्न है, यह कब तक भर दिया जाएगा ?

श्री अध्यक्ष : इन्होंने कहा है भर दिया जाएगा, और आप क्या चाहते हैं ? (व्यवधान)

श्री आर. पी. शर्मा : सिर्फ भरतपुर ही जगह मिली है । ...(व्यवधान)

जिला अजमेर में चम्बल के पानी से लिफ्ट सिंचाई

402. **श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार अजमेर जिले में चम्बल से लिफ्ट इरिगेशन के जरिये पानी उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या इस पर विचार कर इसके तकनीकी पहलू की जांच करायी जाएगी ?

(2) अजमेर जिले में कितने तालाब सिंचाई विभाग के अधीन है ? उनके सिंचित क्षेत्र सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) तालाबों से सिंचाई के सम्बन्ध में वर्तमान में क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है ?

(4) क्या सरकार की इन तालाबों के रख-रखाव की ओर बेहतर करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ?

(5) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के रामपुरा गांव के रामसागर रामपुरा तालाब के वर्ष 1975 में टूटने के पश्चात् और ठीक कराने के बाद कम पानी. रखने के सम्बन्ध में कोई शिकायत आयी है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? इस तालाब की मोरियां कब तक पक्की करा दी जावेगी ?

(6) सरकार विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के कौन-कौन से तालाबों की मोरियां पक्की कराने की योजना रखती है ?

सिंचाई मंत्री (श्री देवीसिंह भाटी) : (1) जी नहीं ।

(27)

(सिंचाई मंत्री)

(2) अजमेर जिले में सिंचाई विभाग के अधीन कुल 386 बांध/तालाब हैं। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) सिंचाई विभाग के अन्तर्गत तालाबों/बांधों से सिंचाई हेतु "रबी" सिंचाई से पूर्व जल वितरण कमेटी की बैठक आयोजित की जाकर उपलब्ध जल क्षमता के आधार पर सिंचाई कार्यक्रम सिंचाईसुविधा बनाकर प्रदान की जाती है।

(4) जी हां, उपलब्ध रख रखाव मद में वित्तीय संसाधनों के अनुरूप व अन्य मदों से उपलब्ध राशि से अत्यन्त आवश्यक मरम्मत के कार्य करवाये जाते हैं।

(5) जी नहीं, नहरों को पक्का करने का कार्य प्रगति पर है तथा 6/95 तक पूर्ण हो सकेगा।

(6) विवरण परिशिष्ट 'ब' पर सलंग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, समयाभाव को देखते हुए मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि भाग "अ" के बारे में कि चम्बल से लिफ्ट इरिगेशन के जरिये पानी अजमेर को उपलब्ध कराया जा सकता है क्या इसकी तकनीकी जाँच करवाने को आप तैयार हैं ? और दूसरा तालाब विकास प्राधिकरण, क्योंकि पूरे राजस्थान की अर्थ-व्यवस्था तालाबों पर निर्भर है, जगह-जगह तालाब टूट जाते हैं, क्या तालाबों के समुचित विकास के लिए आप तालाब विकास प्राधिकरण बनाने के लिए तैयार हैं ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : अध्यक्ष महोदय, जवाब ही नहीं आ पाया।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब दीजिये (व्यवधान) कह दीजिये तैयार है। अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है तालाबों का आप रिलेक्स कर सकते हैं, मंत्रीजी हैं आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब हो गया आपका. बिराजिये।

श्री रतन लाल ताम्बी : सारे राजस्थान के किसानों का मामला है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल तो समाप्त हो गया, प्रश्नकाल तो जितना होता है उतना ही होता है (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : रख-रखाव नहीं होता है इसलिए तालाबों का जवाब दिलवाया जाय। (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई) : प्रश्न का जवाब दिलवायें।....(व्यवधान)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी में महाविद्यालय की स्थापना

392. श्री रामकिशन शर्मा (रामगंज मण्डी) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि रामगंज मण्डी क्षेत्र में छात्र शिक्षा के लिए कोई महाविद्यालय नहीं है ?

(2) क्या सरकार रामगंज मण्डी में महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी नहीं। रामगंज मण्डी में छात्रों के लिए महाविद्यालय खोलने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। उपखण्ड मुख्यालय होने के कारण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार भवन बनवाकर देने अथवा भवन निर्माण हेतु धनराशि जमा करवाने तथा तीन वर्ष के लिए आवर्तक एवं अनावर्तक व्यय के लिए धनराशि जमा कराने पर राज्य सरकार महाविद्यालय प्रारम्भ करने का विचार कर सकती हैं।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट--2 देखें।)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्थान विश्वविद्यालय में प्राध्यापकों की नियुक्ति में आरक्षण

593. श्री अमरा राम (धोद) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान विश्व विद्यालय में कितने प्राध्यापक हैं ?

(2) इनमें से अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के प्राध्यापकों की संख्या कितनी है ?

(3) क्या राजस्थान विश्व विद्यालय के प्राध्यापकों की नियुक्ति में आरक्षण लागू किया गया है ?

उत्तर

(1) राजस्थान विश्वविद्यालय में 19 प्रोफेसर, 70 एसोसिएट प्रोफेसर, 510 असिस्टेंट प्रोफेसर तथा 167 तदर्थ शिक्षक कार्यरत हैं।

(2) नियमित नियुक्त प्राध्यापकों में तीन व्यक्ति अनुसूचित जाति के हैं।

(3) जी हां। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए क्रमशः 16% एवं 12% आरक्षण का प्रावधान है। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं हैं।

(22)

विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं कालेजों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं में मादक पदार्थों के सेवन की लत

594. **श्री शान्तिकुमार धारीवाल** (हिण्डोली) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं कालेजों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं में मादक पदार्थों के सेवन की लत के विषय में सरकार ने क्या कभी कोई जांच अथवा सर्वे करवाया है ? यदि हां, तो कब तथा ऐसी जांच/सर्वे के अनुसार किस विश्वविद्यालय/कालेज में कितने प्रतिशत विद्यार्थियों में मादक पदार्थों के सेवन की लत पायी गयी एवं सर्वे नहीं कराया गया तो अब कब तक सर्वे कराने का सरकार विचार रखती है ?

(2) ऐसे कौन-कौन से मादक पदार्थ हैं जिनका सेवन छात्र-छात्राएं करती हैं तथा शराब को छोड़ कर अन्य मादक पदार्थ छात्र-छात्रायें किन स्रोतों से प्राप्त करते हैं ?

(3) क्या यह सही है कि मादक पदार्थों के सेवन करने की लत काफी अधिक संख्या में छात्र-छात्राओं की है और स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए तुरन्त कार्यवाही करने की आवश्यकता है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में कब तक कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं । अभी तक इस विषय में राज्य सरकार ने कोई सर्वे नहीं कराया है, किन्तु राज्य के कुछ जिलों में सैम्पल सर्वे शीघ्र ही कराया जाना विचाराधीन है । राजस्थान विश्वविद्यालय ने अपने स्तर पर सैम्पल सर्वे करवाया है ।

(2) विस्तृत जानकारी तो राज्य सरकार द्वारा सैम्पल सर्वे कराने के पश्चात ही प्राप्त हो सकेगी ।

(3) स्पष्ट जानकारी तो उक्त सर्वे के बाद ज्ञात होगी । राजस्थान विश्वविद्यालय के सर्वेक्षणानुसार जो निष्कर्ष प्रस्तुत किये गये हैं वे एक सीमित क्षेत्र से सम्बन्धित होने के कारण समग्र स्थिति स्पष्ट नहीं करते । अतः राज्य व्यापी सर्वेक्षण के बाद प्राप्त निष्कर्षों पर तदनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

परबतसर तहसील के ग्रामों की निर्माणाधीन सड़कें

595. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि परबतसर तहसील में ग्राम सबलपुर से मामडोली, बेसरोली सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है ? यदि हां, तो यह सड़क कितने किलोमीटर स्वीकृत है एवं किस योजना के

(श्री हरजीराम बुरड़क)

तहत ? तकमीना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सड़क का ठेका दिया गया है ? यदि हां, तो ठेकेदार कौन-कौन हैं ? क्या उनको कार्य करने की स्वीकृति दी जा चुकी है ?

(3) उक्त सड़क पर मैटेरियल मुरड़, कंकरी किस जगह से डाली जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। परबतसर तहसील के ग्राम संबलपुरा मामडोली बेसरोली सड़क का निर्माण कार्य बोराबड से बेसरोली सड़क के स्वीकृत कार्य के अन्तर्गत कराया जा रहा है। इस सड़क की स्वीकृति 8 कि. मी. लम्बाई में 20.40 लाख रू की न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत दी गई है। स्वीकृत तकमीने की प्रति संलग्न है।

(2) जी हां। यह कार्य मैसर्स शिव रतन मालाकार संवेदक, परबतसर को आवंटित किया गया है। इसका कार्य आदेश 11, 50, 396.00 रुपये का स्वीकृत किया गया है।

(3) उक्त सड़क पर सामग्री क्वारी रबीश हेतु मकराना माइन्स क्वारी तकमीना में स्वीकृत की गई है तथा बेलास्ट के लिए डाडा क्वारी तथा बाईडिंग मैटेरियल के लिए बिदियाद क्वारी से लीड दी गई है। तथा क्रेशर ब्रोकन ग्रीट हेतु पावा क्वारी स्वीकृत है। सामग्री उपरोक्त क्वारियों से ही डाली जा रही है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

जिला पाली में नई सड़कों का निर्माण

596. **श्री सुरेन्द्र गोयल** (जैतारण) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला पाली में वर्ष 1994-95 के दौरान कौन-कौन सी नई सड़कों का निर्माण कार्य प्रस्तावित था ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र जैतारण में किन-किन महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण कार्य एवं मरम्मत कार्य वित्तीय वर्ष 1994-95 के दौरान प्रस्तावित था ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) बजट वर्ष 1994-95 के दौरान जिला पाली में सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत कार्य हेतु कितनी राशि का आवंटन किया गया ? इस राशि में से जैतारण विधान सभा क्षेत्र की सड़कों पर कितनी राशि खर्च की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला पाली में वर्ष 1994-95 के दौराने कुल 192 नई सड़कों का निर्माण प्रस्तावित था । जिसमें न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत 22 सड़कें, 30 जिला 30 काम के तहत 19 सड़कें, निर्बन्ध निधि योजना के तहत 12 सड़कें सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत 111 सड़कें व अकाल राहत कार्य से परिवर्तित सुनिश्चित रोजगार के तहत 20 सड़कें व स्थानीय सांसद विकास योजना के तहत 8 सड़कों के निर्माण कार्य समावेश था जिसकी सूची परिशिष्ट "क" संलग्न है ।

(2) विधान सभा क्षेत्र जैतारण में वर्ष 1994-95 में कुल 35 नई निर्माण सड़कों का निर्माण कार्य व 7 सड़कों के मरम्मत कार्य प्रस्तावित थे । नई प्रस्तावित निर्माण सड़कें न्यूनतम आवश्यकता के कार्यक्रम के तहत 5 सड़कें 30 जिला, 30 काम के तहत 2 सडकें निर्बन्ध निधी योजना के तहत 4 सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत 14 अकाल राहत से परिवर्तित सुनिश्चित रोजगार योजना के 4 स्थानीय सांसद क्षेत्र विकास योजना के तहत 6 कार्य को समावेश में है जिनकी सूची परिशिष्ट "ख" संलग्न है ।

(3) बजट वर्ष 1994-95 के दौरान पाली जिले में नई सड़कों के निर्माण कार्य हेतु राशि 503.90 लाख रु. व मरम्मत कार्य हेतु राशि 378.27 लाख रु. की आवंटन किया गया था। सूची परिशिष्ट "ग" में संलग्न है ।

इस राशि में से जैतारण विधान सभा क्षेत्र में 67.65 लाख रु. नई सड़कों के निर्माण कार्य व वर्ष 1994-95 में 32.70 लाख रु. के रख-रखाव के कार्यों में से 16.13 लाख रु. सड़कों के मरम्मत कार्य के तहत खर्च किया गया है । विवरण परिशिष्ट 'घ' में संलग्न है और बाकी का कार्य 1995-96 में पूर्ण किया जायेगा ।

(सूची एवं विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी ।)

सड़कों की मरम्मत के निर्धारित मानदण्ड

597. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सड़कों की मरम्मत हेतु सरकार द्वारा कोई नीति निर्धारित की है ? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखें । यदि नहीं, तो सड़कों की मरम्मत करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित कर रखे हैं ?

(2) कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र में स्थित निम्नलिखित सड़कों की मरम्मत कब हुई है और उन पर गत पांच वर्षों में कितना-कितना व्यय मरम्मत पर हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखें :—

अ. हेलक स्टेशन से आजऊ बन्ध

(श्री हरिसिंह)

आ. आजऊ बन्ध से कुम्हेर-पपरेरा सड़क तक लिंक रोड़

इ. नेशनल हाईवे नम्बर 11 से महुआ ग्राम (तहसील भरतपुर) तक लिंक रोड़

ई. कुम्हेर-पपरेरा सड़क

उ. ग्राम जहांगीरपुर से थैरावर

ऊ. कुम्हेर-सौंख रोड से ग्राम अमोरी तक लिंक रोड

ए. ग्राम अस्तावन से विरतरू व सावोरा लिंक रोड ।

(3) क्या उक्त सड़कों में से कुछ सड़कों की मरम्मत हेतु विभागीय राज्य मंत्री द्वारा दिसम्बर, 1994 में आदेश भी दिये गये हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई है ?

(4) क्या सरकार उक्त सड़कों की दुर्दशा को देखते हुये इनकी मरम्मत कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां । राज्य सरकार ने 6-3-95 को सड़क विकास नीति जिसमें मरम्मत सम्बन्धी नीति का भी समावेश है, निर्धारित की है । (प्रति संलग्न है)

(2) कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र में गत पांच वर्षों में उल्लेखित सड़कों की मरम्मत तथा उन पर हुए व्यय का विवरण निम्नानुसार है ।

(अ) इस सड़क की कुल लम्बाई 4 कि. मी है । इसका वर्गीकरण विलेज रोड में आता है । इस सड़क पर वर्ष 1990-91, 1991-92, 1992-93 में क्रमशः 1.51 लाख, 0.27 लाख, 0.14 लाख पेच मरम्मत एवं पटरियों की मरम्मत कार्य पर किया गया एवं वर्ष 1993-94, 1994-95 में उक्त सड़क पर कोई मरम्मत कार्य नहीं कराया गया है । इस सड़क पर कि.मी. 1 से 4 कि. मी. के बीच कुछ पेकेज व सड़क एवं पटरियों के मध्य कुछ अन्तर है । इस समय कि. मी. 1 4 तक पैच रिपेयर एवं पटरियों को मरमम्त का कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है अत्याधिक खराब कि. मी 4 में रिन्यूवल वर्ष 1995-96 प्रस्तावित है ।

(आ) इस सड़क की कुल लम्बाई 2.6 कि. मी. है । जो मैटल सड़क है इसका वर्गीकरण विलेज रोड में आता है । उक्त सड़क में वर्ष 1994-95 में कि. मी. 1, 2, 3 में बैलास्ट की पार्टली क्लेक्शन बजट मद 2245 प्राकृतिक आपदायें के तहत किया गया जिस पर व्यय राशि 1.16 लाख किया गया एवं शेष कार्य हेतु

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

इस बजट सत्र 95-96 में कार्य पूर्ण करने हेतु निविदा आमंत्रित की जा चुकी है।

(इ) इस सड़क की कुल लम्बाई 0.5 कि. मी. है इसका वर्गीकरण विलेज रोड़ में आता है। इस पर वर्ष 92-93 में पैच मरम्मत कार्य एवं मिट्टी का कार्य कराया गया। जिस पर राशि 0.08 लाख व्यय की गई। लेकिन वर्ष 91-92, 93-94 एवं 94-95 में कोई खर्चा नहीं किया गया। इस समय उक्त सड़क पर पैच पड़ गये है। तथा सड़क एवं पटरियों के बीच कुछ अन्तर है। अब इस सड़क पर पेच व पटरियों की मरम्मत का कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है। अत्याधिक खराब भाग को रिन्यूवल वर्ष-95-96 में प्रस्ताव है।

(ई) इस सड़क की कुल लम्बाई 13 कि.मी. है इसका वर्गीकरण विलेज रोड में आता है। इस सड़क पर मरम्मत हेतु वर्ष 91-92, 93-94, 94-95 में क्रमश: 0.04 लाख, 0.17 लाख, 2.38 लाख रुपये व्यय किया गया लेकिन 90-91 एवं 92-93 में इस सड़क पर मरम्मत कार्य हेतु कोई व्यय नहीं किया गया। अब इस सड़क के कि. मी. 1, 5, 11, 12 व 13 में कुछ पेच पड़ गये हैं एवं सड़क व पटरियों के बीच कुछ अन्तर है। पेच रिपेयर एवं पटरियों का मरम्मत का कार्य प्रारम्भ किया, जा रहा है। अत्याधिक खराब कि. मी. 11, 12, 13 का रिन्यूवल 1995-96 में प्रस्तावित है।

(उ) इस सड़क की कुल लम्बाई 7 कि. मी. है इसका वर्गीकरण विलेज रोड़ में आता है। इस सड़क पर मरम्मत हेतु वर्ष 90-91, 91-92, 92-93, 93-94 में क्रमश: 2.74 लाख 0.16 लाख, 0.50 लाख, 0.33 लाख रु. व्यय किया गया वर्ष 94-95 में मरम्मत का कार्य नहीं कराया गया। इस सड़क के कि. मी. 1 में 200 मीटर व कि. मी. 4 में भी कुछ पैचेज हैं तथा सड़क व पटरियों के बीच कुछ अन्तर है। अब सड़क पर पेच रिपेयर एवं सड़क पर पटरियों की मरम्मत का कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है। अत्याधिक खराब कि. मी. 3 व 4 का रिन्यूवल 95-96 में प्रस्तावित है।

(ऊ) इस सड़क की कुल लम्बाई 2.7 कि. मी. है इसका वर्गीकरण विलेज रोड में आता है। इस सड़क पर मरम्मत हेतु वर्ष 90-91, 92-93, 93-94 में क्रमश: 0.26 लाख, 0.42 लाख, 0.01 लाख रु. व्यय किया गया। परन्तु वर्ष 91-92 एवं 94-95 में इस सड़क पर मरम्मत कार्य पर कोई व्यय नहीं किया गया अब इस सड़क पर कि. मी. 2 व 3 में पैचेज हैं एवं सड़क व पटरियों के बीच कुछ अन्तर है। अब पैच रिपेयर एवं पटरियों की मरम्मत का कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है, अत्याधिक खराब कि.मी. 1, 2 व 3 का रिन्यूवल 95-96 में प्रस्तावित है।

(ए) इस सड़क की कुल लम्बाई 11कि. मी. है इसका वर्गीकरण विलेज रोड में

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

आता है। इस सड़क पर मरम्मत हेतु वर्ष 90-91, 91-92, 92-93 एवं 93-94 में में क्रमशः 1.88 लाख, 0.24 लाख, 0.17 लाख एवं 1.79 लाख रु. व्यय किया गया लेकिन वर्ष 1994-95 में मरम्मत कार्य पर कोई खर्चा नहीं हुआ। इस सड़क के कि. मी. 3,8,9 व 10 में कुछ पैंचेज पड़ गये हैं तथा सड़क व पटरियों के मध्य कुछ अन्तर है। इस समय पैच रिपेयर व पटरियों की मरम्मत का कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है। अत्याधिक खराब कि. मी. 8,9,10 का रिन्यूवल वर्ष 1995-96 में प्रस्तावित है।

(3) जी, हां।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री महोदय द्वारा कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र से संबंधित पांच सड़कों को मरम्मत कराये जाने हेतु निर्देश प्राप्त हुये थे जो प्रश्न संख्या 2 में सम्मिलित है। प्रश्न संख्या 2 में सम्मिलित सभी सड़कों पर पैच रिपेयर एवं पटरियों की मरम्मत का कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है एवं आवश्यकतानुसार 1995-96 में रिन्यूवल प्रस्तावित है।

(4) जी नहीं। उक्त सड़कों पर मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

हवाई पट्टी सोजत शहर पर व्यय

598. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सोजत शहर में हवाई पट्टी का निर्माण कब पूर्ण हुआ तथा इस पर पिछले तीन वर्षों में कितनी राशि व्यय की गई ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त हवाई पट्टी के पास काफी संख्या में भवन निर्माण हो रहे हैं जिससे हवाई जहाज के संचालन में बाधा उत्पन्न होगी ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र के भवनों की ऊंचाई पर पाबन्दी लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस-किस स्कीम में ? विवरण खसरा नं. एवं नक्शे की प्रति सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सोजत शहर में हवाई पट्टी का निर्माण 11-2-94 को पूर्ण हुआ तथा इस पर पिछले तीन वर्षों में रुपये 21.80 लाख की राशि व्यय की गई।

(2) जी नहीं। वर्तमान में हवाई पट्टी के पास 4 कि. मी. के दायरे में 1:50 स्लोप में 45 मी. से ऊंची ऐसे कोई भवन निर्माण नहीं हो रहे हैं जिससे हवाई जहाज के संचालन में बाधा उत्पन्न हो। हवाई पट्टी के आस-पास का क्षेत्र नगर पालिका,

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

सोजत के अन्तर्गत आता है, अतः इस बाबत नगरपालिका, सोजत को पूर्ण सतर्कता एवं गैरवाजिब निर्माण न होने के लिये पाबन्द कर दिया गया है।

धौलपुर नगर में पुरानी रियासत काल के आवास एवं कार्यालयों का रख-रखाव

599. **श्री बनवारी लाल शर्मा** (धौलपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि धौलपुर नगर में पुरानी रियासत काल के आवास एवं कार्यालय रख-रखाव हेतु विभाग के अन्तर्गत है? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन भवनों की रख-रखाव के लिए वर्ष 1994-95 में कितनी राशि आवंटित की गई?

(3) इस बजट में से इन भवनों के रख-रखाव पर कितनी राशि व्यय की गई एवं मजदूरी पर कितना व्यय किया गया?

(4) क्या यह सही है कि इतने पुराने भवनों के रख-रखाव के लिए स्वीकृत धनराशि पर्याप्त नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार इस राशि को बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। धौलपुर नगर में पुरानी रियासत काल के आवास एवं गैर आवासीय भवनों का रख-रखाव सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत है। आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों की सूची संलग्न है।

(2) इन भवनों के रख-रखाव के लिए वर्ष 94-95 में निम्न प्रकार राशि आवंटित की गई थी जिसमें पुराने रियासत काल के भवन भी सम्मिलित हैं।

1. आवासीय भवनों 4.00 लाख
2. गैर आवासीय भवन 8.00 लाख

(3) धौलपुर नगर के भवनों के रख-रखाव के लिए 94-95 में निम्नलिखित राशि व्यय की गई जिसमें रियासत काल के भवन भी सम्मिलित है।

	रख रखाव पर व्यय लाखों में	मजदूर पर व्यय लाखों में	कुल राशि लाखों में
1. आवासीय भवन	2.28	1.97	4.25
2. गैर आवासीय भवन	3.13	8.24	11.37

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(4) जी हां। पुराने रियासत काल के सरकारी भवनों का रख रखाव काफी खर्चीला है इसकी स्वीकृत धन राशि से धौलपुर के समस्त सरकारी भवनों का रख-रखाव किया जाता है। रख रखाव की व्यवस्था राज्य सरकार उपलब्ध संसाधनों के अनुसार करती है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ना

600. **श्री शम्भूदयाल बड़गूजर** (केकड़ी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1990 से अब तक सड़क निर्माण के किन-किन कार्यों के लिए कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई तथा कितने कार्य पूर्ण किये गये ? अपूर्ण रहे कार्यों को विभागीय स्तर पर सरकार कब तक पूरा करवाये जाने का विचार रखती है ?

(2) केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में कितने पंचायत मुख्यालयों को अब तक सड़क से जोड़ा जाना शेष है एवं नीति के अनुरूप 1000 की आबादी वाले कितने गांव सड़क से जोड़ना शेष है ?

(3) केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में विभागीय स्तर पर स्वीकृत अकाल राहत कार्यों एवं जवाहर रोजगार योजना में अधूरे रहे कार्यों को सरकार कब तक पूरा करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1990 से मार्च, 1995 तक कुल 21 कार्य 825.15 लाख रुपये लागत के स्वीकृत हुये जिसमें भवन निर्माण के 10 कार्य व सड़क/पुलों के प्लान के अन्तर्गत के 11 कार्य सम्मिलित हैं। भवन निर्माण के 10 कार्यों में से 6 कार्य पूर्ण कर दिये गये हैं। शेष 4 अपूर्ण कार्यों में 2 कार्य प्रगति पर है जिनको जून 1995 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है। दो कार्य न्यायिक अधिकारियों के आवासीय भवनों के कार्य आदेश जारी कर दिये गये हैं किन्तु जमीन की उपलब्धता नहीं होने के कारण कार्य शुरू नहीं किये जा सके हैं। सड़क निर्माण के 11 कार्यों में से 7 कार्य पूर्ण कर दिये गये हैं। शेष रहे 4 अपूर्ण कार्य प्रगति पर है जिनको दिसम्बर, 1995 तक पूरा करना प्रस्तावित है। (सूची संलग्न है।)

(2) केकडी विधान सभा के सभी पंचायत मुख्यालय सड़क से जुड़े हुये है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में 1971 की जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक की आबादी वाले ग्यारह गांवों को डामर की सड़कों से जोड़ा जाना शेष है। (सूची संलग्न है)

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(3) केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में अकाल राहत कार्य 1994 के अन्तर्गत कुल 131 कार्य चालू करवाये गये। इसमें से 9 कार्य पूर्ण हुये व 14 कार्य अश्वासित रोजगार योजना व 29 कार्य जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत हुये है जो कि प्रगति पर है व माह जून, 95 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है। जवाहर रोजगार योजना में स्वीकृत कार्य भी माह जून, 1995 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

कस्बा धौलपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि पर अतिक्रमण

601. **श्री रामगोपाल बैरवा** (पीपल्दा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि धौलपुर कस्बा रेवेन्यू सर्किल में खसरा नं. 874 जो भूतपूर्व महाराज के पैलेस की दक्षिण दीवार से लगी हुई है सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि है ?

(2) यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त भूमि पर कुछ व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है ? अतिक्रमणियों के नामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि पर कब्जा करने के इरादे से पैलेस की दीवार में जमीन की तरफ 10 दरवाजे बनाये गये हैं ?

(4) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जमीन से अतिक्रमण हटाने तथा दरवाजों को बन्द कराने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। धौलपुर कस्बा रेवेन्यू सर्किल में खसरा नम्बर 874 जो भूतपूर्व महाराज की पैलेस की दक्षिण दीवार से लगा हुआ है रेवेन्यू खतौनी में सड़क के अन्तर्गत आता है और यह सरकारी बंजर भूमि दर्शायी गयी है।

(2) वर्तमान में इस भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है।

(3) पैलेस की दीवार भूतपूर्व महाराजा की निजी सम्पत्ति है तथा वर्तमान में दीवार में सरकारी जमीन की तरफ 8 दरवाजे लगे हुये हैं।

(4) उक्त जमीन में वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं है जिसे हटाया जावे। पैलेस की दीवार में लगे हुए 8 दरवाजे भूतपूर्व महाराजा की निजी सम्पत्ति के अन्तर्गत आते हैं। अतः इन दरवाजों को बन्द करना सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

निर्वाचन क्षेत्र रायपुर की स्वीकृत शुदा सड़कें

602. श्री सुखलाल सेणचा (रायपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) रायपुर निर्वाचन क्षेत्र में पिछले वर्ष कुल कितनी सड़क किस-किस योजना के अन्तर्गत बनाने की स्वीकृति दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त सडकों का निर्माण कार्य चालू हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) उक्त निर्माण कार्य अब कब तक चालू कर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) रायपुर निर्वाचन क्षेत्र में पिछले वर्ष 1994-95 में विभिन्न योजनाओं में कुल 33 सड़क कार्यों की स्वीकृति प्राप्त हुई थी जिसका विवरण संलग्न सूची "क" में दर्शाया गया है ।

(2) जी हां । उक्त 33 स्वीकृत कार्यों में से 32 कार्य चालू हो चुके है । इन 32 कार्यों में से 7 कार्य पूर्ण हो चुके हैं व 25 कार्य प्रगति पर है मात्र एक कार्य बी. टी. सम्पर्क सडक आदिनाथ, पार्श्वनाथ टेम्पल चण्डावल जिसकी स्वीकृति अभी दिनांक 27-2-95 को प्राप्त हुई है जिसको शीघ्र चालू कराने की कार्यवाही की जा रही है ।

(3) सभी सडकों के निर्माण कार्य उपरोक्तानुसार प्रगति पर है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी ।)

कालीबोर सिंचाई परियोजना की सिंचाई क्षमता

603. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या "कालीबोर सिंचाई परियोजना" तहसील कोटडा में स्वीकृत हुई है ? यदि हां तो किस प्रयोजनार्थ ?

(2) इस परियोजना की सिंचाई क्षमता कितनी है ?

(3) इस परियोजना से कितने परिवार विस्थापित हो रहे हैं एवं उनके पुनर्वास हेतु क्या व्यवस्था की गयी है ?

(4) क्या स्थानीय जन प्रतिनिधि एवं संबंधित अधिकारियों से वार्ता कर कोई सर्वमान्य नीति तय की गई है ? यदि हां, तो क्या ?

(5) इस सिंचाई परियोजना से कोटड़ा तहसील का कितना क्षेत्र सिंचित होगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(6) क्या इस परियोजना से अन्य क्षेत्र को भी पानी दिया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कितना पानी किस-किस अन्य

(श्री महावीर भगोरा)

क्षेत्र को दिया जावेगा एवं स्थानीय क्षेत्र की जनता के लिए कितना जल उपयोग में लिया जाना प्रस्तावित है।

उत्तर

(1) जी हां, कालीबोर सिंचाई परियोजना जवाई कमाण्ड क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ स्वीकृत की गई।

(2) इस परियोजना के निर्माण से जवाई कमाण्ड क्षेत्र के 1636 हैक्टेयर भूमि में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

(3) इस परियोजना के निर्माण से 11 परिवार विस्थापित होंगे। जिनको नियमानुसार मुआवजा दिया जा रहा है।

(4) जी नहीं।

(5) कोई नहीं।

(6) जी नहीं।

रोडावास बांध (सोजत) की डूब से अवरूद्ध सड़क मार्ग

604. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि रोड़ावास बांध तहसील सोजत की डूब में सार्वजनिक निर्माण विभाग की बड़ा-गुड़ा-सरूपा सड़क आ जाने से आवागमन हेतु मार्ग बन्द हो गया है? यदि हां, तो अन्य तरफ से सड़क बनाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है?

उत्तर

जी हां, बांध के भराव क्षेत्र के बाहर से सड़क बनाने हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 12.70 लाख रुपये की मांग की गई है जिसके विरुद्ध 2.50 लाख रुपये वर्ष 1992-93 में स्थानान्तरित किये जा चुके हैं। परियोजना का संशोधित तखमीना स्वीकृति की प्रक्रिया में है। संशोधित तखमीने की स्वीकृति व डी. डी. पी. मद में डी. आर. डी. ए. से धनराशि उपलब्ध होने पर बाकी की राशि स्थानान्तरित की जा सकेगी।

जमवारामगढ़ (जयपुर) में साईवाड़ सड़क पर स्थित बांध

605. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर में साईवाड़ सड़क पर स्थित बांध (एनीकट) पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त एनीकट (बांध) की मरम्मत हेतु कई बार

(५०)

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

सरकार/विभाग को ग्रामीणों द्वारा कई प्रार्थना पत्र दिये गये हैं ? यदि हां, तो इसकी अब तक मरम्मत नहीं कराने के क्या कारण रहे ?

(3) अब उक्त बांध की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो, क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

(2) जी नहीं।

(3) विभागीय मद से यह कार्य करवाना संभव नहीं है परन्तु जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डी. आर डी. ए.) के माध्यम से विशिष्ट योजना मद से धनराशि उपलब्ध होने पर ही यह कार्य करवाया जा सकेगा।

अलवर के प्रताप बांध की मरम्मत

606. **श्रीमती मीना अग्रवाल** (अलवर) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार अलवर में प्रताप बांध की मरम्मत का कार्य प्राथमिकता पर करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार अलवर के जयसमन्द बांध में हाऊस बोट व बीच में स्थित टापू को पर्यटन विभाग को देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(3) अलवर विधान सभा क्षेत्र में ऐसे कितने बांध तालाब आदि हैं जिनसे सिचाई कार्य हेतु पानी लिया जाता है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या अलवर विधान सभा क्षेत्र में लिफ्ट सिचाई योजना स्वीकृत है ? यदि हां, तो क्या लिफ्ट सिचाई योजना का कार्य शुरू हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) अलवर में विजय मन्दिर पैलेस के पास जो बांध है उसकी जल भराव क्षमता कितनी है और उस पानी का क्या उपयोग किया जाता है ? क्या सरकार उक्त बांध का उपयोग के कमल फूल के उत्पादन करने में या अन्य किसी कार्य करने में करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। चूंकि इस बांध से सिचाई सम्बन्धित कोई लाभ नहीं होते हैं। अतः इसकी मरम्मत बिभागीय बजट से कराया जाना प्रस्तावित नहीं है।

(2) जी नहीं। सिचाई विभाग के पास जयसमन्द में हाऊस बोट चलाने व बीच में स्थित टापू को पर्यटन विभाग को देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(सिंचाई मंत्री)

(3) अलवर विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई विभाग के दो बांध-प्रेम रत्नाकर एवं ट्रेनिंग बांध के नाम से हैं। जिनसे सिंचाई की जाती हैं।

(4) जी नहीं। ऐसी कोई योजना सिंचाई विभाग के द्वारा स्वीकृत नहीं की गई हैं। अतः कार्य शुरू करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(5) यह एक निजी सम्पत्ति है। इसलिए इसके पानी के उपयोग के लिए नीति बनाना सरकार से अपेक्षित नहीं हैं।

क्वारी लाइसेंसधारी की मृत्यु के पश्चात् लाइसेंस हस्तान्तरण

607. **श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाडा)** : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि क्वारी लाइसेंस-धारी की मृत्यु के पश्चात् यदि उसके वैधानिक उत्तराधिकारी खनिज विभाग के नियमों के अनुसार एक निश्चित समय में उसके लाइसेंस अपने नाम हस्तान्तरण नहीं करवावे तो यह लाइसेंस स्वतः ही निरस्त हो जाता है ? यदि हां, तो उपरोक्त निश्चित समय की अवधि एवं विभाग के सम्बन्धित नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। क्वारी लाइसेंसधारी की मृत्यु के पश्चात् उसके वैधानिक उत्तराधिकारी द्वारा क्वारी लाइसेंस के नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिये एम.एम.सी.आर. में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है और न ही इस तरह की स्थिति में क्वारी लाइसेंस को स्वतः निरस्त मानने का कोई प्रावधान है।

टाडा अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तारी

608. **श्री विष्णु मोदी (पुष्कर)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में वर्तमान टाडा अधिनियम के अन्तर्गत कुल कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये हुए हैं ?

(2) क्या सरकार ने गत 1 वर्ष में टाडा कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों के मामलों की कोई समीक्षा की है ? यदि हां, तो समीक्षा के परिणाम क्या निकले तथा सरकार ने समीक्षा के आधार पर क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) राज्य में दिनांक 20-3-95 को टाडा अधिनियम के अन्तर्गत 188 व्यक्ति न्यायिक अभिरक्षा में एवं 3 व्यक्ति पुलिस अभिरक्षा में थे।

(गृह मंत्री)

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

(2) जी हां। वर्ष 1994 में 6 प्रकरण विड्रा किये गये जिनमें 8 व्यक्ति निहित थे एवं तीन प्रकरणों के 2 अभियुक्तों के विरूद्ध टाडा अधिनियम के प्रावधानों को हटाया गया। 38 अभियुक्तों के जमानत प्रार्थना पत्रों का प्रतिरोध नहीं किये जाने के निर्देश सम्बन्धित अभियोजक को दिये गये हैं। दिनांक 1-4-95 को हुई समीक्षा में राज्य सरकार ने 39 अभियुक्तों के जमानत प्रार्थना पत्रों का प्रतिरोध नहीं किये जाने के निर्देश सम्बन्धित अभियोजक को दिये गये।

पुलिस थाना बगरू (जयपुर) में दर्ज प्रकरण

609. **श्री भीखा भाई** (सागवाड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पुलिस थाना बगरू जिला जयपुर में वर्ष 1993 से अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धाराओं एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363 व 366 के तहत अब तक कितने मुकदमे दर्ज हुए एवं शिकायतें कब-कब प्राप्त हुई ?

(2) क्या पुलिस थाना बगरू में अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कृषि भूमि पर अतिक्रमण करने के बाबत शिकायतों के आधार पर जांच विचाराधीन है ?

(3) क्या यह भी सही है कि ग्राम बगरू में सोवा की बगीची हनुमानजी के मन्दिर के सामने छोटा सामोता द्वारा 9 दुकानें सरकारी सवाई चक जमीन पर एवं ग्राम रास्ते में नाजायज अतिक्रमण संबंधी कोई जांच विचाराधीन है ? क्या नो दुकानों का अवैध निर्माण हुआ है ? क्या सरकार इन्हें हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) पुलिस थाना बगरू जिला जयपुर में 1993 में अनुसूचित जाति/जनजाति के अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धाराओं एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363 व 366 के तहत अब तक दर्ज मुकदमों व शिकायतों के प्राप्त होने का विवरण परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) जी, नहीं।

(3) श्री रामधन सोनवाल निवासी बगरू धारा एक परिवाद वृत कार्यालय दूदू के यहां से पुलिस थाना बगरू पर प्राप्त हुआ जो गांव बगरू सावा की बगीची हनुमानजी के मंदिर के सामने छोटा सामोता द्वारा 9 दुकानें सरकारी सवाई चक जमीन ग्राम रास्ता में नाजायज अतिक्रमण करके बिना अनुमति के बना लेने के सम्बन्ध में है। जांच अनुसार उक्त 9 दुकानें छोटा सामोता द्वारा नगर पालिका बगरू के आज्ञा पत्र के बाद बनवाई गई है। परिवाद की शेष जांच करवाई जा रही है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।).

कामां पहाड़ी के. पी. ड्रेन की वनावली

610. श्री गोपीचन्द (नगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कामां, पहाड़ी के. पी. ड्रेन के दोनों ओर लगी वनावली को पुलिस एवं वन विभाग के संरक्षण में काटे जाने के विरुद्ध सिंचाई विभाग द्वारा प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है? यदि हां, कब कब? प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्राथमिकी रिपोर्ट पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) सहायक अभियन्ता सिंचाई विभाग कामां ने कामां, पहाड़ी के. पी. ड्रेन के दोनों ओर लगी वनावली को काटे जाने के संबंध में दि. 2-3-95 को पुलिस थाना कामां पर प्रथम सूचना रिपोर्ट नं. 25/95 अन्तर्गत धारा 389 भा. दं. सं. दर्ज करवाई है। इस रिपोर्ट में वनावली के पुलिस एवं वन विभाग के संरक्षण में काटे जाने का कोई आरोप नहीं है। इसी विषय के संबंध में पुलिस ने स्वयं भी पुलिस थाना पहाड़ी पर एक प्रथम सूचना रिपोर्ट नं. 18/95 दि. 26-2-95 को जुर्म धारा 42/52 फोरेस्ट एक्ट व 389 भा. दं. सं. में दर्ज की हैं। उक्त दोनों प्रथम सूचना रिपोर्टों की प्रतियां संलग्न हैं।

(2) जी नहीं। उक्त दर्ज दोनों प्रकरणों में कार्यवाही की गई है। प्रकरण सं. 25/95 में 3 अभियुक्तों को एवं प्रकरण सं. 18/95 में 6 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है।

(प्रतियों के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें।)

हत्या के प्रकरणों में लिप्त अपराधियों के चालान

611. श्री महेन्द्रकुमार मीणा (सिकराय) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1994 में सिकराय क्षेत्र के ग्राम करोड़ी में एक व्यक्ति की हथियारों से हत्या व अन्य कई को घायल कर दिया गया था?

(2) क्या यह भी सही है कि गत वर्ष ही मानपुर में एक महिला की गला घोटकर हत्या कर दी गई थी?

(3) क्या यह भी सही है कि गत वर्ष ही मेंहदीपुर बालाजी में दिन दहाड़े गोली काण्ड हो गया था एवं एक व्यक्ति घायल हो गया था?

(श्री महेन्द्रकुमार मीणा)

(4) क्या उपरोक्त तीनों मामलों में अपराधियों को पकड़ कर चालान पेश किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 3-10-94 को ग्राम करोड़ी में अज्ञात बदमाशान द्वारा घर में घुस कर श्रीमती कमला की कुलहाड़ी से हत्या की तथा घर के पांच अन्य स्त्री पुरुषों को घायल कर दिया। घटना के संबंध में मुकदमा नं. 245/94 धारा 460 ता. हि. के अन्तर्गत थाना मानपुर पर पंजीबद्ध किया गया।

(2) जी हां, दिनांक 4-12-94 को मानपुर में श्रीमती रूकमणी के साथ मार-पीट व मुंह में कपड़ा ठूंस कर श्वांस बन्द कर हत्या करना पाया गया। घटना के संबंध में मु. नं. 323/94 धारा 460 ता. हि. के अन्तर्गत पुलिस थाना मानपुर पंजीबद्ध किया गया।

(3) जी हां। दिनांक 27-11-94 को ग्राम मेहन्दीपुर बालाजी में एक व्यक्ति द्वारा गोली चलाये जाने पर श्री मोहनपुरी घायल हुआ। इस घटना पर मु. नं. 316/94 धारा 307, 34, ता. हि. थाना मानपुर पर पंजिबद्ध किया गया।

(4) जी नहीं। उपरोक्त तीनों अभियोग थाना मानपुर पर पंजिबद्ध कर अन्वेषणाधीन है। इन घटनाओं में अभियुक्त नामजद नहीं हो पाए हैं जिन्हें नामजद कर तलाश करने के हर सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं।

पुलिस थाना मेड़ता रोड में दर्ज प्राथमिकी रिपोर्ट

612. श्री रूपाराम (मकराना) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) रेलवे पुलिस थाना मेड़ता रोड के अन्तर्गत एफ. आई. आर. नम्बर 2/94 किस तारीख को दर्ज की गई ? उक्त एफ. आई. आर. किसने दर्ज करायी थी ?

(2) रेलवे पुलिस थाना मेड़ता रोड ने इस मामले में क्या कार्यवाही की ? क्या दोषी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया ? यदि हां, तो कब ?

(3) क्या उक्त मामले की जांच के अन्तर्गत किसी गवाह के बयान लिये गये ? यदि हां, तो उनका नाम तथा बयानों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) रेलवे पुलिस थाना मेड़ता रोड की एफ. आई. आर. नं. 2/94 धारा 315, 317, 304 भा.द.स. दिनांक 10-1-94 को दर्ज की गई। यह प्रथम सूचना श्री राजू पुत्र श्री लादू जी नायक निवासी मेड़ता रोड़ जिला नागौर ने दर्ज करवाई थी।

(गृह मंत्री)

(2 व 3) रेलवे पुलिस थाना द्वारा इस प्रकरण में अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान पूर्ण किया गया तथा अभियुक्त सुश्री सुधा पुत्री श्री वल्लभ दवे निवासी मेड़ता रोड़ को दिनांक 31-1-94 को जिला एवम सत्र न्यायालय जोधपुर से उसकी अग्रिम जमानत हो जाने के कारण गिरफ्तार नहीं किया जाकर जमानत स्वीकार की गई। उक्त मामले की जांच के अन्तर्गत गवाहान सर्व श्री गोर्धन, कस्तुरा राम, प्रेमचन्द, धनाराम, दीपाराम, श्रीमति सुशीला, वल्लभ दवे, तथा सुश्री सुधा के बयान लिये गये। बयानों की प्रतियां संलग्न है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

पुलिस थाना मोती डूंगरी में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट

613. **श्री दयाराम परमार** (खैरवाड़ा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मोती डूंगरी जयपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट स. 301/93 नाम जद दर्ज कराई गई थी ? यदि हां, तो पीड़ित पक्षकार के द्वारा थाने में लिखित सूचना किस तारीख को दी गई तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट किस तारीख को दर्ज की गई प्राप्त शिकायत पत्र व प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति मय विलम्ब के कारणों सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रकरण में दिनांक 23-9-94 को रु. 10,000/- बैंक के विविध खाते से शहरी खाते में अधिक होने की शिकायत भी थाना अधिकारी को पृथक् से प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो क्या थाना अधिकारी द्वारा बैंक के उच्च अधिकारियों से पूछताछ की जाकर तथ्यों का पता लगाये जाने के प्रयास किये गये ? यदि हां, तो क्या-क्या यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि थाना अधिकारी की पीड़ित पक्षकार द्वारा पुख्ता प्रमाण मौखिक/लिखित से प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त भी उनको नजर अन्दाज कर अन्तिम रिपोर्ट (एफ. आर.) दे दी गई ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

(4) क्या सरकार उक्त प्रकरण में किसी पुलिस अधिकारी/कर्मचारी को दोषी मानती है ? यदि हां, तो सरकार कब तक दोषियों को दण्डित करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अन्तिम रिपोर्ट की प्रति तथा पीड़ित पक्षकार द्वारा प्रस्तुत तथ्य, उन पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रकरण को पुनः खोला जाकर (रि. ओपन) अनुसंधान करने के आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा दिए गए थे ? यदि हां, तो इस पर

(श्री दयाराम परमार)

अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गई तथा वर्तमान में उक्त प्रकरण किस प्रक्रम पर लम्बित है ?

(6) क्या यह भी सही है कि पीड़ित पक्षकार द्वारा कई ज्ञापन एवं शिकायतें प्रस्तुत की गई ? यदि हां, तो ज्ञापन एवं शिकायतों की प्रतियां तथा उन पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) सरकार पीड़ित पक्षकार को कब तक न्याय दिलाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पीड़ित पक्षकार श्री मोहन लाल श्रीमाल द्वारा दिनांक 24-7-93 को एक लिखित रिपोर्ट पुलिस थाना मोतीडूंगरी में पेश की गई थी। परन्तु उक्त रिपोर्ट में कोई अपराध घटित होने का तथ्य अंकित नहीं होने के कारण एफ. आई. आर. दर्ज नहीं की गई एवं रोजनामचा में रपट दर्ज कर जांच शुरू करी गई। तत्पश्चात् दिनांक 15-8-93 को पीड़ित पक्ष द्वारा एक लिखित रिपोर्ट मुल्जिम जगदीश शर्मा के विरूद्ध रिपोर्ट प्रेषित होने पर मु. नं. 301/93 धारा 408 भा. दं. सं. में दर्ज किया गया। परिवाद व प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां संलग्न कर प्रेषित है।

(2) जी नहीं। रुपये अधिक होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई तो किसी से पूछताछ करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) अभियोग के अन्वेषण के दौरान परिवादी के द्वारा संदिग्धता प्रकट करने के अतिरिक्त ठोस आधार पुख्ता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। ना ही आरोपों की पुष्टि में कोई साक्ष्य ही प्रस्तुत की। अतः अभियोग में माल मुलजिमान का पता नहीं चलने पर एफ. आर. दी गई।

(4) जी नहीं। वांछित अंतिम रिपोर्ट की प्रति एवं पीड़ित पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति संलग्न है।

(5) जी नहीं। प्रकरण का अन्वेषण पूर्ण कर निर्णय लिया जा चुका है।

(6) पीड़ित पक्ष द्वारा प्रस्तुत शिकायत परिशिष्ट "ख" संलग्न हैं। इसके आरोपों पर अन्वेषण के दौरान जांच करली गई हैं।

(7) तथ्यों के आधार पर अन्वेषण में एफ. आर. अदम पता माल मुलजिमान में निर्णय लिया जा चुका है। जिसे न्यायालय द्वारा भी अनुमोदन किया जा चुका है -

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

मथुरादास माथुर अस्पताल, जोधपुर के निरीक्षण के दौरान पायी गई कमियां

614. श्री शान्ति कुमार धारीवाल (हिण्डौली) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चिकित्सा राज्य मंत्री ने जोधपुर में मथुरादास माथुर अस्पताल तथा महात्मा गांधी अस्पताल का निरीक्षण फरवरी, 1995 में किया था ? यदि हां, तो निरीक्षण के दौरान इन अस्पतालों में क्या-क्या कमियां पायी गयी थीं ?

(2) अस्पताल में जो कमियां पायी गयी थीं उन्हें दूर करने के लिए राज्य मंत्री ने क्या निदेश दिये थे और क्या उन निदेशों के अनुसार कार्यवाही कराली गयी है ? यदि हां, तो की गयी कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत करें और यदि कार्यवाही नहीं की गयी तो क्यों और इसके लिए कौन उत्तरदायी है ?

उत्तर

(1) जी हां। निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित कमियां पाई गई —

(1) तलघर की सफाई न होना तथा टूट-फूट होना।

(2) शौचालय, स्नानागार इत्यादि में लेवलिंग का ठीक न होना तथा पाइपों का पुराना होना।

(3) अस्पतालों में बैड, स्टूल, कबर्ड इत्यादि की रंगाई पुताई न होना।

(4) कतिपय उपकरणों का खराब होना।

(5) उपलब्ध ट्रालियों का पहिया टूटा होना।

(6) मथुरा दास माथुर चिकित्सालय का जेनरेटर खराब होना।

(7) नये शवगृह की आवश्यकता।

(2) निरीक्षण के दौरान उपरोक्त कमियों को दुरुस्त कराने के निर्देश दिये गये। उपरोक्त कमियों में से क्र. सं. 1, 2 5 व 6 के सम्बन्ध में कार्यवाही पूर्ण करवाली गई है। शेष क्र. सं. 3, 4 व 7 कार्यवाही प्रगति पर है।

जिला स्तर पर उपलब्ध कराये गये वाहनों का उपयोग

615. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा जिला स्तर पर किस-किस अधिकारी के उपयोग के लिए कितने-कितने वाहन उपलब्ध कराये गये हैं तथा उक्त वाहनों के उपयोग के सम्बन्ध में क्या-क्या दिशा निर्देश जारी किये हैं ? उन दिशा निर्देशों की प्रतियों सहित जिलेवार सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त दिशा निर्देशों की पूर्ण रूप से पालना नहीं करके वाहनों का दुरुपयोग भी किया जा

(श्री हरजीराम बुरड़क)

रहा है ? यदि हां, तो किस प्रकार से किस के द्वारा तथा ऐसे कौन से मामले सरकार के ध्यान में कब आये और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(3) वाहनों का दुरुपयोग रोकने के लिये मौजूदा समय में क्या व्यवस्था है ? और यह व्यवस्था कहां तक कारगर हो रही है ? आगे इस सम्बन्ध में सरकार क्या-क्या प्रभावी कदम उठाने का विचार रखती है ?

(4) वाहनों पर एक वर्ष में कुल कितना खर्चा होता है ? 31 मार्च, 1995 को समाप्त हुए वर्ष के आंकड़े जिलेवार सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों के उपयोग हेतु उपलब्ध कराये गये वाहनों की जिलेवार सूची संलग्न है । वाहनों के उपयोग के सम्बन्ध में समय-समय पर सामान्य प्रशासन विभाग से निर्देश जारी किये जाते है । पृथक से इस विभाग द्वारा कोई निर्देश वाहनों के प्रयोग हेतु जारी नहीं किये गये हैं ।

(2) वाहनों के दुरूपयोग का कोई मामला विभाग को पाया जाना प्रतीत नहीं होता ।

(3) समय-समय पर वाहनों की लॉग बुक की आडिट अंकेक्षण दल द्वारा की जाती है ।

(4) गत वर्ष में वाहनों पर हुए व्यय का जिलेवार व्यय का ब्यौरा प्रश्न के भाग एक की सूची में अंकित हैं ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

रैफरल हास्पिटल कामां (भरतपुर) में चिकित्सकों के रिक्त पद

616. **श्री गोपीचन्द** (नगर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) रैफरल हॉस्पिटल कामां (भरत-पुर) में कितने चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं ?

(2) रैफरल हॉस्पिटल कामां में कितने पद किस समय से रिक्त हैं ?

(3) क्या सरकार रिक्त पदों की पूर्ति करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) रैफरल चिकित्सालय कामां में चिकित्सकों के निम्नानुसार सात पद स्वीकृत हैं :—

कनिष्ठ विशेषज्ञ	मेडिसन	1

(राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

कनिष्ठ विशेषज्ञ	सर्जरी	1
,, ,,	बाल रोग	1
,, ,,	स्त्री रोग	1
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी		2
चिकित्सा अधिकारी		1

(2) रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है :—

1. कनिष्ठ विशेषज्ञ मेडिसन एक पद 5/1993 से
2. कनिष्ठ विशेषज्ञ सर्जरी एक पद 9/1990 से
3. कनिष्ठ विशेषज्ञ गायनी एक पद 1991 से
4. कनिष्ठ विशेषज्ञ बालरोग एक पद 1991 से

कनिष्ठ विशेषज्ञ मेडिसन, गायनी एव बालरोग के पद के विरूद्ध चिकित्सा अधिकारी कार्यरत हैं। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के दो पद क्रमश: 8/1993 एवं 2/1995 से रिक्त हैं। अत: स्पष्ट रिक्त पद कनिष्ठ विशेषज्ञ का एक तथा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के दो हैं।

(3) कनिष्ठ विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पदों को भरने हेतु विभागीय चयन समिति की बैठक आयोजित हो चुकी है, तथा पद भरने की कार्यवाई की जा रही है।

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में टी. बी. की रोकथाम एवं उन्मूलन

617. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जनजाति उपयोजना क्षेत्र में टी. बी. के रोगियों की बहुतायत है ? क्या विभाग ने इसका सर्वे करवाया है ? यदि हां, तो विवरण जिलेवार व तहसीलवार सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या विभाग टी. बी. की रोकथाम एवं उन्मूलन का विचार रखती है ? यदि हां, तो इसके लिए क्या योजनाएं एवं कार्यक्रम तय किये गये हैं ?

उत्तर

(1) जन जाति उपयोजना क्षेत्र में टी. बी. के रोगियों की बहुतायत होना नहीं पाया जाता। राष्ट्रीय सेम्पल सर्वे के अनुसार देश में क्षय रोगियों की संख्या 16 प्रति हजार मानी गई है। जिसमें से 4 का स्पुटम पोजिटिव प्रति हजार होना माना गया है। वर्ष 1991 में खानों पर कार्यरत मजदूरों का सर्वेक्षण जिला बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर में करवाया गया था जिसमें क्षय रोगियों की संख्या राष्ट्रीय सैम्पल सर्वे के समरूप या उससे कम पाई गई है :—

(राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

जिला	सर्वे में जांच किये गये श्रमिकों की संख्या	सांस के रोगियों की सं.	क्षय के स्पुटम पोजिटिव की संख्या
बांसवाड़ा	1500	246	1
डूंगरपुर	210	22	—

(2) राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम अन्तर्गत क्षय रोग की रोकथाम ही किया जाता है, रोग के उन्मूलन की योजना वर्तमान में नहीं है। इस कार्यक्रम को 50% केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के रूप में चलाया जा रहा है। उक्त कार्यक्रम के गत वर्ष क्षय निरोधक औषधियों हेतु बजट प्रावधान रुपये 50 लाख से बढ़ाकर रुपये 170.00 लाख राज्य का अंश दान कर दिया गया है और रु. 170 लाख की सहायता केन्द्र सरकार से औषधियों आदि के रूप में प्राप्त की जाती है। "राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम" के अन्तर्गत नये क्षय रोगियों की निःशुल्क खोज निदान एवं उपचार किया जाता है।,

विधान सभा क्षेत्र जैतारण में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाना

618. श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र जैतारण में ऐसे कौन-कौन से पंचायत मुख्यालय हैं जहां पर कोई चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है ?

(2) क्या सरकार कांवलिया कला (जैतारण) रातड़िया एवं प्रतापगढ़ (रायपुर मारवाड़) पंचायत मुख्यालय पर इस वर्ष उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जैतारण में केवल मात्र कांवलिया कला पंचायत मुख्यालय है जहां चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है।

(2) जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

जोधपुर शहर निर्वाचन क्षेत्रान्तर्गत महात्मा गांधी चिकित्सालय को बजट से अधिक राशि

619. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर शहर निर्वाचन क्षेत्रान्तर्गत महात्मा गांधी नव-अध्ययन, उम्मेद, क्षयरोग, आइसोलेशन चिकित्सालयों के लिए भेषज एवं औषधियों के मद में वर्ष

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

1994-95 में कितना बजट स्वीकृत किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त मद में आवंटित बजट से अधिक आपूर्ति के आदेश दिये गये ?

(3) वर्ष 1994-95 में दिए गये चिकित्सालयवार भेषज व औषधियों के आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जोधपुर शहर के निर्वाचन क्षेत्रान्तर्गत आने वाले चिकित्सालयों में भेषज एवं औषधियों के मद में वर्ष 1993-94 व 1994-95 में जो बजट स्वीकृत किया गया वो निम्न प्रकार से है :—

क्र. सं.	चिकित्सालय का नाम	वर्ष 93-94 रु. लाखों में	वर्ष 94-95 रु. लाखों में
1.	महात्मा गांधी चिकित्सालय	55.00	61.16
2.	नव-अध्ययन चिकित्सालय	09.00	09.00
3.	क्षय रोग चिकित्सालय	08.00	08.00
4.	आईसोलेशन चिकित्सालय	01.50	01.50
5.	मानसिक चिकित्सालय	10.00	10.00
6.	उम्मेद चिकित्सालय	37.10	39.30

(2) यह सत्य है कि उक्त मद में आवंटित बजट से अधिक राशि के क्रयादेश दिए गये हैं, जो कि वित्तीय वर्ष 94-95 में मलेरिया, पीलिया, प्लेग के प्रकोप को देखते हुए स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में आगामी वित्तीय वर्ष के प्रारम्भिक माहा में भेषज व औषधियों की नियमित आपूर्ति बनाए रखने की दृष्टि से उपलब्ध बजट सीमा से अधिक के क्रयादेश जारी किए जाते हैं। आपूर्तिकर्ता फर्मों को भुगतान सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की निर्धारित बजट सीमा के अन्तर्गत ही किया जाता है। शेष राशि का समायोजन आगामी वर्ष के बजट में कर लिया जाता है।

(3) वर्ष 94-95 में दिये चिकित्सालयवार भेषज व औषधियों के क्रय आदेशों की प्रति संलग्न चिकित्सालय समूह जोधपुर परिशिष्ट "अ" व उम्मेद

(राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

चिकित्सालय, जोधपुर परिशिष्ट "ब" के अनुसार संलग्न है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में स्वास्थ्य सेवाओं के रिक्त पद

620. **श्री बनवारी लाल शर्मा** (धौलपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में कहां-कहां कितने अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डिस्पेन्सरी, एडपोस्ट व उपकेन्द्र संचालित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इनमें कितने पद विशेषज्ञ, चिकित्सक, कम्पाउण्डर्स, नर्सेज एवं ए. एन. एम. के राजकीय मानदण्ड से स्वीकृत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त क्षेत्र में स्वीकृत पदों में से कौन-कौनसे पद वर्तमान में कहां-कहां पर, कब से रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में एक अस्पताल, छः प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पांच उच्चीकृत उपकेन्द्र एवं उन्तीस उपकेन्द्र संचालित हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इनमें 14 पद विशेषज्ञ तथा 10 पद चिकित्सकों के एवं 69 कम्पाउण्डर्स तथा 6 एल. एच. वी. एवं 44 ए. एन. एम. के पद स्वीकृत हैं। विवरण प्रश्न के भाग एक की सूची में अंकित है।

(3) रिक्त पदों का विवरण प्रश्न के भाग एक की सूची में अंकित है। प्रसाविकाओं के सभी पद उपकेन्द्रों पर भरे हुए हैं।

(4) वरिष्ठ विशेषज्ञ एवं कनिष्ठ-विशेषज्ञ के पद को भरने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित हो चुकी है। शीघ्र ही पद भरने के प्रयास किये जायेंगे तथा 3 लैबटैक्निशियन के पद प्रशिक्षित अभ्यार्थी के उपलब्ध होने पर भरना सम्भव होगा। स्केल संख्या 1 से 6 तक के पद भरने हेतु राज्य सरकार का बेन है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

मेडिकल कालेजेज में मलेरिया विषय पर शोध-पत्र

621. **श्री राजेन्द्र चौधरी** (बिलाड़ा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

(1) राज्य के किन-किन मेडिकल कालेजों में मलेरिया विषय पर कितने शोध पत्र छपवाये गये अथवा अधिवेशनों में उनका वाचन हुआ?

(2) राज्य में कितने पोस्ट ग्रेज्यूएट विद्यार्थियों द्वारा मलेरिया विषय पर शोध-पत्र लिखे जा रहे हैं? प्रत्येक मेडिकल कालेजवार जानकारी सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या मलेरिया की सुगम जांच हेतु कोई प्रयोग किये जा रहे हैं? यदि हां, तो क्या?

(4) राज्य के मेडिकल कालेजों के प्रिवेन्टिव व सोशियल मेडिसन के विभागों द्वारा मलेरिया की रोकथाम हेतु क्या-क्या कार्य किया गया व आगे क्या-क्या कार्य करने की योजनाएं हैं?

उत्तर

(1) मलेरिया विषय पर मेडिकल कालेज, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर व बीकानेर में क्रमशः एक, छः, सात एवं ग्यारह शोध-पत्र लिखे व छपवाए गये तथा क्रमशः तीन, आठ, चार व दस शोध पत्रों का अधिवेशनों में वाचन किया गया।

(2) मलेरिया विषय पर स्नातकोत्तर विद्यार्थियों मेडिकल कालेज, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर व बीकानेर में क्रमशः तीन, चार, एक व ग्यारह शोध-पत्र लिखे जा रहे हैं।

(3) जी नहीं।

(4) राज्य के मेडिकल कालेजों के प्रिवेन्टिव व सोशल मेडिसिन विभागों में कार्यरत अध्यापकों को समय-समय पर मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में भेजा गया जहां इनके द्वारा स्थानीय प्रशासन को तकनीकी एवं उपचार सम्बन्धी परामर्श प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त भविष्य में मेडिकल कालेजों के विद्यार्थी रूरल अटैचमेंट के अन्तर्गत जन साधारण को मलेरिया व अन्य बीमारियों के कारण व रोकथाम के उपायों के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करेंगे। वर्तमान में भी विभिन्न महाविद्यालयों के उक्त विभागों द्वारा जनस्वास्थ्य के सम्बन्ध में स्थानीय जनता में जागरुकता उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा जा रहा है।

पाली जिले के प्राथमिक एवं उप-चिकित्सा स्वास्थ्य केन्द्र

622. श्री भीमराज भाटी (पाली): क्या चिकित्सा एव स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सरकार द्वारा गांवों में प्राथमिक एवं उप चिकित्सा स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं?

(2) क्या सरकार ने निर्धारित मानदण्डों के अनुसार पाली तहसील में

(श्री भीमराज भाटी)

प्राथमिक एवं उप चिकित्सा स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये हैं ? यदि नहीं, तो किन-किन स्थानों पर प्राथमिक एवं उप चिकित्सा केन्द्र स्थापित किये जाने प्रस्तावित हैं ? उक्त क्षेत्र में प्राथमिक एवं उप चिकित्सा स्वास्थ्य केन्द्र कब तक स्थापित कर दिये जायेंगे ?

(3) पाली तहसील में प्राथमिक एवं उप चिकित्सा स्वास्थ्य केन्द्रों में कितने डाक्टर, नर्स व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के पद स्वीकृत हैं एवं कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं ? प्राथमिक एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त पद गत लम्बे समय से रिक्त होने की वजह से गांवों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो रही हैं ? क्या सरकार इन रिक्त पदों पर नियुक्तियां करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) ग्रामों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गये मापदण्ड का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) निर्धारित मापदण्ड के अनुसार तहसील पाली की पंचायत समिति रोहट एवं पाली में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा पंचायत समिति क्षेत्र रोहट में एक उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलना शेष है, जो वित्तीय वर्ष 1995-96 में प्रस्तावित है।

(3) तहसील पाली के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्वीकृत व रिक्त पदों का विवरण संस्थावार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(4) रिक्त पदों के कारण चिकित्सा सुविधा में व्यवधान से इंकार नहीं किया जा सकता है। चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ के रिक्त पदों को भरने के प्रयास किये जा रहे हैं। वार्ड व्याय के पदों के भरने पर प्रतिबन्ध होने के कारण इन पदों को भरना संभव नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें।)

जयपुर शहर एवं उदयपुर जिले में नशा मुक्ति कार्यक्रम हेतु आवेदन-पत्र

623. **श्री दयाराम परमार** (खैरवाड़ा) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर एवं उदयपुर जिले में नशा मुक्ति कार्यक्रम हेतु कलक्टर, जयपुर एवं उदयपुर द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं से आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये थे ? यदि हां, तो कब तथा इस हेतु किस-किस स्वयंसेवी संस्थाओं से

(श्री दयाराम परमार)

आवेदन-पत्र प्राप्त हुये ? आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक एवं नाम, पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त आवेदन-पत्रों को जिला कलक्टर, जयपुर एवं उदयपुर द्वारा संबंधित विभाग को स्वीकृति हेतु सम्प्रेषित कर दिया गया ? यदि हां, तो कब तथा किस-किस संस्थाओं के ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अभी भी उक्त आवेदन-पत्रों को आगे सम्बन्धित विभाग को सम्प्रेषित कर उनके आवेदन-पत्र स्वीकार कर उन्हें उक्त कार्यक्रम संचालन हेतु स्वीकृति देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ?

(4) उक्त आवेदन-पत्रों को अभी तक भी सम्प्रेषित करने में विलम्ब करने के लिये कौन अधिकारी दोषी है ? क्या सरकार दोषियों को दंडित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब एवं नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) समाज कल्याण विभाग द्वारा नशामुक्ति कार्यक्रम हेतु प्रतिवर्ष प्रदेश के सभी जिला कलक्टरों के माध्यम से पात्रता रखने वाले स्वयंसेवी संस्था से आवेदन-पत्र प्राप्त किए जाते हैं। स्वयं सेवी संस्थाओं से प्राप्त आवेदन पत्रों की (दोनों जिले जयपुर/उदयपुर) स्थिति परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) जिला कलक्टर जयपुर/उदयपुर द्वारा समाज कल्याण विभाग को भिजवाये गये प्रस्तावों की सूचना परिशिष्ट "अ" में उपलब्ध है।

(3) जिला कलक्टर जयपुर के कार्यालय में कोई प्रार्थना पत्र विचाराधीन नहीं है। जिला कलक्टर, उदयपुर के कार्यालय में एक प्रकरण जांच हेतु विचाराधीन है। सहायक निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उदयपुर को इस प्रकरण की जांच कर रिपोर्ट शीघ्र भिजवाने हेतु निर्देशित कर दिया गया है। प्राप्त आवेदन पत्रों की गुणावगुण के आधार पर जांच कर आवेदन पत्र अग्रेषित किये गये हैं।

(4) जयपुर जिले में समस्त आवेदन पत्रों पर व उदयपुर जिले में एक प्रार्थना पत्र को छोड़कर शेष सभी पर गुणावगुण के आधार पर कार्यवाही की जा चुकी है। अतः कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या

624. श्री माधव सिंह दीवान (सोजत) एवं श्री शंकर लाल अहारी (चोरासी) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री माधव सिंह दीवान)

राज्य में कितनी जातियों को अनुसूचित जाति में लिया हुआ है तथा इन जातियों की कुल जनसंख्या में प्रत्येक जाति का प्रतिशत कितना है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

राज्य में 59 जातियों को अनुसूचित जातियों में लिया हुआ है । इन जातियों की कुल जनसंख्या में जनगणना 1981 के अनुसार प्रत्येक जाति के प्रतिशत का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। जनगणना वर्ष 1991 के अन्तर्गत अनुसूचित जातिवार जनसंख्या संकलन का कार्य अभी तक चल रहा है। अतः जातिवार प्रतिशत का विवरण अभी उपलब्ध नहीं है ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया ।)

अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम जयपुर की शिल्पशाला योजना

625. **श्री खेतसिंह राठौड़** (शेरगढ़) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम लिमिटेड जयपुर द्वारा वर्ष 1993-94 के तहत स्वीकृत बुनकर शाला/शिल्पी शाला योजनान्तर्गत रुपये 5,000/— की अनुदान 5,000/- रुपये स्वयं लाभार्थी द्वारा व्यवस्था करने पर दिया जाता है ?

(2) यदि हां, तो क्या इस योजना के तहत 11 फीट लम्बाई, 9 फीट चौड़ाई व 10 फीट ऊंचाई का कमरा पत्थर, चूना व सीमेंट से निर्मित चाहा गया है जबकि ऐसे कमरे की लागत लगभग 20,000/- रुपये आती है ।

(3) क्या सरकार गरीब व्यक्तियों की परिस्थितियों को देखते हुए पक्की पाटोर पोर्शन पर अनुदान भुगतान कराने का विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही है कि राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि., जयपुर द्वारा चलाई जा रही बुनकर शाला/शिल्पीशाला योजनान्तर्गत वर्ष 1993-94 तक इकाई लागत राशि 10,000/- रुपये निर्धारित थी, इकाई लागत का 50 प्रतिशत या 5000/- रुपये जो भी कम होगा निगम द्वारा अनुदान स्वरूप देय था । शेष राशि 5,000/- रुपये की व्यवस्था निगम द्वारा बैंकों से ऋण के रूप में उपलब्ध या लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किये जाने का प्रावधान था ।

(2) शिल्पीशाला/बुनकरशाला पक्की होगी और उसकी न्यूनतम माप 11 फीट

(समाज कल्याण राज्य मंत्री)

लम्बाई 9 फीट चौड़ाई एवं 10 फीट ऊंचाई का प्रावधान योजनान्तर्गत निर्धारित है। इन शिल्पीशाला/बुनकरशाला की दीवारों की चुनाई पत्थर/ईंट की चूने या सीमेंट से होगी। छत पत्थर की पट्टियों की दड़ समेत होगी। दीवारें दोनों ओर से प्लास्टर की हुई होगीं। सीमेंट, कंकरीट का पक्का फर्श होगा एवं कार्यशाला में दरवाजे, खिड़की, रोशनदान आदि की उचित व्यवस्था होगी। बढ़ी हुई निर्माण लागत के आधार पर निगम के संचालक मण्डल की 24वीं बैठक के निर्णयानुसार शिल्पीशाला/बुनकरशाला की इकाई लागत को दिनांक 1-4-94 से 10,000/—रुपये से संशोधित कर 18,000/—रुपये कर दी गयी है एवं निगम द्वारा देय अनुदान राशि सीमा 5000/— को दिनांक 1-4-94 से संशोधित कर इकाई लागत का 50 प्रतिशत या 6000/-- जो भी दोनों में से कम हो, अनुदान स्वरूप देय होगी।

(3) गरीब व्यक्तियों की परिस्थितियों को देखते हुए शिल्पीशाला/बुनकरशाला की निर्धारित निर्माण कार्य पाटौर पोर्शन अपनाये जाने हेतु नवीन इकाई लागत के प्रस्ताव सम्बन्धित पंचायत समिति/जिलाग्रामीण विकास अभिकरणों से मंगवाये जाकर अनुदान भुगतान के सम्बन्ध में विचार कर आवश्यक निर्णय निगम की संचालन मण्डल की बैठक में रखा जाकर किया जायेगा।

(12.00)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री जुबेर खान, सदस्य, विधान सभा की ओर से कृषि उत्पादन के विकास में सहयोगी सहकारिता क्षेत्र में सरकार के बढ़ते हस्तक्षेप के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(2) श्री रामनारायण मीणा एवं श्री शंकर लाल अहारी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य के औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी में चोरी की बढ़ रही वारदातों के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्यों को आज पुलिस विभाग की अनुदान की मांग पर वाद-विवाद के समय बोलने का अवसर उपलब्ध है।

(3) श्री अमराराम (धोद), सदस्य, विधान सभा की ओर से माडर्न सिंटेक्स

58

(श्री अध्यक्ष)

(इण्डिया) लिमिटेड, अलवर के प्रबन्धकों द्वारा गैर कानूनी तालाबन्दी कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं । उद्योग विभाग की अनुदान की मांग पर वाद-विवाद के समय माननीय सदस्य को अपनी बात कहने का अवसर है ।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री कन्हैयालाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से कर मुक्त पशु आहार के साथ प्रयोग में आने वाले बारदाने पर कर लगाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

(2) श्री फतेह सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से कुशलगढ़ उप कारागृह के जेलर व संतरी द्वारा एक जेली केला के साथ की गयी मारपीट की घटना की पुलिस द्वारा जांच नहीं किये जाने के सम्बन्ध में ।

(3) श्री महावीर भगोरा, सदस्य, विधान सभा की ओर से उदयपुर जिले की दूरस्थ तहसील कोटड़ा में विद्युत ग्रिड सब-स्टेशन की स्थापना कर विद्युत आपूर्ति सुधारे जाने के सम्बन्ध में ।

(4) श्री ओमप्रकाश शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से बूंदी में कृषि महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में ।

(5) श्री सुरेन्द्र गोयल, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र जैतारण में महाविद्यालय खोलने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति इसी वर्ष प्रदान करने के सम्बन्ध में ।

(6) श्री किशनाराम नाई, सदस्य, विधान सभा की ओर से सवाई-माधोपुर जिले के ग्राम कुरेडी में श्रीमती कमलेश के साथ कथित बलात्कार के मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कथित उपेक्षा बरते जाने के सम्बन्ध में ।

(7) श्री राकेश मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम बोरावड़ की सिवाय चक भूमि खसरा नं. 238 पर प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

(8) श्रीमती तारा भण्डारी, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिरोही के शिवगंज नगर में कुकिंग गैस एजेंसी नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

(9) श्रीमती मनोरमा सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजाखेड़ा

(श्री अध्यक्ष)

विधान सभा क्षेत्र के बसई ननबाब, भूरापुरा सहित पंचायतों में आ गई नहर का पानी विगत 20 वर्षों से सिंचाई हेतु उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री रामपाल उपाध्याय, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा जिले की रायपुर तहसील की कतिपय जलदाय योजनाओं की समुचित व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री रामनारायण मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से नगर पालिका नैनवां द्वारा 29-8-1990 के बाद आवासीय एवं व्यावसायिक भूखण्डों का अनियमित तरीकों से आवंटन किया जाकर परिषद् को 50 लाख का नुकसान पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में।

(12) श्री हरिसिंह (कुम्हेर), सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के भरतपुर स्थित डिपोज में बस संचालन में कथित अनियमितता, धांधलेबाजी तथा लापरवाही से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय अध्यक्ष जी, एक निवेदन है। जैसे ही सदन में आपका पदार्पण होता है, हमको सम्बोधन होता है माननीय विधायक, हम विधायक हैं, सही है लेकिन सही सम्बोधन यदि विधायक की जगह माननीय सभासदों हो तो अच्छा रहता है। पालियामेंट में भी ऐसा ही है सभासदों, कि हम सभासद हैं। इसलिए माननीय विधायक की जगह माननीय सभासद सम्बोधन हो तो बहुत सुन्दर लगेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कहता हूं।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय अध्यक्ष महोदय बोलना चाहिए, वे सिर्फ माननीय अध्यक्ष बोलते हैं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, अलवर सैंट्रल को-आपरेटिव बैंक के प्रबन्धक निदेशक ने बोरों में 75 लाख रुपये भरकर, कैश, 31 मार्च को अलवर से जयपुर लाये और, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में सभी प्रमुख अखबारों में अलवर से खबर छपी....

श्री रमाकान्त शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इसका नोटिस मैंने दिया है।

श्री जगदीप धनखड़ : वहां के अधिकारियों से शिकायत की और, माननीय अध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान) .... इस विषय में यह कहा गया कि 31 मार्च को रात्रि को बैंक की....(व्यवधान)

श्री रमाकान्त शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह नोटिस मैंने दिया है आपको।

श्री अध्यक्ष : अब आपका शून्यकाल में आपने दिया ही नहीं।

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं, नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थगन-प्रस्ताव आया है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। अंकित नहीं करें।

श्री जगदीप धनखड़ : ×××

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य ने इस मोशन को यहां दिया हुआ है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि विधिवत अगर कोई प्रक्रिया से मूव करें, माननीय सदस्य, तो ठीक है। बिना आपकी अनुमति लिये, बिना आज्ञा लिये किसी के द्वारा दिये हुए मोशन पर जो चर्चा वह करना चाहते हैं उनके अधिकार को लेकर, इस तरह चर्चा करना तो किसी भी तरह से उचित नहीं है, अंकित नहीं होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, यह अंकित नहीं हो।

श्री जगदीप धनखड़ : ×××

श्री रमाकान्त शर्मा : नोटिस मैंने दिया है, बोल कोई रहा है।

श्री जगदीप धनखड़ : ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें, आप। यह अंकित नहीं होगा। श्री जुबेर खान जी।

श्री जगदीप धनखड़ : ×××

श्री रमाकान्त शर्मा : टालने की बात नहीं है, मैंने नोटिस दिया है इसका बाकायदा, अध्यक्ष महोदय।

श्री जगदीप धनखड़ : ×××

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। श्री जुबेर खान जी।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 1995-96 का बजट मुख्य मंत्रीजी द्वारा चिकित्सा को समर्पित किया गया और चिकित्सा के मामले में मैं आपके सामने एक उदाहरण पेश करना चाहूंगा। महिला के शरीर में कीड़े पड़े, डाक्टर ने पीछा छुड़ाया। यह अलवर जिले की तिजारा तहसील का वाकया है। एक हरिजन छात्रावास में रहने वाली महिला को नगरपालिका के अध्यक्ष

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री जुबेर खान)

ने अस्पताल में भर्ती कराया किसी बीमारी के कारण और जिस तरह से वहा के स्थानीय डाक्टरों की लापरवाही से उस औरत के कीड़े पड़ गये और कीड़े पड़ने के बाद खदेड़ दिया अस्पताल के बाहर। आज उस औरत की स्थिति यह है कि हास्टल में उसको घुसने नहीं देते क्योंकि उसके कीड़े पड़ गये और सड़कों पर टहलती फिरती है। रोजाना अखबारों में छप रहा है। मैं आपके माध्यम से श्री भैरोंसिंह जी की सरकार से कहना चाहूंगा कि एक तरफ तो आप लोग कहते हैं कि 1995-96 का बजट चिकित्सा के लिए समर्पित है और जिस तरह से औरतों के कीड़े पड़ जाए अस्पतालों में और उनको खदेड़ दिया जाए, यह निहायत ही शर्म की बात है, इसके ऊपर कार्यवाही करनी चाहिये और जो मेडिकल एनालेसिस के दोषी हैं, उनके खिलाफ जांच करायी जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन जी चौधरी।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने शहर के अन्दर जो टैम्पोज चलते हैं, उनसे जो प्रदूषण फैलता है उसके बारे में सरकार का, माननीय यातायात मंत्रीजी का, माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह प्रस्ताव आपको दिया था। मैं समझता हूं कि जो शहर में गन्दगी फैलाते हैं, प्रदूषण से वातावरण खराब करते हैं टैम्पोज, उन पर रोक लगायी जानी चाहिए और उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। मैं माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय गृह मंत्री महोदय इसके बारे में थोड़ा बतायें कि आप क्या कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामगोपाल जी बैरवा।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय चिकित्सा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, मेरे विधान सभा क्षेत्र में सामुदायिक केन्द्र इटावा, जो उस क्षेत्र का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सालय है, वहां पर विभिन्न श्रेणी के 10 पद रिक्त हैं। तीन पदों पर डेपुटेशन पर दूसरी जगह लगा रखा है। स्टाफ नर्स के 6 पद, वार्ड ब्वाय के 3 पद और स्वीपर का एक पद, इस तरह से टोटल 10 पद रिक्त हैं। इसी तरह से वहां पर जो एल. डी सी. कल्पना चन्द्रावत और यू. डी. सी. अनिता चतुर्वेदी इन दोनों को सी. एम. एण्ड एच. ओ. कोटा ने डेपुटेशन पर अपने कार्यालय में लगा रखा है। मेल नर्स ग्रेड प्रथम चन्द्र शेखर को केथून में डेपुटेशन पर लगा रखा है। इन सब कारणों से इतने पद रिक्त होते हुए वहां पर चिकित्सा व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पाती है। अतः

(श्री रामगोपाल बैरवा)

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से आग्रह करता हूं कि इन पदों को शीघ्र भर कर और यह जो पद डेपुटेशन पर दूसरे स्थानों पर लगा रखा है, उनका डेपुटेशन निरस्त किया जाय। जयहिन्द।

श्री रमाकान्त शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम नहीं आया। मैंने कल शाम को नोटिस दिया था आज के लिये।

श्री अध्यक्ष : आ रहा है, जरूर आयेगा, आप बिराजिये। श्री भीमराज जी भाटी।

श्री भीमराज भाटी (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, विकलांगों को समाज में मानसिक, शारीरिक और हर दृष्टिकोण से बड़ी हीन दृष्टि से देखा जाता है। ये लोग चूंकि शारीरिक दृष्टि से कमजोर होते हैं इसलिए न तो ये डिफेंस में काम कर सकते हैं, न पुलिस में काम कर सकते हैं, न एक्साइज में काम कर सकते हैं, किसी भी तरह के दौड़-भाग के काम में विकलांग लोग काम करने में असमर्थ रहते हैं। लेकिन ये जो छोटी-मोटी सेवाएं हैं, जो राजस्थान सरकार की अधीनस्थ सेवाएं कहलाती हैं, चाहे वह को-आपरेटिव सेक्टर की हों, चाहे तहसील की हों, चाहे अन्य हों, इस तरह की सेवाओं में वह काम कर सकते हैं। इस तरह की सेवाओं के लिए आर. पी. एस. सी. द्वारा अभी 476 पोस्टें निकाली गयी थीं, उनमें मात्र 5 पद विकलांगों के लिए रिजर्व की गयी थीं, जबकि राजस्थान रोजगार विकलांग अधिनियम, 1976 के तहत इनके लिए 3 पर्सेंट रिजर्वेशन है। इस 3 पर्सेंट के हिसाब से 476 पदों में 13 पद रिजर्व होने चाहिए थे लेकिन इन 13 पदों के रिजर्वेशन की जगह सिर्फ 5 सीटें इसमें मुकर्रर की गयीं और वह 5 भी सिर्फ को-आपरेटिव सेक्टर के लिए मुकर्रर की गयीं तहसीलदार के लिए और अन्य सेवाओं के लिए मुकर्रर नहीं की गयीं। इसी प्रकार से इनके लिए 5 पर्सेंट अंकों की जो छूट दी जाती है वह 5 पर्सेंट अंकों की छूट भी इनको नहीं मिलती है और उनकी मैरिट लिस्ट भी अन्य स्टूडेंट्स की कैटेगिरी में रखकर तैयार की जाती है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, माननीय सदस्य।

श्री भीमराज भाटी : एक मिनट, माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे भी विकलांगों की कोई सुनता नहीं है ...

श्री अध्यक्ष : मैं सुन रहा हूं आपको।

श्री भीमराज भाटी : हां, आप सुन रहे हैं तो जरा पूरा सुन लीजिए। इनको 5 साल का बेनिफिट भी अलग से मिलता है, 5 साल के बेनिफिट में भी इनको एग्जाम में एपियर होने के लिए, विकलांगों पर पूरा समाज हंसता है इस तरह से आप लाइटली लेंगे तो कैसे काम चलेगा।

(श्री भीमराज भाटी)

5 साल की उम्र में भी छूट दी जाती है लेकिन इनको एग्जामिनेशन एपियर होने के लिए सिर्फ 4 ही मौके दिये जाते हैं जबकि दूसरी कैटेगिरी के लिए एक्स्ट्रा मौके भी दिये जाते हैं। इन लोगों को जो 4 मौके दिये जाते हैं उसकी जगह पर और मौके दिलवाये जाए ताकि इनको 5 साल की जो छूट मिलती है उसका बेनिफिट मिल सके।

इसी तरह से 5 पर्सेंट अंकों की जो छूट इन लोगों को दी जाती है वह 5 पर्सेंट अंकों की छूट की वजह से भी इनकी मैरिट लिस्ट अलग से बनायी जाय ताकि इन लोगों को रिजर्वेशन का लाभ मिल सके। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि विकलांगों के लिए 3 पर्सेंट का जो कोटा रिजर्व कर रखा है उसको सीरियसली और पूरी तरह से लागू करवाने के लिए कार्यवाही करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : विराजिये, माननीय सदस्य। श्री रमाकान्त जी।

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक ऐसा गम्भीर मामला आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं जो मैं समझता हूं कि राजस्थान के इतिहास में या विधान सभा के इतिहास में पहले कभी भी नहीं आया होगा। एक अधिकारी द्वारा इतनी बड़ी अनियमितता, नेगलिजेंस, राज्य सरकार की बहुत बड़ी धनराशि के साथ में खिलवाड़, और वह धनराशि भी किसानों से प्राप्त हुई धनराशि, उसके साथ में फ्राड भी और पागलपन भी। अलवर केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबन्ध संचालक, जो जोइंट रजिस्ट्रार के पद के समकक्ष हैं, जोइंट रजिस्ट्रार पद पर ही आसीन हैं और वहां से डेपुटेशन पर प्रबन्ध संचालक हैं। वह व्यक्ति, बैंक 5 बजे बन्द हो जाती है, उस बैंक में रात को साढ़े आठ बजे पहुंचते हैं, और 75 लाख रुपये की धनराशि निकाल कर बोरों में भर कर, बोरियों में भरकर 75 लाख रुपये के नोट अपनी जीप में डालते हैं और केवल मात्र दो चपरासी उनके साथ होते हैं, उनको लेकर रात को साढ़े ग्यारह बजे जयपुर आकर पहुंचते हैं। रात को साढ़े ग्यारह बजे आकर, अपेक्स बैंक की ब्रांच है उसको खुलवाते हैं और ब्रांच की चेस्ट में रखते हैं। कह नहीं सकते कि 75 लाख रुपये रखे गये कि 20 लाख रुपये रखे गये कि 30 लाख रुपये रखे गये, और बाकी कितनी धनराशि उसमें से काम में ली गयी, किस पूंजीपति को दी गयी। क्योंकि वह धनराशि ठीक 5 दिन बाद उस चेस्ट में से निकाल कर बाकायदा नियमित रूप से अपेक्स बैंक को गिना कर दी गयी। 5 दिन का टाइम इस तरह का रहा है जिसमें धनराशि के बारे में कुछ पता नहीं है। हो सकता है बहुत बड़ी धनराशि किसी बड़े पूंजीपति को चाहिए थी, क्योंकि 3 दिन में वह बहुत बड़ा काम कर सकता था। जिस समय वह लाते हैं उस जीप का एक्सीडेंट हो

(64)

(श्री रमाकान्त शर्मा)

सकता है और 75 लाख रुपये की सरकारी धनराशि सड़क पर से लोग उड़ाकर ले जा सकते हैं। उस जीप को कोई लुटेरे लूट सकते थे और 75 लाख रुपये की वह धनराशि जा सकती थी उस जीप का इंश्योरेंस नहीं, धनराशि लेकर आये उस समय कोई पुलिस का सुरक्षा गार्ड उसके साथ नहीं, राशि का इंशोरेंस नहीं करवाया गया था। 75 लाख रुपये की धनराशि के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ ...(व्यवधान) आप मुझे मेरी बात कह लेने दीजिए फिर आप कह देना।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री परसादी लालजी।

श्री परसादीलाल मीणा : मंत्रीजी के निर्देश थे कि बोरों में भर कर लावें।

श्री रमाकान्त शर्मा : इतनी बड़ी अभूतपूर्व उच्छृंखलता एक इस प्रकार का आदमी जो अपराधिक प्रवृत्ति का शुरू से ही है, यह व्यक्ति 9 वर्ष जेल के अन्दर रहा है, एक जघन्य अपराध के अन्दर 9 वर्ष जेल में रह चुका है राज्य सरकार में आने के बाद। यह आदमी इस प्रकार के कई+ + +के काम कर चुका है। इस प्रकार के काम के अन्दर यदि तत्काल कार्यवाही नहीं की गयी तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि दूसरे लोग भी इस प्रकार की प्रवृत्तियां करेंगे। इसलिए मैं यह चाहूंगा कि इस आदमी को तत्काल सस्पेंड करें और यदि इसको चार्जशीट नहीं दी गयी तो इतनी बड़ी अराजकता पैदा हो जाएगी, इतनी बड़ी बेवकूफी, इतना बड़ा पागलपन मैं समझता हूं कि कोई आदमी सोच नहीं सकता, कर नहीं सकता, और इसके बारे में उपेक्षा की गयी तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, राज्य की धनराशि के साथ के अन्दर दूसरी जगह बहुत खराब प्रेसिडेंस कायम हो जाएगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इसके ऊपर तत्काल कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष : श्री गोपीरामजी।

श्री गोपीराम जाट (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व मन्त्रीजी, का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि आमेर तहसील के अन्दर सेटलमेंट का कार्य चलते हुए करीब 12 साल पूर्ण होने जा रहे हैं। 1984 के अन्दर सैटलमेंट का कार्य हाथ में लिया गया था वह अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है और उसकी वजह से पूरे क्षेत्र के अन्दर किसानों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। चाहे म्यूटेशन का मामला हो, चाहे बिजली का कोई फार्म भरने का मामला हो, चाहे वह जमीन के क्रय और विक्रय का मामला

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री गोपीराम जाट)

हो। ऐसी स्थिति के अन्दर जो सैटलमेंट के कर्मचारी हैं उनके द्वारा निर्दोष किसानों को बेरहमी के साथ लूटा जा रहा है। अतः मैं राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी सैटलमेंट का कार्य पूरा करवा कर तहसीलदार को म्यूटेशन और बिजली के फार्म आदि पर दस्तखत करने की पावर्स दी जाय।

इसी के साथ-साथ मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि आमेर क्षेत्र के अन्दर बेशकीमती जमीनों पर जो अतिक्रमण हो रहे हैं और बार-बार पत्र लिखने के बावजूद भी उन अतिक्रमणों को हटाने का प्रयास नहीं किया गया। इसी प्रकार से आमेर के अन्दर ज्योति बाल निकेतन के द्वारा 2025 स्क्वायर यार्ड जमीन पर, जिसकी आज की तारीख में 50-60 लाख रुपये की कीमत है, इस जमीन को खाली करवाने के लिए नगर निगम के माध्यम से कोई प्रयास नहीं किया गया। जिसका मुकदमा आज भी कोर्ट में विचाराधीन है और नगर निगम द्वारा किसी वकील को भी आज तक खड़ा नहीं किया गया है। इस वजह से उस जमीन का कब्जा खाली नहीं हुआ। इसी तरह से चौमूं रोड पर पुरानी ग्राम पंचायत नींदड़ में खसरा नम्बर 481/3 पर करीब 18 बिस्वा जमीन, जिसमें 165 फीट लम्बा और सवा आठ फीट चौड़ी बाउण्ड्री वाल बनाकर, जिसमें कम से कम 16 दुकानें बन सकती हैं और एक एक दुकान 50 हजार रुपये की कीमत से कम की नहीं, वहां पर तत्कालीन सरपंच गोपाल और उसके भाई द्वारा कब्जा किया हुआ है। नगरीय आवासन विभाग द्वारा पत्र लिखने के बावजूद भी जे. डी. ए. द्वारा खाली करवाने की कार्यवाही नहीं की गयी और इस तरह की कीमती जमीन के ऊपर कब्जा कर रखा है।

श्री अध्यक्ष : विराजियें।

श्री गोपीराम जाट : इसी प्रकार से रामपुरा डाबड़ी के अन्दर पशु औषधालय के लिए जमीन है, उसका पट्टा भी बना हुआ है, उसको भी खाली करवाने के लिए कई बार निवेदन किया गया, लेकिन आज तक उस जमीन को खाली नहीं करवाया गया है और वहां पर भी एक दुकान की कीमत एक लाख रुपये कम की नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह की जमीनों को खाली करवाने की कार्यवाही सरकार करवाये।

जावदा के अन्दर खसरा नम्बर 1091 और 1110 पर गैर मुमकिन रास्ते की जमीन है, उस पर वहां के सरपंच द्वारा पट्टे काट दिये गये और गलत तरीके से धन अर्जित कर लोगों को इसके ऊपर कब्जा करवाया गया। मैं इसके लिए निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह के अतिक्रमणों को हटाने का प्रयास करें।

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर भगोरा।

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) :

(श्री महावीर भगोरा)

अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की तहसील कोटड़ा उदयपुर जिला मुख्यालय से 125 किलोमीटर दूर है। तहसील मुख्यालय से जिला मुख्यालय पर आने के लिए कोटड़ा मुख्यालय से दिन में दो बजे के बाद कोई भी बस सेवा उपलब्ध नहीं है। बस सेवा उपलब्ध नहीं होने के कारण लोगों को काफी तकलीफ है और सरकारी कर्मचारी भी एक दिन पूर्व तहसील मुख्यालय से सरकारी कार्य के लिए आते हैं।

इसी तरह से कोटड़ा तहसील की पांच पंचायतें हैं, भेड़, कूकावास, सामोली, मांडवा और लिकरणी, उन लोगों को मुख्यालय पर अपना काम निपटाने के लिए आने के लिए 80 किलोमीटर का राउण्ड लेकर और कई बसें बदलकर जिला मुख्यालय पर आना पड़ता है। इस तरह की यह समस्या है।

श्री अध्यक्ष : आप बात कर लेते मंत्री जी से, बिराजिये।

श्री महावीर भगोरा : इसी तरह से बाकल क्षेत्र में पांच पंचायतें हैं जिनमें तहसील मुख्यालय पर जाने के लिए और जिला मुख्यालय पर जाने के लिए 50 से 75 किलोमीटर तक का राउण्ड लगाना पड़ता है और यह जो 150 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उसको 10-12 घंटे में पूरा करना पड़ता है। एक दिन पूर्व आना और एक रात रहना और काम निपटाकर दूसरे दिन जाना, इस तरह से पूरे तीन दिन व्यतीत होते हैं। अतः मेरा माननीय परिवहन राज्य मंत्रीजी से यह आग्रह है कि इस रूट पर अधिक बसें चालू की जायं और बसें नहीं चलने से प्राइवेट टैक्सियां चलती हैं और एक टैक्सी में कम से कम 40-40 पैसेंजर्स ढोकर ले जाते हैं, आये दिन एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। न तो विभाग चैक करता है और न पुलिस का विभाग इन टैक्सियों को चैक करता है तो मेरा आग्रह है, इस पर कड़ी कार्यवाही की जाय।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये। श्री आर. पी. शर्मा।

श्री आर.पी. शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, कृषि मंत्रीजी तो शायद गये, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि राजस्थान सरकार के कृषि विभाग....

श्री अध्यक्ष : आपने हंस दिया है। जो कहना चाहते थे वह पहले ही हो गया क्या ? (व्यवधान)

श्री आर. पी. शर्मा : माननीय कृषि मंत्रीजी का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने आदेश जारी किया जिसका नम्बर है 37/6-कृषि/ग्रुप/2/95 दिनांक 27-3-1995। इसके तहत कृषि उपज मण्डी में सड़कों का निर्माण कृषि विपणन

(श्री ग्रार. पी. शर्मा)

बोर्ड कराता था, उसके भुगतान की प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया है। मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इस भुगतान की प्रक्रिया में परिवर्तन करने से ठेकेदारों को बहुत परेशानी होगी। ग्रगर कोई ठेकेदार 6 जगह ग्रपने ठेके का कार्य प्रारम्भ कर रहा है तो 6 जगह उसको 6 बैंकों में खाता खुलवाना पड़ेगा ग्रौर एक बैंक में खाता खुलवाने के लिए एक व्यक्ति को करंट एकाउंट में मिनिमम रुपये 5,000/- चाहिए ग्रौर फिर उसका पेमेंट लेने के लिए उसको जगह-जगह जाना पड़ेगा। ग्रादमी ग्रपना काम देखे या पेमेंट लेने में ग्रपना समय बर्बाद करे। नम्बर एक, यह तो परेशानी हुई ठेकेदारों की।

साथ ही साथ, मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस प्रक्रिया से राजस्थान सरकार को कोई फायदा नहीं होगा। मात्र कृषि उपज मण्डी के जो सेक्रेटरी हैं, उनको कमीशन मिलेगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा ग्रौर भ्रष्टाचार जब बढ़ता है तो ग्राप जानते हैं, जो हम सोच रहे हैं कि हम सड़क निर्माण के कार्य को ग्रच्छा कर पायें, उल्टा सड़क निर्माण के कार्य में बाधा होगी ग्रौर इसमें यह भी लिखा हुग्रा है कि इसकी जो शिकायतें होंगी उन शिकायतों का कहां-कहां किस तरह से निस्तारण होगा। इससे न सिर्फ सड़कों के निर्माण के कार्य समय-समय पर रूकेंगे बल्कि कृषि उपज मण्डी समिति के सेक्रेटरी ग्रौर एक्स. ईएन. में ग्रापस में चलेगी, ठेकेदारों में चलेगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ग्रपने इस ग्रार्डर को वापस ले ग्रौर पूर्व की तरह जिस तरह से भुगतान होता था, उसी तरह से भुगतान कराये।

श्री ग्रध्यक्ष : बिराजिये। श्री शैलेन्द्र जोशी।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापके माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान ग्राकर्षित करना चाहता हूं। माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी, मेरा निवेदन सुनें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं सुन रहा हूं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मेरे निर्वाचन क्षेत्र बांदीकुई में गत 20 साल से गवर्नमेंट कालेज है, किन्तु वहां पर ग्रार्ट्स ग्रौर कामर्स फेकल्टी के बावजूद भी गत 20 साल से साइंस फेकल्टी नहीं खुली है जिसके कारण से सैंकड़ों विद्यार्थियों को बी. एससी. करने के लिए करीब 70 किलोमीटर दूर ग्रलवर जाना पड़ता है ग्रौर तीन साल तक वहां लगातार रहकर, निवास करके बी. एससी. करनी पड़ती है जिससे कि वहां पर विद्यार्थियों को बहुत ही ग्रसुविधा का सामना करना पड़ता है ग्रौर जन-धन की हानि भी हो रही है। ऐसी स्थिति में बांदीकुई स्टेट जो कि चार लाख की ग्राबादी से संचालित है ग्रौर वहां पर ग्रास पास करीब 15 हायर सैकण्डरी स्कूल हैं, ऐसी स्थिति में कम से कम साइंस फैकल्टी खोलकर ऐसा माध्यम दें जिससे

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

कि हजारों छात्रों को बी. एससी. करने के लिए अलवर नहीं जाना पड़े। मैं मंत्री महोदय से यह चाहूंगा कि वे इस बारे में सकारात्मक अभिव्यक्ति प्रकट करें कि कब तक बांदीकुई में माइंस फैकल्टी खोल दी जायेगी क्योंकि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दौसा जिले में कुछ भी नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये। श्री रामनारायण जी।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जो सरकार शासन में है वह बड़ी + + + हैं शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों के भले के बारे में। परन्तु मुझे खेद है कि माननीय गृह मंत्रीजी इस मामले में बिलकुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये राजस्थान में शिड्यूल्ड कास्ट विरोधी भावना पनपा रहे हैं। इसका मुख्य कारण है माननीय गृह मंत्रीजी, बिजली का कनेक्शन है। शिड्यूल्ड कास्ट का 5 बीघा जमीन वाला एक किसान 40,000 रुपये जमा नहीं करा सकता। शिड्यूल्ड कास्ट कारपोरेशन उसको पैसा देता नहीं है। मैं आपको, चूंकि सरकार के वरिष्ठ मंत्री यहां बैठे हैं इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं आपको नाम लिखा दूं गृह मंत्रीजी। रामा पुत्र किशना बैरवा, कैथूदा तहसील नैनवां, उसको 39,150 रुपये का डिमांड नोटिस निकला है। गरीब काश्तकार है। यही हालत गुढ़ादेवजी में बैरवों के पांच कनेक्शन निकाले गये हैं, किसी के 30,000 हैं, किसी के 20,000 हैं और यह एक पोल का कनेक्शन है। मैं आपको यह और कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, बड़ी दयनीय स्थिति है। एक पोल जाता है और उसके 5-7 पोल बता दिये होंगे और वे बिजली विभाग में जाकर पैसा देंगे और बाद में कम पैसा कर देंगे। इस तरह से भ्रष्टाचार पनप रहा है। ये सरकार से आशा और अपेक्षा रखते हैं। ऐसे एक साल में नैनवां तहसील के शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों के इस तरह के जो भी डिमांड नोटिस आये हैं, उनकी जांच की जाय और जांच की जाकर, यदि किसी ने ज्यादा राशि का डिमांड नोटिस भेजा है, तो उस कर्मचारी को सजा दी जाय और उसके साथ ही शिड्यूल्ड कास्ट कारपोरेशन को कहा जाय कि जो सीमान्त लघु कृषक हैं, उनके बारे में वे कितनी सहायता दे सकता है, वह सहायता दिलायी जाय और इसी आशा और विश्वास के साथ, कम से कम मैंने आपके ऊपर सीधा कटाक्ष किया है कि राज्य सरकार इस बात का ध्यान रखेगी और क्योंकि हम आपको शिड्यूल्ड कास्ट का मानने में हिचकिचाते हैं। कृपा करके, मेहरबानी करके शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों का ध्यान रखें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये। श्री बनवारी लाल बैरवा।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(69)

श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई) : अध्यक्ष महोदय, टोंक जिला और जिलों के मुकाबले में राजस्थान में पिछड़ा हुआ है और खास तौर से टोंक जिले में निवाई तहसील सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई है और सड़कों के मामले में तो उसकी हालत बहुत खराब है। उसके सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं कि मेरे इस निवाई क्षेत्र के अन्दर निवाई बोंली की सड़क, झिला-सिरोही, निवाई डांगरथल, वनस्थली मन्दिर देवनारायण जी, पराणा-नटवाड़ा, चैनपुरा-ललवाड़ी, सोपरी अरण्या केदार और लिंक रोड दतवास, ये सड़कें हैं, इनमें से एक भी सड़क पूर्ण नहीं है। इनकी हालत बहुत खराब है और झिला-बोंली जो सड़क है, यह तो बहुत ज्यादा व्यस्त सड़क है क्योंकि बोंली तक का माल भी निवाई मंडी में आता है और रास्ते के अन्दर चूंकि डील नदी पड़ती है तो डील नदी के ऊपर कोई भी साधन ऐसा नहीं है जिसकी वजह से गाड़ियां आराम से सुविधापूर्वक आ सकें। मेरा उनसे इस सम्बन्ध में निवेदन है कि सड़कों को चौड़ा कराया जाय। अभी आपने डेढ़ किलोमीटर तक उसको चौड़ा कराया, उसके लिए तो धन्यवाद देता हूं और जो शेष सड़क है उसको भी पूरा करायें और जो पुलिया बननी है डील नदी पर, उसका निर्माण करायें। इसी तरह से, डांगरथल की जो सड़क है वह खणदेवत तक तो बनी हुई है, खणदेवत तक भी अब वह टूटकर कम होती जा रही है। लिहाजा इसको तत्काल त्वरित गति से पूर्ण कराने की बात करें और एक वनस्थली से मन्दिर देवनारायण जी की बहुत महत्वपूर्ण सड़क है। वहां पर हमारा बहुत बड़ा तीर्थस्थल है। चूंकि राजस्थान के सभी जगह से काश्तकार वहां भगवान देवनारायण जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं और वह सड़क अपूर्ण होने के कारण वहां पर बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

इसलिए मेरा आपके माध्यम से उनसे निवेदन है कि इन सड़कों को पूर्ण करायें और पराणा से नटवाड़ा वाली जो सड़क है, इसके ऊपर तो चलना ही दूभर हो गया है। जो कच्ची सड़क बनी हुई है तो उसके लिए लोग कहते हैं कि इससे तो गडार ही बेहतर थी, यह कच्ची सड़क जो बनाकर छोड़ रखी है, उसकी हालत बहुत खराब हो रही है। तो उस सड़क को तत्काल पूर्ण करायें और एक लिंक रोड दतवास की है उसके अन्दर रपट बनना आवश्यक है। लिहाजा लिंक रोड से दतवास में रपट को भी बनाने की कृपा करें और····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये। श्री रिछपाल जी।

श्री बनवारी लाल बैरवा : और एक खास सड़क अरण्या केदार के लिए, माननीय मंत्री महोदय स्वयं भी इसके लिए आश्वासन देकर आये थे गांव में, तो मैं उनको

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं कि आप अपने वायदे को पूर्ण कर उस सड़क को पूर्ण करायें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री रिछपाल जी। श्री रिछपाल जी बोलने दीजिये। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : आप तो मुक्त हस्त से सब जगह सड़कों का जाल बिछा दीजिये। लोग याद करेंगे आपको।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये। श्री रिछपाल जी।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार का ध्यान नागौर जिले में फ्लोराइड युक्त पानी की तरफ ले जाना चाहता हूं। नागौर जिले में 10 विधान सभा क्षेत्र हैं और जिले के अधिकांश गांवों में फ्लोराइड युक्त पानी है जो वहां की जनता को पीने के लिए मिल रहा है। जिसमें डेगाना, परबतसर, नागौर, डीडवाना, मेड़ता, सभी तहसीलों में फ्लोराइड युक्त पेयजल है और इस पानी को पीने से जिले के लोगों में अनेक तरह की बीमारियां हो रही हैं। लोग कुबड़े हो जाते हैं, दांत पीले हो जाते हैं और नपुंसक होने तक का भी खतरा है। इस पेयजल से इतनी भयंकर बीमारियां हो रही हैं। कुओं का जल स्तर दिन पर दिन नीचे जा रहा है, उससे भी वहां का किसान परेशान है। इस जिले को इस समस्या से बचाने के लिए मात्र एक उपाय है कि इन्दिरा गांधी नहर का पानी नागौर जिले में पहुंचाया जाय। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि नागौर जिले के किसानों को और इस जिले के लोगों को बचाना है तो इन्दिरा गांधी नहर का पानी नागौर जिले में पहुंचाया जाय जिससे वहां के किसानों को भी राहत मिलेगी। और वहां की जनता को, जो यह फ्लोराइड युक्त पानी पी रही है, बीमारियों से मुक्त कराया जा सकेगा। आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री अमरा रामजी।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान उन किसानों की तरफ दिलाना चाहता हूं जिनके सम्बन्ध में हमारी सरकार और मुख्य मंत्रीजी बड़े हमदर्द होने की बात करते हैं। उद्योग मंत्रीजी द्वारा मेवाड़ शुगर मिल के लिए वहां के हजारों किसानों के लिए यह आर्डर निकाल दिया गया सरकार की तरफ से कि वहां के गन्ना उत्पादक किसान वहां का गन्ना मेवाड़ शुगर मिल को देंगे। उससे डेढ़ी कीमत रस और खाण्डसारी जो लोग बनाते हैं वह देने के लिए तैयार हैं लेकिन उनको नहीं देकर मेवाड़ शुगर मिल को देंगे। आज आप

(श्री अमराराम)

आश्चर्य करेंगे कि वहां के हजारों किसानों का, जिन्होंने मेवाड़ शुगर मिल को गन्ना बेचा है, ढ़ाई करोड़ रुपया ढ़ाई महीने से बकाया है जिसे सरकार भी नहीं दिला सकी है। मैं समझता हूं कि यह सरकार की किसान विरोधी नीति का एक सबूत है। जो किसान अपनी बड़ी मेहनत से ...

श्री अध्यक्ष : आप नीतिगत भाषण दे रहे हैं या कोई बात कर रहे हैं ?

श्री अमराराम : यही बात कह रहा हूं। आप दिला दें, यह मंत्रीजी आश्वासन दे दें कि सात दिन में दिला देंगे तो मैं बैठ जाऊंगा। मुझे भाषण देने की कोई इच्छा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : विराजिये, आपकी बात हो गयी। श्री रामस्वरूपजी।

श्री अमराराम : यह सबसे बड़ा सबूत है। कितनी मेहनत से गन्ना पैदा किया जाता है, अगर वह खाण्डसारी और रस वालों को अपना गन्ना देता, तो बेचने से पहले उसको पैसा मिल सकता था, उससे डेढ़ा पैसा मिल सकता था लेकिन सरकार द्वारा केवल मात्र फैक्ट्री को मुनाफा देने के लिए उन पर पाबंदी लगायी गयी और सर्कुलर निकाला गया। उसके बाद भी आज भी ढ़ाई करोड़ रुपया किसानों का उनमें बकाया है। इसलिए मेरी सरकार से यह मांग है कि उनको तुरन्त यह ढ़ाई करोड़ रुपये दिलाये जायं। आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। श्री राम स्वरूप जी। शून्य काल में रोज ही आपका नम्बर आ रहा है। क्या बात है ?

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एस. एम. एस. अस्पताल के अन्दर बरती जा रही लापरवाहियों का निवेदन किया है और इस समय भी मैं बहुत ही गम्भीर मामले को सदन के सामने पेश कर रहा हूं। एस. एम. एस. अस्पताल में जो चुम्बकीय डाक्टर थे श्री सी. एम. पाटनी, जो कि हिन्दुस्तान के माने हुए डाक्टर थे, जिनको राष्ट्रपति पुरस्कार, राज्यपाल पुरस्कार, मुख्य मंत्रीजी के द्वारा, सब के द्वारा प्रशंसा की गयी थी, चुम्बक के द्वारा वह इलाज करते थे, एक दुर्घटना में वह घायल हुए और घायल होने के बाद एस. एम. एस. अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। अध्यक्ष महोदय, भर्ती होने के बाद डाक्टरों की लापरवाही के कारण उनकी साज-सम्भाल सही नहीं हो पायी जिसके कारण माननीय पाटनी साहब की वहां पर मौत हो गयी और उसके बाद उसकी रिपोर्ट दर्ज हुई। मंत्री महोदय ने पिछली बार यह आश्वासन दिया था कि मैं निश्चित रुप से इसकी जांच करवाऊंगा और जो दोषी पाये जायेंगे डाक्टर या जो भी अधिकारी, उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी लेकिन आज तक उनके खिलाफ

(श्री रामस्वरूप मीणा)

कोई कार्यवाही नहीं हुई। रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है।

माननीय गृह मंत्रीजी यहां बिराजमान हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि डाक्टरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो गयी है, आप किसी की परवाह न करें और यह देश के माने हुऐ डाक्टर पाटनी साहब, जिनकी मौत डाक्टरों की लापरवाही के कारण हुई है, इतने बड़े डाक्टर की मौत लापरवाही के कारण हो गयी तो साधारण आदमी के साथ क्या होगा ? आप निश्चित रूप से उस मुकदमे में कार्यवाही करवायें, मेरा यह विनम्र निवेदन है। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवण कुमार जी।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पंचायत राज मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारी पंचायत समिति सूरजगढ़ में बीस रुपये और दस रुपये चरित्र प्रमाण-पत्र के लिये जाते हैं जो राजस्थान में कहीं नहीं लिये जाते। वहां बीस रुपये तो चरित्र प्रमाण-पत्र के और दस रुपये एन. ओ. सी. के लिये जाते हैं, जो आज तक लिये जा रहे हैं और उनको रसीद दी जाती है। रसीद से गरीबों को क्या फायदा होगा ? आज चार लड़के उसके स्कूल में पढ़ते हों और चार चरित्र प्रमाण-पत्र बनवायें तो उसके चालीस रुपये लग जाते हैं, अगर वह गुम होंगे तो दुबारा चालीस रुपये देने पड़ेंगे। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रक्रिया को दूर किया जाय।

दूसरा, हमारी पंचायत समिति सूरजगढ़ में, पूर्व में भी मैंने आपको बताया था और अब भी बता रहा हूं कि वहां बी. डी. ओ. दस प्रतिशत पहले ही काट लेता है और वह कहता है कि दस प्रतिशत दोगे तभी आपको मस्टररोल इश्यू किया जायेगा। फिर कैशियर बोलता है कि गिन कर दूंगा तो एक प्रतिशत मैं भी लूंगा, एकाउण्टेंट बोलता है कि बिल मैं पास करूंगा, दो प्रतिशत मैं भी लूंगा। इस प्रकार पन्द्रह प्रतिशत तक पहुंच जाता है। श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह भ्रष्टाचार जो रोड पर आकर खड़ा हो गया है, क्या इसको दूर करेंगे या इसी तरह से ही सरकार चलती रहेगी ?

एक बात मैं आपसे और कहूंगा। एक एस. डी. आई. सूरजगढ़ पंचायत समिति में है, उसने भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ बातें उठायीं तो उसका इसी साल में तीन बार ट्रांसफर कर दिया गया और उसको यह कहा गया कि अगर आपने पंचायत समिति की किसी भी बात को लीक आउट किया तो आपको नहीं टिकने दिया जायेगा। एक बार उसको गोविंदगढ़ लगाया गया, एक बार नवलगढ़ लगाया, अब की बार उसको दुबारा लगा दिया

(श्री श्रवण कुमार)

गया। श्रीमन्, इस सरकार का यह है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कोई बोले, उसका मुंह बन्द करने के लिए ट्रांसफर कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। -

श्री श्रवण कुमार : बिराजूं कैसे? सरकार की वकालत तो करवाइये। यह हो क्या रहा है?

श्री अध्यक्ष : हां, बिराजिये अब। शून्य काल में इतना ही उठाया जाता है। माननीय सदस्य, बिराजिये अब।

श्री श्रवण कुमार : और इसी तरह एक बात और मैं आपको निवेदन करूंगा। गृह मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक बार पहले भी बताया था कि हरिजनों की जमीनों पर नाजायज अतिक्रमण हो रहे हैं और उसके बाद यह चिट्ठी भेज देते हैं और वह चिट्ठी गटर में डाल दी जाती है। मैं आपको एक जीता-जागता उदाहरण दूं। सूरजगढ़ के अन्दर ऐक हरिजन की जमीन पर एक बावरिये ने कब्जा कर रखा है और गृह मंत्रीजी के बाहर वह बुढ़िया तीन बार आकर इनके पैरों पर गिर कर रोती रही और आज तक इन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। क्या गरीबों के नाम पर चलने वाली सरकार, क्या गरीबों के नाम पर ठेका करने वाली सरकार आज गरीबों को राहत दे रही है?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री कन्हैया लालजी मीणा। 295।

श्री श्रवण कुमार : मैं बिराजूं कैसे, सरकार कुछ बोल नहीं रही है। गृह मंत्री जी से कुछ बुलवाओ तो सही। श्रीमन्, भ्रष्टाचार के बारे में और बताऊं आपको।

श्री अध्यक्ष : अब बाद में बताना, हो गया। बिराजिये।

श्री श्रवण कुमार : श्रीमन्, भ्रष्टाचार के बारे में और बताऊं। बी. एन. गुप्ता, पंचायत समिति सूरजगढ़ में चालीस हजार रुपये के गबन के मामले में मैंने शिकायत की, दो सौ बोरियों के गबन के मामले में शिकायत की और मंत्रीजी ने उनको सूरजगढ़ से हटाकर मलसीसर लगा दिया और फिर बाद में उसे क्या किया, आप देखिये, मैं जीता-जागता उदाहरण दे रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : श्रवणजी, अब बिराजिये आप।

श्री श्रवण कुमार : चालीस हजार रुपये की रिश्वत पर ठेका लेकर के....

श्री अध्यक्ष : अब अंकित नहीं होगा। बिराजिये।

श्री श्रवण कुमार : XXX

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : दो मिनट में ही अपनी बात कही जाती है, बिराजिये आप।

श्री श्रवण कुमार : XXX

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये अब।

श्री श्रवण कुमार : XXX

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, श्री कन्हैया लालजी।

श्री श्रवण कुमार : XXX

श्री अध्यक्ष : आप पुलिस की डिमाण्ड पर बोलियेगा, बिराजिये अब।

श्री कन्हैयालाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के जरिये माननीय मुख्य मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि पशु आहार....

श्री श्रवण कुमार : XXX

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये आप।

श्री भीमराज भाटी : भ्रष्टाचार के जब भी आरोप लगाये जाते हैं....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये ना, आपको क्या हो गया ?

श्री भीमराज भाटी : हो क्या गया, इतने बड़े भ्रष्टाचार का खुला काम कर रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : आपको बुलवाया इसलिए वापस बोल रहे हैं क्या, उसका उत्तर दे रहे हैं क्या आप ?

श्री भीमराज भाटी : नहीं, बुलवाया उसके लिए नहीं बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये फिर अब।

श्री श्रवण कुमार : XXX

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। कोई अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, बिराजिये श्रवण कुमारजी, बिराजिये।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी कुछ कहना चाहते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ कहना चाहते हैं क्या माननीय मंत्रीजी आप ?

श्री अध्यक्ष : कुछ नहीं कहना चाहते, आप बिराजिये माननीय सदस्य। क्यों समय जाया कर रहे हैं ?

श्री रामनारायण मीणा : इतना भ्रष्टाचार पैदा हो रहा है, अफसरों से दब रहे हैं आप, कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय, बिराजिये आप। श्री कन्हैया लालजी मीणा।

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। यह निवेदन मेरा इस बात का है कि आकरेंस, किसी विषय में वर्तमान में एकदम हुआ हो। अगर आप कृपा करके उसकी अनुमति देकर बुलायेंगे तो ठीक रहेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस प्रकार के इश्यूज अगर इस तरह से विधान सभा में आयेंगे और इसका नोटिस किसी भी मंत्री को पहले नहीं मिलेगा तो वह एक साइड बात होकर रह जायेगी और आप कहेंगे कि कुछ कहें, हम कहने की स्थिति में नहीं रहेंगे।

मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि माननीय नेता महोदय और प्रतिपक्ष के नेता महोदय उनके साथ एक बार विराजें और विराजने के बाद इस जीरो आॅवर में जो विषय लाये जाते हैं, उन विषयों को वे निर्धारित करें जिनका आकरेंस एकदम हुआ है, जिनके बारे में सदन में सूचना देना आवश्यक है और भी कुछ ऐसे विषय रह सकते हैं जिनको माननीय सदस्य कहना चाहते हैं। प्रक्रिया के नियमों में ऐसा प्रावधान है कि उन नियमों के आधार पर उस विषय को रखा जायेगा तो सरकार भी तैयार होकर ऐसी बातों का समुचित उत्तर विधान सभा के सत्र में दे सकेगी, उसी दिन दे सकेगी।

इसीलिए मैं फिर आपसे अपील करना चाहता हूं कि आज जैसे इस प्रकार के 20 प्रश्न आये जिनमें से कुछ ऐसे प्रश्न थे जो प्रजेंट आकरेंस के नहीं थे और जो सत्ता पक्ष है, मिनिस्टर्स हैं उनको इसकी कोई सूचना नहीं थी इसलिए उस पर हम रिएक्ट नहीं कर सकते थे। एकदम बात आकर खड़ी हो जाती है, उस पर कौन क्या कहे? इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस व्यवस्था पर पुनर्विचार करें। नेता महोदय प्रतिपक्ष के नेता महोदय को बिठा लें, बिठाकर एक कामन स्ट्रेटेजी तय करके व्यवस्थाएं विधिवत् आयें, हमको जानकारी मिले, हम उनका वक्तव्य दें, जवाब दें इसका हमको दृष्टिकोण मिले। ऐसा मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, इस पर आप विचार करें।

श्री अध्यक्ष : विराजें। श्री कन्हैयालालजी मीणा।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

पशु आहार व नमक के बारदाने पर कर मुक्ति

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के जरिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं। पशु आहार व नमक के बारदाने पर टैक्स कम करने के क्रम में निवेदन है कि राज्य सरकार ने दिनांक 22-4-1988 की अधिसूचना क्रमांक एक्ट नं. 9/1988 द्वारा बिक्री कर अधिनियम की धारा 5 के आखिरी प्रोविजो में यह संशोधन किया गया था कि :—

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

"That when any goods are sold packed in any material, the tax shall be leviable on the sale of such packing material, whether charged separately or not, at the same rate as is applicable to the sale of the goods themselves, and if the goods are exempted from tax under Section 4 or have already been subjected to tax under the Act, then at the rate notified for such packing material from time to time."

इस प्रावधान के आने के पश्चात् कर मुक्त माल के साथ में प्रयोग किये गये बारदाने पर भी पैंकिग मेटिरियल की दर से कर वसूल किये जाने लग गया, अर्थात् धारा 4 के अन्तर्गत "पशु आहार" कर मुक्त हैं एवं इसके साथ में प्रयोग किये जाने वाले बारदाने पर कर लगाना प्रारम्भ कर दिया, चाहे बारदाने की कीमत माल की कीमत के अतिरिक्त वसूल की गयी हो अन्यथा नहीं।

इस प्रावधान के आने के पश्चात् कर मुक्त माल में व्यवसाय करने वाले जैसे कपड़ा, शक्कर, नमक एवं पशु आहार वाले व्यवसाइयों को परेशानी होने लगी और इस परेशानी को दूर करने हेतु राज्य सरकार ने दिनांक 6-3-1991 को एक अधिसूचना क्रमांक एफ 4 (8) एफ.डी. (ग्रुप 4) 91/107 जारी कर "पैकिंग मेटिरियल सोल्ड अलांग विद शुगर एण्ड साल्ट" को धारा 4 (2) के अन्तर्गत कर मुक्त कर दिया। उक्त अधिसूचना के आने पर यह मालूम हुआ कि शुगर एवं साल्ट के साथ ही प्रयोग में आने वाला बारदाना कर मुक्त रहेगा। इस पर पशु आहार के साथ प्रयोग में आने वाला बरदाना उसी पूर्व की भांति कर योग्य रह गया, क्योंकि उपरोक्त अधिसूचना में केवल शुगर व साल्ट ही लिखा हुआ था। पशु आहार को भी उक्त अधिसूचना में सम्मिलित किये जाने हेतु राज्य सरकार को ज्ञापन दिया गया और ज्ञापन को उचित मानते हुए राज्य सरकार ने पुन: दिनांक 21-3-1991 की अधिसूचना क्रमांक एफ. 4 (8) एफ. डी. (ग्रुप 4)91/125 दिनांक 15-3-1991 प्रकाशित 21-3-1991 द्वारा "पैंकिग मटीरियल सोल्ड अलांग विद द केटलफीड" को भी धारा 4(2) के अन्तर्गत कर मुक्त कर दिया अर्थात् दिनांक 21-3-1991 के पश्चात् और अब तक एवं आगे भी बारदाना जो भी पशु आहार के साथ प्रयोग में लाया जा रहा है, कर मुक्त है एवं कोई कर का दायित्व नहीं है।

उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 22-4-1988 के अन्तर्गत जो कर मुक्त माल (पशु आहार) के साथ बारदाना प्रयोग में लाया गया वह दिनांक 22-4-1988 से 5-3-1991 तक की अवधि में कर योग्य रह गया और पुन: राज्य सरकार को ज्ञापन दिया गया। अभी दिनांक 27-3-95 की अधिसूचना क्रमांक एफ 4 (11) एफ. डी. (ग्रुप 4)94/81 जारी कर यह

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

स्पष्ट किया कि दिनांक 22-4-1988 से 5-3-1991 तक की अवधि में कर मुक्त माल, केवल शुगर के साथ में प्रयोग में लाया गया बारदाना कर मुक्त रहेगा। इसमें राज्य सरकार की मूल से शुगर के साथ साल्ट एवं केटलफीड नहीं जोड़ा गया जैसा कि पूर्व की अधिसूचना में जोड़ा जा चुका था।

अतः यह ज्ञापन देकर राज्य सरकार से निवेदन किये जाने योग्य है कि अधिसूचना दिनांक 27-3-1995 में उल्लेखित के अतिरिक्त पशु आहार एवं नमक को और अंकित करने का श्रम करें ताकि भविष्य में होने वाली असुविधाओं से बचा जा सके।

श्री अध्यक्ष : श्री फतेहसिंह जी।

उप-कारागृह, कुशलगढ़ के सब-जेलर व सन्तरी द्वारा बन्दी का उत्पीड़न

श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत उप कारागृह के जेलर चन्द्र प्रकाश व सन्तरी अर्जुन चौधरी द्वारा जेल में केला बन्दी के साथ मारपीट व हाथ तोड़ने के क्रम में मैं कुछ कहना चाहूंगा।

महोदय, बन्दी केला द्वारा जो फरियाद कुशलगढ़ के सब-जेलर चन्द्र प्रकाश शर्मा व अर्जुन चौधरी के विरुद्ध पेश की है वह जांच हेतु अदालत द्वारा पुलिस थाना कुशलगढ़ में भेजी गयी।

अध्यक्ष महोदय, फरियाद में यह शिकायत की गयी कि जेलर द्वारा रुपये 500 की मांग की गयी। पैसा नहीं देने पर उसके साथ इन दोनों व्यक्तियों द्वारा मारपीट की व उसका हाथ तोड़ दिया गया।

इस शिकायत की जांच थानाधिकारी द्वारा ए. एस. आई., पृथ्वीसिंह से करवायी गयी। मुकदमा 325, 384, 331, 9 पी. एस. का बनता है। इसमें 7 साल से अधिक की सजा का प्रावधान है।

अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(27)(5)(7) के तहत यह अपराध बनता है तथा इस धारा में पुलिस द्वारा मुकदमा नहीं बनाकर पुलिस द्वारा जेलर से मिलकर उसे बचाने की नीयत से धारा 323, 325, 330 का मुकदमा दर्ज कर मुलजिम को अपराध में पेश करवाया गया तथा उसकी जमानत करवा ली।

अध्यक्ष महोदय, इसकी जांच अन्य अधिकारी से करवायी जाय तथा थानाधिकारी डीवाई.एस. पी. व जांच अधिकारी के विरुद्ध इस अधिनियम में मुकदमा बनाया जाय तथा इसकी जांच इन अधिकारियों को कुशलगढ़ से हटाकर की जाय।

अध्यक्ष महोदय, कुशलगढ़ में सब-जेलर

(श्री फतेहसिंह)

चन्द्र प्रकाश शर्मा जेल से बन्दी केला को जेल से भगाने के आरोप में उसी जेल में बन्दी है। जेलर चन्द्र प्रकाश जो गिरफ्तार है, कुशलगढ़ जेल से दूसरी जेल में हटा देने हेतु भी निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त शिकायत पर उचित कार्यवाही करने का श्रम करावें।

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर जी भगोरा।

कोटड़ा तहसील, उदयपुर में बिजली का विस्तार एवं आपूर्ति

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत ऊर्जा मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं कि उदयपुर जिले की कोटड़ा तहसील दूरदराज की तहसील है जिसका मुख्यालय भी जिला मुख्यालय से 125 किलोमीटर दूर है एवं इसका क्षेत्र तो इससे भी आगे 50-50 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस तहसील में कुल 304 गांव आबाद हैं जिसमें से मात्र 45 गांवों में विद्युत आपूर्ति हो रही है। 45 गांवों में से बिजली के तार "तार चोर" चुरा कर ले गये हैं। किसी जिम्मेदार अधिकारी के तहसील मुख्यालय पर नहीं होने से इस पर सही कार्यवाही नहीं हो पायी है।

तहसील मुख्यालय पर विभाग के एक कनिष्ठ अभियन्ता का पद सृजित होना विभाग बता रहा है परन्तु यह पद जबसे सृजित हुआ है, मेरे हिसाब से तो कभी भरा ही नहीं गया। इस तहसील में बिजली की आपूर्ति स्वरूपगंज (सिरोही) से होती है एवं प्रशासनिक नियंत्रण गोगुन्दा एवं उदयपुर से होता है परन्तु विभाग का पूरा कार्य हैल्परों एवं सी. सी. ए. के भरोसे छोड़ रखा है।

कोटड़ा तहसील के 45 गांवों के अलावा शेष गांवों में बिजली विस्तार के लिए 11/33 के. वी. का ग्रिड सब-स्टेशन 1991 से स्वीकृत होने के बावजूद भी आज तक स्थापित नहीं हो पाया है। विभाग ने वन विभाग द्वारा खड़ी की गयी आपत्ति के समाधान हेतु कोई ठोस कार्यवाही नहीं की है जिससे आजादी के 48 वर्षों के बाद भी कोटड़ा तहसील के लोग अंधेरे में बैठे हैं एवं स्वीकृत ग्रिड सब-स्टेशन स्थापित नहीं हो पा रहा है।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के बिन्दु पर इस विशेष उल्लेख के जरिये माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि गोगुन्दा (कोटड़ा) में स्वीकृत ग्रिड सब-स्टेशन को शीघ्र स्थापित कराने की कार्यवाही करावें।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री ओमप्रकाश जी शर्मा।

बूंदी जिले में कृषि महाविद्यालय

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बूंदी जिला कृषि की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यहां की कृषि भूमि लगभग 60-65 प्रतिशत सिंचित है। यहां का चावल विश्व में बिकने जाता है जिससे विदेशी मुद्रा हमारे देश को मिलती है। गन्ना काफी मात्रा में बिकता है। राजस्थान में केवल बूंदी ही ऐसा जिला है जहां प्राइवेट गन्ना फैक्ट्रियां हैं। केशोरायपाटन में शूगर मिल है। सोयाबीन के प्लांट लगे हुए हैं। यह सब कृषि की देन है। दलहन एवं तिलहन की दृष्टि से अति-महत्वपूर्ण है।

कांग्रेस के शासनकाल में यहां कृषि विषय को महत्व नहीं दिया गया। बूंदी की जनता, खास तौर से ग्रामीण जनता चाहती है कि कृषि विषय जिले के सभी हायर सैकण्डरी स्कूलों में खोला जाय। बूंदी जिले का विद्यार्थी कृषि विषय न होने के कारण जिले के बाहर पढ़ने जाता है। इससे शिक्षा बड़ी मंहगी हो जाती है। एक तरफ हम रोजगारोन्मुख शिक्षा की बात करते हैं दूसरी तरफ विषय ही नहीं खोलना चाहते हैं। दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बूंदी जिले की जनता की भावना को आप अवश्य महत्व देते हुए विद्यार्थियों की पढ़ाई की समस्या का समाधान इसी सत्र में अवश्य करें।

बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारां के विद्यार्थियों को हायर सैकण्डरी में पढ़ने के बाद आगे पढ़ने के लिए महाविद्यालय नहीं हैं। बूंदी जिले में पोलोटेक्निक महाविद्यालय या अन्य टेक्निकल महाविद्यालय नहीं हैं। अतः सरकार से मेरी प्रार्थना है कि बूंदी में कृषि महाविद्यालय खोलने की कृपा करें। भूमि भी है। कृषि की दृष्टि से बूंदी जिला महत्व रखता है। इस तरह कृषि के महत्व और जनभावना को मद्देनजर रख कर कृषि महाविद्यालय बूंदी में खोलने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। श्री सुरेन्द्रजी गोयल। (अनुपस्थित)। श्री किशनाराम जी।

कुरेडी, जिला सवाई-माधोपुर में कथित बलात्कार के मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उपेक्षा

श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान मुकदमा नम्बर 58/94 थाना बहरोवडा कलां जिला सवाई माधोपुर दफा 376 के तहत मुल्जिमान को 90 दिन में चालान पेश न करने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

श्रीमान्, ग्राम कुरेडी जिला सवाई माधोपुर निवासी श्री रामप्रसाद जो कि एक

(श्री किशनाराम नाई)

गरीब काश्तकार है, की पुत्रवधु श्रीमती कमलेश के साथ नन्दकिशोर जाट, निवासी कुरेडी ने सरेग्राम बलात्कार किया। इसका मुकदमा नम्बर 58/94, थाना बहरोबडा कलां में पंजीकृत होकर तफतीश हुआ। मुल्जिमान नन्दकिशोर की अग्रिम जमानत जिला व सत्र न्यायालय तथा उच्च न्यायालय से खारिज हो गयी। 90 के दिनों के बीत जाने के बाद भी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री बाबूलाल जैन, जिनके अधीन मामला चल रहा है, कि मुल्जिमान से मिलीभगत के कारण मुल्जिमान का चालान पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित होता है कि वहां के पुलिस विभाग में कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है और गरीबों के प्रति कितना अन्याय है।

श्रीमान्, रामप्रसाद के परिवार वालों को डराकर धमकाकर उन्हें गांव छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मेरी स्वयं की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री जैन से वार्ता हुई जिसमें उन्होंने निष्पक्ष जांच का मुझे आश्वासन दिया। फिर भी मुल्जिमान को बचाने के भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं।

अतः निवेदन है कि बलात्कार जैसे संगीन मामलों के दोषी व्यक्ति को बचाया नहीं जावे तथा उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जावे। रामप्रसाद के परिवार की जानमाल की सुरक्षा का बंदोबस्त किया जावे तथा भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो, ऐसी व्यवस्था की जावे। श्री जैन के काले कारनामों की जांच की जावे तथा उनका वहां से ट्रांसफर करके जांच करायी जावे।

अध्यक्ष महोदय, श्री बाबूलाल एडिशनल एस. पी. हमारे चूरू में काफी रहे हैं। बड़े चतुर, + + + और + + + हैं। इस तरीके के···

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, 295 में जो है वही पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

श्री किशनाराम नाई : 376 के मामले में चालान नहीं होना। एक साधारण आदमी जानता है, पुलिस अधिकारी तो जानते ही हैं कि 98 दिन पूरे हो जाने के बाद मुलजिम की जमानत हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष : बिराजिए।

श्री किशनाराम नाई : यह औरत मेरी स्वजाति की है। इसके साथ अन्याय हुआ है, इसके परिवार के साथ आज भी अन्याय हो रहा है। इसलिये मैं चाहता हूं कि···

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, 295 में तो मान लिया जाता है केवल।

श्री किशनाराम नाई : 295 के तहत जब हम बोलते हैं, कोई भी मंत्री यहां नहीं

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री किशनाराम नाई)

रहते। बड़े अफसोस की बात है। इस बारे में व्यवस्था की जाए।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। बिराजिये आप। श्री सुरेन्द्रजी गोयल। (अनुपस्थित)। श्री राकेश जी. मेघवाल। (अनुपस्थित)। श्रीमती तारा भण्डारी।

(13.00)

सिरोही जिले के शिवगंज नगर में कुकिंग गैस एजेन्सी का अभाव

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के शिवगंज नगर में लगभग 30 हजार की आबादी है। शिवगंज नगर की कपड़े की एक बहुत बड़ी मंडी है जहां राजस्थान भर के लोग खरीददारी के लिए आते हैं। इसके अलावा किराना, दवाई आदि का भी थोक व्यापार है। शिवगंज में एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र भी है। इन सब कारणों से, अध्यक्ष महोदय, शिवगंज के आसपास एवं बाहर से भी भारी संख्या में लोग इस नगर में व्यापारिक लेन-देन हेतु आना-जाना करते हैं।

साथ ही तहसील मुख्यालय, पंचायत मुख्यालय तथा सभी तरह के सहायक अभियन्ता मुख्यालय होने के कारण लोग अपने दैनिक कार्यों के सम्पादन हेतु भी शिवगंज में आते हैं।

उपरोक्त सभी सुविधाओं की वजह से शिवगंज में प्रतिदिन बड़ी भारी संख्या में बाहरी व्यक्ति आवागमन करते रहते हैं परन्तु शिवगंज नगर में कुकिंग गैस की एजेंसी नहीं होने से वहां के आम नागरिकों तथा ढाबें-केबिन वालों, सभी को ईंधन की बड़ी भारी परेशानी होती है। ईंधन की दृष्टि से, अध्यक्ष महोदय, शिवगंज में लकड़ी या कोयला की दुकानें भी नहीं हैं। केरोसिन भी पर्याप्त नहीं मिलता।

ऐसी परिस्थितियों में, अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मान्यवर खाद्य मंत्रीजी से अनुरोध है कि शिवगंज में कुकिंग गैस हेतु वितरक नियुक्त करने के लिये वे राज्य सरकार की ओर से प्रयास करके शिवगंज में कुकिंग गैस एजेंसी खुलवाने की व्यवस्था कराये।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती मनोरमा सिंहजी। श्रीमती मनोरमा सिंहजी। (अनुपस्थित)। श्री रामपालजी उपाध्याय। (अनुपस्थित)। श्री रामनारायणजी मीणा।

श्री रामनारायण (नैनवां) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्री से बार-बार....

श्री अध्यक्ष : माननीय, आप तो पढ़ें।

नगरपालिका नैनवां द्वारा आवासीय एवं व्यावसायिक भूखण्डों का अनियमित आवंटन

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अर्न्तगत निवेदन है कि नगरपालिका नैनवां द्वारा दिनांक 29-8-1990 के बाद आवासीय एवं व्यावसायिक भूखण्ड (प्लाट) विभिन्न व्यक्तियों को विभिन्न तरीके से नियमन, बेचान, अतिक्रमण, फर्जी पट्टे, नीलामी, हक-आसामियान, भू-आवंटन आदि के जरिये चालू बाजार दर से बहुत ही कम दर पर देकर नगरपालिका को करीब 50 लाख रुपये का सीधा नुकसान पहुंचाया है। यदि दिनांक 29-8-1990 से अब तक के प्रत्येक मामले की प्रचलित बाजार दर एवं नगरपालिका को प्राप्त राशि की तुलनात्मक जांच के लिये सक्षम अधिकारियों को नियुक्त किया जाकर पूरी जांच करवायी जाए तथा प्रत्येक प्लाट एवं भूखण्ड के पट्टे, बेचान आदि निरस्त किए जाकर खुली बोली के जरिये इन प्लाटों को दुबारा नीलाम किया जाए तो दस गुनी राशि प्राप्त हो सकेगी। नगरपालिका बोर्ड के सदस्यों के परिवार एवं नजदीकी रिश्तेदारों को दिये गये प्लाटों की खुली जांच की जाकर उन पर से इन व्यक्तियों को बेदखल करके जिला कलक्टर के प्रतिनिधि की उपस्थिति में खुली बोली से बेचान करने पर कितना ही ज्यादा राशि प्राप्त होगी।

(13:04)

(श्री समर्थलाल मीणा, सभापति पदासीन)

विभिन्न व्यक्तियों के भूखण्डों को बहुमूल्य जमीन वाले स्थानों पर दोषपूर्ण तरीके से परिवर्तित करने वाले दोषियों के खिलाफ पुलिस में मुकदमे दर्ज करवाये जाए, नगरपालिका नैनवां को आर्थिक क्षति पहुंचाने के दोषियों का उत्तरदायित्व निश्चित किया जाकर उनसे राशि वसूल की जाए तथा अपराधिक प्रकरण भी दर्ज करवाये जाएं। इस प्रकार के भूखण्डों की अलग से सूची जारी की जाए। व्यवसायिक प्रयोजन में आने वाले अनेक भूखण्डों को आवासीय प्रयोजन के बताकर सस्ती दर पर बेचान, नियमन या आवंटन करके नगरपालिका को पहुंचाए गये नुकसान का आंकलन करके दोषी व्यक्ति से राशि भरपाई करवायी जाने के लिये उचित कदम उठाये जाएं।

इसी प्रकार से गरीब एवं निर्धन लोगों के लिए बनायी गयी प्रताप नगर आवासीय कॉलोनी में उद्देश्य से हटकर फर्जी तरीके से लाभ पहुंचाने के लिये विभिन्न व्यक्तियों को दिये गये प्लाटों को निरस्त करके खुली नीलामी से बेचा जाए ताकि सही कीमत नगरपालिका को मिल सके। साथ ही किये गये गलत कार्य के लिये दोषी अध्यक्ष के खिलाफ फौजदारी कार्यवाही दर्ज करवायी जाए। इस कालोनी के प्लाट के नम्बर बिना

(श्री रामनारायण मीणा)

राज्य सरकार की स्वीकृति के बदलकर के आपराधिक कार्य किया है। नवलसागर तालाब की वर्ष 1991 से अब तक की अवधि के विभिन्न वर्षों में खुली नीलामी के जरिये बोली नहीं लगाने तथा नगरपालिका को नुकसान पहुंचाने वाले के विरुद्ध कार्यवाही की जाए तथा नगरपालिका एवं सरकार को हुए नुकसान का आकलन किया जाकर नुकसान की पूर्ति की जाए। इसका पूर्ण विवरण मुझे भी प्रेषित किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, मेरा जहां तक ध्यान है, माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी, वाइस चेयरमैन आपके क्या-क्या कर रहे हैं? शराब की बोतल लेते हैं, हरिजनों की औरतों को बुलाते हैं और इतना भ्रष्टाचार, निकम्मा काम कर रहे हैं, आपने जांच तो करा ली, आपने पढ़ ली होगी। उसको क्यों नहीं सस्पेंड कर रहे हैं? मंत्रीजी, मैं ट्रेक्टर नहीं मांग रहा हूं। आप चुप रहिये। (व्यवधान).... मेरे को ट्रेक्टर नहीं चाहिये। माननीय मंत्रीजी, आप बताइये कि उस वाइस-चेयरमैन को क्यों कर बैठाया है? इतना भ्रष्टाचार मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। मैं आपको सही कहता हूं। मैं आपको कितनी दफा निवेदन कर चुका। वे इतनी राशि कमा रहा है, यहां तो भेज नहीं रहा है। आपको तो उससे कोई लेना-देना नहीं है। उसको क्यों नहीं निलम्बित करते हैं? वाइस-चेयरमैन जो रोजाना दारू पीता है, हरिजन औरतों को बुलाता है, इससे ज्यादा। मैं ओपन कह रहा हूं। आप जांच करवा लीजिये। नैनवां में जाकर जांच कर लीजिये। इतना भ्रष्टाचार, दस-दस हजार रुपये लेकर डेली मजदूरी पर रख कर, तुम्हें परमानेंट कर देंगे, क्या नहीं हो रहा है? माननीय मंत्रीजी आप बताइये सदन में।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : सब जगह हो रहा है, यह अलग बात है, उनका विषय है।

माननीय सभापति महोदय, इस व्यक्ति के बारे में माननीय सदस्य बोल रहे हैं, कई मामले जांच के उसके विचाराधीन हैं और मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी ही इसमें कोई न कोई एक्शन होगा....

श्री रामनारायण मीणा : माननीय, आज ही कर दीजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं-नहीं, फाइल देख कर बता सकता हूं।

श्री रामनारायण मीणा : पता कर दीजिये, नैनवां की जनता के लिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : आज अगर करवानी है तो आप मेरे पास चैम्बर में आ जाएं।

श्री रामनारायण मीणा : अभी चलिये, अवश्य चलते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : देखने तो दीजिये कि उसकी कानूनी स्थिति क्या है। मैं यह नहीं चाहता हूं, आप भी नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसा एक्शन हो जल्दबाजी में कि जिसके बाद वह कोई कोर्ट में जाकर स्टे करा दे।

श्री रामनारायण मीणा : दौराने-जांच....

श्री भंवरलाल शर्मा : एक सैकण्ड, आप सुन तो लीजिये। दौरानेजांच के अधिकार मालूम है मुझे, पर कोई ऐसी कानूनी खामी नहीं रह जाए जिससे आप भी चाहते हो और मैं भी चाहता हूं वह पूरी नहीं हो। बैठ कर बात कर लेंगे। आप भी एडवोकेट हैं, आ जाइये।

श्री सभापति : श्री हरिसिंहजी (कुम्हेर)।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के भरतपुर स्थित डिपोज में अनियमितताए

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय सभापति महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मेरा निवेदन हैं कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के भरतपुर स्थित दोनों डिपोज द्वारा बसों के संचालन में जो अनियमितता, धांधलीबाजी तथा लापरवाही हो रही है, उससे स्थानीय जनता को बेहद परेशानी हो रही है और आक्रोश व्याप्त है। भरतपुर डिपो के प्रबन्धकों ने प्राइवेट बस चालकों से मिलकर रोडवेज की जो बस भरतपुर से जयपुर को प्रातःकाल चलती हैं, उन्हें बन्द कर दिया है। सुबह 5.30 बजे से 7.30 बजे तक कोई रोडवेज की बस भरतपुर से जयपुर रवाना इसलिये नहीं की जा रही है कि सवारियां प्राइवेट बसों से यात्रा करें। बस स्टेंड पर यह कह दिया जाता है कि रोडवेज की कोई बस नहीं है, यानी प्राइवेट बसों से यात्रा करें। यह इस बात का सबूत है कि स्थानीय मुख्य प्रबन्धक बसों से अपना निजी स्वार्थ पूरा कर रहे हैं और आर्थिक लाभ ले रहे हैं। रोडवेज को हानि पहुंचा रहे हैं। इसके अतिरिक्त उन मार्गों पर वाहन चलाये जा रहे हैं जहां अधिकृत रूप से चलाये नहीं जा सकते हैं और राजस्थान से बाहर के मार्गों पर अधिक चलाये जा रहे हैं। जिले के मार्गों पर वाहन मंत्रीजी के आदेश के बावजूद भी नहीं चलाये जाते हैं। मैंने स्वयं ने मंत्रीजी के आदेश मुख्य प्रबन्धक को भिजवाये हैं मगर उनकी अवहेलना की जाती रही है। भरतपुर स्थित डिपो में भ्रष्टाचार व अनियमितताओं का तांडव नृत्य हो रहा है। बसों की दशा खराब हो रही है। यात्रियों को कोई सुविधा नहीं है, गन्दगी से यात्री परेशान हैं।

भरतपुर से जयपुर प्रातःकाल प्रत्येक 15 से 30 मिनट पर रोडवेज की बस चलती थी, अब सुबह दो घंटे तक बस नहीं मिलती है। यह सब प्राइवेट बस-चालकों से साठ-गांठ के कारण है। निगम की ओर से अविलम्ब जांच व कार्यवाही वांछित है। धन्यवाद।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री समापति : प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत श्री कालीचरण सराफ एवं श्री रामेश्वर भारद्वाज, सदस्य, विधान सभा एम. आई रोड़, जयपुर स्थित वाणिज्यिक महत्व की भूमि पर राजस्थान चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा अवैध कब्जा करने से राज्य सरकार को हो रही आर्थिक हानि के सम्बन्ध में नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

एम. आई. रोड, जयपुर स्थित भूमि पर राजस्थान चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा अवैध कब्जे से राज्य को आर्थिक हानि

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : माननीय समापति महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य सचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत ऐम. आई. रोड, जयपुर स्थित वाणिज्यिक महत्व की भूमि पर राजस्थान चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री द्वारा अवैध कब्जा करने से राज्य सरकार को हो रही आर्थिक हानि के सम्बन्ध में नगरीय विकास एवं आवासन मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री भवर लाल शर्मा (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) : माननीय समापति महोदय, सर्वप्रथम तो मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूं कि आपने एक ऐसा विषय उठाया है जो काफी बड़ा जनहितकारी है। इसके तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहूंगा।

जयपुर में एम. आई. रोड पर तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा 1.87 एकड़ भूमि राजस्थान चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री को 99 वर्ष की लीज पर कुछ शर्तों के साथ 3-10-1962 को आबंटित की गयी थी। इस क्रम में एक लीज एग्रीमेंट दिनांक 14-9-1966 व संशोधित एग्रीमेंट 19-3-1968 को हस्ताक्षरित किया गया। एग्रीमेंट में अन्य शर्तों के साथ यह शर्त भी थी कि आबंटित भूमि पर 2 वर्ष के अन्दर भवन निर्माण किया जाएगा तथा इस शर्त का पालन नहीं होने की स्थिति में लीज समाप्त होकर आबंटित भूमि राज्य सरकार में पुनः निहित हो जाएगी।

इस अवसर पर इसी मुकाम पर मैं यह भी चाहूंगा कि जो अन्य शर्तें थीं, क्योंकि आपने जो ध्यान आकर्षण लगाया है वह कुछ ही शर्तों का लगाया है, मैं चाहूंगा कि जो सारी शर्तें तय हुई थीं वह भी बड़ी महत्वपूर्ण हैं, उनको भी मैं पढ़ना चाहूंगा, यद्यपि समय थोड़ा अधिक लगेगा।

"The lessor has demised the land situated on Mirza Ismail Road between Man Prakash Talkies and Chand Shilp Shala admeasuring North to South (i)

(श्री भंवरलाल शर्मा)

Towards Chand Shilp Shala 234 ft. (ii) Towards Man Prakash Talkies 236'-9" East to West (i) alongwith City Wall 347'-9" (ii) along M. I. Road 346'-0" having a total area of 1.87 acres and bounded as under :—

North : City Wall

South : M. I Road

East : Chand Shilp Shala

West : Man Prakash Talkies.

(2) The lease shall be deemed to have come into force with effect from the Fourteenth day of September One Thousand Nine Hundred Sixty Six and shall extend to a term of Ninety Nine years during which period the lessee shall pay to the lessor an annual rent of rupee one in advance on or before the first day of April every year at the Office of the Improvement Trust, Jaipur, or at such other office which may be authorised by the Lessor from time to time for the purpose. The first of such payments for the period from the 14th September, 1966 to the 1st April, 1967 shall be made on the date of execution of these presents.

(3) The lessor excepts and reserves unto himself all the mines and minerals etc., in or under the aforesaid land and full rights and powers at all times to do all acts, things which may be necessary or expedient for the purposes of searching for working, obtaining, removing and enjoying the same without providing or leaving any vertical support for the surface of the said land or for any building for the time being standing there on.

(4) The lessee shall within the period of two years from the Fourteenth day of September One thousand Nine Hundred and Sixty Six complete the construction of the building as per plan approved by the Government. If the building is not completed within the said period or such period of extension as may be granted by the Lessor by special order, the lease shall cease and

(श्री भंवरलाल शर्मा)

the land shall revert to the lessor free of all encumbrances.

(5) The lessee shall use the land for the construction of the buildings for the office of the Chamber of Commerce and Industry, Industrial Museum, Assembly Hall and other connected buildings. These buildings shall be used for all normal and usual purposes of the Chamber. The lessee shall also be entitled to rent out some portions of the buildings to public utility bodies such as a branch of a Nationalised Bank, Rajasthan Financial Corporation, proposed State Industrial Development Corporation, Rajasthan Small Industries Corporation L td., Trade Associations of all Rajasthan character and other like institutions. The lessee shall be entitled to levy admission charges for Industrial Museum and fee for the use of various halls and conference rooms, and recover these charges from all persons and bodies which use the building.

(6) In consideration of the lessor permitting the user of a portion of the buildings for providing accommodation to public utility organisations on rent in the manner stated in the preceding para and in lieu of any share to which the State Government may be deemed to be entitled out of the net income, if any, from rent, in consideration of the land having been leased at a nominal rate the lessee shall allow the following facilities to the lessor :

(a) The lessee shall earmark and provide free of charge 300 sq. ft. of clear space in the Industrial Museum of the lessee on the lease-hold premises for the display of the exhibits of the Government of Rajasthan or of their nominee. The hall shall also be available for educational and cultural purposes.

(b) The lessee shall permit the use of the Assembly Hall of the building to

(श्री भंवरलाल शर्मा)

the Government of Rajasthan for fifteen days in the year, free of charge.

(c) The lessee shall exhibit in the Industrial Museum articles desired to be exhibited by the Industries Department of Government.

(d) The lessee shall provide free of charge 400 sq. ft. clear space out of the covered area in the building to the Director of Tourism for official use.

श्री हरजीराम बुरडक : आप जो है बता दो न, क्या पढ़ रहे हो आप ?

श्री किशन मोटवानी : जो टाइप कर रखा है वह बता दो।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह कर रखा है....(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : पढ़िये आप इसको, बड़ा इम्पार्टेंट मामला है। पढ़िये। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : पढ़िये आप।....(व्यवधान)....

श्री कालीचरण सराफ : पढ़ने दो, ऐसा नहीं है।....(व्यवधान)....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अब देना है ध्यान आपको भी, आप हमारे समर्थन में आएंगे।

श्री रतनलाल ताम्बी : इसके पीछे राज क्या है, यह बता दो न।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : राज तो अभी देखो।....(व्यवधान)....

श्री भंवरलाल शर्मा : राज तो यह पूछने वाले बताएंगे राज क्या है ? जो राज की क्या खबर है वह तो मैं पढ़ रहा हूं, राज क्या है वह यह बताएंगे।....(व्यवधान)....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, राज बता देंगे, आप पढ़िये तो सही।

श्री कालीचरण सराफ : आप पढ़िये। (व्यवधान)....

श्री भंवरलाल शर्मा : 'That the lessee further undertakes not to use the land and building for any other purposes than the purposes mentioned herein, and if the lessee shall use the land for any other purposes without

(श्री भंवरलाल शर्मा)

the prior permission of the Government, it will be in the discretion of the Government to determine the lease, if established, as the lessee has wilfully contravened the provisions of the lease.

Any breach by the lessee or by any person claiming through or under him of any of the covenants or conditions contained herein or on his part to be observed or performed then and in any such case, it shall be lawful for the lessor to re-enter upon and take possession of the plot and the building and fixtures thereon and thereupon this lease shall cease and determine and the lessee shall not be entitled to any compensation whatsoever."

अब काफी और लम्बी शर्तें हैं लेकिन रिलेवेंट जो हैं वह मैंने आपके सामने निवेदन किया ।

"आबंटी द्वारा निर्धारित अवधि तथा तत्पश्चात् बढ़ी हुई अवधि में निर्माण नहीं किए जाने के कारण राज्य सरकार ने अपने आदेश दिनांक 13-3-1795 द्वारा लीज-डीड की शर्त संख्या 4 का उल्लंघन मानते हुए उपयोग में नहीं ली हुई भूमि को अधिग्रहित करने के आदेश दिये जिसकी पालना में नगर सुधार न्यास, जयपुर ने आदेश दिनांक 12-6-1975 के द्वारा राजस्थान चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज को आवंटित भूमि में से रिक्त पड़ी भूमि जिसका क्षेत्रफल 6083 5 वर्ग गज पुनर्ग्रहण करने के आदेश जारी किये । इस आदेश के विरुद्ध आबंटी द्वारा राज्य सरकार में पुनर्ग्रहण की कार्यवाही नहीं करने हेतु निवेदन किया गया जिस पर सुनवाई कर राज्य सरकार ने जारी किये गये आदेश को उचित माना तथा अधिग्रहण आदेशों पर लगायी गयी अन्तरिम रोक दिनांक 17-6-1976 को वापस हटा दिया ।

तत्पश्चात् आबंटी द्वारा न्यायालय ए. डी जे. संख्या-7, जयपुर शहर में मुकदमा संख्या 77/82 राज्य सरकार व प्राधिकरण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया तथा दिनांक 1-10-1982 को विवादग्रस्त सम्पत्ति के उपयोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा आवंटी के पक्ष में जारी की गयी ।

इसके विरुद्ध जयपुर विकास प्राधिकरण ने माननीय उच्च न्यायालय में अपील संख्या 121/83 दायर की गयी जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 9-7-1984 को दोनों पक्षकारों पर रिक्त

(श्री भंवरलाल शर्मा)

भूमि के सम्बन्ध में यथा-स्थिति बनाये रखने के आदेश दिये तथा यह भी निर्देश दिये कि इस पर मुकदमे की सुनवाई के दौरान कोई निर्माण न किया जावे तथा ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी अन्तरिम निषेधाज्ञा के क्रम में चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज द्वारा लगायी गयी अवमानना याचिका वापस लेने का निर्देश दिया।

वर्तमान में यह मुकदमा ए. डी. जे. द्वितीय, जयपुर के न्यायालय में स्थानांतरित हो गया है तथा वादी की सहादत के वास्ते चल रही है। आगामी सुनवाई हेतु दिनांक 6-5-1995 निश्चित है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 9-7-1984....

श्री परसादीलाल मीणा : यह सब-जुडिस मैटर है, फिर क्यों पढ़ रहे हैं आप ?

श्री भंवरलाल शर्मा : हां है। फैक्ट्स बता रहा हूं। मैं तो फैक्ट्स बता रहा हूं खाली।

श्री रतनलाल ताम्बी : चर्चा ही नहीं होनी चाहिये इसकी। सब-जुडिस मैटर की चर्चा ही नहीं हो सकती। कालीचरण जी आपको वैसे ही कष्ट दे रहे हैं (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : चलो रहने देता हूं मैं। चलो रहने दीजिये, कोई बात नहीं है (व्यवधान) अगली तिथि 6-5-1995 न्यायालय में निश्चित है। उस समय कोई कार्यवाही होगी तो देखेंगे।

श्री सभापति : कृपया सुनें, व्यवधान नहीं करें।

श्री कालीचरण सराफ : सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो जवाब दिया उससे मंत्रीजी को भी यह लग गया होगा कि यह कितना बड़ा घोटाला है। एम. आई. रोड पर कम से कम एक अरब की यह जमीन केवल इसलिये सरकार के कब्जे में नहीं आई कि हाई कोर्ट ने 1984 में इस पर स्टे दे दिया। 1975 में सरकार ने इसको पुनर्ग्रहण करने के आदेश दिये और जे. डी. ए. के तत्कालीन अधिकारियों ने 1984 तक उस पर कब्जा नहीं किया, 9 साल तक कब्जा नहीं किया और 1984 में हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया और आज 1994 हो गया। 10 साल तक जे डी.ए. के अधिकारियों ने और जे डी. ए. के जो भी वकील हैं, उन्होंने यह आवश्यक नहीं समझा कि इस स्टे को किस प्रकार से वेकेट करवाया जाय। इतना ही नहीं, माननीय सभापति महोदय, अभी जिस कोर्ट में यह केस चल रहा है उसमें 02 अप्रेल, 1994 को तारीख पेशी पड़ी, 30 अप्रेल, 1994 को तारीख पेशी पड़ी और 07 जुलाई, 1994 को तारीख पेशी पड़ी। इन तीनों पेशियों पर जयपुर विकास प्राधिकरण का कोई अधिकारी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ और कोई वकील जे. डी. ए. की तरफ से वहां पर उपस्थित

(श्री कालीचरण सराफ)

नहीं हुआ । माननीय मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि अब आपने जैसा बताया कि 06 मई, 1995 को उसकी तारीख पडी है तो क्या गारण्टी है कि अब जे डी. ए. के अधिकारी या वकील कोर्ट में उपस्थित होंगे ? माननीय सभापति महोदय, इतनी बेश कीमती जमीन, हर शर्त का इसमें उल्लंघन और उसके बाद भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं। करोड़ों-अरबों की जमीन यदि इस प्रकार से खुर्द-बुर्द कर दी जाएगी तो कितनी राजस्व की हानि राज्य सरकार को होगी, यह आप स्वयं समझ सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, लीज डीड में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है और जैसा मंत्रीजी ने भी माना है कि इसका अधिकतम दो वर्ष की अवधि में भवन का पूरा निर्माण कर दिया जाए। परन्तु आज यदि हम वहां जाकर देखें तो एक चौथाई भवन का निर्माण भी पूरा नहीं हुआ है उसके बाद लीज डीड में, जैसा मंत्रीजी ने पढ़ा है, स्पष्ट रूप से उसमें लिखा गया है कि उसका उपयोग नेशनलाइज बैंक या राजस्थान का जो इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट है, उनको या टूरिज्म डिपार्टमेंट को वह जमीन देंगे, परन्तु वहां पर केवल शादियों के तम्बू तानकर किस प्रकार से आय का दुरूपयोग किया जा रहा है, यह मैं माननीय मंत्रीजी के ध्यान में लाना चाहूंगा। आज भी वहां पर आप यदि जाकर देखें, आज शाम को भी शादी की वहां एक पार्टी होगी, कितना पैसा उसके लिये लिया जाता है, इसकी कोई इन्क्वायरी नहीं।

माननीय सभापति महोदय, भूमि पर प्रस्तावित भवन निर्मित होने तक की अवधि में एक समिति का गठन राजस्थान इकानामिक डिपार्टमेंट कौंसिल के नाम से अनिवार्य तय किया जाए, यह लीज डीड में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है और भवन से होने वाली शुद्ध आय के उपयोग का सम्पूर्ण अधिकार इस समिति को होगा, न कि चैम्बर आफ कामर्स को और इस शुद्ध आय का उपयोग राजस्थान के वित्तीय विकास हेतु अध्ययन व अनुसन्धान कार्यों में किया जाएगा, परन्तु राजस्थान के वित्तीय विकास और अध्ययन अनुसंधान कार्यों में इस राशि का उपयोग नहीं किया जा रहा है। आज भी आप यदि वहां जाकर देखें तो उस बिल्डिंग में स्टॉक एक्सचेंज, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक आफ राजस्थान, इन्कम टैक्स अपीलेट अथारिटी को किराये पर दे रखा है और मेरी जानकारी के अनुसार 14 लाख रुपये प्रति वर्ष इससे आय हो रही है। 28 वर्ष हो गये, चार करोड़ रुपयों का क्या हुआ ?

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : एक मिनट। माननीय सभापति महोदय, आपको इससे क्या तकलीफ हो गयी ? एक चैम्बर आफ कामर्स है, वैसे ही इण्डस्ट्रीयलाइजेशन नहीं है, क्यों आप इसके पीछे पड़े हो ?

श्री कालीचरण सराफ : यह राजस्थान चैम्बर आफ कामर्स से यदि कामर्स और इण्डस्ट्री का विकास (व्यवधान)....

श्रीमती उजला अरोड़ा : बचाव पक्ष में हो आप ? बचाव पक्ष में हो आप ?

श्री कालीचरण सराफ : होता तो मुझे कुछ नहीं कहना था, परन्तु एक श्रीमान् के. एल. जैन जो इसके पीछे दुकान चलाकर करोड़ों रुपया सरकार का खा गये ....(व्यवधान) और अरबों रुपयों की जमीन खुर्द-बुर्द कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : किसी भी व्यक्ति विशेष, जो आदमी इस सदन में आकर अपनी बात स्पष्ट नहीं कर सकता, उसके खिलाफ आरोप नहीं लगा सकते आप।

श्री कालीचरण सराफ : बिलकुल लगाऊंगा आरोप।

श्री विष्णु मोदी : आप नहीं लगा सकते। आप गलत लगा रहे हैं।... (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : आप खण्डन कर दीजिये।

श्री विष्णु मोदी : आपकी सरकार वैसे ही इण्डस्ट्रीयलाइजेशन.... (व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) : आप क्या वकालत कर रहे हैं ?

श्री विष्णु मोदी : एक आदमी जो सदन में नहीं आ सकता, उसके खिलाफ आरोप लगाये जा रहे हैं.... (व्यवधान) बिलकुल गलत है।

श्री परसादीलाल मीणा : मामला सब-जुडिस है। ....(व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल गरासिया : यह सब उन लोगों के + + + हैं। इनको बिठाया जाए और हमारे सदस्य को बोलने दिया जाय। (व्यवधान)

श्री गोपीराम जाट : यह विषय बहुत ही गंभीरता से लिया जा रहा है, गलत नहीं है।

श्री परसादीलाल मीणा : हाई कोर्ट का स्टे है, उस पर चर्चा नहीं हो सकती।

श्री विष्णु मोदी : हम कोई बात लाते हैं तो कहते हैं, यह सब-जुडिस है। इसलिये सरकार कोई जवाब नहीं दे सकती।

श्री परसादीलाल मीणा : यह भी बोल रहे हैं। आप ध्यान ही नहीं रख रहे हैं, मैटर सब-जुडिस है। ....(व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री रतनलाल ताम्बी : आज जयपुर में तो ऐसे सैकड़ों मामले हैं जमीनों के घोटाले के तो....(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं ?

श्री रतनलाल ताम्बी : के. के. काम्प-लेक्स का मामला देख लो, त्रिवेणी नगर का मामला देख लो .. (व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल गरासिया : इस एक घोटाले को तो निकलने दीजिये (व्यवधान) आप पहले घोटाले का ही विरोध कर रहे हो।

श्री रतनलाल ताम्बी : जयपुर में यही काम होता है हमेशा ही, कोई नहीं देखता इसको। एक नीति बनाई। इसकी सारी जांच कराओ पूरे जयपुर में ऐसे मामलों की।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया बिराजें।

श्री परसादीलाल मीणा : सब-जुडिस के मामले में तो कहें आप।

श्री विष्णु मोदी : स्वर्गीय मोहन लाल जी सुखाड़िया जिन्होंने राजस्थान का विकास किया, उन्होंने इस चैम्बर की आधारशिला रखी, लेकिन आपको न राजस्थान के, विकास से मतलब है और....

श्री गोपीराम जाट : इसका उपयोग क्या हो रहा है ?

श्री विष्णु मोदी : और आप खुद आरोप लगाये जा रहे हैं।

श्री परसादी लाल मीणा : सभापति महोदय, हाई कोर्ट का जब स्टे है, मैटर सब-जुडिस है, फिर उस पर चर्चा कैसे कर रहे हैं ? कैसे उस पर चर्चा की जा सकती है यहां पर ? कैसे हाउस में चर्चा कर सकते हैं आप ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, लीज डीड में जो उनको अधिकार दिये गये थे, वे उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, जो भी व्यक्ति हैं। इसलिये यह बात पैदा हुई वरना यह बात पैदा नहीं होती। एक बात और कहना चाहूंगी ...(व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : जो मैटर सब-जुडिस हो, वो भी यहां हाउस में डिस्कस हो सकते हैं, यह डिसीजन कर ले फिर कोई दिक्कत नहीं है। (व्यवधान).... फिर करवाइये आराम से।

श्री परसादी लाल मीणा : आप कैसे चर्चा करा रहे हैं ?

श्री मोहनलाल मोदी : यानी सत्ता पक्ष के लोग मिलकर के चाहे जैसे कर लें और यह भी नहीं देखें कि यह मैटर सब-जुडिस है। जब मैटर सब-जुडिस हो तो फिर क्या मतलब है इस पर डिस्कशन करने का ?

श्री परसादीलाल मीणा : इस पर चर्चा नहीं करा सकते। नहीं करा सकते चर्चा।

श्री कालीचरण सराफ : आप बाद में बोल लीजिये, बैठिये आप।

श्री रतनलाल ताम्बी : बिलकुल नहीं हो सकती चर्चा। यह आपके नियमों में लिखा हुआ साफ है। सब-जुडिस मैटर के बारे में अनेक बार रूलिंग इसी सदन में हो चुकी हैं। अनेक बार रूलिंग हुई है.... (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : चर्चा नहीं करा सकते। सभापति महोदय, आपने हमको तो जाकिर हुसैन हत्या काण्ड में रोका है। जब हाई कोर्ट का स्टे है, आप चर्चा नहीं करा सकते।

श्री रतनलाल ताम्बी : यह केवल राजनैतिक आधार पर ऐसी बातें सोचते हैं (व्यवधान) ऐसे मामले कई हैं। यह त्रिवेणी नगर का और विद्युत मण्डल का आरक्षित मामले का क्या हाल है ?

श्री कालीचरण सराफ : (व्यवधान) यह खुर्द-बुर्द नहीं हो सकती।

श्री सभापति : कृपया आप विराजें।

श्री रतनलाल ताम्बी : विद्युत मण्डल के मामले में और त्रिवेणी नगर में आरक्षित भूखण्ड हैं, उनका मामला कितना गंभीर हैं, उनकी कार्यवाही क्यों नहीं करते आप ? विमला चौधरी के मामले में कार्यवाही कीजिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराजें। मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित किया है, करोड़ों रुपये की भूमि है, कोई गरीब अगर अतिक्रमण करता .. (व्यवधान), मेहरबानी करके आप सुनिये।

श्री विष्णु मोदी : माननीय सभापति महोदय, सवाल अमीर और गरीब का नहीं है, सवाल इस बात का है कि क्या सब-जुडिस मैटर हाऊस में डिस्कस हो सकता है ? सब-जुडिस मैटर क्या हाउस में डिस्कस हो सकता है ? (व्यवधान)

श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी : आप कृपया + + + नहीं बोलें। आप अपनी व्यवस्था दें।

श्री रतनलाल ताम्बी : सभापति महोदय, यह व्यवस्था दें कि भविष्य में सब-जुडिस मैटर की चर्चा हो सकती है कि नहीं ? आप यह निर्णय दे दें। मामला तो सब-जुडिस हो सकता है।

श्री मोहनलाल मोदी : जो सब-जुडिस मैटर है, वह हाउस में डिस्कस हो सकता है क्या यह व्यवस्था दीजिये आप।

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री रतनलाल ताम्बी : मामला तो सब-जुडिस हो सकता है, उसकी हाउस में डिस्कशन करा सकते हैं क्या आप ?

श्री ओमप्रकाश शर्मा : सभापति महोदय, आसन ने एक व्यवस्था दी है, उसकी पालना होनी चाहिये ... (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इस प्रकार से उस संस्था पर कब्जा कर लें, उसकी परि सम्पत्ति पर कब्जा कर लें, वह जमीन खा जाएं और यह+ + + के हितों की रक्षा के लिए खड़े हुए हैं.... (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : यह त्रिवेणी नगर का मामला कितना गम्भीर है, विद्युत मण्डल की आरक्षित जमीन में नाजायज तौर से जमीन दे दी गयी, उस मामले को क्यों नहीं उठाते, उस मामले को भी देखा जाय। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप एक अच्छी चलती हुई संस्था को देखना नहीं चाहते आप इन स्वार्थियों की वकालत कर रहे हो। ....(व्यवधान).... आप खुद कब्जा करने में कामयाब नहीं हुए इसलिए आप यह षडयंत्र कर रहे हो, यह असत्य आरोप लगा रहे हो। आरोप लगा रहे हो... (व्यवधान) आप+ + + के+ + + को... (व्यवधान) गलत तथ्य बताकर के सदन को गुमराह कर रहे हो....

एक माननीय सदस्य : और पोल खुलेगी अभी तो भ्रष्टाचार की। ....(व्यवधान)....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह कोशिशें आपकी हम कामयाब नहीं होने देंगे।

श्री कालीचरण सराफ : सभापति महोदय. पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि सुखाड़िया जी ने.... (व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : आप इस पर नहीं बोलेंगे ...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : सभापति महोदय, यह मामला सब-जुडिस है उस पर यहां हाउस में बहस हो सकती है या नहीं, यह बता दीजिए आप।

श्री सभापति : आप विराजें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं, क्या बैठें ?

श्री हरजीराम बुरड़क : मामला विचाराधीन है आप खुद व्यवस्था दीजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपको व्यवस्था देनी होगी।

श्री सभापति : आप कृपया विराजें। ....(व्यवधान)....

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

एक माननीय सदस्य : व्यवस्था दे दी, अब आप बिराजिये ।

श्री परसादी लाल मीणा : सभापति महोदय, जब हम आपको कह रहे हैं कि मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट जैसा फैसला देगा, निर्णय देगा उसके अनुसार कार्यवाही होगी । माननीय सदस्य क्यों उस मामले को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं ? (व्यवधान) यह गरीब और अमीर का सवाल नहीं है, सवाल हाई कोर्ट की अवमानना का है.... (व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल गरासिया : सभापति महोदय, आसन पैरों पर है, नियमों का ही पता नहीं है...(व्यवधान) ....

श्री सभापति : कृपया आप बिराजें ।

श्री परसादीलाल मीणा : सभापति महोदय, जब मंत्री का भाई हत्या करे, आसन निर्णय दे कि मामला सब-जुडिस है । नहीं, ऐसा नहीं है सभापति महोदय, दोहरा काम नहीं चलेगा । आप निर्णय दीजिये । जब मामला हाई कोर्ट में है, आप कैसे चर्चा करा सकते है ?.... (व्यवधान)....आप व्यवस्था दीजिये पहले ।

श्री कन्हैयालाल मीणा : अभी ढ़ाई सौ बीघा का भी और सुनना । आपके सामने अभी खुलेगा वह भी । 1982-83 में जो किया है घोटाला, अभी वह खुलेगा ।

श्री सभापति : आप बैठिये ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, आप तो सभापति के आसन पर है । परसादी लाल जी मीणा उधर खड़े हैं, कन्हैया लाल जी मीणा इधर खड़े है । मामला सारा आप लोगों के बीच में ही अटक कर रह जाएगा । वास्तविक तथ्य सदन में आने दीजिये ।

श्री कालीचरण सराफ : सभापति महोदय, मेरा यह कहना था कि........ (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मामला अदालत में है और जो मामले अदालत में जैरकार होते हैं, परम्परा यह रही है कि....

श्री कालीचरण सराफ : परम्परा यह रही है कि आपको चुनावों में चन्दा दिया है उन्होंने और कोई परम्परा नहीं है । कितने लाख रुपये का चन्दा दिया ?

श्री रतनलाल ताम्बी :.... (व्यवधान) आप चन्दा लेने गये थे, आपको नहीं दिया । यह बीस साल पहले का मामला आप क्यों उठा रहे हो ? झगड़ा तो यह है कि आपको चन्दा नहीं दिया ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : जो मामला कोर्ट में विचारणीय है तो वह मामला सब-जुडिस कहलायेगा । सब-जुडिस मामले को यहां पर तब तक वाद--विवाद का विषय नहीं बनाया जा सकता जब तक कि अन्तिम रूप से उस आथोरिटी का या

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

ट्रिब्यूनल का या उच्च न्यायालय का फैसला नहीं हो जाए । यही सदन की परम्परा रही है । माननीय मंत्री महोदय ने अनेक बार विचार इसलिये स्थगित किये हैं कि मामला सब-जुडिस् है और आज चूंकि इनको बोलना है इसलिये सब-जुडिस का कोई मतलब ही नहीं है। परम्परा तो एक ही होनी चाहिए । प्रीसिडेंट तो एक ही होगा । आपसे अपेक्षा यह थी कि आप हैल्दी ट्रेडिशन मेंटेन करेंगे ।

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण, कृपया बिराजें । माननीय मंत्री महोदय, आपको क्या कहना है इस बारे में ?

श्री भंवरलाल शर्मा (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) : सभापति महोदय, यह मामला....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आन ए पाइंट आफ आर्डर ।

श्री परसादीलाल मीणा : कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं....(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मामला सब-जुडिस है ।

श्री रतनलाल ताम्बी : अभी आप मंत्री नहीं बने हो, मन्त्री की लाइन में हो । मंत्री का जवाब मंत्रीको देने दो (व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : मत्रीजी को जवाब ही नहीं देने दे रहे हो ।

एक माननीय सदस्य : घनश्यामजी, आप कब से मंत्री हो गये ? ....(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, मन्त्री महोदय अपने उत्तर में यह भी बताइये कि वे कोर्ट के आदेश को अभी भी खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, उन पर कन्टेम्प्ट आपका वकील क्यों नहीं लगाता है ? अभी भी कहीं तो साइकिल स्टैण्ड को दे रखी है जगह, कहीं उन्होंने वही जगह मोटर स्टैण्ड्स को दे रखी है, कहीं शादियों के लिये देते हैं । तो यह कोर्ट का आदेश कैसा है ? केवल आपकी तरफ ही यह स्टे है ? या उनकी तरफ भी कोई स्टे है ? यह उत्तर दिलवाइये और अपने वकील को तत्पर कीजिये ।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय, यह बात सही है कि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है । मैंने जवाब में ही कहा है यह तो । मैंने खुद ने कहा है कि इसकी अगली तारीख मई में पड़ी है, यह कोई छिपी हुई बात नहीं है और क्योंकि मुझे चेअर का यह आदेश था और ध्यानाकर्षण लगा दिया तो मुझे जवाब देना था । इसलिए जो रिकार्ड पर बात थी, लीज डीड वह कोई प्रभावित नहीं करती किसी बात को, तारीख फिक्स है .... (व्यवधान) ....कौनसे

(श्री भंवरलाल शर्मा)

न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, यह मैंने बताया। मैंने तो केवल लीज डीड पढ़कर सुनायी है जिससे कोई प्रिजूडिस नहीं होता। मैंने तो जो मेरा वक्तव्य दिया है उसमें किसी प्रकार से यह केस प्रभावित नहीं होता। लीज डीड पढ़ी मैंने।

श्री हरजीराम बुडरक : आप न्यायालय के फैसले का इन्तजार करेंगे, उससे पहले आप कुछ कर नहीं सकेंगे तो फिर चर्चा करने से क्या फायदा ? न्यायालय का स्टे आर्डर है तो फिर फालतू टाइम गंवाने से क्या फायदा ?

श्री भंवरलाल शर्मा : चर्चा करना, कराना नहीं कराना, यह मेरे अधिकार की बात नहीं है यह आसन के अधिकार की बात है। मैंने तथ्य आपके सामने रखे हैं कि यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है.... (व्यवधान).... मैं इतना कह सकता हूं कि चूंकि यह विचाराधीन है इसलिए इसके किसी मेरिट पर असर न पड़े, लेकिन इतना जरूर है इसमें जो डिले हुआ है, कोर्ट में हमारी तरफ से वकील हाजिर नहीं हुआ या लापरवाही की है, उसको तो मैं देखूंगा और यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगली जो तारीख आएगी उसमें निश्चित रुप से इसकी पैरवी करने के लिए वकील या किसी को मैं लगा देता हूं। इतना मैं कह सकता हूं।

श्री घनश्याम तिवाडी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न इससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री परसादीलाल मीणा : काहे पर बोल रहे हो आप ?

श्री घनश्याम तिवाडी : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं और आप मुझसे पूछने वाले कौन होते हैं ? सभापति महोदय, मैं इस मामले के तथ्यों में नहीं जा रहा हूं... (व्यवधान) .... मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य यह फैसला करना चाहते हैं कि न्यायालय में जो भी मामला विचाराधीन है उसका किसी भी प्रकार, किसी भी दिन सदन में चर्चा नहीं हो तो मैं उनकी बात से सहमत हूं और आसन यह व्यवस्था दे दे कि न्यायालय में जो भी मामला है, उस पर कभी भी सदन में चर्चा नहीं होगी और आसन की व्यवस्था को मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन, सभापति महोदय, मैं इसके फैक्ट्स में जाने के बजाए आपसे कहूंगा यहां पर जो काल-अटेंशन मोशन दिया गया है, उसमें न्यायालय की बात नहीं है। उसमें जे. डी. ए. के अधिकारियों के जो लेप्सेज हैं, उनका वर्णन किया गया। इसलिए जे. डी. ए. के अधिकारियों के लेप्सेज का हम वर्णन कर सकते हैं, सरकार ने इस सम्बन्ध मे जो कोताही की है, उसका हम वर्णन कर सकते हैं। इसलिए सरकार की कोताही और जे. डी. ए. के अधिकारियों

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

ने जो लेप्सेज किये हैं, उन पर और पब्लिक की जो मनी आ रही है उस पर कोई स्टे नहीं है। जो खाली जमीन पड़ी है, उस जमीन से बीस हजार रुपये रोज की जो इन्कम हो रही है, कानून के अनुसार वह इन्कम राज्य सरकार की है और वह राज्य सरकार के पास जमा होनी चाहिए। वह इन्कम चैम्बर के किसी व्यक्ति के पास जमा नहीं होनी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का कानूनी प्रावधान नहीं है और जे. डी. ए. के अधिकारी मिली भगत के कारण से उस रकम की पूरी लिस्ट....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : वह जो खाली जमीन है, जिसके लिये आप कह रहे हैं कि 20,000 रु. रोज की आमदनी हो रही है, उस पर स्टे है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, उस पर स्टे दूसरा है....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उस पर चर्चा यहां नहीं हो सकती। आप चर्चा जे. डी. ए. के लेप्सेज पर करवा सकते हैं और इसलिये हमने कालीचरणजी से कहा था कि हम घनश्याम तिवाड़ी के साथ हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वह ठीक है। इसी प्रकार से जो कांट्रक्ट हुआ है, उस कांट्रक्ट में यह व्यवस्था है कि जो इन्कम यहां की बिल्डिंग से होगी, वह पैसा सारा का सारा राजस्थान सरकार के खजाने में जायेगा या उससे इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट बैंक बनेगा और उसमें जो आय होगी, उसके विकास पर खर्च करेगा। आज तक इतने वर्षों में 4 करोड़ 30 लाख रुपये के करीब मेरी जानकारी के अनुसार किराये का वसूल किया गया और किराये का जो पैसा है, वह आज तक राज्य सरकार के या जे. डी. ए. के एकाउण्ट में जमा नहीं हुआ।

सभापति महोदय, यह मामला भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू नहीं किया, 1975 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी....

श्री शिवनाथ सिंह : यह पाइंट आफ आर्डर है या भाषण है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पाइंट आफ आर्डर है। यह फैसला वह करेंगे, आप नहीं करेंगे। मैं पाइंट आफ आर्डर के अन्तर्गत यह बात उठा रहा हूं।

श्री शिवनाथ सिंह : जिस चीज को सभापति महोदय ने यह कह दिया और माननीय मंत्रीजी ने कह दिया है कि अदालत में मामला पेण्डिंग है, उसके बाद में आपने एक व्यवस्था चाही थी कि चेयर इस बात की व्यवस्था दे दे, कांग्रेस के मेम्बर्स इस बात के लिये अपना फैसला सुनायें कि जो मामला अदालत में है उस पर बहस हो या नहीं हो। अपने नियमों में प्रावधान है, उसमें कांग्रेस के मेम्बर्स

(श्री शिवनाथ सिंह)

मंजूर करें, आप मंजूर करें, तीसरा मंजूर करे, कोई सवाल नहीं उठता है। जो रूल्स में है वैसा होगा और आप इस पाइंट आफ आर्डर के माध्यम से जिस चीज को रोकना चाहते हैं, उस पर आप यहां बहस करना चाहते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं, नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूं। मैं कह रहा हूं कि मैंने जो काल अटेंशन मोशन दिया है उससे बचने के लिये न्यायालय के फैसले का यहां उदाहरण दिया गया है। काल अटेंशन मोशन के जो तथ्य हैं, वे तथ्य कोर्ट के फैसले से सम्बन्धित नहीं है और केवल जे. डी. ए. के लेप्सेज के सम्बन्ध में है। तो जे. डी. ए. के जो लेप्सेज हैं 81 में....

श्री राजेन्द्र पारीक : आसन से जो व्यवस्था दी गयी है, उसको चेलेंज कर रहे हैं क्या आप ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : तो मैं आपसे व्यवस्था चाहूंगा। जो काल अटेंशन मोशन के तथ्य हैं, उन तथ्यों पर, जे. डी. ए. के अधिकारियों के जिस प्रकार लेप्सेज रहे उन पर, सरकार के सिर पर जो लेप्सेज रहे हैं, उन पर इस सदन में चर्चा की जा सकती है और माननीय सदस्य ने वहीं प्रश्न उठाये हैं।

अब मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार वह जो पैसा जमा हो रहा है, उस पैसे के बारे में कार्यवाही करे। अगर न्यायालय का ऐसा आदेश है कि पैसे पर कार्यवाही नहीं की जाए तो नहीं की जाए लेकिन न्यायालय का उस सम्बन्ध में आदेश नहीं है तो वह पैसा सरकार के खजाने में हर हालत में जमा होना चाहिये, इस बात की व्यवस्था की जाए। दूसरे, इस बार की व्यवस्था की जानी चाहिये कि 14 लाख रुपये साल का जो एक व्यक्ति अपने पास दाबकर बैठा है वह पैसा सरकार के खजाने में जाना चाहिये।

मैं कांग्रेस के माननीय सदस्यों को कहना चाहूंगा कि यह कांग्रेस पार्टी के टाइम का काम है। अगर कोई गरीब आदमी जो जमीन पर कब्जा करके बैठता, एक मिनट में जाकर टुकड़े कर देते और कांग्रेस के मेम्बर उनको बचाने के लिये खड़े नहीं होते यहां पर। क्योंकि अरबों रुपयों की जमीन है और एक बहुत बड़ा आदमी उसको दाबकर बैठा है इसलिये उसके जितने भी एजेंट हैं चुनाव में चंदा लिये हुए, वे यहां खड़े होकर पैरवी कर रहे हैं आज। यह शर्म की बात है।

इसलिये मैं चाहता हूं, सभापति महोदय, कि आप व्यवस्था दें और सरकार से मैं चाहता हूं इसका जवाब दिया जाए।

श्री विष्णु मोदी : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा, वह निराधार आरोप है। इस तरह की बात कार्यवही से निकाली जाए कार्यवाही से निकाले जाएं यह शब्द....(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अब चिड़िया चुग गयी खेत । कहना था जो कह दिया ।

श्री रामनारायण चौधरी : जिनको चंदा नहीं मिला, वह बोल रहे हैं । आपको मिला नहीं ।

श्री शांति कुमार धारीवाल : यह तो बिना चंदे के ही जीतकर आ गये । इन्होंने चंदा नहीं लिया कभी भी ।

श्री सभापति : आप बिराजें । कृपया आप बिराजें, माननीय सदस्य ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अब + + + मिटाने के लिये कुछ भी कहो, सारी पब्लिक के सामने यह बात आ गयी ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आम तौर से सदन की यह परम्परा रही है कि जो मामले सब-जुडीस हों उन पर इस सदन में चर्चा नहीं होनी चाहिये । मैं, माननीय सदस्य ने जो अभी व्यवस्था का सवाल उठाया है, उसे निरस्त करता हूं । इस पर चर्चा नहीं की जानी चाहिये.... (व्यवधान)

श्रीमती कमला : माननीय सभापति महोदय, मैं जो बात निवेदन करना चाह रही हू जिसको आपने अपनी व्यवस्था में गायब कर दिया । इस महत्वपूर्ण मुद्दे को....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैंने इस पर व्यवस्था दे दी । अब इस पर दुबारा कोई चर्चा नहीं होगी ।

श्रीमती कमला : मैं इस पर नहीं बोल रही । सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री घनश्यामजी तिवाड़ी ने सदस्यों के ऊपर जो बेबुनियाद आरोप लगाया है, वह बहुत अपमानजनक हैं । उसे वह वापस लें और खेद प्रकट करें ।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : जो सदन के सदस्य नहीं है, माननीय रामदास जी अग्रवाल, उन्होंने उन पर लगाये हैं ।

श्री कालीचरण सराफ : एक मिनट । मैंने जो मैटर उठाया है, वह सब-जुडिस है ही नहीं । मैं यह कहना चाहता हूं, इसमें लीज डीड में स्पष्ट लिखा है—

"Any breach by the lessee or by any person claiming through of under him of any of the covenants or conditions...."

श्री मोहन लाल मोदी : सभापति महोदय, जो घनश्याम जी ने आरोप लगाये हैं,उनसे कहिये कि वह खेद प्रकट करें, माफी मांगे । उन्होंने किस तरह से आरोप लगा दिये ? या तो वह यह कहें कि फलां आदमी से चंदा ले लिया । हम तो चंदा देते हैं, चंदा लेते नहीं हैं आपकी तरह से ।

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

श्री कालीचरण सराफ : "....and in any such case, it shall be lawful for the lessor...."

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया बिराजें। मैंने पढ़ लिया है इसको। अच्छी तरह पढ़ा है, खूब पढ़ लिया।

श्री कालीचरण सराफ : मैं कह रहा हूं, सब-जुडिस है ही नहीं मैटर। आप सुनिये तो सही।

श्री सभापति : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत श्री भीमसेन-चौधरी, सदस्य, विधान सभा, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के विस्थापितों को वन विभाग की सहमति से आवंटित भूमि के विवाद के सम्बन्ध में राजस्व (उपनिवेशन) मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करेंगे।

महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, बीकानेर के विस्थापितों को आवंटित भूमि

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : माननीय सभापति महोदय, मैं महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के विस्थापितों को वन विभाग की सहमति से आबंटित भूमि के विवाद के सम्बन्ध में राजस्व मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : सभापति महोदय, उपरोक्त संदर्भित ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में निम्न प्रकार तथ्य प्रस्तुत हैं :-

वर्ष 1987 में वन विभाग एवं उपनिवेशन विभाग के संयुक्त निरीक्षण के उपरान्त 7820.6 बीघा कृषि योग्य भूमि उपनिवेशन विभाग को एवं इसकी एवज में 8970 बीघा अकृषि योग्य भूमि वन विभाग को देने की सहमति के आधार पर 7820.06 बीघा राजकीय भूमि मानकर उसमें से उप-खण्ड अधिकारी (उत्तर), बीकानेर द्वारा महाजन तोपाभ्यास के विस्थापितों को आवंटन कर दी थी। दिनांक 12-10-93 को प्रमुख राजस्व सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस प्रकरण में यह निर्णय लिया गया कि जो क्षेत्र वन विभाग को आवंटित है और वन विभाग ने उसमें विनियोजन अथवा वृक्षारोपण का कार्य नहीं किया है तथा उन्हें इस भूमि की आवश्यकता नहीं हो, इसकी सूचना वन विभाग से आयुक्त, उपनिवेशन प्राप्त करें एवं तत्पश्चात् ऐसी सूची प्राप्त होने पर वन विभाग से बाहर निकालने की कार्यवाही करें।

उपरोक्त निर्णय की पालना में वन संरक्षक, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, प्रथम चरण, बीकानेर ने पुनः संयुक्त निरीक्षण कर 7820.06 बीघा भूमि में से उपनिवेशन विभाग को हस्तानांतरण योग्य भूमि की सूची प्रस्तुत नहीं की। दिनांक 14-9-94 को प्रमुख राजस्व सचिव की अध्यक्षता में पुनः उक्त समिति

(श्री गंगाराम चौधरी)

की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार ऐसी भूमि जिसकी भविष्य में विकास कार्य हेतु आवश्यकता नहीं हो, उसका निरीक्षण, सत्यापन एवं प्रमाणीकरण कर मुख्य संरक्षक, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर तीन माह की अवधि में उपनिवेशन विभाग को लौटाने की कार्यवाही करेगा। इस पर वन विभाग ने उक्त वन संरक्षणों को पुनः निरीक्षण, सत्यापन एवं प्रमाणीकरण करने हेतु निर्देशित दिया था तथा वन संरक्षक, प्रथम चरण, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर द्वारा कुछ भूमियों का निरीक्षण कर लिया गया है परन्तु इसके पश्चात् सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में देय बकाया राशि के भुगतान होने के कारण यह कार्यवाही निश्चित समयावधि में पूर्ण नहीं हो सकी और वन विभाग ने लौटायी जाने वाली भूमि के निरीक्षण, सत्यापन एवं प्रमाणीकरण के बाद आयुक्त, उपनिवेशन, बीकानेर को दिनांक 31-5-95 से पूर्व भिजवाने की सूचना दी है।

श्री भीमसेन चौधरी : माननीय सभापति महोदय, वन संरक्षक, इंदिरा गांधी नहर ने तो 22-11-87 को उप निवेशन आयुक्त को यह लिखकर दिया था कि 8979 बीघा जमीन वन विभाग को दी जावे और उसकी एवज में वन विभाग की जमीन है 8720 बीघा, वह उप निवेशन विभाग को दी जाए। उपनिवेशन विभाग ने राज्य सरकार की जमीन मान करके विस्थापितों को अलाट की थी। जिन्होंने देश के हित में अपनी जमीन छोड़ी, अपने इलाके से बरबाद हुए, उन लोगों को सरकार ने अलाट की और आज उन लोगों के ही सामने परेशानी आ रही है। इस बारे में बार-बार वन विभाग ने संयुक्त निरीक्षण भी कर लिया है, उपनिवेशन विभाग और वन विभाग ने निरीक्षण करके ही यह सारी जमीन अलाट की है, उसके बाद में बार-बार इसका सत्यापन करने की क्या आवश्यकता है, यह मेरी समझ में नहीं आता है।

श्री रामनारायण चौधरी : सभापति महोदय, इस शर्त पर दी गयी थी कि वन विभाग इसके उपर पेड़ लगाएगा और माननीय मंत्रीजी के जवाब से मालूम होता है कि वन विभाग ने इसको इस्तेमाल नहीं किया। अब प्रिंसिपल रेवेन्यू सेक्रेटरी का यह फैसला हुआ है कि इसको वापस ले ली जाए। तो अब इसमें दिक्कत क्या आ रही है।

श्री गंगाराम चौधरी : सभापति महोदय, वन विभाग ने इतनी 7800 बीघा भूमि जो आवंटित की गयी थी, राजस्व विभाग द्वारा उस पर कब्जा किया। हमारी जो बैठक हुई थी उसके अन्दर अंतिम रूप से यह तय हुआ था कि जिस भूमि पर वन विभाग द्वारा कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया है, कोई खर्चा नहीं किया गया है, खाली है, वह भूमि वन विभाग लौटाने को तैयार है। इसलिए जाइंट

(श्री गंगाराम चौधरी)

इन्स्पेक्शन की बात आयी थी। अब अंतिम रूप से वन विभाग की जो सूचना हमारे पास आयी है, वह यह कह रहे हैं कि हम केवल मात्र 175 बीघा जमीन ही दे पायेंगे बाकी सबके उपर हमारा खर्चा है, इन्वेस्टमेंट है और फोरेस्ट एक्ट भी गवर्नमेंट आप इण्डिया का लागू है, इसलिये हम दे नहीं पायेंगे। यह स्थिति अब अंतिम रूप से सामने आयी है और पहले की जो जानकारी थी, वह मैंने माननीय सदस्य को दे दी है।

श्री भीमसेन चौधरी : माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय जो जवाब दे रहे हैं, उसमें साफ है कि वन संरक्षक, इन्दिरा गांधी नहर ने 22-11-87 को उपनिवेशन आयुक्त को यह लिखा है कि वन विभाग के नाम स्वीकृत होने वाला चक 26 ग्राम की 8 हजार 979 बीघा जमीन है, हमने जाइन्ट इंस्पेक्शन से यह किया है और जाइंट इंस्पेक्शन के द्वारा पाया गया कि वन विभाग ने सिवाय तारबन्दी के और कोई काम विकास का नहीं किया। सिर्फ इतना खर्चा वन विभाग ने किया था, उसके अलावा जाइन्ट इन्स्पेक्शन से कोई भी निर्माण कार्य, कोई पेड़ लगाना साबित नहीं हुआ है। इसलिए अलाट की हुई थी और काश्तकारों के जमीन कब्जे में है। तो राज्य सरकार इस बारे में निर्णय क्यों नहीं लेती, यह मेरी समझ में नहीं आता। वन विभाग को आबंटन इसी शर्त पर हुई है, यह पहले से ही शर्त थी कि जहां पर सी. ए. डी. के सर्वे के समय आबंटित क्षेत्र में क्षेत्र कमाण्ड घोषित किया जायेगा, उपनिवेशन विभाग प्रथम सूचना पर उस क्षेत्र को टिक करके सम्बन्धित उपनिवेशन तहसीलदार को कब्जा दे देगा। सी. ए. डी. से जो कमाण्ड भूमि हो जाती है उसमें वन विभाग का हस्तक्षेप नहीं रहता, अपने आप जो कंट्रिशंस दी गई है उपनिवेशन विभाग द्वारा, उनके मुताबिक ही ज्यों ही सी ए डी के सर्वे से कमाण्ड जमीन हो जाती है तो वन विभाग को वापस लौटानी पड़ती है। कण्डिशन पर ही उपनिवेशन विभाग ने वन विभाग को जमीन आबंटित की थी। केवल तारबन्दी के अलावा उन्होंने कुछ काम नहीं किया। इसलिए इस लम्बे प्रकरण का और ऐसे लोगों का जिन्होंने इस देश के हित में अपनी जमीन सरकार को दी है, ऐसे लोगों को जो जमीन आबंटित की हुई है, उनके बारे में आप शीघ्र ही फैसला करें।

श्री हरजीराम बुरड़क : सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया और एक पत्र माननीय सदस्य ने पढ़ा है, जब 1987 में वन विभाग ने कह दिया था कि हम यह भूमि देने के लिए तैयार हैं, हमारा इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो राज्य सरकार की यह ढ़िलाई रही है। दूसरी और जब उन विस्थापितों को अलाट कर दी और वह जमीन आज भी उनके कब्जे में है। आपको सिर्फ रेकार्ड दुरस्त करना है तो वन विभाग बीच में कहां आ गया? वन विभाग के पास

(श्री हरजीराम बुरड़क)

आज जमीन है ही नहीं जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया। लोगों के पास जमीन के कब्जे हैं तो फिर वन विभाग बीच में कहां आ गया ? आपको तो सिर्फ रेकार्ड दुरुस्त करना है। इसमें आपको कहां दिक्कत आ रही है ?

श्री शिवनाथ सिंह : सभापतिजी, मामला बहुत स्पष्ट है। जिस वक्त यह जमीन वन विभाग को दी गयी थी कुछ कंडीशंस पर दी गयी थी, क्योंकि उसका डवलपमेंट करना जरूरी था और उसके साथ में यह कंडीशन थी कि जब कमाण्ड एरिया में आ जायेगी तब यह जमीन वापस ले ली जायेगी। सरकार ने कंडीशंस के आधार पर वह जमीन अपने कब्जे में ले ली और कब्जे में लेने के बाद काश्तकारों को जमीन अलाट कर दी। अलाटमेंट बिलकुल रेगुलर-वे में हुआ है। तो 8-10 साल पहले जब रेगुलर हो गया, उसका कब्जा उस जमीन पर हो गया, उसके बाद आप फोरेस्ट से वापस लेने की बात करते हो, वह मेरी समझ में आने वाली नहीं है। गलती आपकी उस वक्त हुई जिस वक्त उन लोगों को अलाटमेंट किया गया। यदि उस वक्त उन लोगों को अलाटमेंट नहीं किया जाता तो सरकार उनको कहीं भी दूसरी जगह स्थापित करती या नहीं करती, आज वह स्थिति नहीं रही है। जब आपके पास जमीन है नहीं, फोरेस्ट के पास जमीन है नहीं, जमीन काश्तकारों के पास चली गयी, रेगुलर अलाटमेंट में चली गयी तो वह जमीन वहां से निकलने वाली नहीं है क्योंकि वह भी कोर्ट की शरण लेंगे।

इसलिए मेरा माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि इस मामले में सिर्फ रेकार्ड की दुरुस्ती करनी है, जमीन आपको न किसी से लेनी है न किसी को देनी है। जिससे लेनी थी, ले ली जिसको देनी थी, वह दे दी अब सिर्फ रेकार्ड दुरुस्त का सवाल है। इसलिए इस मामले में काश्तकारों को उलझन में न रखकर और उसमें डवलपमेंट करना चाहे, उसके हिसाब से रेकार्ड में दुरुस्ती कर इसको रेगुलराइज कर दिया जाय।

श्री नरपतसिंह राजवी (चित्तौड़गढ़) : माननीय सभापति महोदय, थोड़ा बहुत इसमें मैं भी इन्ट्रेस्ट रखता हूं। वन विभाग, उपनिवेशन विभाग की जमीन कुछ ऐसी जमीन है जिसको वन विभाग ने नोटिफाई की हुई है। उसको तो अगर मंत्री महोदय देना भी चाहे, रेकार्ड में दुरुस्त करना भी चाहे तो नहीं कर पायेंगे। कुछ ऐसी जमीन है अननोटिफाइड हैं लेकिन उसमें फोर दी परपज आफ प्लांटेशन वार्न्ड वायर फेन्सिंग की है और सिर्फ रेवेन्यू रेकार्ड में लिया है लेकिन उसके बाद में उन्होंने अलाट किया है। तीसरा इस टाइप की जमीन है जो अलाटमेंट पहले हो गया और प्लांटेशन उसमें हुआ नहीं काश्तकार उसके उपर आज भी काबिज है वैसी जमीन को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नोटिफाइड जमीन को अगर करेंगे

(श्री नरपतसिंह राजवी)

तो लिटिगेशन और बढ़ेगा, केन्द्रीय सरकार शायद उसको नहीं मानेगी। इस पर गम्भीरता से विचार करना होगा।

श्री हरजीराम बुरड़क : ऐसा है, जब जमीन के बदले जमीन देते हैं तो आप जो बता रहे है वह स्थिति नहीं रहती है। माननीय वन मंत्रीजी ने अभी कुछ दिन पहले इस हाउस में बताया था, उसमें भी यही मामला था कि उनको बदले में दूसरी जमीन सरकार दे रही है। बदले में दे रही है इसलिए प्रोविजन लागू नहीं है।

श्री नरपतसिंह राजवी : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, सभापतिजी, आपके माध्यम से कि पिछले 15 साल का रेकार्ड, अगर आप उठा कर देखें तो नान एग्जिस्टेंट जमीन का ट्रांसफर भी हुआ है। अब यह लाखों मुरब्बों का अलाटमेंट इस प्रकार से किया गया उसमें 5-10 पर्सेंट अधिकारी कुछ ऐसे रहें जिन्होंने गलत ट्रांसफर किये हैं। तो दुरुस्ती जरूर होनी चाहिये। विभाग ने उसमें अंकुश लगाने के लिए कुछ सर्कुलर जरूर निकालें ऐसे काश्तकार जिनके कब्जे में जमीन है, आज भी जो काश्त कर रहे है लेकिन सिर्फ गिरदावरी में या रेवेन्यू रिकार्ड, में एक बार वन विभाग की घोषित कर दी, उससे तो वह वन विभाग की हो नहीं जाती, इससे मैं बिलकुल सहमत हूं आप लोगों से लेकिन जहां पर काश्त जमीन नहीं हो रही थी और उसके पहले ही फोरेस्ट हो गया, सब्सिक्वेंट अलाटमेंट हुआ, उसके बारे में गम्भीरता से विचार करना होगा। इसकी एक समिति गठित कर दे तो मेरे ख्याल से सारी प्राब्लम दूर हो जायेगी वरना इन्डिविजुअल एक आध मामला हो तो कोई हो जाय, एनोमेलीज क्रिएट करने का एक नया पेंडोरा बाक्स खुल जायेगा और उसमें काश्तकारों को भी परेशानी होगी और सरकार को भी आर्थिक हानि होगी।

श्री भीमसेन चौधरी : माननीय सभापति महोदय, यह कोई इन्डिविजुअल केस नहीं हैं। यह 7820 बीघा जमीन जो आबंटित की गयी है, यह जो विस्थापित हो गये हैं, उन लोगों को आबंटित की गयी है। उसके बदले वन विभाग को ज्यादा जमीन करीब 8900 बीघा दी जा चुकी है। इसलिए देने के बाद में मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार इस पर इतनी देर क्यों कर रही है?

श्री गंगाराम चौधरी : सभापति महोदय, मैं स्थिति स्पष्ट कर दूं। 1987 में कोई बात वन विभाग और उपनिवेशन विभाग के बीच में तय हुई होगी। तीन वर्ष तो उस वक्त के बीत गये और 90 के बाद में भी कुछ समय बीत गया। दोनों तरफ के अफसरों ने जांच, जानकारी मौखिक सारे करते रहे और अन्तिम स्थिति अब जो सामने आयी है वह इस प्रकार है। वन विभाग यह कह रहा है कि इसमें 200 बीघा जमीन तो ऐसी है जो भारत सरकार की अनुमति

(श्री गंगाराम चौधरी)

से डी-रिजर्व की जा सकती है उसमें हमने काम नहीं किया लेकिन रेकार्डेड है और हमारे को सौंप दी गयी है कागजातों के हिसाब से और फोरेस्ट एक्ट लागू हो चुका है। 175 बीघा ऐसी है जो वन विभाग बिना भारत सरकार की अनुमति से दे सकता है। तो 375 बीघा केवल मात्र भूमि है जो हमको उपलब्ध हो पायेगी और इसके अतिरिक्त नहीं हो पायेगी। मैं माननीय सदस्यों को इतना ही निवेदन कर सकता हूं।

(14.00)

अगर सारे आबंटी इसमें नहीं समा पाएंगे या बच जाएंगे तो हमारा उपनिवेशन विभाग उन विस्थापितों को दूसरी भूमि की व्यवस्था कर देगा।

श्री भीमराज चौधरी : जमीन तो काश्तकारों के कब्जे में है

श्री गंगाराम चौधरी : फोरेस्ट एक्ट लागू होने से हमारे हाथ बंधे हुए हैं।

श्री भीमसेन चौधरी : चारागाह की जमीन दी हुई थी और चारागाहों को डवलप नहीं किया। केवल तारबंदी के अलावा कुछ नहीं किया। इसमे सारा कमाण्ड एरिया आ गया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, चर्चा समाप्त हुई। प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत श्री रमाकांत, सदस्य विधान सभा, थानागाजी क्षेत्र में बांधों के निर्माण व कथित भेदभाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सिंचाई मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

थानागाजी (अलवर) में बांधों के निर्माण व भेद-भाव से उत्पन्न स्थिति

श्री रमाकांत शर्मा (थानागाजी) : थानागाजी विधान सभा क्षेत्र में बांध बनवाने के सिलसिले में मैं माननीय सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री देवीसिंह भाटी (सिंचाई मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, नियम 131 के अन्तर्गत थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य ने उनके क्षेत्र में बांधों के निर्माण के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की है। मैं उनकी चिंता में अपने आपको शामिल करता हूं। माननीय सदस्य की यह चिंता सही है कि इस क्षेत्र में सिंचाई के लिए कुछ क्षमता बन सकती है, उसका निर्माण नहीं किया गया और सिंचाई से ज्यादा बड़ी समस्या है पेयजल की, उससे भी लोग वंचित रह रहे हैं। उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, लेकिन मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि आपके पास जो भी जानकारी है वो आप मुझे दे दें। अपन अलग बैठकर इस पर जहां भी कोई ऐसी क्षमता का निर्माण हो सकता है मैं तुरंत उनके लिए निर्णय ले लूंगा। अगर जरूरत

(108)

(श्री देवीसिंह भाटी)

पड़ी तो मौके पर भी मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं ।

श्री रमाकांत शर्मा : मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं । मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे यहां बांध बन जाएंगे । (व्यवधान)

श्री सभापति : प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत श्री विष्णु मोदी, श्री राजेन्द्र गहलोत, श्री कालूलाल गूर्जर, सदस्य विधान सभा, राज्य में मलेरिया रोग की रोकथाम के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

राज्य में मलेरिया रोग की रोकथाम

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : माननीय सभापतिजी, प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत गत वर्ष मलेरिया रोग से जो जोधपुर संभाग में स्थिति उत्पन्न हुई थी, उसके सम्बन्ध में मैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) : सभापतिजी, मैं माननीय सदस्य की तरफ आकर्षित होते हुए तथ्यों से अवगत कराना चाहता हूं । .... (व्यवधान) .... सभापति महोदय, मलेरिया रोग केवल राजस्थान राज्य में ही नहीं बल्कि राष्ट्रव्यापी समस्या है जिसकी रोकथाम व उन्मूलन हेतु (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप ऐसा करिये कि मोदीजी की तरफ तो मोहित होईये और उनकी तरफ आकर्षित होईये ।

एक माननीय सदस्य : मामले की तरफ आकर्षित होईये, दोनों की तरफ आकर्षित होंगे तो मामला सुलझेगा नहीं, मामले की तरफ आकर्षित होईये ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : राष्ट्रीय स्तर पर मलेरिया उन्मूलन के अन्तर्गत समय-समय पर प्रदेश में प्रभावी प्रयास किये जाते रहे हैं । वर्ष 1994-95 में पूरे प्रदेश में, विशेषकर जोधपुर संभाग में लम्बे समय तक अत्यधिक वर्षा होने के कारण मलेरिया परजीवी वाहक मच्छरों के अत्यधिक रूप से पैदा होने से मलेरिया का प्रकोप अत्यधिक रहा सभापतिजी, जब-जब प्रदेश में अत्यधिक वर्षा हुई है मलेरिया का प्रकोप बढ़ा है । वर्ष 1994-95 में बाडमेर में सामान्य वर्षा 277.5 मिलीमीटर के स्थान पर 653 मिलीमीटर, जैसलमेर में 164 मिलीमीटर के स्थान पर 192 मिलीमीटर, जोधपुर में 318 मिलीमीटर के स्थान पर 406 मिलीमीटर । पूरे जोधपुर संभाग में वर्षा का पानी कई दिनों तक कई-कई किलोमीटर लम्बे स्थान पर अस्थायी रूप से खड़े रहने के कारण मलेरिया मच्छरों की तादाद में अत्यधिक वृद्धि हुई । राष्ट्रीय

(श्री राजेन्द्र राठोड़)

मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत जोधपुर व बीकानेर संभाग में रक्त पट्टिकायें लेकर जांच करने पर जिन रोगियों में मलेरिया के रोगाणु पाये गये उनका उपचार किया गया। 1 जनवरी, 1994 से 31 अगस्त, 1994 तक जोधपुर संभाग में 3 लाख 16 हजार, 280 रक्त पट्टिकायें ली गयीं जिनमें 9619 पोजिटिव मलेरिया केसेज पाये गये और 2405 रोगी पी. एफ. मलेरिया से ग्रसित पाये गये। पिछले वर्ष 1993 को आलोच्य अवधि में जोधपुर संभाग में 3 लाख 21 हजार, 153 रक्त पट्टिकायें भी संचित की गयीं, जिनमें 11 हजार, 691 मलेरिया पोजिटिव रोगी पाये गये व 2586 पी.एफ. के रोगी पाये गये। इन आंकड़ों को दृष्टिगत रखते हुए यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 1994 में माह जनवरी से लेकर अगस्त तक मलेरिया केसेज की संख्या वर्ष 1993 की तुलना में ज्यादा वृद्धि नहीं हुई।

(14.05)

(श्री किशन मोटवानी, सभापति, पदासीन)

इसी बीच माह सितम्बर, 1994 में गुजरात राज्य मे प्लेग का प्रकोप होने के फलस्वरूप प्लेग की रोकथाम हेतु राजस्थान में व्यापक व्यवस्थाएं की गयीं जिसके कारण राज्य में 289 चेकपोस्ट व 867 चिकित्सक एवं 1750 पेरा मेडिकल स्टाफ तैनात किया गया। इस अभियान में चिकित्सा-कर्मियों के जुटे होने के कारण जोधपुर संभाग में माह सितम्बर से मलेरिया रोगियों की संख्या की बढ़ोत्तरी में सुचारू रूप से कार्यवाही करने का प्रयास किया गया। माह सितम्बर, 1994 में मलेरिया रोगियों की वृद्धि की सूचना प्राप्त होने पर 2 अक्टूबर, 1994 से उच्च स्तर पर विचार विमर्श के उपरान्त मलेरिया नियंत्रण का क्रेश प्रोग्राम 2 अक्टूबर से 30 नवम्बर तक लागू किया गया, जिसमें 15 जिले सम्मिलित किये गये और सिरोही को छोड़कर जोधपुर संभाग के समस्त जिले सम्मिलित किये गये। यह अभियान जिला कलक्टरों के नेतृत्व में चलाया गया। 7 अक्टूबर को स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त निदेशक और उप सचिव स्तर के अधिकारियों को विभिन्न जिलों में प्रभारी बनाकर भेजा गया। इसके अतिरिक्त डाक्टर आर. के. गर्ग, एडिशनल डायरेक्टर को जिला जोधपुर, जालौर, पाली तथा बाड़मेर भेजा गया; डाक्टर एन. एम. सिंघवी को उदयपुर, डाक्टर पी. एम, स्वामी को बीकानेर व श्री बी. एल. जैमन को कोटा व बारां भेजा गया; डाक्टर जी. एम. गहलोत, निदेशक परिवार कल्याण 15 से 16 अक्टूबर के बीच में भरतपुर गये। इसी तरह माननीय सदस्य ने अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में यह जानना चाहा है कि किन-किन तिथियों में, कौन-कौनसे अधिकारी मलेरिया प्रभावित कौन-कौन से क्षेत्र में गये। यह एक लम्बी सूची है, आप आदेश देंगे तो मैं पढ़कर सुना दूंगा, वरना माननीय सदस्य को इसकी कोपी दे दूंगा और उनको बता दूंगा।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, निश्चित तौर पर पिछले वर्ष अत्यधिक वर्षा के कारण मलेरिया का प्रकोप खास तौर पर जोधपुर संभाग में अत्यधिक रहा। राज्य सरकार ने समय रहते इसके लिए आवश्यक कार्यवाही भी की। चल चिकित्सालयों का गठन भी किया और दवाई वितरण केन्द्र खोलकर गांव-गांव में यह प्रयास किया कि वहां के रोगियों को वहीं मुफ्त दवाई वितरण किया जाए। माननीय सदस्य ने जानना चाहा कि दवाइयों की खरीद-फरोख्त की क्या व्यवस्था की गयी। सभापतिजी, मलेरिया उन्मूलन के लिए दवाइयां केन्द्रीय सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को दी जाती है। केन्द्रीय सरकार को कई बार हम लोग मांग पत्र भेजते हैं, परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा समय पर उपलब्ध न कराये जाने के कारण हमें स्थानीय स्तर पर भी दवाई क्रय करनी पड़ती है। इस बार प्रदेश में जब मलेरिया अत्यधिक रूप से फैला तो जिला कलक्टरों और सी. एम. एण्ड एच. ओ., दोनों को हमने अधिकृत किया कि वह अपने-अपने क्षेत्र में आवश्यकतानुसार दवाइयां क्रय कर सकते हैं। मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि इस बार भी हमने यह प्रयास किया है कि मलेरिया का प्रभाव जो पिछली बार रहा उससे वापस प्रदेश प्रभावित न हो जाए इसके लिए क्रेश प्रोग्राम भी बनाया है, जो 9 जिलों में चल रहा है। इसके लिए हम समुचित कदम उठाने का प्रयास कर रहे हैं, सभी समुचित कदम उठाएंगे।

श्री सभापति : माननीय श्री भीमसेन जी आप बैठ जाएं। पहले जिन्होंने ध्यानाकर्षण किया है वह पहले सवाल पूछें, आपको भी बुला लेंगे। हां, हां ठीक है। वो तो आपके साथ हैं। आपको भी बुला लेंगे।

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय सभापतिजी, बरसात के तुरन्त बाद जोधपुर सम्भाग में मलेरिया का प्रकोप भयंकर रूप से फैला। राज्य सरकार को जानकारी मिलने के बाद सरकार ने अपने स्तर पर मलेरिया के नियंत्रण के लिए पूर्णतः व्यवस्था की और साथ ही मलेरिया के रोगियों को मदद करने के लिए और उनको राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार भी सी. एम. एण्ड एच. ओ. को मलेरिया निरोधक दवायें, इन्जेक्शन, गोलियां, केपसूल....

श्री सभापति : माननीय सदस्य ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का मन्तव्य साफ है। आप मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करेंगे और वह फुल स्टेटमेंट देंगे जो कि उन्होंने दिया है। अब आप स्टेटमेंट को रिपीट नहीं करें। कहीं आपको उसमें सवाल पूछने हों और कहीं गुंजाइश नजर आ रही हो वह बोलिये।

श्री परसराम मदेरणा (नेता प्रतिपक्ष) : आन ए पाइंट आफ आर्डर सर। जोधपुर का नहीं यह राजस्थान का मामला है। सभापति महोदय, मुझे जानकार बहुत

(श्री परसराम मदेरणा)

आश्चर्य हुआ कि सरदारपुरा से आने वाले माननीय सदस्य प्रभारी मंत्रीजी का ध्यान रूल 131 के अन्तर्गत आकर्षित करना चाहते हैं और मंत्रीजी का ध्यान भी उधर आकर्षित हो गया। 131 इस बात को एनविसेज करता है और उसके एम्बिट में प्रश्न यह होना चाहिये कि इट रिलेट्स टू ए स्पेसिफिक मैटर आफ रीसेंट आकरेंस' यह कह रहे हैं कि पिछले साल क्या हुआ। पिछली साल की बात रीसेंट आकरेंस की नहीं है। जब मेडिकल और चिकित्सा की डिमाण्ड आयेगी उस समय पिछली साल का मामला रेंज किया जा सकता है। प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न यह है, सभापति महोदय, कि यह पूछ रहे हैं काल अटेंशन करने के लिए पिछली साल में कितनी मौतें हुई, वह दस हजार तो मर गए, लेकिन अब जो लोग मर रहे हैं, मलेरिया जबरदस्त फैला हुआ है, मच्छर काट रहे हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं, फैल्सीफरम का प्रभाव हो रहा है और उसका नतीजा यह होगा कि आगे का हमारा जो अनुभव रहा है उस अनुभव के अन्दर पाउडर जो आप दे रहे हैं मच्छर मारने के लिए डी. डी. टी, मैं सदन में बहुत जिम्मेदारी के साथ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उससे मच्छर नहीं मर रहे हैं। वह अब्सालीट है। इसलिए प्रश्न रीसेंट आकरेंस का नहीं है। आज हैपन हो रहा है। पिछली साल की बात तो जाने दीजिए यह तो सरकार बिल्कुल फैल हुई 'नीरो बंसी बजा रहा था जब रोम जल रहा था' लेकिन आज जो स्थिति है उसका उपचार करने के लिए माननीय मंत्रीजी ने क्या इफैक्टिव स्टेप्स लिए हैं जो कि कारगर और प्रभावी कदम हैं ताकि लोगों को मरने से बचाया जा सके।

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय सभापति जी, मैं निवेदन कर रहा था कि पिछले वर्ष....

श्री सभापति : He wanted to express something.

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पाइंट आफ आर्डर सर। माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि पिछले साल....

श्री सभापति : नो पाइंट आफ आर्डर। पाइंट आफ आर्डर पर पाइंट आफ आर्डर क्या मतलब है? कुछ कहना है आप कहियेगा।

श्री टीकमचन्द कांत (सिवाना) : सभापति महोदय, पाइंट आफ इनफार्मेशन सर। अभी जो बात हुई 10 हजार लोगों के मरने की वह कहां प्रमाणित हुई? यह बार बार 10 हजार का आंकड़ा इसमें दिया यह आप प्रमाणित करो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति जी, मैं यह नहीं कह रहा था। मैं माननीय मदेरणा साहब की इस बात से सहमत

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

था कि रीसेंट आकरेंस का जो मतलब है नियम 131 के अन्तर्गत उठाया जा सकता है और यह रीसेंट आकरेंस नहीं है उनके हिसाब से। इसलिए मैं मदेरणा साहब की बात से सहमत हूं और आप व्यवस्था दें, क्योंकि मैटर रीसेंट आकरेंस का नहीं है इसलिए काल अटेंशन के रूप में इसको नहीं लिया जाय और इस पर चर्चा नहीं की जाये।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय सभापति महोदय, यह मैंने रीसेंट आकरेंस का ही काल अटेंशन दिया है इसलिए कि इसमें मलेरिया तो फैला पहले और चूंकि उस समय यह फैला उस समय यह सरकार विफल रही।

This Government was completely failed to protect the people. और उसी वक्त यह अंदेशा था कि अब गर्मियों में, माननीय सभापति महोदय....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : रीसेंट आकरेंस पर बोलें।

श्री विष्णु मोदी : हां, उसी पर बोल रहा हूं।

श्री सभापति : The House is seized with the matter. जब मैटर अलाऊ हो गया, बात हो गयी, स्टेटमेंट हो गया—अब सवाल यह है कि सवाल कौनसा पूछा जाये। मैंने निवेदन किया माननीय सदस्य को वह यह किया कि आप जो डिटेल्स देना चाहते हैं वह न देकर, डिटेल्स तो मंत्रीजी ने दे दी। आपके ध्यान आकर्षण पर डिटेल्स आ गयीं। अब उसमें कहीं कमी रह गयी है तो कुछ और सवाल के रूप में पूछिये। मेरी व्यवस्था साफ है....

श्री विष्णु मोदी : माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी से।

श्री सभापति : I will allow you Sir.

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय सभापति जी, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि मलेरिया के प्रकोप के समय निदेशक मेडिकल एण्ड हैल्थ से जोधपुर के लिए मलेरिया निरोधक दवायें कब भेजी गयीं, कितनी मात्रा में भेजी गयी और उसका उपयोग किस प्रकार से किया गया ? जोधपुर जिले के मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी ने अपने स्तर पर मलेरिया निरोधक दवाइयां कब और किस समय और कितनी खरीदीं ? जोधपुर सी. एम. एण्ड एच. ओ. द्वारा खरीदी गयी दवाइयां क्या निर्धारित मूल्य पर खरीदी गयीं या निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर खरीदी गयी ? अब की गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में कई ज्ञापन राज्य सरकार को दिये हैं उसमें आज तक क्या कार्यवाही की ?

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा है कि जोधपुर संभाग में राज्य सरकार द्वारा कौन-कौन सी दवायें कब-कब दी गयीं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 27 सितम्बर को 2 लाख क्लोरोक्वीन 4 अक्टूबर को 5 लाख, 16-10 को 5 लाख, 25-10 को 1।। लाख और 27-10 को 5 लाख यह इतनी दवायें वहां उस जोन के अन्दर वितरित की गयीं.....

श्री परसराम मदेरणा : क्या दवाई दी गयी ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्लोरोक्वीन यह जोधपुर जोन के डायरेक्ट को मलेरिया से प्रभावित क्षेत्र में वितरित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गयी। यह क्लोरोक्वीन है। अब प्राइमाक्वीन का और बता देता हूं। 1-10 को 1 लाख, 10-10, को 4 लाख, 16-10 को 10 हजार, 22-10 को 70 हजार, 25-10 को 4 लाख और 27-10 को 2।। लाख। इसके अलावा, सभापति महोदय, क्योंकि यह दवाइयां समय पर नहीं पहुंची या कई बार स्थानीय तौर पर, क्योंकि मलेरिया फैल रहा था इसलिए हमने उनको अधिकृत भी किया था कि आप स्थानीय तौर पर भी दवाइयों की कमी नहीं रहे। जोधपुर संभाग में मलेरिया से पीड़ित व्यक्तियों के पास सरकार द्वारा वितरित की जा रही मुफ्त में दवाई उपलब्ध रहे इसलिए स्थानीय तौर पर भी वह क्रय कर लें। जोधपुर सी. एम. एण्ड एच. ओ. ने 17-9-94 से लेकर 17-10-94 तक विभिन्न मेडिकल हाल से 1 लाख 52 हजार 420 रुपये की क्लोरोक्वीन व आर. डी. पी. एल. से 27-10 और 28-2 के मध्य 2 लाख 28 हजार की क्लोरोक्वीन यहं उन्होंने खरीदीं। इसके अलावा आर. डी. पी. एल. से टेट्रासाइक्लीन केपसूल भी 1 लाख 25 हजार खरीदे। इसके अलावा मेलोसिट टेबलेट्स भी वहां उन्होंने स्थानीय तौर पर 17-10 से 28-10 के बीच में 44 हजार 60 गोलियां 79,822 रुपये की खरीदी। इसके अलावा, सभापति महोदय, 3-9-94 को 19,991 रुपये की क्योरोक्वीन इन्जेक्शन भी खरीदे।

श्री सभापति : एक सवाल और आप पूछ लीजिए।

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय सभापति महोदय, मैं सवाल पूछ रहा हूं। इसका स्पष्टीकरण तो ले लूं। माननीय सभापति जी, जो जोधपुर सी. एम. एण्ड एच. ओ. द्वारा दवाइयों की खरीद की गयी उन दवाओं में भारी अनियमिततायें हुई हैं। जैसे क्लोरोक्वीन 613 गोली का कन्ट्रोल रेट प्रति हजार है वह 850 रुपये प्रति हजार से खरीदी गयी और थोक दुकान से नहीं खरीद कर रिटेल दुकान से खरीदी गयी। इस तरह से इसमें 237 रुपया प्रति हजार के हिसाब से इसमें अधिक पैसे दिये गये। साथ ही जो आप यह कह रहे हैं कि विभिन्न दुकानों से खरीदी गयी तो एक ही दुकान से और

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

एक ही बिल बुक से 30-9-94 से लेकर 28-10-94 तक खरीदी गयी जिसमें भारी अनियमितता हुई है और बाजार में उस समय इसी भाव से 10 लाख गोलियां जोधपुर के अन्दर थीं, इसी भाव से जो कंट्रोल रेट से सी. एम. एण्ड एच. ओ. को मिल रही थी। यदि सी. एम. एण्ड एच. ओ. चाहते तो दवाइयां वहां से खरीद सकते थे। इसी तरह से जो इन्जेक्शन खरीदे गये हैं, इन्जेक्शन की रेट जो कंट्रोल रेट के अन्दर....

श्री सभापति : छोड़ दीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : उनको ढूंढने दें, सभापति महोदय, बहुत बड़ा घपला है। जबरदस्त एम्बेजलमेंट हुआ है।

श्री राजेन्द्र गहलोत : इसलिए तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि मलेरिया निरोधक इंजेक्शन की कंट्रोल रेट 5 रुपये 26 पैसे हैं उसको 15 रुपये 38 पैसे में खरीदा गया। इस प्रकार की जो दवाइयां खरीदी गयी हैं उससे सरकार की मंशा थी कि मलेरिया से पीड़ित लोगों को राहत मिले, उनको मदद मिले। माननीय मंत्रीजी के आग्रह पर जोधपुर की समाजसेवी संस्थाओं, के समाज सेवक जो मंत्रीजी की अपील पर सब सेवा में लग गये, उसके बाद सरकारी अधिकारी, जो सरकार की मंशा होने के बाद भी इस विपत्ति के समय, मानवता के नाते, ईमानदारी से और सेवा-भावना से काम करना चाहिए था। सरकारी अधिकारियों ने सरकार की मंशा होने के बाद भी, सरकार के हर स्तर पर, माननीय उप मुख्य मंत्रीजी....

श्री सभापति : अब समाप्त करें। माननीय मंत्रीजी जवाब देंगे। प्लीज सिट डाउन। आपको जवाब दिला रहे हैं न ? I will let you the reply.

श्री राजेन्द्र गहलोत : इस विपत्ति के समय मलेरिया के प्रकोप के समय जिन अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया है, अनियमितताएं की हैं जिसके सम्बन्ध में कई बार माननीय मंत्रीजी को पत्र दिये हैं, माननीय मंत्रीजी ने उन ज्ञापनों पर जांच भी करवाई हैं, परन्तु आज तक कोई जांच रिपोर्ट आयी नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिन अधिकारियों के ऊपर विश्वास करके जिस प्रकार से गत वर्ष अभियान चलाया गया था आज भी मलेरिया की गम्भीर स्थिति हो गयी है, उस गम्भीर स्थिति में जिन अधिकारियों ने अनियमितताएं की है ..

श्री सभापति : समाप्त करें। माननीय मंत्रीजी जवाब देंगे। नाउ प्लीज, सिट डाउन। मन्तव्य आ गया है अब आप बात आने दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, स्थानीय तौर पर जोधपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जो दवाइयां क्रय

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कीं, वह किसी एक ही मेडिकल स्टोर से न करके उन्होंने अलग-अलग तिथि मे अलग-अलग मेडिकल स्टोर से की। गांधी मेडिकल हाल से की, ऑर्थो मेडिकल स्टोर से की, अशोका फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर से की। समापति जी, इसमें कोई शक नहीं कि इन दवाओं को क्रय करने में प्रति हजार उनका मूल्य अलग-अलग जरूर आया है। जो दवाई गांधी मेडिकल हाल, जोधपुर से खरीदी गयी वह 715 रुपये प्रति हजार से खरीदी गयी और जो ऑर्थो मेडिकल स्टोर, जोधपुर से खरीदी गयी वह 850 रुपये प्रति हजार से खरीदी गयी। निश्चित तौर पर एक ही तरह की दवाइयां और उसमें एक बार खरीदी जाए 715 रुपये में और दूसरी बार खरीदी जाए 815 रुपये में, इसमें कहीं न कहीं अनियमितता हो सकती है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर जो प्रकरण ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से मेरे ध्यान में लाया गया है, इससे पहले भी इसकी चर्चा जरूर हुई है, परन्तु जो तथ्य आपने प्रस्तुत किये हैं, निश्चित रूप से उप शासन सचिव स्तर के अधिकारी से जांच करवाऊंगा और जांच के अन्दर जो भी अधिकारी दोषी होगा निश्चित रूप से उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी।

श्री समापति : माननीय श्री विष्णु मोदी। ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गहलोत : समापति महोदय,....

श्री समापति : Please sit down now. Enough. Please sit down, कृपया बैठें। सहयोग करें आप।

श्री राजेन्द्र गहलोत : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा आर्थो मेडिकल जो फर्म है वह रिटेल की फर्म है....

श्री समापति : आप तथ्य दे दीजिए, इन्क्वायरी हो जाएगी....

श्री राजेन्द्र गहलोत : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सी.एम. एण्ड एच. ओ. के जोधपुर रहते हुए....

श्री समापति : प्लीज सिट डाउन। I say please sit down.

श्री राजेन्द्र गहलोत : जो अधिकारी अभी सी. एम एण्ड एच. ओ. जोधपुर में है उसके जोधपुर में रहते हुए इसकी जांच पूरी नहीं हो सकती। तथ्यों को दबाया जाएगा। आज जोधपुर में एक वर्ष से लगातार मांग हो रही है। एक मात्र फर्म है जिससे अलग-अलग तारीखों से....

श्री समापति : माननीय सदस्य, जांच हो जाएगी। बात आ गयी। उन्होंने मान ली।

श्री राजेन्द्र गहलोत : जांच से कुछ

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

नहीं होगा। जांच करने से पहले उसको ए. पी. ओ. किया जाए, उसे सस्पेंड किया जाए और उसके बाद में जांच की जाए।

श्री परसराम मदेरणा : मेडिकल एण्ड हेल्थ मिनिस्टर ने अपने स्वयं के स्टेटमेंट में उन्होंने यह स्वीकार किया है अलग-अलग फर्म से वही मेडिसनस् अलग-अलग रेट्स से खरीदी हैं। प्राइमाफेसी उसने ग्रासिटेबल सीमिंगली गलती की है। प्राइमाफेसी केस उसके खिलाफ बनता है। सरदारपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने उसके खिलाफ कार्यवाही की बात की है। अगर प्राइमाफेसी केस है और उसने स्पष्टतया यह बेईमानी की है He should be place under suspension

श्री राजेन्द्र राठोड : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो दवाइयां क्रय की गयीं, दवाइयों का मेक एक था, परन्तु बनाने वाली कम्पनी अगल-अलग हो सकती हैं, एक ही दवाई अलग-अलग कम्पनियां बनाती हैं उसकी राशि भी अलग-अलग हो सकती है, यह सारा विषय जांच का विषय है, मैं जांच करवाने के लिये बिलकुल तैयार हूं और जांच के तथ्यों से मैं माननीय सदस्य को भी अवगत करवा दूंगा और, सभापति महोदय, जांच स्थानीय तौर से नहीं करवा करके उप शासन सचिव स्तर के अधिकारी से करवाऊंगा....

श्री राजेन्द्र गहलोत : उसको हटाकर के जांच करवाई जाए .... (व्यवधान) एक चीज बता दीजिए। दो सौ लीटर कैरोसिन जोधपुर सी. एम. एण्ड एच. ओ. ने डी. एस. ओ. से अलाटमेंट करवाया, मलेरिया के प्रोग्राम के लिए, परन्तु वह 200 लीटर कैरोसिन काम में नहीं आया वह अन्य स्थान पर चला गया। इस तरह की अनेक बेईमानियां हैं....

श्री सभापति : सारे प्रकरण की जांच हो जायेगी।

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं आप उसको सस्पेंड करें और अगर नहीं करते है तो उसको ए. पी. ओ. करके जयपुर बुला लें। ऐसे व्यक्ति से आप मलेरिया प्रोग्राम चलाएगें तो इस तरह की अनियमितताएं होंगी, सरकार की छवि खराब होगी। आज सरासर उसकी बेईमानी सामने आयी है। एक नहीं ऐसी दस दवाइयां खरीदी गयी हैं। मैं तथ्य सदन के सामने रख सकता हूं।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें आप।

श्री राजेन्द्र गहलोत : यह सरकार मलेरिया के प्रोग्राम में मलेरिया पीड़ितों के लिए सहायता पहुंचाना चाहती है, बिचोलिए उस सहायता को खा जाते है तो सरकार की बदनामी होती है। सरकार ने मलेरिया रोग से मुक्ति के लिए रोगियों की हर तरह की मदद करने की कोशिश की....

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें, There should be end to it.

श्री राजेन्द्र गहलोत : पूरी मदद उनको नहीं मिलती है।

श्री सभापति : प्लीज सिट डाउन नाउ। नाउ कोआपरेट। आपको इतना समय दिया गया। यू हैव सैड एनफ और इन्क्वायरी की बात हो गयी। इसके बाद और क्या चाहते हैं?

श्री राजेन्द्र गहलोत : इन्क्वायरी से पूर्व उनको वहां से हटाया जाए।

श्री सभापति : अब मंत्रीजी नहीं चाहते हैं उनको वहां से हटाना।

श्री राजेन्द्र गहलोत : अनियमितताएं सिद्ध हो रही है....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत करा देना चाहता हूं जांच हो जाएगी, जांच के बाद जो जांच रिपोर्ट आयेगी उसके आधार पर कार्यवाही हो जाएगी....(व्यवधान)

श्री सभापति : नाउ प्लीज सिट डाउन। एनफ कमिटमेंट।

श्रीमती कमला : सभापति महोदय, मैं केवल एक ही बात पूछना चाहती हूं कि जब टेंडर या कोटेशन लेने के बाद में दवाइयों में इतना फर्क कैसे आया, क्योंकि टेंडर्स लेने के बाद जो लोअस्ट टेंडर होता है ...(व्यवधान)

श्री सभापति : इसमें टेंडर का सवाल नहीं था, मैडम। इसमें तुरन्त दवाइयां खरीदनी थीं ...

श्रीमती कमला : अगर बिना परचेज कमेटी के दवाइयां खरीदी गयी हैं.... (व्यवधान)

श्री सभापति : House may come to order please.

श्री विष्णु मोदी। ....(व्यवधान) राजेन्द्र जी बैठे आप, I will allow you. Please sit down. पहले जिनका ध्यान आकर्षण है वह पूछेंगे।

श्री विष्णु मोदी : सभापति महोदय, मलेरिया के सम्बन्ध में जैसा की मदेरणा साहब ने फरमाया था कि रीसेंट ऑकरेंस होना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि पहले बरसात हुई, माननीय मंत्री महोदय ने अपने जवाब में भी स्वीकार किया है कि वेस्टर्न राजस्थान में पानी खड़ा था। सभापति महोदय, जो मच्छर की ब्रीडिंग होती है वह स्टेगनेंटवाटर में होती है, तो पहले सरकार असफल रही कि जब हैवी मानसून हुआ तो वह यह अन्दाज नहीं लगा सकी कि इससे मलेरिया फैलेगा।

(श्री विष्णु मोदी)

फिर गुजरात में जब प्लेग फैला उस वक्त मलेरिया के कितने ही सारे बयान है कि जितनी जांच की गयी उसमें मलेरिया पाया गया। तब भी यह सरकार नहीं जागी। बाड़मेर कलेक्टर ने जब रेवेन्यू अभियान के दौरान एक गांव में गये तो कोई आदमी उनको वहां नहीं मिला, दूसरे गांव में गये वहां कोई आदमी नहीं मिला उन्होंने जानकारी की तो पता लगा कि यहां तो मलेरिया भयंकर रूप से फैला हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, मैं सवाल पूछने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूं कि डायरेक्ट्रेट आफ मेडिकल एण्ड हेल्थ में एक सेल बना हुआ है और यह एक प्रक्रिया है कि जहां कहीं किसी भी अस्पताल में बीमारी की बढ़ोतरी होती है तो उसकी सूचना निदेशालय में आती है और उससे प्रिवेंटिव और जो भी मेजर्स इफेक्टिव जो होते हैं वे करते हैं। लेकिन यह सरकार यह सोचने में असफल रही कि भारी बारिश है, इससे मलेरिया फैल जाएगा, फिर प्लेग फैला, उस वक्त मलेरिया के सैम्पल पाये गये तब इनकी आंख नहीं खुली और दुर्भाग्यवश मुख्य मंत्रीजी यहां नहीं थे, वे अमरीका गये हुए थे, तो सरकार बिलकुल ठप्प थी, सो रही थी। जब मुख्य मंत्रीजी वापस आये तब जाकर इस बात की सीरियसनेस हुई और बाड़मेर कलक्टर ने जब वहां से सैक्रेटरी मेडिकल एण्ड हैल्थ को कम्यूनिकेट किया, उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। माननीय सभापति महोदय, सवाल पूछने से पहले मैं एक मिनट के लिए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 11 नवम्बर, 1994 को....

श्री रोहिताश्व (यातायात राज्य मंत्री) : यह पुरानी बात क्यों बोल रहे हैं।

श्री विष्णु मोदी : आप तो सुनो, आपको जानकारी ही नहीं है मैं क्या बोल रहा हूं। आप मान्यवर, यातायात की बात करना मलेरिया के बाद में।

एक माननीय सदस्य : वे डाक्टर हैं।

श्री विष्णु मोदी : वे डाक्टर कौन से हैं वह मुझे मालुम है। माननीय सभापति महोदय, सरकार की यह कितनी अहम बात थी, 11 नवम्बर, 1994 को मैंने सैक्रेटरी, मेडिकल एण्ड हैल्थ को चिट्ठी लिखी और उसमें मैंने 13 बातें पूछी कि कब कौन अधिकारी गया, क्या किया, यह सब कृपया, क्योंकि अखबारों में, माननीय सभापति महोदय, आज लोग मरे उसकी हानि हुई लेकिन इसके अलावा हमारा ट्यूरिज्म चौपट हो गया और इससे पूरे विदेश में हमारी साख गिरी, क्योंकि मलेरिया एक ऐसी चीज थी जो कि इरेडिकेट हो चुका था इस कन्ट्री में, लेकिन वह वेंजियंस के साथ आया। फिर वह सैक्रेटरी साहब 11 नवम्बर की चिट्ठी का 24 दिसम्बर को एक चिट्ठी डिप्टी सैक्रेटरी लिखते हैं मेडिकल हैल्थ को I am directed to enclose herewith a

(श्री विष्णु मोदी)

copy of letter....Please take on the suggestions made by Shri Modiji and in form this Department aecordingly.

तो मैंने वापस सैक्रेटरी साहब की चिट्ठी लिखी कि मैंने कोई सजेशंस तो दिये ही नहीं है, मैंने तो नियरली इन्फार्मेशन मांगी है। उसके बाद 26 जनवरी को फिर लिखा उनको, तो फिर एक डिप्टी सैक्रेटरी साहब की 9 फरवरी की चिट्ठी आयी, वह डायरेक्ट्रेट को लिखा कि यह जो इन्फार्मेशन मांगी है वह आप माननीय सदस्य को सीधी भेजें लेकिन मेरे पास आज तक कोई इन्फार्मेशन नहीं आयी। यह तो इस सरकार का काम करने का तरीका है।

माननीय सभापति महोदय, बारिश हुई, पानी इकट्ठा हुआ और ये मच्छर पैदा हुए, ब्रीड हुई। जब मुख्य मंत्रीजी वापस आये अमरीका से.....

श्री सभापति : वह बात हो गयी है, आप सवाल पूछ लीजिये।

श्री विष्णु मोदी : मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि कब वेस्टर्न राजस्थान की डिसपेंसरियों में आपको यह इन्फार्मेशन मिली डिपार्टमेंट के सेल को कि यहां मलेरिया के रोगी बढ़ गये आउट डोर और इनडोर में और कब डायरेक्टर मेडिकल एण्ड हैल्थ ने पिन पाइंटेडली सैक्रेटरी मेडिकल एण्ड हैल्थ को इन्फार्मेशन दी, कब सैक्रेटरी मेडिकल एण्ड हैल्थ ने आपको इन्फार्म किया? कब कलक्टर बाड़मेर ने गवर्नमेंट को कम्यूनिकेट किया, चीफ सैक्रेटरी और मेडिकल सैक्रेटरी को और कब आपकी यहां से इसके ऊपर कार्यवाही शुरू हुई?

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मैंने अभी मेरे उत्तर में बताया था कि मलेरिया 1 जनवरी, 1994 से लेकर 31 अगस्त, 1994 तक जो मलेरिया के रोगी 1994 में थे, उतने के उतने ही रोगी 1993 में भी थे। मेरा कहने का मतलब यह है कि 31 अगस्त तक मलेरिया कोई महामारी का रूप ले रहा है इसका अन्दाजा न हम लोगों को था और न किसी और को था। 31 अगस्त के बाद ज्यों ही यह खबर आने लगी कि मलेरिया के रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है....

श्री विष्णु मोदी : माननीय सभापति महोदय, मैं पूछ रहा हूं कि कब वहां की डिस्पेंसरियों के अन्दर इनडोर और आउटडोर पेशेंट की संख्या बढ़ी और कब डायरेक्ट्रेट के अन्दर जो सेल बना हुआ है उसमें इन्फार्मेशन आयी, कब डायरेक्टर मेडिकल एण्ड हैल्थ ने गवनमेंट को इन्फार्म किया, कब कलक्टर बाड़मेर ने? महामारी फैलने की आशंका थी या नहीं थी उसकी तो अब मैं आपको दूसरी बात बताऊंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, सितम्बर के दूसरे सप्ताह में पूरे जोधपुर सम्भाग के विभिन्न प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों से यह सूचना आनी प्रारम्भ हो गयी थी कि मलेरिया के रोगियों की संख्या बढ़ रही है।

श्री विष्णु मोदी : कितनी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अगर आप आंकड़े चाहेंगे तो वह भी दे दूंगा। सरकार ने उसी वक्त भी इसके लिए एक सघन कार्यकारी योजना बनायी और जैसा कि मैंने निवेदन किया कि सरकार ने जोइंट डायरेक्टर के स्तर के अधिकारी को अलग-अलग जोन में भेजकर और वहां स्थिति का मूल्यांकन करके क्या कार्यवाही की जा सकती है, उसके बारे में सुनिश्चित किया और 2 अक्टूबर से लेकर 15 नवम्बर तक हमने एक सघन कार्यक्रम चलाया, उसमें दो करोड़ से ज्यादा राशि सरकार ने खर्च की। मोबाइल टीम बनायी, सर्वेइलेंश किया और उसके लिए दवाई वितरण केन्द्रों की स्थापना की। अब, सभापति महोदय, यह इस तरह की बात है जो आज पहली बार तो हुई नहीं, यह आये साल जब-जब भी बरसात ज्यादा होती है निश्चित तौर पर तब-तब मलेरिया का प्रकोप बढ़ा। अभी आपने कहा कि पर्यटक आना बन्द हो गये और पर्यटन विभाग को धक्का लगा, इसमें मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि जिस तरह से मलेरिया जैसे संवेदनशील मामले में हम लोग राजनीतिक विचारधारा से अलग हटकर समझें कि एक इस तरह की त्रासदी आ गयी हमारे सामने, सबको मिलकर काम करना चाहिए, एक्चुअल में जाकर फील्ड में काम किया नहीं और लगातार बयान देने चालू कर दिये, किसी ने कहा 10 हजार मर गये, किसी ने कहा 5 हजार मर गये और इसका नतीजा यह रहा, सभापति महोदय, कि जब प्रधान मंत्रीजी ने बैठक बुलायी तो उन्होंने इस चीज पर चिन्ता व्यक्त की कि इस तरह के बयान क्यों आ रहे हैं। इसके बाद उनके कहने पर एक केन्द्रीय जांच दल यहां पर आया और केन्द्रीय जांच दल ने राजस्थान के अलग-अलग जिलों के अन्दर दो दिन तक भ्रमण किया और भ्रमण करने के पश्चात् यहां केन्द्रीय राज्य मंत्री के नेतृत्व में जो बैठक हुई तब उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने समय रहते मलेरिया के फैलाव को रोकने के लिए समुचित कदम उठाये और हम उस सारे कार्यक्रम की प्रशंसा करते हैं।

इसी तरह, माननीय सभापति महोदय केन्द्रीय स्तर पर पूरी चीज का मूल्यांकन हुआ और मैं माननीय सदस्य को यह अवगत कराना चाहूंगा कि वर्तमान में 1 जनवरी से लेकर हम लोगों ने एक सघन अभियान चलाया और अब जिन जिलों में ज्यादा पिछली बार मलेरिया फैला था उनमें हम लोगों ने क्रेश प्रोग्राम दिया, मोबाइल टीम भी गठीत हुई है, दवाई वितरण केन्द्र भी है, स्प्रे टीम भी है और निश्चित तौर पर मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत करान।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

चाहूंगा कि मुझे और सरकार को पूरी चिन्ता है और माननीय मुख्य मंत्रीजी प्रत्येक 15 वें दिन हम लोगों से जानकारी भी प्राप्त करते हैं कि मलेरिया के कितने रोगी कहां से आ रहे हैं, क्या-क्या कार्यवाही हो रही है।

श्री सभापति : श्री कालूलाल गुर्जर, आप पूछ रहे हैं कोई सवाल ?

श्री विष्णु मोदी : माननीय सभापति महोदय, एक सवाल और पूछना है, जवाब तो आया नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जवाब इतना सा आया है कि भारत सरकार की रिपोर्ट आ गयी, भारत सरकार से आप आजकल नाराज हैं।

श्री पराक्रम सिंह (बनेड़ा) : इन्होंने ऐसे वक्तव्य देकर ट्यूरिज्म को गिराया है।

श्री सभापति : प्लीज सिट डाउन।

श्री विष्णु मोदी : माननीय सभापति महोदय, यह जो मच्छरों की ब्रीडिंग हुई बारिश के बाद, इतनी ज्यादा ब्रीडिंग, अब ज्यों ही सर्दी कम होगी, उसकी ब्रीडिंग होगी और जितना मलेरिया का प्रकोप उस वक्त था उससे दुगुना प्रकोप अब होगा और आज वैस्टर्न राजस्थान में और पूरे राजस्थान में मच्छरों की यह हालत है, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्रैस प्रोग्राम चलाया, आप न तो उस वक्त रोक पाये थे और कलक्टर, बाड़मेर ने खबर की तब मुख्य मंत्रीजी आये, उसके बाद में कोई सरकार जागी और अब मुख्य मंत्रीजी हैं इसलिए उतनी चिन्ता की बात नहीं है लेकिन....

श्री सभापति : तीसरी बार आपके लिए कहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप चिन्ता मत करो मच्छरों को मारेंगे। विपक्ष के नेता ने अभियान चलाया है उस अभियान के साथ हम भी हैं।

श्री सभापति : एनी क्वेश्चन ?

श्री कालूलाल गुर्जर (मांडल) : माननीय सभापति महोदय, मैं एक सवाल की ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं....

श्री रामनारायण चौधरी : विपक्ष के नेता तो 20-25 रोज मारते हैं, आप कितने मारते हो रोज ?

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापति महोदय, अभी मैं टी. वी. में सुन रहा था कि मुख्य मंत्रीजी ने किसी अभियान का उल्लेख किया। किस अभियान का ? Brazerness is not politeness.

मैं तो मच्छर मारने की इसलिए कह रहा था कि where you have failed.

(श्री परसराम मदेरणा)

मुझे जो मच्छर मारने पड़ रहे हैं और मैं ईमान से कहता हूं If there is God above me....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हमारे विरोध नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : If there is God above me, I speak the truth and nothing but the truth.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी सुनो।

श्री परसराम मदेरणा : मैं डेली 4-5 मच्छर तो मारता हूं इसलिए मैंने उस दिन मंत्रीजी को भी बुलाया था, सो नहीं सकता। My skin is very sensitive. मैं अगर सोता हूं और मक्खी भी बैठ जाएगी तो मुझे नींद नहीं आती है। इसलिए मच्छर कई दफा मुख्य मंत्रीजी यह कह रहा हूं आपसे कि पहले तो मुझे खाता है और मुझे खाने के बाद में वह कहीं दब जाता है और सुबह उसका मेरे तकिये के ऊपर खून मिलता है और वह खून साफ ही नहीं होता है। ऐसी तकिये की खोलियां 3-4 मैं आपको बताऊंगा जहां पर वह मर गया है दबकर, मलेरिया जबर्दस्त फैला हुआ है। सबसे बड़ी गलती यह हुई है मुख्य मंत्रीजी, अपने को स्वीकार करना चाहिऐ कि राष्ट्रीय स्तर पर इरेडिकेशन वह उन्होंने खतम मान लिया 10-15 साल पहले....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 1982 से।

श्री परसराम मदेरणा : आप बैठिये 1982 का मुझे पता है इसके बारे में। अब यह मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम चल रहा है, बेसिक गलती यहां हो रही है। अब मनमोहन सिंहजी का जो बजट आया है, मुख्य मंत्रीजी, इन्होंने मलेरिया के लिए ग्रान्ट-इन-एड दी है ईस्टर्न स्टेट्स को, हालांकि उनकी प्राब्लम्स अपने से ज्यादा है, ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत नदियां हैं वहां पर लेकिन राजस्थान के अन्दर कोई स्टेट मिनिस्टर आया होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का यहां पर, उनको आपने खाना-वाना खिलवा दिया, अच्छी तरह से रवाना यहां से कर दिया, अब कोई गवर्नमेंट आफ इण्डिया के किसी स्टेट मिनिस्टर ने आपको सर्टिफिकेट दे दिया है, आप ग्राउण्ड रियलिटी को देख लें, नहीं, मैं इसको पालिटिकल इश्यू बनाना ही नहीं चाहता हूं। मुख्य मंत्रीजी मैंने इनको पत्र लिखा, आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर को और उसकी एक कापी आपको केवल से भेजी थी। आप वहां से आये, अमेरिका से और दूसरे दिन हवाई जहाज में यहां के सैक्रेटरीज को रवाना किया, ये दोनों ही हैलीकाप्टर में घूम रहे थे, मच्छर मार रहे थे ऊपर आसमान में या क्या कर रहे थे दोनों? आपने आते ही इमीजिएटली दो-दो सैक्रेटरीज को एक-एक जिले में लगाया, इसका मतलब यह है कि ये कुछ कर नहीं रहे थे। आप आये तो आपने सिचुएशन को रियलाइज किया। मैंने उसमें लिखी है कि आप लोग फैल हो गये हैं और

(श्री परसराम मदेरणा)

कम्प लीटली विफल होने के बाद में जब ये चीफ मिनिस्टर वापस आये और आने के बाद में इसकी ग्रेविटी को समझा. तो सैक्रेटरीज को दौड़ाया। उसके बाद में निश्चित तौर पर कुछ दवाइयां भी बढ़ीं, अमाउण्ट का भी कुछ अलोकेशन हुआ अलग-अलग. जिलों के अन्दर। यह बात अलग है कि दवाइयों की खरीद में घपला हुआ है। घपले के अन्दर ये क्या कार्यवाही करेंगे घपला दोनों ही मान रहे हैं, वह कह रहे हैं कि घपला हुआ है और यह कह रहे हैं कि घपला हुआ है और करना कुछ नहीं चाहते हैं दोनों ही।

तो मेरा निवेदन करने का मतलब यह है कि मच्छर इरेडिकेशन का और उन्मूलन का जो प्रोग्राम है, एफ्रेश इसको हाथ में लेना पड़ेगा, जिस वक्त खतम हुआ था ढाणियों के अन्दर मैं आपसे कह रहा हूं कि जहां फिनिट छिड़का जा रहा था और डी. डी. टी. छिड़का जा रहा था। आज बाड़मेर की स्थिति यह है कि आप टेलीफोन से कलक्टर से बात कर लीजिए मुख्य मंत्रीजी, अभी एक सैकण्ड में हाट लाइन पर बात हो जाएगी, डी. डी. टी. इनइफेक्टिव है, बी सी. सी. पाउडर लगाओ नहीं तो मच्छर नहीं मरेंगे।

श्री भैरोंसिह शेखावत : सभापति, महोदय, विपक्ष के नेता ने जो चिंता प्रकट की है उसके साथ मैं भी हूं। यह बात सही है कि पिछले कुछ वर्षों में इस देश में इस प्रकार का वातावरण बना कि हमने मलेरिया को खतम कर दिया। मानसिक दृष्टि से भी लोग यह स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि मलेरिया की बीमारी है बल्कि यह हालत थी कि कोई मलेरिया से बीमार होकर हास्पिटल में चला जाय तो डाक्टर्स भी प्रेस्क्रिप्शन स्लिप में यह नहीं लिखते थे कि यह मलेरिया का पेशेंट है। एक प्रकार से हमने मलेरिया का इरेडिकेशन कर दिया लेकिन वास्तव में हुआ नहीं। जो बचा था वह धीरे-धीरे बढ़ता-बढ़ता अब ऐसी स्थिति में....(व्यवधान)... क्या ?

श्री विष्णु मोदी : इरेडिकेशन हो चुका था लेकिन चूंकि राज्य सरकार ने ध्यान नहीं दिया. ध्यान नहीं दे पायी इसलिए हुआ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मई इरेडिकेट हो जाता तो मच्छर बोलते क्यों ?

श्री परसराम मदेरणा : वह थोड़े से रेमनेंट, उन मच्छरों के मामूली रेमनेंट रह गये थे पीछे—Small remnant, you see of that big army. वह पीछे रह गये थे वह फिर फैल गये.... (व्यवधान)

श्री सभापति : वह सदन में आ गये। आर्डर प्लीज, सिट डाउन प्लीज। श्री वी. पी. सिंहजी, प्लीज सिट डाउन।

श्री भैरोंसिह शेखावत : सभापति महोदय, यह मामला बिलकुल सीरियस है....

श्री जुबेर खान : मुख्य मंत्रीजी, मोदी जी कह रहे हैं कि मुझे कह रहे हैं या बी. पी. सिंहजी के लिए कह रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मैं तो आपको ही नहीं कह रहा हूं तो इनसे कैसे कह सकता हूं।

सभापति महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि यह राजनीतिक विषय नहीं है जितनी आपको चिन्ता है उतनी ही चिन्ता हमको भी है। किस प्रकार से इस मलेरिया का उन्मूलन किया जाए और मलेरिया के कारण से जो लोग पीड़ित हैं उनकी चिकित्सा सुविधा का इंतजाम किस प्रकार से किया जाए ? मैं इतना ही कह सकता हूं कि सरकार सतर्क है और लगातार हम इस बात की चिन्ता कर रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं कि यह बीमारी फैले नहीं और जो बीमारी से पीड़ित हैं, उनको समय पर जितनी भी तत्काल हम सुविधा या दवाइयां दे सकते हैं उसका प्रबन्ध करें।

अब एक अच्छी बात है मलेरिया का, मेरा तो पिछली बार का अनुभव है और वह अनुभव मैं समझता हूं बड़ा कटु अनुभव है, मुझे याद नहीं, आप लोगों को याद होगा, हैल्थ मिनिस्टर साहब को याद होगा कि कितने इंजेक्शंस और कितनी यिल्स आदमी को लेनी चाहिये। उसका एक पूरा कोर्स है, ज्यादा शिकायतें इस बात की आयीं कि एक कोर्स लेने के बाद, एक टाइम की दवाई लेने के बाद या इंजेक्शन लेने के बाद ज्यों ही बुखार उतरा आदमी काम पर चला गया और दूसरी दवाई ली नहीं, दूसरी डोज ली नहीं उस कारण से रिपीटिशन हुआ।

मैं समझता हूं कि यदि हम सब वातावरण इस बात का बनाएंगे कि जो भी मलेरिया का पूरा उपचार होने के लिए प्रेएक्राइब्ड डोजेज हैं, उन डोजेज को लें, दवाइयों की कोई कमी नहीं रहेगी और सदन के माननीय सदस्यों को यह सूचित करना चाहूंगा कि आपको कहीं से भी कोई जानकारी मिले, पहला काम है आपका कि कलक्टर को इत्तला दें, कलक्टर यदि रेस्पांस अच्छा नहीं देते हैं तो हम जिम्मेदार हैं, उसकी भी जानकारी हमें दें और उस जानकारी के आधार पर जो भी कार्यवाही हो सकती है वह करेंगे। यह मलेरिया न तो कोई राजनैतिक विषय है न कोई कांग्रेस का मलेरिया है और न बी. जे. पी. का मलेरिया है। यह तो दोनों के लिए मलेरिया है और दोनों मिलकर इसको खतम करना है और मच्छरों को मारना है।

श्री शिवनाथ सिंह : इसलिए सब + + + एक स्वर में बोल रहे हैं।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री सभापति : कालूलालजी अब क्या बात है ?....श्री कालूलालजी एक सवाल पूछना चाहते हैं। डाइल्यूट हो जाएगा।

श्री कालूलाल गुर्जर : सभापति महोदय, एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि उलटी दस्त की बीमारी भी काफी फैल रही है, भीलवाड़ा जिले में बनेड़ा तहसील में काफी बीमार इसके हुए हैं और स्थानीय अधिकारी जरा ध्यान कम दे रहे हैं इसकी व्यवस्था भी कर दें।

श्री सभापति : माननीय, मंत्रीजी टेक नोट आफ इट प्लीज। श्री वी. पी. सिंहजी आप क्या पूछना चाहते हैं ?....(व्यवधान)..

श्री परसराम मदेरणा : मलेरिया जो है वह फीमेल मलेरिया फैलाती है इसलिए बी. जे. पी. और इसका नहीं है लेकिन यह फीमेल मलेरिया ज्यादा बी. जे. पी. के नजदीक है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फीमेल और मेल नहीं होना तो मलेरिया पैदा नहीं होता। आप ही पैदा करने वाले हैं।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, वह इंजेक्ट करता है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप ही हैं क्या पैदा करने वाले ?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : सभापति महोदय, मैं तो एक जानकारी करना चाहता हूं मंत्री महोदय से....(व्यवधान)....

श्री सभापति : माननीय मीणा साहब आप बैठें, प्लीज।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : डब्ल्यू.एच.ओ. के साथ जो रिप्रजेन्टेटिव्ज थे उन्होंने यह कह दिया है कि जो भी प्रिवेन्टिव अपन दे रहे हैं क्लोरोक्वीन और टेट्रासाइक्लीन आज वह इम्यून हो गये हैं। इसलिए एक टीका उन्होंने बनाया है, वह मार्केट में आने वाला है या नहीं वह जानकारी हमें दे दें। डब्ल्यू. एच. ओ. ने भी रिसर्च की है और कहा है कि क्लोरोक्वीन और टेट्रासाइक्लीन ओब्सोलिट हो गयी हैं। ठीक तरह से इनका निराकरण नहीं हो रहा है।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई।

विचारार्थ लिये जाने वाला विधेयक। राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1995–श्री गंगाराम चौधरी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया जाय।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1995

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति : श्रीमती उजला अरोड़ा एवं श्री विष्णु मोदी, सदस्य, विधान सभा

(श्री सभापति)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्तुत करेंगे ।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : सभापति महोदय, मेरा संशोधन प्रस्ताव है कि राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1995 को तीन माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगी कि अभी तक हमने पिछले दिनों कुछ ढाणियों को, कुछ मजरों को गांव बनाया था, कुछ जिलों की घोषणा की थी, कुछ उप-खण्ड भी बनाये थे। मेरे भी इलाके के अन्दर सात ढाणियों को गांव बनाया गया था। जब यह प्रावधान अपने पास था धारा 3 के अन्तर्गत, परिभाषा में स्पष्ट दिया हुआ है कि हमें ये अधिकार प्राप्त है तब यह धारा 16 के अन्तर्गत विधान करना है और आप जो यह संशोधन लाये हैं, संशोधन लाये हैं मुझे इसकी कोई आपत्ति नहीं हैं लेकिन जब प्रावधान है, अधिकार है हमारे पास तब फिर इन संशोधनों को लाने की क्यों आवश्कता पड़ी ? यह मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि अभी ऐसा प्रस्ताव आया है जो इस धारा 3 के अन्तर्गत कवर नहीं होता है। और इसके लिए धारा 16 में संशोधन करना जरूरी हो गया है, माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे।

श्री सभापति : माननीय विष्णु मोदी।

श्री विष्णु मोदी : सभापति महोदय मेरा संशोधन प्रस्ताव है कि राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1995 को तीन माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय। माननीय सभापति महोदय, मैंने तो अपना संशोधन इसलिए दिया है, मुझे वास्तव में इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि जब आपके पास जिला, तहसील, सब डिवीजन, उप तहसील तक के अधिकार सरकार के पास में हैं तो गांव के अधिकार क्यों नहीं। मुझे उसमें मुख्य शंका यह है कि हमारी पंचायती राज की व्यवस्था अभी तत्काल चुनाव हुए हैं और सारी पंचायतें, पंचायती राज व्यवस्था बन चुकी हैं तो आप जो संशोधन लाना चाह रहे हैं, जिसमें गांव की बात भी आप जोड़ रहे हैं और पहले इसकी आवश्यकता नहीं महसूस की गयी थी तो कहीं इस संशोधन से पंचायती राज में कोई दिक्कत पैदा नहीं हो जाय तो मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन है कि अगर बहुत आवश्यकता, अगर आपको बहुत जल्दी है तो बात दूसरी है, नहीं तो इसे आप पंचायती राज संस्थाओं को भेजकर उनके विचार अगर जान लें और तीन माह में आप इनके विचार जानकर फिर पारित करें तो ज्यादा उचित होगा और इसकी मूल भावना क्या है, वह भी अगर बतायें तो ठीक रहेगा।

श्री सभापति : श्री माधव सिंह दीवान ।

प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1995 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का मेरा प्रस्ताव है । यह प्रस्ताव मैंने इसलिए प्रस्तुत किया है कि राजस्व गांव तो आज तक बनते आये हैं, जब से रेवेन्यू एक्ट बना तब से । अब यह नया संशोधन आप आज से कर रहे हैं । पिछले समय में जो राजस्व ग्राम घोषित हुए, उनका क्या होगा ? जो राजस्व गांव पिछले 20 सालों में घोषित होते चले गये हैं, अब आप जो नया संशोधन ला रहे हैं तो क्या पिछले 20 सालों में जो गांव बने, वे क्या सारे इल्लीगल हो गये ? जो घोषणा सरकार ने की थी, वह क्या सारी गैर कानूनी थी ? परन्तु आप यह जो संशोधन अब लाये हैं, आई थिंक, मैंने जो संशोधन पेश किया था, वह यही किया था कि "shall come into force at once." की जगह पर होना चाहिए, जब से रेवेन्यू एक्ट लागू हुआ तब से ये विलेजेज घोषित हुए माने जाएं यही मेरा इसमें एतराज था । माननीय मंत्री महोदय इसको क्लियर करेंगे ताकि पुराने गांव जो घोषित हुए हैं वे इल्लीगल न हों ।

श्री सभापति : श्री लक्ष्मण सिंह जी । (अनुपस्थित) श्री भीमसेन जी ।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : माननीय सभापति महोदय, मेरा राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक का प्रवर समिति को सुपुर्द करने के बारे में प्रस्ताव है । मैं समझता हूं कि जो विधेयक लाया गया है और इसमें और भी ऐसी समस्याएं हैं जो खातेदार काश्तकार हैं, वे अपनी लाइफ--टाइम में, अपने फेमिली सैटलमेंट के माध्यम से, अपने बच्चों के नाम से जमीन का अलग-अलग बंटवारा करना चाहे, ऐसा प्रोविजन भी इसमें किया जाना चाहिए जिससे कि खातेदार काश्तकार के सामने जो समस्या आती है उसका निराकरण भी हो सके तो मैं समझता हूं, इस पर विचार करके और आप विधेयक में शामिल करें । इस नीति से, इस उद्देश्य से मैंने यह संशोधन प्रस्ताव रखा है ।

श्री सभापति : श्री हरजीराम बुरड़क ।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : सभापति महोदय, मेरा राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1995 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का यह उद्देश्य था कि हर सेशन में या हर साल आप राजस्व कानूनों में संशोधन करते आ रहे हैं इसलिए आप एक साथ ही सारी व्यवस्था अच्छी तरह से कर सकें और इन कानूनों में कोई सलेक्ट कमेटी में आकर, लोगों के विचार जानकर, दूसरे सदस्यों के विचार जानकर, इसको और कोई अच्छी तरह से सुझाव दे सकें, इसलिए आपको इसे सलेक्ट कमेटी में भेजना चाहिए था ।

श्री सभापति : माननीय प्रभारी मंत्रीजी ।

श्री हरजीराम बुरडक : दूसरा, मेरा इसमें एक निवेदन यह था कि आपने इसमें गांव घोषित करने की बात कही है। गांव आप आज तक भी घोषित करते आये हैं। इसमें आपको कोई कठिनाई आयी नहीं या आपने जो पहले घोषित किये वे गलत किये ?

तीसरा, मेरा निवेदन यह था कि मेरे एक प्रश्न के उत्तर में पिछले साल डीडवाना तहसील में एक ढाणी को गांव घोषित करने का सवाल था। उसमें आपने जो उत्तर दिया था, उसको मैंने चैलेंज भी किया था कि यह पटवारी की रिपोर्ट पर आपने उत्तर दिया है, वह गलत दिया है। आपने भी कई बार अपने अधिकारियों को लिखा, मैंने आपको लिखा। आज तक वे लोग आपको उत्तर नहीं दे रहे हैं तो आप इस कानून में क्या अधिकार ले कर, उनका प्रयोग किस रूप में करेंगे ? साल भर तक आपके नीचे के अधिकारी उत्तर ही नहीं दें तो आपने यहां विधान सभा में असत्य उत्तर दिया है, जिसको मैंने चैलेंज भी किया है। आपने नीचे तो लिखा-पढ़ी की, उसका आपने उत्तर ही नहीं दिया। अब आप यह अधिकार लेकर इसको किस रूप में, कार्य रूप में लेंगे, यह भी आप बतायें।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी ।

श्री गंगाराम चौधरी : सभापति महोदय, यह बहुत छोटा सा संशोधन है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, मैं सदन के सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। यह सही है कि राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट जब 1956 में बना था तब धारा 3 में ग्राम की यानि विलेज की एक डेफिनेशन दे रखी थी। उस डेफिनेशन में ही राज्य सरकार को अधिकार प्राप्त होने की बात लिख दी गयी थी। मैं अर्ज कर दूं पढ़कर कि धारा 3 की उप-धारा (5) में विलेज की डेफिनेशन इस तरह से है :— "Village shall mean the tract of land which has been recognised and recorded or may hereafter be recognised or recorded to be a village." तो यह डेफिनेशन में "may hereafter be declared", जो शब्द लिखे थे तो राज्य सरकार यह समझती गयी कि इस धारा के अन्तर्गत हमको अधिकार प्राप्त है और जो अब तक मजरे और ढाणियां, जिनको—

(14.55)

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन।)

अलग राजस्व ग्राम घोषित किया गया है, वह उसी अधिकार के अन्तर्गत किया गया है लेकिन मामला एक दफे हाई कोर्ट के समक्ष पहुंच गया और उस समय हाई कोर्ट के जज ने कुछ बात इस तरह से लिखी कि धारा 3(5) में राज्य सरकार को ग्राम की सीमा बदलने का कोई अधिकार नहीं है। एक तो यह बात लिख दी

(श्री गंगाराम चौधरी)

उन्होंने । धारा 16 में भी गांव की सीमा बदलने का कोई प्रावधान नहीं है तो हाई कोर्ट का जो रिट जो 5-11-1993 को जिसका फैसला हुआ था 4461/92 उसमें यह बात लिख दी गयी थी इसलिए राज्य सरकार को इस बारे में कुछ सोचना पड़ा वरना व्यक्तिगत तौर से और हमारा विधि विभाग तो अब भी यह समझता है कि ये एक्जीकुटिव पावर्स हैं राज्य सरकार की और उसके तहत गांव की सीमा बदलना, नया गांव घोषित करना, किसी गांव को खतम कर देना, एबोलिश करना, ये सारे अधिकार राज्य सरकार के एक्जीकुटिव पावर्स के तहत निहित हैं फिर भी, क्योंकि हाई कोर्ट ने ऐसी बात लिख दी इसलिए राज्य सरकार को यह संशोधन लाना आवश्यक हो गया और 16 के अन्दर क्योंकि डिस्ट्रिक्ट, तहसील, सब-तहसील, सब डिवीजन में घोषित करने का, क्रिएट करने का, एबोलिश करने का, डि-लिमिट करने का जो अधिकार प्राप्त है, उसमें गांव शब्द अब तक नहीं था । उसमें जोड़ने के लिए केवल एक संशोधन लाये हैं इसलिए मैं सदन से यह अर्ज करना चाहूंगा और माननीया उजला जी ने जो कहा, मैंने जवाब तो उस सम्बन्ध में दिया ही है और माननीय मोदीजी ने यह शंका की है कि गांव की पंचायती व्यवस्था में इसमें कोई दखल होगा, पंचायत व्यवस्था में, पंचायत के गठन के सम्बन्ध में इसमें कोई दखल नहीं होगा । जैसे भी प्रस्ताव जिला कलक्टर के आयेंगे गांव को विभाजित करने के, उस हिसाब से गांव को विभाजित कर दिया जायेगा । नया गांव घोषित भी किया जा सकता है लेकिन पंचायतों के डि-लिमिटेशन की बात अलग है, वह पंचायती राज मंत्रीजी जाने, उसमें कोई दखल नहीं है और माननीय दीवान साहब ने जो फरमाया उस हिसाब से मैंने, क्यों संशोधन लाया जा रहा है, इसके बारे में बता कर ली है । माननीय भीमसेनजी ने...

श्री माधवसिंह दीवान : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो यह पूछा था, अब से यह संशोधन ला रहे हैं जबकि पूर्व में जो विलेजज घोषित किये गये थे उनका क्या होगा ?....(व्यवधान) नहीं, हाई कोर्ट ने पहले ही उस बात को समाप्त कर दिया । आपका यह जो है 'it will come inte force at once'. की जगह होना चाहिये था 'it will come into force from the day.' जब से रेवेन्यू एक्ट पारित हुआ है ।

श्री गंगाराम चौधरी : मैं जवाब दे देता हूं । आप यह कार्य सूची देखें, उसमें मेरा एक और संशोधन है खड (2) में, उस खण्ड (2) में जो मैंने संशोधन प्रेषित किया है वह रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से लागू करने के लिए प्रेषित किया है । उसमें मैंने लिखा है 'shall be deemed always to have been substituted' मैं आगे कहूंगा जब खण्ड (2) पर विचार आयेगा तो हम इसको रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से लागू कर रहे हैं इसलिए जो पहले घोषित किये हैं, उन घोषणाओं

(श्री गंगाराम चौधरी)

में किसी प्रकार से दखल नहीं होगा। माननीय भीमसेन जी चौधरी ने एक बात कहीं थी टिनेंसी एक्ट के सम्बन्ध में। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह विषय बिलकुल अलग है, मैं तो लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव लाया हूं फिर भी माननीय सदस्य को निवेदन कर दूं कि बंटवारे के सम्बन्ध में राज्य सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है। विधि विभाग के सामने हमारा संशोधन विचाराधीन है और शायद संसद में जल्दी ही या अगले सेशन के अन्दर लाया जायेगा। माननीय श्री बुरडक साहब ने कुछ बात कही है, हर बार लागू होने वाली बात, मैं यह भी निवेदन कर दूं कि राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट नया बनाने के लिए नया बिल राजस्व विभाग तैयार कर रहा है। नया बिल हो सकता है, सदन के इसी सत्र में आये या अगले सत्र में आये। नया बिल आ जायेगा तो उसमें एक साथ सारे संशोधन एमलगमेट करके हम लाने का इरादा रख रहे हैं। एक ढाणी के बारे में आपने फरमाया, मैंने पहले भी, पिछली बार भी हाउस के अन्दर यह बात कही थी कि ढाणियों को एक जगह कम्पेक्ट पापूलेशन में हम नहीं मानते हैं। एक क्षेत्र के अन्दर बिखरी हुई आबादी भी अगर 250 की बनती है, जैसे कि जैसलमेर और बाड़मेर में है ही बिखरी हुई आबादी और 250 आबादी पर हम गांव घोषित करते हैं तो बिखरी हुई आबादी को भी हम शामिल करके गांव को घोषित करेंगे और आपका जो काम रूका हुआ है, इस सम्बन्ध में दुबारा जानकारी कर लूंगा जिला कलक्टर से और उसको घोषित कर दिया जायेगा।

(15.00)

श्रीमती कमला (बैराठ) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि बहुत से जिलों में अभी भी ऐसे गांव हैं जिनकी हजार तक की भी आबादी है, पांच सौ की भी है, चार सौ की भी है, ढाई सौ की भी है और कई बार निवेदन करने के बावजूद भी जो राजस्व अधिकारी हैं उनको राजस्व ग्राम घोषित कराने की कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। इसलिये आपसे निवेदन है कि विभाग की तरफ से एक समय सीमा के अन्दर सभी जिला कलक्टर्स अपने यहां के इस तरह के आबादी के, जैसा आपने ढाणी का भी कहा है, उसका भी अलग से वर्णन देते हुए उन्हें पाबंद करें कि वह समय सीमा में, जो भी आप निश्चित करें, इस तरह के तमाम गांवों को राजस्व गांव घोषित करने के लिये सरकार को इस तरह की सूचना भिजवाने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : मान्यवर, बिराजिये।

श्री माधवसिंह दीवान : मंत्री महोदय, मुझे तो एक ही चीज कहनी थी, जब आप गांव का विभाजन करते हैं तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जैसे गोचर भूमि

(श्री माधवसिंह दीवान)

है, आगोर है, उनके विभाजन में बहुत भारी समस्या हो जाती है। एक गांव को तो गोचर भूमि मिलती है और एक गांव को गोचर भूमि मिलती नहीं। कोई गाइड लाइंस कलक्टर्स को भेजी हुई नहीं है कि गांव का विभाजन करने में इन इन बातों का ध्यान रखा जायेगा। कृपया इस बाबत कोई गाइड लाइन भी देंगे क्या ?

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, पिछली बार सदन में यह बात आयी थी कि जिला कलक्टर्स को हिदायत दी जाय कि वह अपने स्तर पर विभाजन के प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को भेजें। तो राज्य सरकार ने एक सक्यूलर जारी कर दिया और जिला कलक्टर्स को सब को यह निर्देश दिये गये हैं कि जहां पर बड़े-बड़े गांव हैं उनके विभाजन के लिए वे स्वयं, सुओ-मोटो जिनको कहना चाहिए, अपनी तरफ से प्रस्ताव तैयार करके राज्य सरकार के पास भेज सकते हैं। कठिनाई यह जरूर पड़ती है कि अपने स्तर पर प्रस्ताव तैयार करने में शायद कुछ गलतियां रह जाये इसलिए जनता का इसमें सहयोग भी आवश्यक है। पंचायतें, ग्राम सभाएं बैठ कर तय करके एक सीमा निर्धारित करें तो उसमें आगे परेशानी नहीं पड़ेगी इसलिए कलक्टर्स को जनता अगर सहयोग करे या मांग करे कि कलक्टर तैयार करे तो ज्यादा अच्छा है, वैसे कलक्टर अपनी ओर से भी कर सकता है। अब बात तो केवल चारागाह, नाडी और तालाब की जो आयी है हमारे सामने, हालांकि, हमने कोई दिशा-निर्देश इस बारे में जिला कलक्टर्स को अब तक नहीं दिये, लेकिन गांव के लोग, जैसा मैंने कहा, इकट्ठे होकर विभाजन की मांग करें तो ऐसी

(15.00)

समस्या नहीं पड़ेगी, न आज तक किसी जगह की ऐसी समस्या हमारे सामने आयी।

श्रीमती कमला : डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इनीशियेट तो करे जिससे कि गांव वाले उसके साथ लगें। कोई इनीशियेशन नहीं हो रहा है इसलिए बड़े-बड़े गांव भी आज आबादी में आने से, राजस्व गांव में आने से बचे हुए हैं।

श्रीमती उज्जला अरोड़ा : यह स्टेज इस तरह की बात करने की नहीं है, आप तृतीय वाचन पर बोलिये। आप बहुत पुरानी माननीय सदस्या हैं, तृतीय वाचन पर बोलनी चाहिए आपको यह सब बातें, अभी तो यह जनमत जानने वाली बात है, जिन्होंने नाम दिया....

श्रीमती कमला : यह वह कहेंगे जो आसन पर बैठे हैं, आप नहीं कहेंगी मुझे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जिन्होंने अपना संशोधन मूव किया है वही कह सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये ।

श्रीमती कमला : आप यह कहने को अधिकृत नहीं हैं, मुझे जो कुछ भी कहा जायेगा, आसन से कहा जायेगा ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : नहीं-नहीं, जो संशोधन मूव करता है वही बोलता है, तृतीय वाचन पर चाहे कोई भी बोले ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये ।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, यह बात आप मुझे कहेंगे, वह सीधे मुझे नहीं कहेंगी । आप मुझे कह दीजिये कि आपको बोलने का अधिकार नहीं है, मैं नहीं बोलूंगी । इसलिए मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि प्रशासनिक अधिकारियों को थोड़ा तकाजा करें कि वह जो रेवेन्यू एरिया उन गांवों का है उनके आधार पर प्रस्तावित करें, चाहे आपत्ति फिर मांग ले तहसील लेबल पर, तो गांव के लोग आपत्ति दे सकते है ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं माननीय मंत्री महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहता था । जिन पंचायत समितियों से और पंचायतों से ग्राम सभाएं करके प्रस्ताव बना करके पंचायत समितियों की मार्फत जिले में आये और जिले से रेवेन्यू बोर्ड में पहुंच गये, अब वह रेवेन्यू बोर्ड में साल-साल भर से पड़े हुए हैं उनके ऊपर आप क्या निर्णय ले रहे हैं, वह हमको बतायें ।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, ऐसा तो कोई ध्यान में नहीं आया कि साल भर से रेवेन्यू बोर्ड के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन हो । मैं समझता हूं कोई क्वेरीज की होगी, कोई कमी रह गयी होगी जिला कलक्टर से सूचना प्राप्त करने में, लेकिन मैं पता लगा लूंगा । आप किस तहसील की फरमा रहे हैं ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं शेरगढ़ तहसील का बता रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : हां, आप तो शेरगढ़ का ही कहेंगे ।

श्री गंगाराम चौधरी : जल्दी मंगवा लिये जायेंगे ।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, यह जनमत....

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह जनमत जानने वाली स्टेज है इसके बाद में दूसरी उसके बाद में आप तृतीय वाचन पर बात कहें ।

श्री अध्यक्ष : आप आगे फरमायें ।

श्री परसराम मदेरणा : बिल की तीनों स्टेजेज का मुझे ज्ञान है और आपने जनमत जानने का जो प्रस्ताव रखा है और शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो मुद्दा उठाया है ..

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह मुद्दा उठाने की स्टेज ही नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : क्या स्टेज नहीं है, आप ज्यादा जानती हैं ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : जनमत के ऊपर अपनी व्यवस्था देने का है।

श्री परसराम मदेरणा : बिलकुल स्टेज है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, आप बिराजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह स्टेज यह बात कहने की है ही नहीं।

श्री परसराम मदेरणा : यह अध्यक्ष महोदय, इसलिए रेलेवेंट है कि एक साल पहले जो प्रस्ताव भेज दिये गये रेवेन्यू बोर्ड को...

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि तृतीय वाचन पर....

श्री परसराम मदेरणा : नहीं-नहीं, आप बीच में कुछ नहीं कहेंगी।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। माननीय सदस्या, बिराजिये आप।

श्री परसराम मदेरणा : मैं आसन की तरफ देख रहा हूं, आपकी तरफ नहीं देख रहा हूं। मैं आसन की तरफ देख रहा हूं माननीय सदस्या।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपकी तरफ नहीं देख रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : मैं आपकी तरफ नहीं देख रहा हूं। मैं यह निवेदन कर रहा था, अध्यक्ष महोदय....

श्रीमती उजला अरोड़ा : अगर आप विधान सभा की प्रक्रिया के नियमों को नहीं जानें, उनकी अवहेलना करें इसका मेरे ऊपर कोई वह नही है लेकिन मैं आपको सही राय दे रही थी कि आप इस तरह से चलें तो अच्छा रहेगा लेकिन आप पहली स्टेज पर ही चल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री परसराम मदेरणा : मैं आपका बहुत आदर करता हूं, लेकिन मैं देख आसन की तरफ रहा हूं क्योंकि आसन का मैं सर्वोच्च आदर करता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : प्रक्रिया के नियमों का पालन करवाने का अधिकार अध्यक्ष महोदय को है।

श्री परसराम मदेरणा : इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि अगर जनमत जानने की बात है और साल भर पहले प्रस्ताव जो भेजा था, अगर आप समझते हैं कि उसकी मेरिट नहीं है, इस प्रस्ताव को आप जनमत जानने के लिए भेज दीजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यही तो मैं कह रही हूं।

श्री परसराम मदेरणा : इसलिए रेलेवेंट हुआ नहीं हुआ ? इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा था ...

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : आप प्रतिपक्ष के नेता हैं इसलिए सब बात मान लेंगे लेकिन....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक....

श्री रामनारायण चौधरी : एक मिनट। मेरे को कन्फ्यूजन हो रहा है, मान्यवर, मेरे को यह हो गया कि शायद मैंने भी इसमें अमेंडमेंट दे दिया है और मेरी एवं शिवनाथ सिंहजी की बात हुई थी तो मैं इस इम्प्रेशन में था, अगर मेरा अमेंडमेंट रह गया, मेरा एक सिद्धान्त का विरोध है और वह, मान्यवर, यह है- मेरा यह मानना है कि राजस्थान सरकार को किसी भी नये गांव को तोड़ कर उसका नया नामकरण करने का अधिकार नहीं है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, तृतीय वाचन पर आपको अवसर दे दें।

श्री रामनारायण चौधरी : जनमत इसी पर होना चाहिए क्योंकि राजस्थान सरकार नाम बदल ही नहीं सकती।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आपका कोई मूव नहीं हुआ है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने मूव किया नहीं हैं, आप हमारे अधिकार का....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं-नहीं इसी पर है। मैं इसी पर जनमत चाहता हूं....

श्रीमती उजला अरोड़ा : किस तरह से बोलेंगे जब आपने दिया नहीं, आप माननीय सदस्य, जागरूक रहकर समय पर दीजिये, अवसर लीजिये।

श्री रामनारायण चौधरी : राजस्थान सरकार को किसी भी गांव को, मजरे को, ढाणी को गांव बनाने का अधिकार सवैधानिक नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप आगे फरमा देना।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप बोल रहे हैं अनावश्यक।

श्री रामनारायण चौधरी : सुनिये। मेरा गांव है, मेरा गांव है हेतमसर। इसके पीछे एक इतिहास है, अमल दरामद गांव चलता रहा है। उस गांव को बदल कर माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर साहब दूसरा गांव नहीं बना सकते। उसके लिए तो यह मजरे हैं, मजरा है सरहद हेतमसर,

(श्री रामनारायण चौधरी)

मजरा है ढाणि बुहारियों की, सरहद हेतमसर, ढाणि भाभड़ियों की, सरहद हेतमसर, सरहद हेतमसर को बदलने का अधिकार राजस्थान सरकार को नहीं है, यह एक अमल दरामद चीज चली आ रही है। अगर बदलना है, तो पूरे गांव में प्लेबीसाइट हो, उसका जनमत लिया जाय कि इस गांव को हम बदलना चाहते है, आपकी क्या राय है। अगर बहुमत से गांव यह चाहे कि नाम बदल दो, इस ढाणी को अलग गांव कर दो, तो आप कर सकते हैं। यहां बैठकर रेवेन्यू मिनिस्टर साहब अपने डिस्क्रिशन से, प्रशासनिक आदेश से या यहां पर विधान सभा में कानून बनाकर किसी गांव को आप खण्डित नहीं कर सकते। यह मेरा सिद्धान्ततः विरोध है।

श्री अध्यक्ष : माननीय, बिराजें आप।

प्रश्न यह है कि राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1995 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय ?

(अस्वीकृत)

जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1995 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय ?

(अस्वीकृत)

प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार। श्री हरिसिंहजी (कुम्हेर) संशोधन प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक पर खण्डशः विचार

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय प्रस्ताव करेंगे।

श्री अध्यक्ष : संशोधन प्रस्ताव करें। प्रभारी मंत्री।

श्री मोहनलाल मोदी : संशोधन नहीं, प्रस्ताव तो आये इसका।

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, पहले मेरा संशोधन है।

श्री अध्यक्ष : बोलिये आप।

श्री गंगाराम चौधरी : खण्ड दो में एक मेरी ओर से संशोधन है जो इस प्रकार से है—

(श्री गंगाराम चौधरी)

"In clause 2 of the Bill, for the words' shall be substituted', the words' shall be and shall be deemed always to have been substituted' be substituted."

जैसा मैंने अभी निवेदन किया था रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से लागू करने के लिए यह शब्द जोड़ने के लिए मेरा निवेदन है और कुछ संशय माननीय सदस्यों ने भी बताया था कि आज तक जो घोषणा कर दी गयी है उसके बारे में क्या होगा। इसलिए मैं इसको हमेशा के लिए सब्स्टीट्यूट किये जाने के बारे में प्रस्ताव मूव कर रहा हूं। मैं समझता हूं सदन इसको स्वीकार करेगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है और प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री महोदय ने प्रथम में हिन्दी में संशोधन अपना दिया है, बाद में अंग्रेजी में दिया। मान्यवर मंत्री महोदय, आप हिन्दी में प्रस्तुत करें यह मेरा आपसे आग्रह है। मैं आपसे निवेदन कर रही हूं, आपने पहले हिन्दी में क्यों दिया। मुझे तर्क बताइये। आप पहले हिन्दी में देंगे संशोधन।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। श्री हरिसिंह जी।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, आफिशियल लैंग्वेज, यह जो लागू हुआ है वह शायद 1959 में लागू हुआ है और यह एक्ट है 1956 का इसलिए इसका जो आथेंटिक वर्शन आएगा वह इंगलिश में आएगा उसके बाद 1959 के बाद वाला हिन्दी वर्शन आथेंटिक वर्शन होता है। इसलिए हिन्दी ट्रांसलेशन है और ओरिजिनल इंगलिश में है और इंगलिश में रहेगा और इसलिए जो मंत्रीजी लाये हैं वह लाये तो ठीक हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप उसका समर्थन कर रहे हैं। वे जो प्रस्ताव लाये हैं इसके लिए तारीफ कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अब आप उसी का विरोध क्यों कर रहे हैं? मुझे मालूम है पर मैंने जो बात कही है यह जो यहां प्रस्तुत किया गया है इसमें पहले हिन्दी है। आपने हिन्दी में क्यों दिया? मैं तो आपसे पूछना चाह रही हूं।

श्री परसराम मदेरणा : मैं तो एक विधि की पोजिशन है, कानून की बता रहा हूं और अगर उन्होंने आपको ट्रांसलेशन नहीं दी है तो It is a lapse on the part of the Minister-in-charge.

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने अधिकृत हिन्दी अनुवाद दिया है और पहले अनुवाद दिया है।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

मैं नहीं जानती हूं कि अनुवाद ठीक है या अंग्रेजी ठीक है। अनुवाद को भी पढ़ लें और उसको भी पढ़ लें, इसमें हठधर्मिता किस बात की ? या हठधर्मिता की जरूरत है।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री गंगाराम चौधरी : मैं एक मिनट अर्ज कर दूं।

श्री परसराम मदेरणा : पहले वह मूव करें उससे पहले मुझे रूल्स में अधिकार है। जो अमेंडमेंट मंत्रीजी ने मूव किया है।....

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं आपके अधिकार में ही यहां सब अधिकार हैं। वैसे ही अधिकार हैं।

श्री परसराम मदेरणा : Amendments moved by the Minister should be deleted. मैं डिलीशन का कह रहा हूं। Even without moving, for deletion I can propose. It is my right.

मंत्रीजी दो शब्द का तो अमेंडमेंट लाये हैं। मैं सोच रहा था कोई आप बहुत बड़ा रेवेन्यू कोड बदल लें, पूरे एक्ट को बदल लें। आप उसके अध्यक्ष भी रहे, नया एक्ट बनाया उसमें जितने भी रिडंडेंट सेक्शंस हैं, टिनेन्सी एक्ट में और लैंड रेवेन्यू एक्ट में उसका बनाकर आपने माइंड एप्लाई किया मई महीने तक। मुझे यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ, अध्यक्ष महोदय, दो लाइन का सब-तहसील एण्ड विलेजेज छोटा सा एक अमेंडमेंट और उसके बाद में फिर अमेंडमेंट पर अमेंडमेंट लाये हैं। shall be and shall be deemed always to have been substituted'.

यह सरकार कितनी + + + है, बिना सोचे समझे कोई इसका पर्सपेक्टिव नहीं, इसका विजन नहीं, इसका फोरसाइटेड नहीं। आपको अगर यह चीज करनी चाहिए थी तो आप एक लाइन में दो वर्ड्स का अमेंडमेंट लाते और उसमें आपने 5 शब्द और जोड़ दिये। यहां सरकार की भर्त्सना की जानी चाहिए। शीअर इनकाम्पीटेंसी है यह सरकार की, यह फोरसाइटेड नहीं है। यह अमेंडमेंट मनचाहे जैसे हैं, + + + सरकार है यह। एक अमेंडमेंट लाये उसके बाद में फिर अमेंडमेंट कर दिया दो वर्ड्स में।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय पहले नाम प्रस्तावना पढ़ेंगे जब खण्डशः विचार होगा तो खण्ड दो में संशोधन प्रस्तुत करेंगे। इन्होंने पहले कर दिया,

---

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(138)

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

क्षमा करें, जो तरीका है वह तो यह है कि आप देखिये नाम प्रस्तावना के बाद में खण्डश: विचार पर दो जब खण्ड आयेगा तब संशोधन मूव करेंगे । आप जरा समझ लें ।

श्री अध्यक्ष : विराजें । माननीय हरिसिंह जी ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो बहुत ही एक सरल, साधारण सरकार के सहयोग का अमेंडमेंट ला रहा हूं In clause 2 of the Bill for the expression "sub-tehsils and villages" shall be substituted by the expression "sub-tehsils and villages and change the name of any" लेकिन मुझे संकोच इस बात का होता है कि जब हम कोई अमेंडमेंट लाते हैं सरकार उसको एडवर्स रूप में लेती है । हम कोई नाजायज अडंगा डाल रहे हैं उसके अन्दर, सरकार को पावर्स नहीं है जिसके लिए उस बिल का अमेंडमेंट फिर लाना पड़ता है । आज नहीं तो वह अमेंडमेंट अब से कुछ दिन बाद लाना पड़ेगा । वह अमेंडमेंट मैंने मूव किया है । सरकार तो एक्जीक्यूटिव पावर्स में विश्वास करती है और जब एक्जीक्यूटिव पावर्स को हाई कोर्ट यह तय कर देता है कि आपको एक्जीक्यूटिव पावर्स नहीं हैं तब जाकर आप अमेंडमेंट लाते हैं । पहले आप माने बैठे थे कि हमको तो नयी सब-तहसीलें क्रिएट करने का, नये गांव क्रिएट करने का अधिकार है । इसको अभी आप मंत्री महोदय, स्वयं फरमा रहे थे कि हम एक एक्जीक्यूटिव आर्डर के अन्तर्गत सैक्शन 3 के हवाले से मानते थे कि हम नया गांव बना सकते हैं । मैंने केवल उसमें यह अमेंडमेंट दिया है कि आप यह अधिकार लेना चाह रहे हैं कि आप नया गांव बना सकेंगे और आपको यह अधिकार पहले से रहे हैं, सैक्शन 16 में आप नयी सब-डिवीजन बना सकते हैं, नया जिला बना सकते हैं, नयी तहसील बना सकते हैं, नयी सब-तहसील बना सकते हैं ।

मैंने उसमें यह कहा है कि आप बना सकते हैं और उनके नाम भी बदल सकते हैं । "चेंज द नेम आफ एनी" शब्द मैंने इसलिए कहा है । अभी तक आप किसी जिले का नाम नहीं बदल सकते, आपको बदलने का, अधिकार नहीं है आप किसी तहसील का नाम नहीं बदल सकते आपको अधिकार नहीं है बदलने का, आप किसी सब-डिवीजन का नाम नहीं बदल सकते आपको अधिकार नहीं है बदलने का । अगर है तो कोई मुझे, माननीय मंत्री महोदय, स्वयं कानून विज्ञ हैं, बता दें कि इस सैक्शन के तहत में हम किसी जिले का, किसी तहसील का, किसी सब-तहसील का नाम बदल सकते हैं ? आपको अधिकार नहीं है । किसी गांव का नाम नहीं बदल सकते । कई ऐसे उदाहरण आते हैं, कई ऐसी आवश्यकताएं आती हैं, मेरे जिले में ही आवश्यकता आयी थी और फिर आपको गवर्नमेंट आफ इण्डिया के पास भेजना पड़ता

(श्री हरिसिंह)

है नाम बदलने के लिए, गांव का नाम बदलने के लिए। ऐसे गांव हैं। एक गांव का नाम है "चोर बसेरी", उस गांव के लोग घूम रहे थे कि हमारे गांव का नाम 'चोर बसेरी' है इसलिए हम नाम बदलना चाहते हैं। उन्होंने कहा हम गांव का नाम "सज्जन-वास" रखेंगे। एक गांव का नाम है "उल्लू का पुरा" बुरा नाम है हम इसका नाम "कमालपुरा" रखना चाहते हैं, नाम बदलने के लिए। एक बड़ा गांव है, गांव में फोजदार लोग रहते हैं। एक गांव का नाम है "अंधियारी", उसको हम बदलना चाहते हैं, हम इस गांव का नाम दूसरा रखना चाहते हैं। एक गांव का नाम है "गोदावली", यह नाम कुछ ऐसा नाम है जिसको लोग बदलना चाहते हैं। अब जब बदलने के लिए आपके पास में आते हैं तो फिर नीचे से बड़ी कानूनी दिक्कतें डाली जाती हैं। नाम कैसे बदलें, क्या बदलें और फिर केन्द्र सरकार तक नाम बदलने के लिए जाता है तो मैंने एक साधारण सा आपके सहयोग के लिए सुझाव दिया है। उसमें यह जोड़ दीजिये–'and change the name of any. आप बदलना चाहें नाम बदल सकेंगे। यह सुझाव है लेकिन मैं मानता हूं आप कितने भी उसमें अडिग हों लेकिन जब तक कि वह कानूनी विज्ञ आदमी जो उधर बैठे हुए हैं, वह हां नहीं करेंगे तब तक आप हां नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मंत्री महोदय बहुत ही सीजण्ड आदमी हैं, पुराने एडवोकेट हैं, इस प्रस्ताव पर विचार करें। इसमें क्या बुराई है, स्वीकार कर रहे हैं। आप अगर स्वीकार कर लेंगे तो हो सकता है आपको साल दो साल बाद में दूसरा अमेंडमेंट नहीं लाना पड़ेगा। मेरा साधारण सा इसमें अमेंडमेंट है। जैसी आप चाहें व्यवस्था करें।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय श्री हरिसिंह जी ने संशोधन दिया है उसमें एक बात और रखनी होगी कि जब आप नाम बदलें तो वहां के लोगों को आपत्ति पेश करने का और उसके बाद सुनवाई का भी मौका दिया जाना चाहिए। उसके बिना अगर आप यह लगा देंगे तो बहुत सी विपत्तियां पैदा हो जाएंगी। एक यह भी जानना चाहते हैं कि आज से पहले जितने गांवों के नाम बदले गये हैं उनमें क्या प्रक्रिया अपनायी गयी है, वह भी थोड़ी सी जानकारी हो जाए।

श्री रामनारायण चौधरी : वह सब मनमानी प्रक्रिया अपनायी गयी है। राजस्थान सरकार को किसी भी गांव का नाम, किसी भी ढाणी का नाम बदलने का कोई अधिकार न पहले था, न अब है और न विधान सभा को अधिकार है कानून बनाने का, कि हेतमसर का नाम बदलकर उसका दूसरा नाम कर दिया जाए। कल जयपुर का नाम बदल देंगे, है क्या अधिकार बदलने का राजस्थान सरकार को ? क्या जोधपुर का नाम बदल देंगे ? बाड़मेर का नाम बदल देंगे ?

(श्री रामनारायण चौधरी)

क्या असेम्बली कानून बना देगी ? राजस्थान का कैसे बदल देगी ?

श्री अध्यक्ष : बिराजें। माननीय मंत्रीजी।

श्री गंगाराम चौधरी : माननीय अध्यक्ष, महोदय, कुछ चीजें ऐसी हैं जो राज्य सरकार के एक्जीक्यूटिव पावर्स में निहित है, एक्जीक्यूटिव पावर्स निहित है उसमें नाम बदलने का अधिकार आवश्यक है लेकिन इसमें बड़ी कठिनाई है नाम बदलने में। अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की ओर से सरकार को यह निर्देश जारी किये गये हैं कि रेलवे स्टेशन, गांवों के और इस तरह के नाम नहीं बदले जाए और बदलने हों, तो भारत सरकार को भी इसकी सूचना दी जाय।

पूर्व अनुमति भारत सरकार की ली जाय और उसके बाद में नाम बदले जायं। इसलिये यह एक कठिनाई है। साधारण तौर से बदलने की बात ही नहीं है और जनता से पूछे बिना तो नाम बदलने का कभी प्रश्न ही पैदा नहीं होता। राज्य सरकार ने अभी तक ऐसा किया ही नहीं। अब मैं निवेदन यह करना चाहूंगा कि यह एग्जिजक्यूटिव पावर्स सरकार में निहित हैं। इसलिये हर चीज कानून में लाना आवश्वक नहीं है। माननीय हरिसिंहजी का प्रस्ताव स्वीकार करने में मैं असमर्थ हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 2 में प्रभारी मंत्रीजी ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 में श्री हरिसिंहजी (कुम्हेर) ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-1, अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्री गंगारामजी चौधरी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1995 को संशोधित रूप में पारित किया जाय ?

विधेयक का पारण

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1995 को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

श्रीमती उजला अरोडा : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि मंत्री महोदय, बहुत दिनों से अपेक्षित जो संशोधन था, वे यहां लाये हैं मैं उन्हें बधाई देती हूं और आज तक जो गांव ढाणियों, मजरों के बढ़ जाने पर, जनसंख्या के बढ़ जाने पर, उनका नाम, रेवेन्यू रिकार्ड में वह ढाणी और मजरे के नाम से नहीं जाने जाते थे, राजस्व गांव के नाम से नहीं जाने जाते थे। अब इस तरह से जाने जाएंगे। मेरा यह निवेदन है कि सबसे पहले, जयपुर ग्रामीण की विजयपुरा पंचायत का ग्राम बगराना, पुराना बगराना और नया बगराना, इस तरह से संशोधित रूप में आप उस गांव की घोषणा कीजिए, कहते हैं कि महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है, मेरे गांव से ही शुरू करें। धन्यवाद।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, it is Third Reading on the priniples of the Bill. I don't agree with the Revenue Minister.

अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन किया है बहुत मैटीरियल सशोधन । रेवेन्यू मिनिस्टर साहब आपने जो संशोधनकिया है, यह बहुत मैटीरियल संशोधन है। इसको आप रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट देना चाहते हैं। आब्जेक्ट्स एण्ड रीजंस में कहीं उल्लेख है। इसका मतलब है कि आब्जेक्ट्स एण्ड रीजंस, सरकार जो इस बिल को लेकर आयी है वह इस अमेंडमेंट से अप्स एण्ड डाउन हो गया। यह सरकार की काबलियत है। यहं लाये, इसके आब्जेक्ट ही चले गये। आब्जेक्ट्स और रीजंस मिलकर खतम हो गये।

दूसरा, राजस्व मंत्रीजी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि नये गांव डीमार्क और रिआर्गेनाइज होने के बाद, 1990 की सेंसस कोड में नम्बर लग गया। 1990 के बाद में सैंकड़ों गांव बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में बने हैं। उनको नया कोड नम्बर नहीं दिया गया है। अगर 'उल्लू-का-पुरा' का कोड नम्बर 240 है, उसमें अगर दूसरा गांव बना दिया "उल्लू का पठ्ठा" आप 240 A नम्बर देंगे या क्या देंगे ? अध्यक्ष महोदय एक बात हुई। दूसरी तो बात यह है कि आज आर. एस. ई. बी. जो किसी भी लोकेलिटी को इलेक्ट्रिफाई करती है और पी. एच. ई. डी. किसी भी गांव को विलेज मानती है तथा पीने के पानी की एवं पेयजल की व्यवस्था करती है तो कोड नम्बर देखती है। दोनों के एक कोड नम्बर हैं। अब स्थिति यह हो गयी, अध्यक्ष महोदय, कि जिस वक्त बाड़मेर में डी.आर. डी. ए. की मीटिंग में मैं बैठता हूं, गवर्निंग कांउसिल की मीटिंग में, कई गांव ऐसे हैं जिनका कोई नम्बर नहीं है। यह स्थिति खड़ी हो गयी है। हमारे डिपार्टमेंट्स के बीच में सामंजस्य नहीं है। यह कोई एक्जीक्यूटिव आर्डर से किया जा सकता है ?

(श्री परसराम मदेरणा)

इसलिये मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मंत्रीजी का ध्यान इस बात की तरफ आकर्षित कर रहा हूं कि आप जो नये गांव डीमार्क करने जा रहे हैं इनका निश्चित तौर पर एक सेपरेट कोड नम्बर होना चाहिये। पी. एच. ई. डी. और आर. एस. ई. बी. को उस कोड नम्बर की सूचना दी जानी चाहिये। अगर इस सरकार के तीन डिपार्टमेंट्स के बीच में इस प्रकार का सामंजस्य नहीं है, कोआर्डिनेशन नहीं है तो भगवान ही इस सरकार का मालिक है।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, इन पी. एच. ई. डी. मिनिस्टर को दिक्कत नहीं है। मैंने ऐसा बेफिक्र आदमी, ऐसा मिनिस्टर दुनिया में कहीं देखा नहीं है। स्टोनी-फेस्ड और कोई हाव-भाव नहीं, कोई इमोशंस नहीं, चेहरे पर कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको काहे की दिक्कत नहीं है। जब कोड नम्बर नहीं है, जब सेपरेट गांव नहीं मानते हो, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं करेंगे....

श्री भंवरलाल शर्मा : आपने कहा भगवान मालिक है तो ...

श्री परसराम मदेरणा : दिक्कत तो है और यह दिक्कत आयी है। उन अधिकारियों ने दिक्कत रखी है कि उनका कोड नम्बर सेपरेट नहीं है। इसलिए जब तक नयी सेंसस नहीं होती है, हम कोई कोड नम्बर नहीं दे सकते। क्या आप कोई व्यवस्था करेंगे कि सेपरेट कोड नम्बर अलोकेट हो जायं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजंस, जो मैंने पहले निवेदन किया, बिलकुल स्पष्ट है कि धारा 16 के अन्दर 'राजस्व गांव गांव' नाम जोड़ा नहीं गया था और हम कई वर्षों तक घोषित करते गये। हाई कोर्ट ने इस बारे में अपना निर्णय दिया। इसलिए यह आवश्यक हो गया। पहले तो हम यही समझकर चल रहे थे कि धारा 3 में जो प्रावधान हैं वही राज्य सरकार के लिये काफी हैं। अब रहा प्रश्न कोड नम्बर का। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि 1981 और 1991 में इन दो सेंसस के बीच सैंकड़ों नये गांव घोषित हुए थे और उनके कोड नम्बर 1991 में नये रखे गये थे सेंसस के वक्त। अब जो नया कोड रखा गया है उसके हिसाब से कई डिपार्टमेंट्स चलते हैं मैं मानता हूं लेकिन जहां तक पी. एच. ई. डी. का सवाल है, पी. एच. ई. डी. तो मजरों और ढाणियों को भी जोड़ लेती है उसके लिये तो कोड नम्बर का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। नये नम्बर तो 1991 के दस साल के बाद में ही पड़ेंगे, जब तक जनगणना नहीं होगी,

(श्री गंगाराम चौधरी)

नया कोड नम्बर नहीं दिया जा सकेगा लेकिन जो सुविधाएं दी जा रही हैं उन सुविधाओं से वे वंचित नहीं रहेंगे। यह हमारा निर्णय नहीं है, नया गांव घोषित करने का यह बहुत पहले का निर्णय है। एक बाड़मेर जिला ले लें तो पहले सिर्फ नौ सौ और कुछ गांव थे....

श्री अध्यक्ष : माननीय बार बार बाड़मेर ही न कहें आप।

श्री गंगाराम चौधरी : अब चौदह सौ के करीब गांव हो गये....

श्री अध्यक्ष : आप दोनों ही बाड़मेर से हैं इसलिये।

श्री गंगाराम चौधरी : प्रतिपक्ष के माननीय नेता खुद जानते हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि बिल को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर में सबसे ज्यादा नये रेवेन्यू विलेज बने हैं और प्रारम्भ तो हमने ही किया था। आप तो हमारी लकीर पर चल रहे हैं। सुन्दरा को किसने विभाजित किया था? मैंने किया कि नहीं किया। सुन्दरा गांव नये गांव बनाये, जिस वक्त मैं रेवेन्यू मंत्री था। इतना बड़ा गांव था जो मीलों तक फैला हुआ था, करीबन 60-60 मील के अन्दर, उसके गांव बनाये। दूसरे जालिपा के थे, ये 2-3 गांव उस वक्त, बहुत पहले जब आप डिप्टी मिनिस्टर थे उस वक्त वे गांव बनाये गये थे। उसके बाद में 8-9 सौ गांव बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में बने, सबसे ज्यादा राजस्थान में। इसलिये बाड़मेर की बात आ रही है, इसलिये नहीं कि मैं वहां का प्रतिनिधि हूं या प्रभारी मंत्रीजी वहां के रहने वाले हैं। सबसे ज्यादा गांव अगर कहीं भी लोकेट हुए हैं या सेट-अपार्ट हुए हैं तो वे बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1995 को संशोधित रूप में पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1995 को संशोधित रूप में पारित किया गया।

प्रक्रिया

अनुदानों की मांगों पर कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

अनुदानों की मांगों पर विचार करने से पूर्व मैं माननीय....

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि यमुना नदी के जल बंटवारे का मैटर इसके बाद में

(श्री हरिसिंह)

है। काफी टाइम लगेगा इसमें। उसको पहले ले लें।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

अनुदान की मांगों पर विचार करने से पूर्व माननीय सदस्यों का ध्यान इस सम्बन्ध में गत कुछ वर्षों से अपनायी जाने वाली पद्धति की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। इस सदन की परम्परा रही है कि जितने भी कटौती प्रस्ताव, जिस दिन की मांग आती है, जो प्रस्तुत होते हैं, वे यह मान लिये जाते हैं कि सदन में पेश हो गये हैं और बोलने के लिये कटौती प्रस्तावों में से उन्हीं माननीय सदस्यों को इजाजत दी जाती रही है जिनके नाम विभिन्न दलों के सचेतक महोदय और मुख्य सचेतक महोदय द्वारा आसन को प्रस्तुत कर दिये जाते हैं। जब मांग मतदान के लिये आती है, उस समय भी स्वतः यह मान लिया जाता है कि वे कटौती प्रस्ताव जो प्रस्तुत किये गये हैं, वे वापस ले लिये गये हैं यह परम्परा इस सदन की रही है। जिस माननीय सदस्य का नाम पुकारा जाए वे अपने सारे कटौती प्रस्तावों पर एक साथ उसी समय बोलने की कृपा करें।, किसी पार्टी के माननीय नेता या अन्य प्रमुख सदस्य जो उनकी पार्टी की ओर से बोलना चाहें वे भी अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे।

माननीय सदस्यों को यह भी ज्ञात होगा कि मांगों पर होने वाली बहस के दौरान उठाये गये प्रश्नों के उत्तर मंत्री महोदय द्वारा उसी दिन दिये जाएंगे और उसके बाद उन मांगों पर मतदान होगा। जिन कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को समयाभाव के कारण उत्तर न मिल सके, उनके लिखित उत्तर सम्बन्धित माननीय सदस्यों को सरकार की ओर से मिल जाएं, ऐसा मेरा निवेदन है।

आय-व्ययक (बजट) 1995-96, द्वितीय अवस्था, अनुदान की मांगों पर विचार एवं पारण। श्री कैलाश मेघवाल, गृह मंत्री मांग संख्या–16 पुलिस, विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे।....(व्यवधान)....

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह परम्परा नहीं रही है। परम्परा यह भी रही है कि जिन माननीय सदस्यों के नाम उनकी पार्टी ने नहीं दिये हैं वे भी बोलते रहे हैं, उनको भी बोलने का मौका मिला है जिनके कटौती प्रस्ताव हैं और जिनके कटौती प्रस्ताव नहीं हैं, वे भी बोलते रहे हैं। अब आपने यह व्यवस्था देकर इतना हार्ड एण्ड् फास्ट बना दिया, फिर माननीय सदस्यों का कटौती प्रस्ताव देने का औचित्य ही क्या रहा? क्यों उन्होंने मेहनत की, क्यों उन्होंने इस बात की चेष्टा की? रात-दिन, सारी रात बेकार करके उन्होंने कटौती प्रस्ताव बनायें और फिर यहां आकर पेश किये? पेश करने के बाद में इस बात का असर्टेन किया कि हमारे लिस्टेड हुए हैं या नहीं

(श्री रामनारायण चौधरी)

हुए हैं? अब आपने व्यवस्था देकर उन सबको....

श्री अध्यक्ष : नहीं माननीय, आप तो हैं, इसमें बोलेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : मेरी बात नहीं है। मेरे ऊपर तो आपकी कृपा हो जाएगी। लेकिन जिन माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव दिये हैं उनका क्या होगा?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : नहीं, बेकार कैसे हो गये, सबके पास उत्तर जाएंगे।

श्री अध्यक्ष : ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्यों को मौका मिलेगा। माननीय मेघवाल साहब।

श्री महावीर प्रसाद जैन : और यह परम्परा हाउस की रही है...(व्यवधान)....

श्री रामनारायण चौधरी : यह परम्परा नहीं है, परम्परा यह भी रही है कि.... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री रामनारायण चौधरी : अब आप शॉर्टकट यह करना चाहते हैं, अध्यक्ष महोदय....(व्यवधान)....

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, कटौती प्रस्ताव ...(व्यवधान)...

श्री महावीर प्रसाद जैन : सचेतक के नाम दिये गये हैं, अध्यक्ष महोदय.... (व्यवधान)....

श्री रामनारायण चौधरी : सरकार शॉर्टकट करना चाहती है कि वह सदन को चलाना नहीं चाहती। इस सदन की यह परम्परा रही है कि रात के, दूसरे दिन दो-दो बजे तक सदन चला है।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : कटौती प्रस्ताव जिन्होंने दिये हैं उनको तो बोलने का अधिकार है इसके अन्दर....(व्यवधान)....

श्री रामनारायण चौधरी : अब माननीय चीफ-व्हिप साहब हाथों-हाथ मांग पास करवा कर भगना चाहते हैं। यही होगा जितने कटौती प्रस्ताव ..(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्य भाग ले सकें और.... (व्यवधान)....

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, तमाम-तमाम मांगों को पेश किया हुआ तो मान लिया जाए, यह भी आदेश आपका शिरोधार्य है, और भी शिरोधार्य है लेकिन जो माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, उनको बोलने का मौका दें। अगर सदन आपका सुबह चार बजे तक भी चलता है तो चलने दीजिये। ऐसा पूर्व में हुआ है। तीन-तीन बजे तक चला है। एक-एक बजे तक चला है। बारह-बारह बजे तक चला है, बारह बजे से पहले कभी खतम नहीं हुआ। अब

(श्री रामनारायण चौधरी)

आप उसको बहुत शॉर्टकट करना चाहते हैं। सरकार इतना जल्दी क्यों करना चाहती है ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : जितने समय तक आपके बैठने की तैयारी है, उतना समय तक कहूं....(व्यवधान)....

श्री रामनारायण चौधरी : हम तैयार हैं, हमारे को क्या दिक्कत है ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : हमको भी कोई दिक्कत नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : लेकिन जो कटौती प्रस्ताव देते हैं, मेहनत करते हैं, तैयार करते हैं, उनके अनुक्रम में उनको बुलवाया जाना चाहिए, यह आप ध्यान रखें।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

अनुदान की मांग

मांग संख्या–16 पुलिस की प्रस्तुति

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या–16 पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,19,25,95,000/- रुपये (तीन अरब उन्नीस करोड़ पच्चीस लाख पिचानवे हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

मांग संख्या-16 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-16 मुख्य शीर्षक पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) :

(1) थाना खाजूवाला के ए. एस. आई. व दो सिपाहियों द्वारा की जा रही पक्षपात पूर्ण कार्यवाहियों की सी. ओ. खाजूवाला द्वारा अनदेखी करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(2) थाना पुलिस पूंगल में दर्ज मु. नं. 15/95 व दफा 3 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज मुकद्मात में सी. ओ. खाजूवाला द्वारा ढिलाई बरतने से उत्पन्न जन असंतोष पर चर्चा के लिए।

(3) थाना पुलिस खाजूवाला में 302 आई. पी. सी. के जुर्म दर्ज मु. नं. 119 ता. 24/8/94 में थाना पुलिस पूगल में दर्ज अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के मामलों में अविलम्ब कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) :

(4) राजस्थान में पर्याप्त पुलिस बल तथा

(श्री रामनारायण चौधरी)

थानों की संख्या बढ़ाने तथा पुलिस को आधुनिक सुविधाओं एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) :

(5) कुम्हेर थाने का भवन निर्माण किये जाने के लिए विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(6) माह मार्च व अप्रैल, 95 में कुम्हेर तहसील में हुई चोरी व लूट की घटनाओं के मुलजिमों की गिरफ्तारी एवं माल बरामद कर चालान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(7) वर्ष 1993 में ग्राम खेडली गडासिया में शिक्षा विभाग के वरिष्ठ लिपिक के कातिलों का पता लगाये जाने हेतु सार्थक अनुसंधान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(8) कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र स्थित ग्राम रारह में पुलिस थाना स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(9) राजस्थान पुलिस बल की संख्या बढ़ाने तथा उसको आधुनिक हथियारों व साधनों से युक्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

(10) राजस्थान पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(11) प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(12) राजस्थान पुलिस का वैज्ञानिक आधार पर पुनर्गठन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) :

(13) राज्य में चोरी, डकैती, लूटपाट, अपहरण, नकबजनी, बलात्कार, हत्या, पुलिस हिरासत में लोगों की मृत्यु आदि की बढ़ती हुई घटनाओं को रोकने में पुलिस तंत्र की विफलता पर चर्चा के लिए।

(14) पुलिस बल को आधुनिकतम अस्त्र-शस्त्र से युक्त किए जाने व उत्तम किस्म के वाहन उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(15) प्रदेश में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में पुलिस खुफिया तंत्र की विफलता पर चर्चा के लिए।

(16) प्रदेश में अन्य राज्यों की तुलना में जनसंख्या के अनुपात में पुलिस कर्मियों, थानों, चौकियों आदि की कमी पर चर्चा के लिए।

(श्री विष्णु मोदी)

(17) पुलिस कर्मियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भरतसिंह (खानपुर) :

(18) सांगोद तहसील मुख्यालय का उपखण्ड तथा जिला मुख्यालय से वर्षा ऋतु में सड़क सम्पर्क टूट जाने के कारण सांगोद में ही सी. ओ. कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(19) खानपुर तहसील मुख्यालय का उपखण्ड तथा जिला मुख्यालय से वर्षा ऋतु में सड़क सम्पर्क कट जाने के कारण खानपुर में ही सी. ओ. कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(20) प्रदेश में कुल पंजीबद्ध अपराध चोरी तथा नकबजनी के मात्र 30 प्रतिशत से भी कम अपराधों में ही चालान पेश करने से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिए।

(21) प्रदेश में बलात्कार, डकैती, लूट, बलवा जैसे गम्भीर अपराधों के झूठे प्रकरण दर्ज करवाने वालों के खिलाफ पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री राधेश्याम (गंगानगर) :

(22) पुलिस विभाग की अपराध शाखा के आधुनिकीकरण में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिए।

(23) पुलिस विभाग द्वारा मोटर गाड़ियों पर अत्यधिक व्यय किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(24) श्री गंगानगर जिले के थानों में एफ. आई. आर. दर्ज करने में पुलिस कर्मचारियों द्वारा कोताही बरतने से उत्पन्न जन असन्तोष पर चर्चा के लिए।

(25) श्री गंगानगर जिले में चोरियों व अन्य अपराधों में वृद्धि होने और पुलिस की लापरवाही के कारण अपराधियों को पकड़ने में पुलिस की असफलता पर चर्चा के लिए।

(26) श्री गंगानगर शहर में चार-पांच वर्ष पूर्व सरे बाजार को गई हत्या के मामले में अपराधी को पकड़ने में पुलिस की असफलता पर चर्चा के लिए।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :

(27) राज्य अन्वेषण ब्यूरो को स्व-विवेक से मामलों का अदालत में चालान पेश करने का अधिकार दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(28) राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच करके चालान की स्वीकृति के

(श्री हरजीराम बुरडक)

लिए पेश किये गये मामलों में राज्य सरकार द्वारा चालान प्रस्तुत करने की स्वीकृति नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(29) नागौर जिले में बढ़ती हुई आबादी के अनुपात में पुलिस बल की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(30) नागौर जिले में टेलीफोन विहीन थानों में टेलीफोन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(31) नागौर जिले के थाना लाडनूं और डीडवाना को क्रमोन्नत करके इन्सपेक्टर स्तर का पुलिस अधिकारी पदस्थापन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़) :

(32) बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र के ग्राम शम्बुपुरा, टोडी कालु, टिडिया देव में हुई डकैतियों का पता लगाने व बदमाशों को गिरफ्तार करने में सरकार की असफलता पर चर्चा क लिए।

(33) राज्य सरकार कुशलगढ़ क्षेत्र के धारजी आदिवासी की हत्या पुलिस एम. बी. सी. द्वारा करने पर भी पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार न करने से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिए।

(34) पुलिस द्वारा प्रदेश में चोरी डकैती रोकने में असफल रहने की स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमंद) :

(35) कुंआरिया थानान्तर्गत कुरज निवासी श्री बंशीलाल की दो नाबालिग लड़कियों की पुलिस मदद से पिता की इच्छा के विरुद्ध शादी कराने से उत्पन्न स्थिति के बारे में पर चर्चा के लिए।

(36) कुंआरिया (राजसमंद) थाने में श्री मांगीलाल रेगर पुत्र श्री भेरा रेगर की हत्या से उत्पन्न स्थिति के बारे में पर चर्चा के लिए।

श्री गोबिन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) :

(37) अजमेर में अश्लील छायाकांड में लिप्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों व अन्य प्रभावशाली अति विशिष्ठ व्यक्तियों को आरोप मुक्त करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(38) पुलिस थानों में महिलाओं को नग्न करने, अभद्र व्यवहार करने व महिलाओं पर अत्याचार करने से उत्पन्न जन असंतोष पर चर्चा के लिए।

(39) पुलिस की हिरासत में हुई पिछले पांच वर्ष में मौतों की बढ़ती संख्या से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(40) पुलिस द्वारा विभिन्न प्रकरणों में अनुचित विलम्ब करने से जातीय

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

पंचायतों द्वारा कानून अपने हाथ में लेने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए ।

(41) अजमेर जिले के उप खण्ड अजमेर में पुलिस अनुसंधानों में नाजायज दखल से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिए ।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) :

(42) पुलिस चौकी रास विधान सभा क्षेत्र जैतारण को क्रमोन्नत कर पुलिस थाना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

(43) पुलिस थाना आनन्दपुर कालु में जीप की व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए ।

(44) पुलिस थाना जैतारण जिला पाली में मुकदमों की संख्या ज्यादा होने से थाने को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) :

(45) पुलिस विभाग में कर्मचारियों एवं थानों व साधनों की कमी के कारण अपराधों को रोकने में हो रही समस्या पर चर्चा के लिए ।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) :

(46) राजस्थान पुलिस द्वारा निर्दोष लोगों पर की जा रही ज्यादतियों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए ।

(47) जिला अलवर के पुलिस थानों एवं चौकियों का सुदृढीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बून्दी) :

(48) पुलिस थानों में कर्मचारियों की कमी के कारण अपराधियों को पकड़ने में हो रही परेशानी पर चर्चा के लिए ।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगू) :

(49) बेगू विधान सभा क्षेत्र में पारसोली पुलिस स्टेशन पर जीप वाहन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

(50) ग्राम मंडावरी (बेगू) में पुलिस चौकी कायम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

(51) पुलिस विभाग द्वारा चोरियां बरामद करने एवं स्मगलिंग की रोकथाम में बरती जा रही कोताही से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिए ।

श्री रामकिशन वर्मा (रामगंजमण्डी) :

(52) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 3 के अधीन अनुसूचित जनजाति के मामलों को तफ्तीश उप अधीक्षक स्तर से हटाकर एस. पी. स्तर पर

(श्री रामकिशन वर्मा)

करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(53) रामगंज मंडी क्षेत्र में थानों व चौकियों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

(54) कोटा संभाग में कानून एवं व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति से उत्पन्न जन असन्तोष पर चर्चा के लिये ।

श्री दयाराम परमार (खेरवाड़ा) :

(55) मेवाड़ भील कोर खेरवाड़ा में उप कमाण्डेंट के नये पद का सृजन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(56) खेरवाडा में पुलिस उप अधीक्षक का कार्यालय खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(57) ग्राम सागवाडा में पुलिस चौकी की स्थापना किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(58) मेवाड़ भील कोर खेरवाड़ा में एक नयी कम्पनी बना कर आदिवासी बेरोजगार युवकों को भर्ती किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री बनवारी लाल शर्मा (धौलपुर)

(59) धौलपुर जिले में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के बारे में चर्चा के लिये ।

(60) धौलपुर जिले में ग्राम पचगांव को पुलिस चौकी को थाने में परिवर्तित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(61) धौलपुर जिले में एडीशनल एस. पी. का पद स्थापन नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

(62) धौलपुर जिले में हथियारों के लाईसेन्स देने में आ रही परेशानियों पर चर्चा के लिये ।

(63) धौलपुर जिले में डकैतों के आतंक से भयभीत जनता को पुलिस द्वारा राहत नहीं दिलाने पर व्याप्त जन आक्रोश पर चर्चा के लिये ।

1. श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) :

2. श्री माधव सिंह दीवान (सोजत) :

(64) प्रदेश में पुलिस कस्टडी (संरक्षण) में मौतों की बढ़ोतरी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) :

(65) उदयपुर में पुलिस थानों की स्ट्रेंथ और ट्राफिक पुलिस की स्ट्रेन्थ बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(66) उदयपुर नगर में बोखाड़ी एवं सिलावट

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

वाड़ों में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(67) पुलिस में भर्ती के समय अधिकारियों द्वारा पक्षपात करने से गृह जिले के लोगों की भर्ती नहीं होने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

(68) पुलिस विभाग में कांस्टेबल से लेकर आर. पी. एस. अधिकारियों के पदोन्नति प्रकरणों में हुई धांधली से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(69) उदयपुर जिले में पारसोला, करावड़ा, चावण्ड आदि काण्डों में पुलिस द्वारा झूठे मामले बनाकर राजनैतिक बदला लेने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गोपीराम जाट (आमेर)

(70) थाना बगरू को वर्तमान में उप अधीक्षक दूदू के अधीन से उप अधीक्षक दक्षिण या उप अधीक्षक झोटवाड़ा के अधीन रखा जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

(71) जयपुर जिले में आमेर तहसील के ग्राम अचरोल में थाना खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(72) जयपुर जिले में स्थित थानों में पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भीमराज भाटी (पाली) :

(73) पुलिस चौकी रोहट को पुलिस थाना में क्रमोन्नत करने एवं पुलिस थाना केरला में पुलिस चौकी बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(74) पाली जिले से गुजर रही राष्ट्रीय मार्ग नं. 8 पर हाईवे पैट्रोलिंग, मोबाईल चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(75) राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 8 पर हो रही शराब, अफीम हेरोइन आदि की तस्करी को पुलिस द्वारा रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(76) बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुपात में पुलिस में नई भर्ती की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(77) पाली विधान सभा क्षेत्र के रोहट पंचायत समिति के क्षेत्र में एक/दो अतिरिक्त पुलिस चौकियों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन मोहन (खैरथल) :

(78) जयपुर व राजस्थान के दूसरे शहरों में आतंकवादियों की रोकथाम के उपाय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(79) राजस्थान में पुलिस बल को आधुनिक

(श्री मदन मोहन)

हथियार एवं हर थाने पर जिप्सी जीप दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(80) राजस्थान में विधायकों एवं वी. आई. पी. व्यक्तियों की सुरक्षा पुख्ता करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(81) पुलिस की भर्ती में अन्य पिछड़े वर्गों को समुचित स्थान नहीं दिए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

(82) राजेन्द्र मिर्धा अपहरण काण्ड में पुलिस द्वारा बरती गई ढिलाई के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना)

(83) राजस्थान में हत्या व डकैती अपहरण की घटनाओं में हो रही वृद्धि की रोकथाम हेतु पुलिस विभाग द्वारा कारगर उपाय किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(84) रायपुर पाटन तहसील नीमकाथाना में हरिजनों को पुलिस द्वारा तंग करने से उत्पन्न जन असन्तोष पर चर्चा के लिये ।

(85) नीमकाथाना पंचायत समिति की जीप चोरी हो जाने पर जीप बरामद करने में पुलिस की विफलता पर चर्चा के लिये ।

(86) पाटन थाना में पूर्व थानेदार द्वारा बलात्कार का झूठा मुकदमा दर्ज करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)

(87) सर्किल आफिसर पुलिस (सी. ओ.) नवलगढ़ (झुंझुनूं) द्वारा जातीय आधार पर पुलिस जांच कार्य में दखलन्दाजी करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

(88) एफ. आई. आर. नं. 224/94 पुलिस थाना उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू मुकदमे में बरामद मोटर साइकिल तथा तलवार के बारे में कोई जांच नहीं करने तथा मुल्जिमों से मिलकर सी. ओ. नवलगढ़ द्वारा मामला समाप्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर)

(89) प्रदेश में जनसंख्या के अनुपात में पुलिस बल का अभाव होने तथा बड़े शहरों में महिला थाना नहीं बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

(90) जोधपुर शहर विधान सभा क्षेत्र में सिवाची गेट पुलिस चौकी को

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

क्रमोन्नत कर पुलिस थाना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(91) बाई जी महाराज आश्रम, जोधपुर शहर के पास सन्त अजानेश्वर मार्ग (बकरा मण्डी) में पुलिस चौकी कायम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(92) जोधपुर शहर विधान सभा क्षेत्र में उप अधीक्षक पुलिस (सर्कल आफिसर) का एक पद स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(93) पुलिस थानों में आधुनिक शस्त्र एवं उपकरण मुहैया कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर)

(94) थाना पुलिस खाजूवाला में दर्ज मुदकमा नं. 119 तारीख 24-8-94 व अन्य मुकदमों की जांच में विलम्ब एवं थाना पुलिस पूगल के एस. सी./एस.टी. एक्ट के मुकदमों में विलम्ब से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़)

(95) विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा परीक्षण में देरी किए जाने से फौजदारी मामलों के निस्तारण मे हो रहे विलम्ब से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(96) जयपुर शहर के बढ़ते स्वरूप व जटील कानून व्यवस्था की दृष्टि में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(97) पुलिस कान्स्टेबल की कठिन ड्यूटी को देखते हुए वेतन, भत्तों एवं अन्य सुविधाओं में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(98) वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए व पूर्व में जारी अनुसंधान किट के सुधार व इसके उपयोग को निश्चित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(99) पुलिस विभाग के अधीनस्थ स्टाफ की समस्याओं के निराकरण व स्थिति सुधार के लिए राज्य व जिला समितियों के स्थान पर अन्य प्रभावी व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमरा राम (धोद)

(100) मुकदमा नम्बर 116/95 सगरिया पुलिस थाना जिला-हनुमानगढ़ में पुलिस द्वारा जांच करने में किये जा रहे विलम्ब से उत्पन्न असन्तोष पर चर्चा के लिये।

(श्री अमरा राम)

(101) एफ. आई. आर. 36/95 सदर थाना सीकर में पुलिस द्वारा जांच में किये जा रहे विलम्ब से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर)

(102) अलवर जिले के 6 फैक्ट्री एरिया को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस बल बढ़ाने एवं महिला थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(103) अलवर जिले में 6 फैक्ट्री एरियाज तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को दृष्टिगत रखते हुए उप महानिरीक्षक कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही)

(104) कैलाश नगर तहसील शिवगंज जिला सिरोही की पुलिस चौकी को क्रमोन्नत करके पुलिस थाना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई)

(105) राजस्थान में पुलिस की लापरवाही व ढिलाई से आंतककारी गतिविधियां बढ़ने से राज्य को उत्पन्न खतरे पर चर्चा के लिये ।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट)

(106) सवाई माधोपुर जिले के थाना बौंली के गांव सिसोलाव में पुलिस के द्वारा झूठे मुकदमें दर्ज कर नागरिकों को परेशान करने से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिये ।

(107) दौसा जिले के थाना लालसोट में सन् 1993 में मण्डावरीं के व्यापारियों के सरसों की चोरी के दर्ज प्रकरणों में अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद भी चोरी गयी सरसों एवं अन्य सामान बरामद नहीं करने से उत्पन्न जन-आक्रोश पर चर्चा के लिये ।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर)

(108) जहाजपुर क्षेत्र में आगरवाली, पारोली में नये थाने एवं बिशनिया खजूरी, रोपां टीकड़ में नई पुलिस चौकियां खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट)

(109) अलवर जिले के थाना अरावली विहार में दर्ज मु. नं. 240/94 हत्याकाण्ड में शामिल फरार अपराधियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं करने से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिये ।

(110) अलवर जिले के थाना तिजारा में दर्ज मु.नं. 10/95 से सम्बन्धित

(156)

(श्री परसादीलाल मीणा)

हत्यारों को अब तक गिरफ्तार नहीं करने से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

(111) जयपुर जिले के बस्सी थाना में दर्ज मु.नं. 138/94 के अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर)

(112) पुलिस हिरासत में मौत के अनुसंधान में पुलिस द्वारा बरती जा रही लापरवाही पर चर्चा के लिये।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बून्दी)

(113) राजस्थान में पुलिस बल को अधिक गतिशील बनाने व बून्दी जिले में थानों का पुनर्गठन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अरूण सिंह (डीग)

(114) कामां में पुलिस सर्किल स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नारायण लाल (लसाड़िया)

(115) थाना धरियावद जिला उदयपुर के अन्तर्गत गांव खून्ता में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(116) थाना जलारा तहसील सलूम्बर जिला उदयपुर के गांव मानपुर में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशोरायपाटन)

(117) विभाग में हर तहसील स्तर पर महिला पुलिस थाना खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(118) पुलिस विभाग के सिपाहियों को वेतन भत्ता, वर्दी, छुट्टियों आदि की सुविधा व समुचित रूप से उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(119) केशवरायपाटन क्षेत्र के कापरेन एवं केशवरायपाटन पुलिस थानों के जीर्ण शीर्ण भवनों से किसी भी समय दुर्घटना होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(120) केशवरायपाटन क्षेत्र के दईखेड़ा एवं जैथल ग्रामों में पुलिस चौकियां स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(121) बून्दी जिले में मन्दिरों की मूर्ति चोरियां एवं अन्य बहुमूल्य समानों की चौरियों का पुलिस द्वारा पता न लगाने पर जनता में उत्पन्न आक्रोश पर चर्चा के लिये।

श्री विजय सिंह (दीगोद)

(122) कोटा व बारां जिले के पुलिस प्रशासन को गतिशील बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर)

(123) ब्यावर शहर में पुलिस चौकियों पर टेलीफोन की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

124) राजीयावास ब्यावर विधान सभा क्षेत्र में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(125) साकेतनगर (ब्यावर) में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा)

(126) अजमेर जिले में नये थाने खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर-ग्रामीण)

(127) सीमा क्षेत्र में तत्परता से घुसपैठ रोकने व सुरक्षा पट्टी निर्माण करने दीवार या कंटीले तारों की बाढ़ लगाने व आतंकवादियों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही किये जाने में की जा रही देरी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

(128) राज्य में पुलिसकर्मियों को आधुनिकतम उपकरणों से सुसज्जित करने व प्रत्येक 10 किलोमीटर दूरी पर पुलिस थाने खोले जाकर सुरक्षा दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(129) पुलिस के द्वारा अभियोगों के अन्वेषण में शिथिलता, पक्षपात करने से जनता में पुलिस की गिरती छवि को दूर करने हेतु कारगर कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(130) जयपुर नगर व राजस्थान के थानों में पुलिस बल और बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(131) संवेदनशील क्षेत्र जयपुर ग्रामीण में भण्डारे के रास्ते चोकड़ी रामचन्द्रजी में पुलिस-चौकी पक्की बनाकर पुनः शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(132) पुलिसकर्मियों के मैस भत्ता, हार्ड ड्यूटी अलाउन्स समय पर वर्दी, मैस भत्ता, मंहगाई भत्ता आदि बढ़ाये जाने व समय पर उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा)

(133) नई चौकियों एवं थानों के गठन में में बरती जा रही अनियमितताओं पर चर्चा के लिये ।

(श्री अर्जुनदास मदान)

(134) पुलिस हड़ताल के दौरान सेवा से निष्कासित पुलिस कर्मियों को न्यायालय के निर्णय के उपरान्त पुनः नौकरी में नहीं लिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां)

(135) करवर (बून्दी) में हुई चोरियों से सम्बन्धित कुछ मुलजिमों के नाम ही जांच के दौरान निकाल देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(136) उप अधीक्षक नैनवां के कार्यालय भवन का निर्माण करवाने हेतु विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(137) खटकड़ तथा करवर (बून्दी) में पुलिस स्टेशन स्थापित करने में बरती जा रही ढिलाई से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

138) थाना लाखेरी, हिण्डौली, कोटाडेम के पुलिसकर्मियों द्वारा की गयी हत्याओं बाबत न्यायालय में चालान पेश करने में बरती जा रही देरी से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

(139) श्रीमती संतरा निवासी जरखोदा थाना देई का गर्भावस्था में आपरेशन करने एवं तत्पश्चात् जटिलता पैदा करने वाले चिकित्सा कर्मियों के खिलाफ पुलिस द्वारा फौजदारी मुकदमा दर्ज करने में की जा रही देरी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी)

(140) थाना चाकसू द्वारा पुलिस चौकी कोटखावदा में हुई चोरी, लूट, डकैती के माल की बरामद न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(141) ग्राम दणाऊं कलां में इस वर्ष हुए कत्ल के मुलजिमों को पकड़कर छोड़ने की कार्यवाही से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(142) कस्बा बस्सी में पुलिस की निगरानी में चल रहे जुए, सट्टे से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(143) ग्राम तूंगा, कानोता, कोटखावदा की पुलिस चौकियों को अपग्रेड करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(144) थाना बस्सी में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अमरचन्द मिढ्ढा (सूरतगढ़)

(145) पुलिस विभाग में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) :

146 उप अधीक्षक (सी. ओ.) नवलगढ़ द्वारा हर मामले में जांच प्रक्रिया में दखल देकर मामलों को रफा दफा करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा) :

(147) पिड़ावा क्षेत्र झालावाड़ में पुलिस द्वारा की जा रही अनियमितता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री बाबूलाल वर्मा (डग) :

(148) डग विधान सभा क्षेत्र में पुलिस प्रशासन की अव्यवस्था से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री फूलचन्द (सलूम्बर) :

(149) जयसमंद एशिया प्रसिद्ध झील पर पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस चौकी स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(150) सलुम्बर मुख्यालय पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का मुख्यालय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(151) सलूम्बर मुख्यालय पर ट्रैफिक पुलिस चौकी स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(152) सलूम्बर में मानपुर/संवेदनशील क्षेत्र में पुलिस चौकी स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(153) उदयपुर जिले में आदिवासियों को सिपाहियों की भर्ती में प्राथमिकता दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) :

(154) बूंदी जिले में किसानों के खेतों से मोटर पम्प चोरी की वारदातों को पुलिस द्वारा नहीं रोके जाने से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिये ।

(155) कोटा संभाग में पिछले वर्ष हुई केरोसिन की मिलावट के कारण हुई मौतों के बाबत दर्ज पुलिस केस में अविलम्ब कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(156) बूंदी जिले में हिण्डोली तहसील के ग्राम लकड़ेश्वर महादेव में हुई पिछले वर्ष चोरी व हत्या के अपराधियों को अब तक पुलिस द्वारा न पकड़ पाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

(157) कोटा सम्भाग में बढ़ती हुई हत्याओं से पुलिस के प्रति बढ़ते जन आक्रोश पर चर्चा के लिये ।

(158) जिला परिषद् के चुनाव के दौरान जनवरी, 95 माह में बारां जिले के

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

जलवाड़ा ग्राम में हुई हिंसक वारदात में एक दल के लोगों द्वारा दूसरे दल की रैली पर हमला किया जाने पर थाना नाहरगढ़ में दर्ज किये गये केस में पुलिस द्वारा बरती जा रही कोताही से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया (सादुलपुर) :

(159) एफ. आई. आर. 128/93 पुलिस थाना सरदार शहर जिला चूरू में दर्ज मुकदमा अन्तर्गत धारा 147, 149, 332, 353 व 452 एवं अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 3(1) में दर्ज मुकदमे में अभी तक अभियुक्तों का चालान पेश नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

मांग संख्या–16 पर विचार

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या-16, पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च ....(व्यवधान).... 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये जो मांग हो रही है, उसमें आप बहस में भाग लेंगे .... (व्यवधान)....

श्री परसराम मदेरणा : आप तो गुलेटिन लगा रहे थे....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : नहीं साहब, बहस शुरू करने के लिये। ऐसा नहीं कहेंगे तो यू कहेंगे कि कौनसी मांग के लिये कह रहे हैं आप। माननीय .. (व्यवधान)....

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, कटौती प्रस्ताव वालों के नाम पुकारिये आप अब ...(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : माननीय भंवरसिंहजी चौधरी।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : अध्यक्ष महोदय, आसन की तरफ से व्यवस्था दी गयी थी कि मुझे दो मिनट बोलने का मौका मिलेगा। मेरा स्थगन प्रस्ताव रिजेक्ट किया था, वह पहले नम्बर पर आयेगा। स्थगन प्रस्ताव रिजेक्ट किया था, पहले मेरा नम्बर आयेगा।

श्री रामनारायण चौधरी : आसन की तरफ से तो आपने व्यवस्था दे दी उसको तो हम समझते हैं लेकिन उसकी पवित्रता....

श्री अध्यक्ष : जिन माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्ताव है उन सबको मौका दे रहा हूं, आप बिराजिये।

श्री रामनारायण चौधरी : वह तो दे रहे हैं और आपको अधिकार है, आप किसी भी माननीय सदस्य को बुलवा सकते हैं लेकिन जिन्होंने कटौती प्रस्ताव दिये हैं, आप डिबेट तो उनसे प्रारम्भ करिये.... (व्यवधान)....

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : उनको बुलवाइये, अपनी मर्जी से करे जा रहे हैं। (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप।

श्री रामनारायण मीणा : मामला यह हो नहीं है, माननीय ....(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो आपने व्यवस्था दी, वह शिरोधार्य है। आप किसी भी मैम्बर को बुलाना चाहें, चीफ-व्हिप ने जो नाम दिये हैं बुलवा सकते हैं, लेकिन जिस माननीय सदस्य ने उस पर्टिकुलर डिमाण्ड के ऊपर सबसे पहले कटमोशन दिया है, मैं समझता हूं कि उनको आपको कॉल करना चाहिये। मैं इसलिये कह रहा था, चाहे वह आपकी तरफ से हो, चाहे इस तरफ से हो, फर्स्ट व्यक्ति को तो दिया जाना चाहिये और उसके बाद में जो अध्यक्ष ने अभी व्यवस्था दी है, उसी व्यवस्था के अनुरूप या अनुसरण में आप किसी भी सदस्य को बुला सकते हैं लेकिन मैं यह परम्परा की बात कह रहा था....

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री परसराम मदेरणा : जिस व्यक्ति ने सबसे पहले अगर कटौती प्रस्ताव दिये हैं, उनको कम से कम उस पर्टिकुलर डिमाण्ड के सम्बन्ध में सबसे पहले मौका दिया जाना चाहिये। जैसा कि अभी पब्लिक ओपीनियन इलिसिट करने के लिए या सलेक्ट कमेटी में रेफर करने के लिए जो मैम्बर्स, जिनका नाम पहले है, आप उसको कॉल करते हैं। यहां पर आपने व्यवस्था दूसरी दे दी है आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है लेकिन फर्स्ट स्पीकर कौन होगा, इस डिमाण्ड के ऊपर? जिसने सबसे पहले कटमोशन दिया है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इनका नाम है ही नहीं। इन्होंने कटमोशन दिया ही नहीं है। इनका कटमोशन ही नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : वह कटमोशन दिया है या नहीं दिया, उनको आप बुला सकते हैं बाद में लेकिन पहले रामनारायण जी चौधरी का पहला कटमोशन है, उनको बोलने दीजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : कटमोशन देने का मतलब कहां रहा?

श्री भैरोंसिह शेखावत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता ने अभी परम्पराओं का एक रेफरेंस किया है, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आजतक की परम्परा यह है कि कटमोशन कोई भी सदस्य जो मूव करता है, वह कटमोशन उस डिमाण्ड के दिन एक साथ ही मूव माने जाते हैं, अलग-अलग सदस्य को मूव करने की इसमें आवश्यकता नहीं रहती है। पहली तो परम्परा यह है।

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

दूसरी परम्परा यह है कि कटमोशन मूव करने के बाद समय कितना है, उस समय का बंटवारा कांग्रेस पार्टी में या विपक्षी पार्टी में या विपक्ष या पक्ष में होता है और उस बंटवारे के हिसाब से मैम्बर्स को बोलने का समय मिलता है। नम्बर दो।

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं, बंटवारा नहीं होता है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : होता है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : डिमाण्ड चलती रहती है....(व्यवधान)....

श्री भैरोंसिह शेखावत : नहीं, इसलिए डिमाण्ड चलती है, मान लीजिये 9.00 बजे तक डिमाण्ड चलेगी। मेरी बात सुन लीजिये आप। मैम्बर्स की हमारी पार्टी की तरफ से लिस्ट जायेगी, आपकी पार्टी की तरफ से लिस्ट जायेगी। यह आवश्यकता नहीं है कि जिन्होंने कटमोशन दिये हैं वे सब बोलें। पार्टी की तरफ से बोलने वालों का नाम दिया जाता है स्पीकर को और नाम देने के अन्दर प्राथमिकता मिलती है सत्तारूढ़ पक्ष को। अब उनको बोलने का समय दिया है तो सत्तारूढ पक्ष के नाते उनको समय मिला है और यह प्राथमिकता की और व्यवस्थाओं के आधार पर ही दिया गया है। यह कोई नयी व्यवस्था नहीं है.... (व्यवधान)....

श्री माधवसिंह दीवान : कटमोशन ही नहीं दिया।

श्री भैरोंसिह शेखावत : कटमोशन नहीं दें तो भी। कटमोशन नहीं दें तो भी.... (व्यवधान)... मैं आपको यह कहता हूं कटमोशन नहीं दें तो भी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कटमोशन देने का मतलब ही क्या हुआ? फिर तो यूं जनरल डिबेट ही रख लीजिये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मेरी सुनिये। इसका मतलब यह हुआ अगर सत्तारूढ़ कटमोशन नहीं देता है जो नहीं देना चाहिये, फिर तो कोई बोल ही नहीं सकता।... (व्यवधान)... कोई नहीं होता, यह सब कुमारमंगलम् की स्थिति आप यहां मत लाओ।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता एक नयी परम्परा डलवाना चाहते हैं....

श्री भैरोंसिह शेखावत : कोई नयी नहीं है, बिलकुल यही है। इसी परम्परा में से हम निकले हैं।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, यह नहीं है। यह नयी परम्परा है और एक नयी परम्परा प्रारम्भ करने के लिए, मैंने आपसे नम्र निवेदन किया है। अब प्रश्न यह रहा कि सत्ता पक्ष है, कटमोशन प्रस्ताव चूंकि वह सत्तापक्ष है और उसका

(श्री परसराम मदेरणा)

नम्बर ज्यादा है इसलिए सत्तापक्ष को पहले मौका दिया जाए। बजट भाषण आपका हुआ। यह गवर्नर का एड्रेस नहीं था। जहां थैंक्स मोशन है, उसमें तो आपका प्रपोजल सैकण्ड में होता है लेकिन बजट के अंदर अपोजिशन का पहले बोलता है। कट-मोशन के अन्दर भी जो पहला नाम है, मैं उसको डिस्क्रिमिनेट सत्तापक्ष में और विपक्ष में कर ही नहीं रहा हूं। मैं तो एक पहला नाम जो इनका है अगर वह सदन में मौजूद हैं, तो निश्चित तौर पर उनको आपको प्राथमिकता देनी चाहिये। ऐसी अगर परम्परा बन जाती है तो जिस माननीय सदस्य ने मेहनत करके सबसे पहले, जो इतना विजिल रहा है, जागरूक रहा है, उसको अवसर नहीं देकर और जिस माननीय सदस्य ने एक भी कटमोशन नहीं दिया, वह सत्तापक्ष में है इसलिए इनको वह मौका दे दिया जाए, यह परम्परा ठीक नहीं रहेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह इसी परम्परा में है। इनको कटमोशन देने की जरूरत नहीं है। ये जो डिमाण्ड है उसका समर्थन कर रहे हैं।....(व्यवधान)... आप तो बोल रहे हैं एक छोटे से इश्यू पर। जो आपने कटमोशन दिया है वह छोटा इश्यू है। वे बोलेंगे बहुत बड़े इश्यू पर, डिमाण्ड की जनरल पर्सपेक्टिव में बोलेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप ?

श्री रामनारायण चौधरी : उनको बोलने की जरूरत ही नहीं है....(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सभी, के लिये मौका आ रहा है, इसमें कौनसा फर्क पड़ जाएगा। माननीय भंवर सिंहजी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं, अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गलत परम्परा डाली जा रही है, ऐसा मत कीजिये, यह परम्परा कभी नहीं रही है। मैं 14 साल सत्ता-पक्ष का चीफ व्हिप रहा हूं, हमेशा हम नाम देते हैं और नाम उन्हीं का देते हैं जिन्होंने कटमोशन दिये हैं। आखिर इन लोगों ने मेहनत करके, एक रोज पहले आकर, 9 बजे यहां आकर अपने कटमोशन पेश किये और दो रोज पहले से यह पूरी कोशिश में रहें कि हमारा नाम उस तरह से आना चाहिये। अब जिसने कटमोशन ही नहीं दिया और जिस आदमी का इससे कोई ताल्लुक ही नहीं.... (व्यवधान)....पहले भंवर सिंहजी का नाम भेजा है आपने।....(व्यवधान)....

श्री भंवरसिंह चौधरी (मेड़ता) : अध्यक्ष महोदय, जब से सृष्टि की रचना हुई है....(व्यवधान)....

श्री रामस्वरूप मीणा : फिर कट-मोशन देने का मतलब क्या रहा ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, पहले उनको बोलने दीजिये। आप बोलिये, रामनारायणजी। ....(व्यवधान),.

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन जी चौधरी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इनके लिये झगड़ा कर रहे थे क्या ?

श्री रामनारायण चौधरी : मैं तो व्यवस्था के लिए कर रहा था। मैं तो जो परम्परा भंग हो रही थी....

श्री अध्यक्ष : चलिये भीमसेनजी चौधरी को बोलने दीजिये।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, पुलिस डिमाण्ड पर मेरे तीन कटौती प्रस्ताव हैं जिन पर मैं संक्षेप में अपनी बात कहना चाहता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : आप तो मेरे से ही दुश्मनी निकालना चाहते थे क्या ?

श्री भीमसेन चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र बहुत लम्बा-चौड़ा है 14,000 वर्ग किलोमीटर में। मुझे हर माह अपने अलग-अलग हलकों में जाना पड़ता है। खाजूवाला में मैं हर महीने की दो तारीख को जाता हूं और वहां पर जनता की जो समस्याएं मेरे सामने आती हैं उनके बारे में मैं जिक्र करता हूं। मैं गत दो मार्च को वहां खाजूवाला में पहुंचा। वहां पर ग्रामीणों ने इकट्ठे होकर वहां के जो ए. एस. आई. है, अमर सिंह, उनके बारे में मुझे शिकायत की। वहां एक अल्पसंख्यक की लड़की का अपहरण हो गया था, उस अपहरण के बारे में उसके पिता ने रिपोर्ट दर्ज करनी चाही लेकिन ए. एस. आई. ने वह रिपोर्ट दर्ज नहीं की और उसको यह कहा गया कि बी. जे. पी. के फलां नेता को लाओ, तभी मैं रिपोर्ट दर्ज करूंगा।

ये लोग मेरे पास आये, मैंने फिर ए. एस. आई. को जाकर लोगों के सामने कहा तो ए. एस. आई. ने इस बात को माना कि मेरे से इस बात की गलती हो गयी। मैंने कहा कि अब यह रिपोर्ट दर्ज कराना चाहता है। उसने कहा कि मैं इसकी रिपोर्ट दर्ज कर लेता हूं। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद भी आज तक उस लड़की के बारे में कोई कार्यवाही नहीं की, कोई बरामदगी नहीं की, उसके बारे में पुलिस ने निष्क्रियता बरती है। वहां पर एक सिपाही है जो 16 साल से वहां बैठा हुआ है, 16 साल से वहां थाने में तैनात है और वहां की लोकल पालिटिक्स में इन्वाल्व है। वहां पर जो मुकदमे दर्ज हुए उनके बारे में आगे कार्यवाही होनी चाहिये या नहीं होनी चाहिये, वह जो डिक्टेशन देता है उसी के अनुसार थाने में कार्यवाही होती है। मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, ऐसे स्टाफ को वहां से तत्काल बदलना चाहिये जिससे वहां की जनता को राहत तो कम से कम मिले और वहां पर सीमान्त क्षेत्र में आपने सी. ओ. जो लगा रखा है उसको 1992 में डिमोट कर दिया गया,

(श्री भीमसेन चौधरी)

उसको सब-इन्स्पेक्टर बना दिया गया और उसी को आपने वहां पर तैनात कर रखा है। अल्पसंख्यकों के बारे में या अनुसूचित जाति के मुकदमों के बारे में वे अनदेखी करते हैं, उनके प्रति उनकी सहानुभूति नहीं है मुकदमों की सुनवाई करने की।

पुलिस थाना महाजन पूगल में मुकदमा नम्बर 15 और मुकदमा नम्बर 18 एस. सी. एक्ट के अन्तर्गत जो मुकदमे दर्ज हुए उनके बारे में उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की और चुनाव के वक्त में जब मुकदमा नम्बर 15 दर्ज हुआ उसमें जो मुल्जिमान थे उन्होंने पंचायत चुनाव में हारने की वजह से हमारे अल्पसंख्यक अनुसूचित जाति के लोगों को डराने-धमकाने के कारण से, छप्परों में पहुंचकर के उनको डराया-धमकाया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद भी सी. ओ. ने उनके 'खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की मुकदमे में आज तक। मैं समझता हूं कि इस तरह के अधिकारी को जो डिमोट हो चुका है डी. पी. सी. के द्वारा, ऐसे अधिकारी को सीमान्त क्षेत्र में रखा जाना उचित नहीं है। उस इलाके में जो लोग बसे हुए हैं, 30 पर्सेंट लोग अनुसूचित जाति के हैं, 15 पर्सेंट ओ. बी. सी. के लोग हैं, मैं समझता हूं कि ऐसे अधिकारी उस क्षेत्र में रखे जाने चाहियें जो अनुसूचित जाति के या ओ. बी. सी. के प्रति उनमें सहानुभूति हो, जिनके दिल में संवेदना हो, ऐसे अधिकारी की वहां पर नियुक्ति की जानी चाहिये। इसलिए मैंने अपना यह संशोधन प्रस्ताव रखा था।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा 1992 में हमारे बाउनवाली में, जो हमारा राष्ट्रीय मार्ग है उसमें ट्रिपल मर्डर हुए हैं एक रात में। आज तक उन ट्रिपल मर्डर के बारे में पुलिस प्रशासन ने कोई कार्यवाही नहीं की और उनकी एफ. आर. दर्ज कर दी गयी है। मैं समझता हूं इतने सेंसिटिव मामले में, ट्रिपल मर्डर हुए एक रात में और पुलिस ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की, इसके बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए मैंने यह प्रस्ताव रखा है। मैं समझता हूं कि इस तरह से अनुसूचित जाति के जो मुकदमे हैं, एस. सी., एस. टी. मुकदमे हैं इनके बारे में सरकार को अच्छे अधिकारी जो अनुसूचित जाति के प्रति सहानुभूति रखने वाले हों, उनको इस क्षेत्र में लगाया जाए, मैं यह निवेदन करना चाहता था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव पेश कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरसिंहजी।

श्री भंवरसिंह चौधरी (मेड़ता) : अध्यक्ष महोदय, इस सृष्टि की जब रचना हुई, जीव जब जमीन पर आया उस वक्त से लेकर आज तक सुरक्षा की आवश्यकता हुई और किसी न किसी रूप में इस सुरक्षा का भार पुलिस के कंधों पर रहा।

राजस्थान की पुलिस एक गौरवमय इतिहास लिये हुए है। राजस्थान की पुलिस

(श्री भंवरसिंह चौधरी)

में पहला उदाहरण है कि पुलिस अधीक्षक के पद का कोई व्यक्ति डकैतों से मुकाबला करता हुए शहीद हो गया, चौधरी ताराचंद। ऐसे कई अन्य व्यक्ति हैं जिनके प्रति मैं श्रद्धा अर्पित करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का गत वर्ष का पुलिस का इतिहास सदैव सराहनीय रहेगा विशेषकर श्री राजेन्द्र मिर्धा के अपहरण काण्ड की पुनः बरामदगी कर सकुशल लौटाना, यह इतिहास में लिखा जाएगा। पुलिस के साथ, यहां के मुख्य मंत्री तक चीफ पुलिस के साथ सुपर चीफ पुलिस बन कर उस केस के अन्दर रात-दिन ऐसे लग गये कि जब तक राजेन्द्र मिर्धा मुक्त नहीं कराये गये तब तक उन्होंने नींद नहीं ली। मैं बधाई देता हूं राजस्थान पुलिस को और माननीय मुख्य मंत्रीजी को इस कृत्य के लिए धन्यवाद देता हूं। इसके अलावा भी राजस्थान पुलिस ने पूरे साल में निर्विघ्न, जितनी भी प्रार्थनाएं आयीं उनको पंजीबद्ध प्रथम इत्तला रिपोर्ट के रूप में किया और इसका सीधा सबूत है करीबन 9 प्रतिशत प्रथम इत्तला रिपोर्ट हमारे पास ज्यादा पंजीबद्ध हुई। कोई भी जुर्म का इखफा या वर्किंग नहीं हुआ। मैं आप से निवेदन कर दूं कि बरामदगी की प्रतिशत, जो कि खासकर के पुलिस की ऐक कसौटी है उसके अन्दर, बर्गलरी के अपराध में, नकबजनी के अपराध में 28 प्रतिशत के आस-पास, चोरी के अपराध में 29 प्रतिशत के आस-पास बरामदगी कर लेना, जो घोर अंधेरी रात में किसी को पता नहीं होता है ऐसे में चोरी होती है और उसमें सुराग लगा लेना, यह पुलिस का एक कृत्य था, इसके लिए भी मैं पुलिस कर्मचारियों को बधाई देता हूं। हमारी पुलिस ने गत वर्ष चुनाव कराये। अभी ताजा चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, कितनी मौतें हुई, बिहार में कितनी मौतें हुई, यह पुलिस की सतर्कता का ही द्योतक है कि एक भी ऐसा अपराध नहीं हुआ जिससे चुनाव में बाधा पड़ी हो। छुटपुट वारदातें होती हैं, गांव-गांव में विरोधी पार्टियां हैं। इस कारण से गांव-गांव के वार्ड के चुनाव होने के कारण, विरोध होने के कारण कुछ छुटपुट वारदातें हुई। परन्तु इस राजस्थान पुलिस ने रात-दिन सतर्क रहकर सूझबूझ ढंग से व्यवस्था करके पंचायती राज व नगरपालिकाओं के चुनाव कराये इसके लिये भी वह धन्यवाद की पात्र है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां एक सबसे बड़ी बात हमने पिछले वर्ष में देखी। जुर्म को इखफा करने की पुलिस की पुरानी आदत हुआ करती थी, ऐसा इलजाम लगता था, मैंने तो नहीं देखा, परन्तु गत वर्ष कोई भी रिपोर्ट देरी से दर्ज करने की तो बात हो सकती है, इखफा करने की कोई भी रिपोर्ट या कोई भी विभागीय इन्क्वायरी हमारे यहां नहीं हुई। यह पुलिस की प्रशंसा का द्योतक है। हम चाहते हैं कि अपराध पूरे पंजीबद्ध हों,

(श्री भंवरसिंह चौधरी)

अन्वेषण हो, चाहे वह जुर्म नहीं हुआ हो तो उनकी फाइनल रिपोर्ट अदमवकू में लगे, इससे हमें कोई एतराज नहीं है। हम चाहते हैं कि जनता की हम सुनवाई करें। इसलिए इस सरकार ने पुलिस को आदेश दे रखा है कि जुर्म इखफा न किया जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस की संख्या के आधार पर या जुर्मों के बढ़ने के आधार पर पुलिस की नफरी बढ़ाना, पुलिस की संख्या बढ़ाना, स्ट्रेंथ बढ़ाना पुराने जमाने की बात थी। जब से भारत आजाद हुआ उसके बाद जुर्म की रोकथाम या जुर्म का पता लगाना, इस कृत्य के अलावा इससे कम से कम 100 गुना और काम हमारे पास, राज्य सरकार के पास और राज्य सरकार के माध्यम से पुलिस के पास आ गया है। पुलिस हर व्यवस्था में चाहे धार्मिक प्रोसेशन हो, चाहे धार्मिक फंक्शन हो, चाहे चुनाव का आयोजन हो, चाहे चुनाव सभाएं हों, या किसी प्रकार का कोई भी आयोजन हो जहां जन-समूह इकट्ठा होता है वहां पुलिस खड़ी मिलती है। इसके अतिरिक्त किसी भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति किधर से भी गुजरता है तो उसकी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए पुलिस को लगना पड़ता है जिसको वी. आई. पीज ड्यूटी बोलते हैं।

इसके अलावा ट्रैफिक का बोझ बढ़ा, अन्तर-राज्यीय गिरोह बढ़े, तस्करी बढ़ी। इन सारे कृत्यों को जोड़कर हमारे गृह मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी यह चेष्टा कर रहे हैं कि इस राजस्थान पुलिस को सुदृढ़ बनाया जाय। इसमें विशेषत: जयपुर पुलिस के लिए 55 करोड़ की योजना ली गयी है जिसमें 10 करोड़ इस वक्त लिया गया है। 10 या 20 जो भी है, अगर हम इसको सही ढंग से नियोजित करके, अगर हम पांच साल में जयपुर की पुलिस व्यवस्था को सही ढंग से कार्य प्रणाली में बदल दें तो हम यह मान सकते हैं कि हम देहली से बैटर, बोम्बे से बैटर, इनसे बेहतर पुलिस का उदाहरण देंगे। राजस्थान पुलिस की खुद की क्षमता है, राजस्थान की खुद की क्षमता है, सेवा करने में सबसे आगे है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अध्यक्ष महोदय, सदन को निवेदन करता हूं, राजस्थान पुलिस हमेशा पूरे भारत में हर काम में अग्रणी रही है। इसका कुछ छोटा सा मेरा अनुभव है।

पिछले बजट सत्र में भी मैंने अर्ज किया था। हम कार्य-विभाजन-शैली पर चलें। अन्वेषण को हम अलग लें, पेट्रोलिंग को हम अलग लें, वी. आई. पीज. ड्यूटी को हम अलग लें और आर्म्ड पुलिस को अलग करें, हम कार्य विभाजन करें। इस तरह से जवानों का काम बांटे ताकि जिम्मेदारी किसी व्यक्ति विशेष पर पहुचे। एक आदमी से यहां सारे काम लिये जा रहे हैं, न तो उसमें दक्षता आती है और वह 24 घंटे काम करता-करता थक जाता है और कार्य में भी उसकी श्रेणी कमजोर होती

(श्री भंवरसिंह चौधरी)

जाती है, क्षमता कमजोर होती जाती है। हम आठ घंटे ड्यूटी लें। किसी आदमी से कसकर ड्यूटी लें। आठ घंटे के बाद दूसरी शिफ्ट आये। शहरों की बात कर रहा हूं, गांवों की नहीं कर रहा। विशेषत: जयपुर शहर की बात कर रहा हूं। आठ घंटे के बाद आई. ओ. भी बदल जाये, अन्वेषणकर्ता बदल जाये, गश्त की ड्यूटी का सिपाही बदल जाये, थानों का मुहर्रिर भी बदल जाये और आठ घंटे तक कसकर आपको ड्यूटी देगा, आपके अच्छे परिणाम आयेंगे, पुलिस में अच्छी दक्षता आयेगी, यह मेरा आग्रह है। आगे आयोजन जो करें, आप योजना जब बनायें, जयपुर शहर पुलिस के लिए इस तरह की योजना बनायें.... (व्यवधान) सारी आपकी कृपा है। प्रतिपक्ष के नेता ने जो अनुभव की बात कहीं, उसके लिए मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं।

इसके साथ-साथ मुझे मालूम है गृह मंत्रीजी बहुत दक्ष हैं और इन्होंने योजना सोची होगी। अगर आप शहरों की तरफ जायें, 20 करोड़ रुपये हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी गृह मंत्री महोदय ने रखे हैं, सुदृढ़ीकरण के लिए रखे हैं। सीमा क्षेत्र के लिए भी उसका अनुदान है। कुछ रखा है, कुछ किया भी है। पिछले साल बहुत खर्च किया है। कोई 56 करोड़ रुपये के आसपास पैसा खर्च किया है।

मैं इतना सा अर्ज करना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में गांवों से थानों की दूरी कम की जाय। थाने आप नये न बनायें, क्योंकि आपका बजट शायद उसको अलाउ नहीं करे परन्तु चौकियों में उप निरीक्षक का पद कायम करें और उससे तफतीशी चौकी, अन्वेषण चौकी, इंवेस्टीगेशन आउट पोस्ट कायम कर दें तो ग्रामीण जनता को थानों की दूरी कम होकर चौकी तक ही जाना पड़ेगा। इससे भी कार्य दक्षता में आपके सुधार होगा।

व्यवहार कुशलता, कार्य दक्षता, इन सबके लिए प्रशिक्षण केन्द्र हैं और वास्तव में हमें गर्व है कि हमारे आर. पी. ए. जैसे संस्थान, मैंने तो कहीं दूसरे स्टेट में नहीं देखी। सुन्दर, साथ में शिक्षा देने के लिए सबसे प्रबल। मैं यही चाहता हूं कि पुलिस कर्मचारियों का व्यवहार थोड़ा-सा बदलने के लिए ऐसे कोर्सेज चलाये जायें ताकि वह मृदुभाषी बनें। कृत्य में भी यह एक तरह का चिकित्सालय है। जहां एक पीड़ित व्यक्ति आता है और उस के साथ अगर मधुर भाषा से बात कर ली जाय तो आधी राहत उसको मिलती है। इसके लिए भी एक ट्रेनिंग कोर्स किया जाय कि मानवों के साथ, फरियादी के साथ, अभियुक्त के साथ, कैसा व्यवहार किया जाय, यह भी एक आवश्यकता है। (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : यह एक प्रचलित टर्म है कि थर्ड डिग्री मेथड, वह थर्ड डिग्री मेथड क्या होता है?

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना) : एक और मूंछे बड़ी होनी चाहिये कि छोटो होनी चाहिये। मूंछे बड़ी हुई तो सामने वाला वैसे ही डर जाएगा।

श्री परसराम मदेरणा : मूंछों-वूंछों से तो कुछ नहीं है। गांधीजी के तो बिलकुल मूंछ नहीं थी और उनके बराबर बहादुर, निडर व्यक्ति इस देश में पिछले 45 सालों में कोई पैदा नहीं हुआ।

श्री टीकमचन्द कान्त : बिलकुल ठीक बात है।

श्री परसराम मदेरणा : गोलियां चल रही हैं, और सीना खोल रहे हैं और थप्पड़ मार रहे हैं तो दूसरा गाल सामने कर देते हैं। वह है निडरता, मैं तो थर्ड डिग्री मेथड की बात कर रहा था, वह क्या है? यह टर्म क्यों प्रचलित हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, इसका ओरिजन कैसे हुआ?

श्री भंवरसिंह चौधरी : माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने जो प्रश्न पूछा था, मेरा ख्याल है इस हाउस में इस तरह की बात कहना उचित नहीं होगा। मैं स्वयं जाकर श्रीमान् को बता दूंगा और वैसे आप परिचित हैं। मैं इस बात के लिए जरूर कहना चाहूंगा कि जो भी यह भावना है थर्ड डिग्री मैथड की, जो भी यह अपवाद है थर्ड डिग्री मैथड का, इसको धीरे-धीरे कम किया गया, बहुत कम हो गया।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य, मैं इसमें बिलकुल यूं नहीं कह रहा हूं। इसमें दो तरह का इंवेस्टीगेशन है। एक है थर्ड डिग्री मैथड वाला, यह ऐक ओल्ड मैथड है एक साइंटिफिक इन्वेस्टीगेशन है और साइंटिफिक इंवेस्टीगेशन में और उसमें थोड़ा फर्क है। इसलिए मैं समझता हूं पुलिस को अब इंवेस्टीगेशन का तरीका बदलना पड़ेगा, मेरा मतलब यह है।

श्री भंवरसिंह चौधरी : किसी को मालूम हो न हो, माननीय मदेरणा साहब एक दफे आर. पी. एस. की उस जमाने में टैस्ट में विराजे थे और....

श्री खेतसिंह राठौड़ : सलेक्ट हो गये थे।

श्री भंवरसिंह चौधरी : करीब-करीब सलेक्ट हो गये थे, याद है आपको?

(16.00)

और पूरे इतने साल का एक्सपीरियंस है।

मैं आपको थर्ड डिग्री मैथड की इतनी सी बात कहता हूं जो आप भी यूज करते हैं आपको जब गुस्सा आता है वरना हम नहीं करते। हम गुस्सा भी नहीं करते। गुस्से में मानव थर्ड डिग्री मैथड यूज करता है, पुलिस वाला गुस्से में नहीं करता। मजबूरी होती है, कहीं न कहीं, हमारे पास साधनों की कमी है और उन साधनों

(श्री भंवरसिंह चौधरी)

का अभाव, मुझे मालूम है मैंने बात की है गृह मंत्रीजी से। उन्होंने कहा हम साइंटिफिक इंवेस्टीगेशन की तरफ और विशेष ध्यान देंगे और थर्ड डिग्री का राजस्थान से नामो--निशान मिटाकर छोड़ेंगे। यह हमारे गृह मंत्रीजी से बात हुई थी उन्होंने कहा था कि किया जाएगा। हम अमानवीय कार्य करने के लिए किसी पुलिस प्रशासन को नहीं चाहते। हम नहीं चाहते, हमारा कोई भी पुलिस कर्मचारी अमानवीय कार्य किसी के साथ करे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे मार्ग-दर्शन मिल रहा है प्रतिपक्ष के नेता महोदय से। मै आपको बता दूं हमने प्रेम से ज्यादा काम कराये हैं बजाय थर्ड डिग्री मैथड के। हमने बड़े से बड़े डकैत को सरेंडर किया प्रेम से, थर्ड डिग्री मैथड यूज नहीं किया। हमने बड़े से बड़े अपराधी को हर चीज लाकर पेश करने का मौका दिया है प्रेम से....(व्यवधान).... मैं यह आह्वान करता हूं राजस्थान पुलिस के लिए कि थर्ड डिग्री मैथड के लिए प्रण कर लें कि नहीं करेंगे चाहे उनकी रिकवरी पांच पर्सेंट डाउन हो, हमें कोई चिन्ता नहीं। किसी के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं करें। हम साइंटिफिक इन्वेस्टीगेशन के यंत्र देंगे, हम चेष्टा करेंगे। इसको हम डवलप करेंगे कि घटनास्थल से लेकर अभियुक्त को जोड़ा जाए, आब्जेक्ट्स को बताया जाय इसकी चेष्टा करेंगे। किसी भी तरह से हम साइंटिफिक इंवेस्टीगेशन चाहेंगे, उनको राहत देंगे थर्ड डिग्री मैथड वालों को कि वे इसको यूज नहीं करें।

इस विषय से हटकर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं पुलिस के लिए। पुलिस कोई दूसरी चीज नहीं, सब आपके हमारे बेटे भाई हैं। उनसे घृणा न करें आप। मैं सच कहता हूं मैंने 35 साल तक इस सेवा को किया है। मैं सच कहता हूं, यह इतनी कठिन सेवा है। कोई भी सेवा कठिन नहीं है जितनी पुलिस की सेवा है। इतनी कठिन सेवा करने वाले अधिकारी को, सिपाही को आप क्या वेतन देते हैं इसको भी सोचें। अध्यापक कभी दो घंटे, तीन घंटे, गुलाबचन्द जी टाइम फिक्स करते हैं, उमको चार हजार रुपये मिलते हैं, हमारे सिपाही को क्या मिलता है ?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : पुलिस में तो फ्री में नौकरी करने को तैयार हैं।

श्री भंवरसिंह चौधरी : ऊपर की, नीचे की बात मैं नहीं करता। अध्यापक के वर्किंग आवर्स देख लो, ट्यूशन की रेट देख लो, क्या बात करते हो ऊपर की कमाई नहीं है। ट्यूशन बगैर मास्टर पढ़ाता नहीं, क्लास में सिर्फ अटेंडेंस लेता है, घर पर आना, बताऊंगा, किस-किस की बात करते हो।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, यू पी. में कहते हैं दरोगा नाम लिख दो, नौकरी की जरूरत नहीं है, यही राजस्थान की हालत है।

श्री अध्यक्ष : आप यू पी. के नहीं है।

श्री भंवरसिंह चौधरी : कई माननीय सदस्यों के ऐसे कमेंट्स हैं जिनका मैं जवाब नहीं दूंगा और जरूरत भी नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : जवाब हर एक बात का देना भी नहीं चाहिए क्योंकि यह सेवा का प्रश्न आ गया, ना तो आपने वहां बाड़मेर के पुलिस स्टेशन पर जुगताराम की सेवा की है।

श्री भंवरसिंह चौधरी : वही बात आ गयी प्रतिपक्ष के नेता, एक मछली ने तालाब गंदा कर दिया। ऐसा मत करिये कोई गलती करता है उसको सजा दीजिए, मैं मंजूर करता हूं। कोई भी पुलिस कर्मचारी ऐसा अपराध करे, फांसी पर लगाइये आप, मुझे कोई तकलीफ नही है। जो भी कानून का रास्ता है, लेकिन पूरी पुलिस को बदनाम मत करिये। यह पुलिस का शब्द बहुत पवित्र शब्द है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : फिर कैलाश जी क्या जवाब देंगे ?

श्री भंवरसिंह चौधरी : अब इस पुलिस की एक पीड़ा मैं आपको बताता हूं जो कैलाश जी को मालूम है। हम यह मानते हैं कि वह इसके लिये बहुत चेष्टा कर रहे हैं किसी तरह से पुलिस का उद्धार किया जाए। हम पुलिस वालों को जितनी भी राहत दे सकें, दें, यह हमारी सरकार देगी, हमें विश्वास है। परन्तु वेतनों का बजट आपके हाथ है। मैं इनकी आने वाली पीढ़ी की बात करना चाहता हूं। हमारा खुद का पैसा, पुलिस कर्मचारियों का वेलफेयर फण्ड का पैसा कोई राज्य सरकार का पैसा नहीं है, मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि उस पैसे से केन्द्रीय विद्यालय के स्तर का या नवोदय विद्यालय के स्तर का एक विद्यालय जयपुर में खोला जाए जिसके साथ होस्टल हो। अगर आप यह करेंगे तो आपकी एक भावी पीढ़ी एक भावी नागरिक जो चौबीस घंटे बाहर रहकर अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता, बच्चे को साथ नहीं रख सकता, उसका फायदा हो। उसके अतिरिक्त अन्य संभागीय मुख्यालयों पर कृपया होस्टल खोलें ताकि बच्चे उनके भिन्न-भिन्न स्कूलों में जाने के लिए तत्पर हों।

भारत सरकार से वीरता के जितने भी पुरस्कार दिये जाते हैं उस पुरस्कार के साथ में निःशुल्क भूमि दी जाती है, सिंचाई विभाग की जमीन दी जाती है। राजस्थान पुलिस के जितने भी वीरता के पुरस्कार हैं राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस पदक। उन सब वीरों को, अगर वीर स्वर्गवासी हो गये हैं उनकी विधवाओं को, जिनकी सूची पुलिस हैडक्वार्टर पर

(श्री भंवरसिंह चौधरी)

लगी पड़ी है उसके अनुसार अगर आप कर सकेंगे सिंचाई भूमि का आवंटन, तो करने की कृपा करें।

खेल का स्तर, मैं रिटायर होने से पांच महीने तक इण्टर डिस्ट्रिक्ट पुलिस टूर्नामेंट खेलता था। अब आप देखिये भर्ती हुआ उससे लेकर के मुझे कोई बाहर निकालने वाला खिलाड़ी भी नहीं आया। श्रीमान् खेल का कोटा है राजस्थान पुलिस का खिलाड़ियों को भर्ती करने का। मैं जब भर्ती हुआ उस समय खेल का कोटा नहीं था। खेल का कोटा है वह कई सालों से नहीं भरा गया। राजस्थान पुलिस की फुटबाल टीम एक दफा भारत की चोटी पर थी, आज उसका नामो-निशान नहीं है। राजस्थान में भी उसका कोई स्तर नहीं है। खेल के खिलाड़ियों के कोटे में पूरी नफरी भर्ती करने की कृपा करें।

अध्यक्ष महोदय, मैं पुनः राजस्थान पुलिस के स्वर्णमयीवर्ष की, राजस्थान पुलिस के महानिदेशक, हमारे गृहमंत्री और राजस्थान के मुख्य मंत्री को धन्यवाद अर्पित करता हूं। यह वर्ष हमारी सफलताओं से पूर्ण रहा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री राम नारायण जी चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, एक जमाना था, भारत में स्वर्ण युग था, उस जमाने में देश में पुलिस की आवश्यकता नहीं थी। आज हमारे प्रदेश में और सारे देश में अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है और राजस्थान में भी जो जानकारी हमें मिली है आपके द्वारा, होम मिनिस्टर साहब ने जो दिया है उसमें लगभग दस पर्सेंट अपराध यहां भी बढ़े हैं। अपराधों के बढ़ने का कारण जनसंख्या बढ़ना बताया है और दूसरे कारण भी बताये हैं लेकिन जनसंख्या इस रफ्तार से नहीं बढ़ रही कि प्रति वर्ष दस पर्सेंट की वृद्धि हो रही है। समाज के अन्दर नयी चेतना, नयी समस्याएं, बेरोजगारी और विभिन्न प्रकार के अपराधों की समस्या बढ़ने के कारण राजस्थान में भी उसका असर पड़ रहा है। मान्यवर, मेरी मान्यता है कि जब तक अच्छी पुलिस व्यवस्था, पढ़े-लिखे लोग आज के आधुनिक साधनों से सुसज्जित और प्रशिक्षित पुलिस और आज के जो अपराध हो रहे हैं समाज के अन्दर, उन अपराधों की टेक्नीक, उनका अन्वेषण उसी ढंग से होगा तब ही अपराधों पर काबू पाया जा सकेगा। प्रतिपक्ष के माननीय नेता से हमारे माननीय सदस्य जो पुलिस के अच्छे अधिकारी रहे हैं, अनुभवी रहे, हैं, थर्ड डिग्री मेथड के बारे में पूछ रहे थे। जब तक आप पुलिस को ठीक प्रकार से प्रशिक्षित और ठीक प्रकार से अन्वेषण करने की जानकारी और साधन उपलब्ध नहीं करायेंगे तब तकपुलिस

(16.10)

(श्रीमती तारा भण्डारी, सभापति, पदासीन)

(श्री रामनारायण चौधरी)

पुलिस के जो परम्परागत तरीके रहे हैं इंवेस्टीगेशन के, वे कुल मिलाकर आज भी भारी तादाद में अख्तियार किये जा रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपके राजस्थान में पुलिस की संख्या बल कम है। यह भी देखा गया है कि जहां अधिक पुलिस बल है उसका यह भी तात्पर्य नहीं कि वहां अपराध कम हुए हो। जहां पुलिस की अच्छी व्यवस्था है वहां भी अपराध होते हैं। लेकिन आज के वक्त में यह मानना पड़ेगा कि जब तक पुलिस व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, अच्छे लोग भर्ती नहीं किये जाएंगे, भर्ती के अन्दर ईमानदारी और निष्पक्षता नहीं होगी तो राजस्थान का प्रशासन, प्रदेश का प्रशासन, ला एण्ड आर्डर सुधर नहीं सकेगा।

आज पुलिस की भर्ती में, मैं यह नहीं कहता कि बेईमानी नहीं होती, बेईमानी होगी। शुरूआत में ही जो पैसा दे देकर पुलिस में भर्ती होगा वह आगे चलकर कुछ नहीं सीखेगा सिवाय जिस तरीके से वह पुलिस में भर्ती हुआ है पैसा ही रास्ता वह अपनायेगा। अच्छे युवकों को भर्ती करने के बाद उनको अच्छा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये। थानों की संख्या बढ़ायी जानी चाहिये। पुलिस के इंवेस्टीगेशन के, अन्वेषण के जो साधन हैं और जो उनको साधन चाहिये वह साधन आपको देने होंगे।

आज थानों की संख्या कम है। आपने शहरों में, मानसरोवर बस्ती जयपुर की कितनी बड़ी बस्ती है। वहां पर एक वक्त तो थाने थे ही नहीं। अब थाना खुला तो वहां 3-4 साल के अन्दर-अन्दर 3-4 थाने खोलने पड़े। पुलिस बल का एक भय और आतंक होता है। वह जरूरी है समाज को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिये। समाज की जब से रचना हुई है। अत्याचार और अनाचार यह सब प्रारम्भ हुए तब हीं यह सोचा गया कि समाज को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिये भय, डर और आतंक से मुक्त करने के लिए क्या व्यवस्था हो तब यह शासन व्यवस्था आयी। उप शासन व्यवस्था का प्रमुख अंग आंतरिक तौर पर समाज को संभालने का, संवारने का काम किसी भी प्रदेश की, किसी भी देश की आंतरिक पुलिस का काम है। इसके ऊपर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये। दूसरी चीजें कोई मायने नहीं रखती। यदि आज देश का नागरिक, आज प्रदेश का नागरिक अपने आपको सुरक्षित महसूस नहीं करे, अपने स्वाभिमान को बनाये नहीं रखे, उसको यह आशंका बनी रहे कि घर के बाहर जाऊंगा तो पीछे से चोरी हो जाएगी। घर के बाहर बहन-बेटी जाएगी सुरक्षित वापस लौट सकेगी कि नहीं? घर के बाहर बच्चा जाएगा, सुरक्षित रूप से वापस आ सकेगा कि नहीं और स्वयं जवान व्यक्ति, जवान लड़का भी घर से बाहर जाएगा, वापस सुरक्षित लौट सकेगा या नहीं। यह स्वाभिमान और मनोबता यदि समाज के प्राणी का, इन्सान का

(श्री रामनारायण चौधरी)

कमजोर हो जाएगा, टूट जायेगा तो समाज चल नहीं सकेगा, पनप नहीं सकेगा, विकसित नहीं हो सकेगा। यह बड़ा उत्तरदायित्व है। आप चाहें हजार जोर लगाये कि शिक्षा नहीं होगी। शिक्षा को आप चाहे इसको प्रथम मान लीजिये। चाहे रोटी को आप प्रथम मान लीजिये लेकिन सबसे प्रथम आवश्यकता समाज के अन्दर सुरक्षा की है। यदि सामाजिक प्राणी को उसके और उसके परिवार की, उसके इलाके की, उसके गांव की, बहन की, बेटी की और देश के नागरिक की सुरक्षा नहीं होगी तो रोटी तो बाद की बात है, भूखा रह जाएगा लेकिन स्वाभिमान को वह ठेस बर्दाश्त नहीं करेगा। भूखा रह जाएगा लेकिन अत्याचार उस पर बढ़ते हैं तो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगा तो इन सब अत्याचारों, आतंक से सुरक्षा प्रदान करने के लिये, शांति स्थापित करने के लिये, व्यवस्था स्थापित करने के लिये पुलिस की आवश्यकता है।

मैं पुलिस के महत्व पर ज्यादा प्रकाश इसलिये डालना चाहता हूं क्योंकि थानों के अन्दर रिपोर्ट दर्ज नहीं होती हैं, मैं यह नही कहता। रिपोर्ट तो दर्ज हो रही हैं। अगर रिपोर्ट दर्ज नहीं होती तो अपराधों की संख्या जो बढ़ रही है वह नहीं बढ़ती। इसमें तो कहीं न कहीं सुधार हुआ है लेकिन इसमें भी मैं, गृह मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि शायद होगा भी कि आप जो अपराधों की संख्या हमें देते हैं, एफ. आई. आर. जिसकी दर्ज हो जाए वह अपराध के अन्दर नहीं गिना चाहिये। अन्वेषण के बाद, जांच के बाद यदि वह अपराध नहीं पाया जाता है तो वह एफ. आई. आर. अपराध की गिनती के अन्दर नहीं आनी चाहिये। अपराधों की जांच के बाद ही वह अपराधों की सूची के अन्दर प्रकाशित होना चाहिये।

मान्यवर, आज हो क्या रहा है कि गांवों के अन्दर सामाजिक परिवर्तन के साथ, बेरोजगारी के साथ और जो हमारे समाज का लोकतांत्रिक ढांचा है, उसकी वजह से आर्थिक कारणों से, विभिन्न कारणों से गांव का और शहर का जन-जीवन उद्वेलित हो रहा है और उसमें विच्छृंखलता आ रही है। अपराधों की संख्या बढ़ रही है। उन सबको नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल अच्छा होना अनिवार्य है। आज गांवों के अन्दर दो आपस में लड़ते हैं और बात कुछ है ही नहीं। न जाने कहां का कहां तिल का ताड़ बनाकर इतनी झूठी रिपोर्ट दर्ज कर देते हैं कि जिसके खिलाफ दर्ज हो जाता है तो उसको एड़ी-चोटी का जोर लगाना पड़ता है, भागना पड़ता है। माननीय गृह मंत्रीजी से कहना पड़ता है। यह बात सही है, मेरे अनुभव के आधार पर मैं कहता हूं कि जो माननीय गृह मंत्रीजी के पास पहुंचा है उसको उन्होंने रिलीफ दी है। रिलीफ इस मायने में नहीं दी है कि उसको यह कह दिया कि आप बरी हो गये। इंवेस्टीगेशन अच्छे आदमी को देकर उनको राहत पहुंचाने की चेष्टा की है। लोअर

(श्री रामनारायण चौधरी)

लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कुछ धाराएं आज समाज के अन्दर कानून में जुड़ी हैं। अब संशोधन भी मैंने देखे हैं। उनमें भी है कि अभी हरिजन एट्रोसिटी एक्ट के तहत जो जांच अधिकारी है वह लोएस्ट डीवाई. एस. पी. के लेवल का है। मान्यवर, अब अनुभव देखने के अन्दर आया है कि जांच के दरम्यान डीवाई. एस. पी. का दर्जा भी सब इंसपेक्टर के बराबर ही हो गया है। उसमें कोई फर्क नहीं है। जो हथकंडे सब इंस्पेक्टर और हैड कांस्टेबल इन्वेस्टीगेशन में अपनाते हैं वही डीवाई. एस. पी. लोग अपनाने लग गये। कारण इसका यह है कि अधिकांश डीवाई. एस. पी. वह हैं जो प्रमोटीज हैं। मेरा यह सुझाव है आपके मार्फत कि उन एट्रोसिटीज के मामलों को एस. पी. रेंक के किसी भी पुलिस अधिकारी से नीचे के अधिकारी से जांच नहीं करवायी जानी चाहिये। उनमें दोनों पक्षों को जिसके साथ एट्रोसिटी हुई है उसको भी रिलीफ मिलेगी और जिसके बारे में यह कहा गया है इसने तथाकथित रूप से एट्रोसिटी की है उसको भी रिलीफ मिलेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सही इंवेस्टीगेशन तभी हो सकेगा जब आप इंवेस्टीगेशन के अन्दर एस. पी. लेवल के अधिकारी को डीवाई. एस. पी. लगायेंगे। अधिकारी की जगह शिड्यूल्ड कास्ट, ट्राइब्स और गिरीजन और महिलाओं के साथ ज्यादती होती है। दहेज के कारण से उनको जला दिया जाता है, उनको मार जाता है तो इन मामलों की एस. पी. लेवल के नीचे के अधिकारियों से जांच नहीं होनी चाहियें। हर डिस्ट्रिक्ट में आप सम्भव नहीं कर सकते तो स्टेट लेवल पर या डिविजन लेवल पर इस प्रकार की व्यवस्था कर दीजिये। इंवेस्टीगेशन सैल बना दीजिये चाहे जिले में बना दीजिये। महिलाओं के ऊपर एट्रोसिटी, शिड्यूल्ड कास्ट के ऊपर एट्रोसिटी, ट्राइब्स के ऊपर एट्रोसिटी होती है तो उसकी जांच एस. पी. लेवल के नीचे के अधिकारी द्वारा नहीं करायी जानी चाहिये। मैं, मान्यवर, आपके माध्यम से एक मांग कर रहा हूं।..

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सहयोग करें। आपकी पार्टी की ओर से 45 लोग बोलने वाले हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं पूरा सहयोग करूंगा, मैं चार-पांच मिनट में समाप्त कर रहा हूं। मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि थानों की संख्या बढ़ाये। आज के जो आधुनिक साधन हैं उन साधनों को आप धीरे-धीरे बढ़ा रहे हैं लेकिन उन साधनो को आप तेज गति से बढ़ायें। आज जिस पुलिस स्टेशन के अन्दर जीप नहीं है, जीप के साथ वायरलैस नहीं है, पढ़ा-लिखा स्टाफ नहीं है, तो पुलिस अधिकारी उन लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर सकते और वे इंसाफ नहीं कर सकते तो आप समझ लीजिये कि समाज के साथ न्याय नहीं कर

(176)

(श्री रामनारायण चौधरी)

पा रहे हैं। यह प्रथम व्यवस्था है साधनों की। इसलिए आप उनको साधन देवें। मैं आपके माध्यम से इस बात पर जोर दूंगा कि पुलिस बल को प्रशिक्षित बनायें, उनको साधन दीजिये, थानों को संख्या बढ़ाये, पुलिस बल बढ़ाइये और उनको अच्छी शिक्षा दीजिये और जो इंवेस्टीगेशन के लिए जो साधन उनको चाहिये उन साधनों से उनको लैस कीजिये और बाहर जहां भी कहीं भी प्रशिक्षण मिल सकता है वह उनको दिलवाइये ताकि राजस्थान के अन्दर

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जनजीवन में बढ़ते हुए अपराधों में, समाज में जो हीनभावना, कमजोर भावना आती जा रही है हमारी बहनों में, कमजोर वर्ग में, शिड्यूल्ड कास्ट में, ट्राइब्स में और वीकर सैक्शन में गांव का जो भी कमजोर तबका है उसमें, उनका मनोबल बढ़े और वे शांति अनुभव करें। हमारी बहनें आज घर से बाहर जाती हैं तो उनका मनोबल बना रहे कि वह सुरक्षित घर लौट आयेगी। बच्चे स्कूल जाते हैं, घर से बाहर जाते हैं तो मां-बाप को इस बात की चिन्ता नहीं रहे। यह तभी हो सकता है आप अच्छा प्रशासन तभी दे सकेंगे जब आपके पास समाज को व्यवस्थित और सुरक्षित रखने के लिए साधन हों, प्रशिक्षित पुलिस बल की संख्या हो। मेरी मांग है गृह मंत्रीजी और सरकार से कि आप यह सब व्यवस्था कीजिये ताकि राजस्थान के अन्दर अपराधों की संख्या कम हो सके।

श्री सभापति : माननीय कालीचरणजी।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार): आदरणीय सभापति महोदया, मांग संख्या 16 पर सदन में आज चर्चा हो रही है मैं इस चर्चा में अपने आपको सम्मिलित कर रहा हूं।

माननीय सभापति महोदया, आज राजस्थान की कानून व्यवस्था की और दृष्टिपात किया जाय तो हम यह देखेंगे कि अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान की कानून व्यवस्था संतोषजनक है। आज यदि हम हरियाणा से तुलना करें, पंजाब से तुलना करें, उत्तर प्रदेश और बिहार से राजस्थान की कानून व्यवस्था की तुलना करें, तो हम यह देखेंगे कि राजस्थान की कानून व्यवस्था इन राज्यों से अच्छी है। जहां तक साम्प्रदायिक सद्भाव और सौहार्द के वातावरण का सवाल है, मुझे खुशी है यह कहते हुए, मुझे गर्व है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनी है प्रदेश में साम्प्रदायिक सद्भाव और सौहार्द का वातावरण बना है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : गड़बड़ी तो आप ही करते थे।

श्री कालीचरण सराफ : गड़बड़ी तो आप करते थे अल्पसंख्यकों को असुरक्षा की

(श्री कालीचरण सराफ)

भावना दिखा कर। अब तो वह आपकी ××× बन्द हो गयी।

माननीय सभापति महोदया, यदि हम आंकड़ों को देखें तो 1990 में साम्प्रदायिक घटनाएं हमारे प्रदेश में 14 हुई, 1991 में 4 हुई 1992 में 8 हुई, 1993 में एक भी साम्प्रदायिक घटना हमारे प्रदेश में नहीं हुई और 1994 में भी एक भी घटना हमारे प्रदेश में नहीं हुई। इसी प्रकार साम्प्रदायिक तनाव की कुछ मामूली स्थितियां हमारे प्रदेश में जो उत्पन्न हुई उन पर भी अंकुश लगा है। 1990 में 36 स्थानों पर साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हुआ, 1991 में, 34, 1992 में 52, उसके बाद 1993 में केवल 21 और 1994 में केवल 24। यदि इन साम्प्रदायिक घटनाओं और साम्प्रदायिक तनाव की स्थितियां उत्पन्न होने वाले स्थानों की तुलना हमारे विपक्ष में बैठे हुए लोग जब सत्ता में थे उन स्थानों से की जाय तो यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उस समय यदि 100 घटनाएं हुई तो इस समय केवल 20 हुई हैं। निश्चित रूप से राजस्थान में साम्प्रदायिक सौहार्द और साम्प्रदायिक सद्भाव का वातावरण बना है। इतना ही नहीं पुलिस की गत वर्ष जिस प्रकार की सजगता और सक्रियता अपराधों को पकड़ने में रही और अपराधों के रोकथाम में रही वह भी प्रशंसनीय है। कहने की आवश्यकता नहीं है पिछले दिनों राजस्थान की राजधानी जयपुर में राजेन्द्र मिर्धा का आतंकवादियों ने अपहरण किया। मेरे ख्याल से हिन्दुस्तान के इतिहास में यह पहला मौका होगा कि आतंकवादियों के चंगुल से पुलिस कर्मी किसी भी प्रकार से हताहत नहीं हुए, कोई कैजुअलटी नहीं हुई और आतंकवादियों के हाथ से हमने राजेन्द्र मिर्धा को सकुशल छुड़वा लिया। इतना ही नहीं इसमें एक नामी गिरामी आतंकवादी जिस पर कई लाख रुपये का इनाम था, उसको मार गिराने में राजस्थान की पुलिस सफल हुई। जयपुर शहर में गुलशन माखीजा का जिस प्रकार का सनसनीखेज हत्याकाण्ड हुआ था वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। विधान सभा में इस मामले में बड़ी चर्चा हुई थी। किस प्रकार से दुकान से जाते हुए को मारुति जिप्सी में अपहरण किया गया, 8 लाख रुपये का माल उससे छीन-कर उसकी हत्या की गयी। परन्तु मैं पुलिस विभाग को बधाई देना चाहता हूं इस बात के लिये कि सनसनीखेज हत्या काण्ड को उन्होंने सफलता के साथ टैकल किया और जो अपराधी थे उनको पकड़ने में सफलता प्राप्त की। निश्चित रूप से यह प्रशसनीय है

माननीय सभापति महोदया, राज्य के कई जिलों में डकैती, नकबजनी, वाहन

××× अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री कालीचरण सराफ)

चोरी करने वाले अन्तरराज्यीय गिरोह कई वर्षों से सक्रिय थे उनको भी पुलिस पकड़ने में सफल रही है। विशेष अभियान चलाकर पुलिस ने 973 अवैध हथियार राजस्थान में पकड़े और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किये। यह भी पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा करने लायक बात है। 1015 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया जो इस प्रकार के धन्धे में लगे हुए थे, भारत से पाकिस्तान जाते हुए 1510 व्यक्तियों को और 230 व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत में घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे थे इनको भी पकड़ने में पुलिस ने कामयाबी हासिल की। इतना ही नहीं तस्करी के सामान पकड़ने में पुलिस ने कीर्तिमान स्थापित किया। 1992 में जहां 8 करोड़ 32 लाख 777 रुपये का तस्करी का सामान पकड़ा गया था और 1993 में 62 करोड़ 18 लाख 7 हजार 705 रुपये का सामान पकड़ा गया गया था। मैं बधाई देना चाहता हूं पुलिस विभाग को कि 1994 में 1 अरब 51 करोड़ 23 लाख 47 हजार 820 रुपये का तस्करी का सामान पकड़ा गया।

माननीय सभापति महोदया, चाहे तस्करी का सामान बरामद करने की बात हो, चाहे डकैतों के उन्मूलन की बात हो, चाहे चोरी पकड़ने की बात हो, चाहे आतंकवादियों को पकड़ने की बात हो, हर मामले में हम यह देख रहे हैं कि पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। परन्तु इसके साथ-साथ यदि हम पुलिस विभाग के कर्मचारियों के वेतनमानों की ओर देखे तो हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। आज हरियाणा में बेसिक पे 950 रुपये, पंजाब में 1050 रुपये, दिल्ली में 1000 रुपये और हमारे यहां पुलिसकर्मियों की बेसिक पे केवल 855 रुपये हैं। मैं गृह मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहूंगा कि जब वे मांग के बारे में अपना जवाब दें तो निश्चित रूप से हमारे पड़ौसी राज्यों के समकक्ष हमारे पुलिसकर्मियों का वेतनमान हो, इस पर ध्यान दें।

इसी प्रकार से चाहे पंजाब को ले लें, हरियाणा को ले लें, दिल्ली को ले लें, गुजरात ले लें, हर जगह पुलिसकर्मियों को मैस भत्ता साढ़े चार सौ रुपये मिला करता है। परन्तु हमारे यहां केवल 150 रुपये मैस भत्ता मिलता है। इस बारे में भी मैं चाहूंगा कि माननीय गृह मंत्रीजी विचार करेंगे। क्योंकि हम यदि पुलिकर्मियों का पेट नहीं भर पाएंगे और फिर हम भ्रष्टाचार समाप्त होने की बात करेंगे तो यह बात चलने वाली नहीं है। पिछली बार सदन में माननीय गृह मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि पुलिसकर्मियों को टेरीकोट वर्दियां दी जाएंगी परन्तु आज भी खादी की वर्दियां पुलिसकर्मियों को दी जाती हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जब टेरीकोट की वर्दियों की यहां घोषणा की गयी थी तो निश्चित रूप से उस घोषणा को पूरा किया जाना चाहिए। हम वर्दियां सिलवाकर भी देते हैं, यदि हम उनको कपड़ा दे दें और वह अपने नाप के हिसाब से वर्दियां सिलवा

(श्री कालीचरण सराफ)

लें तो मेरे ख्याल से इसमें कोई ज्यादा खर्चा नहीं आएगा, इस पर माननीय गृह मंत्रीजी निश्चित रूप से ध्यान देंगे, यह मेरा अनुरोध है।

माननीय सभापति महोदया, जिस प्रकार आज देश की स्थिति बनती जा रही है। पंजाब और कश्मीर में जिस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियां निरन्तर वृद्धि की ओर हैं, पड़ौसी देश की खुफिया एजेंसी आई. एस. आई. जिस प्रकार से तोड़फोड़ और हिंसा का वातावरण हमारे देश में बनाना चाहती है, जिस प्रकार से आधुनिक हथियारों का उपयोग ये आतंकवादी करते हैं उनका मुकाबला करने के लिए आवश्यक है कि हमारी राजस्थान पुलिस का भी हम सुदृढ़ीकरण करें। इस प्रकार के इक्विपमेंट से उन्हें सुसज्जित करें कि वह उनका मुकाबला मुकम्मल रूप से कर सकें।

माननीय सभापति महोदया, राजस्थान की कई किलोमीटर लम्बी सड़क पाकिस्तान की सीमा से जुड़ती है, तारबंदी का काम वहां दो जिलों में तो पूरा हो गया है परन्तु यह तारबंदी का काम यदि मुकम्मल तरीके से पूरी सीमा पर हो तो निश्चित रूप से हमें इसका फायदा मिलेगा। मैं इस बात के लिए भी मुख्य मंत्रीजी और गृह मंत्रीजी को बधाई देना चाहूंगा कि 20 वर्षों के बाद पहली बार 300 करोड़ रुपये की योजना पुलिस के सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण करने के लिए बनायी गयी है और उस पर अमल इसी वर्ष से प्रारम्भ कर दिया गया है। निश्चित ही इस वर्ष इसमें जो सुदृढ़ीकरण के प्रयास किये जाएंगे उससे हमारी पुलिस मजबूत होगी।

माननीय सभापति महोदया, मैं जयपुर से चुनकर आया हूं इसलिए जयपुर के बारे में भी कुछ निवेदन करना चाहूंगा। मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा राज्य सरकार को कि उन्होंने जयपुर की पुलिस का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण करने के लिए 55 करोड़ रुपये की एक योजना बनायी है और इस वर्ष 10 करोड़ रुपये उसके खर्चे के लिए दिये हैं। मुझे इस बात की जानकारी मिली है कि जयपुर शहर में इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है कि एक डी. आई. जी. होंगे, उसके नीचे तीन एस. पी. होंगे। एक एस. पी. नोर्थ, एक एस. पी. साउथ और एक ट्रेफिक। नोर्थ और साउथ के एस. पी. के नीचे दो-दो एडिशनल एस. पी. होंगे। परन्तु यह व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। आज हिन्दुस्तान में 10 लाख से ऊपर की जनसंख्या के जितने भी शहर हैं चाहे वह बम्बई हो, कलकत्ता हो, दिल्ली हो, बंगलोर हो, हर जगह पुलिस कमिश्नर पद्धति लागू। जैसे कि आपको जानकारी होगी कि जयपुर शहर की आबादी 20 लाख से ऊपर हो गयी है और राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने भी केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को यह सुझाव

(श्री कालीचरण सराफ)

दिया है कि 10 लाख से ऊपर की आबादी वाले शहरों में पुलिस कमिश्नर पद्धति लागू की जानी चाहिए। पुलिस कमिश्नर पद्धति इसलिए लागू करनी चाहिए कि इससे पुलिस को मजिस्ट्रीयल पावर प्राप्त होंगे, जनता के प्रति जवाबदेही बढ़ेगी। सैक्शन 107, 109 और 100 के छोटे-छोटे मुकदमे जिनके सालों-साल तक फैसले नहीं होते थे उनका तुरन्त निपटारा होगा। आज जहां-जहां पुलिस कमिश्नर पद्धति लागू है उन शहरों की कानून व्यवस्था मुकम्मल और अच्छी है। आज जयपुर शहर जिस गति से बढ़ रहा है, जिस गति से यहां पर व्यापार बढ़ रहा है, जिस गति से यहां की जनसंख्या बढ़ रही है, जिस गति से यहां यातायात के साधन बढ़ रहे हैं, जिस गति से जयपुर शहर का क्षेत्रफल बढ़ रहा है, निश्चित रूप से यहां की कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार होना आवश्यक है और इसलिए यहां पुलिस कमिश्नर पद्धति लागू की जाए।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा, राजस्थान की राजधानी होने के नाते जयपुर शहर में आये दिन कोई न कोई वी. आई. पी. आते रहते हैं, कभी हिन्दुस्तान के प्राइम मिनिस्टर आते हैं, कभी प्रेसीडेंट आते हैं, कभी किसी दूसरे देश के राज्याध्यक्ष यहां आते हैं, कभी अन्य प्रान्तों के मुख्य मंत्री और राज्यपाल भी यहां आते हैं। कई बार हमारे यहां के मुख्य मंत्री बाहर जाते हैं, कई बार मंत्री यहां आते हैं। कोई भी वी. आई. पी. हवाई अड्डे के लिए जाता है और उस समय यदि पता लगायें कि एस. पी. साहब कहां हैं, एडिशनल एस. पी. कहां हैं तो पता लगता है कि हवाई अड्डा गये हैं। वी. आई. पी. को रिसीव करने गये हैं, कभी वी. आई. पी. को सी-ऑफ करने के लिए गये हैं। इस बीच यदि कहीं किसी थाने में गड़बड़ हो जाए तो उसके लिए कोई सुनने वाला नहीं है। यह राजस्थान की राजधानी है और यहां वी. आई. पी. आये दिन आते ही रहते हैं, उनकी सुरक्षा किया जाना स्वाभाविक है और उनकी सुरक्षा होनी भी चाहिए इसके लिये मैं सुझाव देना चाहूंगा कि वी. आई. पी. के प्रोटोकाल के लिए एक स्पेशल स्क्वायड बनाया जाना चाहिए जिसका काम केवल वी. आई. पी. को रिसीव करना और वी. आई. पी. को सी-ऑफ करना रहे, जिससे बाकी शहर की पुलिस व्यवस्था में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।

माननीय सभापति महोदया, जयपुर शहर की यातायात व्यवस्था पुलिस के अंतर्गत आती है। यातायात पुलिस की स्थिति की ओर दृष्टिपात करें तो हम यह देखेंगे कि 1981 में जयपुर शहर की पापूलेशन 9 लाख 66 हजार थी और 1991 में बढ़कर 15 लाख 54 हजार के आसपास हो गयी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आज की जनसंख्या 20 से ऊपर

(श्री कालीचरण सराफ)

है। इसी प्रकार यदि हम वाहनों को देखें तो 1981 में 73575 वाहन जयपुर शहर में चलते थे, जिनका आर. टी. ओ. के यहां रजिस्ट्रेशन हुआ था और 1991 में 3 लाख 282 वाहन जयपुर शहर में रजिस्टर्ड हुए थे। आज स्थिति यह है कि 4 लाख से ऊपर वाहन जयपुर शहर में चल रहे हैं और क्षेत्रफल के हिसाब से भी देखें तो 1981 में जहां 18 किलोमीटर की रेंज में जयपुर का क्षेत्रफल था, आज वह 55 किलोमीटर की रेंज में आ गया है परन्तु यातायात पुलिस में जितने पुलिसकर्मी 1979 में थे उनमें आज एक की भी बढ़ोतरी नहीं हुई। सुदृढ़ीकरण योजना के अन्तर्गत आपने जयपुर की यातायात पुलिस की ओर भी ध्यान दिया है इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मेरा आपको सुझाव है कि यातायात पुलिस का आप माडर्नाइजेशन करें उसमें कम से कम एक एस. पी. ट्रैफिक पुलिस के लिए अलग से लगायें, दो एडिशनल एस. पी. उनके अंडर में लगायें, 4 डिप्टी उनके अंडर में लगायें और हर डीवाई. एस. पी. के साथ 2-2 इंस्पेक्टर्स लगायेंगे तो निश्चित रूप से हमें यातायात मुकम्मल करने में सुविधा प्राप्त होगी।

जयपुर शहर की दुर्घटनाओं के बारे में आप आये दिन अखबारों में पढ़ते होंगे। जयपुर शहर में दुर्घटनाएं निरन्तर बढ़ती जा रही हैं, परन्तु यहां यादगार में केवल एक थाना और वहां पर एक इंस्पेक्टर दुर्घटना के लिए बैठा है। मेरा सुझाव है कि जो दुर्घटना हो जाए उस पर मुकम्मल कार्यवाही हो उसके लिए जयपुर की चारों दिशाओं में एक-एक थाना यदि हम खोल सकें और एडिशनल एस. पी. स्तर का व्यक्ति यदि उस एक्सीडेंट शाखा में लगाया जाए तो निश्चित रूप से उसका भी हमें फायदा मिलेगा।

माननीय सभापति महोदया, जयपुर शहर में दो-तीन ट्रेंड स्पेशल रूप से चल रहे हैं। अभी राजस्थान विश्वविद्यालय ने एक सर्वेक्षण कराया था जिसमें 12 प्रतिशत छात्र मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं। यह बहुत चिन्ताजनक स्थिति है। आज जयपुर शहर में खुले आम स्मेक, शराब, अफीम और हैरोइन जैसे मादक द्रव्य बिक रहे हैं। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि मादक द्रव्यों की किस प्रकार से रोकथाम हो, इसके बारे में पुलिस को सजगता और सक्रियता से काम करना चाहिए।

इसी प्रकार पिछले दिनों भू-माफियों के खिलाफ जयपुर शहर में एक विशेष अभियान चलाया गया था। बड़ा प्रचार हुआ कि जयपुर शहर में भू-माफियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। परन्तु आज यदि हम इस आपरेशन की सफलता और असफलता के बारे में देखें तो मैं पूछना चाहूंगा गृह मंत्रीजी से कि क्या जितने भी भू-माफिया जयपुर शहर में पकड़े गये, क्या एक इंच भूमि भी उनसे लेने में हम सफल हुए? मेरा कहना यह है कि जिस

(श्री कालीचरण सराफ)

प्रकार के भू-माफिया गैंग जयपुर शहर में काम कर रहे हैं उनकी रोकथाम के लिए निश्चित रूप से आपने काम किया, बहुत बढ़िया है परन्तु इस प्रकार का मुकम्मल कार्य उसको रोकने के लिए होना चाहिए और जिन गरीब लोगों की भूमि उन्होंने हड़प कर रखी है उनको वह भूमि वापस मिले। इसके बारे में कार्यवाही होनी चाहिए। कुल मिलाकर राजस्थान में आज पुलिस विभाग की डिमाण्ड पर चर्चा के समय यह कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है कि राजस्थान में बहुत ही संतोषजनक कानून व्यवस्था रही है, साम्प्रदायिक सौहार्द अच्छा रहा है, अपराधों को रोकने में और अपराधियों को पकड़ने में पुलिस कामयाब रही है, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

जय भारत।

श्री सभापति : श्री हरिसिंह।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय सभापति महोदया, आज जो सदन के समक्ष मांग और विषय विचाराधीन है वह बहुत ही महत्व का विषय है गम्भीर विषय है क्योंकि समाज और मानव, समाज की सुरक्षा और प्रदेश की, सुरक्षा इस वर्ग के हाथ में है। इससे सम्बन्धित यह मांग है। मैं कोई पुलिस बल की आलोचना करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं लेकिन राजस्थान की वस्तुस्थिति क्या है। पुलिस बल की समाज के अन्दर क्या स्थिति है उसके सम्बन्ध में मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। मुझे इस बात से कोई चिन्ता नहीं कि आपके आंकड़े यह बताते हैं कि जुर्म बढ़ रहे हैं। स्वाभाविक है जबकि आबादी बढ़ रही है, जबकि समाज की आर्थिक स्थिति के अंदर बहुत ही काम्पलीकेशंस पैदा हो रहे हैं, जबकि दुनियां बहुत छोटी होती जा रही है, मींस आफ कम्युनिकेशंस बढ़ते चले जा रहे हैं और मींस आफ ट्रांसपोर्ट बढ़ते चले जा रहे हैं इसमें जुर्म के आंकड़े बढ़ना तो कोई चिन्ता का विषय नहीं है। चिन्ता का विषय उस समय पैदा होता है जब कि यहां जिन व्यक्तियों के हाथ में हमने अपनी सुरक्षा दे रखी है, जहां पुलिस के संरक्षण में जुर्म हों, जहां पुलिस के संरक्षण में पुलिस के कर्मचारियों द्वारा ही जुर्म हों और उनके सहयोग से जुर्म हों और वह भी बड़े घिनोने प्रकार के जुर्म हों। सभापति महोदया, यह चिन्ता का विषय है। चिन्ता वहां पैदा होती है जब कि पुलिस के पास कोई फरियाद लेकर जाय और फरियाद सुनी नहीं जाये। चिन्ता तब पैदा होती है जब कि हम निष्पक्षता की भावना के साथ में, निष्पक्षता की आकांक्षा के साथ में उनके पास में जायें और हमें निष्पक्षता नहीं मिले। चिन्ता वहां पैदा होती है हमें जब कि बाड़ ही खेत को खाने लग जाय।

सभापति महोदया, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, जैसा मैंने बताया कि पुलिस के संरक्षण में जुर्म होते हैं वहां चिन्ता पैदा होती है। उसके मुझे कुछ अधिक उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। इस सदन में ही जुगताराम के काण्ड

(श्री हरिसिंह)

की काफी गूंज रही । भरतपुर में महमन जैसे एक नौजवान व्यक्ति को पुलिस के संरक्षण में ही नहीं बल्कि पुलिस के कर्मचारियों द्वारा पीटा गया । इतना पीटा गया कि उसके प्राण पखेरू उड़ गये । मैं ज्यादा उदाहरण आपको नहीं देना चाहता हूं क्योंकि सब उदाहरण तो पुलिस को रिपोर्ट पर हैं । गृह मंत्रीजी के नोटिस में हैं । एक व्यक्ति को आगरा से कोटा ले जा रहे थे, बीच में ही पुलिस के संरक्षण में उसके प्राण पखेरू उड़ गये । ये बातें हो सकती हैं लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि यह दोहराई नहीं जायें । ऐसे उदाहरण बार-बार जनता और समाज के सामने नहीं आयें । इन उदाहरणों के आने से ही पुलिस के साथ गलत नाम जुड़ जाता है । स्टेट को अगर कह दिया जाये कि पुलिस स्टेट है तो कितना नाम उसमें गलत पैदा हो जाता है । एक छोटे से शब्द पुलिस स्टेट का नाम जुड़ने से ही ऐसा लगता है कि कोई चीज गलत है । वैलफेयर स्टेट कहा जाये तो अच्छा शब्द लगता है । ऐसा आखिर क्यों है ?

मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि पुलिस में और समाज में जो दूरी है वह कम हो । समाज की भावनाओं से पुलिस परिचित हो और पुलिस की भावनाओं से समाज परिचित हो । यह बात दूसरी है कि जहां भ्रष्टाचार व्याप्त हो जाता है । भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी है कि कहीं भी लग जाय तो उसको मिटाना बड़ा मुश्किल होता है । मैं जब छोटी सी उम्र का था तो हमारे भरतपुर स्टेट के अन्दर दो बातें थीं । एक तो भ्रष्टाचार मिटाना मुश्किल है । कहते थे कोठी खास से और एक बागर खास से भ्रष्टाचार मिट ही नहीं सकता । कोठी खास में तो तमाम स्टेट का फर्नीचर रहता था और उसमें कहीं दो-चार टेबल निकाल कर ले जायें तो टूटी टेबल डाल दो उसकी जगह । टेबल का एक पाया भी है तो टेबल पूरी हो जाती थी । इसी तरह से बागर खास में घोड़ों के लिए घास रहती थी । अगर घास कहीं चली जाय तो एक गट्ठर में आग लगा दी तो उसकी पूर्ति हो जाती थी । भ्रष्टाचार का मिटना बहुत मुश्किल है । यह तो सही है लेकिन भ्रष्टाचार पर जब तक अंकुश नहीं रहेगा, कार्यप्रणाली में जब तक फर्क नहीं आयेगा तब तक हम जो पुलिस से आकांक्षाएं करते हैं और हम जिस स्टेज पर पुलिस को ले जाना चाहते हैं उसको ले जाना बहुत मुश्किल है । आज समाज में अगर हम ऐसा नहीं कर पायेंगे तो मैं समझता हूं कि हम अपने आपको बहुत ही गलत बात से ले जाकर खड़ा कर देंगे । उस सब के लिए जैसा मैंने आपको बताया एक सुझाव तो मैंने दिया कि समाज और पुलिस के बीच की दूरी को कम किया जाना बहुत जरूरी है ।

दूसरा, हमें चिन्ता उस समय होती है जबकि पुलिस कि निष्क्रियता बढ़ती जाती है । कुछ ज्यादा उदाहरण देने की

(श्री हरिसिंह)

जरूरत नहीं है। हमारे कुम्हेर के अन्दर एक ही रात में तीन-तीन और चार-चार चोरियां हुई। चोरियों की रिपोर्ट उस समय थाने पर कर दी गयी और पुलिस के लोग आये। ऐसी बात नहीं है कि नहीं आये, लेकिन शहर के चारों तरफ घूमते रहे और अन्दर लूटमार होती रही। मैं आपको निष्क्रियता का उदाहरण दे रहा हूं। पुलिस में रिपोर्ट होने के बाद भी अगर जुर्म हो जाता है तो चिन्ता इस पर होती है।

मैं आपसे निवेदन यह करना चाह रहा था कि इस काम के लिए चाहे हमें पुलिस के बल को बढ़ाना पड़े, पुलिस की शक्ति को बढ़ाना पड़े तो बढ़ाना चाहिए। आज राजस्थान के अन्दर यह बात हमको माननी होगी कि पुलिस का बल और विशेष तौर से सिपाहियों का बल इतना नहीं है जितना कि स्टेट के लिए होना चाहिए। 3।। करोड़ की आबादी थी और उसके बाद में अब 4।। करोड़ की आबादी हो गयी है, उतनी पुलिस के बल में बढ़ोतरी नहीं हुई और जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता महोदय कह रहे थे कि इसमें आधी पुलिस तो हमारे वी. आई. पी.ज. की ड्यूटी में लगी रहती है। जयपुर शहर में ही क्या हर जिले में देख लीजिए आप। कहीं हमारे मंत्रीजी जा रहे हैं। हमारे भरतपुर में ही यही हाल है। हर जाड़ों के अन्दर चिड़ियों को देखने के लिए बड़े से बड़े आदमी बाहर से आते हैं। हमारा सौभाग्य है कि राष्ट्रपतिजी आते हैं, प्रधान मंत्रीजी-आते हैं और बहुत बड़े-बड़े लोग आते हैं। पुलिस का आधे से ज्यादा महकमा तो केवलादेव के घना में बैठा रहता है। मैं आपसे निवेदन यह कर रहा था कि आपको वी. आई. पीज. ड्यूटी के के लिए अलग से पुलिस का फोर्स तैयार करनी चाहिए, बनानी चाहिए। जैसे ट्रैफिक पुलिस अलग है उसी तरह से वी. आई पीज की ड्यूटी के लिए आपको पुलिस फोर्स अलग से बनानी चाहिए। अगर शहर का कोतवाल, शहर का एस.पी. दिन में 4 घण्टे वी. आई. पीज. की ड्यूटी दे रहा है तो कैसे वह अपनी जगह पर इंवेस्टीगेशन करेगा? कई-कई महीने तक इंवेस्टीगेशंस पड़े रहते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा था कि आपको वी. आई. पी. के लिए अलग से पुलिस बल बनाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, श्रीमन् एक बात और चिन्ता का विषय है, अब पुलिस स्वयं ही कानून की अवहेलना करने लग जाए। यहां कानून और सुरक्षा की बात है। सीआर. पी. सी. की दफा 58 के अन्तर्गत यह लाजमी सी बात है पुलिस थाना जो गिरफ्तारी करेगा उसकी रिपोर्ट आपको इमीजियेटली कलक्टर साहब को देनी पड़ेगी, डी. एम. को देनी पड़ेगी और मैं लगातार इस बात की कोशिश कर रहा हूं कि आप इसको मान लें, नहीं

(श्री हरिसिंह)

मानते । आज ही मुझे इस बात का उत्तर मिला है। मैंने पूछा था कि क्या धारा 58 फौजदारी के अन्दर पुलिस थानों से वांछित सूचना जिला मजिस्ट्रेट को समय समय पर दी जाती है ?

This is mandatory provision in law, —Cr. P. C. The police S. H. O. is bound to give information to D. M. as to how many persons have been arrested by him.

जिससे कि वह डी. एम. देख सके आपका कार्य सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, गिरफ्तारियां गलत हो रही हैं या सही हो रही हैं इसका जवाब आप देते हैं । पुलिस थानों से धारा 58 जाबता फौजदारी के अन्तर्गत की गयी गिरफ्तारियों की सूचना सम्बन्धित जिला उपखण्ड मजिस्ट्रेटों को साधारणतया प्रेषित नहीं की जा रही हैं । क्यों नहीं की जा रही है ? क्या कानून की आप स्वयं अवहेलना करना चाहते हैं जो कानून से बाउंड है, उसको आप पूरा नहीं कर सकते ?

(समय-समाप्ति-सूचकघंटी)

दो मिनट में बात समाप्त करूंगा । मैं आपसे निवेदन कर रहा था....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपकी पार्टी के बोलने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, आप सहयोग करेंगे तो सब का नम्बर आ जाएगा ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : तो इसमें मेरा क्या दोष है ? किसी को बात कहने का पूरा समय तो दें । आप दो मिनट, चार मिनट, आठ मिनट, दस मिनट कोई समय निश्चित कर दीजिए उसमें मैं अपनी बात पूरी कर दूंगा ।

एक मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि ऐसे जिले, जैसे हमारा भरतपुर जिला है, यू. पी. के नजदीक है । मुझे कहने में यह कोई संकोच की बात नहीं है कि यू. पी. में जरायम हमसे ज्यादा हैं। राजस्थान की ला-एण्ड-आर्डर की पोजिशन, यू. पी. के मुकाबले में, बिहार के मुकाबले में अच्छी है । वहां के लोग हमारे यहां आकर के डकैती डालते हैं उनको रोकने के लिए यह जरूरी है कि आप ऐसे जिलों के अन्दर पुलिस के बल ज्यादा बढ़ायें, आप थाने ज्यादा बढ़ायें हमारे एंट्री पर ही एक रारह गांव हैं । जैसे यहां चौमूं नाम मशहूर है वैसे ही रारह गांव हमारे यहां मशहूर है । रारह के अन्दर आप पुलिस थाना कायम करें । गृह मंत्रीजी, बहुत समय से आपके सामने मांग चल रही है वह आप कायम करेंगे यह मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं ।

(श्री हरिसिंह)

दूसरा, पुलिस कर्मचारियों की सबसे बड़ी दिक्कत थानों पर रहने के लिए आवास की है। उसकी वजह से सिपाही हों या कोई और हों, अलग चले जाते हैं, उनके रहने के लिए आप आवास की व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक कर्मचारी वहां पर रहेगा नहीं। वह अपने परिवार को देखेगा, उसके बीमार बच्चे को डाक्टर ने देखा कि नहीं देखा, उसकी बीवी बीमार थी उसका इलाज हुआ कि नहीं हुआ। इन सब बातों के लिए यह जरूरी है कि उसके परिवार के रहने के लिए आप आवास की व्यवस्था करें और मैं समझता हूं कि इसके लिए केन्द्रीय सरकार ने भी आपको कुछ धनराशि दी है उसका आप सही प्रकार से उपयोग करें। मैं वास्तव में ताज्जुब में पड़ रहा हूं कि कृषि भवन बन गया, उद्योग भवन बन गया, सब भवन बन गये लेकिन गृह मंत्रीजी पुलिस भवन अब तक नहीं बनवा पाये। जमीन ले ली है लेकिन मैं देखता हूं वहां पर झोंपड़ियां बढ़ती जा रही है, उसके ऊपर कब्जे हो रहे हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा था जो हमारी सुरक्षा के लिए देख रहे हैं उनका खुद का मकान नहीं है, उनके कर्मचारियों के मकान नहीं है वह हमारे मकानों की सुरक्षा कर पायेंगे कि नहीं कर पायेंगे उसका संदेह मुझे थोड़ा सा होने लग गया है। भ्रष्टाचार मिटाने की, निष्क्रियता मिटाने की, ये सब काम करने की एक ही बात है कि गृह मंत्री की, सरकार की विल पावर होनी चाहिए। सरकार इस फोर्स को राजनैतिक काम में नहीं ले, अपने स्वार्थ में पुलिस फोर्स का इस्तेमाल नहीं करें। उसे निष्पक्षता से काम करने दें। मजबूती के साथ अपनी विल पावर से काम करें और सुख-चैन कायम करें तो मैं समझता हूं कि मेरी भावनाएं पूरी हो जाएगी। (धन्यवाद)

श्री सभापति : माननीय श्री शांतिलाल खाईवाल।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीरप्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य सूची के पूरा होने तक बढ़ाया जाए।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि आज की कार्य सूची के पूरा होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

आज की कार्य सूची के पूरा होने तक सदन का समय बढ़ाया गया।

मांग संख्या 16 पर विचार

श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमंद) : सभापति महोदय, आज पुलिस डिमाण्ड के ऊपर चर्चा हो रही है। पुलिस महकमा बहुत महत्वपूर्ण महकमा है। इसकी

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

जबर्दस्त जिम्मेदारियां हैं। कानून-व्यवस्था की, आम और खास लोगों की जान माल की रक्षा की, आपराधिक प्रवृत्तियों को रोकने की, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें समाज की विभिन्न व्यवस्थाओं को सुदृढ़ रूप से संचालित करने के लिये पुलिस की सेवाओं की आवश्यकता होती है। अब जिस महकमे को इतनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है उस महकमे के लिए जरूरी है कि उसको सुदृढ़ किया जाए, महकमे के प्रति विश्वसनीयता जागरूक की जाए और अच्छी सेवाओं के लिए जितनी ज्यादा सुविधाएं संभव है अच्छी सेवाएं देने के लिए उतनी सुविधाएं पुलिस महकमे को दी जाएं, इस बात का मैं हामी हूं। लेकिन एक बात का मेरे मन में नहीं, मैं समझता हूं सदन के सभी माननीय सदस्यों के मन में यह चिन्तन होगा कि जहां तक आम लोगों की पुलिस के प्रति विश्वसनीयता का प्रश्न है, इसके प्रति प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है इस बात को कोई नकार नहीं सकता। चाहे पुलिस के अधिकारी बिराजे हुए हों, चाहे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यगण हों और चाहे ट्रेजरी बेंचेज के सदस्य हों। अब चाहे भंवरसिंह जी हों, इसमें मुझे आपत्ति नहीं है। अब इसको ज्यादा चर्चा का विषय बनाने की आवश्यकता नहीं है।

अब प्रश्न इस बात का है कि जिस महकमे को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है वह महकमा विश्वसनीयता के काबिल है कि नहीं है, मैं यह नहीं कहता कि बिलकुल अविश्वसनीय है लेकिन जो समाज की अपेक्षाएं हैं, जो आम आदमी की अपेक्षाएं हैं जो सरकार की अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं के प्रति पुलिस महकमा खरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है, उसमें काफी सुधार के बावजूद भी और सुधार करने की आवश्यकता है। अभी पुलिस महकमे की सेवाओं के बारे में माननीय श्री काली चरण जी सराफ तारीफ कर रहे थे मैं उस बात का भी हामी हूं। भंवरसिंह जी साहब ने पुलिस महकमे की बहुत तारीफें की, उसके लिए भी मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन मैं चन्द इस तरह की व्यवस्थाओं के बारे में इस सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि एट्रोसिटी एक्ट बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है। क्या पुलिस अपनी भूमिकाएं सही अदा करती हैं? आज स्थिति यह है कि यदि किसी ने एफ. आई आर. दर्ज करा दी। एक पंडित जी और एक चौधरी जी में आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आपस में सलट नहीं पा रहे है तो वह मदद लेते हैं किसी हरिजन की कि इसके खिलाफ आप इस प्रकार की एफ. आई. आर. दर्ज करा दे तब सलट पाऊंगा नहीं तो इसको सलट नहीं पाऊंगा. और पुलिस इस अनाधिकृत नाजायज तरीके का पूरा-पूरा लाभ उठाती है वह उस व्यक्ति को पूरा का पूरा एक्सप्लायट करने की कोशिश करती है, क्योंकि आपके खिलाफ एट्रोसिटी का मुकदमा है। हाई कोर्ट तक आपकी जमानत नही होगी, कहीं कुछ आपको

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

करना पड़ेगा नहीं तो सीधा जेल में भेज दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में पुलिस महकमे का बहुत महत्वपूर्ण दायित्व है कि वह इस तरह की बातों को देखें। मैं इसके बारे में बहुत विशेष नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि चार-पांच मुद्दे मेरे पास महत्वपूर्ण हैं।

दूसरा बाल विवाह। बाल विवाह रोकने के लिए मैं समझता हूं पूरा सदन सहमत है। इसके लिए कानून बने हुए हैं, कानून की पालना करने के लिए पुलिस महकमे की मदद ली जाती है। लेकिन पुलिस महकमा बजाय मदद करने के, मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन करूं कि राष्ट्रपति शासन में पुलिस ने करोड़ों रुपये इकट्ठे इस बात के किए कि बाल विवाह होने में आपको किसी तरह का व्यवधान पैदा नहीं होगा। अब इसमें कानून....

श्री विष्णु मोदी : राष्ट्रपति शासन तक ही क्यों सीमित कर रहे हैं ?

श्री शांतिलाल खोईवाल : प्लीज लैट मी कम्पलीट माई वर्शन।

श्री सभापति : व्यवधान नहीं डालें।

श्री शांतिलाल खोईवाल : माननीय मोदी जी, जिस तरह की सूचनाएं हैं, जिस तरह की मुझे जानकारी है उस जानकारी को मुझे कह लेने दीजिए, बीच में व्यवधान न डालें। मैंने निवेदन किया कि बाल विवाह रोकने की आवश्यकता है लेकिन बाल विवाह रोकना सिर्फ कानून की मदद से ही संभव नहीं है। बाल विवाह के जो दूरगामी परिणाम हैं उनके बारे में भी हमें चिन्तन करने की आवश्यकता है। (व्यवधान)

(17 00)

वह भी आप चाहेंगे तो बाद में बता दूंगा क्योंकि इतना समय माननीय सभापति महोदया दे नहीं पाएंगी।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : + + +होम मिनिस्टर और मुख्य मंत्री ने.... (व्यवधान)

श्री शांतिलाल खोईवाल : सारी जानकारी दे देंगे, आप चिन्ता न करें।

बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है, इसमें दो राय नहीं है।

डा. हरिसिंह : और अगर नॉलेज में लायें तो इन्होंने क्या किया ?

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : आपसे हिस्सेदारी की है....(व्यवधान)

श्री शांतिलाल खोईवाल : इस सामाजिक बुराई को समाप्त करना चाहिए।

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गये।

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

लेकिन इसके साथ-साथ मुझे डाक्टर भानूदा का कथन याद आता है कि आप कानून बनाइये, कानून की पालना कराइये लेकिन उनको शिक्षित करिये। आम आदमी अशिक्षित होने के कारण, आम बच्चा-बच्ची अशिक्षित होने के कारण गांव में उनकी मजबूरी हो जाती है बाल विवाह करना। एक 17 साल की, 15 साल की लड़की को जंगल में ढोर चराने के लिये, लकड़ी चुनने के लिये जाना पड़ता है, उसको खेती-बाड़ी के कामकाज के लिए जाना पड़ता है, उसको जंगल में कई कामकाज की दृष्टि से विचरण करना पड़ता है। वह आदमी यह सोचता है कि मेरी बेटी की कहीं बेइज्जती न हो जाए, कोई ऐसा लफड़ा पैदा न हो जाए इसलिये मुझे इसका विवाह जल्दी कर देना चाहिये।

डा. हरिसिंह : क्या शादी के बाद सेफ हो जाते हैं ?

श्री शांतिलाल खोईवाल : हरिसिंह जी, आप बेकार में व्यवधान डाल रहे हैं। मैं निवेदन कर रहा था, माननीय सभापति महोदया, कि बाल विवाह के लिये अपने को एक जन-जागृति पैदा करने की आवश्यकता है, कानून की मदद तो लेनी ही चाहिये। जैसे अभी डाक्टर भानूदा ने एक सुझाव दिया था कि इन सब बीमारियों का एक ही समाधान हो सकता है कि शिक्षा का प्रसार हो और शिक्षा प्रसार के लिए यद्यपि पिछला पूरा बजट शिक्षा को समर्पित था लेकिन इस वर्ष भी शिक्षा पर कम ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, इस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि शिक्षित होंगे तो निश्चित रूप से बाल विवाह को स्वतः ही रोकथाम करने में मदद मिलेगी।

अब जैसा कि मैंने निवेदन किया कि आम जनता पुलिस के कृत्यों में किस ढंग से विश्वास करे, विश्वास पैदा करने के लिए किस तरह की भावनाएं जागृत करें, इस बात की आवश्यकता है। अब चाहे आप पुलिस महकमे को कितनी ही सुविधाएं दीजिये, कितनी ही कल्याणकारी योजनाएं इंट्रोड्यूस कर दीजिये, उनको सुदृढ़ीकरण के लिये कितना ही पैसा बजट प्रोविजन में रख दीजिये लेकिन जब तक कि उनके कामकाज में सुधार नहीं होगा तब तक इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। सेंट्रल जेल, जयपुर का 1977 में जस्टिस कृष्णा अय्यर ने इंस्पेक्शन किया था, तो उनका आब्जर्वेशन था कि—

"The administration of this prison is ahead in the rest of the country but there is still scope for further improvement."

सुधार पुलिस में हो रहा है अन्य स्टेट्स के कम्पेरीजन में, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले वर्ष भी अच्छी उपलब्धियां रही हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है लेकिन अब भी इसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है और जब तक कि इसके सुधार के बारे में

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

ध्यान नहीं देते हैं तब तक पुलिस से जो हमारी अपेक्षाएं हैं वह आम जनता का विश्वास जीतने में मदद नहीं करेंगी। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा कि पुलिस में विश्वास करें तो कैसे करें। मैं कंवारिया थाने का एक मुद्दा आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। पुलिस ने मांगीलाल नाम के व्यक्ति को अरेस्ट किया, अरेस्ट इसलिये किया कि अरेस्ट करने के 5-7 दिन पहले उसकी पत्नी की मृत्यु हो गयी थी। किसी ने शिकायत की कि इसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। पुलिस ने अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद में उससे पैसे लिये, यह भी राष्ट्रपति शासन के समय की बात है। पुलिस ने पैसे लिये और उसके बाद उसको इतना पीटा कि उसकी पुलिस थाने में मौत हो गयी और इसको आत्महत्या करार देने के लिये उसने 50 मीटर दूर कंवारिया थाने के, कांकरोली की तरफ डाल दिया और उसको जामा यह पहनाया कि इसने आत्महत्या कर ली। माननीय सभापति महोदया, पुलिस ने उक्त व्यक्ति को अपनी कस्टडी में लिया, कस्टडी के बाद में वह वापस घर पर कभी नहीं गया, उसकी डैड बॉडी गयी और इसके बारे में मैं यह भी जानकारी देना चाहूंगा कि उसका दाह संस्कार पुलिस एस. पी., श्री टी. एन. मीणा के समक्ष हुआ, उसका दाह संस्कार तत्कालीन उप अधीक्षक राजेन्द्र राठौड़ की उपस्थिति में हुआ, उसका दाह संस्कार तत्कालीन एस. एच. ओ. के समक्ष हुआ और वह इस भय से कि जल्दी से जल्दी इसका दाह संस्कार कर दिया जाए और उसके परिवार को इतना डराया, धमकाया ताकि वह किसी तरह की कोई शिकायत न कर पाये। वह इसलिये कि वह रैगर था, इसलिये कि वह हरिजन था, इसलिये कि उसकी जुबान में दम नहीं था...

एक माननीय सदस्य : अब पुनः जांच करा लो।

श्री शांतिलाल खोईवाल : विधान सभा में जो भी तथ्य बताये जाते हैं उनका मकसद ही यही होता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं राजेन्द्र राठौड़ तत्कालीन पुलिस उप अधीक्षक का एक और नमूना आपके सामने बताना चाहूंगा, वे रिटायर नहीं हुए, होम मिनिस्टर साहब की मेहरबानी है कि तत्कालीन अधीक्षक को भी हटा दिया, उप अधीक्षक को भी हटा दिया और वहां के एस. एच. ओ. को भी हटा दिया क्योंकि उनके कारनामें ऐसे ही गड़बड़ थे। हटा दिया और उनकी जांच चल रही है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

राजेन्द्र राठौड़ ने कुरज गांव के बंशी लाल नामक व्यक्ति की दो लड़कियां जो स्कूल में पढ़ रही थीं, एक छठी में और एक आठवीं में पढ़ रही थीं। एक की उम्र 13 साल और दूसरी की उम्र 15 साल थी। उनको किसी ने फरार कर लिया, जबरन उनसे शादी कर ली, उनके बाप ने

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

पुलिस में कम्पलेंट की और पुलिस ने, राजेन्द्र राठौड़ ने उन लोगों से 50 हजार रुपये लेकर यह जामा पहनाया कि यह लड़कियां तो मैच्योर्ड थीं। इनकी उम्र 18 साल से ज्यादा थी, अपनी स्वेच्छा से उन्होंने शादी कर ली और उसके बाप को इतना डराया, धमकाया ताकि वह शिकायत नहीं करा पाये। माननीय सभापति महोदय, मेरा एक ही निवेदन है कि वे स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां थीं, उनका डेट ऑफ बर्थ भी स्कूल के रिकार्ड में इन्द्राज है, उन सारी बातों को नजरअंदाज करते हुए उसने उनका मेडिकल मुआयना राजसमंद जिले में न कराकर भीलवाड़ा जिले में कराया और इस तरह मेनुपुलेट किया कि उनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, अपनी स्वेच्छा से शादी की है।

श्री इन्द्रसिंह पूनियां (सादुलपुर) : यह भी राष्ट्रपति शासन के टाइम की बात है क्या? राष्ट्रपति शासन में ही होते हैं, आपके इतने अच्छे शासन में ऐसे थोड़े ही होते हैं।

श्री शांतिलाल खोईवाल : आप जितना जवाब मांगोगे उतना ही दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा। एट्रोसिटी वाले मामले का जहां तक प्रश्न है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य कन्क्लूड करें, सुझाव दें।

श्री शांतिलाल खोईवाल : हरिजन एट्रोसिटी के प्रकरण में मेरा एक निवेदन है कि ज्यादा शिक्षित पुलिस कर्मियों का रिक्रूटमेंट होना चाहिए और उन्हें उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इसके अभाव में इस तरह के प्रोविजंस को जबरदस्ती अपने पक्ष में एक्सप्लायड करते हैं वह समाज के हित में नहीं है, स्टेट के हित में नहीं है और सरकार के हित में नहीं है। यही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री शिवनाथ सिंहजी।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : सभापति जी, पुलिस किसी भी शासन तन्त्र का एक जरूरी अंग है। जब से समाज की रचना हुई तभी से यह पुलिस बल, चाहे नाम कुछ भी हो, समाज की व्यवस्था के लिये जरूरी समझा गया और तभी से चलता आ रहा है। आज भी सभी देश इस बात को स्वीकार करते हैं कि आन्तरिक सुरक्षा के लिये, शांति व्यवस्था कायम रखने के लिये पुलिस बल का होना जरूरी है।

हमारी राजस्थान पुलिस बल के बारे में बड़ाई भी की गयी, अच्छे कामों को भी गिनाया गया। यह सही है कि बहुत अच्छे काम भी हुए हैं, बड़ाई करने लायक काम भी किये हैं उन्होंने और यह कह कर मैं नहीं चलना चाहता कि वहां उसमें कोई अच्छे आदमी नहीं हैं। बहुत लोग अच्छे हैं, काम्पीटेंट हैं और अपनी ड्यूटीज

(श्री शिवनाथ सिंह)

को ठीक ढंग से निभाने की चेष्टा करते हैं। मैं सिर्फ उन बिन्दुओं की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जहां हमें सुधार की आवश्यकता है।

अभी जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने तस्करी के माल-जब्ती की बात कही, एक राजेन्द्र मिर्धा काण्ड को बार-बार यहां पर कहा जा रहा है। सभापति जी, मेरी मान्यता यह है कि अब इस इश्यू पर हम चर्चा कम करें उतना ही अच्छा है। अभी भी राजेन्द्र मिर्धा के अपहरण का जो विषय है उसके बहुत से पहलू ऐसे हैं जो उजागर नहीं हुए हैं और हो सकता है कि पुलिस ने और सरकार ने किन्हीं कारणों से उनको उजागर करना उचित नहीं समझा हो। मैं यह नहीं कहता कि उनको उजागर किया जाय, जो जनहित में, पुलिस के इंवेस्टीगेशन में और देश की सुरक्षा के लिये आवश्यक हों उन पर पर्दा पड़ा रहना ही अच्छा है। लेकिन बार-बार उस प्रकरण को यहां पर लाया जाता है। उस प्रकरण ने, माननीय सभापतिजी, इस पुलिस की सी. आई. डी. की इंटेलीजेंस की धज्जियां उड़ाई हैं। किस प्रकार से उस आतंकवादी को कहां मारा गया, कहां उसको दिखाया गया और यह पुलिस कर्मियों में आपस में चर्चा है, उनमें शिकायत है कि किन्हीं पुलिस कर्मियों ने यह शाबासी का काम किया है और उसका श्रेय दूसरे पुलिस अधिकारी लेना चाहते हैं। यह माननीय गृह मंत्रीजी का मामला है कि वह इसको देखें, मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपकी सी. आई. डी., आपकी इंटेलीजेंस कहीं कुछ नाम के लिये भी होती तो जयपुर भी शान्तिप्रिय शहर जिसमें आतंकवादी 3 साल-4 साल से यहां नहीं रह पाते, व्यवस्था की बात की गयी।

राजस्थान का मुकाबला पंजाब, हरियाणा, यू. पी. से किया गया, पुलिस का श्रेय है लेकिन, माननीय सभापतिजी, यह राजस्थान की शांतिप्रिय जनता का श्रेय है। हमारा प्रान्त हमेशा शांतिप्रिय रहा है और यहां के लोग उदण्डता कम करना पसन्द करते हैं इसलिये बहुत बड़ा योगदान इस शांति व्यवस्था को कायम करने में हमारी जनता का है, पुलिस का सहयोग है लेकिन बहुत बड़ा श्रेय हमारी जनता को जाता है।

माननीय सभापतिजी, पुलिस का आज का जो रवैया है, मैं यह मानता हूं कि पुलिस भय होना जरूरी है, बिना पुलिस के भय से शांति व्यवस्था कायम करना कठिन होता है लेकिन पुलिस भय अलग होता है और पुलिस का आतंक अलग होता है। आज थानों में जाते हुए लोग आतंकित होते हैं, डरते हैं और कोई भी आदमी जिसको थाने से सिपाही बुलाने वाला आ गया तो उसके घर वाले, परिवार वाले और रिश्तेदार इस बात से आशंकित होते हैं कि पता नहीं इसका क्या होगा

(श्री शिवनाथसिंह)

और होता भी है। थर्ड डिग्री मैथड्स की बात, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि दो प्रकार के अपराधी हमारे थानों में जाते हैं। एक ऐसे अपराधी हैं जो आदतन अपराधी हैं, चोरी और डकैती करते हैं और दूसरे मामलों में भी आदी हैं। उनके साथ में पुलिस सख्ती नहीं करे तो पुलिस उन मामलों में सफल नहीं हो सकती है लेकिन ऐसे केसेज 10 पर्सेंट है, 90 पर्सेंट केसेज जो पुलिस में जाते हैं, जिनकी एफ. आई. आर. होती है, कहीं 107 और 151 के झगड़े होते हैं, 323 और 324 का झगड़ा होता है, आपस में भाइयों के बंटवारे का झगड़ा होता है, कहीं उत्तेजना में बच्चे आपस में लड़-मरते हैं उनके साथ में क्या सलूक होता है। 107 और 151 के मामलों में पुलिस थानों में जाते ही आदमी कांपने लगते हैं। उसके घर वाले थैलियां लिये पीछे पड़ते हैं कि हमारे आदमी को जंगले में तो दे दो, कल कोर्ट में पेश कर देना लेकिन रात भर उसको पीटना नहीं। न पीटने के लिये उसको दस्तूरी दी जाती है। यह बात कोई छिपी हुई नहीं है।

माननीय सभापतिजी, ऐसा क्यों होता है? आज समाज से जो रिक्रूटमेंट होता है उसमें गिरावट आयी है, सही बात है कि चरित्र में गिरावट आयी है लेकिन उसके कई और भी कारण हैं। एक अफसर, एक कर्मचारी, एक सिपाही पुलिस में भर्ती होता है उसकी हालत का आप अन्दाजा लगा लें। जब वह कालेज में पढ़ता है, कल परसों ही एक प्रकरण आया था मेडिकल कालेज के छात्रों की पिटाई का, जयपुर में कालेज में छात्रों की पिटाई होती है, कभी स्कूल के छात्रों की पिटाई होती है तो उस लड़के के मन में यह आता है कि जब भी मुझे मौका मिले मैं पुलिस में अफसर बनूं, पुलिस का सिपाही बनूं और जो सलूक मेरे साथ किया गया था वही सलूक मैं लोगों के साथ करूं। इस मानसिक प्रवृत्ति से वह वहां पर जाता है और जब भर्ती होता है, सभापति महोदय, मैं उस जिले से आता हूं जहां देश में उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट होता है, चाहे फौज का रिक्रूटमेंट हो, चाहे पुलिस का हो, आर. ए. सी. का हो, बी. एस. एफ. का हो, किसी भी रिक्रूटमेंट का जब मौका आता है तो मेरे जिले से हजारों की संख्या में नवयुवक जाते हैं और उस वक्त हालत क्या होती है, अपनी माताओं के गहने गिरवी रखकर, अपनी बहनों के गहने गिरवी रखकर 25-30-40 हजार रुपये तक वह लेते हैं किसी साहूकार से 5 रुपये सैंकड़े से रुपये लेकर जाते हैं। माननीय गृह मंत्रीजी कहेंगे कि रिक्रूटमेंट में भ्रष्टाचार नहीं होता है, नहीं होता होगा लेकिन इस बात के लिये हाउस में मंजूर नहीं करें लेकिन जांच करवा लीजिये कि अभी रिक्रूटमेंट में, पुलिस के कांस्टेबल्स के रिक्रूटमेंट में 25 और 30 हजार रुपये से कम उससे रिश्वत नहीं ली जाती है, यह खुला है। ठीक है माननीय गृह मंत्रीजी इसको स्वीकार नहीं करेंगे लेकिन तथ्य यह है और यह लड़का रुपये

(श्री शिवनाथसिंह)

देकर भर्ती होता है उसकी मानसिकता क्या होगी कि वह जल्दी से जल्दी उस ऋण को उतारना चाहेगा और एक बार आदत गिर गयी तो उस आदत से आगे चलना चाहता है। इसलिये माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि रिक्रूटमेंट में आपके यहां पर भ्रष्टाचार है। कान्स्टेबल के रिक्रूटमेंट में भ्रष्टाचार है दूसरों की मैं नहीं कह सकता, उसके लिए आप ध्यान दीजिये। हमारे सामने स्वीकार नहीं करते हैं तो इस बात की जांच करवा लें, आइन्दा एहतियात रखिये कि कहीं भ्रष्टाचार के आधार पर, रुपये पैसे के आधार पर कांस्टेबल की भर्ती नहीं हो।

माननीय सभापतिजी, कुछ ऐसी बातें हैं जो पुलिस में सुधार के लिए हमें करनी पड़ेंगी। आज उनकी प्रापर ट्रेनिंग नहीं हो पाती है। जिस समाज के लिए उत्तरदायी हैं, जिस समाज से वे आते हैं उनके प्रति सम्मानजनक व्यवहार हो, इसके लिए प्रापर ट्रेनिंग की आवश्यकता है, उनकी मानसिकता को बदलना पड़ेगा। आज हमारी पुलिस के पास ऐसे साधन नहीं हैं जो सही इन्वेस्टीगेशन के लिए, सही तरीके से रिकवरी करने के लिए हों। इसलिए यह जो पुलिस में कमियां हैं उनकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि माननीय गृह मंत्रीजी ट्रेनिंग की व्यवस्था आप सुचारु रूप से करवायें और सुचारु रूप से कराने के बाद में हमारे जो नवयुवक हैं, जो पुलिस में भर्ती होते हैं वे मन से बुरे नहीं हैं, परिस्थितियां ऐसी हैं जो उनको काम करने के लिए मजबूर करती हैं। इसलिए प्रापर ट्रेनिंग उनकी हो। बहुत अच्छे हमारे नवयुवक हैं पुलिस में वह बहुत अच्छा काम करके दिखा सकते हैं।

माननीय सभापतिजी, मैं एक दो बातें और कहना चाहूंगा। साम्प्रदायिक दंगों की बात कही गयी। साम्प्रदायिक दंगों में हमारी पुलिस ने किस दक्षता से काम किया है इसकी अधिक चर्चा नहीं करके इतना ही कहना चाहूंगा कि टिबरेवाल आयोग की रिपोर्ट जो अभी सदन में पेश नहीं हुई और कहीं पेश नहीं हुई है लेकिन अखबारों में छपी है, उसको माननीय गृह मंत्रीजी पढ़ लें, उसमें क्या टिप्पणियां हमारी पुलिस के लिए, हमारे अधिकारियों के लिए की गयी हैं और उनकी तरफ ध्यान दीजिये। टिबरेवाल आयोग की रिपोर्ट के अन्दर पुलिस के ऊपर, पुलिस के चोटी के जो अधिकारी हैं उन पर बहुत बड़ा आक्षेप लगाया है। साम्प्रदायिक दृष्टि से हमारे प्रांत में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहता है लेकिन यदि इस प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं तो हमें स्पष्ट तौर से नजर आती हैं कि इनमें पुलिस के लैप्सेज रहे हैं। आप बार-बार घड़ी की तरफ देख रही हैं मैं एक दो मिनट में अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा।

मैं एक दो बातें कहना नहीं चाहता था लेकिन वह स्थानीय हैं इसलिए वह कहूंगा।

(श्री शिवनाथ सिंह)

माननीय गृह मंत्रीजी, मैं आपको एक मामला, टेस्ट केस देना चाहता हूं। मेरे जिले के पुलिस स्टेशन उदयपुरवाटी का एफ. आई. आर. नं. 224/94 है। रिपोर्ट पेश हुई। आरोप था कि एक युवक का एबडक्शन करने की चेष्टा की गयी, मार-पीट की गयी और तुरन्त वहां के एस. एच. ओ. ने एक्शन लिया, मुलजिमों को गिरफ्तार किया और एक मोटर साइकिल और एक तलवार बरामद की और अपने इन्वेस्टीगेशन से निष्कर्ष निकाला कि यह मुलजिम बनते हैं, उनके खिलाफ चालान होना चाहिए और वह डीवाई. एस. पी., नवलगढ़ के पास गया। डीवाई. एस. पी., नवलगढ़ ने भरसक चेष्टा की कि इस मामले में एफ. आर. दो। एस. एच. ओ. नहीं माना और उस एस. एच. ओ. को वह थाना छोड़कर जाना पड़ा। दूसरा एस. एच. ओ. आया और दूसरे एस.एच. ओ. ने तफ्तीश की और वही लाइन जो सही लाइन थी, उस पर तफ्तीश की। डीवाई. एस. पी. ने फिर जवाब दिया कि इस मामले में एफ. आर. लगाओ। उन्होंने कहा, मेरे बस का रोग नहीं है। डीवाई. एस. पी. ने खुद ने वह तफ्तीश अपने हाथ में ली और उसकी एफ. आर. लगायी। एफ. आर. लगा दी होगी उन्होंने लेकिन एक मोटर साइकिल बरामद हुई थी, एक तलवार जो मुलजिमों से बरामद हुई थी, मैं साफ तौर से एलीगेशन लगाता हूं कि वह मोटर साइकिल चोरी की थी, उसका नम्बर जयपुर का था लेकिन उस मामले में न उस डीवाई. एस. पी. ने और न किसी अधिकारी ने यह तफ्तीश की कि यह किसकी है। बार-बार मुस्तगीस ने दरख्वास्तें भेजीं कि यह चोरी की है और इस मोटर साइकिल का मामला सुलझ जाता है तो पता नहीं कितनी चोरियां निकलतीं। डीवाई. एस. पी., नवलगढ़ पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं। हर मामले में अपने मातहत अधिकारियों को दबाते हैं और उनका यह अधिकार है कि वह थानों में जाएं, इलाके में जाएं लेकिन उन्होंने अपने निश्चित दलाल कायम कर रखे हैं। जब वह गांव में जाते हैं, उदयपुरवाटी जाते हैं, पुलिस थाने में नहीं जाते हैं और अपने दलाल के पास बैठकर लोगों को बुलाते हैं और वहीं से पैसा इकट्ठा करके और उन मुकदमों की तफ्तीश में दखलन्दाजी करते हैं। इस प्रकार के अधिकारी आज आप रखना चाहेंगे और मैं निवेदन करना चाहूंगा, उस अधिकारी का पिछला रिकार्ड आप देखिये। जहां-जहां भी वह गये हैं, उस डीवाई. एस. पी. का रिकार्ड भयंकर खोटा है। जहां भी वह गये हैं, उनकी शिकायतें हुई हैं, उनको निकाला गया है। आज भी उनके खिलाफ अनेक मामलों में दरख्वास्तें पेश होती हैं कि इन डीवाई. एस. पी. से हमको न्याय की उम्मीद नहीं है। ऊपर के अधिकारी उस तफ्तीश को दूसरे को देते हैं। कितने मामले ऐसे हुए हैं। जैसे एक अधिकारी है, झोटा का दिमाग उसका है उस अधिकारी को वहां क्यों रखे हुए हैं, आप क्यों लोगों को तबाह करना चाहते हैं? जातीयता का आधार देकर रखना चाहते हैं। और कहीं उसको लगा दीजिये, और

(श्री शिवनाथ सिंह)

किसी भले काम में उनको लगा दीजिये लेकिन भगवान के नाम पर हमारे उदयपुरवाटी के लोगों को, नवलगढ़ क्षेत्र के लोगों को उनसे बचाइये।

मैं अंत में, इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, हमारी पुलिस में आज जो कमी है, उसकी तरफ सरकार ध्यान दे और जिन मुसीबतों में पुलिस को काम करना पड़ता है, उनमें राहत देने की कोशिश की जाय। आज उनके रहने के लिये मकान नहीं हैं। वे बैरक्स में पड़े रहते हैं। आज थानों के अन्दर पूरा पुलिस फोर्स नहीं है। तो पूरी पुलिस फोर्स जब तक नहीं होगी तब तक वे सही इन्वेस्टीगेशन नहीं कर पाएंगे, मुलजिम का पीछा नहीं कर पाएंगे और हमको और समाज को पूरा संरक्षण नहीं दे पाएंगे। इसलिए पुलिस के मामलों में बहुत ही सुधार की आवश्यकता है। मैं सबका विवेचन नहीं कर सकता। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस के लोगों को, पुलिस मैन को पूरा संरक्षण आप दीजिये ताकि पुलिस हमको पूरा संरक्षण दे पाये। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्रीमान् खेतसिंह जी।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : माननीय सभापति महोदया, पुलिस विभाग के निष्पादन आय-व्ययक अनुमान मैंने पढ़े। इसके अन्दर आपने लिखा है कि "सम्पूर्ण आय-व्ययक अनुमान का लगभग 89.5 प्रतिशत पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर खर्च हो जाता है।" इसका मतलब यह हुआ 90 प्रतिशत आपका पूरा बजट सिर्फ कर्मचारियों के वेतन और भत्तों पर खर्च हो जाता है, 10 प्रतिशत आपके पास में बाकी बजट बचता है। उसमें आप सामान भी खरीदते हैं, उसमें शस्त्र खरीदते हैं, उसमें पुलिस वालों की ड्रेसेज भी करवाते हैं, उसमें वायरलैस भी आप लेते हैं, उसमें आप वाहन भी खरीदते हैं और उसमें और भी कई भत्ते आदि होते हैं, वे सब देते हैं। 10 प्रतिशत, इतने में आपका गुजारा कैसे होता है और उसके ऊपर कालीचरण जी ने आपकी बहुत तारीफ की और कहा कि साहब....

श्री कैलाश मेघवाल : आप करो।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हम क्यों करें ? आपके पास जो कुछ यह पैसा है, यह सब आपको भारत सरकार से मिला है .. (व्यवधान) और आप जो 300 करोड़ रुपये की योजना भी बता रहे हैं कि हम उसके अन्दर आधुनिकीकरण करने जा रहे हैं, वह भी सब पैसा आपको भारत सरकार से मिलेगा। पहले भी आपको जितना पैसा मिला है गत वर्ष, वह आपके गृह सचिव ने खुद ने ही यह लिखा है, "इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 1994-95 में भारत सरकार ने सीमान्त क्षेत्रों के विकास के लिए बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर आदि में पुलिस बलों को और प्रभावी बनाने के लिए 563 करोड़ 82 लाख

(श्री खेतसिंह राठौड़)

रुपये दिये हैं।" अभी आपके कालीचरण जी सराफ कह रहे थे कि हमारे मुख्य मंत्रीजी और गृह मंत्री जी ने किया। मुख्य मंत्री जी ने क्या किया और गृह मंत्रीजी ने क्या किया? यह सारा पैसा भारत सरकार से मिला और भारत सरकार की मेहरबानी से ही यह आपका जो कुछ ढांचा चल रहा है, यह उनकी मेहरबानी है। आगे खुद आपके गृह सचिव ने यह भी लिखा है, वह आदमी सच्चा दिखता है, उन्होंने लिखा है, "पुलिस प्रशासकीय भवनों, पुलिस आवासीय भवनों, वायरलैस, उपकरणों, हथियारों एवं गोला बारूद, मोटर वाहन यानी किसी बात की कमी नहीं, जो पैसा आया, वह बिजली-पानी आदि में सभी में हमने व्यय किया....

श्री कैलाश मेघवाल : बोर्डर के लिये ही किया।

श्री खेतसिंह राठौड़ : बोर्डर के लिए? बोर्डर का नाम है, बोर्डर पर ही किया, दूसरी जगह भी किया और इस प्रकार से यह सारा पैसा आम तौर पर आपको भारत सरकार से मदद रही है। इसलिए मैं खास तौर से जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य को कहूंगा कि वह अपने आपको करेक्ट करलें। कोरी वाहवाही लूटने की यह कोशिश नहीं करें। आखिर भारत सरकार है जिसकी मदद से ही यह सारा काम चलता है....

श्री महावीर प्रसाद जैन : खेतसिंह जी, यह सीमा सुरक्षा का काम भारत सरकार का हम कर रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अब मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आम तौर पर आपके पुलिस के आदमी बोर्डर पर हेरोइन वगैरह पकड़ लेते हैं। दूसरे रोज बड़ा स्टेटमेंट आता है कि अन्तरराष्ट्रीय बाजार मूल्य के अनुसार हमने एक करोड़ और इतने लाख की हेरोइन पकड़ी। दूसरे रोज आता है, 20 करोड़ और इतने की हेरोइन पकड़ी। उससे क्या फायदा, इस स्टेटमेंट से होता क्या है? उससे कोई फायदा नहीं। आप उसको आगे जाकर डेस्ट्रोय करते हैं और उसका कोई मतलब ही नहीं है। यह ख्वाहम में वाहवाही लेने के लिए, करोड़ों रुपयों का जनता को धोखा देने के लिए, देखो पुलिस ने कितना बड़ा काम किया है और 20 करोड़ की हेरोइन पकड़ी। 20 करोड़ रुपये की हेरोइन का कोई मतलब नहीं है अन्तरराष्ट्रीय मूल्य .... (व्यवधान) है कि नहीं है, उसका किसने मूल्य आंका है। उसकी वेल्यू पाकिस्तान में क्या है, इण्डोनेशिया में क्या है, किसको क्या मालूम है? यूं ही आप ठोक रहे हो। यह भी एक मामला गलत सा ही है। मैं इस मौके पर आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके जमाने में क्या होता था ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : मुझे मालूम नहीं है। मैंने कब कहा कि मुझे मालूम है। मैं तो जितनी बात कहूंगा, सत्य कहूंगा (व्यवधान) मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं, आपकी पुलिस फोर्स के अन्दर सही बात, जो मुझे मालूम हुई है, कुछ ग्रुपिज्म बढ़ रहा है पुलिस के बड़े अधिकारियों में। अगर ऊपर से पेड़ आनी शुरू होती है तो नींव हिल जाती है और, माननीय गृह मंत्रीजी, मैं आपको यह साफ कहता हूं, अगर आपने और मुख्य मंत्रीजी ने प्रयत्न कर यह मामला नहीं जमाया तो जो पाकिस्तान के जनरल फरमान अली और नियाजी की हुई थी बंगलादेश के वक्त में, वही हालत आपके फोर्स की होने वाली है। इसलिए मैं आपसे यह हिदायत कर रहा हूं कि मेहरबानी करके इस बात को सोचिये, गम्भीरता से लीजिये और अफसरों के अन्दर तारतम्य होना चाहिए।

आज भी मैं आपसे कहता हूं, पुलिस की डिमांड चल रही है। हम भी किसी वक्त में डिप्टी मिनिस्टर रहे थे कहीं, हमारे भी मिनिस्टर थे, हम खुद भी मिनिस्टर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है लेकिन मैं आपसे कहता हूं, पुलिस की डिमांड पर सिर्फ एक डी. जी. आये हैं और एक होम कमिशनर बैठे हैं, पूरी पुलिस फोर्स यहां होनी चाहिये थी और उनको सबको मालूम होना चाहिए कि आखिर एम. एल. एज. आपके बारे में क्या सोचते हैं और उनकी क्या समस्याएं हैं। उन बातों को अगर वे यहां सुनें तो उनको ध्यान में रहे। उनमें से सिर्फ दो आदमियों को आपने यहां पर बुला लिया। आप अपना जवाब दे देंगे। यह तो कोरी फार्मेलिटी है। फार्मेलिटी मत कीजिये। इसको बहुत गम्भीरता से लीजिये....

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर) : ग्रुप के हिसाब से आये हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : और गम्भीरता से लेकर सारी फोर्स को यहां होना चाहिए ताकि वे सुनें। इसके सिवाय मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पहले की पुलिस और इसके बारे में सब ने ही कहा कि आज समस्याएं बढ़ गयी हैं, आज जनसंख्या बढ़ गयी है, आज अपराधों के तरीके बदल गये हैं, आज गुण्डाइज्म पहले से कहीं ज्यादा हो गया है। यह सब होता है जनसंख्या के साथ, एजुकेशन के साथ, बेरोजगारी के साथ। यह बातें होती हैं लेकिन फिर भी आपके सुपरिण्टेंडेंट का यह कर्तव्य है कि सरप्राइज इंस्पेक्शन करें थानों का। वह तो थानों के अन्दर समय देकर इंस्पेक्शन करते हैं। समय देकर जाकर आप इंस्पेक्शन करोगे तो आपको सही बातें ही मालूम होंगी, नहीं तो सरप्राइज इंस्पेक्शन करो और जो थानेदार साहब टांग पर टांग चढ़ाये हुए और दारू

(श्री खेतसिंह राठौड़)

पी रहे हों, उस वक्त जाकर पकड़ों तो कोई छाप भी पड़े कि हां, आपने किया। वह तो आप कुछ करते नहीं, सरप्राइज इंस्पेक्शन होते नहीं आपके ।

इसी प्रकार से मैं यह भी कहता हूं कि आज कांस्टेबल और सुपरिण्टेंडेंट के बीच में बहुत फासला हो गया है और डी. जी. का तो सवाल ही नहीं, वहां पहुंचने का सवाल ही नहीं। मैंने पुराने आई.जी. को देखा है जो पुलिस लाइन में जाया करते थे। पुलिस कांस्टेबल्स के साथ बड़ा खाना होता था उस रोज बैठ कर खाना खाते थे, कांस्टेबल के साथ घंटों बैठ कर बातें करते थे और उनको यह कांफिडेंस होता था कि हम इस अधिकारी के पास जा सकते हैं, अपनी समस्या को रख सकते हैं। आज हालात यह है कि डी. जी. को कुछ मालूम ही नहीं है, अगर जाते भी हैं तो एस. पी. साहब और कुछ अफसर शामिल होकर उनको खाना दे देते हैं और बैण्ड बजाकर वापस चले आते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि मेहरबानी करके इस तौर-तरीके को बदलिये। कांस्टेबल और सुपरिण्टेंडेंट, सुपरिण्टेंडेंट और डी. जी. के बीच में अगर यह फासला बढ़ता गया तो अपने आप एडमिनिस्ट्रेशन धीरे-धीरे आपका खराब होता जाएगा और फलक भी हो जाएगा। इसलिए मेरी यह सलाह है और इसी प्रकार से पहले एक आर्दली रूम हुआ करता था- हरेक कांस्टेबल को कोई शिकायत होती है, बीमार हो जाता है, लेकिन वह तो ट्रैफिक का है, समय पर उसको तो जाना ही पड़ेगा और वहां पर जाकर खड़े होना ही पड़ेगा चाहे उसके पेट में कितना ही दर्द हो, इन लोगों के लिये वक्त देना चाहिए आपके एस. पी. को कि जाकर अपनी समस्या को, अपनी घरेलू समस्या, अपनी घरेलू बात कह सके और उस समस्या का समाधान कुछ हो सके। आज उनको मिलने का मौका ही नहीं मिलता, यह मैं आपसे निवेदन करूंगा। इसी तरह से उनको भोजन समय पर मिल रहा है या नहीं मिल रहा, भोजन बराबर है या नहीं है, उसका टस्ट करना चाहिए। एस. पी. कौन से बड़े हो गये कि जाकर उनका खाना नहीं खा सकते, उनके साथ बैठ नहीं सकते और अगर खाना नहीं खायेंगे, बैठेंगे नहीं तो थोड़े दिनों में उन एस.पी. साहब का मामला वहां गारद हो जायेगा और उनके कहने में फोर्स नहीं रहेगी। आज आपका कांस्टेबल पढ़ा-लिखा है, आज होशियार है और धीरे-धीरे जितने भी आ रहे हैं, सब पढ़े-लिखे लोग आ रहे हैं, वह यह आशा करते हैं कि आपका डी. आई. जी., आपका एस. पी. और आपका डीवाई. एस. पी. उनके साथ ह्यूमन बिहेवियर रखे, उनके साथ मिले, उनसे बातचीत करें, उनकी तकलीफों को दूर करें। अगर यह समस्या बढ़ती गयी तो निश्चित मानिये कि फोर्स के अन्दर डिमोरलाइजेशन अलग आयेगा

(श्री खेतसिंह राठोड़)

और फोर्स के अन्दर गड़बड़ होगी। यह भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

मैं आपसे इस मौके पर यह भी कहूंगा कि अपनी ट्रैफिक पुलिस कम है, इसको और बढ़ाइये। बड़े शहरों में बढ़ानी पड़ेगी। उनको आपने ड्रेस तो ठीक दी है, कुर्ता और पैंट ठीक है, लेकिन टोपी क्या पहनाई है। मैं बंगलोर गया था, वहां सफेद हेट दे रखी है। क्या खूबसूरत दिखते हैं खड़े हुए कांस्टेबल। आखिर में आपकी शान है। बाहर का आता है वह देखता है कि इस राज्य की पुलिस कैसी है, क्या है। अगर वही मैले कपड़े हों, उसकी पैंट में सलें पड़ी हुई हों, दाढ़ी बढ़ी हुई हो और टोपी पहने हुए खड़ा हो तो दिखेगा कि भूखा राज है, भूखी पुलिस है।

एक माननीय सदस्य : धोबी का अलाउंस पूरा नहीं है, साहब।

श्री खेतसिंह राठोड़ : इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि उनकी ड्रेस अप-टू-डेट होनी चाहिए, उनके तौर-तरीके अच्छे होने चाहिए, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए। कोई पूछे तो उसको अदब से वह कहें, उनको यह ट्रेनिंग ही नहीं। उनको कोई ट्रेनिंग नहीं है, आज तो लाइन में है, कल थाने में था, परसों जाकर ट्रैफिक में टिका दिया, यह कौन सा तरीका होता है। ट्रैफिक में जिस आदमी को भेजो उनमें मैनर्स होने चाहिए। कोई आदमी बाहर का पूछे कि रास्ता कौन सा है तो कहे कि आइये, इधर से आप चले जाइये। यह कुछ भी नहीं है। मुझे क्या मालूम। तो यह तरीका आपको सिखाना पड़ेगा, इससे राज्य की प्रशंसा होगी, आपकी प्रशंसा होगी। ऐसी आपको उनको शिक्षा देनी चाहिए, उनके लिये ट्रेनिंग सेंटर खोलने चाहिए। जिस किसी जोब में आप उनको लगाते हैं उस जोब के लिये उनको रखिये। ट्रैफिक में हैं उनको बर्षों तक ट्रैफिक में चलाइये। यह मत कीजिये कि थोड़े दिन ट्रैफिक में...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इस सबजेक्ट पर आपने किताब भी लिखी थी न ?

श्री खेतसिंह राठोड़ : क्या ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह मैनर्स वाले सब्जेक्ट पर आपने कोई किताब भी लिखी थी।

श्री खेतसिंह राठोड़ : मेरी तो कई किताबें लिखी हुई हैं, आपने तो एक पढ़ी है।

मैं इस बात की, चाहे हमारी पार्टी के कुछ माननीय सदस्य नाराज भी होंगे, लेकिन मैं इस बात की तारीफ किये बगैर

(श्री खेतसिंह राठौड़)

नहीं रह सकता कि आप राजेन्द्र मिर्धा को वापस ले आये, घर पहुंचा दिया और जो आपने काम किया वह वाकई बहुत ही तारीफ के काबिल है और सराहनीय है। कई लोग मुझे कहते हैं, कई लोग नाराज होते हैं इसलिए कि आप ख्वामख्वाह की तारीफ कर देते हो। यह ख्वामख्वाह की तारीफ नहीं है, यह हकीकत की तारीफ है, यह काम, बहुत अच्छा हुआ है। मैंने भी चालीस वर्ष निकाले हैं पालिटिक्स में, आम तौर पर डाकू जब किसी को ले जाते हैं या इस तरह के काण्ड होते हैं तो उसमें फिर वह आदमी को लौटाते नहीं हैं, उसको तो पहले मारते हैं, खुद बाद में मरते हैं। लेकिन इसमें आपने जो होशियारी की और कुछ उनकी तकदीर थी, कुछ भैरोंसिंह जी की तकदीर थी कि इससे वह सुरक्षित वापस घर लौट आये। मैं इस मौके पर आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह तो काम बढ़िया हुआ लेकिन लोग यह भी कहते हैं कि तीन साल तक यहां पर वे उग्रवादी बैठे रहे और आपको पता नहीं पड़ा और धीरे-धीरे इन्होंने यहां पर बंगले भी खरीद लिये, मोटरें भी खरीद लीं। इसका मतलब यह है कि मामला तो जम गया, बहुत बढ़िया हुआ लेकिन आपके यहां पोल तो जरूर थी ही थी। इसलिए इसको भी सुधारने का प्रयत्न कीजिये कि क्यों ऐसा हो रहा है, और सतर्कता बढ़ाइये। इसमें ट्रेनिंग की कहां आवश्यकता है, उन लोगों को पंजाब या कहीं और भेजकर ट्रेनिंग दिलवाइये कि किस प्रकार से इन उग्रवादियों का मुकाबला किया जाना चाहिए, वह भी आप कीजिये। नये शस्त्र भी खरीदिये, नये तौर-तरीके भी उनको सिखाइये। अपने यहां पर पहले कभी ऐसे काण्ड नहीं हुए लेकिन अब राजस्थान में होने शुरू हुए हैं। पंजाब की तरह अपने यहां अगर ऐसे शुरू हो गये तो बहुत भारी गड़बड़ हो जाएगी।

अभी शिवनाथ सिंहजी ने सही कहा कि यहां कि जनता ऐसी है कि अपन रियासतों से निकले हुए लोग हैं, पीढ़ियां गुजर गयीं, यहां शांति रखने में लोग ज्यादा विश्वास रखते हैं, यहां इतना गुण्डा-इज्म गांवों में नहीं है और इसी वजह से उतने केसेज नहीं होते जितने आज दूसरे पड़ोस के स्टेट्स में होते हैं और अगर उसका श्रेय आप ले रहे हैं, यह सही है आप लो, इसमें हमारी कोई मनाही नहीं है लेकिन इसमें ज्यादा कांट्रीब्यूशन जनता का है, आपका भी कांट्रीब्यूशन है, मैं यह नहीं कहता कि आपका नहीं है लेकिन ज्यादा कांस्ट्रीब्यूशन इसमें जनता का है। जनता यहां की शांति-प्रिय है इस वजह से यहां केसेज इतने भारी नहीं हैं और इतना दंगल नहीं होता। लेकिन अब जबकि पंजाब में बिलकुल ठेठ तक तार खिंच गये और पंजाब के अन्दर अब ये वारदातें कम होनी शुरू हो गयीं, उन लोगों के जाने के रास्ते वहां बिलकुल बंद हो गये तो उन लोगों की सतर्कता के लिये आपको पूरी चौकसी बॉर्डर पर रखनी पड़ेगी। अगर बोर्डर पर चौकसी नहीं

(श्री खेतसिंह राठौड़)

रखी गयी और यहां पर इस तरह की वारदातें शुरू हो गयीं तो फिर भारी गड़बड़ हो जाएगी, इस ओर भी आपको बहुत विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि इस ओर ध्यान दीजिये।

मैं इस समय यह भी आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज कांस्टेबल्स की भर्ती में बड़ी गड़बड़ है। आपने कोई बोर्ड तो बना रखा है लेकिन फिर भी इसमें पैसा उठता है और कांस्टेबल्स की भर्ती में बीस से पच्चीस हजार रुपये....

एक माननीय सदस्य : नहीं, साहब।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह मैं कहता हूं और आप मान लीजिये। खैर, इस फिगर को आप मत मानिये लेकिन गड़बड़ तो है ही, वह तो आप भी मानते हो और इस गड़बड़ को बंद करने के लिए कोई और नया तरीका ढूंढिये ताकि यह गड़बड़ न हो और कांस्टेबल्स की भर्ती ठीक तरह से हो। हर वक्त में हर राज्य के पांच वर्षों के अन्दर कांग्रेस ने दो बटालियन, तीन बटालियन नयी खड़ी की थी, आप भी नयी बटालियन खड़ी करिये, भारत सरकार से मिलिये। आपके यहां कांस्टेबल्स मिलते हैं, यहां बेरोजगार लोग बहुत हैं और शरीर से पुष्ट, लम्बे-चौड़े, अच्छे जवान आपको मिलेंगे।

और उन लोगों को बेरोजगारी भी कम होगी, बटालियन बनेंगी तो आपके यहां मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और अगरतला में कहीं भेज दोगे तो लोग जाने के लिये भी तैयार हैं। उनको एम्प्लायमेंट मिलेगा, आपकी बटालियन बनेगी और जब कभी जरूरत पड़ जाए आपके राज्य को तो वापस आप बुला लेना। इस बारे में भी भारत सरकार से मुख्य मंत्रीजी को कहिये कि बात-चीत करें। इनके आपस में भी काफी अच्छे सम्बन्ध हैं इसलिए यह काम अगर हो जाएगा तो इससे लोगों को एम्प्लायमेंट मिलेगा। यह भी मैं आपसे इस मौके पर निवेदन करना चाहता हूं।

आखिर में, मेरा आपसे यही निवेदन है कि इस एट्रोसिटीज एक्ट का दुरुपयोग भी बहुत हो रहा है और आजकल तो इसको लोगों ने व्यवसाय बना लिया। इसको आप समझ गये और मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है इसलिए इसकी ओर आप ध्यान दीजिये और अपनी फोर्स को यह कहिये कि अगर किसी भी इस तरह की मिलावट का मुकदमा असत्य बनाया तो उसी वक्त सस्पेंड कर दिया जाएगा तो थोड़ा सा उनमें डर बैठेगा और लोगों को शांति होगी। यही मुझे आपसे निवेदन करना था।

श्री सभापति : श्री गोपीराम जाट।

श्री रामनारायण मीणा : आसन ने व्यवस्था दे रखी है, मेरा नाम नहीं आया।

श्री सभापति : मैं आसन की व्यवस्था के अनुसार ही बोल रही हूं। बैठ जाइये।

श्री रामनारायण मीणा : नहीं, मेरा नाम है या नहीं है, मैं तो इतना सा जानना चाहता हूं।

श्री सभापति : मेरे सामने आसन की व्यवस्था है।

श्री गोपीराम जाट (आमेर) : सभापति महोदय, मांग संख्या-16 पर जो सदन में चर्चा हो रही है। समापति महोदय, राजस्थान पुलिस का इतिहास हमेशा से जो प्रशंसनीय रहा है और मेरे पूर्व में माननीय सदस्यों ने राजस्थान पुलिस के प्रशंसनीय कार्यों पर प्रकाश भी डाला है। राजस्थान पुलिस के प्रशंसनीय कार्यों के साथ-साथ राजस्थान पुलिस को और ज्यादा सुदृढ़ीकरण बनाने के लिये और जिस तरह से राजस्थान प्रान्त की भौगोलिक स्थिति है जहां पर हमारी सीमा दूसरे देशों से लगती हुई है, पंजाब और हरियाणा जैसे प्रान्तों से जो हमारी सीमा लगती हुई है, उस पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की दृष्टि से और हमारे प्रान्त में जो आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं उनको रोकने के लिए आधुनिकतम हथियार और अन्य उपकरणों के साथ में हमारे प्रदेश की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिये जो तीन सौ करोड़ रुपये की योजना बनायी है सरकार ने, मैं इसकी प्रशंसा करता हूं और यह निवेदन करता हूं कि राजस्थान की जनता को सुरक्षा प्रदान करने के लिये पुलिस को और तकनीकी दृष्टि से सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। आम जनता को अमन-चैन मिल सके इसके लिए पुलिस का व्यवहार जनता के लिए अच्छा हो, जन भावनाओं के अनुकूल हो, इसकी भी मैं आवश्यकता महसूस करता हूं।

मैं जयपुर जिला ग्रामीण से प्रतिनिधित्व करता हूं। जयपुर जिला ग्रामीण में जो पुलिस व्यवस्था है उसको और सुदृढ़ बनाने के लिये मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि 1984 में जयपुर जिले का पुनर्गठन हुआ था। उस वक्त जयपुर जिला ग्रामीण में एक एस. पी., एक एडिशनल एस. पी. और उस वक्त तीन डीवाई. एस. पी. थे लेकिन वर्तमान में 5 डीवाई. एस. पी. जयपुर जिले में कार्यरत हैं लेकिन जयपुर जिले का जितना बड़ा क्षेत्रफल है, आज जयपुर जिले में 280 किलोमीटर राष्ट्रीय राज-मार्ग गुजरता है। जयपुर जिला जयपुर नगर से यदि दिल्ली की ओर हम जाते हैं, राष्ट्रीय राजधानी की ओर, तो सवा सौ किलोमीटर का राष्ट्रीय राज मार्ग इस जयपुर जिले के अन्दर से गुजरता है। चारों नेशनल हाई-वे जयपुर जिला ग्रामीण के क्षेत्र से गुजरते हैं और इसकी पुलिस व्यवस्था को यदि हम देखते हैं, तो इसका और पुनर्गठन करने और थानों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। एक एस. पी. के साथ-साथ तीन एडिशनल एस. पी. की आवश्यकता आज हम महसूस करते हैं। जयपुर जिले का

(श्री गोपीराम जाट)

क्षेत्रफल टोंक जिले से कहीं ज्यादा है। टोंक जिले में 20 पुलिस स्टेशंस हैं, जयपुर ग्रामीण में भी 20 पुलिस स्टेशंस हैं। जयपुर ग्रामीण में 6,647 मुकदमे दर्ज हुए, इसके मुकाबले में अन्य थानों में 60 प्रतिशत भी मुकदमे दर्ज नहीं हुए लेकिन जयपुर जिले में थानों को और बढ़ाने की संख्या को हम देखते हैं कि वह नहीं के बराबर है। जैसी मुझे जानकारी मिली है कि जयपुर जिले में मात्र 5 नये थाने बनाने की योजना है जब कि यहां पर कम से कम 15 नये पुलिस स्टेशंस और बनने चाहिए। दिल्ली की तरफ यदि हम जाते हैं तो अचरोल महत्वपूर्ण स्थान है और कई बार नाकेबन्दी की दृष्टि से यदि हम देखें तो अचरोल में नया थाना होना आवश्यक है। इधर जोबनेर में जाते हैं तो कालवाड़ में नया थाना होना आवश्यक है। चौमूं से रेनवाल जाते हैं तो कालाडेरा में एक कालेज है और वहां भी नया थाना होना आवश्यक है। अमरसर में एक नया पुलिस स्टेशन खुलना चाहिए। इस तरह से, यदि पुलिस व्यवस्था को ठीक करने के लिए और गांवों के लोगों को राहत पहुंचाने की दृष्टि से जयपुर ग्रामीण में कम से कम 15 थानों की आवश्यकता है जब कि मुझे जहां तक जानकारी मिली है 5 थाने प्रस्तावित हैं।

अतः मेरा गृह मंत्रीजी से निवेदन है कि मुख्य-मुख्य जगह जहां कि अजमेर रोड के ऊपर बगरू से लेकर दूदू तक आज की तारीख में पुलिस चौकी भी नहीं है लेकिन यहां पर भी पुलिस थाना नया खोला जाना आवश्यक है। इसी के साथ साथ पुलिस चौकियों की संख्या भी बढ़ाने की आवश्यकता है और करीब 20 चौकी और जयपुर ग्रामीण में खोली जाएं इसके लिए मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करता हूं।

पुलिस बल की जिस तरह से हम संख्या बढ़ा रहे हैं वह पब्लिक की सुरक्षा के लिए बढ़ा रहे हैं लेकिन उसके साथ-साथ पुलिस का व्यवहार भी अच्छा हो, इसकी भी आवश्यकता है। जहां पर गांव का रहने वाला व्यक्ति पुलिस से इमदाद लेने के लिए, सुरक्षा लेने के लिए आता है और उसको बजाय सुरक्षा मिलने के उल्टा उसी को सजा भुगतनी पड़े। इसी तरह का एक उदाहरण जहां कि भू-माफिया प्रकरण जयपुर में चल रहा है। सोडाला थाने के अन्तर्गत सुल्तान नगर में ओम प्रकाश बाबूलाल के प्लाटों पर एक व्यक्ति ने कब्जा किया और वह सोडाला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने आया उसके बदले में उन्हीं को पकड़कर बैठा लिया गया। जब कि उसके प्लाटों को खाली कराने की कार्यवाही किसी तरह की नहीं की गयी। इसी तरह से पुलिस अखेपुरा पंचायत थाना विश्वकर्मा में जहां राजस्थान सरकार आज इस बात के लिए काफी जागरूक है कि भू-माफियाओं के ऊपर कंट्रोल किया जाना चाहिये। उसी तरह से विश्वकर्मा थाने के अन्तर्गत अखेपुर गांव में लक्ष्मीनारायण खोड़ा और जुगलकिशोर दोनों

(श्री गोपीराम जाट)

आदमी मिलकर के सरकारी भूमि पर, स्कूल भवन की भूमि पर और गैर-खातेदारी लोगों की जमीनें खरीदकर खातेदारी में परिवर्तित कराकर आज भी अपना कारोबार खुल्लम-खुल्ला कर रहे हैं। राजस्व कर्मचारी यदि उसकी आगे शिकायत करते हैं तो उनको भी धमका कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हैं। एक व्यक्ति को तो उन्होंने सस्पैण्ड भी करा दिया है। इस तरह की गतिविधियां पुलिस संरक्षण में भू-माफिया ग्रुप के रूप में करने वाले लोगों के ऊपर भी गृह मंत्रीजी कार्यवाही करें। इसके लिए मैं आपको निवेदन करता हूं।

इसी के साथ साथ, जयपुर जिले के अन्दर पुलिस सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से जो मैंने आपसे निवेदन किया है उसका आप अवश्य गौर फरमायें। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री विष्णु मोदी।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय सभापति महोदया, मांग संख्या-16 पर जो पुलिस की अनुदान की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं और जैसी हमारी राजस्थान की सरकार है और जैसे हमारे गृह मंत्रीजी हैं —

"तब्बसुम की दुनिया को कम कैसे कह दें,
आपके सितम को सितम कैसे कह दें।
यह तो सब जानते हैं कि बेवफा हैं आप,
मगर यह बताओ कि हम कैसे कह दें।"

माननीय सभापति महोदया, राजस्थान शांतिप्रिय प्रदेश रहा है। इसके लिये राजस्थान की जनता वास्तव में इस बात की हकदार है कि वह शांति व्यवस्था में विश्वास रखती है। साम्प्रदायिक दंगे तो इसलिए नहीं होते, क्योंकि साम्प्रदायिक दंगा कराने में तो भारतीय जनता पार्टी का विश्वास रहता है। चूंकि आप सत्ता में आ गये....

श्री कालीचरण सराफ : एक दंगा भी नहीं हुआ।

श्री विष्णु मोदी : वह तो होंगे भी नहीं, क्योंकि आप आ गये... (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : हमारे द्वारा दंगों का प्रश्न नहीं। आपके द्वारा कराये जाने वाले दंगों का सामना करते हैं।

श्री विष्णु मोदी : दंगे तो आप कराते हैं यह तो आप भी जानते हैं। लेकिन, सभापति महोदया हमारी कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है? उसके लिये रोज अखबारों में हमें पढ़ने को मिलता है। कुछ बातें, जो हेडिंग्स हैं, मैं खाली वही बोल रहा हूं... (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : आपको पता है कि आपके राज में दंगे कितने-कितने हुए?

श्री विष्णु मोदी : वह आप थे कराने वाले, इसलिए हुए। अब आप राज में आ गये इसलिये आप थोड़ी करायेंगे। यही

(श्री विष्णु मोदी)

तो कह रहा हूं मैं कि साम्प्रदायिक दंगे तो होने नही हैं ...

श्री रघुवीरसिंह कौशल (ऊर्जा मंत्री) : तो दंगे न हों, इसके लिये यह आवश्यक है कि राज हमारा रहे।

श्री विष्णु मोदी : माननीय सभापति महोदय, जयपुर में 3 लाख के जेवर लूटे। एम. आई. रोड पर जवाहरात के शो-रूम में लाखों की चोरी, धौलपुर में लूटपाट व राहजनी की घटनाओं में वृद्धि से लोगों में दहशत, पुलिस हिरासत में 8 मौतों के लिये राज्य पुलिस प्रशासन दोषी-एमनेस्टी इंटरनेशनल....

श्री कालीचरण सराफ : यह 5 साल पुराने अखबार पढ़ रहे हैं क्या ?

श्री विष्णु मोदी : शायद। पुलिस बैठी न रहती तो यह हत्याएं नहीं होती, व्यापारियों को बेहोश कर रुपये लूट ले गये, पुलिस की नाक के नीचे तीस हजार के जेवर उड़ाये, थाने से हथकड़ी समेत फरार, जयपुर के पुलिस प्रमुख शहर में बढ़ते अपराधों को लेकर चिंतित, बढ़ती चोरियों से जयपुर के बाशिंदों की नींद हराम, दो महीनों में 8 बच्चे लापता, भिवाड़ी में हरिजन महिलाओं को अर्ध-नग्न कर घुमाया, यह कुछ शीर्षक हैं, जो सब बता देते हैं कि आपकी कानून और व्यवस्था कैसी है।

श्री भंवरसिंह चौधरी : आप यह शीर्षक तो पढ़ते ही नहीं कि आज डकैत बल्देव लोधा पकड़ा गया। यह शीर्षक नहीं पढ़ते। जो हम काम करते हैं वह तो पढ़ते ही नहीं आप।

श्री विष्णु मोदी : मैं आऊंगा उस पर...

श्री भंवरसिंह चौधरी : कब आयेंगे आप ?

श्री विष्णु मोदी : अभी आ रहा हूं, आप चिन्ता क्यों करते हो ? सब्र करिये।

श्री कालीचरण सराफ : हरियाणा, पंजाब की भी कुछ कतरनें पढ़िये।

श्री विष्णु मोदी : माननीय सभापति महोदय, यह मैंने आपको शुरू में ही कहा क्योंकि मुझे मालूम था कि सत्ता पक्ष के पास में यह कहने के अलावा कि पंजाब में क्या है, हरियाणा में क्या है, बिहार में क्या है, उत्तर प्रदेश में क्या है। राजस्थान शांतिप्रिय प्रदेश था, है और आप चाहे कितना ही बिगाड़ने की कोशिश करें, वह रहेगा। अगर इस बात की जिम्मेदारी कि यहां अपराध कम होते हैं तो, आपकी व्यवस्था जिम्मेदार नहीं है। यहां के लोग जिम्मेदार हैं। जहां तक व्यवस्था का प्रश्न है, मैं इन आंकड़ों में नही जाना चाहता, अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि राष्ट्रपति शासन में ऐसा हुआ।

(श्री विष्णु मोदी)

1992 में 1,23,426 1993 में 1,21, 100 और 1994 में 1,33,019 तो राष्ट्रपति शासन की क्या स्थिति थी। आप जब पहले थे तो क्या स्थिति थी और अब क्या है, यह आपकी किताब में ही लिखा हुआ है। मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता।

माननीय सभापति महोदया, वास्तव में स्थिति क्या है। आज समाज में असमानता बढ़ रही है और सामाजिक असमानता बढ़ने पर आपराधिक प्रवृतियां बढ़ रही हैं। आज पुलिस का काम अनुसंधान या सी. आई. डी. के बजाय अगर परीक्षा करानी है तो पुलिस करायेगी, घर में बीवी और आदमी का झगड़ा है तो पुलिस सुलटायेगी, अगर आज धार्मिक यात्राएं निकल रही हैं तो पुलिस करायेगी, और आज वी. आई. पी. के दौरे हैं तो पुलिस करायेगी। तो आज जितने और काम रह गये हैं उनके लिये जो इतनी पुलिस है वह सिर्फ उस काम के लिये रह गयी है। क्राइम, अनुसंधान, ट्रेनिंग, व्यवस्थाएं, यह तो सब बैक-ग्राउण्ड में चले गये। उनका तो कोई वास्ता ही नहीं है। थाने में सिपाही नहीं हैं, उनके पास इक्विपमेंट नहीं हैं उनके पास साइंटिफिक-वे नहीं है, वह एप्रोच ही नहीं है।

माननीय सभापति महोदया, आज आवश्यकता इस बात की है कि समाज में असमानता बढ़ रही है, उससे क्राइम बढ़ रहा है और जो पुलिस का एटीट्यूड रहा है, ब्रिटिश राज में जो एटीट्यूड था वह का वह एटीट्यूड आज चला आ रहा है। अंग्रेजों के जमाने में पुलिस का काम यह था कि वह व्यवस्था बदलने वालों के ऊपर कानून सम्मत, चूंकि उनका काम था, उसकी पालना कराना और उसमें क्लेशेज होते थे। आज स्थिति यह हो गयी है कि कुछ कानून ऐसे बने हुए हैं, कई माननीय सदस्यों ने कहा, जैसे बाल विवाह है, सती-प्रथा है, दहेज है। कुछ इस तरह की बातें हैं जो कि एक सेक्शन आफ सोसायटी उस कानून में विश्वास ही नहीं रखती है। मृत्यु भोज है कई इस तरह की बातें हैं उसमें उनका विश्वास ही नहीं है। एक तरफ असमानता बढ़ रही है, एक तरफ सोसायटी के एक सेक्शन का, आपके कुछ ऐसे कानून हैं, उनमें विश्वास नहीं है। अभी कल ही की घटना है कि कच्ची बस्ती के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है तो उन्होंने यहां विधान सभा के सामने प्रदर्शन किया। पुलिस का काम था उनको अन्दर आने से रोकना। वे मुख्य मंत्रीजी को ज्ञापन देना चाहते थे।

श्री कालीचरण सराफ : पत्थर मार रहे थे, वे।

श्री विष्णु मोदी : वे आपके वोटर नहीं होंगे इसलिये पत्थर मार रहे थे! आप मेरी बात तो सुन लो। मैं कोई उनको जायज नहीं कह रहा हूं। आप पूरा सुनोगे तो समझ में आयेगा। वे मुख्य

(श्री विष्णु मोदी)

मंत्रीजी से मिलना चाहते थे। मुख्य मंत्री जी ने श्री भंवरलालजी की ड्यूटी लगा दी। वे भी विधान सभा में किसी काम में फंस गये। वे आना चाहते थे, पुलिस का काम था उनको रोकना। अपने नेता को, अपने प्रतिनिधि को अपनी बात कहने का उनका भी हक था, लेकिन जब वे आगे बढ़ने लगे तो फिर पुलिस का डण्डा चला। उनकी क्या स्थिति बनी, उसमें जो पत्थर फेंकने वाले थे तो क्या पुलिस का डण्डा उन्हीं पर चला? क्या जिन दो आदमियों ने पत्थर फेंके, उनके कारण जिन लोगों को पुलिस के डण्डे की चोट लगी क्या वह भी वाजिब थी? पुलिस के डण्डे की तो बात दूसरी है। एक बार, माननीय सभापति महोदया, आचार्य श्री कृपलानी जब वृद्धावस्था में थे। लोक सभा के अन्दर वे जा रहे थे तो झुक के धीरे-धीरे चल रहे थे। पीछे से एक अन्य जवान साथी थे उन्होंने कहा कि **Why don't you have a stick** तो श्री कृपलानीजी ने पलटकर कहा **Young-man I have a very short temperd** तात्पर्य यह था कि मैं डण्डा इसलिये नहीं रखता कि मैं शोर्ट टेम्पर्ड हूं। लेकिन जिसके हाथ में डण्डा हो और जो शोर्ट-टेम्पर्ड भी हो तब तो फिर बात दूसरी है। भगवान ही मालिक है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आज तो बड़ी ज्यादतियां हो रही हैं। माननीय सभापति महोदया, आज आवश्यकता इस बात की है कि आज साइन्स और टैक्नोलाजी का जमाना है। आज हमें आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी पुलिस को किसी न किसी तरह से नई टैक्निक अनुसंधान के अन्दर दें। किसी तरह से इक्विप करें और किस तरह से उनको मनोवैज्ञानिक एटीट्यूड और मोरेलिटी की बात भी सिखाएं। इन बातों की आवश्यकता है। आज खाली हथियार देने से, खाली गाड़ी देने से, कम्युनिकेशन देने से ही फायदा नहीं मिलेगा बल्कि टोटेलिटी के अन्दर सोसायटी को भी जागरूक करना होगा और पुलिस फोर्स को भी इस बात के लिए जागरूक करना होगा। नयी-नयी टैक्निक्स अपनानी होंगी और उनको इक्विप भी करना होगा।

माननीय सभापति महोदया, जयपुर शहर इतना बढ़ गया, और मैं वास्तव में, राजेन्द्र मिर्धा का जो अपहरण हुआ उसमें पुलिस की प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने अच्छा काम किया और यह प्रशंसा की बात भी है लेकिन इसके साथ-साथ जो बातें आयी हैं, उनके ऊपर भी मैं समझता हूं कि सरकार निश्चित रूप से ध्यान दे रही होगी।

(18.00)

लेकिन आज आवश्यकता इस बात की है कि हम पुलिस को इक्विप करें, ट्रेनिंग दें क्योंकि मैंने सुना है कि एक कांस्टेबल की तो शायद बन्दूक ही नहीं चली थी

(श्री विष्णु मोदी)

जब वह उस टेररिस्ट पर फायर कर रहा था उस समय उसकी कुछ स्प्रिंग अटक गयी और वह फायर नहीं हो पाया। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम किस तरह से ट्रेनिंग दें, किस तरह से उनको इक्विप करें और उसके साथ जो दूरी रह गयी है, क्योंकि आज जनता यह समझती है कि पुलिस जो कर रही है वह गलत कर रही है और पुलिस यह समझती है कि जो यह लोग कर रहे हैं वह गलत कर रहे हैं, उनकी दूरी किस तरह से कम हो, इसकी भी आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदया, आवश्यकता इस बात की है कि जयपुर जैसे राजधानी क्षेत्र में पुलिस कमिश्नरी की अत्यन्त आवश्यकता है और पुलिस कमिश्नरी के अलावा और कोई चारा आपके पास बचा नहीं है। इसके साथ ही, अब आपने जो डी. आई. जी. रेंज बना रखी है, उसमें भी गुजरात ने कर दिया, मध्य प्रदेश ने कर दिया, आप इनको, आई. जी. रेंज के आफिर्स को कम से कम, जो डी. आई. जी. रेंज आपकी है, उनमें आई. जी लगाने की आवश्यकता है। आज इनटोटेलिटी 350 करोड़ की योजना है कि पुलिस का आधुनिकीकरण करेंगे लेकिन आधुनिकीकरण भी साइंटिफिक-वे से हो और इनटोटेलिटी हो कि हमें किस ग्रेड के आफिसर किस रेंज तक रखने हैं। जैसा माननीय श्री खेतसिंहजी कह रहे थे कि आपस में जो दूरी बड़े आफिसर्स की और फोर्स की हो गयी है, वह भी कम हो। सभापति महोदया, आज हाउसिंग की सबसे बड़ी परेशानी है, अगर आदमी की मानसिकता ठीक नहीं होगी, अगर उसको दस घंटे, आठ घंटे, बारह घंटे की ड्यूटी के बाद भी....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कन्क्लूड करें।

श्री विष्णु मोदी : मैं इसको दो मिनट में कर रहा हूं। अगर उसको रहने के लिये ठीक व्यवस्था नहीं होगी, खाने की ठीक व्यवस्था नहीं होगी तो मैं नहीं समझता हूं कि उनकी मानसिकता, एग्रेसिवनैस और शार्ट टेम्परडनैस नहीं बढ़ेगी और आवश्यकता इस बात की है कि इस तरह की बातें कम हों और उसके साथ में बहुत छोटी इरिटेशन, क्योंकि पुलिस एक ऐसा महकमा है कि वहां उनकी कोई यूनियन तो है नहीं। आप सुनते नहीं हैं। वर्दी, आज राजस्थान में मेरे ख्याल से सबसे घटिया वर्दी है। राजस्थान में किट जो आप देते हैं, वह टाइम पर आज तक कभी आपने नहीं दी। पुलिस कांस्टेबल का जो वेतनमान है, वह कब से चला आ रहा है। आपका प्रमोशन का फार्मूला, आपके पास यह कहीं नहीं है कि जो अच्छे पुलिस कर्मी हैं उनका आपके पास अलग से रिकार्ड हो, उनको इस बात का इन्सेंटिव हो कि वह अच्छा काम कर रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सारी बात आ चुकी है, आप कन्क्लूड करें।

श्री विष्णु मोदी : माननीय सभापति महोदया, उनको ड्यूटी पर जाना पड़ता है, रोडवेज में हर जगह, हर स्टेट में, स्टेट ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन उनको जाने का पास होता है लेकिन आपके यहां ड्यूटी पर ले जाने के लिये साधन नहीं हैं, आप उनको दे नहीं सकते और उनके साथ में रोडवेज का पास भी नहीं देते। तो यह कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं समझता हूं कि उनकी सुविधाओं का भी अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो उनकी जो परफोर्मेंष है, उसमें क्वालिटेटिव चेंज नहीं आएगा। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रामप्रताप कासनियां।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय सभापति महोदया, मुझे जाना है।

श्री सभापति : आप बिराजिये। मैं आसन की व्यवस्था के अनुसार बोल रही हूं। बिराजिये, आपका नम्बर जरूर आएगा।

श्री अमराराम चौधरी : थोड़ा जल्दी मुझे घर जाना है इसलिये। घर जाना है, मेहमान आये हुए हैं इसलिये।

श्री सभापति : ध्यान रखेंगे।

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा) : माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कोई सुझाव या पर्टिकुलर बात कहनी है तो अच्छा रहेगा, सबको थोड़ा समय मिल जायेगा।

श्री रामप्रताप कासनियां : सुझाव ही हैं जी। मेरे विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में पिछले 20-25 वर्षों से जिस क्षेत्र के हिसाब से पुलिस थाना, पीलीबंगा बना था उसकी वर्तमान जनसंख्या काफी बढ गयी और उसके अन्दर एक पुलिस चौकी गोंदूवाला मण्डी में कायम की गयी थी। तो मैं यह चाहूंगा कि जनसंख्या को देखते हुए पुलिस थाना, पीलीबंगा को क्रमोन्नत किया जाये और पुलिस चौकी गोंदूवाला को पुलिस थाना बनाया जाए।

इसके अलावा, एक बात और कहना चाहूंगा कि पीलीबंगा पुलिस थाने का डीवाई एस. पी. है, वह पहले सूरतगढ़ लगता था। पीलीबंगा से सूरतगढ़ 25 किलोमीटर है और अब हनुमानगढ़ जिला बनने के बाद हमारा डीवाई. एस. पी. जो है, वह संगरिया बैठते हैं। संगरिया और पीलीबंगा के बीच दूरी 60 किलोमीटर है तो नया जिला बनने से सुविधा मिलनी चाहिये थी, उल्टी हमारे वहां के लोगों को परेशानी हुई है। तो मैं माननीय गृह मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि डीवाई. एस. पी. सर्कल जो है, वह पीलीबगा में ही होना चाहिये और जिसमें

(श्री रामप्रताप कासनियां)

एक स्थान तो गोंदूवाला हो जायेगा और एक पीलीबंगा और रावतसर भी नजदीक है, 30 किलोमीटर की दूरी पर है जबकि वर्तमान में रावतसर, नोहर डीवाई. एस. पी. सर्कल के नीचे है, नोहर वहां से 45 किलोमीटर दूर है''' (व्यवधान)'''' 70 तो नहीं, 50 किलोमीटर दूर है। तो मेरा यह निवेदन है कि पीलीबंगा के अन्दर डीवाई. एस. पी. सर्कल होना अति-आवश्यक है।

इसके अलावा, आजकल पुलिस पर हर व्यक्ति बरसता है कि थानों में मौत हो गयी। पुलिस ने अमुक आदमी के साथ मारपीट की। मेरा इसमें एक सुझाव है उदाहरण के तौर पर कि किसी व्यक्ति ने अगर चोरी कर ली, पुलिस को बरामदगी करनी है तो मारपीट तो उसके साथ करे नहीं और पुलिस के पास ऐसा कोई जादू नहीं, ऐसा कोई यंत्र नहीं, जिससे चोरी बरामद कर ले। चोर के आगे हाथ जोड़ कर यह कहे, मेरे बाप, चोरी का सामान दे दे, तो वह नहीं देने वाला है। कत्ल के मुलजिम के आगे हाथ जोड़कर निवेदन कर कहे, तुमने जो हथियार कत्ल के टाइम यूज किया था वह दे दे, तो हाथ जोड़ने से वह नहीं देगा। या तो कोई आधुनिक यंत्र पुलिस को उपलब्ध करवाया जाए और या फिर इस तरह के आरोप लगाना सही बात नहीं है।

एक तरफ तो हम मांग करते हैं कि हमारा माल बरामद क्यों नहीं हुआ, दूसरी तरफ कहते हैं कि कत्ल का मुलजिम है, इससे असली हथियार बरामद नहीं किये तो हाथ जोड़ने से काम नहीं चलने वाला है। मुलजिम के साथ तो सख्ताई करनी पड़ेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैंने कई बार यह बात सुनी कि अमुक थाने में, हवालात में मौत हो गयी। स्वाभाविक है हम रास्ते में चलते जा रहे हैं, रास्ते में हार्ट-अटैक हो सकता है तो यह कोई पाबन्दी नहीं है, किसी व्यक्ति का हवालात में भी हार्ट अटैक हो सकता है। उसकी जिम्मेदारी पुलिस पर थोप दी जाती है। इसके अलावा पुलिस के खिलाफ भ्रष्टाचार के भी आरोप लगते हैं। भ्रष्टाचार, मेरा कहने का मतलब है सारे के सारे कोई पुलिस अधिकारी भ्रष्ट हों, ऐसी बात नहीं है। एक बात मैंने जरूर देखी है कि जो व्यक्ति भ्रष्ट नहीं होता है वह पब्लिक की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि उसको या तो पोस्टिंग मिलेगी पुलिस लाइन में या कोई दफ्तर में और हम लोग भी उसकी मदद नहीं करते हैं, इसका एक कारण है कि उस व्यक्ति को हाजरी देने की भी आदत नहीं होती है और चुनावों के टाइम भी वह हमारी कोई सेवा नहीं कर सकता इसलिये वह लोग पब्लिक की सेवा करने से वंचित रहते हैं। कांग्रेस के टाइम में तो कोई ऐसी पद्धति ही नहीं रही है कि

(श्री रामप्रताप कासनियां)

किसी ईमानदार आदमी को प्रोत्साहित किया जाए। अभी मैंने पिछले तीन-चार साल के कार्यकाल में यह बात जरूर देखी है कि राजनैतिक लोगों का पुलिस में इंटरफियरेंस कम हुआ है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसके लिए मैं गृह मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा। हम तो इस बात से नाराज हैं, क्योंकि हमारी पावली पुलिस में नहीं चलती इसके लिये तो धन्यवाद देना चाहूंगा। राजनैतिक इंटरफियरेंस कम होने से बहुत ज्यादा पब्लिक को फायदा हुआ है।

इसके अलावा, एक बात और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले कई वर्षों से यह पुलिस में भी एक चलन हो गया है कि किसी व्यक्ति ने 10 व्यक्तियों के खिलाफ 302 का केस दर्ज करवा दिया और मारने वालों में हैं 5 व्यक्ति, तो पुलिस की मनोवृत्ति 10-15 प्रतिशत केसों में मैंने यह देखी है कि जितने व्यक्तियों के खिलाफएफ. आई. आर. दर्ज है उनके खिलाफ गवाह हैं, तो एफ. आई. आर. के आधार पर चालान ठोक देते हैं। अब 302 में फांसी तक की सजा है। मैं यह चाहूंगा कि पुलिस को भी दृढ़ता के साथ यह करना चाहिए कि जो सही है वह सही है और जो गलत है वह गलत है, चाहे 302 हो या कोई दूसरा केस हो। जो असलियत में मुलजिम नहीं हैं उनका चालान नहीं होना चाहिये।

इसके अलावा आजकल एस. सी., एस. टी. पर, सभापति महोदया, गांव के अन्दर एक यह परम्परा--सी हो गयी कि गरीब हरिजनों को लोग अपनी रंजिश निकालने के लिए उनके माध्यम से पुलिस में झूठे केस दर्ज करवा देते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और असलियत में सवर्ण जाति के लोग आपसी रंजिश निकालने के लिए उन लोगों को ब्लैक-मेल करते हैं और, सभापति महोदया, फिर मेरे जैसे नेता भाषण ठोकने लगते हैं कि हरिजनों के साथ अत्याचार, हरिजनों के साथ अत्याचार। तो उसमें जांच कुनिन्दा कोई अधिकारी डीवाई. एस. पी. हो, एस. पी. हो उसके दिमाग में भी असर पड़े बिना नहीं रह सकता। फिर वह सोचते हैं हम क्यों लफड़े में पड़ें, चालान ठोको। यह कितना बड़ा अन्याय है।

माननीय सभापति महोदया, इसके अलावा पिछले दो-तीन वर्ष में पुलिस में सुधार जरूर हुआ है, परन्तु अभी तक और सुधार करने की आवश्यकता है। मोटे रूप में मैं तो एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो मारपीट वाली बात है यह मेरे समझ में नहीं आती। जब तक पुलिस को अपने कोई आधुनिक यंत्र उपलब्ध नहीं करवाते तब तक चोरी, कत्ल, डकैती के

(श्री रामप्रताप कासनियां)

(18.12)

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

मामले निपट नहीं सकते; बरामदगी नहीं कर सकते। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं मेरी बात समाप्त करता हूं। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री राधेश्यामजी। भरत सिंहजी।

श्री राधेश्याम : आपने मेरा नाम पकारा था, अध्यक्ष महोदय।... (व्यवधान)

श्री भरतसिंह (खानपुर) : अध्यक्ष महोदय, हिन्दी के कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका मतलब तो बिलकुल विपरीत होता है मगर उनका प्रयोग साथ-साथ किया जाता है। चोर और पुलिस, दोनों नाम साथ चलते हैं। चोर से मतलब होता है जो गलत काम करता है और पुलिस है उससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए। बच्चे गांव में चोर-पुलिस खेलते हैं। खेल यह होता है कि जो चोर होता है वह पक्ष भाग कर छुपता है और जो बच्चा पुलिस बनता है वह पक्ष चोर को जाकर ढूंढता है। यह खेल उस समय बिगड़ जाता है कि अगर छुपने वाला व्यक्ति चौड़े-धाड़े बैठ जाए और पकड़ने वाला उसको पकड़े नहीं। जब पकड़ने वाला चोर को नहीं पकड़े तो खेल का पूरा स्वरूप ही बिगड़ जाता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर पुलिस की आलोचना करने के लिए नहीं आया हूं, क्योंकि पुलिस में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी निष्ठा से पुलिस विभाग चल रहा है। आधा गिलास स्वच्छ पानी में आप आधा गिलास गंदा पानी मिला देंगे तो पूरा पानी पीने योग्य नहीं होता है। इसलिए आलोचना की दृष्टि से लोग आलोचना करने लग जाते हैं और अगर हमें इस कटघरे में बैठा दिया और जनता से हमारी आलोचना करायें, जनप्रतिनिधियों की तो इतनी गालियां पड़ेंगी जितनी पुलिस या किसी विभाग के कर्मचारियों को या अधिकारियों को नहीं पड़ेगी। जो आंकड़े आपने दिये हैं, चोर शब्द जिससे चलता है उसको पकड़ने के लिए, चोरी और नकबजनी के जो आंकड़े आपने दिये हैं उन्हीं से मैं मेरी बात शुरू करता हूं, उसी पर मैंने कटौती प्रस्ताव में बात रखी है और उससे आगे मैं अपनी बात कहूंगा भी नहीं।

हमारे यहां प्रदेश में पिछले साल जो नकबजनी के केस दर्ज हुए उनकी संख्या है 8327 और जो चोरी के अपराध पंजीकृत हैं उनकी संख्या है 1517, इस प्रकार 23884 प्रकरण जांच के बाद सही पाने पर दर्ज हुए और जो दर्ज मुकदमे हैं उनमें से 30 प्रतिशत मुकदमे ही इस प्रकार के होते हैं जिनमें चोर का पता लगा कर अदालत में चालान पेश हो। अब कोई सदस्य कहेंगे कि यह व्यवस्था पहले भी थी, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। कांग्रेस का शासन हो या इसके बाद किस का शासन आये या पहले किस का था, मगर यह विषय चिन्ताजक है।

(श्री भरतसिंह)

राजस्थान में कुल दर्ज प्रकरण में से करीब 16,000 इस प्रकार के लोग हैं जिनके घर चोरी हुई या नकबजनी हुई और पुलिस चालान पेश करने में या चोर को पकड़ने में कामयाब नहीं हुई। गृह मंत्रीजी, अगर आपके 10 मंत्रियों के चोरी हो गयी, इस प्रतिशत से केवल 3 मंत्रियों के चोर को अदालत में पुलिस चालान कर पायी। तो जब गांवों में यह घटना दर्ज होती है, मैं आपको गांव की बात बताता हूं, जब थाने में जाकर मुकदमा दर्ज कराते हैं तो बहुत लम्बी-चौड़ी बात नहीं होती। चोरी को तलाश करने के लिए पुलिस कार्यवाही में आती है और कार्यवाही में आने के बाद जब मालूम पड़ जाए कि अमुक व्यक्ति चोर है उससे वहीं मिल-जुलकर उस प्रकरण को, कि साहब, इसके यहां माल नहीं पड़ा है, इस प्रकार की घटना में वृद्धि होती जाती है और 30 प्रतिशत मामलों में जहां चालान पेश किये जाएं, 70 प्रतिशत मामले में जहां चालान नहीं हों, यह अपने आप में एक विचारणीय बात है। इस पर आप ध्यान देंगे और उन आफिसर्स को इसमें रिकवरी के पर्सेंटेज को बढ़ायेंगे।

दूसरी बात, मैंने कटौती प्रस्ताव में ध्यान दिलायी है वह है गम्भीर अपराध, बलात्कार जैसे अपराध में भारी संख्या में जो मुकदमे दर्ज होते हैं उनमें से 25 प्रतिशत मुकदमे इस प्रकार के हैं जो झूठे मुकदमे हैं। एक गम्भीर अपराध और एक ऐसा घृणित अपराध जिस पर समाज को कठोरता से कार्यवाही करनी चाहिये मगर उस अपराध में अगर कोई झूठा मुकदमा दर्ज कराता है तो जिस पर मुकदमा दर्ज होता है उसकी तो क्या दशा होती है थाने में और कितना उसका शोषण होता है और जो झूठे मुकदमे दर्ज कराते हैं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही, आपकी पुलिस की व्यवस्था के अन्दर जो प्रोविजंस हैं उसमें आप नहीं करते।

मैं उस संभाग की बात करता हूं जहां पर कुछ लोग खेती से सम्बन्धित मामलों में चोरी करते हैं और वह लोग चोरी करते हैं जो जातियां पीढ़ियों से ऐसा करती हैं, मैं जाति का नाम नहीं लूंगा, मगर उनका पेशा चोरी करना हो गया। गांव के लोगों ने चोर को पकड़ लिया तो महिला उसके पहले ही थाने में जाकर बलात्कार के केस दर्ज करा देती है। पुलिस ने कभी असलियत जानने का प्रयास नहीं किया और बहुत से निर्दोष लोग थाने में बंद रहे हैं और इस प्रकार की घटना में वृद्धि होती गयी और 25 प्रतिशत यदि इस प्रकार की घटनाएं हों तो मैं समझता हूं कि यह उसका बहुत बड़ा प्रतिशत है। जो लोग इस प्रकार के झूठे मुकदमे दर्ज कराने के आदी हो गये, गृह मंत्री जी, आप कोटा संभाग में एक जाति विशेष के डी. आई. जी. साहब से मालूम करवा लें, और वह लोग जो इस प्रकार के झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाने के आदी हैं यदि

(श्री भरत सिंह)

उनके द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवायी जाए तो उसकी गम्भीरता से जांच कराने के बाद ही, और अगर रिपोर्ट झूठी पायी जाए तो उसके खिलाफ पुलिस अवश्य आवश्यक कार्यवाही करे। इन दो बातों की तरफ मैं ध्यान दिलाऊंगा।

मैंने कटौती प्रस्ताव में उल्लेख किया है कि सांगोद जहां पर वर्तमान में थाना है और सी. ओ. रामगंजमंडी के अन्दर वह आता है, 200 गांव की तहसील है। रामगंजमण्डी से सांगोद का फासला 75 किलोमीटर है और 2 नदियां बीच में आती हैं और बरसात के अन्दर वह जिला मुख्यालय से और तहसील मुख्यालय से कट जाता है। सांगोद से लगी हुई खानपुर तहसील है. उसमें भी 200 गांव हैं और उसका भी उप खण्ड मुख्यालय इकलेरा से और झालावाड़ से सड़क सम्पर्क कट जाता है।

आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आपके इकलेरा में जेल तोड़कर के चोर भागे और जब आपके उच्च अधिकारी जयपुर से इकलेरा जाना चाहते थे तो वह झालावाड़ा से सीधे इकलेरा नहीं जा सके, वह मध्य-प्रदेश के रास्ते से होकर 350 किलोमीटर तय कर के इकलेरा पहुंचे। इस प्रकार जो आपका डीवाई. एस. पी. है उसको कुछ प्रकरण में कानून के तहत यह प्रावधान है कि डीवाइ. एस. पी. धारा तीन के मुकदमे की जांच करेगा, तो डीवाई. एस. पी. 350 किलोमीटर चल कर आएगा ? 400 गांवों का संभाग है, 150 किलोमीटर लम्बा एरिया जहां पर अफीम की खेती होती है, अफीम से जुड़े हुए अपराध लोग करने के आदी हो गये, उनकी रोकथाम के लिए पुलिस के लिए यह आवश्यक है कि सांगोद में सी. ओ. आफिस हो और खानपुर में सी. ओ. आफिस हो। अगर आप इस सुझाव पर ध्यान देंगे तो मुझे विश्वास है कि उस क्षेत्र में हो रहे अपराध में कमी आएगी।

इसी के साथ, आपने मेरी बात सुनी और मुझे मौका दिया, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जुन दास जी मदान।

श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा) : आदरणीय अध्यक्ष जी, आज सदन एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहा है जिसके ऊपर काफी लोगों की निगाहें टिकी हैं। मैं इससे पहले अपनी बात और आगे बढ़ाऊं, मैं सबसे पहले तीन चीजों के ऊपर इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आखिर पुलिस है क्या, पुलिस का क्या कर्तव्य है, पुलिस का क्या धर्म है ?

अध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूं कि सामाजिक विवेक का नाम ही पुलिस है। एक व्यक्तिगत विवेक होता है। मनुष्य अपने जीवन में सोचता है क्या उचित है

(श्री अर्जुनदास मदान)

और क्या अनुचित है। कभी-कभी भावनाओं का प्रभंजन इतना वेग से उठता है कि आदमी सोचते-सोचते थक जाता है कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं। लेकिन कभी-कभी विवेक में और भावनाओं में टकराहट होती है। यदि भावनाओं में प्रबलता है तो भावनाएं उसके ऊपर अपनी विजय पा ले लेती हैं और यदि विवेक सबल है तो अच्छाई और बुराई का निर्णय करके आदमी को भला आचरण करने के लिये अग्रसर करता है।

इसी प्रकार, मैं यह मानता हूं कि सामाजिक विवेक भी कि देश का कानून क्या कहता है, समाज के नियम कैसे हैं, किस जीवन परिधि में मुझे अपनी जिन्दगी को बसर करना है। यह सामाजिक विवेक है और पुलिस भी यही करती है कि व्यक्तिगत जीवन में समाज का एक अनन्य प्राणी होने के कारण मुझको, आपको इस सदन में बैठे हुए संसार में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को चलते हुए, फिरते हुए, समाज की परिधि में रहते हुए क्या आचरण करना चाहिये, यह पुलिस देखती है।

इस पुलिस की परिभाषा के बाद मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आखिर पुलिस का कर्तव्य क्या है? माननीय, ऐसी मेरी मान्यता है, हो सकता है मैं गलत हूं या सदन के लोग मुझ से न सहमत हों, मेरा ऐसा चिन्तन है कि पुलिस का काम केवल एक धर्म के उपदेश देने वाले उस साधु की तरह है, जो समाज में आकर अपनी बात को कहता है। बड़े-बड़े ग्रन्थों से, जैसे मेघ चलते हैं, आपने देखा होगा, बरसते हैं। समुद्र से वह पानी लेता है। ऐसे एक विचारक, ऐसे एक साधु सद्ग्रंथों से समाज के उन लोगों से, जहां पर वह विचरता है वहां से पानी लेकर के उठता है और इस धरती के ऊपर बिखेरता है। ठीक इसी प्रकार एक आध्यात्मिक पुरुष भी जब समाज में आता है तो अपनी बात कहता है। वह यह बताता है कि क्या अच्छा है, समाज के लोगों को बताता है भले आदमी अगर तू यह कर्म करेगा तो उसे नरक मिलेगा। यदि कर्म करेगा तो तुझे स्वर्ग मिलेगा। कैसे तुझे वैष्णव मिलेगी, कैसे तुझे जन्नत मिलेगी। क्या तू दोजख में जाएगा? यह सारी की सारी बात समाज का वह आध्यात्मिक पुरुष बताता है, जो समाज में आकर अपनी बात कहता है। ठीक इसी प्रकार से, पुलिस का व्यक्ति भी अच्छाई और बुराई का चिन्तन करता है, मथन करता है और निर्णय लेने के बाद में समाज के प्रत्येक आदमी को यह कहता है कि भाई, तू यह मत कर, यह कर। यह समाज के लिये उचित है, यह तेरे लिये उचित है, यह अनुचित है। लेकिन दुर्भाग्य है कि वह आध्यात्मिक पुरुष, जो चलता है, उसकी बात को तो कोई सुने, न सुने परन्तु उसके पास कोई सत्ता नहीं होता लेकिन कानून की सत्ता पुलिस के

(श्री अर्जुनदास मदान)

हाथ में होती है। यदि कोई आदमी नहीं भी चलता, सद्गति पर नहीं चलता है, कुमार्ग पर चलता है तो सद्मार्ग पर चलाने की प्रेरणा देनी है या किसी और गलत रास्ते पर चलता है, उसको सही रास्ते पर लाना है तो पुलिस अपने डण्डे के जोर पर, कानून के जोर पर उसके ऊपर अपना प्रादुर्भाव करती है, उसके ऊपर अपना आधिपत्य जमा लेती है। यह पुलिस के कर्तव्य के बारे में, जो मुझे कहना था, मान्यवर, उसके लिये निवेदन कर रहा था।

तीसरा विषय आता है कि पुलिस का आखिर धर्म क्या है? पुलिस के धर्म के बारे में केवल मात्र इतना निवेदन करना चाहूंगा माननीय, भगवान ने गीता में कहा है कि "हे अर्जुन, जब-जब भी समाज में दुराचार, अनाचार, पापाचार, अत्याचार बढ़ते हैं और संसार के व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही उन्मुक्त न होकर बड़ी पीड़ा भरी जिन्दगी बसर करता है तो मैं अवतार लेता हूं और इस संसार के सारे पापाचार, अनाचार व दुराचार की समाप्ति के लिये कृत्य करता हू।" पुलिस भी, मान्यवर, ठीक इसी प्रकार से समाज के उन व्यक्तियों को जो पापाचार में उन्मुक्त हैं, समाज के उन व्यक्तियों को जो आज अत्याचार कर रहे हैं, उनके ऊपर अपना बन्धन बांधते हैं और उसका यह धर्म है कि वह सही आदमी को सही रास्ता बताये। अच्छे आदमी को अच्छा करे, जो अच्छा है, उसको प्रश्रय दे। जो बुरा है उसको सजा दे। जो आदमी सही रास्ते पर नहीं चल रहा है, उसको सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न करें और दुःखी लोग, आखिर पुलिस के पास जाता कौन है? मान्यवर, वह व्यक्ति जाता है जिसके मन में कुछ चुभन होती है, वह व्यक्ति जाता है जिसके मन में कुछ पीड़ा होती है, वह व्यक्ति जाता है जो समाज द्वारा सताया हुआ होता है और ऐसा पीड़ित आदमी, ऐसा दुःखी आदमी, ऐसा आदमी जो संसार की व्याधियां लेकर चलता हो और पुलिस के दरवाजे पर जाए और उस दरवाजे पर जाने के बाद अपना मस्तक उसके दस्तक पर झुकाये और कहे कि, मान्यवर, मेरी मदद करो और यदि उसको वहां किसी प्रकार का सही व्यवहार न मिले तो फिर आत्मा बड़ी दुःखी होती है।

अभी चर्चा हो रही थी कि साहब बहुत अपराध बढ़ रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा सदन के सदस्यों से, मान्यवर, यह अपराध कब नहीं बढ़े? क्या राजा हरिश्चन्द्र को सतयुग में समाज के लोगों ने तंग नहीं किया? क्या त्रेता में सीता का हरण नहीं किया रावण ने? क्या द्वापर में दुशासन और दुर्योधन ने मिलकर द्रोपदी को नग्न करने का प्रयास नहीं किया? तो यह तो, मान्यवर, कलयुग है और कलयुग में दुनिया जानती है और शास्त्र भी कहते हैं कि ज्यों-ज्यों कलयुग आएगा, संसार की वृत्ति, संसार के तौर-तरीके, समाज के काम करने का ढंग बिगड़ता

(श्री अर्जुनदास मदान)

चला जाएगा। यदि शास्त्र में दी हुई बातें सच्ची हैं तो हमें यह मानना पड़ेगा आखिर समाज में उच्छृंखलता बढ़ी है। समाज के सोचने के तौर-तरीके में एक नया झुकाव आया है, एक नया रुझान पैदा हुआ है और यदि उसके ऊपर कुछ अंकुश लगाना होगा, मान्यवर, तो हमको निश्चित रूप से पुलिस का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा पुलिस के उन अधिकारियों से भी कि समाज के जिस भी कोने में वे विराजमान हों, आपके पास वह व्यक्ति आता है जो दुःखी है, आपके पास वह व्यक्ति आता है जिसके मन में कुछ चुभन है, आपके पास वह व्यक्ति आता है जिसके मन में पीड़ा है। इसलिये पुलिस के उन अधिकारियों से मात्र याचना-प्रार्थना करता हूं कि ऐसे लोगों को आप मजबूर कर दें, विवश कर दें, बाध्य कर दें जो समाज में आज उत्पीड़न पैदा करते हैं, जो समाज को आज ऐसी दिशा की ओर अग्रसर कर रहे हैं, जो समाज में निश्चित रूप से हम यह कह सकते हैं कि सही स्थिति नहीं है।

मान्यवर, चर्चा चल रही थी। आज हमारे पुलिस के बजट के ऊपर भी मैं थोड़ा सा ध्यान आपकी ओर आकर्षित करना चाहूंगा। 1994-95 में इस बार जो बजट पेश हुआ उसमें 45 करोड़ की अभिवृद्धि की गयी और अब मैं यदि यह कहूं कि पुलिसकर्मियों के बारे में मेरा इतना जरूर निवेदन था कि 1993 में कुलमिलाकर 56,359 व्यक्ति थे, वह 1994 में 57,196 हो गये और 1995 में ये 59,166 हो गये। अर्थात् कुलमिलाकर 1994-95 की मैं तुलना करूं तो 1970 लोगों की अभिवृद्धि हुई। समाज में कितनी पापुलेशन बढ़ रही है? दुनिया जानती है कि आज सारे संसार में यदि कोई जनसंख्या की वृद्धि होती है, मान्यवर, तो सबसे पहले विश्व में पहले नम्बर का देश है बंगलादेश। दूसरे, संसार में कोई दूसरा देश है तो वह है मेरा भारत और भारत में यदि प्रान्तों में कहीं जनसंख्या की सबसे ज्यादा अभिवृद्धि हो रही है तो वह है मेरा राजस्थान। एक तरह से आबादी का यह बढ़ता हुआ बहुत बड़ा वेग, चाहे वह माइग्रेशन के कारण आ रहा हो, चाहे उत्पत्ति के कारण आ रहा है, उसके ऊपर मैं अभी चर्चा नहीं करूंगा। यदि मेरे मुख्य सचेतक महोदय ने मुझे बोलने का सौभाग्य दिया तो मैं निश्चित रूप से जब स्वास्थ्य के ऊपर परिचर्चा होगी तो इसके ऊपर ध्यान आकर्षित करने का थोड़ा बहुत प्रयास करूंगा।

मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि आपने 1970 आदमी बढ़ाये। संख्या की दृष्टि से देखें तो 2 प्रतिशत, अफसरों में यदि पुलिस के कुछ छोटे आदमियों को देख लें तो उनमें भी लगभग एक हजार लोगों की अभिवृद्धि हुई, 1100 मान लीजिएगा। 900 लोग वह बढ़े हैं जो पुलिस के सिपाही से लेकर ऊपर तक हैं। चाहे वह डी. जी. बढ़े हों, चाहे वह आई. जी. बढ़े हों, चाहे एस. पी.

(श्री अर्जुनदास मदान)

बढ़े हों। अब जब एक संख्या में जो आदमी आज चौराहे पर खड़ा होकर तलाशी लेता है। वह आदमी जो आज सवेरे से लेकर शाम तक काम करता है जिसके ऊपर आप कार्य की जिम्मेदारी निरन्तर बढ़ाते चले जा रहे हैं, यदि उसकी संख्या में बराबर तुलनात्मक दृष्टि से अभिवृद्धि नहीं करेंगे तो सही मायने में, अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था लम्बे समय तक चलने वाली नहीं है क्योंकि तांगे वाले को भी देखा होगा। ××× घोड़े को जोतता है। टक-टक करता हुआ घोड़ा आगे बढ़ता है और तांगे वाला उसको चाबुक भी मारता है, घोड़ा फिर आगे बढ़ता है, फिर उसको चाबुक मारता है फिर वह आगे बढ़ता है। लेकिन स्थिति एक बार ऐसी भी आ जाती है तांगे के बीच में कि जब वह ××× सवारी ढोकर वापस अपने घर पर आता है और तांगे का मालिक फिर यह कह दे घोड़े को कि फिर वापस जोत तू, वापस सवारियों को ढो तो ××× मजबूरी में क्या करता है। मान्यवर, मैंने तो देखा है मेरी आंखों से और वह घोड़ा चाहे कुछ कर सके या न कर सके लेकिन तांगे के ऊपर दुलत्ती तो मारता ही है क्योंकि वह थका हुआ होता है। वह यह कल्पना नहीं कर सकता कि जब मैं इतनी मेहनत करके, इतना परिश्रम करके आया हूं, मेरे चने खाने का, मेरे घास खाने का समय आ गया है और मालिक फिर कहता है, फिर जुत तू घोड़े (व्यवधान)

श्रीमती शशी दत्ता (राज्य मंत्री, विधि) : मिनिस्टर साहब रोज चने खाते हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : आपको बहुत दिये हैं।

श्री अर्जुनदास मदान : खैर, अच्छी बात है। ऐसा वह चने खाते हैं (व्यवधान) मैं यह निवेदन कर रहा था जब आदमी थक रहा हो, जब आदमी किसी परेशानी में हो और फिर आप उससे यह कह दें कि तू फिर काम कर तो वह थका हुआ आदमी निश्चित रूप से, ठीक है कई बार अनुशासन की परिधि में रहकर आदमी बोल नहीं सकता। लेकिन यह कल्पना मत कीजिए यदि कोई चीज मैं आपसे कह नहीं पा रहा हूं किसी कारण से, अनुशासन की परिधि में रहता हुआ या किसी और कारण से, आपके भय के कारण या किसी और कारण से उसके स्वास्थ्य के कारण तो मैं महसूस भी नहीं करता। महसूस तो हर व्यक्ति करता है, क्योंकि आदमी आम का झाड़ नहीं है कि आप उसको पत्थर मारो तो वह आपके लिये मीठे--मीठे आम गिराये कि ले भैया, तू तो चूस। हम सब इन्सान हैं, प्यार मिलता है तो प्यार बांटते हैं और समाज जब कड़वाहट

××× अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री अर्जुनदास मदान)

देता है तो व्यक्ति विशेष समाज में कड़वाहट भी बांटता है। इसलिये वह स्थिति नहीं आए छोटे से साधारण सिपाही के मन में, यह चिंतन करना होगा। यह चिंतन करना होगा बहुत बड़े अधिकारियों को, उन व्यक्ति विशेषों को जो समाज के बारे में और पुलिस के बारे में थोड़ा चिन्तन और मन्थन करते हैं।

इसके अतिरिक्त, मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा था कि आज आंकड़े भी इस बात को दर्शाते हैं निश्चित रूप से वेतन के ऊपर अब 89-90 प्रतिशत के लगभग खर्च होता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कई और मदों में न्यूनता आयी और इस कारण से इस मद में जो बढ़ोतरी हुयी थी उसमें कोई कमी नहीं हुई। यह सोचकर के बाकी 11 पर्सेंट के बीच में आप सारे ही खर्चे चलायें और 89-90 पर्सेंट आप केवल वेतनों में दे दें लेकिन फिर भी जो सरकार कर रही है या सरकार ने जो कुछ किया है उसके लिए निश्चित रूप से बधाई की पात्र है और मैं अपनी ओर से सरकार को, पुलिस के अधिकारियों को और विशेष कर माननीय गृह मंत्रीजी आपको भी मेरी ओर से साधुवाद देता हूं।

अब मैं निवेदन कर रहा था आपसे, अभी यह भी कहा गया कि मुकदमे दिन-प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं स्वीकार करता हूं कि 1993 में मुकदमों की संख्या 1 लाख 23 हजार 426 थी लेकिन वह घटकर के 1 लाख, 21 हजार, 100 हो गयी, अब 1995 में, मतलब मार्च तक की फिगर दे रहा हूं जो 1 लाख, 37 हजार, 19 हो गयी। संख्या निश्चित रूप से बढ़ी है। लेकिन यह बढ़ते हुए मुकदमों की संख्या का अनुमान हम यदि इस कारण से लगा लें कि समाज में अत्याचार बढ़ रहे हैं, समाज में बहुत ज्यादा अन्याय हो रहे हैं, इसका कारण है, केवल एक यह कारण भी नहीं है। क्योंकि हो सकता है पहले पुलिस का आदमी आने वाले व्यक्ति की एफ. आई. आर. ही दर्ज न करता हो। ऐसा कोई आदमी पुलिस के सामने जाने की सोचता हो और उसकी जाने की हिम्मत ही नहीं होती हो, अब वह विश्वास करता है कि पुलिस में पहले सुनवाई नहीं होती थी आज सुनवाई होती है इसलिए वो ज्यादा उसके दरवाजे पर जाता हो। बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती हुई भावनाएं, समाज की बढ़ती हुई उच्छृंखलता, इसके साथ निश्चित रूप से यह सारी संख्याएं भी बढ़ेंगी। जैसा मैंने सदन में पहले निवेदन किया कि यह तो हमको स्वीकार करके चलना पड़ेगा, यह सोचना पड़ेगा कि हम जिस चौराहे पर खड़े हैं उसमें अच्छा तरीका क्या हो सकता है।

इसके साथ-साथ तस्करों के बारे में देखिएगा, पिछली बार 1994 में जो तस्कर पकड़े, माल बरामद किया वह 62 करोड़ 18 लाख रुपये का था और 1995 में यह 150.75 यानि एक अरब, पचास करोड़,

(श्री अर्जुनदास मदान)

पिचहत्तर लाख का था। ढाई गुना के लगभग इसमें वृद्धि हो गयी।

जनजाति अत्याचार में भी यह 1989 में 3547 मुकदमे दर्ज हुए, जो 1995 में 3974 हो गये। जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का आज कई जगहों पर अच्छा उपयोग नहीं हो रहा है। जो भी बंधु इससे सम्बन्धित हों वे मेरी तरफ से इसे दोषारोपण नहीं माने लेकिन यह मेरी तरफ से उनसे प्रार्थना है कि इसको आर्थिक-विवेचन की दृष्टि से लें। इस समाज में काम करने वाला छोटा सा साधारण आदमी भी अपने अफसर के विरोध में यह कह देता है कि ठीक है साहब आप कर लो मैं धारा तीन में आपका मुकदमा करा दूंगा तो इसके ऊपर भी आज हमको विचार करना पड़ेगा।

अब मैं मेरे कुछ सुझाव हैं जिनके बारे में निवेदन करना चाहूंगा। मेरा निवेदन है कि आज सी. आई डी. में काम करने वाले लोग हैं उनको ऐसी जगह बैठा दिया जाता है मानो उनको कोई सजा दी जा रही हो। आदमी काम करता है उनको यह कह दिया जाता है कि सी. आई डी. में जाओ। सी. आई. डी. में कोई जाना भी नहीं चाहता। जबकि सी. आई. डी. का महकमा निश्चित रूप से इंटेलीजेंशिया का महकमा है। पता करने का काम है, अपने जनसम्पर्क से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, यह जानने का कि कौन आदमी क्या कर रहा है, उसकी गतिविधियां क्या हैं इसका पूरा आकलन किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात मैं यह मानता हूं कि आज उस व्यक्ति विशेष को भी सी. आई. डी. में भेजा जाता है उसको ही वो अपनी सजा समझता है। इसलिए मेरा यह निवेदन था कि सी. आई. डी. को सजा का एक कारण न बनाया जाए। बल्कि इसमें तो ऐसे व्यक्तियों को भेजा जाना चाहिए जिसको भगवान ने अच्छी बुद्धि दी हो, अच्छा विवेक दिया हो, समाज में उसकी प्रतिष्ठा हो, लोगों के साथ उसका मेल-मिलाप हो ताकि और अधिक लोगों से अपनी जानकारी प्राप्त कर सके और पुलिस को ज्यादा स्ट्रैंथन कर सके।

मान्यवर, सीमा पर जितने भी कार्यरत अधिकारी हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा, मेरे सुझाव है वह मानें या ना मानें लेकिन जो भी सीमा पर काम करने वाला सिपाही है वह अपने घर से दूर बैठा है। अपने बाल--बच्चों को छोड़कर के जा रहा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां सीमा की चौकसी करने वाला सिपाही है तो उसको हमें यह विश्वास देना पड़ेगा कि अगर आप हमारी रक्षा कर रहे हैं तो समाज आपके अधिकारों की रक्षा भी करेगा। आज पुलिस के अन्दर क्या यह उचित नहीं होगा कि आप उसके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करें? क्या यह उचित नहीं होगा कि उसकी बीवी अगर बीमार पड़ जाए, और वो चौकसी

(श्री अर्जुनदास मदान)

पर है तो उसके लिए कोई दवाई-दारू की व्यवस्था हो, क्या यह व्यवस्था नहीं हो सकती कि वह वहां बिलकुल रिमोट एरिया में रहता है तो उसको थोड़ा सा प्रलोभन दिया जाए, एल्यूरमेंट दिया जाए जिसके कारण से वह वहां पर रहने की जिज्ञासा करे। मेरी तो यह मान्यता है कि दो साल से ज्यादा किसी को वहां पर रखा भी शायद नहीं जाता होगा लेकिन अगर रखा जाता है, तो नहीं रखा जाना चाहिए क्योंकि उस आदमी की टाइज बढ़ जाती है। समाज में इस प्रकार के लोग उससे जान पहचान करने का कोई रास्ता ढूंढते हैं और पाप की सीमा और अधिक बढ़ती चली जाती है।

इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि बोर्डर पर रहने वाला आदमी कोई भी दो साल से ज्यादा नहीं लगाया जाए। जिस आदमी को भी लगाया जाता है, उसका वेरीफिकेशन हो, उसके चाल चलन का, तौर तरीके का क्योंकि आदमी की भावनाएं मानवीय है कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसको प्रलोभन न डिगा पाये। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको संसार की जितनी कुवृत्तियां हैं उसको घेरे में न डालें। सारे आदमी तो महात्मा बुद्ध नहीं होते हैं जो काम के तीक्ष्ण वार से अडिग रहें। सभी स्वामी दयानन्द भी नहीं होते हैं जो छल से किसी वेश्या के घर पहुंचा दिये जाने पर भी उसको मां का सम्बोधन देने लगें। सभी रामकृष्ण परमहंस भी नहीं होते जो किसी देवी के शरीर से स्पर्श हो जाने पर अपने मनोविकारों की संभावित हानि से अपनी साधना की रक्षा के लिए घोर प्रायश्चित करते हैं।

मान्यवर, संसार के सारे लोग ऐसे भी नहीं होते जिन्हें किसी संसार की सुंदरी के रूप में परमात्मा की सुघड़ रचना के दर्शन होते हों। हम सब इन्सान हैं कोई आदमी मन का कच्चा है, कोई आदमी लंगोट का कच्चा है, कोई आदमी पैसे का कच्चा है। ऐसा व्यक्ति प्रलोभित न हो, ऐसा व्यक्ति समाज की साख को बनाये रख सके इसके लिए बहुत जरूरी है पुलिस के अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि किसी व्यक्ति विशेष को वहां पर बोर्डर पर भेजा जाए तो दो साल से ज्यादा न रखा जाए और उसका वेरीफिकेशन होना जरूरी है।

तीसरा सुझाव है मेरा, अभी माननीय श्री सराफ साहब कह रहे थे कि यहां पर तीन एस. पी. रहेंगे। एक ट्रैफिक का रहेगा एक नोर्थ का रहेगा एक साउथ का रहेगा, केवल मात्र जयपुर के लिए। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि यदि तीन आदमियों के ऊपर आपने जिम्मेदारी डाली तो मान लीजिए कोई एक जुलूस चला आज राम बाग सर्किल से या रामनिवास गार्डन से अब चलते-चलते यहां उनको प्रदर्शन करना है, हो सकता है वह सीमा किसी और एस. पी. की बनती हो, यह सीमा किसी और एस. पी. की बनती हो तो इस कारण से मेरा निवेदन है कि

(श्री अर्जुनदास मदान)

जिम्मेदारी सिर्फ एक व्यक्ति पर डाली जानी चाहिये। मान्यवर, मेरी तो ऐसी परिकल्पना है कि यदि भगवान भी दो होते ना तो वो भी कभी ना कभी आपस में लड़ मरते। क्यों लड़ते, क्योंकि ईगो टकराती है आदमी की। हम सब इंसान हैं, कमियां किसमें नहीं होतीं। जो इंसान की मूलभूत कमियां हैं वह चाहे कोई एस. पी. हो चाहे, कोई मुख्य मंत्री हो, चाहे कोई एम. एल. ए. हो सबमें हैं। डिग्री डिफर कर सकती है। डिग्री का अन्तर हो सकता है इसलिए लड़ेंगे। वो कहेगा ठीक है यहां से तो जुलूस निकल जाए आगे वाला देखेगा, मेरी क्या जिम्मेदारी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि एक आदमी को, उसके ऊपर आप सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस लगा दीजिएगा जो उन दोनों तीनों के ऊपर अपना अधिकार रखे और उनके कार्यों का मानीटरिंग कर सके।

इसके अतिरिक्त आज आप यह भी कर रहे हैं कि जो बोर्डर है उससे 35 किलोमीटर की दूरी पर चौकियां हैं। मान्यवर, ऐसे लोगों को जो तस्करी करते हैं, ऐसे लोगों को जो बुरे धन्धे करते हैं यदि उनको पकड़ना है और जहां ऊंचे-ऊंचे टीले हों रेत के, वहां पर यदि आप 35 किलोमीटर की दूरी पर चौकियां बनाओगे तो वह चलने वाली बात नहीं है। इसलिए निवेदन करूंगा कि उसमें भी कोई न्यूनता लायी जा सके, जैसा किया भी है सरकार ने 303 करोड़ रुपया अभी इस बात के लिए दिया है। मैं विश्वास करता हूं कि निश्चित रूप से पुलिस के प्रशासन में अन्तर आएगा इसमें कोई दोराय नहीं है।

अब होम मिनिस्टर साहब, मैं आपका ध्यान कोटा की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा। कोटा शहर दो भागों में बंटा हुआ है। साठ वार्डों में से पैंतीस तो माननीय ललित किशोर जी चतुर्वेदी के हैं और पच्चीस वार्ड अर्जुनदास मदान के हैं और उसके साथ-साथ थोड़ा सा गांव का हिस्सा भी मेरा है। मैंने निवेदन किया था, आज मैंने बजट में भी देखा कि कोटा के लिए काफी कुछ करने की बात आपने बजट में कही है लेकिन मेरा विधान सभा क्षेत्र उससे भी अछूता है। मान्यवर, अपना तो अपना ही होता है इसलिए मैं क्यों नहीं रहूंगा। क्योंकि अपने और पराये में तो थोड़ा बहुत अन्तर होता ही है समाज में उसे आप समाप्त नहीं कर सकते मैं मेरी जायदाद मेरे × × × बेटे के नाम तो कर जाऊंगा पड़ोसी के समझदार बेटे को नहीं दे सकता। इसलिए अपने और पराये में अन्तर है। आप मेरी बात को सुन रहे हैं मैं बहुत धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसके ऊपर आप कुछ सोचेंगे और इसलिए समाज की जो फण्डामेंटल कमियां हैं मुझे भी अपना

× × × अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

224

(श्री अर्जुनदास मदान)

अच्छा लगता है। मैं भी सोचता हूं कि मेरे क्षेत्र की वृद्धि हो। आज मेरा कंथून का थाना है बीच बाजार में है और वह बहुत ही संवेदनशील इलाका है। साठ पर्सेंट मुसलमान बन्धु रहते हैं और चालीस पर्सेंट हिन्दुओं की बस्ती है और बीच चौराहे पर थाना है। किसी जमाने में स्टेट के टाइम पर बना था। अब तो आपको देखना पड़ेगा, वह राजा-महाराजाओं का टाइम गया और आज हमने कोई सुधार नहीं किया तो लोग आज भी सोचते हैं कि राजा-महाराजाओं का बेटा बहुत अच्छा था। इस पेटी के पेट से जन्म लेने वाला जनता का आदमी भी अच्छा साबित हो इसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि समाज की जो कुंठाएं हैं, विपत्तियां हैं, जो कष्ट हैं उनके ऊपर भी हम ध्यान दें। मुझे विश्वास है कि मैंने एक छोटी सी चौकी के लिये भी आपसे निवेदन किया था और ऐसा तो मैं नहीं सोचता कि आप मेरी बात को भूल जाएं लेकिन अगर भूल भी जाएं तो मैं तो इतना ही समझता हूं कि यदि अंगारे के ऊपर राख आ भी गयी है, मान्यवर, तो मैं उसको फूंक मारकर हटाऊंगा ताकि आप सतर्क रहें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।....

श्री अध्यक्ष : बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री राधेश्यामजी।

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस की मांग नम्बर 16 के कटौती प्रस्ताव पर अपने को सम्मिलित करते हुए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान पुलिस विभाग की अपराध शाखा के आधुनिकीकरण किये जाने की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। गंगानगर जिला बार्डर पर है, पाकिस्तान का बार्डर करीबन 4-5 किलोमीटर पर है, पंजाब का बार्डर बिलकुल सटता हुआ है, और हरियाणा का बार्डर है। पंजाब में पिछले वर्षों में जो गतिविधियां रही हैं और पाकिस्तान से भी जो शस्त्र सप्लाई होते रहे हैं। मैं भारत सरकार और राजस्थान सरकार का भी आभारी हूं, जैसा कि माननीय खेतसिंहजी ने कहा कि 600 करोड़ रुपया देकर जो तारबंदी करायी गयी उससे बहुत बड़ी जो समस्या थी उसका समाधान हुआ है। आज के युग में हमारे पास पुलिस के जो साधन हैं वह बहुत कम हैं, सीमित हैं, उनको हमें बढ़ाना चाहिये। जब तक पुलिस का विश्वास जनता में नहीं बनेगा क्योंकि रक्षा पुलिस द्वारा की जाती है। कोई भी व्यक्ति अपने आपको सुरक्षित न समझे तो उसका मतलब वह राज नहीं है। फिर यह कहा जाता है कि वह पोपा बाई का राज है। इसलिए इसको अगर अपना राज बनाना है तो मेरे को वह बात याद आती है। जब महाराजा गंगासिंहजी के जमाने में वहां चोरी नहीं होती थी, तो उसका कारण क्या था? उसका कारण यह था कि जो बड़े अधिकारी थे, एस. पी. लेवल के या डी. आई. जी. लेवल के, वह रात को भेष

225

(श्री राधेश्याम)

बदलकर गांवों में और शहरों में फिरा करते थे तो एक दफा एक महिला मिल गयी जिसने कम से कम सौ तोले सोना पहना हुआ था। उन्होंने उससे पूछा कि आपको डर नहीं लगता ? डर इसलिए नहीं लगता कि महाराजा गंगासिंह का राज है। तो मैं कहता हूं यह××× न हो, महाराजा गंगासिंह का राज वापस आये ऐसा करके आप दिखाओ तब तो आपको शाबासी मिले।

मेरी आपके माध्यम से मंत्रीजी से प्रार्थना है कि पुलिस का आधुनिकीकरण, क्योंकि आजकल के युग के अन्दर हमारे ऐसे जो कर्म करने वाले, डाके मारने वाले, चोरियां करने वाले, ऐसे-ऐसे तरीके उन्होंने सीख लिये हैं जिसके लिये हमें इस तरह के उपकरण, हथियार, वायरलैस सैट, बढ़िया से बढ़िया सामान, बढ़िया से बढ़िया हथियार हम अपनी पुलिस को मुहैय्या करायें जिससे आधुनिकीकरण हो सके और उनकी बहुत बढ़िया ट्रेनिंग हो। राजस्थान लेवल पर हो या सैंट्रल लेवल पर हो, ऐसी बढ़िया ट्रेनिंग हो क्योंकि बार्डर है, पाकिस्तान का बार्डर, पंजाब का बार्डर, हरियाणा का बार्डर है, इसलिए आपको थोड़ी चिन्ता ज्यादा होनी चाहिये। पहले हम देखा करते थे कि लोग टेलीफोन करते थे तो पांच मिनट में पुलिस पहुंच जाती थी। उसका कारण था कि जिप्सी आपने दे रखी थी। चौराहे के ऊपर जिप्सी खड़ी होती थी। कोई भी इस तरह की वारदात नहीं होती थी। कोई जुआ खेल रहा है, जेब काट रहा है, चोरी कर रहा है तो उसके मन में बड़ा भय होता था। आज न जाने वह जिप्सी अधिकारियों के काम आती हैं या गवर्नमेंट ने वापस ले ली। बड़े सुन्दर तरीके से वह व्यवस्था चल रही थी। अगर आपने वह व्यवस्था बंद की हो तो मैं आपसे निवेदन करूंगा पुनः क्योंकि वह बार्डर है इसलिए वह व्यवस्था चालू रखना अति आवश्यक है और उससे अपराध बहुत कम हुये थे। अब आये दिन डाके पड़ रहे हैं। दुनिया भर की चोरियां हो रही हैं। मैं आपको घटना बताऊंगा, मैं कोई कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले के अंदर पिछले दिनों में अनेकों चोरियां हुई हैं। डी-ब्लाक के डाक्टर मनमोहन मित्तल, जिनके यहां कम से कम डेढ़ दो लाख की चोरी भरे शहर के अन्दर दिन दहाड़े हुई और आज तक उसका कोई पता नहीं लगा। इसी तरह जवाहर नगर में हीरानन्दजी के यहां डेढ़ लाख की चोरी हुई, उसका कोई पता नहीं लगा और फ्रैंड्स सिनेमा के पास दस दिन से रेगुलर चोरी हो रही है। रोज ही पुलिस को कहा जाता है फ्रैंड्स सिनेमा के पास और चोर क्या

××× अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री राधेश्याम)

ले जाते हैं ? केवल बरतन, घर का आटा, इस तरह के कोई अजीब किस्म के चोर हैं, वह इस तरह के कार्य करते हैं। तो मेरी आपके माध्यम से मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि यह चोरियां बहुत बढ़ रही हैं, डकैतियां बढ़ रही हैं। इसके ऊपर बिलकुल अंकुश नहीं है। आपको ध्यान होगा। पिछले साल एक सोनी परिवार की महिला जी-ब्लाक में किचन के अन्दर खाना बना रही थीं और कोई आया और उसको छुरा मारकर, खून में लथपथ कर दिया। पांच मिनट बाद वह मर गयी और उसका आज तक पता नहीं लगा। करीबन 70-80 तोले सोना, पता नहीं एक व्यक्ति था, दो थे, पांच थे, वह लेकर भाग गये। इससे पहले 3-4 साल पूर्व कमल वॉच कम्पनी के मालिक मिस्टर ओमप्रकाश को दिन दहाड़े सरे बाजार पब्लिक पार्क के अन्दर, जिसको गंगानगर की अनारकली कहते हैं, उसके अन्दर उसकी हत्या कर दी गयी और लाखों रुपयों का माल लूटकर ले गये। आज तक उसका पता नहीं चला।

मेरी आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह प्रार्थना है कि आप ऐसे केसेज को सी. बी. आई. में दीजिये ताकि लोगों में विश्वास पैदा हो। आप लोगों को बताइये कि महाराजा गंगासिंह का राज दुबारा आ रहा है। आप कुछ करेंगे तो लोगों में विश्वास होगा। कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी की गवर्नमेंट हो, अगर घर में भी बच्चों को अपने मां बाप का डर नहीं होता तो वह घर कभी आबाद नहीं रहता। वह बिखर जाता है। आपको बहुत बड़ा प्रदेश चलाना है। मैं आपको बधाई भी दूंगा, अभी एक हफ्ता पूर्व मैं आपसे मिला था और उस समय निवेदन किया था कि पुलिस वहां के एक अच्छे नागरिक के साथ बड़ी भारी ज्यादती करने जा रही है। तीन साल पहले कोई चोर चोरी कर गया था और वह कहीं पकड़ा गया। वह यह कह रहा है कि मैंने अमुक व्यक्ति को माल बेचा है। वह व्यक्ति इस मामले में बहुत दूर है। बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति है। मैंने कहा, कोई पार्टीबाजी का मामला न हो, मेरे पास सारे टेलीफोन आये हैं। मैं आपका आभारी हूं कि आपने फौरन टेलीफोन लगाया और हॉट लाइन पर यह बात कही कि जो कार्य सही है वह तो करो, ज्यादती किसी के साथ नहीं होनी चाहिये। फिर आपने डी. जी. साहब को कहा। मैं डी. जी. साहब के पास गया। वह बहुत बड़ी घटना जो 5-6 लाख रुपये किसी से ठगी मारने वाली थी, वह इस कारण से टल गयी। इसके लिये मैं आपका आभारी हूं कि पुलिस के अन्दर इस तरह की घटनाएं होती हैं।

अभी बड़ी तारीफ हो रही थी। कई कार्यों में पुलिस बहुत अच्छा सराहनीय कार्य भी करती है। क्योंकि गंगानगर जिले की पुलिस ने बहुत सराहनीय कार्य किये हैं। कई दफा किये हैं जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए, कम है। लेकिन ऐसे जो दूसरे लेवल के लोग हैं उनकी बात कहे बिना

(श्री राधेश्याम)

भी नहीं रहा जाएगा। एक कोई कांस्टेबल सी. आर. पी. के सजय वाटिका के अन्दर बलात्कार करते हुए, शाम को एक पड़ोसी कुत्ते को घुमाने के लिये ले गया, उसने देखा कि पार्क के अन्दर इस तरह की घटना हो रही है। चारों तरफ मकान हैं। तो उसने उसको जब ललकारा या टोका तो उसने सीधे उसके सिर के अन्दर मारी और वह प्रकाश गिरी नाम का लड़का वहीं गिर गया। गिरने से बेहोश हो गया और उसने तीन चार और मार दी। ऐसा लगा कि वह दो, चार मिनट में मर जाएगा।

वह सी आर. पी. का सिपाही वहां से फरार हो गया और पुरानी आबादी थाने में जाकर बैठ गया। पहले भी उसके ऊपर अनेक केस हैं पर उस व्यक्ति ने अपने ऊपर एक केस नहीं होने दिया। मैंने टेली-फोन किया, फिर मैं वहां गया तब उन्होंने एफ. आई. आर. दर्ज की। उसके बाद भी उसको पकड़ा नहीं। फिर हम 200-300 आदमी इकट्ठे होकर एस. पी. साहब से जाकर मिले। एस. पी. साहब ने तुरन्त कार्यवाही करके उन सबको बुलाया और फिर भी 307 के केस के बजाय उसी वक्त 323 का बना दिया उसकी जमानत हो गयी। वह वहां से रेफर हुआ जयपुर। उसका सिटी स्केन कराया जाय क्योंकि 15 दिन से वह बेहोश था। उसके सिर में बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी तो यहां उसमें यह आया कि यह तो खतम हो जाता। उसके ऊपर अब 307 का सर्टिफिकेट उनको दिया गया है। पर अभी तक भी कार्यवाही नहीं हुई है। मैं आपकी जानकारी के लिये कह रहा हूं कि इस तरह की घटनाएं, बाड़ ही अगर खेत को खाने लग जाए, एक सी. आर. पी. का सिपाही इस तरह की घटना करे और उसको पुलिस बचाना चाहे, थाना लेवल की पुलिस उसको बचाना चाहे। यह बहुत गंभीर मामला है। इससे लोगों का पुलिस पर से विश्वास उठ जाता है।

इसलिए मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप ऐसे कार्यों के अन्दर रूचि लेकर, आपको मालूम होगा गंगानगर जिले में एक जैतसर जगह है। जैतसर के अन्दर एक ऐसी घटना हुई जिसका हिन्दुस्तान के सारे अखबारों ने और मेरे ख्याल में कई टीमें गयीं महिलाओं की, कई सांसद गये आपकी तरफ से भी, सैंटर से और कांग्रेस की तरफ से भी, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि आपको या चीफ मिनिस्टर को वहां पधारना चाहिये था। वास्तविक क्या घटना थी, मैं निवेदन करूं, एक मन्दिर के, अन्दर दीपक जल रहा था वहां पर किसी एक महिला के लड़के ने चोरी करने का प्रयास किया और दीपक की, अखण्ड ज्योति थी वह बुझ गयी और पब्लिक इकट्ठी हो गयी। पब्लिक में बड़ा रोष हुआ, क्योंकि धार्मिक भावना होती है कि यह दीपक कैसे बुझ गया। हाहाकार मचा, इसकी चर्चा हुई,

(श्री राधेश्याम)

लोग इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर उस महिला के घर गये ।....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, संक्षिप्त करें ।

श्री राधेश्याम : उस महिला के बारे में कुछ ऐसा बताया गया कि उसका चाल-चलन अच्छा नहीं था । चाहे उसका चाल-चलन अच्छा नहीं हो उसको खोते पर बैठाकर उसका मुंह काला करके, हजारों आदमियों ने पीटा और पीट-पीट कर मार दिया और वह वहीं खतम हो गयी । इस तरह की घटना जो हिन्दुस्तान भर के पेपरों में छपी, आप वहां आते और....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, संक्षिप्त करें ।

श्री राधेश्याम : थानेदार साहब वहां मौजूद थे, सब इंस्पेक्टर....

श्री देवीसिंह भाटी (सिंचाई मंत्री) : मैं भी वहां जाकर आया हूं ।

श्री राधेश्याम : धन्यवाद, फिर तो आपको इस सारी बात का मालूम ही होगा कि मैं गलत नहीं कह रहा हूं । सब-इंस्पेक्टर मौजूद था, अगर सब-इंस्पेक्टर मौके पर थोड़ा कुछ प्रयास करता या वह एस. पी. को, डीवाई. एस. पी. को या किसी एडिशनल एस पी. को फोन करता तो फौरन फोर्स आती, वहां के उच्च अधिकारी इस मामले में बहुत ही सराहनीय काम करते....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें ।

श्री राधेश्याम : मैं आपसे निवेदन करूंगा, मेरे से पूर्व भी कई वक्ताओं ने यह बात कही है कि पुलिस की तरफ आपका ध्यान थोड़ा और अधिक होना चाहिये । उनकी ड्यूटी बड़ी सख्त है । उनसे आपको आठ घण्टे ड्यूटी लेनी चाहिये, उनको सुविधाएं देनी चाहिये और उनकी तनख्वाह के अन्दर वृद्धि करनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बिराजें ।

श्री राधेश्याम : मैं दो मिनट में ही खतम कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : दो मिनट तो बहुत होते हैं ।

श्री राधेश्याम : एक सैकण्ड में ही कर रहा हूं । मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जब तक उनका घर का खर्चा पूरा नहीं होगा हम उनकी तरफ देखते रहेंगे और वे लोगों की जेब की तरफ देखते रहेंगे, क्योंकि बड़े अधिकारी तो अपनी बात कह देते हैं लेकिन नीचे वाले गड़बड़ी करते हैं । आप रिपोर्ट मंगवाते हैं और वहां से गलत आ जाय तो स्टेटमेंट आप गलत ही देंगे लेकिन कल को आपको वहां नीचा देखना पड़ेगा गलत स्टेटमेंट आ जाय तो ।

(श्री राधेश्याम)

मेरा, अध्यक्षजी, आपके माध्यम से निवेदन है कि इस तरह की जो प्रवृत्ति चल रही है, बहुत सारी चोरियां, डकैती, चाकू के और कत्ल के केसेज आये दिन होते हैं, उनको रोकने के लिए पुलिस का मुस्तैदी से आधुनिकीकरण करें, जो जिप्सियां पहले आपकी चल रही थीं उनको पुनः चलायें और वहां जो पोस्ट आपकी खाली पड़ी हैं, एस.पी. की बहुत अरसे से, कृपया उस पोस्ट को भरें। वह खाली क्यों पड़ी है ? डी. आई. जी. का आफिस भी गंगानगर में होना चाहिये, क्योंकि सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से क्राइम भी गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में होते हैं। आपने मुझे समय दिया मैं आपका आभारी हूं। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : माननीय अमरारामजी।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय अध्यक्षजी, मैं सर्व प्रथम तो माननीय मुख्य मन्त्रीजी को, गृह मंत्रीजी को, और हमारे डी. जी. को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे एम. पी. साहब के सुपुत्र श्री राजेन्द्र मिर्धा, जो बीमार रहते हैं उनका अपहरण हुआ तब एक-एक मिनट हमने बड़ी मुश्किल से निकाला जब तक वे बरामद नहीं हुए। हमारे क्षेत्र की सारी जनता सोच में पड़ी हुई थी कि मिर्धाजी का क्या होगा लेकिन श्री रामनिवासजी मिर्धा ने पुलिस पर भरोसा रखा और वह विचलित नहीं हुए। उनको देश सबसे पहले प्यारा था। इसलिए मैं हमारे मुख्य मंत्रीजी और पुलिस की प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता। **Appreciation is a diet.** ठीक उसी प्रकार से पुलिस ने, जो हम पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं, हमें यह अनुभव भी है कि समाज में अपराध क्यों बढ़ते हैं, पुलिस क्यों बदनाम है, पुलिस में करप्शन क्यों है, उस भ्रष्टाचार को कैसे कम किया जा सकता है, इन सारी बातों को हमें मद्देनजर रखना पड़ेगा। खास बात यह है कि करप्शन और अपराध क्यों बढ़ते हैं ? हमारे चोट लगती है 323 की, उसमें समाज के व्यक्ति और पुलिस, दोनों दोषी हैं। हम कोशिश करते हैं कि 325 लगे। हम एक्स-रे करवाते हैं तो कोशिश करते हैं पैसा देकर असत्य एक्स-रे करवाते हैं डाक्टरों से मिल लेते हैं। हमारी तरफ से भी यह होना चाहिये कि हम जो अपराध करते हैं, वास्तव में जो घटना घटित होती है वही दर्ज करवायें। सारे समाज के लोग ऐसे नहीं हैं, सारे पुलिस वाले भी ऐसे नहीं हैं, हाथों की अंगुलियां भी बराबर नहीं हैं, सब, बेईमान भी नहीं हैं और सब ईमानदार भी नहीं हैं। हम लोग क्या करते हैं कि सिम्पल बलन्ट होता है, कोशिश करते हैं कि नहीं ग्रिवियस बलन्ट होना चाहिये। हमारा यह मकसद रहता है कि हथकड़ी कैसे पड़े। अगर मामूली वास्तविक घटना घटी है और कोई कैजुअल फाइटिंग हो गयी, हम सब जगह पुलिस को गुमराह करते हैं और पुलिस में भी कुछ ऐसे लोग हैं कि वे कुछ बढ़ा-चढ़ा कर मुकदमा

(श्री अमराराम चौधरी)

दर्ज करते हैं, वास्तविक चीज दर्ज नहीं करते।

आई. पी. सी. में भी कुछ डिफेक्ट्स हैं। अब हमारे तीन जगह से हड्डी टूट गयी 325 होगा लेकिन हम अरेस्ट नहीं करेंगे लेकिन यदि हमारी घड़ी छीन ली, हमारी और कोई चीज छीन ली जाती है तो 392 हो जायेगा और हथकड़ी लग जायेगी। कोई भी 325 का मामला होता है या कुछ भी होता है, तो उसके साथ में ऐड करते हैं कि उसके हथकड़ी कैसे लगे। इस बारे में हमारी जनता को और हमारी पुलिस को कुछ ईमानदार रहना पड़ेगा और यदि हम वास्तविक चीज को दर्ज नहीं करवाएंगे तब तक हमारे अपराध बढ़ते ही जाएंगे। इन असत्य अपराधों के कारण फिर क्या होता है कि हम थानेदार के पास पीछे के दरवाजे से जाते हैं और वहां जो कुछ होता है उस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता। अब आप देखिये बहुत से लोग, जब शासन बदलता है सी. आई. डी. से थाने में और थाने से सी. आई. डी. में, मैं देखता हूं उन थानेदारों को जो थाने से सी. आई. डी. में जाते हैं तो उनका कड़क कर चलना भी बन्द हो जाता है। यह क्यों हो रहा है? हमारी ऐसी मानसिकता बन गयी है। हम क्यों नहीं इस प्रकार की व्यवस्था करें जिससे हमारी पुलिस ईमानदार हो और उस पर इस प्रकार का धब्बा नहीं लगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है कि जब मेरे को आठवीं से लेकर ग्यारहवीं कक्षा तक हमारे एक इंगलिश के सीनियर टीचर पढ़ाते थे। वह डी. जी. से रिटायर हुए थे गुजरात से। माउण्ट-आबू के रहने वाले भील थे श्री नारायणलालजी कालमा। जब सुरेन्द्र नगर में वे एस. पी. थे 1974 में, मैं उनसे मिलने के लिए गया। मैंने कहा, Sir, you are S. P., आपका लिविंग आफ स्टेंडर्ड इतना साधारण कैसे? भाभीजी बड़ी सिम्पल, बच्चे भी सिम्पल हैं। उन्होंने कहा मिस्टर अमरा राम एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जिस झोंपड़ी से मैं यहां तक आ गया हूं, ईश्वर ने मुझे इस पद पर भेजा है इससे ज्यादा मैं और क्या धनवान हो सकता हूं। मेरे आफिसर, मेरे थानेदार, मेरे डीवाई. एस. पी., मेरे ए. एस. पी. यदि मेरा अनुसरण करें तो समाज के अन्दर इस प्रकार की करप्शन की और पुलिस बदनाम की बातें नहीं आएंगी। आज भी श्री कालमाजी का नाम अमर है। क्यों नहीं भूलते श्रीमती किरण बेदी को? आज यहां का डी. जी. यहां है, कल वहां भेज दिया और शाम को ही जेल का डी. जी. बना दिया तो निराशा आ जाती है।

(19.00)

श्रीमती किरण बेदी ने जेल में भी रहकर उन कैदियों का सुधार करके बहुत बड़ा इनाम पा लिया। मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा, हमारी सैंट्रल जेल में भी उनको धार्मिक

(श्री अमराराम चौधरी)

शिक्षा दी जा रही है, उनको भजन सिखाये जा रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, इस प्रकार की आवश्यकता है। आज हमें एक बात याद रखनी पड़ेगी कि हमारा जो एंटी करप्शन विभाग है उसको सेपरेट करना पड़ेगा। मैं डीवाई. एस. पी. हूं, आज तो सिविल पुलिस में, फिर एंटी करप्शन में जाता हूं, मैं डीवाई. एस. पी. दूसरे को पकड़ूंगा, थाने को पकड़ूंगा जो मेरे नीचे रहे, कभी नहीं पकड़ सकता।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : श्री अमराराम जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि पुलिस पर चर्चा होने के बजाय सत्संग हो रहा है।

श्री अमराराम चौधरी : सत्संग करना पड़ेगा। श्री तिवाड़ीजी, पुलिस हमारे समाज का अंग है, एक शांति की व्यवस्था है वह अलग नहीं हो सकती। हमारे ही बच्चे वहां हैं इसलिए हमें पुलिस में ऐसा निर्माण करना पड़ेगा, नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाना होगा। मैं एक निवेदन और कर रहा हूं, एंटी करप्शन विभाग को सेपरेट करना पड़ेगा। दूसरी बात आती है कि हमारे सिपाही करप्ट हैं, उनकी तनख्वाह बहुत कम है, उनकी तनख्वाह बढाइये। मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि उनका करप्शन कैसे कम हो सकता है? जब से आप पुलिस में भर्ती करें, आज मान लीजिये 24 हजार रुपये उनको एक साल में देते हैं। उनको 12 हजार रुपये दीजिये। हजार रुपये प्रति महीने उसके दो हजार में से फिक्स डिपोजिट कराइये, हमारी असेट्स बढ़ेगी, वह हमारे विकास के कामों में भी आएगी और वह 10 लाख रुपये जब वह सिपाही रिटायर होगा तब उसको एफ. डी. के मिलेंगे। हमारा करप्शन कभी कम नहीं होगा, उसकी मजबूरियां हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय दो मिनट में समाप्त करें।

श्री अमराराम चौधरी : हमारे अधिकारी लोग, हमारे सेठ-साहूकार जो इस प्रकार की शादियां रचाते हैं। आलीशान शामियाना लगाते हैं, हमारा सिपाही जो देखता है, उसकी हाजरी में रहता है, क्या उसकी इच्छा नहीं होती कि मेरी बेटी की भी इस प्रकार से शादी हो? मैं भी इस प्रकार का भोजन कराऊं? वह कब करायेगा, जब शुरू में उसका जो पैसा है वह फिक्स डिपोजिट में हो, उसकी एफ. डी. बढ़ेगी, उसके सामाजिक काम में वह पैसा काम आयेगा। ऐसा हमें करना पड़ेगा वरना पुलिस में करप्शन का इस प्रकार का नारा लगा रहे हैं वह कम नहीं हो सकता।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं मेरे क्षेत्र बालोतरा में, जब दस हजार की पापुलेशन थी तब पुलिस थाना बना था। आज 60 हजार की पापुलेशन हो गयी इसलिए उसको अपग्रेड किया जाए। मेरे दो-तीन गांव ऐसे हैं, आसोतरा, गीदुनोत

(श्री अमराराम चौधरी)

जो सिवाना थाने से लगते हैं, जो मेरी तहसील के हैं उनका कोर्ट बालोतरा, थाना सिवाना, उनको बालोतरा थाने में मिलाया जाए ताकि लोगों को आने-जाने में ज्यादा खर्चा नहीं हो। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : आपको भी धन्यवाद। श्रीमती मीनाजी।

श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) : आदरणीय अध्यक्षजी, मैं सबसे पहले माननीय मुख्य मंत्रीजी और गृह मंत्रीजी को धन्यवाद देती हूं कि मिर्धा साहब को पुलिस ने सही सलामत घर पहुंचाया। हमारे हिन्दुस्तान में जन्म से लड़की की सुरक्षा करने लगते हैं। बचपन में माता-पिता, भाई-बहिन, शादी के बाद पति, बुढ़ापे में बच्चे-बच्चियां, इसके अलावा समाज से पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा पुलिस ही करती है।

अध्यक्षजी, अलवर जिले में अपराधों की संख्या द्रुत गति से बढ़ रही है। उस अनुपात में शायद ही किसी दूसरे जिले में बढ़ रही हो। अलवर देहली और हरियाणा के नजदीक बसे होने के कारण अपराध करने वाले, जो अपराध करने में माहिर हैं, रात-दिन चोरियां हो रही हैं। एकरात में 10-10 ताले टूट जाते हैं, किसी भी चोरी का आज तक सुराग नहीं लग पा रहा है। मंदिरों की कीमती मूर्तियां भी चोरी की जा चुकी हैं।

परन्तु जो बात मुझे सबसे ज्यादा चिंतित कर रही है वह है महिलाओं के साथ आये दिन बाल विवाह, दहेज अपराध, बलात्कार के बाद उनकी हत्याएं हो रही हैं। कुछ मामलों में महिलाओं को बलात्कार के बाद इतना जला दिया गया है कि उनकी पहचान ही समाप्त हो गयी।

अवलर जिले में उद्योगों के बढ़ने के कारण अपराधों में स्वाभाविक बढ़ोतरी हो रही है। इसके लिए एक ओर तो जहां पुलिस बल अक्षम और अकर्मण्य है दूसरी ओर जितने थाने और पुलिस बल में बढ़ोतरी होनी चाहिये वह नहीं हुई। महिला थानों की इतनी बड़ी आवश्यकता है कि किसी गरीब महिला के साथ अन्याय होगा तो वह पुलिस थाने में जाती है, पुरुष अधिकारियों को वह अपनी व्यथा ठीक तरीके से बता नहीं सकती है इसलिए थाने में वह असुरक्षा महसूस करती है। जिस प्रकार के अपराध हो रहे हैं, उन्हें देखते हुए सी. आई. डी. को भी अधिक सख्त करने की आवश्यकता है। साधारण जांच की प्रक्रिया के अन्तर्गत अपराध की सही जानकारी आवश्यक होती है। अलवर में अतिक्रमण बढ़ रहे हैं, पुलिस उन्हें हटाने में सक्रिय सहयोग नहीं दे रही है। यातायात की व्यवस्था पूरी तरह गड़बड़ा रही है। दुर्घटना की वजह से डैथ तक हो जाती है, यातायात पुलिस की कमी है जिसे बढ़ाना जरूरी है।

अध्यक्षजी, मुख्य मंत्रीजी ने इस साल

(श्रीमती मीना अग्रवाल)

काफी बजट रखा है, वह स्वागत योग्य है। पिछली बार भी गृह मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि महिला पुलिस मुजरिमों के साथ कहीं जाना पड़ेगा तो उनके साथ दो महिला पुलिस जाएंगी। पर अभी तक एक ही महिला पुलिस जाती है, उनको काफी परेशानी भी होती है। अध्यक्षजी, महिला पुलिस के साथ जो परेशानी है, उसकी ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। जैसे, थाने में रहने की सुविधा नहीं है, महिलाओं के लिए शौचालयों की उचित व्यवस्था नहीं है, अलवर पुलिस लाइन में उनके बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है। ड्यूटी पर एक साथ दो महिला पुलिस लगायी जाए। उन्हें पूरी ड्रेस नहीं मिलती। मैं मंत्रीजी से यह भी निवेदन करूंगी कि जो सीनियर महिला कांस्टेबल है उनको अन्य डिपार्टमेंटों की तरह प्रमोशंस दिये जाएं। महिला कोर्ट में केस नहीं कर सकती, क्योंकि महिला की तरफ से कोर्ट में कोई केस नहीं लड़ता, मेहनत व समय व पैसा नहीं लगाता, इसलिए मैं आपके जरिये फिर निवेदन करूंगी कि अलवर में महिला थाना खोला जाय। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : नरेन्द्रजी बुडानिया।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (सरदारशहर) : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग की डिमांड्स पर चर्चा कर रहे हैं। सभी माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव यहां रखे हैं, अच्छे सुझाव आये हैं जिससे हमारे राजस्थान के अन्दर कानून-व्यवस्था सही ढंग से बनी रहे। मेरा भी यह मानना है, मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, हालांकि मेरे पास अभी सभी आंकड़े हैं, मुझे पता है कि समय की घंटी आप बहुत जल्दी बजाएंगे। मैंने पिछले बजट सत्र में भी पुलिस की चर्चा में भाग लिया था। उस वक्त भी यह निवेदन किया था कि जब तक आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे तब तक हम जो उम्मीद पुलिस विभाग से करना चाहते हैं, वे उम्मीदें हमारी कभी पूरी नहीं हो सकतीं। हमको अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी। आज एक काम में पुलिस लगती है, यदि वह ईमानदारी से उस काम में लगती है तो निश्चित रूप से वह अपना उद्देश्य प्राप्त करती है। पूरे राजस्थान ने, पूरे हमारे हाउस ने राजेन्द्र मिर्धा का जो अपहरण हुआ उस बात को लेकर पुलिस को बधाइयां दी हैं, उसमें मैं भी अपने आप को शामिल करता हूं। मैं कोई पुलिस विभाग की बुराई करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। मेरा यह मानना है कि जब तक हम लोग भ्रष्टाचार की बात करेंगे, अपराधों की बात करेंगे जो बढ़ते जा रहे हैं और भी कई खामियां हम निकालेंगे....

अभी हमारे प्रतिपक्ष के नेताजी थर्ड मेथड की बात कर रहे थे। जब तक हम अनुसन्धान की नयी तकनीक लागू नहीं करेंगे, नहीं अपनाएंगे तब तक हम इसमें

(श्री नरेन्द्र बुडानिया)

सुधार नहीं कर सकते। हमें मालूम है सबको कि आज जब भी पुलिस की भर्ती होती है तो भर्ती के तुरन्त बाद पुलिस के सिपाही को डण्डा पकड़ा दिया जाता है और उसको तरह-तरह की ड्यूटीज दे दी जाती हैं। आज सब माननीय सदस्यों ने जिक्र किया कि पुलिस का काम शांति-व्यवस्था और कानून-व्यवस्था बनाने के साथ-साथ और भी कई काम बढ़ते गये, जिस प्रकार से हमारे देश की आबादी बढ़ती जा रही है उसी प्रकार से पुलिस प्रशासन का काम भी दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और आगे भी बढ़ता जाएगा लेकिन जितना काम बढ़ा है उस हिसाब से हम पुलिस की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज क्या हालत है सिपाही की ? एक सिपाही को हम भर्ती करते हैं तो वह 24 घण्टे ड्यूटी देता है और हम उससे ईमानदारी की उम्मीद करते हैं कि वह ईमानदारी से काम करे। लेकिन उसके रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, उसके बच्चों की कोई व्यवस्था नहीं है, उसके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, उसकी मेडिकल की कोई व्यवस्था नहीं है, उसके आवास की कोई व्यवस्था नहीं है तो कहां से वह ईमानदारी से काम करेगा ? यही हालत कुछ ऊपर के अधिकारियों की है। लगातार कम्युनिकेशन गैप हमारा बढ़ता जा रहा है और माननीय गृह मंत्रीजी एक दिन ऐसा आएगा हमारे राजस्थान के अन्दर कि डी. जी. तो दूर की बात है एस. पी. को भी नहीं देख पाएगा सिपाही। ऐसी हालत इस विभाग की हो जाएगी। यह कम्युनिकेशन गैप तभी दूर हो सकता है जब इनकी अकाउंटेबिलिटी आप फिक्स करें। थानेदार ने कितना काम किया, कितने केस बनाये, कितने इन्वेस्टीगेशन सही किये, कितनों में चालान हुआ और कोर्ट में किस प्रकार के फैसले हुए। बाकायदा उनकी सी. आर. के अन्दर होना चाहिए। उनके लिए एक अलग से जांच करनी चाहिए कि इनका काम किस प्रकार का रहा है।

अभी हम हथियारों की बात कर रहे थे। अभी कोई कह रहा था कि जब एक पुलिस के सिपाही ने अपनी बन्दूक चलाने की कोशिश की तो बन्दूक नहीं चली। शायद बहुत दिनों से साफ नहीं की होगी या उसने ट्रेनिंग नहीं ली होगी क्योंकि सीधे ही उनको हथियार पकड़ा दिये जाते हैं कई बार। तो पुलिस को हमको आधुनिक हथियार उपलब्ध कराने पड़ेंगे। यह चीजें ऐसी हैं कि जहां कम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता और न ही करना चाहिए। हमारी जनता की भलाई के लिए काम हैं उन कामों के ऊपर चाहे हमारी आलोचना हो, आप सरकार में बैठे हैं हो सकता है हम यहां से आपकी आलोचना करें, हम यहां बैठे ही इसलिए हैं कि आपकी आलोचना करें और आपको सुझाव दें। उसकी आपको परवाह नहीं करनी चाहिए। इसके लिए कतई आपको कम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए और अत्याधुनिक

(श्री नरेन्द्र बुडानिया)

उपकरण हमारे पुलिस प्रशासन को उपलब्ध कराने चाहिए। यहां तक आपके जो वायरलेस सेट्स हैं वह भी खराब पड़े रहते हैं और गाड़ियों की हालत तो इस प्रकार की है कि गाड़ियां तो किसी भी थाने में सही मिल ही नहीं सकती। हालात यहां तक पैदा हो जाते हैं, माननीय गृह मंत्रीजी जब कोई इंजर्ड पर्सन थाने में जाता है तो सबसे पहले उसको गाड़ी करके ले जाना पड़ता है क्योंकि उसके बिना पुलिस कोई कार्यवाही कर ही नहीं सकती। ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि 70 से 75 प्रतिशत तक हमारी बनी हुई हैं इसलिए उनको अच्छी गाड़ियां वायरलैस सेट यह चीजें उपलब्ध करानी चाहिए....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य थोड़ा संक्षिप्त करें।

श्री नरेन्द्र बुडानिया : ....माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन कई बार आत्मा से बड़ी तकलीफ होती है जब हम यह देखते हैं कि कोई इस प्रकार का अपराध हो जाये जैसे हरिजन एट्रोसिटी की बात यहां आयी हम ऐसा भी महसूस करते हैं कि इसका दुरुपयोग भी हो रहा है लेकिन जहां पर कोई सार्वजनिक रूप से कोई काम होता है और पूरी जनता उसको देखती है कि उस हरिजन के साथ में अन्याय हो रहा है और ऐसा भी महसूस होता है कि पुलिस उसके ऊपर कार्यवाही कर रही है, उसके ऊपर अनुसंधान कर रही है और ऐसा लगता है कि उसके ऊपर वरदहस्त प्राप्त है, तब थोड़ी तकलीफ होती है। तकलीफ इस बात की होती है। यह नहीं है गृह मंत्रीजी, आज आप यहां बैठे हैं तो जनता आपका मूल्यांकन नहीं कर रही है। मैं तो यह भी कहना चाहूंगा कि आप सफल गृह मंत्री तब होंगे जब आप अपनी एक ऐसी फोर्स तैयार कीजिए जो कि आपको जनता की आवाज बताये। चाहे नाराज हों मंत्री और चाहे नाराज हों वहां के विधायक लेकिन यदि जनता के प्रति वह काम नहीं कर रहे हैं तो उस पर तुरन्त आपको कार्यवाही करनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, इसी हाउस में मैंने आपको कहा था कि मुझे व्यक्तिगत रूप से खुशी है कि आप गृह मंत्री बने हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से खुशी हुई और मैंने कहा था कि आज हरिजन यह महसूस करेंगे, गर्व महसूस करेंगे कि हमारा गृह मंत्री बना है और मैंने याद दिलाया था आपको कि हरिजन तहसीलदार की पिटाई हुई है सरदारशहर के अन्दर।

माननीय अध्यक्ष महोदय भरी अदालत के अन्दर सार्वजनिक रूप से पिटाई हुई। यह सब 1993 की बात है और तब जाकर बड़ा अफसोस होता है कि आपके साथ वह वायदा करने वाले मंत्री भी हैं, लेकिन मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अब तो वह नहीं हैं आपके साथ में। अब तो हमारे उप मुख्य मंत्रीजी को गाली

(श्री नरेन्द्र बुडानिया)

निकालते हैं और मुख्य मंत्रीजी को और मेरे मित्र बैठे हैं श्री राजेन्द्र जी उनके बारे में भी अच्छी-अच्छी बातें बोलते हैं। अब तो कृपा कर दो उस हरिजन के ऊपर और सबक दे दो उनको वह जो इस प्रकार से भरी अदालत में सार्वजनिक रूप से पिटाई करते हैं। बड़ी अच्छी इंवेस्टीगेशन चल रही थी। मुझे मालूम है, उस फाइल के पास गया हूं, मैंने नजदीकी से उस फाइल को देखा है, जाच अधिकारियों से बात की है और सरे आम सार्वजनिक रूप से बात हुई है। मुझे पता लगा कि ज्योंही विधान सभा के चुनाव हुए वह फाइल चालान के लिए थाने में पहुंची तो 3/10 तोड़ दिया गया है। सरे आम हरिजन की पिटाई की, माननीय अध्यक्ष महोदय, कुर्सी के ऊपर से उतारकर और इस तरह से पिटाई की कि मैं बयान नहीं कर सकता। इस तरह से खिल्लियां उड़ी हैं हरिजन एट्रोसिटी एक्ट की और आज मुझे बड़ी खुशी होती मुख्य मंत्रीजी अगर यहां बैठे होते, उस दिन बैठे थे और जब मैं यह बात कर रहा था तो मुझे अपनी गर्दन हिलाकर कह रहे थे, स्वीकृति दे रहे थे कि मैं इसका चालान करूंगा। और हरिजन एट्रोसिटी में चालान करूंगा लेकिन एक साल का समय निकल गया। तो मेरा यह विनम्र निवेदन है कि इस तरह की कार्यवाहियों की पुनरावृत्ति नहीं हो। इसकी आप ईमानदारी से जांच करके चालान करवाइये।

उप मुख्य मंत्री जी बिराजे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी खुशी है कि वह हमारे क्षेत्र से हैं, हमारे जिले से हैं लेकिन बड़ा दुःख होता है कि इनके क्षेत्र में भी एक सुलखणियां गांव है, मैं जिले की बात कर रहा हूं, पुलिस की बात कर रहा हूं राजस्थान की बात कर रहा हूं। मैं बुराई की बात नहीं कर रहा हूं आप घबराइये मत . (व्यवधान) मैं हकीकत बयान कर रहा हूं और हकीकत बयान नहीं करूं तो आप मुझे बतायें। मैं ध्यान में लाना चाहता हूं कि उस सुलखणियां गांव में एक महीने पहले एक 13 साल की बच्ची जो 8 वीं कक्षा में पढ़ती है उसको किडनेप किया गया, उसको उठाकर ले गये, फुसलाकर ले गये, लेकिन ले गये। एक महीना हो गया आज वह लड़की गायब है 13 साल की 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली। सब के ध्यान में लाया गया है, सब को कहने के बाद मैंने आज विधान सभा के अन्दर आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी के ध्यान में लाया हूं, माननीय उप-मुख्य मंत्रीजी के भी ध्यान में लाया हू ...

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री): मेरे ध्यान में है और आपकी सूचना के लिए बता दूं कि उसमें जो एक्यूज्ड था वह गिरफ्तार हो गया है और उसके साथी भी गिरफ्तार हो गये हैं। पूरी पुलिस की टीम बनाकर रात और दिन उसमें लगे हुए हैं और

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

बहुत जल्दी उस लड़की को बरामद कर लेंगे ।

श्री रामनारायण चौधरी : बरामद नहीं हुई है ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : लड़की को दिल्ली के आगे ले गये थे । राजस्थान में है तो बरामद होगी । जहां-जहां भी सूचनाएं मिलीं पुलिस बराबर वहां जा रही है और एक दिन भी पुलिस ने उसमें कोई ढिलाई नहीं की है ।

श्री नरेन्द्र बुडानिया : मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि यह बात आपके ध्यान में है, और आप तत्परता से इस काम को करवा रहे हैं लेकिन 13 साल की बच्ची एक महीने से किडनेप है, यह तकलीफ की बात है ।

श्री अध्यक्ष : बिराजें । श्रीमती तारा भण्डारी ।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान सरकार के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अधिक आलोचना के केन्द्र बिन्दु रहने वाले महकमे की मांगों पर विचार-विमर्श चल रहा है । कई माननीय सदस्यों ने राजस्थान पुलिस द्वारा किये गये अच्छे कामों की भूरि-भूरि प्रशंसा की तो कई माननीय सदस्यों ने पुलिस बबरता, दुर्व्यवहार, भ्रष्टाचार आदि की भी बातें कीं ।

एक माननीय सदस्य : आज तो नहीं की, सत्संग है ।

श्रीमती तारा भण्डारी : अच्छा है, तो इस मौके पर मैं बधाई देना चाहती हूं कि राजेन्द्र मिर्धा के छुड़ाने का जो सफल आपरेशन राजस्थान पुलिस ने किया यह राजस्थान ही नहीं पूरे देश में एक कीर्तिमान स्थापित किया है । आज इस अवसर पर मैं राजस्थान के पुलिस महकमे को बधाई देना चाहती हूं । राजस्थान पुलिस बल के पुनर्गठन के लिए उनका स्टेण्डर्ड सुधारने के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट में एक अच्छी राशि का प्रावधान किया है जो कि आज के जमाने को देखते हुए, आज के आधुनिक वातावरण को देखते हुए बहुत अधिक तो नहीं परन्तु प्रशंसनीय जरूर है । जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे थे कि पुलिस की गाड़ी तो ठीक मिल ही नहीं सकती, यह भी सच्चाई है । चोरी करने वाला या डाका डालने वाला मारुति कार में आता है या तो ए. के. राइफल्स, आधुनिक हथियार, पिस्टल आदि लेकर आता है लेकिन हमारी पुलिस के पास वही पुरानी जीप जो 30 किलोमीटर की रफ्तार से भी दौड़ नहीं सकती । हमारा पुलिस अधिकारी क्या खा करके उन अपराधियों को पकड़ेगा ? तो आवश्यक है आज पुलिस का रहन-सहन, उनका स्टैंडर्ड उनके हथियार, उनके साधन, कुछ आज का वातावरण, आज का माहौल और आज की आवश्यकताओं को देखते

(श्रीमती तारा भण्डारी)

हुए बढ़ाया जाए। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि अपराधों में वृद्धि हुई है लेकिन, अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है जैसा हमारा संस्कृति वातावरण गिरता जा रहा है, यह टी. वी. के अनोखे जो घटनाक्रम प्रसारित किये जाते हैं और इनको देखकर अपराध की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है तो यह तो निश्चय ही मानना चाहिए कि अपराधों में तो दिनों दिन वृद्धि होने ही वाली है।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के शांत वातावरण और शांतिप्रिय जनता की बात कही गयी है। यह निश्चित रूप से सत्य है कि राजस्थान के लोग बहुत शांतिप्रिय हैं, झगड़ा फसाद चाहते नहीं और इनकी प्रशंसा बाहर भी होती है। आज तो हमारा प्रवासी राजस्थानी राजस्थान में इसलिए भी आना चाहता है कि राजस्थान का माहौल अच्छा है, राजस्थान में शांति है, राजस्थान में सुरक्षा अच्छी है। परन्तु अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि इतना अच्छा राजस्थान इतनी इसकी प्रतिष्ठा लेकिन पुलिस की आज क्या प्रतिष्ठा रह गयी है। किसी भले आदमी के घर में कोई पुलिस वाला चला जाए तो उसका डरके मारे बुरा हाल हो जाता है या तो वह किसी तरह उसको रफा-दफा करने की सोचता है या इधर-उधर से नजरें बचाता है कि कोई देख नहीं ले कि मेरे घर पुलिस आयी है। इस बारे में भी बहुत जरूरी है कि हम कुछ विचार करें। राजस्थान में घुसपैठिये भी बढ़ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं सवेरे स्टेच्यू सर्किल तक घूमने जाती हूं और जब मैं नये-नये चेहरे देखती हूं सुबह पांच बजे महिलाएं जल्दी उठकर लोगों के घरों में काम करने जाती हैं। जब उनसे बात करती हूं तो वे बांगलादेशी होती हैं। अध्यक्ष महोदय, आज जिस तरह से हमारे राजस्थान में घुसपैठियों की संख्या बढ़ती जा रही है उसके लिए आने वाले भविष्य में आने वाली पीढ़ियां हमें कभी क्षमा नहीं करेंगी। क्योंकि यह घुसपैठिये हमारे यहां आकर अपना नाम दर्ज करा देते हैं, राशन कार्ड बनवा लेते हैं, किसी न किसी तरह एम्प्लायमेंट पा जाते हैं। जो हमारे राजस्थान के नवयुवक हैं, राजस्थान की आने वाली पीढ़ी है आज उनका हक यह घुसपैठिये मारते जा रहे हैं। मैं सदन के माध्यम से, माननीय मुख्य मंत्रीजी पधार गये हैं और गृह मंत्रीजी भी हैं, इस बात पर जोर देना चाहूंगी कि घुसपैठियों की घुसपैठ रोकने के लिए हम सभी मिल जुलकर सामूहिक प्रयत्न करें।

अध्यक्ष महोदय, भू-माफिया की बात कही गयी। हमें बड़ा आश्चर्य होता है, हम लोग बम्बई जाते थे तब यह सुनने में आता था कि यहां इस प्रकार के ग्रुप हैं जो लोगों की सम्पत्ति खाली कराने में,

(श्रीमती तारा भण्डारी)

मकानों का कब्जा छुड़ाने में या किसी भी प्रकार का ऐसा काम कराने में माहिर हैं जो किसी से नहीं होता हो। लेकिन जब जयपुर में भू-माफिया की बात सुनी तो अध्यक्ष महोदय बहुत अचरज हुआ कि जयपुर जैसी जगह में भी भू-माफिया लोग है। लोगों की जमीनों पर कब्जे किये हुए हैं, लोगों के प्लाटों पर कब्जे किये हुए हैं। तो यह निश्चित रूप से हमारे लिये विचार करने की बात है कि जयपुर को हम कभी भी बम्बई जैसा माहौल देना नहीं चाहेंगे या भू-माफियों की पकड़ में जयपुर आ जाए इस बात की भी चिन्ता करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, ज्यादा न कह कर के एक ही बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगी कि आज महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति जो अपराध होते हैं, आप आये दिन अखबार में पढते होंगे बच्चों के अपहरण हो रहे हैं उनकी बलि चढ़ाई जा रही है उनका पता नहीं लगता। महिलाओं का तो हाल यह है, अध्यक्ष महोदय, महिला जन-प्रतिनिधि होने के नाते प्रतिदिन नहीं तो दो दिन में एक दिन तो सूचना मुझे जरूर मिलती है कि कहीं पर तो आत्महत्या करली, किसी को जहर देकर मार दिया, किसी को जिन्दा जला दिया। घटनाएं होती हैं जैसा हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि सीता का भी अपहरण हुआ था, द्रौपदी का भी चीरहरण हुआ था। मानते हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, हमारा जो नैतिक आचरण है, उसमें गिरावट आ रही है तो अपराध तो बढ़ेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मुझे एक ही बात का आश्चर्य है कि महिलाओं के प्रति जो एट्रोसिटीज होती हैं, महिलाओं को मार दिया जाता है, उनका डाइंग डिक्लेरेशन भी दबाव में आकर यही होता है कि मैं तो रोटी बनाते जल गयी, या बच्चे का दूध गर्म करते जल गयी या तो स्टोव ही फट गया और नहीं हुआ तो स्टोव लाकर के रख दिया। अध्यक्ष महोदय, महिलाओं के मामले में जिस प्रकार से लीपापोती होती है, मुझे यह कहने में झिझक नहीं कि 99 पर्सेंट महिलाओं के मामलों में आखिर में जाकर एफ. आर. लगती है। अध्यक्ष महोदय, यह मेरी टीस है, वेदना है कि महिलाओं के एट्रोसिटीज के बारे में न इंवेस्टीगेशन सही होती है न उनके नतीजे ही सही आते हैं कारण यह है कि अपराधी को खुली छूट मिल जाती है। कई मामलों में एफ. एस. एल. की रिपोर्ट के बहाने बना देते हैं। पिछले दिनों जयपुर के ही दो हत्याकाण्ड हुए। एक हत्याकाण्ड में तो पुलिस ने तीन दिन में गिरफ्तारी कर ली और दूसरे हत्याकाण्ड में तीन महीने तक गिरफ्तारी नहीं की।

अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे मिली, आखिर में डी. जी. साहब से भी मिली और मैंने कहा तीन महीने हो गये लड़की के पत्र हैं, लड़की को जहर दिया जाना साबित है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में नाखून

(श्रीमती तारा भण्डारी)

नीले पड़ने, खरोंच लगने और एफ. आई. आर. में जहर की शीशी बरामद करने की भी बात लिखी है फिर पुलिस को क्या परेशानी हो रही है कि उसके हत्यारों को गिरफ्तार नहीं कर रही ? अध्यक्ष महोदय, आठ महीने पहले की शादी शुदा खूबसूरत लड़की, उसका बाप रोज जयपुर में आकर रोता है। एक ही तरह के दो मामले। एक में तो गिरफ्तारी हो गयी तीन दिन में और एक की गिरफ्तारी नहीं हुई तीन महीने में। मैं धन्यवाद करती हूं डी.जी. साहब का कि मैं जब उनसे मिली, तुरन्त कार्यवाही करायी और उनकी गिरफ्तारी के आदेश दिये। यह तो मैंने एक बात कही है लेकिन हकीकत में हमें एफ. एस. एल. को भी मजबूत करने की बहुत जरूरत है। एफ. एस. एल. की रिपोर्ट, अध्यक्ष महोदय, 6 महीने में 12 महीने में भी प्राप्त नहीं होती है और इस कारण से मामलों में छानबीन करने, अपराधियों को गिरफ्तार करने और सजा दिलाने में बहुत देर होती है। आज पुलिस महकमे की मांग चल रही है, पुलिस बल के पुनर्गठन करने की बात चल रही है। इस मौके पर आपके माध्यम से मैं माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि महिलाओं के मामलों में लीपापोती नहीं हो और यदि हो तो कम से कम एफ. आर. न लगे....

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, मैं आधा मिनट भी नहीं लूंगी। आपकी भावना का आदर करते हुए इतनी ही बात बोलूंगी कि एफ. एस. एल. को मजबूत किया जाए, उसकी रिपोर्ट 15-20 दिन में मिल जाए। अध्यक्ष महोदय, आज के मौके पर मैं इस पवित्र सदन में यह भी कहना चाहूंगी कि महिलाओं के मामले में, एट्रोसिटीज के मामले में यदि निर्णय नहीं आते तो हम इस पवित्र सदन के सदस्य, जनता से चुने हुए जन-प्रतिनिधि इस बात पर भी विचार करें कि कहीं हम तो दोषी नहीं हैं ? कहीं राजनीतिक दबाव में आकर इस प्रकार के मामले में हेराफेरी तो नहीं होती ? मैं किसी पार्टी विशेष का उल्लेख नहीं कर रही, अध्यक्ष महोदय, मैं सभी जन-प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी का उल्लेख करते हुए आपसे यह कहना चाहूंगी कि जब भी महिलाओं के प्रति, एस. सी. के प्रति, एस. टी. के प्रति, कमजोर वर्ग के प्रति एट्रोसिटीज के मामले हों, तो कम से कम राजनीतिक दबाव से लीपापोती नहीं की जाए। आपने मुझे अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (अनुपस्थित)। श्री जुबेर खान जी (अनुपस्थित)। श्री रामकिशनजी वर्मा (अनुपस्थित)। श्री दयारामजी परमार (अनुपस्थित)। श्री बनवारी लाल जी शर्मा।

श्री बनवारीलाल शर्मा (धौलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने पुलिस विभाग पर चर्चा की है और काफी

(श्री बनवारीलाल शर्मा)

असंतोष प्रकट किया है। वास्तव में हमको उसकी गहराई में जाना चाहिए कि असंतोष का कारण क्या है? असंतोष के कारणों में कुछ तो पुलिस विभाग खुद ही एक कारण है, कुछ असंतोष के कारण में फाइनेंशियल इन्वाल्वमेंट भी है, जितना बजट मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में मेरा माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन है कि आप मेहरबानी करके जैसे सभी वक्ताओं ने कहा है कि जिस हिसाब से क्राइम्स बढ़ रहे हैं, एरिया बढ़ा है, क्षेत्रफल बढ़ा है, जनसंख्या बढ़ी है उस हिसाब से हमारी पुलिस की स्ट्रैंथ नहीं है। यह सही है कि आप पुलिस स्ट्रैंथ बढ़ा रहे हैं लेकिन कम्पेरेटिवली जिस हिसाब से, जिस रेशो से जनसंख्या बढ़ रही है, जिस रेशो में क्षेत्र का प्रसार बढ़ रहा है उस हिसाब से नहीं बढ़ा रहे हैं। मेहरबानी करके उस रेशो से आप पुलिस बल को बढ़ाये तो शायद डिस-सेटिस्फेक्शन कुछ कम हो सकेगा।

इसी प्रकार से आपने उनको साधन नहीं दे रखे हैं। जैसा अभी पूर्व वक्ताओं ने कहा कि हर थाने पर आप टेलीफोन की व्यवस्था करायें, जीप की व्यवस्था करायें, अच्छे हथियारों की व्यवस्था करायें और वायरलैस सैट की व्यवस्था करायें तब तो कुछ कण्ट्रोल किया जा सकता है। अब मुश्किल क्या है कि आज अपराधी, जैसा कि माननीय श्रीमती ताराजी कह रही थीं कि आज अपराधी मारुति में आते हैं, हीरो होण्डा पर आते हैं, इतने तेज रफ्तार वाले वाहनों पर वे आते हैं और आपकी पुलिस के पास में वाहन ऐसे हैं नहीं। जीप नहीं है, होती है तो वह स्टार्ट ही नहीं होती है तब तक वे चले जाते हैं। फिर उनसे आप उम्मीद करें कि उनको वह पकड़ लें, कहां होगा यह? आज हमारे यहां पर आप देखिये कि जो डकैतियां होती हैं, पुलिस के पास में, आपके पास में वही थ्री नाट थ्री की राइफल पुराने समय से चली आ रही है और आज डकैतों के पास में ए. के. 47, नयी-नयी एस. ऐल. आर., इस प्रकार के हथियार उनके पास मौजूद हैं। अब आप उनसे उम्मीद करें, आप निश्चित तौर पर मानकर चलिये कि यह तो इकबाल काम कर रहा है वरना आपके थानों के हथियारों की तो हालत यह है कि अगर उनको चलाया जाए तो वास्तव में वे चलने लायक नहीं हैं लेकिन चूंकि इकबाल है, आज परिस्थिति को देखिये, आज डकैती की जो समस्या है, एक थाने में आपके 8-10 आदमियों की स्ट्रैंथ रहती है और उसी प्रकार के अपराध धौलपुर जिले में होते हैं, उसी प्रकार के अपराध यू. पी. में होते हैं।

आज यू. पी. लगा हुआ है सयां थाना है, खेरागढ़ थाना है वहां पर थाने में करीब 100 आदमियों की स्ट्रैंथ रहती है। वही अपराध है, उसी प्रकार की प्रवृत्ति के अपराध हो रहे हैं लेकिन यह तो इकबाल है जिसकी वजह से कहीं सफलता मिलती है लेकिन अगर आप वस्तु स्थिति को देखें, फिर नेचुरल है, डिस्-सेटिस्फेक्शन होगा।

(श्री बनवारीलाल शर्मा)

आज डकैती के मामले में, हत्याओं के मामले में आप लोग समझ लेते हैं और एकदम प्रशासन सजग हो जाता है।

मैं आपसे निवेदन करूं, आज जिस प्रकार से ट्रैक्टर्स की चोरी करते हैं, आज पूरे ट्रैक्टर को ले गये, चुपचाप जाकर के बन्द कर दिया, मेरे ख्याल से धौलपुर जिले में पिछले एक साल में कम से कम 5-7 ट्रैक्टरों को उठाकर ले गये हैं जिनकी दो-ढाई लाख रुपये की कीमत होती है। अब आप सोचिये कि ऐसे क्राइम्स को, डकैती होगी तो आप मान लेंगे लेकिन उसको अब नहीं देखेंगे। कैटल एबडक्टिंग के बारे में आज 10-10 हजार के, 8-8 हजार के मवेशी आते हैं और उसका कहीं कोई रिकार्ड नहीं होता है। तो मेरा यह निवेदन है कि आप इस प्रकार के जो अपराध हो रहे हैं उनको भी कंट्रोल करने की बात करें। आपसे निवेदन है कि आज धौलपुर को जिला बने हुए करीब 12 साल हो गये, धौलपुर में एडिशनल एस.पी. की पोस्ट मंजूर है लेकिन उस एडिशनल एस. पी. की पोस्ट को धौलपुर में न रखकर किसी अन्य जगह पर शिफ्ट कर दिया है। तनख्वाह धौलपुर से ली जा रही है। धौलपुर से पीछे जिले बने हुए हैं वहां पर एडिशनल एस. पी. की पोस्ट कर दी। आखिर क्या कारण है कि धौलपुर में नहीं है? वहां पर अपराधों की ज्यादा संख्या हैं, वहां की स्थिति देखिये, जियोग्राफिकल स्थिति देखिये और फिर भी आप वहां पर एडिशनल एस. पी. की पोस्टिंग नहीं कर रहे हैं। आखिर क्या कारण है?

आप जिस प्रकार से जिलों का पुनर्गठन कर रहे हैं, जिस प्रकार से बाइफरकेट कर रहे हैं, मेरा तो निवेदन है कि आप उसी प्रकार से थानों का पुनर्गठन करिये, आज थाने जो पुराने चले आ रहे हैं, इस प्रकार की जियोग्राफिकल स्थिति में पहले के बने हुए हैं, आज अगर आप उनका पुनर्गठन करते हैं और छोटे-छोटे थाने बनाते हैं जैसा कि आपकी योजना भी है तो आप निश्चित तौर पर कुछ इन अपराधों पर कण्ट्रोल कर सकेंगे। आज धौलपुर के लिए अगर आप मनिया में सपोज डीवाई. एस. पी. का हैडक्वार्टर खोल देते हैं तो निश्चित तौर पर कण्ट्रोल होगा, क्योंकि यू. पी., मध्य-प्रदेश से लगा हुआ है। तो आपको मेहरबानी करके इन चीजों को देखना चाहिए।

दूसरा, होता क्या है कि आप डायरेक्ट पोस्टिंग कर देते हैं, राजनीतिक हस्तक्षेप तो मैं मानता हूं होता रहा है लेकिन आज किसी थानेदार को अगर ऊपर से यह आदेश पहुंच जाए कि इस अमुक थाने में लगा दिया जाए तो वह थानेदार उस एस. पी. की क्या परवाह करेगा, डीवाई. एस. पी. की क्या परवाह करेगा और आज वह कैपेबल है या नहीं, उस थाने में आज लगने लायक है कि नहीं, वह सक्षम है या नहीं है लेकिन आजकल इतने प्रेशर आ रहे हैं, इतनी एप्रोच और एप्रोच के बाद में डायरेक्ट पोस्टिंग करा लेते हैं, फिर वे परवाह

(श्री बनवारीलाल शर्मा)

करते नहीं, काम के लिए क्यों परवाह करें, उनकी एप्रोचेज हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि मेहरबानी करके जो इस प्रकार का इंटरफियरेंस है उनको आप रोकिये। सबसे पहला मेरा यह है कि धौलपुर में खास तौर....

श्री विष्णु मोदी : पहले तो कहते हैं, आप ही पोस्टिंग कराते हैं वहां पर।

श्री बनवारीलाल शर्मा : पहले थे तो उस समय होती होगी, सरकार करती होगी, मैं तो 10 साल से बाहर हूं।

श्री अध्यक्ष : कृपया बोलने दें।

श्री बनवारीलाल शर्मा : दूसरा, मेरा आपसे यह निवेदन है कि धौलपुर में सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि अगर कहीं कत्ल हो जाए, अगर कहीं डकैती हो जाए, इस प्रकार की वहां पर परेशानी है तो वहां के लोग अपनी सुरक्षा के लिए आपसे हथियार मांगते हैं, पुलिस बल आपके पास इतना है नहीं, सुरक्षा प्रशासन से इतनी मिल नहीं पाती है। अब बन्दूकों के, हथियार के लिए जहां पर कि कलक्टर भी कंवींस्ड है, जहां पर एस. पी. कंवींस्ड हैं लेकिन फिर भी एक-एक साल तक. आपका प्रोसीजर इतना खराब है कि एक-एक साल तक उनको लाइसेंस नहीं मिलते हैं। अगर वह लाइसेंस देने के लायक नहीं है, निश्चित तौर पर कम से कम उनके लाइसेंस का फार्म कैंसिल कर दीजिये लेकिन उनको मालूम तो पड़ जाए, आपका प्रशासन जिसको चाहता है उसके लाइसेंस कैंसिल कर देता है। वह अपील में घूमता फिरता है। आखिर इसका कोई क्राइटेरिया होना चाहिए या प्रशासन किसी के कहने से, दबाव में आकर के अब आप सोचिये कि मेरे गांव में कोई मर्डर हुआ और मुझ जैसे आदमी के भी हथियार को कैंसिल कर दिया। मेरे हथियार को जमा कराने के आदेश दे दिये। मैं कोई मौके पर नहीं था, मेरा इतना ही कसूर था कि मैंने उस गांव में जन्म लिया, मैं उस गांव का रहने वाला हूं। अगर झगड़ा किसी से हो गया है, कोई भी है लेकिन मेरा भी लाइसेंस कैंसिल कर दिया। आखिर यह क्यों? यह राजनीतिक कारणों की वजह से है या क्या है? प्रशासन को क्या खतरा था? ऐसी स्थिति में मैं आपसे कहू ...

श्री अध्यक्ष : विराजें।

श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मंत्रीजी की तरफ इशारा करके बोल रहे हैं, आसन की तरफ इशारा करके बोलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आपकी तरफ नहीं कर रहे हैं।

श्री बनवारीलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, डायरेक्ट सम्बन्ध इनसे है न इसलिए मैं कह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा निवेदन है कि आपके पास में सही

(श्री बनवारीलाल शर्मा)

मायने में इन्फार्मर्स के लिए या मुखबिरों के लिए कोई भी बजट नहीं है। जो अपराधी तत्व हैं वे तो फाइनेंशियली उनको इतनी एड दे देते हैं, अपने मुखबिरों को कि जिससे उनको सफलता मिल जाती है और आज पुलिस के पास में कोई सीक्रेट फण्ड इतना नहीं है कि जिससे कि उनको साधन मिल सके, उनको अच्छी खबर मिल सके और इस प्रकार से उनको काबू किया जा सके।

खानें बन्द की जाती हैं और खानें बन्द करने पर क्राइम्स मतलब केस रजिस्टर नहीं किये जाते हैं, डर की वजह से लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं और दूसरे अगर रिपोर्ट करने भी जाएं तो वहां पर हालत इस प्रकार की है कि थाने में दारू पीकर के बैठे रहते हैं, केस रजिस्टर नहीं करते हैं, केस रजिस्टर इसलिए नहीं करते हैं कि अगर केस रजिस्टर ज्यादा हो गये तो ऊपर से प्रशासन खिंचाई करेगा कि आपके समय में इतने अपराध बढ़ गये। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रवृत्ति को रोकने का प्रयास करें। इसके अलावा सबसे बड़ी प्राब्लम आती है, अब हमारा डिस्ट्रिक्ट यू. पी. से लगा हुआ है, क्राइम करके यू. पी. वाले या मध्य प्रदेश वाले, दोनों वहां आ जाते हैं और वहां की पुलिस को-आपरेट नहीं करती है। वहां की पुलिस कहती है कि हमारे यहां अपराध नहीं होने चाहिए, चाहे आप कहीं भी करो, शेल्टर वहां पाते हैं। अब आज दिक्कत क्या है कि पुनाट का थाना है। वहां पुनाट थाने में एक भोरिया गांव है, पूरा गांव चोरी करता है और धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में चोरी करके वहां चले जाते हैं और पुलिस की....

श्री विष्णु मोदी : माननीय मुख्य मंत्री जी को पता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे तो पूरे राजस्थान का पता है।

श्री बनवारीलाल शर्मा : वैसे मुख्य मंत्रीजी का क्षेत्र रहा है इन्हें पूरी जानकारी होगी। इसमें क्या शक है? यह तो सब जानते हैं। इसमें क्या शक है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो राजस्थान का हूं और सब जानता हूं।

श्री अध्यक्ष : विराजिये, मोदीजी सब जानते हैं।

श्री विष्णु मोदी : सब जानते हैं पर धौलपुर के बारे में विशेष रूप से जानते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो राजस्थान का हूं और सब जानता हूं।

श्री अध्यक्ष : विराजिये, मोदीजी सब जानते हैं।

श्री बनवारीलाल शर्मा : ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन यह है कि वहां पर पुलिस

(श्री बनवारीलाल शर्मा)

बल ज्यादा लगायें तो ज्यादा बेहतर रहेगा ।

दूसरा, मेरा निवेदन यह है कि मेहरबानी करके अपने कर्मचारियों को व्यवहार इस प्रकार का सिखाये कि जो लोग जाते हैं उनसे कम से कम सही प्रकार से व्यवहार करें । पुलिस में भर्ती होने के बाद पुलिस अधिकारी ऐसा महसूस करने लग जाते हैं कि हम समाज से ऊपर हैं, हमारा रौब-धौब ज्यादा है, अगर कोई आदमी जाता भी है तो उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार करते हैं । कम से कम उन्हें व्यवहार कुशल बनाइये जिससे कि लोग वहां जाए वह अपनी तकलीफ उन्हें बता सकें । इन्हीं शब्दों के साथ में आपने मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : श्री अमरा राम (धोद) ।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, पुलिस विभाग की मांग संख्या 16 पर सदन में चर्चा चल रही है उसमें शामिल होते हुए मैं भी अपनी बात निवेदन करना चाहता हूं । जहां तक पुलिस के व्यवहार का सवाल है राजस्थान के हर थाने में कोई भी पीड़ित व्यक्ति या पक्ष जाता है, चाहे हम कितनी भी बात यहां सदन में बैठकर कर लें, मैं समझता हूं कि 1952 से लेकर आज तक होती आयी है, पुलिस के बड़े अफसर और हमारे गृह मंत्रीजी भी कई दफा कहते रहे हैं कि पुलिस थाने सेवा के मन्दिर हैं और उनके सामने भी लिखा जाता है लेकिन आज भी कोई पीड़ित पक्ष या कोई व्यक्ति जाता है, उनमें गरीब व्यक्ति कोई अगर वहां जाता है तो वह इस बात से हिचकता है सबसे पहले थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, क्योंकि थाने में पहुंचते ही उसके साथ पुलिस का जो व्यवहार होता है, क्या पता इनको इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है कि सबसे पहले उनका स्वागत गाली के बगैर नहीं होता है । राजस्थान की राजधानी में मैं नहीं जानता कि क्या स्थिति है लेकिन बाकी के जिलों में सबसे पहले पीड़ित पक्ष जब रिपोर्ट दर्ज कराने जाता है तो उसका गाली के साथ वहां स्वागत होता है । उसके कई कारण हो सकते हैं, मैं यह नहीं कहता आज भी करीब-करीब सभी थानों की हालत यही है । इसका उदाहरण चाहे आप राजधानी में देख लें कि कोई रिक्शा चलाने वाला गरीब अगर रांग साइड आ जाता है तो हमारा ट्रैफिक का सिपाही उसको गाली देने और हाथ से मारने से नहीं चुकता और अगर कोई मारुति कार चलाने वाला रांग साइड आ गया तो हमारे ट्रैफिक के सिपाही की या किसी की भी यह औकात नहीं कि उसके साथ बदसलूकी के साथ पेश आ जाय ।

इसलिए मेरा सुझाव है कि सरकार के साथ-साथ पेरेलल चाहे शराब माफिया हो, चाहे भू-माफिया हो, चाहे हवाला

(श्री अमरा राम)

माफिया हो, पूरी की पूरी पेरेलल सरकार है उनकी । आज भी शराब माफिया सरे आम सीकर में जहां 10 दुकानें हैं, एक तहसील में 100 गांव हैं तो उन 100 गांवों में शराब की दुकानें चलाते हैं । एक गरीब व्यक्ति.. अगर शराब की बोतल निकाल कर पीता है तो उसके लिए एक्ट बना हुआ है लेकिन शराब माफिया अवैध रूप से 90 दुकानें चलाते हैं और अगर उनकी कोई शिक़ायत करे, तो उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। अगर शराब बेचने वाले पुलिस को साथ लेकर किसी को मार भी दें तो उस शराब माफिया के पूछे बगैर थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं होती । जनता का अगर मूव हो, प्रदर्शन कर रिपोर्ट दर्ज हो गयी तो उसमें ऐसे कई लेकूनाज रखे जाएंगे कि एक साल होने से पहले बरी होकर सामने आ जाएंगे। गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी प्रकाश कौर के प्रकरण को यहां पर रखा । उसका केवल मात्र गुनाह यह था कि पुलिस के एस. एच. ओ. के खिलाफ उसने बयान दिये थे, उसकी मौजूदगी में हत्या की गयी और एक साल होने तक जितने भी मुलजिम थे वह सब बरी हो गये । यह एक घटना नहीं है, जितनी भी घटनाएं हैं, चाहे अलवर की घटना को ले लें जहां महिला को नंगा करके घूमाया गया हो, और तमाम शराब माफिया हवाला माफिया, भू-माफिया सब के सब इस तरह से हमारी पुलिस पर हावी हैं । आज जहां सीकर में....

श्री अध्यक्ष : थोड़ा संक्षिप्त करने का प्रयास करें, माननीय सदस्य ।

श्री अमराराम (धोद) **:** अध्यक्ष महोदय, बिलकुल संक्षिप्त में, यहां से बाहर, अरब कंट्रीज में 31 जिलों में से सबसे ज्यादा सीकर जिले के लोग रहते हैं और आज जितने भी ...

श्री सुजानसिंह यादव (सहकारिता मंत्री) **:** मैं और मेरा दल बोल रहा है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बोलने दें, समय जाया नहीं करें ।

श्री अमराराम (धोद) **:** यह मैं बंगाल की नहीं, सीकर की और राजस्थान की बात बता रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये ।

श्री अमराराम (धोद) **:** जितना पैसा इन हवाला माफिया के जरिये आ रहा है वह पूरा हमारी पुलिस को पता है । हमारे देश और प्रान्त को उससे जितना नुकसान हो रहा है मैं समझता हूं कि कोई इससे नावाकिफ नहीं है । कितनी स्मगलिंग की चांदी आज सीकर और अजमेर जिले से आती है वह किसी से छिपी हुई नहीं है । मैं यह मानकर चलता हूं कि जो भी मेरी इस सम्बन्ध में बात हुई है, जब अधिकारियों से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि रिपोर्ट पर कार्यवाही क्यों नहीं होती है तो वह कहते हैं कि कार्यवाही नीचे से नहीं ऊपर से चालू होती है इसलिए

(श्री अमराराम)

कार्यवाही नहीं होती है। ऊपर से उनका प्रेशर आता है, क्योंकि उनके पास सब साधन हैं। इसमें अगर हमारी राजनैतिक इच्छा होगी तो इसमें सुधार भी होगा।

एस. आई. के नीचे के जो कर्मचारी हैं उनसे जब-जब भी बात होती है तो उनमें असंतोष है और वह असंतोष तभी दूर हो सकता है, राजस्थान के हर वर्ग के कर्मचारी को अपना संगठन बनाने का राइट है लेकिन पुलिस का जो कर्मचारी है उसको एसोसिएशन बनाने का राइट नहीं है इसलिए उनमें जो असंतोष है उसको सामने रखने का कोई तरीका नहीं है। यदि उनको यह अधिकार दिया जाता है तो जो उनकी समस्याएं हैं वह हमारे सामने आ सकती हैं, क्योंकि सरकार तक उनको पहुंचाने का और कोई तरीका नहीं है।

गृह मंत्रीजी, अभी सीकर में कितनी ऐसी प्रापर्टी हैं जो 145 में कुड़क की हुई है, जिस पर आपने फोर्स लगा रखी है? किसान छात्रावास के सम्बन्ध में हो सकता है कि 1987 में तत्कालीन सरकार ने किसी गलत इरादे से इसको डिस्प्यूटेड बनाने के लिए, पुलिस के काले कारनामों को छिपाने के लिये उसको डिस्प्यूटेड बनाया था लेकिन इस सरकार का तो मैं समझता हूं उसमें कोई हाथ नहीं था लेकिन आज भी केवल मात्र एक किसान छात्रावास सीकर का ऐसा है जिस पर आपने 145 में डिस्प्यूटेड मानकर पुलिस के आदमी बैठा रखे हैं। इसके अलावा शायद और कोई भी प्रापर्टी नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, संक्षिप्त करें। आधे मिनट में समाप्त कर दें।

श्री नन्दलाल मीणा (राज्य मंत्री, श्रम): आप मंत्रीजी को लिख कर दे देना समाधान हो जाएगा।

श्री अमराराम : समाधान कर दिया जाएगा तो स्वागत करता हूं माननीय गृह मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी का।

श्री अध्यक्ष : बहुत-बहुत धन्यवाद आपको।

श्री अमराराम : मैं एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : उदाहरण बहुत लम्बा हो जाएगा। 30 सैकण्ड आपने समाप्त कर दिये। अब आप बिराजें।

श्री टीकमचन्द कांत : घुसपैठियों की बात भी कह दो।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।.... (व्यवधान)....

श्री अमराराम : आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि पाइंटेडली और कंस्ट्रक्टिव सुझाव दें और 7 मिनट में अपनी बात पूरी करने का प्रयत्न करें, क्योंकि अभी 40 नाम और हैं। बिराजिये आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, तब तो 2 मिनट का ही रखें।

श्री अध्यक्ष : श्रीमन्, इसलिये मैं आपसे कह रहा हूं कि आप बीच में टोका-टाकी नहीं करें, माननीय सदस्य। श्रीमती उजला जी।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, मैं पुलिस के सम्बन्ध में गत साल की चर्चा करती हूं। हमारे राजस्थान में देखा जाय तो पूर्वापेक्षा औद्योगिक शांति रही, हड़तालें नहीं हुईं। यह दूसरे मायने में मैं कहना चाहूंगी, जहां से मैं चुनकर आती हूं; वह संवेदनशील इलाका है और जयपुर को भी कुछ लोगों ने बड़ा गड़बड़ बना डाला था। अब उस सारे मामले में भी काफी संतोषजनक स्थिति रही है लेकिन कुछ प्रवृत्तियां हैं जो अपराध करती हैं। कितने तरह के अपराध बढ़ रहे हैं, इनकी गणना नहीं। कोई स्कूटर उठाकर ले जा रहा है, चोरी कर रहा है, कोई किसी का सामान ले जा रहा है, कोई किसी की जमीन पर कब्जा कर रहा है। इस तरह के तरह-तरह के नये अपराध बढ़ रहे हैं। इन सबके लिए एक सूत्र और संगठन की आवश्यकता है, तो जो-जो कमियां पुलिस बल को उपलब्ध कराने में हमारी रही हैं, उनको पूरी करें। हमारे थानों में नफरी बहुत कम है। मेरे कहने का अर्थ है कि 12-14....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, मैं निवेदन कर दूं, यह तो सभी ने कहा कि नफरी कम है, नफरी कम है। आप कोई नयी बात बताने की चेष्टा करें जिससे समय बचे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अब मैं बताऊं, मेरे इलाके में वही तो 12 आदमी, उनसे गश्त करा लो या उनसे रिपोर्ट दर्ज करा लो या उन्हें छुट्टी पर भेज दो या वापस बुला लो या फिर कहीं कोई हमारा प्रतिनिधि बाहर से आ रहा है, तो स्वागत करने के लिए उन्हें वहां भेज दो। दिक्कत है, आप इसको समझिये और एक बार आवश्यतानुसार बैठकर तय करके पुलिस बल बढ़ाइये तब हम सक्षमता की उम्मीद उनसे कर सकते हैं, जितनी उम्मीद हमें होनी चाहिए।

कई बार कहीं से सूचना आती है, वहां पहुंचने के लिए जीप नहीं मिल पाती है। अब जीप नहीं मिल पाती तो हम उन्हें कैसे कहें कि आप तत्काल जाकर अनुसंधान कर लीजिये, पकड़ लीजिये।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

अब अगर जमवारामगढ़ जीप नहीं है तो नायला कैसे आएंगे और जमवा रामगढ़ में जीप नहीं है तो मानपुर कलां कैसे जाएंगे ?

एक तरह का अपराध और बढ़ रहा है, उस पर भी आप ध्यान रखिये। जो ट्रक आते हैं, उन ट्रकों में कौन-कौन, कैसे-कैसे लोग आते हैं जो गांव के सहारे उतरकर अपराध करके चले जाते हैं। जयसिंहपुरा खोर में एक माह में 4-5 वारदातें इस तरह की हो रही हैं। किसी घर में घुस गये, मुंह पकड़ लिया और उनके जेवर छीनकर भाग गये और यह होता कितना है केवल एक-डेढ़ किलोमीटर तक. आगे नहीं बढ़ता है। मैंने ऐसे मामलों के लिए कहा कि ऐसी जगहों पर चौकियां स्थापित करें जिससे कि वहां की सुरक्षा हो सके। माननीय मंत्री महोदय, आप राजधानी में बैठे हैं। राजधानी के आसपास में इस तरह की घटनाएं अगर हों तो थोड़ा चिन्ता का विषय मुझे लगता है। इन पर आप ध्यान रखें। जयपुर का आदमी जो घाट की गूणी में है, वह बस्सी में रिपोर्ट दर्ज कराने जाएगा। बस्सी से अनुसंधानकर्ता आएगा और वह फिर जाएगा, कितनी कष्टकारी स्थिति है। मेरे यहां एक औरत को मार डाला, उसके कड़े निकाल लिये, किसी रिश्तेदार ने काटा उसको, वह मर गयी। उसके लिए बस्सी से पुलिस आयी। वह जगह कौनसी है जयपुर से पांच किलोमीटर दूर सुमेल गांव का इलाका है। तो मेरा सुझाव है कि 10 किलोमीटर से दूर ऐसे थाने नहीं होने चाहिए। इन स्थानों पर, जैसे कानोता जगह है जिसमें नायला भी कवर किया जा सकता है, सुमेल भी कवर किया जा सकता है, विजयपुरा भी कवर किया जा सकता है और नसियां भी कवर की जा सकती है। ऐसे स्थानों को आप देखें और ऐसे नजदीक-नजदीक में 10. किलोमीटर की दूरी पर थाने बनवाये, जिससे वे सुरक्षा दे सकें।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अभी-अभी हमारे यहां राजेन्द्र मिर्धा को वापस प्राप्त करने के लिए मैं पुलिस को बधाई देती हूं, सरकार को भी बधाई देती हूं और जो उस तरफ से आने वाले माननीय सदस्यों ने कहा कि देरी हुई। मैं समझती कि जीवित बच गये, बहुत अच्छा हुआ। उन अपराधियों ने जिन्होंने यहां आकर उनका अपहरण किया था, पता नहीं क्या हो सकता था लेकिन वह चिन्ता का विषय था। यह सोचना चाहिए कि आतंकवादी किधर से आते हैं और हमें उसी जगह पर रोक लगानी चाहिए। मेरा अपना पूरा अनुमान है कि ये लोग कोई पंजाब से नहीं आते, ये सब पाकिस्तानी लोग हैं जो हमारी सीमाओं में से घुसपैठ करते हैं और वहां उन्हें नहीं रोका जा रहा है। उनकी हमसे कोई हमदर्दी नहीं है। हमारे यहां शान्ति व्यवस्था को बिगाड़ने में वे चाहते

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

हैं कि ऐसी स्थितियां बनती रहे कि उनको एक हिस्सा हमारे राजस्थान का भी मिल जाए। उन सीमाओं की सुरक्षा के लिए मैंने बार-बार सुझाव दिया है कि कंटीली बाड़ लगायी जाए....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप एक मिनट में समाप्त करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : या वहां पर दीवार बनायी जाये या अपनी चौकियों को और ज्यादा सक्षम किया जाएं जिससे उधर का आदमी यहां नहीं आये।

मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगी मंत्री महोदय, उधर से व्यापार होता है, तस्करी होती है। इधर का माल उधर होता है और उधर का माल इधर होता है और यहीं नहीं बल्कि इधर के लोग उधर आते-जाते हैं। यह बड़ी चिन्ता का विषय है। इस पर निश्चित रूप से आप कोशिश करेंगे कि नियंत्रण हो।

हमारे शहर के एक व्यापारी हैं जो 3-4 माह से नहीं मिल रहे हैं और एक और व्यक्ति ऐसे हैं जिनका कहीं अता-पता नहीं लगा तो मैं चाहूंगी कि गुलशन के मामले में और दूसरे मामले में अनुसंधान को तेज किया जाय....

श्री अध्यक्ष : बहुत-बहुत धन्यवाद। बिराजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं अभी बैठ रही हूं, मुझे ज्यादा बोलना ही नहीं है। टाडा के सम्बन्ध में कहना चाहूंगी, हालांकि अपना सीधा-सीधा रोल नहीं है लेकिन जिनको पकड़ा जाता है उनकी सुनवाई के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं है। उनके परिवार पर यह सीधा-सीधा अटैक है उनको सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। हमारी सरकार केन्द्र से इस बात पर चर्चा करे और जहां तक जो टाडा बंदी हैं....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री भीमराज भाटी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उनके सम्बन्ध में चिन्ता करें। एक निवेदन और करना है। मेरे क्षेत्र में कुछ चौकियों को किसी ने बन्द कर दिया। ऐसी चौकियों से जैसे खण्डार के रास्ते पर है, ऐसे-ऐसे स्थानों के ऊपर जो संवेदनशील इलाके हैं, वहां सुरक्षा प्रदान करने के लिए पुनः चौकी कायम करेंगे।

भू-माफिया गिरोह बहुत ज्यादा सक्रिय हो रहे हैं हालांकि माननीय मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिहजी ने उनकी निरंकुशता पर पाबन्दी लगाने की कोशिश की है लेकिन कुछ तो इस तरह से करते हैं जिनका पता नहीं पड़ता है। इतने मामले सामने आये हैं, उन मामलों में और अनुसंधान किया जाकर और जो शेष बचे हैं उन पर....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। श्री भीमराज भाटी। आप बोलिये। अब अंकित नहीं होगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : XXX

श्री अध्यक्ष : बहुत-बहुत धन्यवाद। बिराजिये।

श्री भीमराज भाटी (पाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं पूर्व में भी लिखित रूप में माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय गृह मंत्रीजी को राजेन्द्र मिर्धा की कुशलतापूर्वक और उनको जिन्दा उनके परिवारजन को लौटाने के लिए हृदय से धन्यवाद दे चुका हूं और इसलिए मैं समय भी वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं सीधा मुख्य मंत्रीजी की बातों पर आता हूं....

श्री अध्यक्ष : पोइंटेडली, आप थोड़ा, आपके सजेशन अच्छे होते हैं, अमूल्य होते हैं। आप अपने सजेशंस दें।

श्री भीमराज भाटी : बिलकुल, सीधा मुख्य बात पर आता हूं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस को सबसे पहले डिसिप्लीन होना चाहिए, डिसेंट होना चाहिए और डेडिकेटेड होना चाहिए लेकिन हालात आज की यह है कि पुलिस मैन को डिसआनेस्ट, डिस-कर्टियस और डेंजरस कहते हैं। जैसा भंवरसिंह जी साहब की बड़ी-बड़ी मूंछे देखें, पुलिस के किसी थाने में जाएं तो डेंजरस हैं लेकिन उसकी एक वजह है, यह जो इम्प्रेशन क्रिएट हुआ है वह पिछले कई सालों में क्रिएट हुआ है, उसको मिटाने के लिए अगर वास्तव में बहुत कुछ करना चाहते हैं, पुलिस को आप सेवक के रूप में देखना चाहते हैं, उस पुलिस को सेवक के रूप में देखने के लिए मेरा यह मानना है, अध्यक्ष महोदय,....

श्री भंवरसिंह चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मर्दानगी की निशानी मूंछे हैं, उसके ऊपर कटाक्ष किया है माननीय सदस्य ने।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये आप। मूंछ वालों ने बहुत बोल दिया है।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, अभी जो पुराने डकैत जिन्होंने सरेंडर किया है और जयप्रकाश नारायण जी से प्रेरणा लेकर, उनका अभी एक कांग्रेगेशन हुआ था, आपको मालूम है ? उसमें जो पहली पंक्ति में बैठे थे उन सबकी मूंछे आप जैसी थीं... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये, बिराजिये। कमेंट करने की जरूरत नहीं है। बिराजिये आप।

श्री भीमराज भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस की....(व्यवधान)

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये ।

श्री भीमराज भाटी : यह जो छवि बनी है डिस-ग्रानेस्ट की, डिस-कर्टियस की और डेंजरस की, उस छवि को मिटाने के लिए मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि थ्योरी आफ रिवार्ड्स और थ्योरी आफ पनिशमेंट के ऊपर पुलिस को काम करना चाहिए। पुलिस में चाहे मर्डर का मुकदमा हो, चाहे नकबजनी का मुकदमा हो, चाहे रायट्स का मुकदमा हो, चाहे एट्रोसिटीज का मुकदमा हो, आप पुलिस फोर्स को एक टाइम दीजिये कि मर्डर का मुकदमा इतने दिन में आप पूरा करेंगे। रायट्स के बारे में इतने दिन में आप छानबीन करके पूरा करेंगे। नकबजनी के मामले में आप इतने दिन में काम करेंगे और अगर वे इसी तरह टाइम के अनुसार पूरा काम कर दें तो आप उस पुलिस के सिपाही को या पुलिस का जो भी जिम्मेदार आदमी है, या जो भी थाना उसके लिए जिम्मेदार है, उसको कुछ न कुछ रिवार्ड दिया जाना चाहिए। वह कैश के रूप में आप रिवार्ड्स दीजिये, चाहे आप सारे एम्प्लोयीज को दीजिये। चाहे आप उनके सर्विस रिकार्डस में कुछ प्लस पाइंट एड करके रिवार्ड दीजिये और जो आदमी इसमें नाकाबिल, नाकामयाब साबित हो, उसको भी पनिशमेंट का प्रोविजन रहे तो उसमें आपको एक अच्छी परफार्मेंस मिलेगी।

दूसरा, मेरा यह कहना है, पुलिस मैन की जो सेलेरी है, चाहे उसकी सेलेरी ले लीजिये। वर्तमान में जो सेलेरी है, आप पुलिस वालों को करप्ट तो कहते हैं लेकिन पुलिस वाले क्या करें, उनकी मजबूरी है कि उनको चोरी करनी पड़ती है। उसकी मेहरबानी करके जो मौजूदा सेलेरी है, उसको आप इतना अच्छा जम्प दीजिये, चाहे जो जम्प आप दे रहे हैं

(20.00)

सरकार के कोष में पैसा उपलब्ध नहीं हो तो उनके खाते में आप उसको जमा करते रहिये, वह उनके रिटायरमेंट के बाद बीस साल बाद, पच्चीस साल बाद देते रहिये, उनकी सेलेरी में अच्छा जम्प देकर उनके अकाउन्ट में आप एकुमुलेटेड करते रहिये, एफ. डी. आर में डालते रहिये। पुलिस फोर्स की मोबेलिटी के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। पुलिस की मोबेलिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। आप इनको अप-टू-डेट व्हीकल्स दीजिये। हैड कांस्टेबल लेवल तक के आदमी को मोटर साइकिल देना जरूरी है और जो पुलिस फोर्स को आप व्हीकल्स देते हैं उन व्हीकल्स में फोर व्हीलर्स को हर दो साल में चेंज करवा दीजिये, अप-टू-डेट उनके व्हीकल रहने चाहिये। हर हैड कांस्टेबल के टू व्हीलर को हर बारह महीने में बदलिये, ताकि आपको री-सेल में अच्छे पैसे मिल जाएंगे और पुलिस फोर्स में इस तरह से गाड़ियां चलती जाएंगी। ड्यूटी के बारे में, अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़े दुःख की बात यह है, सात मिनट दिये हैं, मैं सात मिनट में ही खतम कर दूंगा, पुलिस मैन की जितनी हार्ड ड्यूटी है....

श्री अध्यक्ष : मात्र डेढ़ मिनट बचा है, माननीय। डेढ़ मिनट और बचा है, आप फरमायें।

श्री भीमराज भाटी : डेढ़ मिनट नहीं, मेरे बीच में मूंछों ने और बिना मूंछों ने गड़बड़ कर दी....

श्री अध्यक्ष : कोई बात नहीं। वह पाव मिनट का....

श्री भीमराज भाटी : पुलिस मैन की ड्यूटी ऐसी है कि वह आठ घंटे की, दस घंटे की वी. आई. पी. ड्यूटी देकर आता है और ड्यूटी देकर घर गया नहीं उसके पहले कोई न कोई टेलीफोन आ जाता है। चाहे एस. पी. हो, चाहे डीवाई. एस. पी. हो, चाहे छोटे से छोटा कांस्टेबल हो, उसकी ड्यूटी के आवर्स भी कुछ फिक्स कर दीजिये। ऐसा नहीं कि उसकी अनलिमिटेड टाइम के लिए ड्यूटी हो। दूसरे, पुलिस को अगर आपको रेसपेक्टेबल करना है तो उसकी जो ड्रेस आप देते हैं, उसके जो जूते हैं, उसकी जो वर्दी आप देते हैं, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, अप-टू-डेट आप उसको कपड़े दीजिये ताकि कम से कम वह भी वेल ड्रेस्ड कही जाए तो उसको भी यह अच्छा लगे इज्जत की दृष्टि से। दूसरे, लेस्टेट इक्विपमेंट्स अभी आपके यहां आये हैं, पेजर्स, तो पेजर्स की फेसिलिटी भी आप पुलिस को प्रोवाइड कीजिये। अब आप जब महिलाओं को इतना आगे ला ही रही है, भारत सरकार भी ला रही है, राजस्थान सरकार भी ला रही है, चाहे जिला परिषद हो या नगर परिषद हो, चाहे यह हो, तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि कम से कम हर जिला मुख्यालय पर एक महिला पुलिस स्टेशन तो होना ही चाहिये। दूसरा, मेरा यह विनम्र निवेदन है आपकी मार्फत....

श्रीमती तारा भंडारी : अध्यक्ष महोदय, महिलाओं को आगे ला नहीं रही, ला रहे हैं।

श्री भीमराज भाटी : महिलाएं आ रही हैं, अपने आप ही आ रही हैं आगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्रीमती तारा जी, आपकी थोड़ी भर्ती होना है अभी पुलिस में, बिराजिये आप।

श्री भीमराज भाटी : मेरा एक विशेष निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, जब तक पुलिस डिपार्टमेंट में पालिटिकल इंटरफियरेंस खतम नहीं होगा तब तक पुलिस की सर्विसेज में इम्प्रूवमेंट ऐक्सपेक्ट करना बहुत बड़ी बात होगी। पालिटिकल इंटरफियरेंस से मेरा मतलब यह है कि जिस किसी आदमी को आप किसी भी स्टेशन पर लगायें, उस आदमी को कम से कम यह एश्योर करें कि आप तीन साल तक यहां रहेंगे....

श्री अध्यक्ष : बिलकुल सही। बिराजिये आप। माननीय लक्ष्मणसिंह जी।

श्री भीमराज भाटी : नहीं वो जो

(श्री भीमराज भाटी)

पैसे वाले हैं, एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही मिनट में समाप्त कर रहा हू ।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री लक्ष्मण सिंह जी । माननीय श्री माधव सिंहजी दीवान । माननीय श्री मोहनलालजी मोदी । माननीय श्री जगदीप धनखड़ ।

श्री भीमराज भाटी : आप नाम पुकारें तब तक मैं समाप्त कर दूंगा ।

एक निवेदन मैं कर देना चाहता हूं । आलोचना नहीं करने का जब मौसम ही बन गया है तो मैं आलोचना नहीं करना चाहता लेकिन इस पवित्र सदन में एक बात जरूर कह देना चाहता हूं कि 13 अप्रेल, 1991 को शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब और हिन्दुस्तान के संविधान के निर्माता डाक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की मूर्ति हमारे पाली जिले में सादड़ी में तोड़ दी गयी, चार साल के इस अन्तराल के बावजूद भी उनका किसी का अभी तक पता नहीं चला और तो और, उस डाक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ने वाले मुकदमे में पुलिस ने एफ. आर. लगा दी है । तो मैं आपकी मार्फत माननीय गृह मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि भीमरावजी की जो मूर्ति तोड़ी गयी है उसके बारे में कम से कम पता लगाकर उन मुलजिमान को बुक्स में लायें । बहुत बहुत धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये । धनखड़ साहब । पाइंटेडली ।

श्री नन्दलाल मीणा : यह तो सुप्रीम कोर्ट के लायर हैं ।

श्री अध्यक्ष : बोलने दें माननीय, बोलने दें । काफी बिजनस बाकी है अभी ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आज आप हमारे ऊपर अगर दया कर दो तो आपका क्या बिगड़ जाए ?

श्री जगदीप धनखड़ : आज क्या कर दूं ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : दया ।

श्री जगदीप धनखड़ : आज दया नहीं करूंगा ।

श्री अध्यक्ष : माननीय, बोलने दें अब । सात मिनट दिये हैं, आप बोलने दें इन्हें ।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान के गृह मंत्री और पुलिस प्रशासन शीर्ष अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से कार्य किया है वरना राजस्थान इस प्रकार की संकटमय स्थिति में आ जाता कि स्थिति को फिर सुधारना मुश्किल हो जाता । मैं समझता हूं इस बारे में कोई विवाद नहीं हो सकता कि गृह मंत्रीजी सक्षम हैं

(श्री जगदीप धनखड़)

और पुलिस प्रशासन में जो शीर्ष अधिकारी हैं उनको अनुभव है देश का, विदेश का, मुझे उम्मीद है कि कुछ रचनात्मक सुझाव जो मैं दूंगा उनको लागू करने में माननीय गृह मंत्रीजी ध्यान रखेंगे कि अगले बजट सत्र में भी मुझे व्यक्तिगत रूप से इसी प्रकार कहने का सुअवसर मिले।

अध्यक्ष महोदय, पुलिस प्रशासन में 60 हजार कर्मचारी नीचे के स्तर पर हैं, उनका कोई संगठन नहीं है, उनकी कोई यूनियन नहीं है। उनके कल्याण के लिए जो जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर समितियां बनी हुई हैं, अधिकारी भी उन में हैं। अधिकारी उनकी बातों को सही तरीके से नहीं समझ पाते। मेरा सुझाव है कि इन 60 हजार कर्मचारियों के कल्याण के लिए ऐसी समितियों का गठन किया जाए जिनमें चाहे सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी हों या अन्य हों, ताकि खुलकर वह अपनी बात कह सकें। मेरा यह भी सुझाव है कि इनका जो मैस भत्ता है वह मात्र डेढ़ सौ रुपये है, समाज कल्याण में ढाई सौ से साढ़े तीन सौ रुपये कर दिया गया और यह मैस भत्ता इतना कम है कि उनको प्रोपर डाइट नहीं मिल पाती है। राजस्थान में रिसेंटली जो पुलिस मीट हुई थी, जो गेम्स हुए थे, एक ब्रोंज मैडल मिला, वह भी मैं समझता हूं, माननीय गृह मंत्रीजी, बाइ डिफाल्ट मिला। आप इनको स्वस्थ रखिये, इनके खाने की स्थिति तो कम से कम अच्छी करिये। देखिये, आप तो बैचलर हैं इसलिए आपको पता नहीं कि खाने का ध्यान किस तरह से किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा यह भी सुझाव है कि माननीय गृह मंत्रीजी को कोई दिक्कत इस समय नहीं होनी चाहिए, गुजरात में जैसी प्रणाली है, जो शिफ्ट सिस्टम इन्होंने चालू कर रखा है, वहां भी अब इनका राज आ गया है, उस प्रकार का सिस्टम चालू किया जाय, इनकी ड्यूटी आठ घंटे रखिये, इनको साप्ताहिक अवकाश दीजिये। मैं समझता हूं पुलिस प्रशासन में वह अधिकारी भी मौजूद हैं जिन्होंने देश-विदेश में ज्ञान प्राप्त किया है। आप सीमित तरीके से यदि उनको ट्रीट करेंगे, उनके लिए वर्किंग आवर्स को रेगुलेट करेंगे तो मानकर चलिये कि उनकी एफीसियेंसी बढ़ेगी। मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार की कार्यवाही आप शीघ्र करेंगे। उनका शिफ्ट सिस्टम रखिये और साप्ताहिक अवकाश भी रखिये।

माननीय गृह मंत्रीजी, आपके नोर्म्स तो हैं कि उनकी फैमिली अकमोडेशन 30 प्रतिशत तक रखेंगे, मुझे बताया गया कि वर्तमान में 5 प्रतिशत तक भी आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। इसमें भी सुधार लाइये। माननीय अध्यक्ष महोदय, आजकल वी. वी. आई. पीज. ड्यूटीज हैं, फेयर्स एण्ड फेस्टीवल हैं, लॉ एण्ड आर्डर मेंटीनेंस का मामला है, इसको इंवेस्टीगेशन

(श्री जगदीप धनखड़)

से अलग कीजिये और अब इनको ज्यादा दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए । बम्बई में इस प्रकार की प्रणाली है, आपको बम्बई का अनुकरण करने में कोई दिक्कत इस समय नहीं आनी चाहिये । इनको बिलकुल अलग कीजिये, अलग करने से क्या होगा कि इंवेस्टीगेशन विंग में कुछ एक्सपर्टीज आएगी । आवश्यकता आज के दिन, अध्यक्ष महोदय, साइंटिफिक इंवेस्टीगेशन की है । बड़ा अफसोस होता है, मैंने गृह मंत्रीजी को धन्यवाद दे दिया, इनके कार्यकाल में मेरे यहां चोरी हुई, मैंने तुरंत सूचना दी । मैं कहता हूं बड़ा अच्छा हुआ कि इनके पुलिस अधिकारी तुरंत पहुंचे, पर अध्यक्ष महोदय, साइंटिफिक इंवेस्टीगेशन नहीं होने की वजह से पता नहीं लगा पाये । अब साइंटिफिक इंवेस्टीगेशन करने के लिए, माननीय अध्यक्ष जी ।

श्री अध्यक्ष : गलत फीस तो नहीं आयी ?

श्री नन्दलाल मीणा : गलत एफ. आई. आर. थी, अध्यक्ष महोदय ।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि राज्य में एक पुलिस कमीशन का गठन किया जाय इस बात के लिए कि पुलिस कर्मचारियों को किस प्रकार की ट्रेनिंग मिले, पुलिस कर्मचारियों को साइंटिफिक तरीके से इंवेस्टीगेशन करने की स्कीम्स को किस तरह से इम्पार्ट किया जाय ।

अध्यक्ष महोदय, किसी भी सोसायटी में शांति तभी कायम रह सकती है जब न्यायपालिका के सामने पुलिस द्वारा सही निचोड़ पहुंचे । यदि वह निचोड़ ही गलत पहुंचेगा तो स्थिति बहुत गलत रहेगी । आज के दिन अधिकांश पुलिस के कर्मचारी न्यायपालिका के सम्मन की तामील में व्यस्त रहते हैं । अगर आप अन्दाजा लगायें तो करीब 30 से 40 प्रतिशत तक पुलिस कर्मचारी इस बारे में व्यस्त रहते हैं, काफी खर्चा भी होता है । किसी प्रकार का कोई संकट नहीं है, कानून के अन्दर राज्य के अन्दर अमेण्डमेंट किया जा सकता है और डाक के माध्यम से भी, माननीय गृह मंत्रीजी, आप सम्मन की तामील करा सकते हैं । सर्वोच्च न्यायालय तक की तामील डाक के जरिये होती है इससे जहां एक ओर अधिकांश कर्मचारी, जो इस काम में लगे रहते हैं और काफी खर्चा इस बारे में होता है, एक सम्मन की तामील में करीब-करीब तीन दिन कई बार लग जाते हैं, मैं समझता हूं कम खर्चीली व्यवस्था है और आपकी मैन पावर बचेगी । माननीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा समय लूंगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं, मुझे पता है, महावीरजी, गृह मंत्रीजी को कांग्रेचुलेट कर दो, आप कहोगे कोई जमता नहीं है इसलिए I am addressing him. नहीं, नहीं यह

(श्री जगदीप धनखड़)

कंस्ट्रक्टिव सजेशंस हैं और मुझे उम्मीद है कि If a competent Home Minister can translate them into reality. If I had to address you.

डिफिकल्टी दूसरी होती है और फ्रंट रैंकिंग पुलिस आफिशियल से थे । इन्होंने बहुत उच्च स्तर का कार्य किया हुआ है । We have to a hope from them.

माननीय अध्यक्ष महोदय, यूनिफार्म की कुछ चीजें हैं, उनको बदलिये आप । 40 साल के अन्दर क्या किसी ने बेनट का उपयोग किया है ? जब 40 साल में 40 दफा भी बेनट का उपयोग नहीं किया है और उसके अन्दर जो लगने वाला फॉग सिस्टम है, हटाइये उनको । इस प्रकार की व्यवस्था मत रखिये जो कम से कम फ्यूहल तो इन-केरेक्टर हो और यूटिलिटी के मामले में जीरो हो । माननीय गृह मंत्री जी, मेरा आपसे भी यह अनुरोध है कि किट हर पुलिस अधिकारी को क्यों दिया जाता है ? यदि कोई स्पेशल स्क्वाड हैं तो उनको दीजियें । यूनिफार्म वाले कंसेप्ट में भी सुधार लाइये, डायरेक्टर जनरल आफ पुलिस से लेकर नीचे तक यूनिफार्म का मतलब यूनिफार्म । आप रैंक बदल दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : विराजें ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इनको 15 मिनट हो गये और हमारे समय में 7 मिनट के बजाय 5 मिनट में ही टोका-टोकी शुरू कर दें । यह क्या मतलब है ? बिठाइये इनको ।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह भी अनुरोध है कि इन्वेस्टीगेशन किट के मामले में गृह मंत्री जी आप ज्यादा सजग होइये ।

श्री अध्यक्ष : माननीय एक मिनट बचा है ।

श्री जगदीप धनखड़ : इन्वेस्टीगेशन किट को ज्यादा मीनिंगफुल कीजिये ।.... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : आप व्यवस्था को चेलेंज नहीं करें । विराजें आप । आप बोलें नहीं बीच में ।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सरकार के पिछले टेन्योर में इन्वीटेशन कार्ड्स भी छप गये थे कि जयपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होगी । राज्य के बाहर भी जो उच्च पुलिस अधिकारी थे उनको भी आप इन्वीटेशन कार्ड्स दे चुके थे । मैं माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जयपुर इस प्रकार की व्यवस्था में फंस गया है कि बिलकुल साइंटिफिक पुलिस मेनेजमेंट की आवश्यकता है । गृह मंत्रीजी, कब तक पुलिस कमिश्नर व्यवस्था जयपुर में लागू

258

(श्री जगदीप धनखड़)

कर देंगे ? माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर....

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र गहलोत ।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष जी, मैं दो मिनट लूंगा ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, अब दो मिनट नहीं ।

श्री जगदीप धनखड़ : मुझे कुछ कड़वी बात तो कहने दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : कड़वी नहीं, आप मीठी कहने की आदत रखिये । बिराजें आप ।

श्री जगदीप धनखड़ : गृह मंत्रीजी, आपके और सरकार के लचीले रवैये से एडिशनल एस. पीज के प्रमोशंस के अन्दर अनावश्यक देरी हुई है । इससे इस अधिकारी वर्ग का मनोबल गिरा है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री गहलोत साहब । आप बिराजें, आप वैसे ही बहुत मौकों पर समय ले लेते हैं । बिराजें ।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस कस्टडी में जो कुछ अपराध बढ़े हैं, मैं समझता हूं उनकी रोकथाम के लिए यह अति आवश्यक है कि मानवाधिकार आयोग, जिसकी घोषणा मुख्य मंत्री महोदय कर चुके हैं, वह करें । आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप जल्दी मान गये । माननीय श्री गहलोत साहब ।

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : माननीय अध्यक्ष जी, आज सरकार के महत्वपूर्ण विभाग, पुलिस पर सदन में चर्चा हो रही है । पुलिस का काम शांति, व्यवस्था और न्याय व्यवस्था को कायम करना है । पुलिस के विषय में सभी सदस्यों ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव और विचार रखे हैं, परन्तु मैं सिर्फ पश्चिमी राजस्थान की पुलिस के सुदृढ़ीकरण के लिए अपने सुझाव आपके समक्ष रखूंगा ।

माननीय अध्यक्ष जी, पश्चिमी राजस्थान की सीमा एक हजार चालीस किलोमीटर अन्तरराष्ट्रीय सीमा से लगती है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बहुत धीमी गति से चल रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र गहलोत : गति अब तेज हो जाएगी ।

श्री अध्यक्ष : अब तो समय खतम होने को आ रहा है ।

श्री राजेन्द्र गहलोत : अध्यक्ष जी मैं,

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

जो सुझाव नहीं आये हैं उन सुझावों को रखूंगा।

श्री अध्यक्ष : अच्छा आप बोलिये।

श्री राजेन्द्र गहलोत : आप भी थोड़ा गम्भीर रहिये।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय गृह मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि इस सीमा पर सीमित साधन होने के बाद 1 अरब 50 करोड़ 75 लाख रुपये का तस्करी का माल पकड़ा गया। यदि सीमान्त पुलिस को अच्छे साधन उपलब्ध करा दिये जाते तो जो तस्कर, जो आतंकवादी जयपुर के लिए चिन्ता का विषय हैं, वे जयपुर तक नहीं पहुंचते। पश्चिमी राजस्थान की बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर और बीकानेर सीमा पर हमको नजर रखकर देखना होगा और सोचना होगा कि कैसी भौगोलिक स्थिति है और उस भौगोलिक स्थिति के अन्दर अराष्ट्रीय गतिविधियों को, आतंकवादी गतिविधियों को, तस्करी की गतिविधियों को हमारे सीमित साधनों से कैसे रोक पाएंगे।

आज जो पुलिस दूरसंचार व्यवस्था है, पूरे जोधपुर संभाग के अन्दर एक डीवाई. एस. पी. है, आज संचार व्यवस्था में तुरन्त सूचनाएं पहुंचनी चाहिये और किस प्रकार की गतिविधियां होनी चाहिये, उनको कैसे रोका जाए इसके लिए पुलिस के पास कोई व्यवस्था नहीं है। जयपुर के अन्दर और कोई काम नहीं है, उसके बावजूद भी दूर संचार पुलिस व्यवस्था में दो एस. पी. बैठे हुए हैं।

मैंने आज से 6 महीने पूर्व माननीय गृह मंत्रीजी को एक पत्र लिखा था उसमें यह निवेदन किया था कि पश्चिमी राजस्थान जो पाकिस्तान की सीमा से लगता है, जो पंजाब की सीमा से लगता है, जो गुजरात की सीमा से लगता है, इसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए पुलिस की जो दूर संचार व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जाए और एस. पी. का जो पद है, जोधपुर में नियुक्त किया जाए, जोधपुर में सृजित किया जाए।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जोधपुर संभाग बहुत बड़ा संभाग है जिसमें 6 जिले हैं। भू-भाग के हिसाब से भी बहुत बड़ा भू-भाग है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर के अन्दर एक डी. आई. जी. सर्कल बनाया जाए, पाली, सिरोही और जालोर के लिए एक और डी. आई. जी. सर्कल बनाया जाए, दो डी. आई. जी. सर्कल, यदि एक अतिरिक्त डी. आई. जी. सर्कल जोधपुर में बनता है तो हम आने वाली आतंकवादी गतिविधियों से, जो आई. एस. आई. की चेतावनी है, सीमा के उस पार चाहे मीरकासपुर हो, थारपार हो या पाकिस्तान की जो खुफिया पुलिस है और खुफिया एजेंसी है इनके शिविर लगे हुए हैं और उन शिविरों से राजस्थान

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

की वेषभूषा, राजस्थान की बोली आदि के आधार पर जो घुसपैठिये राजस्थान में भेजे जा रहे हैं, उन घुसपैठियों को को रोकने के लिए पूरी पुलिस को तत्परता से कार्यवाही करनी चाहिये। यह मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : आधा मिनट और है।

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय अध्यक्ष जी, यह राष्ट्रीय मुद्दे से जुड़ा हुआ प्रश्न है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर के अन्दर 55 करोड़ रुपये आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिये, जयपुर में कानून व्यवस्था ठीक करने के लिये दिये जा रहे हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर के बाद जोधपुर सबसे बड़ा नगर है और जोधपुर नगर के अन्दर एक एस. पी. है, सबसे बड़ा जिला है और वहां सारी सीमा की गतिविधियां होती हैं, तस्करी की गतिविधियां होती हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह राष्ट्रीय मुद्दे से जुड़ा हुआ प्रश्न है। मैं आपसे दो मिनट चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप राष्ट्रीय मुद्दे पर ही बात कर रहे हैं। आप जल्दी समाप्त करें अब।

श्री राजेन्द्र गहलोत : मैं दो मिनट का समय चाहूंगा। जोधपुर के अन्दर शहर का एक एस. पी. अलग हो, देहात का एस. पी. अलग हो। यह मैं निवेदन इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि जोधपुर को सीमान्त जिले के अन्दर नहीं लिया गया है लेकिन मैं माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि बाप और फलौदी क्षेत्र जो सीमा से लगते हुए हैं और सबसे ज्यादा तस्करी का माल वहां पकड़ा गया है, वह तस्करों की शरण स्थली है, वह थाने सीमान्त क्षेत्र के अन्दर लिये जाएं।

श्री अध्यक्ष : माननीय विराजिये। श्री शैलेन्द्र जी जोशी। (अनुपस्थित)। श्री आर. पी. शर्मा (अनुपस्थित)। श्री रामनारायण मीणा।....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक निवेदन है, एक मिनट के लिये। मेरा एक महत्वपूर्ण सुझाव है कि बाप और फलौदी क्षेत्र सीमा के तस्करों का केन्द्र है....

श्री रामनारायण मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मेरा नाम ले लिया, मै खड़ा रहूं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : एक सैकण्ड, विराजिये।

श्री राजेन्द्र गहलोत : उसके अन्दर नियंत्रण रखने के लिये मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि उसको सीमान्त थानों

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

के अन्तर्गत लाया जाए। वहां सी. आई. सर्कल बनाया जाए।

श्री अध्यक्ष : बहुत-बहुत धन्यवाद, बिराजिये आप।

श्री राजेन्द्र गहलोत : एक निवेदन मेरा और है। जोधपुर संभाग का केन्द्र जोधपुर शहर है और शहर का यातायात बिगड़ा हुआ है। यातायात को सुधारने के लिये मात्र एक सर्कल इंस्पेक्टर है। मैं, माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि ...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। श्री रामनारायणजी। आप बिराजिये।

श्री राजेन्द्र गहलोत : वहां एक अतिरिक्त एस. पी., यातायात की नियुक्ति की जाए....

श्री अध्यक्ष : बहुत-बहुत धन्यवाद। बिराजें आप।

श्री राजेन्द्र गहलोत : जिससे जोधपुर की यातायात व्यवस्था ठीक हो सके। माननीय अध्यक्षजी, आपने मुझे समय दिया इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री रामनारायणजी।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : माननीय अध्यक्षजी, पुलिस से सम्बन्धित डिमाण्ड पर काफी देर से विचार विमर्श हो रहा है....

श्री अध्यक्ष : माननीय रामनारायण जी, सात मिनट में समाप्त करें।

श्री रामनारायण मीणा : मेरा जहां तक ख्याल है काफी कुछ बातें यहां हुई हैं। यह सही है कि आतंकवादियों पर काबू पाने के लिये कुछ कोशिश की गयी और राजेन्द्रजी को सकुशल छुड़ाया गया। धन्यवाद के पात्र तो पुलिस के सिपाही और वह भी हैं, जिनको हम सबने धन्यवाद दिया है। लेकिन, माननीय गृह मंत्रीजी, आपसे हम कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहते, आपकी बहुत बड़ाई हो चुकी है इस सदन में। और बड़ाई हम कर दें, क्योंकि आपकी बड़ाई तो मुख्य मंत्रीजी ने ही कर दी। एक लाख रुपये का इनाम आपने घोषित करवाया, उन्होंने विड्ड्रा करवा लिया राजस्थान के गृह मंत्री शिड्यूल्ड कास्ट के हैं, इनका नाम हो जाएगा एक लाख के इनाम में, दो लाख का मुख्य मंत्रीजी ने कर दिया। आपकी यह हालत जो इस पार्टी में बनी हुई है वह मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं, गृह मंत्रीजी, कि धारा तीन के अन्दर....

श्री अध्यक्ष : माननीय, कुछ सजेशंस दें आप। फिर आप कहेंगे कि मेरे को और समय दो।

श्री रामनारायण मीणा : अनुसूचित

(श्री रामनारायण मीणा)

जाति, जनजाति एट्रोसिटीज ऐक्ट के जो केसेज हैं, अध्यक्ष जी, जब से माननीय गृह मंत्रीजी राजस्थान के गृह मंत्री बने हैं उसके बाद से उन केसेज की जो गति हो रही है, उसका कभी आपने विश्लेषण किया, माननीय गृह मंत्रीजी ? माननीय गृह मंत्रीजी, इसका विश्लेषण करें।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहूंगा कि, माननीय गृह मंत्रीजी, मैं नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के प्रयास रंग लाये और होटल में जो बलात्कार काण्ड हुआ, उसका मुलजिम अस्पताल में भर्ती हुआ, यह तो सारी बातें हो रही हैं। यह तो आपकी पार्टी जब-जब राज में आयी है, ऐसे काम हुए हैं। फिरोती मिलने के बाद ही डाकुओं ने बन्धक को छोड़ा। यह सारी बातें तो आप कर रहे हो। लेकिन आपकी पार्टी के एक सदस्य मुझे मिले थे, आज करौली के विधायक आये कि नहीं आये। करौली के विधायक को डाकुओं ने धमकी दी है। आपको लिखा है, मुख्य मंत्रीजी को लिखा है। इसके बावजूद भी उनकी सुरक्षा की आप बात नही कर रहे हैं। हो सकता है कि आजकल आपके आपस' में मनमुटाव हों। आपकी पार्टी में वे नहीं हों। कृपया इस बात को देखें कि एक विधायक कहता है कि मैं सुरक्षित नहीं हूं। कभी कांग्रेस का विधायक कहता है, कभी निर्दलीय विधायक कहता है। कृपा करके इस बात को देखें।

आज जो हालत है, आप देखिये आपके राज में, माननीय अध्यक्षजी, सुनेल पचपाड़ में एक काण्ड हुआ, विधायक महोदय श्री पाटीदारजी हैं कि नहीं हैं, उस मामले में पुलिस ने क्या ज्यादती की ? उसके बाद में किस तरह से मुकदमा दर्ज हुआ ? कितने दबाव के बाद मुकदमा दर्ज हुआ ? आपकी पुलिस इतनी उच्छृंखल हो, आपका कण्ट्रोल न रहे उसके ऊपर। जहां जनता आन्दोलन करे उसके बावजूद मुकदमा दर्ज न हो और थाने में आदमी को मार दिया जाए और आप कुछ न करो। माननीय गृह मंत्री महोदय, मैं आपसे मिला। एक लटूर को मार दिया गया लाखेरी थाने में। यह बात सही है उसको बुरी तरह से मारा, उसकी, तिल्ली फटी और उसको मारने के बाद में बड़ी मुश्किल से मुकदमा दर्ज हुआ। मैंने आपसे कहा गृह मंत्रीजी, आपके पास गृह मंत्रालय का चार्ज है, आपने उस गरीब का क्या भला किया ? आज की तारीख तक आपने उसको पैसा नहीं दिया, अनुग्रह राशि भी नहीं दी। और तो और, उसकी विधवा भूखी मर रही है। उसके बच्चे, एक 16 साल का बच्चा है, एक 12 साल का बच्चा है, एक 13 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा है और एक 5 साल का बच्चा है, 5 बच्चे उसके भूखे मर रहे हैं। आपके गृह मंत्रालय ने क्या किया ? आपके पुलिस वालों ने, जवानों ने मार दिया। आपको एक बात और कहना चाहता हूं, गृह मंत्रीजी जहां-जहां पुलिस के द्वारा

(श्री रामनारायण मीणा)

कांड हुए, वह पेच की बावड़ी हो सकती है, पेच की बावड़ी में गवाहों को डरा-धमका कर एवीडेंस दिलवाये जा रहे हैं और मुकदमा बिगाड़ा जा रहा है। लटूर हत्याकाण्ड के मुकदमे का मुलजिम, जो आपका सी-आई. डी. का एडिशनल एस. पी., जांच कर रहा है, उस सी. आई. डी. के एस. पी. के साथ घूमता है। आप उस मुकदमे का चालान करवाने की स्थिति में हैं? आप निश्चित तौर पर उसको करवायें क्योंकि वह आदिवासी आदमी है। पेच की बावड़ी में मारा गया, वह आदिवासी आदमी है। कोटा डेम पुलिस ने मारा, वह आदिवासी आदमी था। आपके एक-एक साल में तीन-तीन मर्डर पुलिस करे और उसके बारे में आप कुछ नहीं कहें। यदि आप सक्षम मंत्री हैं, और ऐसी बढ़ाई करते हैं, मैं भी आपको मानता हूं, आप यदि थोड़ी मजबूती दें तो आप कुछ न कुछ कर सकते हैं। कृपा कर कुछ न कुछ करने की कोशिश करें। राशमी में भी इस तरह का एक काण्ड हुआ था। आखिर एक विधायक को, जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक है उसको पुलिस को थप्पड़ मारने को क्यों कोशिश करनी पड़ी? मैं एक बात आपको बताता हूं, आज चोरियों में क्या हो रहा है? गृह मंत्रीजी, हर जगह चोरियां होती हैं इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन एक चोरी हुई हुई है आपकी भिवांडी में।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, दो मिनट और हैं।

श्री रामनारायण मीणा : अध्यक्ष महोदय, अभी तो खड़ा ही किया है आपने। मुझे पहले कह देते तो मैं नहीं खड़ा होता।

श्री अध्यक्ष : 7 मिनट ले लिये हैं। समय की सीमा है। मजबूरी है।

श्री रामनारायण मीणा : मैं आपको निवेदन करूं, माननीय गृह मंत्रीजी, एक केस भिवांडी थाने में रजिस्टर हुआ है। केस नम्बर है 65/95। इस केस में 23 लाख का माल चोरी हुआ है। वहां जूता बनाने की डाई चोरी गयी है। एफ. आई. आर. में कुछ नहीं है कि 5 रुपये का माल है या 10 रुपये का माल है। आपके जो सिक्योरिटी के प्राइवेट गार्ड्स होते हैं, उनसे पूछताछ नहीं की जा रही है। निश्चित तौर पर उन गार्ड्स का उसमें हाथ है। थाने में जाते हैं तो जो डाई गायब हो गयी वह 10 रुपये की बतायें कि 20 रुपये की बतायें। जब सीमा के ऊपर चरस पकड़ी जाती है तो आप कहते हैं कि डेढ़ करोड़ का माल है, सीमा की चरस हमारे किसी काम नहीं आती। आप वह डेढ़ करोड़ का बताकर के वाह-वाही लूटते हैं। इस तरह की चोरियां जहां होती हैं, और मुकदमा किसमें दर्ज किया? 379 में। रात का वाकया है, भीतर घुसे हैं, कोई न कोई तो एक्ट ट्रेसपास का बनता होगा?

इस तरह के जो मामले हो रहे हैं, गृह मंत्रीजी, मैं आपको एक बात कहना

(श्री रामनारायण मीणा)

चाहूंगा, एक केस रजिस्टर हुआ है। माननीय अध्यक्षजी, बहुत सीरियस मामला है 219/90, पुलिस थाना शास्त्री नगर। माननीय गृह मंत्रीजी, लिख लीजिये 219/90,5 साल हो गये। उस मुकदमे का चालान नहीं हुआ है। और तो और, उसमें मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। तारीख कौन सी थी, माननीय गृह मंत्रीजी 1-10-90। आपका दबाव आया, सरकार का दबाव आया 1-10-90 को, और उस मुलजिम को छोड़ना पड़ा। आप कहो तो मैं उसकी रपट बता दूं जिस दिन वह गिरफ्तार हुआ। एक तारीख को वह गिरफ्तार हुआ, डेढ़ घंटे बाद उसको रपट नम्बर 69 से गिरफ्तार किया गया 9 बजकर 10 मिनट पर। 72 में 11 बजकर 15 मिनट पर उसको छोड़ दिया गया। मैं शोर्ट में कहना चाहूंगा, माननीय गृह मंत्रीजी, किसी भी जात का हो, किसी का रिश्तेदार हो जबकि आपके इन्वेस्टीगेशन के एडिशनल डायरेक्टर ने अपनी रिपोर्ट दे दी कि इसमें केस बनता है, इसका चालान किया जाए। आपकी पुलिस उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस तरह के केसेज में कम से कम कार्यवाही की जानी चाहिए। एक बात और कहना चाहूंगा ....

श्री अध्यक्ष : माननीय, बिराजिये अब आप।

श्री रामनारायण मीणा : यहां बस्सी के विधायक बैठे हैं। खुराड़ का एक मामला है। बस्सी के विधायक वहां मीटिंग ले रहे थे (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री जयन्तिलालजी। (अनुपस्थित) श्री हरिनारायण जी बैरवा।

श्री रामनारायण मीणा : कृपा करके ... (व्यवधान).... खुराड़ के मामले को आप सुलझाएं। किसी दिन वहां मर्डर होंगे, हत्याएं होंगी....

श्री अध्यक्ष : माननीय, बिराजिये। बहुत-बहुत धन्यवाद। बिराजिये आप।

श्री रामनारायण मीणा : मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे मामलों पर विशेष तौर पर ध्यान देंगे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिनारायण जी।

एक माननीय सदस्य : जवाब दिलवायें।

श्री अध्यक्ष : जवाब भी दिलवायेंगे, आप इतनी व्यग्रता न करें। मेरे पास जो लिस्ट है वह तो मैं पूरी करूंगा।

श्री सुजानसिंह यादव : रिपीटिशन हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : तो भी कुछ माननीय सदस्य, जो नहीं बोलते हैं उन्हें बोलने दें आप ।

श्री हरिनारायण (खण्डार) : अध्यक्ष महोदय, मेरा क्षेत्र डांग क्षेत्र है जिसमें हमेशा डाकू समस्या बनी रहती है । अभी भी कुछ दिनों पूर्व ऐक व्यक्ति का अपहरण हुआ । पुलिस ने जिस धैर्य और जनता के सहयोग से कार्य किया, उसके लिये मैं पुलिस प्रशासन को बधाई देता हूं ।

एक माननीय सदस्य : कहां पर हुआ ?

श्री हरिनारायण : खण्डार, जिला सवाई माधोपुर । डी. जी. पी. साहब और गृह मंत्रीजी ने भी इसमें काफी सहयोग किया । बिना नुकसान के, जिसका अपहरण किया था उस व्यक्ति को 35 दिन बाद में पुलिस ने जगह-जगह चौकियां डालकर के, रात-दिन मेहनत करके रघुवीर सोनी छुड़ाया और राधे डाकू पुलिस की मुठभेड़ में मारा गया । कभी-कभी जब पुलिस में हम रिपोर्ट कराते हैं तो रिपोर्ट रात को आठ बजे कराते हैं और पुलिस दूसरे दिन दो बजे तक पहुंचती है । इसकी आलोचना तो जन-साधारण सभी करते हैं कि, साहब, कल रिपोर्ट की थी लेकिन पुलिस आज दोपहर के बाद पहुंची है । इसका जो मुख्य कारण है, उस पर हम नहीं पहुंचे हैं, पुलिस थाने और चौकियां तो जगह-जगह खोल दी हैं लेकिन उनको कोई साधन नहीं दिये गये हैं । पुलिस चौकियों और थानों में जीप और मोटर साइकिल की व्यवस्था की जाए, ताकि पुलिस रिपोर्ट होते ही तुरन्त मौके पर पहुंच जाए और समस्या का निराकरण कर सके । बहरावण्डा कलां, जो मेरा विधान सभा क्षेत्र है, यह डांग के अन्दर है, यहां पर थाने की नयी बिल्डिंग बनायी जाए तथा सभी थानों पर पुलिस वालों के रहने के लिये आवासों की व्यवस्था जाए । ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : माननीय, बोलने दीजिये ।

श्री हरिनारायण : एक और प्रकरण है । माननीय भंवरसिंहजी ने अभी बताया था कि एक मछली पूरे तालाब को गन्दा कर देती है, इसी प्रकार अनुसूचित जाति के जो मुकदमे हैं उनमें धारा तीन के अन्तर्गत जो एट्रोसिटीज के मुकदमे बनते हैं, उनमें आशा करते हैं डी. एस. पी. से कि हमें न्याय देंगे, लेकिन अनुसूचित जाति के मामले में उन्होंने किया क्या ? एक बैरवा को मार करके डाल दिया और लोगों ने उसको उठाया और अस्पताल में भर्ती करवाया और भर्ती करवाने के बाद इलाज में वह बच गया लेकिन जब डी. एस. पी. ने उसकी तफ्तीश की तो तफ्तीश में, एफ. आई. आर. में काफी चोटें बतायी गयी हैं लेकिन उसमें धारा 307 नहीं लगायी गयी और सारे मुलजिमों की जमानत हो गयी, उसके बाद में एस. पी. ने धारा तीन जोड़ी है ।

(श्री हरिनारायण)

इसी प्रकार जमीन के जो मुकदमे थे, सवर्ण जाति वालों ने उनके ऊपर कब्जे कर रखे हैं और डीवाई. एस. पी. महोदय ने उसकी तफ्तीश की तो तफ्तीश में धारा तीन अनुसूचित. जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण की नहीं लगा करके उसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 447 जोड़ करके उनकी सबकी स्वयं ने ही जमानत ले ली । इस प्रकार के चार मुकदमे मेरे पास में हैं, जिनको मैं आपको बता देता हूं । एक....(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बीच में टोका-टाकी नहीं करें ।

श्री हरिनारायण : ठीक है, मैं आपको इनकी सूची दे देता हूं ।

थानों में रिपोर्ट करने जाते हैं, शिकायत करने जाते हैं तो शिकायत दर्ज नहीं करते हैं इसलिए इनके नियमों में कुछ न कुछ संशोधन हो, ताकि जन-साधारण आराम से अपनी शिकायत दर्ज करवा सके। जब कभी थानों पर या चौकियों पर जाते हैं तो पुलिस वाले दारू में धुत मिलते हैं इसलिए थानों पर और चौकियों पर दारू उन पीकर यदि पुलिसवाले मिल जाएं तो उन पुलिसवालों को लाइन हाजिर कर दिया जाए, यह मेरा सुझाव है । इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : बहुत-बहुत धन्यवाद, बिराजिये । श्री शांतिकुमारजी धारीवाल । 8.40 तक आपको अपनी बात समाप्त करनी है ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : मैं तो उससे पहले ही समाप्त कर दूंगा । अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो आपने इतना लेट बुलवाया कि वैसे ही आत्मा तो मर गयी और वैसे पुलिस का डण्डा आप जानते ही हो कितना....

श्री अध्यक्ष : मैंने नहीं बुलवाया, आपके सचेतक महोदय ने लिस्ट दी है, मैं उसी को देख रहा हूं ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ...(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : बोलने दीजिये । माननीय सदस्य, समय जाया नहीं करें ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कैलाशजी मेघवाल को अपने राजस्थान का गृह मंत्री बनाया, बगल में बैठाया, उनको मान दिया और आपसे यह अपेक्षा करूंगा कि जिस कुर्सी पर आज आप बिराजे हुए हैं, कोई जमाने में इस कुर्सी पर श्री मोहन लालजी सुखाड़िया, श्री मथुरादासजी माथुर और श्री दामोदर लालजी व्यास जैसे लोग बैठा करते थे, यह अपेक्षा करता हूं कि उन जैसा आचरण और

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

गृह मंत्रालय को वे किस तरीके ××× करते थे, चलाते थे (व्यवधान)....मेरी पूरी बात सुनिये आप ।

श्री अध्यक्ष : माननीय, बोलने दीजिये ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं आपसे यह अपेक्षा करता हूं, चूंकि आप अनुसूचित जाति को बिलोंग करते हैं, हम लोग आपको तरजीह दें, आपकी मदद करें, आपको सहयोग देवें, आपकी कमियों को घोल कर पी जाएं, बतायें नहीं, लेकिन उसकी भी एक हद होती है । यह आपके ही लिखे हुए आंकड़े हैं, यह किताब गवर्नमेंट प्रेस में छपी है । 1993 में एक लाख इक्कीस हजार अभियोग दर्ज किये गये सिर्फ आई. पी. सी. के और 1994 में यह बढ़कर एक लाख तैंतीस हजार हो गये । अध्यक्ष महोदय, यह तो वह आंकड़े हैं जो पुलिस स्टेशन पर दर्ज कर लिये गये, उन 25 या 30 पर्सेण्ट केसेज का क्या होगा जो पैसे नहीं देने पर या राजनैतिक टेलीफोन नहीं करवाने पर दर्ज नहीं किये गये ? आप हर थाने पर जाकर देख लीजिये, हालात यह हैं कि एस. पी. के बंगले पर डायरेक्ट कम्पलेनेंट जाते हैं और यह शिकायत करते हैं कि थानेदार ने इतना पैसा मांगा । आजकल एस. पीज. भी इस बात को सुनने के आदी हो गये कि साहब, ठीक है, मांगा, आप तो दे जाओ, दरख्वास्त जमा करवा दो, दर्ज कर लेते हैं, यह हो जाता है ।

मैं किसी बड़े अफसर पर कोई लांछन नहीं लगाता हूं और मुझे इस बात का गर्व है कि आज राजस्थान की पुलिस में जो बड़े से बड़े अफसर हैं, कई डी. आई. जीज. को मैं पर्सनली जानता हूं, कई डी.जीज. को जानता हूं, कई एडिशनल डी.जीज. को जानता हूं, बड़े अच्छे निष्ठावान हैं और उनकी कार्यकुशलता दूसरे स्टेट के पुलिस के अफसरों से लाख गुना बढ़िया है । लेकिन आपके राजनैतिक हस्तक्षेप से, आपके बराबर दबाव से वे लोग खुलकर काम नहीं कर पाते और जनता को पूरा सहयोग नहीं दे पाते, कानून की व्यवस्था को पूरी अच्छी तरह से अंजाम नहीं दे पाते हैं । आपके राजनैतिक हस्तक्षेप का एक उदाहरण नहीं है, आपके राजनैतिक हस्तक्षेप के पचासों उदाहरण हैं । (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : भाजपा में राजनैतिक हस्तक्षेप नहीं है, जितना कांग्रेस ने किया था । क्या बात करते हैं आप ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं कुछ नहीं बोलूंगा ।

श्री किशनाराम नाई : यह भावना

××× शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री किशनाराम नाई)

तो आपने पहले ही व्यक्त की है। जो आपके नेता थे, वे उदार दिल नहीं थे, हमारे नेता उदार दिल हैं जो शिड्यूल्ड कास्ट का गृह मंत्री बनाया। इस बात का ही पूरा दुःख है आपको।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : 15-1-1995 को बारां जिले के दिलवाड़ा कस्बे में एक हादसा होता है और उस हादसे में कुछ लोगों के ऊपर 150-200 व्यक्तियों ने हमला किया और हमला इस तरीके से किया, आपकी जानकारी में है, मि. मदन दिलावर.... (व्यवधान) और हमला इस तरीके से किया, अध्यक्ष महोदय, कि करीब बीस या पच्चीस मोटर साइकिल तोड़ दी गयीं और आठ-दस कुओं में फेंक दी गयीं। दो-तीन कारों को तोड़ा गया, कइयों के फ्रैक्चर हुए, सब कुछ हुआ। यह जनवरी का वाकिया है, है, आज अप्रैल हो गया लेकिन इस एफ. आई. आर. के अलावा एक इंच पुलिस आगे नहीं बढ़ी। वह क्यों नहीं बढ़ी? राजनैतिक हस्तक्षेप की वजह से। आपने वह फाइल, ताकि वहां की पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करे, वहां के अच्छे पुलिस अफसर इस चीज को अन्जाम नहीं दे पायें, मंगवा कर जयपुर में डम्प कर दी। यह राजनैतिक हस्तक्षेप कृपया बन्द कीजिये। इस बात का गर्व मत कीजिये कि मुख्य मंत्रीजी ने आपको बगल में बैठा दिया है। बगल में बैठाने में कई दूसरे केसेज भी होते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने तो शुद्ध नीति से बगल में बैठाया है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बगल में ही लेकर चल रहे है आप। स्लाटर हाउस में जो बकरा काटता है, कातिल, बगल में ही उस बकरे को लेकर चलता है। उर्दू का एक शेर है, मुख्य मंत्रीजी को समर्पित करता हूं—

"मकतल का वह मंजर भी अब तक है निगाहों में....

एक माननीय सदस्य : मकतल का मतलब ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मकतल का मतलब स्लाटर हाउस है।

"मकतल का वह मंजर भी अब तक है निगाहों में,

कि कातिल भी लिये फिरता था मकतूल को बांहों में।"

मकतूल कहते हैं, अध्यक्ष महोदय, आप उर्दू समझते हैं...

श्री अध्यक्ष : मेरे यह समझ में नहीं आ रहा है कि आप जैन होकर यूं-यूं क्यों कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कातिल-कातिल ।

श्री अध्यक्ष : मैं सब समझ गया, आप आगे फरमायें ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं जैनी तो हूं लेकिन मदन दिलावर का दोस्त भी हूं ।

तो मकतल तो कहते हैं स्लाटर हाउस को और मकतूल बोलते हैं बकरे को । तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह कम से कम राजनैतिक हस्तक्षेप रखें ।

मैं कोई लम्बा-चौड़ा भाषण नहीं देना चाहता, दो-एक जो छोटी-छोटी गलतियां आपने की हैं वह निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय, एक मिनट और है ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बस सीधा बलात्कार पर । अब यह देखिये, आपके टाइम पर केसेज बढ़े हैं । 1992 में बलात्कार के 848 केसेज बने, 1993 में 893 और आपके आते ही 1000 से ऊपर मामला पहुंच गया है । मैं यह कहना चाहता हूं कि आप उस तरीके से काम करो, लापरवाही मत बरतिये, राजनैतिक हस्तक्षेप बंद कीजियेगा ।

श्री अध्यक्ष : बिराजें, माननीय सदस्य ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : क्या बिराजें, अध्यक्ष महोदय, यह देखो तो सही आप । एक और बताऊं मैं आपको ।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सूर्यकान्ता जी ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अब यह कल्याणकारी बना दिया आपने इसमें कि कल्याणकारी योजना बनायी गयी । क्या बनायी गयी ? कि, साहब, एक तो हितकारी निधि, एक कल्याण व कैंटीन कोष, पुलिस कल्याण न्यास, सामूहिक बीमा योजना, दोहरा लाभ । किसमें कितना पैसा आपने दिया है, कितना पैसा खर्च किया है, हिसाब तो बताओ ? किताब छापकर आप फिर वही उस तरीके से चलाना चाहोगे । नहीं, यह गलत बात है ।

अध्यक्ष महोदय, एक यह दयामूलक, एक यह मृत्यु, मरने के बाद उसको जो सहायता दी जानी चाहिए उसका क्या नाम रखा है....

श्री टीकमचन्द कान्त : एक शेर और सुनायें ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : समझो तो हो नहीं, क्या शेर सुनाऊं आपको । उर्दू की टांग जानो नहीं और शेर सुनादें, शेर सुनायें ।

"दयामूलक अनुदान" यह दयामूलक अनुदान शब्द इसमें से मेहरबानी कर के हटाइये । अच्छा नहीं लगता ।

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

दूसरी बात यह है कि इसमें आपने जो ज्यादा पे पाने वाले लोग हैं, जैसे 3050 के ऊपर वाले हैं उनको तो लाख रुपया दे दिया और जो गरीब हैं, जिनको ज्यादा मदद मिलनी चाहिये, 1679 के लिए सिर्फ 50,000 दिये हैं। इसको बिलकुल उलटा कीजियेगा। जिसको आप कम पे देते हैं उसको सहायता ज्यादा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय, बिराजें। श्रीमती सूर्यकान्ताजी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं एक आखरी में दो लाइन मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं, जिलों में जो लॉ एण्ड आर्डर की प्राब्लम है। हर जिले में आपको यह चीज देखने को मिलेगी कि एस. पी. और कलक्टर, इन दोनों की ईगो आपस में हर्ट करती है। कलक्टर यह समझते हैं कि सारा लॉ एण्ड आर्डर का जिम्मा मेरे माथे पर है इसलिये एस. पी. मेरे मातहत रहेगा, मैं जैसे आदेश दूंगा उस तरह से वह काम करेगा और एस. पी. इस चीज को कभी बरदाश्त नहीं करता, क्योंकि सड़क पर वह जाता है, फुटपाथ पर वह जाता है, चोरों के पीछे वह दौड़ता है, कातिलों को पकड़ने वह घूमता है। तो इसमें आप कोई न कोई सामंजस्य बैठाइये। कई बार अच्छे इंवेस्टीगेशंस इसलिये नहीं हो पाते कि इन दोनों की ईगो आपस में हर्ट होती है। तो आप इस बात पर सोचें।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। श्रीमती सूर्यकान्ताजी।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आज मांग संख्या-16 के सन्दर्भ में पुलिस विभाग के बारे में माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगी। इस बात की मुझे खुशी है कि अपने यहां पर निश्चित रूप से मानना पड़ेगा कि देश के अन्य प्रांतों की तुलना में राजस्थान प्रदेश की कानून और व्यवस्था संतोषजनक रही है।

अध्यक्ष महोदय, नयी सरकार के आने के बाद सीमा पर अपराधी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको हाथ जोड़कर निवेदन करूं, मेरे को बोलने देना, बीच में टोकना नहीं क्योंकि मैं अपनी बात को भूल जाती हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं सात ही मिनट बोलने दूंगा, सातवें मिनट पर कह दूंगा आपको। हां, बोलिये आप।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : मैं मेरी बात को भूल जाऊंगी। अध्यक्ष महोदय, मैं मुद्दे की बात ही कहूंगी। जोधपुर शहर के अन्दर स्टेट के समय से जो थाने बने हुए हैं और जो चौकियां बनी हुई

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

हैं वह अभी तक वैसे के वैसे कायम हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी से और गृह मंत्रीजी से निवेदन है कि उन थाने और चौकियों को क्रमोन्नत करने की व्यवस्था करें और जोधपुर के अन्दर जो पुरानी परम्परा डली हुई है उसको खतम करें। आज, मुख्य मंत्रीजी, आप इस बात पर आयें कि जोधपुर राजस्थान में दूसरे नम्बर का शहर है, उसको ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था करें।

दूसरी बात, मैं निवेदन करना चाहती हूं, जोधपुर के अन्दर महिलाओं के ऊपर अत्याचार होने के बारे में। कई महिलाओं को पुरुषों के सामने और थाने के अन्दर जाने में काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है और वह अपनी बात भी नहीं कह सकती हैं। मैं गृह मंत्रीजी से, मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगी कि जोधपुर शहर के अन्दर महिला पुलिस थाना अवश्य लगाएं ताकि महिलाएं अपनी कुछ बात जाकर कह सकें।

अध्यक्ष महोदय, जोधपुर के अन्दर एक बाईजी महाराज का आश्रम आया हुआ है जहां पुलिस चौकी लगाना अति आवश्यक है क्योंकि वहां पर हजारों की तादाद में महिला दर्शनार्थी दर्शन के लिए जाती हैं। महिलाओं का वह एक स्थान ऐसा है जहां महिलाएं दर्शन के लिये जाती हैं। हालांकि वहां पर एक टेम्प्रेरी पुलिस चौकी लगी हुई है मगर जैसे ही पुलिस डिपार्टमेंट को आवश्यकता पड़ती है, वहां पर जो चार-पांच आदमी लगे हुए हैं उनको तुरन्त हटा दिया जाता है और उनको वहां से हटाने से बहुत असुविधा हो जाती है। वहां पर पहाड़ी पर एक पानी का टैंक आया हुआ है, वहां पर एनक्रोचमेंट करने के लिए लोग जाते हैं और मंदिर के अन्दर से लोग निकल जाते हैं। वहां की साध्वी इतनी वृद्ध हैं और भक्तिशील हैं कि वह कभी बाहर आकर कुछ नहीं कहतीं। उस धार्मिक मंदिर की सुरक्षा के लिए भी वहां चौकी लगाना अति आवश्यक है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगी कि जोधपुर शहर के अन्दर सिवांची गेट पुलिस चौकी है, वहां पर अगर आप थाना कायम करने की व्यवस्था करें तो वहां की जनता वहां पर सारी सुविधा उपलब्ध करने के लिये और भवन बनाने के लिए भी तैयार हैं, तो वहां पर यह व्यवस्था हो जाएगी। मेरा आपसे निवेदन है कि यह व्यवस्था करें।

अध्यक्ष महोदय, जोधपुर शहर जयपुर के बाद दूसरे नम्बर पर है, मैं यह चाहूंगी कि वहां पर दो एस. पी. होने चाहिये। अभी एक ही एस. पी. है। तो वहां पर एस. पी. लगाने की व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : अध्यक्ष महोदय, आपने तो पांच मिनट ही दिये हैं, मेरे को तो तीन मिनट ही नहीं हुए

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

और आप कह रहे हैं कि आप अपनी बात को खतम कर दें। खैर, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : नहीं, मैं सब लिखता हूं एक-एक। श्री इन्द्र सिंह पूनिया।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : एक सैकण्ड। अध्यक्ष महोदय, मैं खास बात कहना तो भूल ही गयी। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को बधाई देती हूं कि आप राजेन्द्र मिर्धा को सुरक्षित लाए हैं और आज सबने मुख्य मंत्रीजी को बधाई दी है मगर मैं उस पुण्य आत्मा को बधाई देना चाहूंगी, मुख्य मंत्रीजी की स्वर्गीय माताजी को बधाई देना चाहूंगी जिन्होंने कि अपने ऐसे लाल को पैदा किया जिसने भारतवर्ष में अपना नाम किया है। मैं मुख्य मंत्रीजी और पुलिस डिपार्टमेंट को बधाई दूंगी क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट से मेरा बड़ा भारी लगाव है। किसी ने मेरे को कहा कि पुलिस के बारे में क्या बोल रही हो....

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : मगर मैंने कहा मैं पुलिस के बारे में बोलूंगी क्योंकि मेरा पुलिस से भारी लगाव है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री इन्द्र सिंहजी पूनिया। (अनुपस्थित) श्री ओमप्रकाशजी शर्मा।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सरकार, मुख्य मंत्री जी, गृह मंत्रीजी और समस्त पुलिस विभाग को मिर्धा काण्ड पर बधाई देना चाहूंगा। मैं कुछ सुझाव दूंगा। राजस्थान में अपराध अन्वेषण प्रयोगशाला केवल जयपुर में ही है, मैं चाहूंगा कि यह विभाग स्तर पर हो जिससे जांच जल्दी हो जाए और लोगों को लाभ मिल सके। अनुसंधान की आधुनिक टेक्नोलोजी है वह हमारे देश में मौजूद है, राजस्थान में भी कम से कम एक इस प्रकार की टेक्नोलोजी आए जिससे सत्य का पता लग सके। सी.आई.डी. में अन्वेषण की उच्च तकनीकी का ज्ञान भी आवश्यक है। हमारे देश में भी इस प्रकार की तकनीकी है और अगर दूसरे देशों से भी इसको ग्रहण किया जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा। सी. आई. डी. के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार की गलत गतिविधियां कौन कर रहा है।

मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार आतंकवादियों के द्वारा मारे जाने पर जो दयामूलक अनुदान स्वीकृत किया है, मैं मानता हूं कि कम से कम मौत में तो भेदभाव नहीं होना चाहिये मैदान में लड़ता है सिपाही, अधिकारी जाकर वहां लड़ता नहीं है, दिशा-निर्देश देता है इसलिये कम से कम इसमें असमानता नहीं होनी चाहिये।

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

राजस्थान की गंगानगर, जैसलमेर व बाड़मेर की सीमा है एक हजार चालीस किलोमीटर की, इसमें जो थाने बनाये जाते हैं यह उस सीमा से 35 किलोमीटर पहले बनाये जाते हैं। तो 35 किलोमीटर का गैप किसलिये रखा जाता है? क्यों नहीं इस सीमा के आखरी छोर पर पुलिस की चौकी हो जिससे कम से कम पता लग सके कि विदेशी, खास तौर से पाकिस्तान क्या गतिविधि कर रहा है।

मैं पुलिस की संख्या कम है उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि आबादी के आधार पर पुलिस की संख्या होनी चाहिये। थानों के पुनर्गठन के बारे में कई बातें आयीं। मैं इसमें सुझाव दूंगा कि तहसील, पंचायत समिति या मजिस्ट्रेट का जो कार्य क्षेत्र होता है, उसी रूप में थानों का पुनर्गठन होगा तो ज्यादा लाभ मिलेगा।

बूंदी जिले में डाबी क्षेत्र है जिसको बरड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, वहां पर कोटा डेम है। वहां रिपोर्ट कराने के लिये 70-80 किलोमीटर जाना पड़ता है। इसलिये डाबी में भी एक नया थाना खोला जाए। आपने समय दिया, इसके लिये धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर जी भगोरा।

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या--16 के संदर्भ में जनजाति क्षेत्रों की ओर पुलिस व्यवस्थाओं के बारे में माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जनजाति क्षेत्रों के जो जिले हैं, वह गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमाओं पर अवस्थित हैं। ये जिले घने पहाड़ी क्षेत्र में हैं। इन इलाकों में न तो यातायात के साधन हैं और न ही सड़कों की कोई माकूल व्यवस्था है। हमारे यहां जो नार्म्स हैं थानों और पुलिस चौकियों के गठन के, उसमें जनसंख्या को आधार माना गया है। हमारे इन जनजाति क्षेत्रों की जो परिस्थिति है वह अन्य क्षेत्रों से बिलकुल भिन्न है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप नार्म्स में संशोधन करके और दूरी के आधार पर इन क्षेत्रों में पुलिस थाने और पुलिस चौकियों का पुनर्गठन करें। साथ ही, यह सीमावर्ती जिले हैं तो बाहर के राज्यों से तस्कर और चोर हमारे क्षेत्रों में आकर के अपराध करके उन प्रदेशों में चले जाते हैं। पुलिस व्यवस्थाओं में साधनों का अभाव होगा तो उन अपराधियों को मुस्तैदी से नहीं पकड़ पाएंगे।

जैसा माननीय भाटी जी ने कहा, मेरा भी निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में तो किसी भी थाने पर जीप की व्यवस्था नहीं है, न मोटर साइकिल की व्यवस्था है। मेरा आग्रह है कि आप जीप और मोटर साइकिलों की मुस्तैदी से व्यवस्था करें। क्षेत्र इतना बड़ा होता

(श्री महावीर भगोरा)

है कि पुलिस की जो संख्या है वह भी इतनी कम है कि न वह तो गश्त कर पाते हैं और न अपराधियों को पकड़ने या केसेज के नोटिस तामील कराने में जा पाते हैं। तो इन क्षेत्रों में पुलिस की संख्या की भी बढ़ोतरी की जाए, यह मेरा आपसे विशेष रूप से आग्रह है।

इसी तरह से आपने यह सुना होगा, पढ़ा होगा कि पुलिस की कस्टडी से अपराधी भागकर चले जाते हैं। इसके पीछे कारण क्या हैं ? हमारे कई माननीय सदस्यों ने इस पर अपने विचार रखे। मेरा भी आग्रह है कि पुलिस के वेतन, भत्तों आदि पर राज्य सरकार ध्यान दे और इसमें बढ़ोतरी करने की कृपा करे।

दूसरा, निवेदन करना चाहूंगा मैं शार्ट में कि थानों में चोरियों के मुकदमे बहुत कम दर्ज होते हैं। इसका कारण यह बताया जाता है कि हमें हर महीने इसकी मानीटरिंग करनी पड़ती है और राज्य सरकार को जवाब देना पड़ता है। मेरा यह आग्रह है कि जो वास्तव में चोरी के मुकदमे हैं, दर्ज होवें और विशेष रूप से जनजाति क्षेत्र में पुलिस पूरी संवेदनशील होकर जनजाति के लोगों के साथ पेश आवे। मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये धन्यवाद।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, ज्यादा समय है तो खाने का प्रावधान करवाइये। चाहे फिर 11.00 बजे तक चलाइये।

श्री अध्यक्ष : विराजें। माननीय श्री मदेरणा साहब।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय अध्यक्षजी, डिमाण्ड संख्या 16 पर इस सदन के इस ओर और उस ओर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने कई सुझाव पुलिस प्रशासन को, गृह मंत्रीजी, आपके शब्दों में, पिछले साल की डिमाण्ड में जो चुस्त-दुरुस्त आप बनाओगे पुलिस को, उस सम्बन्ध में दिये, वे काफी सकारात्मक एवं रचनात्मक सुझाव हैं।

मैं यहां पर श्री राजेन्द्र मिर्धा अपहरण प्रकरण रिकार्ड पर लाना चाहूंगा। राजेन्द्र जी मिर्धा के अपहरण के प्रकरण को लेकर कुछ भ्रांतियां चल रही हैं। जिस दिन उनका अपहरण हुआ अब्डेक्शन किडनेपिंग हुआ उसके आधे घंटे बाद में जोधपुर में मुझे इस बात की सूचना मिल गयी थी, श्री राम निवास जी मिर्धा साहब ने मुझे सूचित किया। उनका फोन आया कि श्री राजेन्द्र का अपहरण हो गया। मैं आधे-पौन घंटे में वहां से रवाना हो गया बाई रोड। इस पूरे प्रकरण में नाकाबन्दी से लेकर जो सर्च की गयी, निश्चित रूप से पुलिस काफी सक्रिय रही। आपरेशन के मेरिट्स-डिमेरिट्स में मैं नहीं जाना चाहता लेकिन राजेन्द्र जी मिर्धा जिन परिस्थितियों में

(श्री परसराम मदेरणा)

जिन्दा अपने घर लौट आए और उस ड्यूरेशन के अन्दर राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने जिस मानवीयता और सहृदयता का परिचय दिया, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं और यह इस सदन के रिकार्ड पर लाना चाहता हूं क्योंकि इस प्रकरण के अन्वेषण की राजनीति का किसी को पता नहीं कि क्या हो रहा है, शायद आपको भी पता नहीं होगा। यह जानकारी या तो मुख्य मंत्रीजी को है या श्री राम निवास जी मिर्धा साहब को है या मुझे है या श्री जसवन्त सिंहजी एम. पी. को है या होम डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी को है, सब फैक्ट्स, वे कौन थे, कहां से आ रहे थे, क्या चीज थी, कोई यह समझता हो कि वहां पर कोई छूट रहे थे या कोई मुल्लर को छोड़ रहे थे, कोई नहीं छोड़ रहा था, जान जोखिम में थी। लेकिन जिन हालातों में श्री राजेन्द्र मिर्धा जिन्दा आ गये और मुख्य मंत्रीजी ने व्यक्तिगत रुचि लेकर इस मामले में जो प्रयत्न किये, उस सम्बन्ध में मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद व बधाई देना अपना कर्तव्य समझता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : एक मिनट। मैं इस संदर्भ में एक बात का स्पष्टीकरण करना चाहूंगा। कई लोगों ने इस बात की चर्चा की है और कुछ समाचार-पत्रों में भी ऐसे समाचार प्रकाशित हुए हैं कि श्री रामनिवास जी मिर्धा ने, मैंने और श्री परसराम जी मदेरणा ने मिलकर मुल्लर को छुड़ाने की कोई सौदेबाजी की थी....

श्री परसराम मदेरणा : कभी नहीं की।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और उस सौदेबाजी के कारण से वह छूटा है। मैं समझता हूं पुलिस ने जो एफर्ट्स किये हैं उन एफर्ट्स पर एक प्रकार का पानी फेरने के बराबर किया है। किसी प्रकार की कोई सौदेबाजी नहीं की। और यह बात सही है कि सबने मिलकर एक-दूसरे को कांफिडेंस में रखकर, कोई बात किसी से छिपाई नहीं और किस प्रकार से इसमें सफलता प्राप्त हो सकती है, वह सफलता प्राप्त करने की कोशिश की।

मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सारे काण्ड में श्री रामनिवास जी मिर्धा और राजेन्द्र जी की वाइफ ने, इन्होंने जिस प्रकार के साहस का परिचय दिया और जिस प्रकार का धैर्य रखा, वह प्रशंसा करने योग्य है। यदि श्री रामनिवास जी मिर्धा का साहस टूट जाता और राजेन्द्रजी की वाइफ भी किसी तरह से घबरा जातीं तो मैं समझता हूं उसमें हमें सफलता मिलने में दिक्कत आती।

श्री परसराम मदेरणा : श्री रामनिवास जी मिर्धा का वार्तालाप सब टेप है,

(श्री परसराम मदेरणा)

आपने सुना है सब, जो बातचीत हुई है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह सब मुझे मालूम है। वह सारा टेप जो हुआ, बातचीत कैसे हुई, वह तो मैं ज्यादा डिटेल्स में जाना नहीं चाहता। आपको सारी जानकारी है। लेकिन उन दोनों ने जिस प्रकार के साहस का और धैर्य का परिचय दिया उससे न पुलिस का डिमोरलाइजेशन हुआ बल्कि जो एजेंसीज इस काम में लगी हुई थीं, उन एजेंसीज का मोरल बूस्ट अप काफी हुआ। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं, जो विपक्ष के नेता ने कहा, उसके लिये तो मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने यह बात कहकर पुलिस का मोरल बूस्ट अप किया है।

(21.00)

मैं साथ ही यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की कोई भ्रान्ति नहीं रहनी चाहिये कि इसमें किसी प्रकार की सौदेबाजी हुई है। कोई किसी प्रकार की सौदेबाजी नहीं हुई और इस सारे काम के अन्दर किस प्रकार से आपस में पुलिस को कांफिडेंस में लेकर, मिलकर सारी व्यवस्था की है, आज तो मैं नहीं कह सकता, आज समय भी नहीं है, लेकिन किस प्रकार का यह घटनाक्रम चला है, एक बार चाहे कैमरे में बैठकर इसके ऊपर बातचीत करनी पड़ेगी ताकि भविष्य में इस प्रकार की गतिविधियों को किस प्रकार से रोका जा सके, उसके सम्बन्ध में हम चर्चा कर सकें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आज की इस मांग पर कुल 159 कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये थे और 159 कटौती प्रस्तावों के जवाब तैयार हैं। वह सारे जवाब कल हम प्रत्येक सदस्य को भिजवा देंगे और उसमें जो भी उनका कटौती प्रस्ताव था उससे वह सन्तुष्ट हो जायेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज की इस चर्चा में कुल मिलाकर 31 माननीय सदस्यों ने भाग लिया है और मेरा यह मानना है, मैं भी चौथी बार विधायक के रूप में इस सदन में आया हूं, आज की चर्चा जितनी सार्थक, सुझावात्मक और सकारात्मक रही है वैसी चर्चा पुलिस विभाग पर मैंने भी पिछले सालों में नहीं देखी। मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, कि सकारात्मक दृष्टि से आज सुझाव आए हैं और हिण्डौली से आने वाले माननीय विधायक ने जो कुछ भी आरोप लगाये, मैं उससे बिलकुल इन्कार करता हूँ। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मेरे कार्यालय में और माननीय मुख्य मंत्रीजी के निर्देश में कोई किसी तरह का आपराधिक अनुसंधानों में राजनीतिक हस्तक्षेप कतई नहीं हुआ है और हमेशा इस बात की कोशिश की गयी है कि निष्पक्ष

(श्री कैलाश मेघवाल)

तफतीश रहे। एक अच्छा शासन चलाने के लिए जनता का विश्वास पैदा हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिए भी करीब-करीब सभी माननीय विधायकों को धन्यवाद देता हूं कि सब मेरे से मिलते रहे, समस्याओं की चर्चा भी करते रहे, किसी प्रकरण के बारे में बात भी करते रहे लेकिन उस पर जब चर्चा हुई और चर्चा के बाद एक निश्चित नतीजे पर पहुंचे, कोई निष्पक्ष तफतीश होनी चाहिए, इसमें पार्टीबाजी से ऊपर उठकर के, किसी तरह का कोई पक्षपात नहीं हो, इस दृष्टि से हमेशा प्रयत्न रहा है। मैं इस पक्ष के माननीय विधायकों का भी आभार व्यक्त करता हूं और उस पक्ष के माननीय विधायकों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि इस तरह का दबाव किसी ने नहीं डाला और इसमें माननीय मुख्य मंत्रीजी का सदैव मुझे इस बात का संरक्षण रहा है, उनका हमेशा यह निर्देश रहा है कि निष्पक्ष कार्यवाही होनी चाहिये, इसमें राजनीति नहीं दिखानी चाहिये। यह ला एण्ड आर्डर मेंटेन करने वाला महकमा है।

जिस प्रकरण की अभी प्रतिपक्ष के माननीय नेता ने और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने चर्चा की उस पर मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि श्री राजेन्द्र मिर्धा का जिस तरह का रेस्क्यू आपरेशन हुआ है उसकी अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चाएं हुई हैं, प्रशंसा हुई है और इस तरह के पत्र माननीय मुख्य मंत्रीजी के पास भी, मेरे पास भी और शायद दूसरों के पास भी आये होंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे आपरेशन की मान्यता है, मुझे कल ही हमारे पुलिस विभाग के महानिदेशक बता रहे थे कि केन्द्र में इस बात के लिए जानकारी चाही गयी है और केन्द्र ने सारे प्रदेशों को इस बात के निर्देश दिये हैं कि राजस्थान में जिस तरह का आपरेशन किया गया है, इस आपरेशन की सारी कार्य पद्धति का, सारी कार्य प्रणाली का और आपरेशन की जो व्यवस्था की गयी, उसका दूसरे सारे प्रदेश भी अनुसरण करें। यह मुख्य मंत्रीजी का जो मानीटरिंग था, आपने एक बात कही कि पूरी जानकारी मुझे भी नहीं थी, यह सही है क्योंकि मुख्य मंत्री जी सारा आपरेशन जिस ढंग से कर रहे थे, तुरन्त गुजरात से....

श्री परसराम मदेरणा : सीक्रेसी की वजह से कह रहा हूं। आपसे कोई छिपाई हुई बात नहीं है लेकिन वो जो सीक्रेट बात चल रही थी और वह थी इनके छुड़ाने के मामले में, और कोई सीक्रेट बात नहीं थी। कोई समझौता नहीं हो रहा था, कोई भुल्लर को छोड़ने वाला नहीं था। यह कोई शर्त, वो शर्त रख रहे थे, इस शर्त के बारे में किसी ने उनको आश्वासन नहीं दिया। मैं तो यह कह रहा हूं कि कुछ बातें ऐसी हो रह थी कि

(श्री परसराम मदेरणा)

मुख्य मंत्रीजी को भी कई दफा कहा कि पावर सैंट्रलाइज कर लिये और वो कर लिये, कोई पावर सैंट्रलाइज नहीं किये थे। यह इतने ही पावर सैंट्रलाइज किये कि कोई स्टेटमेंट मत दो और इस आपरेशन को सक्सेसफुल अंजाम देने के लिए वो सीक्रेसी रखनी बहुत जरूरी थी।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मैं इसी आपकी बात से सहमत हूं यह जिस तरह का आपरेशन था इसमें सिंगल माइन्ड कंसंट्रेटेड एप्रोच आवश्यक थी। इसमें ज्यादा प्रचारात्मक दृष्टि से या विचारात्मक दृष्टि से या बहस मुबाहिसे में यह स्थिति आ जाती तो उसमें काम बिगड़ता और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने स्तर पर इसको जिस ढंग से पूरा नेतृत्व देकर के सारे मसले में अपनी भूमिका निभाई है वह स्तुत्य है इसके लिए आप प्रशंसा कर चुके हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं पुलिस विभाग के बारे में कुछ बातें आपसे निवेदन करना चाहता हूं। एक फिनामिनन् क़रीब-करीब सभी सदस्यों ने स्वीकार किया है, राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण यहां हुआ और उस अभिभाषण में अपराधों की संख्या बढ़ने के जो कारण बताये गये उन कारणों को सारे वरिष्ठ सदस्यों ने यहां स्वीकार किया है कि कारण है आज, अपराधों की संख्या बढ़ेगी। मुझे इस बात की भी खुशी है कि इस तरह के आरोप सिवाय हिण्डौली के माननीय विधायक के जो 159 कटौती प्रस्ताव आये हुए हैं, उनके अलावा किसी भी भाषण में और कोई दरख्वास्त अब मेरे पास यह नहीं आती है कि मेरा इस थाने पर अपराध पंजीकृत नहीं किया गया।

आज जिस तरह का खुला वातावरण पैदा करने की कोशिश की गयी है, ऊपर से लेकर नीचे तक पुलिस प्रशासन को इस बात के स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि अपराध पंजीकृत करने में किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाए चाहे थाने पर, थाने के बाद डीवाई. एस.पी. लेवल पर, सी. आई. लेवल पर और एस. पी. लेवल पर भी लगातार जो कांफ्रेंसेज हुई हैं उन कांफ्रेंसेज में इस बात की कोशिश की गयी है कि यह डेमोक्रेटिक वर्किंग है और ओपन सोसायटी है। ओपन सोसायटी की जो डेमोक्रेटिक शासन व्यवस्था है उसमें पुलिस अधिकारी जितना अधिक जनता से सम्पर्क रखेंगे, खुले रहेंगे उतना ही उनकी कार्य पद्धति में सुधार होगा और पुलिस की कार्य पद्धति के प्रति संतोष बढ़ेगा, तो यह जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कांफ्रेंसेज लीं उसमें भी, और लगातार इस बात के प्रयत्न चल रहे हैं कि इस तरह की मनोवृत्ति भी बने और सोच भी बने।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय

(श्री कैलाश मेघवाल)

सदस्यों को एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमने पंचायती राज का भी एक नया ढांचा खड़ा किया है और मेरा तो यहां तक मानना है कि हमारा जो पंच है, जन-प्रतिनिधि, उस पंच की बात को भी बड़े ध्यान से सुनी जाए, उसकी राय को भी पुलिस वाले बड़ा ध्यान देकर के, वजन देकर के काम में लें, क्योंकि हमको इस पद्धति को लाना पड़ेगा। धीरे-धीरे पुलिस प्रशासन में सुधार तब ही आएगा, जितना उसको हम खुला करेंगे उतना ही सुधार आएगा।

ऐसी स्थिति में, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी सुझाव आये, अब जैसे हमने पुनर्गठन की योजना बनायी, यह मुझे मालूम है, जैसा माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने कहा कि मैं इन्हें चुस्त करूंगा, दुरुस्त करूंगा, बड़ी अच्छी शब्दावली का प्रयोग किया है....

श्री परसराम मदेरणा : आपने किया था।

श्री कैलाश मेघवाल : हां, हां मैंने किया है। आपने जिसका रेफरेंस दिया।

श्री परसराम मदेरणा : वह रजिस्ट्रेशन के मामले में जितनी ट्रांसपेरेंसी है, इंवेस्टीगेशन के मामले में उतनी ट्रांसपेरेंसी और निष्पक्षता नहीं है।

श्री कैलाश मेघवाल : अब आपकी तरफ से इस तरह की बात आयी है तो मैं कोशिश करूंगा कि उतनी ट्रांसपेरेंसी रहे। लगातार कोशिश कर रहा हूं और आपका यह इम्प्रेशन किस वजह से बना है अगर वो मुझे ध्यान हो जाए, ऐसी कोई स्थिति है नहीं....

श्री परसराम मदेरणा : दो पुलिस केसेज के बारे में मेरा इम्प्रेशन बना जो रीसेंटली रजिस्टर्ड हुए हैं और कल मैं उसके फैक्ट्स आपको दे दूंगा।

श्री कैलाश मेघवाल : तो मैं सुधार करने की कोशिश करूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली बार जब चर्चा हुई थी मैंने इस सदन में एक बात कही थी कि मैं तीन महीने के अन्दर-अन्दर पुलिसबल के अन्दर पुनर्गठन की और सुधारों की एक योजना तैयार करवाऊंगा। लेकिन जब यह काम हाथ में लिया गया है तो तीन महीने की समयावधि जो मैंने उस समय दी थी वह ठीक ढंग से पूरी नहीं हुई और लगा कि काम बहुत बड़ा है और बहुत बड़ा काम होने की वजह से माननीय मुख्य मंत्रीजी के निर्देश में और सारी चर्चा करने के बाद दो हजार एक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी, क्योंकि पिछला पुनर्गठन 1974 में हुआ था और 1974 के बाद

(श्री कैलाश मेघवाल)

उसके आधार पर कार्य होते-होते 1982 में एक जिला आगे बना, 1992 में चार जिले बने, अभी रीसेंटली एक जिला और बना। तो 26 जिलों से हम 31 जिलों की स्थिति में आ गये और धीरे-धीरे जिस तरह जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या के साथ राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है और राजस्थान में अपराध होने की जो स्थिति आयी है, इधर गुजरात में सूखा दिवस है, प्राहिबिशन है, नशाबंदी है और गुजरात से लगता हुआ राजस्थान का जितना हमारा बार्डर है वहां शराब की तस्करी के आकर्षण बने हुए हैं। इधर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में डाकुओं की समस्या है। हमारे यहां का बेड एलीमेंट्स भी जब चम्बल में आदमी कूदता है तो उस स्थिति में भी और इधर जो हमारा 1040 किलोमीटर का अन्तरराष्ट्रीय बार्डर है, उस अन्तरराष्ट्रीय बार्डर पर भी गंगानगर और पंजाब तक सीमा सील हो चुकी है। अब जो बाड़बंदी होना बाकी रही है वह बाड़मेर और जैसलमेर में चालू है।

यह जो आज अन्तरराष्ट्रीय माफिया गिरोह है, अब अन्तरराष्ट्रीय माफिया गिरोह इंटरस्टेट इंटेलीजेंस हैं, दूसरे टेरेरिस्ट, आतंकवादी संगठन हैं, दक्षिण के भी हैं, पंजाब के भी हैं और तस्कर भी हैं, यह सारी मिलाकर जो गिरोहबंदी बनती है उस गिरोहबंदी के लिये सबसे आकर्षक हमारा बाड़मेर और जैसलमेर का बार्डर बन गया है। अब यह जिस तरह की स्थिति है, सब प्रयत्न करने के बावजूद और वहां पर केवल राजस्थान सरकार ही नहीं, केन्द्र सरकार की एजेंसीज भी हैं, बार्डर सिक्योरिटी फोर्स भी है, बार्डर इंटेलीजेंस भी है, राजस्थान की पुलिस भी है, राजस्थान के आर्म्ड कांस्टेबल्स भी हैं, इन सब के मिलकर लगातार प्रयत्नशील रहने के बावजूद भी वहां अपराध हो रहे हैं। तस्करी पूरी तरह तो तभी रुकेगी, आना जाना भी तभी रुकेगा जबकि यह बाड़बंदी हो जाएगी लेकिन पुलिस बड़ी मुस्तैदी से, और जैसा शेरगढ़ से आने वाले माननीय विधायक कह रहे थे, अन्तरराष्ट्रीय सीमा तो केन्द्र सरकार का दायित्व है, यह जो आप कह रहे थे केन्द्र सरकार ने इतना पैसा दे दिया, यह दे दिया, वह दे दिया, तो अन्तरराष्ट्रीय सीमा के जो हमारे बार्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां की हमारी पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के लिये केन्द्र सरकार जो पैसा दे रही है, मैं आज भी, अध्यक्ष महोदय, यह महसूस करता हूं वह कम दे रही है। उसको बहुत अधिक देना चाहिये क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है, तस्करी को रोकने का सवाल है। इस विषय में हमको बहुत काम करने की जरूरत है, कोआर्डिनेशन की जरूरत है, धन की भी आवश्यकता है और राजस्थान का बजट आपसे छिपा हुआ नहीं है।

यहां यह भी कहना आवश्यक है कि पुलिस के मामले में, क्योंकि सोवरीन स्टेट

(श्री कैलाश मेघवाल)

तो सोवरीन स्टेट होती है हमारी स्टेट सोवरीन ही नहीं बल्कि सेक्यूलर भी है, सोशलिस्ट भी है, डेमोक्रेटिक भी है। वैलफेयर स्टेट के मामले में हमने इसको जस्टिस-सोशल, इकोनोमिक और पालिटिकल भी किया है। लिबर्टी ग्राफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ एण्ड बिलिफ का भी हमारा उद्देश्य है। इक्वलिटी ग्राफ स्टेटस एण्ड अपाचुनिटी का भी है और फ्रैटर्निटी भी हमको फैलाना है। सारे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये पुलिस बल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। माननीय मुख्य मंत्रीजी कई बार चर्चा में कहते हैं कि अगर लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति ठीक है तो विकास भी ठीक होगा, शिक्षा भी ठीक चलेगी, उद्योग धन्धे भी ठीक चलेंगे और यह सारी जो राज्य की वैलफेयर गतिविधियां हैं, यह गतिविधियां तभी ठीक चलेंगी जबकि हमारे प्रदेश का लॉ एण्ड आर्डर ठीक होगा इसलिए लॉ एण्ड आर्डर, जो राज्य की दो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं शासन की स्थापना की, एक तो आर्थिक प्रबंधन, दो ही महकमे होते थे रेवेन्यू और पुलिस, इन दोनों ही महकमों में माननीय मुख्य मंत्रीजी बड़ी उदारतापूर्वक निर्देश भी दे रहे हैं और धन की भी कमी नहीं आने दे रहे, जब-जब और जितना मैंने निवेदन किया।

अब इतनी महत्वाकांक्षी योजना हमने तैयार की है, इस योजना में 39 नये थाने हैं, 30 चौकियों को थानों में क्रमोन्नत करेंगे, 104 नयी पुलिस चौकियां स्थापित करेंगे, 34 नये सर्कल बनायेंगे तथा समस्त रेंज मुख्यालयों पर महिला पुलिस थाने स्थापित किये जाना प्रस्तावित है और इसके लिये अभी 330 करोड़ रुपये का अनुमान आया है। इसके लिये 12 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हम लगायेंगे। यहां जो कई जगह मांग आयी है माननीय विधायकों की कि हमारे यहां एडीशनल एस. पी. नहीं है, यह नहीं है, वह नहीं है, यूनिफार्मली हर जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, तो अब हमारा यह विचार है कि 12 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लगाये जायेंगे, 34 उप पुलिस अधीक्षक बढ़ाये जायेंगे जो आज की स्ट्रैंथ है उसमें। 168 पुलिस निरीक्षक की बढ़ोतरी की जाएगी इस सारी पुनर्गठन योजना में। 791 उप निरीक्षक, 1812 सहायक उप निरीक्षक, 2733 हैड कांस्टेबल, 12193 कांस्टेबल के पद सृजित किये जायेंगे। अब जैसी यहां मांग की गयी थी.... (व्यवधान) पहले यह हुआ था। इंविटेशन तो जारी हुए कि नहीं हुए लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी भी इस विचार के हैं कि इस डेमोक्रेटिक वर्किंग में पुलिस चाहे कितनी सक्षम हो, ऑनेस्ट हो लेकिन उस पर कहीं न कहीं चैक और बेलेंस होना चाहिये। यह सही है, यह कहा जा सकता है कि जो प्रेसीडेंसी टाउंस हमारे पुराने हैं वहां प्रेसीडेंसी टाउंस में कमिश्नर व्यवस्था की एक ट्रेडिशंस हैं। वहां एक व्यवस्था बन गयी। वहां उसकी कार्य प्रणाली में एक प्रतिबद्धता आ गयी लेकिन आप दिल्ली का उदाहरण देखिये।

(श्री कैलाश मेघवाल)

आप भी दिल्ली रिटर्न्ड हैं, आप भी दिल्ली रिटर्न्ड हैं, मैं भी दिल्ली से आया हूं, दिल्ली में अपने ने यह व्यवस्था देखी है। वहां पर यह व्यवस्था सफलता से नहीं चली और यही एक कारण था कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो एक निर्णय लिया हुआ था करीब-करीब उस निर्णय को वापस रिवर्स करने में पुलिस की जो कमिश्नर व्यवस्था दिल्ली की थी उसको देखते हुए उसको क्रियान्वित नहीं किया गया। यह मैं आपकी सूचना के लिये निवेदन कर दूं, इसलिए अभी भी कोई विचार नहीं है... (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : यह दिल्ली रिटर्न्ड क्या है ? पढ़े थे क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में ? अभी आपने कहा दिल्ली रिटर्न्ड हूं मैं।

श्री कैलाश मेघवाल : दिल्ली रिटर्न्ड वह है, जैसे पहले फारेन रिटर्न्ड होते थे। जब हम स्टूडेंट थे उस समय कोई फारेन होकर आता तो बड़ी क्रेडिट से, क्रेज से, गौरव से कहते थे कि यह फारेन रिटर्न्ड है। यह भी दिल्ली रिटर्न्ड हैं, वह भी दिल्ली हैं। पार्लियामेंट में होकर आये हैं। आप नहीं पधारे, इसका तो हम क्या करें ? मैं भी दिल्ली रिटर्न्ड हूं, मुख्य मंत्रीजी भी दिल्ली रिटर्न्ड हैं, आप नहीं हैं, खेतसिंहजी भी नहीं हैं।

श्री परसराम मदेरणा : दिल्ली में एंटी-सोशल एलीमेंट्स की जो मोडस-आपरेंडी है उसके बारे में आप कुछ ज्ञान प्राप्त करके आये कि नहीं आये, जब आप दिल्ली से आये हो।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर में पुलिस व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु 55 करोड़ रुपये की योजना बनायी गयी है और इस 55 करोड़ की योजना में, जैसा अभी आपके सामने आया, वह सही है यह स्थिति भी आयी कि दो पुलिस एस. पी. होंगे तो कोई जुलूस निकल रहा है, जैसा एक माननीय विधायक ने आलोचना की थी कि जुलूस निकल रहा है तो एक क्षेत्राधिकार से दूसरे क्षेत्राधिकार में होगा, तो जयपुर को टोटल एक डी. आई. जी. अलग से दे दिया है। तो इस तरह के जो जनरल होंगे, कोआर्डिनेशन के लिये तो डी. आई. जी. हमेशा अवेलेबल रहेगा। डी. आई. जी. के नीचे दो पुलिस अधीक्षक काम करेंगे उसके बाद दो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक.... (व्यवधान) सुझाव है वह तो। इधर और उधर के सभी माननीय सदस्य सुझाव देने के लिये स्वतंत्र हैं और अच्छे सुझाव आये....

श्री विष्णु मोदी : आई. जी. रेंज।

श्री कैलाश मेघवाल : आपका सुझाव, आई. जी. रेंज वाला। थ्रीटियर सिस्टम करने का अभी विचार नहीं है। आई. जी. और एक नया टियर आ जाएगा। अभी तो डी. जी. पी., आई. जी. और डी. आई. जी. ठीक है, बीच में एक आई. जी. और डी. जी. पी., तो वह अभी विचार नहीं

(श्री कैलाश मेघवाल)

है । उस बारे में कतई विचार नहीं किया है ।

श्री विष्णु मोदी : आप अध्ययन करें उस बारे में ।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्ययन करेंगे ना । सुझाव का तो सभी का अध्ययन करेंगे जैसा मैंने निवेदन किया । मैं यह भी निवेदन कर दूं कि मेरी जैसी आदत है और प्रतिपक्ष के माननीय नेता से मैंने यह सीखा है कि यहां जो सारी आज की बहस होगी उस सम्पूर्ण बहस को मैं, क्योंकि मैंने जो नोट किया है वह तो इतनी तेजी से नोट नहीं कर सकता.... (व्यवधान)....

श्री कालीचरण सराफ : ट्रैफिक पुलिस के लिए क्या व्यवस्था की ?

श्री कैलाश मेघवाल : हां, ट्रैफिक में की है ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : बाहर से जो लोग आते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : गृह मंत्रीजी, अभी आपने यह सदन को आश्वस्त किया कि मैं कल आपके पास में आपके कटौती प्रस्तावों के जवाब भेज दूंगा ।

श्री कैलाश मेघवाल : हां ।

श्री परसराम मदेरणा : वह कटौती प्रस्ताव तो....

श्री कैलाश मेघवाल : यही तो हैं, तैयार हैं....

श्री परसराम मदेरणा : यह फालतू हैं, यह मत भेजना आप ।

श्री कैलाश मेघवाल : यही तो कटौती प्रस्ताव हैं ।

श्री परसराम मदेरणा : यह तो एक रुपये की कटौती, उन्होंने जो यहां पर अपने पाइन्ट की सब बातें रखी हैं....

श्री कैलाश मेघवाल : तो जवाब तो उन्हीं का दिया जाएगा, माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय ।

श्री परसराम मदेरणा : एक लाइन का कटौती प्रस्ताव है और आज बातें रखी हैं यहां पर बीस और यह रात को तैयार किये हुए आप, इसको सुबह भेज देंगे दो लाइन का । वह नहीं, आप पूरा जो यहां सदन में आज बात कही गयी है उसका जवाब भेजिये ।

एक माननीय सदस्य : आप पुलिस कमिश्नर बनायेंगे कि नहीं बनायेंगे ? (व्यवधान)....

श्री परसराम मदेरणा : मुख्य मंत्रीजी जानते हैं ।....(व्यवधान) ...

एक माननीय सदस्य : भत्ता बढ़ायेंगे कि नहीं बढ़ायेंगे ? (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपकी बात को सुन रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : एक तो कटमोशन की यह रिप्लाई अलग है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह ठीक है, मैं इतना गृह मंत्रीजी से....

श्री परसराम मदेरणा : लेकिन कटमोशन के सम्बन्ध में जो यहां पर फैक्टस रखे गये हैं, जिन माननीय सदस्यों ने फैक्टस रखे हैं, दो दिन देरी हो जाए, पांच दिन भी हो जाए, सात दिन भी हो जाए लेकिन उनको सैटिस्फाई करने के लिए आपको पूर्ण उत्तर देना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : ऐसी परम्परा तो आज तक नहीं रही। (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय प्रतिपक्ष के नेता, जयपुर की सम्पूर्ण पुलिस व्यवस्था का पुनर्गठन किया जा रहा है और इस बात को दृष्टिगत रखा जा रहा है कि जयपुर की बढ़ती हुई आबादी, जयपुर की समस्याएं और जैसा अभी कहा गया है कि जयपुर में एक माफिया गिरोह डवलप हुआ था, उस गिरोह पर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जिस सख्ती से कदम उठाया किसी तरह के कोई दबाव काम नहीं आये, कोई राजनैतिक सम्बन्ध काम नहीं आये और जिस किसी की भी शिकायत वाजिब मानी गयी और जिनकी जमीनों पर नाजायज कब्जे थे या प्लाट्स पर नाजायज कब्जे थे, यहां पर जो एक गिरोहबन्दी थी मकानों को, दुकानों को खाली करवाने की उसको सख्ती से दबाया गया है। आज, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस तरह के कोई भी केस आएंगे उन पर पूरी सख्ती से कार्य किया जाएगा क्योंकि वहीं यह सुरक्षा का सवाल है। जैसा कि शेरगढ़ से आने वाले माननीय विधायक एक बात बार-बार कह रहे थे कि जब तक आदमी सुरक्षित नहीं है तब तक दूसरे सारे काम बेकार हैं। यह सही भी है। एक आदमी का प्लाट है, वह रात को आराम से नहीं सो सकता कि सवेरे उठूंगा और मेरा कब्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई कब्जा करके बैठ जाएगा, कोई दुकान खाली करवा देगा। तो इस तरह की दुष्प्रवृत्तियों को हर स्तर पर समाप्त करने की कोशिश की गयी है और केस कायम करने की भी कोशिश की गयी है।

मैं यह मानता हूं कई बार सी. आई. डी. विशेष शाखा में अब यह ढिलाई है और हमेशा परफेक्शन कभी किसी चीज का नहीं होता। आज की जो स्थिति है मैं उसको संतोषप्रद कह दूं तो वह भी संतोषप्रद नहीं है। उसको जितना भी आप सुधारेंगे, Chances of improvement are always there. किसी भी व्यवस्था पर परफेक्शन तो कभी आता है क्या? आज स्काटलैंड यार्ड की पुलिस में भी परफेक्शन नहीं है। लेकिन हम यह कोशिश कर रहे हैं कि पुनर्गठन और

(श्री कैलाश मेघवाल)

सुदृढ़ीकरण योजना में सी. आई डी. शाखा को सुदृढ़ किया जाए, हमारी जो वितन्तु विंग है उस विंग को मजबूत किया जाए, अपराध शाखा की सी. आई. डी. को मजबूत किया जाए, इन्टेलीजेंस को मजबूत किया जाए। यहां जो एक बात आयी बार-बार, यह सही है कि पुलिस में प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है और प्रशिक्षण की दृष्टि से सबसे ज्यादा ध्यान इस पुनर्गठन पर दिया गया है। 330 करोड़ की योजना में पुलिस वाला प्रशिक्षित हो, शुरू से ही पुलिस के एक संस्कार उसमें पड़ें। यह सही है, एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया था कि वह आया और उसको लाठी पकड़ा दी और उसमें शुरू के जैसे ही संस्कार आएंगे। इसी प्रसंग में मैं एक बात निवेदन कर दूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर जैसे चर्चा सुनने को मिली कि कान्स्टेबल्स की भर्ती में रिश्वत खायी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन को यह सूचित करना चाहता हूं कि इस बार प्रारम्भ से ही मुख्य मंत्रीजी ने बोर्ड कैसा बनेगा, कौन होंगे, कौन सा बोर्ड किधर जाएगा, कहां जाएगा, कौन अधिकारी कहां का रहने वाला है, एक डी. आई. जी. और दो एस. पी. का हमने बोर्ड बनाया था। एक डी. आई. जी. और दो एस. पी. और उसमें सारे ह्यूमन प्रिकाशंस जो लिये जा सकते हैं, यह सारे ह्यूमन प्रिकाशंस इस बात के लिए लिये गये कि जो सिफारिश से और रिश्वत से, जो एक चर्चा चलती थी कि इस तरह से भर्ती होती है वह चर्चा नहीं चलने पाये।

श्री परसराम मदेरणा : आपने अपने भाषण में, 12 दफा मुख्य मंत्रीजी का नाम लिया है।

श्री कैलाश मेघवाल : आनेस्टली उन्होंने ऐसा किया है....

श्री परसराम मदेरणा : अगर सब डायरेक्शंस मुख्य मंत्रीजी दे रहे हैं तो फिर आप राजस्थान के गृह मंत्री होकर आपका कोई विजन है, आपका कोई सोचने का तरीका है, इनोवेशन है आपके पास ? आप कोई माइंड अप्लाई करके और इसको चुस्त-दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं ? डायरेक्शंस तो चीफ मिनिस्टर दे रहे हैं। तो आप तो राजस्थान के गृह मंत्री हैं। जहां पर बहुत काम्पीटेंट और एबल गृह मंत्री जिस पद को सुशोभित कर चुके हैं, जैसा कि अभी हिण्डोली से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, आपका यहां पर सब काम वही देख रहे हैं और वे अपने विजन से आपको डायरेक्शंस दे रहे हैं। आप + + + हैं क्या यहां पर ?

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता ने मुझे पाज देने के लिए यह एक मसला उठा दिया है। वह स्वयं जानते हैं कि मुख्य मंत्री और गृह मंत्री के रिश्ते ...

श्री परसराम मदेरणा : अगर उसमें आप भी बराबर भागीदार हैं तो फिर मुख्य मंत्रीजी की इतनी ××× ?

श्री कैलाश मेघवाल : नहीं, ××× रहा हूं। मुख्य मंत्री कोई भी हो, आज माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत है, कोई भी मुख्य मंत्री हो, लेकिन ला एण्ड आर्डर भी प्रत्येक मुख्य मंत्री के लिए प्राइमरी एजेंडा का आइटम है और इसलिए मैं यह मानता हूं कि गृह मंत्री तो हमेशा अपना विजन हो, अपनी राय हो, अपने सुझाव हों, अब मैं सारा विजन और सारी राय ले लेता हूं और मुख्य मंत्रीजी वित्त मंत्री के रूप में पैसा नहीं देते तो मेरा विजन कहां जाता ? इनको सारी आवश्यकताओं को मैं कन्वींस नहीं करता कि यह आवश्यकता है और यह नहीं है तो मेरा विजन कहां जाता ? अभी जैसे बात कही गयी कि एफ. एस. एल. की कमी है तो एफ. एस. एल हम राजस्थान में एक के बजाय तीन करने जा रहे हैं। तो यह सारी चीजें दूसरे किसी विभाग में, माननीय प्रतिपक्ष के नेता....

श्री परसराम मदेरणा : Chief Minister is the Head of the State. इसलिए आप हैड आफ दी स्टेट हैं, उनको एक परस्पेक्टिव ब्राड रखना पड़ता है और सब सेक्टर और सब तरह की जो समस्याएं हैं उनके सम्बन्ध में वह डायरेक्शंस देते हैं। कैबिनेट कौंसिल आफ मिनिस्टर्स हैं, in the Council of Ministers, he is the Chairman of it. Chief Minister is always the Chairman of the Council of Ministers.

वहां कलक्टिव विजडम से आप डिसिजन लेते हैं, आपकी भी उसमें भागीदारी है, इनको डायरेक्शन देने की ओवर आल रेस्पोंसिबिलिटी चीफ मिनिस्टर की है। लेकिन आप तो एक के बाद एक जितने भी सुधार करने चाहते हो, उसमें मुझे चीफ मिनिस्टर साहब ने यह कहा, उसमें मुझे यह डायरेक्शन दे दिया, यह मुझे निर्देश दिया, यह निर्देश वह दे रहे थे। तो फिर क्या आप वहां पर माला जप रहे थे, क्या कर रहे थे ?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं....

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, आपको दुःख हो गया होगा। रिक्रूटमेंट की जो बात है, एक एलीगेशन आया यहां पर,

---

××× अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री परसराम मदेरणा)

एक आलोचना आयी, उसकी वेदना देख कर मुझे भी वेदना हो गयी । मैंने कहा यह हालत बड़ी खस्ता है होम मिनिस्टर की....

श्री कैलाश मेघवाल : नहीं, हालत बहुत बढ़िया है ।

श्री परसराम मदेरणा : बढ़िया है तब चलो आगे बढ़ो फिर ।

श्री कैलाश मेघवाल : खस्ता नहीं है, कतई खस्ता नहीं है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रतिपक्ष के नेता को स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि जब मैं 1977 में पहली बार यहां मंत्री बना था तब आपके साथ बैडमिंटन खेलता था और मेरे दिमाग में जो विषय होता था उसमें आपसे राय भी लेता था और आप उसमें अपनी गाइडेंस भी देते थे ।

श्री परसराम मदेरणा : गाइडेंस नहीं, परामर्श करते थे ।

श्री कैलाश मेघवाल : परामर्श कह दें, मैं उसको गाइडेंस मानता हूं । I was a beginner. I was a fresh Minister at that time.

आया ही था, नया-नया था । तो अब मैं एक बात निवेदन करूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय,....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इनके यहां वह संस्कृति नहीं है आपस में सलाह करके काम करने की । आप कहां इनके चक्कर में पड़ गये । आप तो जवाब देओ, चलो आगे ।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि जो माननीय मुख्य मंत्रीजी इस सदन के नेता हैं, उनको जो रोबस्ट अण्डरस्टैंडिंग आज है और राजस्थान का जो अनुभव है उसका जितना ज्यादा लाभ हम लें, और मैं तो उसको लेना चाहता हूं, इसको मना नहीं करता ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बात कर रहा था कि सारे राजस्थान में जिस तरह के बोर्ड बना कर के एक डी. आई. जी., दो ये एस. पी., इनके बोर्ड बनाये गये थे क्योंकि दो बटालियन R. A. C. की रेज की थी ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप रिक्रूटमेंट मान लीजिये 21 तारीख को कर रहे हैं तो 20 तारीख को आप अनाउंस कीजिये कि ये तीन व्यक्ति बैठ कर रिक्रूटमेंट करेंगे तब तो काम जमेगा अगर हफ्ते पहले मालूम हो जाता है कि बोर्ड में यह तीन मेम्बर हैं तो वह सब बातें शुरू हो जाती है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको जानकारी है क्या, किसी बोर्ड में रिक्रूटमेंट के बारे में कहीं करप्शन हुआ है ? मैं इस

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बात को बहुत सीरियसली लेता हूं। आप जो भी कहेंगे, मैं जांच कराने के लिए तैयार हूं। हमने इस बारे में पूरे एफर्ट्स किये हैं कि इसमें किसी भी प्रकार का पक्षपात और करप्शन न हो पाये। मैं आपको यह आश्वासन देना चाहता हूं कि इसके बावजूद भी यदि आपको जानकारी हो तो उसी बोर्ड के उसी रिक्रूटमेंट की मैं आज ही जांच कराने के लिए तैयार हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : जांच तो आप करवा लें, रिक्रूटमेंट तो हो गया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बताओ न।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हम आपको प्राइवेट में बता देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्राइवेट मत बताओ।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, जहां एफ. एस. एल. की एक प्रयोगशाला है, इसकी हम दो एडिशनल प्रयोगशालाएं खोल रहे हैं, जिसके लिए भी मुख्य मंत्रीजी ने धन उपलब्ध करवा दिया है।

जयपुर में गश्ती दल की बात आयी थी। एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया था कि जयपुर में ला-एण्ड-आर्डर की सिचुएशन पुख्ता रहे, ठीक रहे, इसके लिए 30 गश्ती दल बनाये जाएंगे, 30 जिप्सियां अलग से दी जाएंगी और वह पूरी तरह सारे जयपुर में निरंतर नाकाबंदी करने की व्यवस्था करेंगी। उससे मैं सोचता हूं कि जयपुर को सुरक्षा देने में पुख्ता व्यवस्था हो जाएगी। विश्वास आज तो है ही लेकिन जनता का विश्वास और पुख्ता हो जाएगा।....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय, बोलने दें।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने इस बात की मांग उठायी, किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य की सबसे ज्यादा चिंता यही थी, कांस्टेबल्स के मैस अलाउंस के बारे में। पुलिस की मांगों के बारे में आज के अवसर पर सारे राजस्थान के पुलिस विभाग के लोगों में उत्सुकता रहती है, कांस्टेबल्स और हेड कांस्टेबल्स में यह उम्मीद रहती है कि आज हमारे बारे में कुछ निर्णय लिये जाएंगे। मैं आपकी और सदन की सूचना के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि मैस अलाउंस में हमने पिछली बार....

श्री परसराम मदेरणा : मुख्य मंत्री से आपने सैंक्शन ली कि नहीं ?

श्री कैलाश मेघवाल : ये सारे वित्त मंत्रालय से वेटेड हैं। गये साल भी हमने मैस अलाउंस में 25 रुपये की वृद्धि की थी, इस साल भी हम कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के मैस अलाउंस में 25 रुपये की वृद्धि कर रहे हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : मुख्य मन्त्रीजी, इसको जरा बढ़ाइये ।

श्री कैलाश मेघवाल : जेल और होम गार्ड में भी मैस अलाउंस की यही बढ़ोतरी चालू कर दी गयी है । वाशिंग अलाउंस, जैसे कि अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि ड्रेस जरा बढ़िया रहनी चाहिये, टर्न आउट जरा बढ़िया रहना चाहिये । शेरगढ़ से आने वाले माननीय विधायक, बाल भी काले करा दें तो बढ़िया ही दिखता है । वाशिंग अलाउंस, जो अभी तक 15 रुपये मिलता था, इसको 15 रुपये से 25 रुपये बढ़ा रहे हैं । 25 रुपये वाशिंग अलाउंस मिलेगा पुलिस, जेल होमगार्ड्स और बार्डर होमगार्ड्स । यह सारों के लिए है- होमगार्ड, बोर्डर होमगार्ड्स, जेल और पुलिस । वेलफेयर फण्ड में आप कह रहे थे कि यह कम-कम क्या दे रहे हो, तो पुलिस वेलफेयर फण्ड में 20 लाख रुपये वेलफेयर फण्ड की गतिविधियों को फाइनेंस करने के लिए, यह वेलफेयर फण्ड से दिया है । जेल को 5 लाख रुपये और होमगार्ड्स में 2 लाख रुपये दिये हैं ।

एक मांग उठी थी कि अच्छे खिलाड़ी होने चाहिये, अपने अच्छे खिलाड़ी अभी 1-2 ही आये हैं, तो स्पोर्ट्स फण्ड में स्पोर्ट्स को प्रोत्साहन देने के लिए 15 लाख रुपये पुलिस को और होमगार्ड्स के लिए डेढ़ लाख रुपये दिये हैं ।

50 गैस के नये कनेक्शन मैस के लिए पुलिस को दिये जाएंगे । बोर्डर होमगार्ड्स को 4, और दो हमारे यहां के होमगार्ड्स को गैस कनेक्शन दिये जाएंगे । कुल मिलाकर 56 नये गैस कनेक्शन दिलाये जाएंगे । इलेक्ट्रिक फैसिलिटीज इन पुलिस लाइंस एण्ड पुलिस स्टेशंस के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपये, नहीं 120 लाख रुपये....

एक माननीय सदस्य : 1 करोड़ 20 लाख रुपये ही होते हैं वह ।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं ज्यादा सतर्क हो गया हूं, कहीं बोलने में गड़बड़ न हो जाए, नहीं तो आप कहीं कल प्रिविलेज मूव कर दें । ड्रिंकींग वाटर फैसिलिटी इन पुलिस स्टेशंस और चौकियों के लिए 1 करोड़ 23 लाख रुपये । बाथरूम्स एण्ड लेट्रिन इन पुलिस स्टेशंस पुलिस लाइंस के लिए 67 लाख, 50 हजार रुपये । लांगरीफार पुलिस स्टेशंस एण्ड पुलिस लाइंस, इसके लिये 78 नयी पोस्ट क्रियेट की हैं और पहले इनको 600 रुपये मासिक वेतन मिलता था, पिछले साल के पहले 250 रुपये मिलता था, पिछले साल हमने 250 से 600 रुपये किया था, इस बार 600 से 800 मिलेगा....(व्यवधान)....

श्री परसराम मदेरणा : आपने लांगरी की संख्या बढ़ा दी और मैस भत्ते में थोड़ा-थोड़ा इंक्रीज कर दिया लेकिन लांगरी के हाथ में वेलन-चकले का, पूरे सामान का, यूटेंसिल्स वगैरह का क्या प्रोवीजन रखा ?

श्री कैलाश मेघवाल : उसका भी रख देंगे। वह तो मैन बजट में है। अभी तक सब-इंस्पैक्टर्स और असिस्टेंट सब-इंस्पैक्टर्स जो मोटर साइकिल रखते थे उसकी मेंटीनेंस का उन्हें 75 रुपये पर मंथ मिलता था उसको 150 रुपये पर मंथ कर दिया है, बढ़ाकर उसको डबल कर दिया है।

श्री परसराम मदेरणा : पेट्रोल पर सैल्स टैक्स बढ़ा दिया तो वह करना हीं था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रतिपक्ष के नेता को बेलन चाहिए, बेलन की व्यवस्था भी इसमें कर देते तो अच्छा रहता।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इनका वास्ता तो बेलन से पड़ा ही नहीं।

श्री कैलाश मेघवाल : होमगार्डस को ड्यूटी पर लेते थे तो उनको 30 रुपये डेली अलाउंस मिलता था अब 30 रुपये के बजाय 40 रुपये पर-डे अलाउंस उनको दिया जाएगा। होमगार्ड्स के जो वालेंटीयर्स हैं उनको ट्रेनिंग अलाउंस, ट्रेनिंग पीरियड में 10 रुपये दिन के देते थे, अब उनको 20 रुपये देंगे ट्रेनिंग के पीरियड में।

होमगार्ड्स में साइकिल अलाउंस अभी तक 15 रुपये प्रति माह मिलता था अब उसको 15 रुपये के बजाय 50 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। जेल स्टाफ यूनीफार्म अलाउंस, पुलिस से 75 प्रतिशत का मिलता था जेल विभाग को, जितना पुलिस का यूनीफार्म अलाउंस होता था उसका 75 प्रतिशत जेल को मिलता था, अब जेल के वार्डन और हैड वार्डन उन सबको भी पुलिस के बराबर ही यूनीफार्म अलाउंस मिलेगा। ये सारी स्वीकृतियां जारी कर दी जाएंगी। ....(व्यवधान)....

श्री जगदीप धनखड़ : इंवेस्टीगेशन और ला-एण्ड-आर्डर को अलग-अलग कर दीजिये, मुख्य मंत्रीजी से पूछकर।

श्री कैलाश मेघवाल : आपके सुझाव पर सोचेंगे, विचार किया जाएगा, अच्छा सुझाव है। मुख्य मंत्रीजी के सामने भी विचार रखा जाएगा कि यह सुझाव आया है, इसमें हम ऐसा करें तो इतना खर्चा आएगा और ठीक रहेगा। यह वहां सहमति के लिए जाएगा, निश्चित रूप से जाएगा, विचार करेंगे इस पर। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर मैं एक फिगर रखना चाहता हूं। यह आल इंडिया फिगर्स हैं 1993 के, और यह फिगर्स मैं इसलिए रखना चाहता हूं कि इससे यह मालूम पड़ेगा कि राजस्थान अन्य प्रांतों के मुकाबले में, जो 2-4 प्रांत हैं उनकी एक लाख पापुलेशन के पीछे डकैती में 1 लाख में .19 तो राजस्थान में हैं मध्यप्रदेश में .38 हैं, बिहार में 3.09 हैं, यू. पी. में 1.24 हैं, महाराष्ट्र में .97 हैं और दिल्ली में .27 हैं।

यह आंकड़े मैं आपके सामने इसलिए

(श्री कैलाश मेघवाल)

रख रहा हूं कि एक सामान्य राय आज जो बनी है सभी विधायकों की बहस से, वक्तव्य से और भाषण से कि हमारा राजस्थान कम्पेरेटिवली शांत राज्य है, ला-एण्ड-आर्डर यहां ठीक है। अब उसमें क्रेडिट अलग-अलग हैं। हमारे पुष्कर से आने वाले माननीय विधायक का कहना है कि यह तो शांत है, रहेगा और था लेकिन यह यहां की जनता को क्रेडिट देते हैं लेकिन राजस्थान कम्पेरेटिवली शांत प्रदेश है और सारे आंकड़े मैं आपको बता दूं तो ठीक रहेगा....

अनेक माननीय सदस्य : भेज देना।

श्री परसराम मदेरणा : वह तो आपने बता दिये हैं। मध्य प्रदेश आपसे बैटर है...

श्री कैलाश मेघवाल : मध्य-प्रदेश .38 है....

श्री परसराम मदेरणा : दिल्ली आपसे बैटर है।

श्री कैलाश मेघवाल : दिल्ली 0.27 है, महाराष्ट्र 0.97 है।

एक फिगर और दे देता हूं मैं आपको। Persons involed in crimes per lac of, 1 लाख की पापुलेशन में से डकैती में राजस्थान में 0.54 पर्सेंस इनवाल्वड हैं....(व्यवधान)....

श्री परसराम मदेरणा : आज तो बसों में ज्यादा डकैती उत्तर-प्रदेश वाले कर रहे हैं। तो यह 0.54 है, यह राजस्थान के डोमीसाइल हैं या कुल मिलाकर राजस्थान में डकैती हुई है वह पर्सेंस की संख्या है ?

श्री कैलाश मेघवाल : पर्सेंस इन्वाल्ड हैं। 1993 में राजस्थान में 0.54 हैं। पहले मैंने इन्सीडेंस का दिया है पर लाख। एम. पी. में 2.67 पर्सेंस इनवाल्ड हैं पर लाख। बिहार में हैं 9.42, यू. पी. में 5.14, महाराष्ट्र में 5.87, दिल्ली में 1.93 है। यह सारे, डकैती के, मर्डर के, बर्गलरी के, थैफ्ट के, रेप के, सब के अन्दर राजस्थान बहुत कम हैं। इसीडेंस भी कम है।

अब, माननीय अध्यक्ष महोदय, हिण्डोली से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां केवल नकबजनी और चोरी का फिगर लिया था और वह सारे सही-सही दिये गये ...

श्री विष्णु मोदी : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर। अभी माननीय श्री घनश्याम जी ने एक कमेंट पास किया कि यहां एम. एल. ए. भी कम हैं, तो क्या इनका मन्तव्य क्राइम से एम.एल.एज. को जोड़ने का है ? .... (व्यवधान)....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मेरा मतलब सिर्फ आपसे है और किसी से नहीं।

श्री परसराम मदेरणा : यह फिगर्स

(श्री परसराम मदेरणा)

जो आपने दिये और अभी प्रश्न उठाया पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य ने, पालिटिकल क्रिमिनलाइजेशन का पर्सेंटेज क्या है राजस्थान में ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना कह सकता हूं कि हिन्दुस्तान में सबसे कम यदि राजनीति का अपराधीकरण हुआ है तो राजस्थान में हुआ है। आप चाहें तो आज तो जानकारी नहीं है मेरे पास लेकिन मैं आप को पूरी जानकारी दे दूंगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : माननीय मुख्य मंत्रीजी, अभी ज़िला परिषद के के चुनावों में जिन को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिये उन पर हत्याओं के मुकदमे आज भी चालू हैं। झालावाड़ में आपकी तरफ से जिसने उप-प्रमुख का चुनाव लड़ा उसके खिलाफ आज हत्याओं के मुकदमे हैं। कोटा में जो उप-प्रमुख बनाया गया उसके खिलाफ रेप के केसेज आज भी मौजूद हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय धारीवाल जी, मैं इतना जोश में आकर राजनैतिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्त्ता चाहे जिला परिषद का हो, चाहे विधान सभा से हो, चाहे लोकसभा से हो, जब तक पूरी विश्वसनीय जानकारी इस बात की नहीं हो कि इन्होंने चोरी की है या डाका डाला है या अपराध किया है उस समय तक इन बातों का इल्जाम नहीं लगाना चाहिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैंने इल्जाम लगायें हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी सुन लीजिये, कई बार यह बहुत उल्टे पड़ जाते हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरे दोनों इल्जामों को आप यदि फरमायें तो मैं रिपीट करने के लिए तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष : बिराजें, बिराजें। माननीय सदस्य, अभी बहुत बिजनस बाकी है, बिराजें आप।

श्री परसराम मदेरणा : ऐसा है, मुख्य मंत्रीजी ठीक बात कह रहे हैं कि जब तक एवीडेंस या तथ्य से, उस क्राइम के कमिशन के बाद में, बियोन्ड डाउट सेटिस्फाई नहीं हो जाए, एक बात कहूं दूं, मुख्य मंत्रीजी, बहुत शांति से कहूंगा। कि इन पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में, मैं बहुत ही ठंडे रूप से कह रहा हूं आई एम. एज कूल एज आइस, उसमें ब्यूरोक्रेसी का पालिटिकलाइजेशन निश्चित तौर पर हुआ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको इतना कह दूं कि जहां आम चर्चा होती,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

है, कि राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है....

श्री परसराम मदेरणा : अपराधीकरण मैंने नहीं कहा है। मैं तो ब्यूरोक्रेसी का पालिटिकलाइजेशन हुआ, उसकी बात कर रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज आम तौर से चर्चा होती है कि राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है और ब्यूरोक्रेसी का पोलिटिकलाइजेशन हो रहा है। यह केवल राजस्थान में ही नहीं पूरे देश में इस प्रकार की चर्चा होती है और कोई दिन ऐसा नहीं होगा कि किसी न किसी प्रमुख समाचार पत्र में इसके सम्बन्ध में अग्रलेख नहीं लिखे जाते हों या इस प्रकार की बात नहीं होती हो। मैं ऐसा समझता हूं कि आप चाहे किसी भी मापदण्ड से देखें, चाहे पोलिटिक्स का क्रिमिनेलाइजेशन हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी का पोलिटिकलाइजेशन हो, किसी भी मापदण्ड से देख लें आज राजस्थान इस दृष्टि से बहुत अच्छा है और लिस्ट जिसके ऊपर कहा जा सकता है, ऊंगली उठाई जा सकती है, इस प्रकार की स्थिति है। केसेज सब तरह के मिलते हैं। मैं नहीं कहता कि बिलकुल 100 पर्सेंट कोई सरकारी आफिसर राजनीति से ग्रसित नहीं हो।

मैं यह भी नहीं कहता कि किसी व्यक्ति में अपराध करने की प्रवृत्ति न हो लेकिन ईश्वर की कृपा से और राजस्थान का जिस प्रकार का पोलिटिकल सिस्टम या सोसायटी जिस प्रकार की बनी हुई है, अभी तक ऐसी चीजों को हमने प्रोत्साहन नहीं दिया है और यह इसी का परिणाम है कि राजनैतिक क्षेत्र में हम काम करते हैं, मैं समझता हूं कि आज के 4 वर्ष पहले ब्यूरोक्रेसी आपके साथ थी और आज 4 वर्ष से हमारे साथ में है लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि इस राजस्थान के ब्यूरोक्रेसी की जितनी पोलिटिकलाइजेशन की कोई कल्पना कर सकता है, वह गलत है। रत्तिभर पालिटिकलाइजेशन इसका नहीं हुआ है। अब आप यह कहें कि दो चार आदमियों को इधर-उधर कर लें, वह पोलिटिकलाइजेशन के कारण से नहीं है। वह तो और कारण से है...

श्री जगदीप धनखड़ : उन कारणों को बताइये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह और कारण आप जानते हैं।

श्री विष्णु मोदी : आप इसमें तो कांग्रेस को क्रेडिट दें क्योंकि अधिक टाइम तक कांग्रेस ने राज किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक और बता दूं। आप इन चीजों में क्रैडिट लेने की कोशिश मत करो। कोशिश यह करो कि राजस्थान में जो परम्परा बनी हुई है वह परम्परा बनी रहे।

श्री विष्णु मोदी : परम्परा हमने डाली है उसको आप निभायेंगे ।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं लम्बा नहीं करूंगा, मैं बहुत जल्दी और शार्ट करूंगा । मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि जो वार्षिक प्रतिवेदन है उसमें सारे चालान प्रतिशत दिये गये हैं और चालान प्रतिशत हमारा 1992 में 81, 61 रहा है, 1993 में 81,75 रहा है, 1994 में 81,47 रहा है और रिकवरी प्रतिशत भी बहुत अच्छा रहा है । वह 1992 में 60,20 रहा है, 1993 में 63,37 रहा है 1994 में 61,48 रहा है और यह फिगर्स मैंने आपको इसलिए दिये कि 1992 के आल इंडिया फिगर्स अवेलेबल है और 1992 में आल इंडिया चालान प्रतिशत 71,26 रहा है ।

श्री परसराम मदेरणा : काहे की रिकवरी ?

श्री कैलाश मेघवाल : थैफ्ट की रिकवरी ।

श्री परसराम मदेरणा : सरदारपुरा से आने वाले माननीय सदस्य इन्टरनेशनल बार्डर के लिए बहुत चिन्तित थे । स्मगलिंग की रिकवरी कितनी हुई ?

श्री कैलाश मेघवाल : स्मगलिंग के फिगर्स तो इसमें दे रखे हैं और मैं बोल दूं आप कहो तो तीनों साल के हैं, वह अलग हैं यह अलग हैं ।

श्री परसराम मदेरणा : आल इंडिया की तो वह जायेगी फिगर....

श्री कैलाश मेघवाल : आल इंडिया का जो चालान प्रतिशत है, 1992 के जो फिगर्स आये हैं आल इंडिया के वह है 71.27 ...

श्री जगदीप धनखड़ : फिगर्स से ज्यादा लगाव मत रखिये, अब इन आंकड़ों को छोड़ दीजिये फिगर्स से दूर हटकर समय पर ध्यान रखिये ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये ।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर एक चर्चा और आयी कि कांस्टेबल की दूरी एस. पी. से बढ़ती जा रही है सबार्डिनेट से बढती जा रही है, डी. जी. पी. से बढ़ती जा रही है । अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि यह कथन बिलकुल असत्य है । एस. पीज. के लिए टूर करना, थाने के इंस्पेक्शंस करना और पुलिस लाइंस में जाना, इस तरह की निश्चित गाइड लाइंस दी गयी हैं । डी. आई. जी. के लिये भी दी गयी हैं । जो यह बात कहीं गयी है वह बिलकुल तथ्यों से परे है । पुलिस का कोआर्डिनेशन है वह जितना हो रहा है वह पर्याप्त नहीं है, वह तो इवेल्यूएट करेंगे लेकिन एस. पीज., डी. आई. जीज. और आई. जीज.

(श्री कैलाश मेघवाल)

तक को इस बात के निर्देश दिये गये हैं कि वह बिलकुल पुख्ता पुलिस लाइंस में, बड़े खाने में भी सम्मिलित हों। हमारे डी. जी. साहब तीन-चार जगह बड़े खाने में भी सम्मिलित होकर के आये हैं और सम्पर्क सभाएं हर जगह की जा रही हैं। पुलिस का सिपाही जो हमारा की-मैन है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि टोटल पुलिस की इज्जत अगर किसी के पास है, जैसे एक चर्चा आई थी कि 12-13-14 साल की लड़की को कैसे घर में रखलें, शादी क्यों न करायें, कहीं घर की इज्जत चली जाए। तो पुलिस विभाग की इज्जत अलटीमेटली कांस्टेबल, हैड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर पर डिपेंड करती है। उसका वहां क्या कंडक्ट रहता है, तो उस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। उनसे ज्यादा सम्पर्क रहे, पुलिस विभाग हमारा एक परिवार है। पुलिस आफिसर से लगाकर नीचे के कांस्टेबल तक यह महसूस करें कि हम सब एक संगठन के अधिकारी हैं और इसका प्रमाण हमने देखा है, जब-जब भी आपरेशंस होते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। इण्टरस्टेट गैंग्स आपरेट कर रही हैं, वह सारा हमने दे रखा है इसलिए मैं उस पर नहीं जाऊंगा नहीं तो वह रिपीट हो जाएगा। गोवंश का भी, इंटरगैंग्स का भी, विशिष्ट केसेज का भी, मुझे आपके मूड का पता चल रहा है। एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा शेरगढ़ से आने वाले माननीय विधायक ने एक बात की ओर संकेत किया है और वह एक गम्भीर संकेत है, कि आपके पुलिस में ग्रुपिज्म है। मैं इस बात से असहमति व्यक्त करता हूं। ग्रुपिज्म तब होता है जब टीम लीडर या हैड आफ दी स्टेट उस ग्रुपिज्म को प्रोत्साहित करे। फिर आप कह देंगे कि मुख्य मंत्रीजी की तारीफ कर रहे हो। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी का एक विशिष्ट गुण यह भी है कि मेन मैनेजमेंट में या दूसरे सारे मैनेजमेंट में किस की कहां आवश्यकता है, कौन किस काम को ठीक ढंग से फलीभूत कर सकता है, परिणाम दे सकता है, मेन मैनेजमेंट की इनकी जो क्षमता है उसमें भी इनकी दक्षता है। इस मामले में कोई पक्षपात नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : इसमें दो राय कहां है? राजस्थान का मुख्य मंत्री जिस फोर्स से आया है उसकी साइकलोजी को नहीं समझते हैं क्या कोई?

श्री कैलाश मेघवाल : बिलकुल समझते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी और जहां तक मेरा सवाल है, किसी किस्म को, कोई ग्रुपिज्म को न प्रोत्साहन होगा न उसको प्रोत्साहन दिया जाएगा। पुलिस फोर्स जो टोटल हाइरारकी है, जो पिरामिड है एक रूप

(श्री कैलाश मेघवाल)

में काम करेगा, मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान का पुलिस बल जनता के लिए सुरक्षा कवच है। मैं दूसरी कोई वोकेबुलरी का प्रयोग नहीं करना चाहता जो हाई साउंडिंग हो, मतलब कि पुलिस मेन एक सहयोगी के रूप में....

श्री परसराम मदेरणा : सहयोगी के रूप में तो ठीक है, गृह मंत्रीजी, बात यह है कि आप जो इस परिवार को एक तरफ सेग्रीगेट कर रहे हैं, आम जनता की राय यह है कि पुलिस का आदमी चाहे, किसी भी जाति का हो, कोई भी हो, यह एक नयी जाति है। इनके संस्कार ही और तरह के हैं, इनके बोलने का ढंग ही और है। आप कभी गये नहीं हो, श्री खेतसिंहजी ने जो सरप्राइज इंस्पेक्शन की बात की थी, इसलिए इनको जनता से जोड़े हुए रखो और जैसा श्री राठौड़ साहब ने सुझाव दिया था कि आप इनको जरा सभ्य बनाइये, जरा एटीकेट सीखें लोगों से बात करने में इनमें कोई विनम्रता रहे। आपके यहां पुलिस स्टेशंस पर लिखा है "मेरे योग्य सेवा"।

श्री खेतसिंह राठौड़ : और नीचे जूता लटकाया हुआ है (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप जब गये उस समय छोड़कर आये थे अभी तक चल रहा है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह हमारे वक्त में भी था और आज यों का यों लटक रहा है

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रतिपक्ष के नेता की इस बात से सहमत हूं कि इनकी कुछ कल्चर अलग है। अब कई बार बढ़िया भी होती है, खराब भी होती है। अब आप जिस ढंग से संकेत कर रहे हैं उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। गंगासिंह जी से लगाकर आज तक जो डेमोक्रेटिक मोलडिंग हुआ है, जो फ्यूडल स्टेट्स थीं उनके इण्टीग्रेशन के बाद, संस्कार तो पुराने वही थे और वह संस्कार धीरे-धीरे....

श्री रामनारायण चौधरी : प्रशिक्षण का पार्ट है ?

श्री कैलाश मेघवाल : हां, प्रशिक्षण का पार्ट है। प्रशिक्षण की तरफ तो हम सबसे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, यह प्रशिक्षण के लिए इतनी बड़ी पौथी तैयार की है। सारी गाइड लाइंस हैं, यह प्रपोजल्स हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस के सम्बन्ध में आप चर्चा करते हैं कि पुलिस का जनता के साथ जिस प्रकार का सम्पर्क है वह ठीक नहीं है, पुलिस एरोगेंट भी है, पुलिस का व्यवहार भी ठीक नहीं है। पुलिस और जनता के बीच में

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जिस प्रकार का सौहार्द और सामंजस्य होना चाहिये उस प्रकार का नहीं है। लेकिन सारे पुलिस के बेड़े के इतिहास का अगर आपने अध्ययन किया हो तो आपको एक जानकारी मिलेगी कि एड-मिनिस्ट्रेशन के सारे एपरेटस में यदि किसी आदमी की बात का विश्वास नहीं किया जाता तो पुलिस वाले का विश्वास नहीं किया जाता। इसलिए नहीं किया जाता कि आज एक इंस्पेक्टर एक्साइज का हो वह कोर्ट मे जाकर बयान देगा तो एक्साइज इंस्पेक्टर की बात को सही माना जाएगा, आज सेल्स टैक्स का इंस्पेक्टर यदि कोर्ट में जाकर कहता है या उसके सामने कोई स्टेटमेंट रिकार्ड हुआ है उस स्टेटमेंट के बारे में कोर्ट में कान्जिेंस लिया जाऐगा कि सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर के सामने इसका स्टेटमेंट हुआ है लेकिन पुलिस के मामले में नहीं है। और यह आज आपको कह देता हूं कि यह हमारी ही व्यवस्था नहीं है यह ब्रिटिश हुकूमत की व्यवस्था थी, यह क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की व्यवस्था थी कि जिसके कारण पुलिस की कोई बात कोर्ट में विश्वसनीय नहीं है। आज सारे संसार में आप चले जायं कहीं आपको ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहां कांस्टेबल ने कह दिया हो और कोर्ट ने उसका विश्वास नहीं किया हो, यहां एस. पी. भी कह दे, कोर्ट उसका विश्वास नहीं करेगी, डी. आई. जी. कह दे, कोर्ट उसका विश्वास नहीं करेगी। यह सारा सिस्टम है उस सिस्टम से हम बाहर नहीं निकल पाये हैं। उस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जिस प्रकार की व्यवस्था अंग्रेज छोड़कर गये थे उस व्यवस्था से हम बाहर नहीं निकल पाये। उसी का रिजल्ट है कि आज पुलिस और जनता के बीच में इस प्रकार का सामंजस्य नहीं बना। आज आवश्यकता इस बात की है, घनखड़जी यहां बैठे हैं, आज के 15 वर्ष पहले प्रोसीक्यूशन और पुलिस को अलग कर दिया। आज वास्तविकता में लोग यह महसूस कर रहे हैं कि जब तक प्रोसीक्यूशन और पुलिस में आपस में सामंजस्य और विश्वास पैदा नहीं होगा तब तक कोर्ट केसेज जो कोर्ट में चल रहे हैं, उनमें ज्यादा सफलता नहीं मिलेगी।

कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिये लेकिन एक विचार है। मैं इस आधार पर कहना चाहता हूं कि आज टाडा के मामले में जो सारा झगड़ा हो रहा है वह किस बात का झगड़ा है? एस पी. के सामने जो स्टेटमेंट हो जाए उसको नहीं माना जाए। बाकी टाडा में कोई खराबी नहीं है, टाडा में इतनी सी खराबी है कि एस. पी. के सामने यदि कनफैशन हो गया तो उस कनफैशन को कोर्ट मानेगी। तो इसलिए मैं कहता हूं पुलिस को तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में इस प्रकार का ब्यौरा बना दिया कि कोर्ट में उसका विश्वास नहीं था। आज पुलिस वाला किसी चोर को पकड़ता है, मैं समझता हूं प्रतिपक्ष के नेता के सामने समस्या खड़ी हुई होगी,

(22.00)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बोर्डर के ऊपर जितने लोग पकड़े जाते हैं, स्मगलर को पकड़ते हैं, स्मलगर के पास हेरोइन आ गयी, अब वहां गवाही देने के लिए कौन आयेगा ? क्या पुलिस वाले दो गवाह लेकर जाएंगे ? अचानक कोई मिल गया तो उसको पकड़ लेते हैं, कोर्ट तो जब ही मानेगी जब कोर्ट के सामने यह गवाह पेश किया जाए कि दो आदमियों के सामने इनको पुलिस ने पकड़ा है, यह स्मगलर आया, इसके पास हिरोइन मिली, इसके पास हथियार मिला। आज मजबूर किया जाता है पुलिस को अपना केस कामयाब करने के लिए कि इस प्रकार के एविडेंस प्रोक्योर करें और आप सब अन्दाजा लगा सकते हैं कि वह एविडेंस किस प्रकार की होती है ।

आज आवश्यकता इस बात की है कि सारे मसले पर गम्भीरता से चिन्तन करें कि यदि क्रेडिबिलिटी पुलिस की नहीं हुई, आज कई तरह के अपराध पुलिस वाले करते हैं, मैं कोई सर्टिफिकेट देने को तैयार नहीं हूं, रिश्वत खाते होंगे, इसको भी मैं मना नहीं करता, लोगों के साथ एट्रोसिटीज करते होंगे, इसको मना नहीं करता लेकिन एक साइकोलोजी जो पैदा हो गयी है कि हम जो कुछ भी करें, हम विश्वसनीय नहीं है, इस साइकोलोजी को तोड़ने की भी जिम्मेदारी इस देश की और प्रदेश की जनता की होगी । यह साइकोलोजी नहीं टूटेगी तो ये डिफरेंसेज इसी प्रकार से बने रहेंगे ।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय मुख्य मंत्रीजी, अभी जो बात प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने कही थी उसमें और जो बात आपने कही है, दोनों का मेल बैठता नहीं है, आपका सुझाव इतना ही था कि पुलिस वालों को ऐसी ट्रेनिंग...

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैंने उनका जवाब नहीं दिया है ।

श्री शिवनाथ सिंह : आपने जो बात कही है उस बात को साइड ट्रेक करने के लिए, सवाल इतना ही था कि पुलिस को इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाए कि जनता के साथ में उनका व्यवहार ठीक रहे । अब सीआरपीसी. कहां आ गयी, कहां अंग्रेज आ गये, कहां नहीं आ गये ? हम इतना चाहते हैं कि थाने में आदमी जाए उसके साथ में व्यवहार अच्छा रहे और श्री खेतसिंह जी वाला वह जूता हमको दिखाया नहीं जाए। सवाल तो इतना ही था उसमें और कोई बात नहीं थी ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : कई आदमी तो माला से कहना मानते हैं और कई आदमी जूते से कहना मानते हैं, तो दिखाने को अगर श्री खेतसिंह जी ने जूता वहां पहले से रख दिया, यह हमारा रखा हुआ नहीं है । यह उस समय का रखा हुआ है, इतना लम्बा तो शायद जूता किसी का हो नहीं सकता। अब उस बात को सीरियसली नहीं लें,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

किसी थाने में आपको जूता नहीं मिलेगा। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपने यह कहा कि पुलिस पर विश्वास नहीं किया जाता और इसलिए उनको झूठे गवाह क्रियेट करने पड़ते हैं, आपने सही कही यह बात।

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : लेकिन खेतसिंह जी, हम तो पुलिस वालों की बात ब्रह्म वाक्य मानकर चल रहे हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : अभी तो आपको कुछ बनाया ही नहीं और+ + + छोड़ दी आपने।

श्री परसराम मदेरणा : मेरे दिमाग में एक भूमिका थी। मुख्य मंत्रीजी, मैं 1950 में एक पुलिस स्टेशन में जाकर ठहरा, सांचौर की बात कह रहा हूं, रघुनाथ जी विश्नोई मेरे गांव के पास में हैं, मैं उनके पास में गया तो वे मुझे मिले नहीं। रानीवाड़ा से ऊंट पर सांचौर गया, बसें नहीं थीं। पुलिस सब इंस्पेक्टर को मैं जानता था, मैं वहां चला गया। वहां पर एक क्रिमिनल पकड़ा हुआ था, मैं टीबे पर सो गया, वे उसकी पिटाई कर रहे थे। मैंने ऐसा सीन कभी पहले देखा नहीं था लेकिन जिस तरह की वे गालियां निकाल रहे थे. उससे मुझे इतना पेन हुआ कि मैंने सब इंस्पेक्टर को कहा कि मैं जीवन में पहली दफा आपके यहां सोने के लिए आ गया हूं, आज रघुनाथ जी विश्नोई अपने घर पर नहीं हैं, उसके बाद कभी पुलिस स्टेशन में, कई मिलने वाले हैं, मैं कभी जाकर ठहरा नहीं था। वे अपने ऊपर ही खुद की मां की गालियां ले रहे थे। यह जो साइकोलोजी है पुलिस की, यह नहीं होनी चाहिये। थोडा सा ह्यूमन बिहेवियर भी उनका सुधारना चाहिये। उस बैकग्राउण्ड में मैंने एक बात कही थी, इसलिए कि यह अलग जात है और इस परिवार में हम तो सम्मिलित अगर आप कहोगे तो होंगे नहीं, इस परिवार में आपको जरूर जाना चाहिये और आप डिजर्व भी उसी परिवार के साथ में रहने में कर रहे हो।

श्री खेतसिंह राठौड़ : श्री घनश्याम जी को भेज दो।

श्री परसराम मदेरणा : और चले जाओगे तो वहां पर कोई बात नहीं है। मेरा मतलब यह था कि इनके व्यवहार में कुछ थोड़ा सा सुधार आना चाहिए। यह थोड़ा सा जो ब्रेजानेस और एरोगेंस और यह

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री परसराम मदेरणा)

जो वैनिटी है एक पुलिस की कि पुलिस में आ गया, अब तो आप ट्रांसपेरेन्ट हैं इसलिए केसेज वगैरह रजिस्टर्ड जल्दी हो रहे हैं। डरते हैं लोग तो कि रजिस्टर्ड होंगे। कई दफा तो रजिस्टर कराने के लिए जाता है उसके ही दो डण्डे पड़ जाते हैं। यह आप इतनी सफाई दे रहे हो, उतनी बात नहीं है। इसलिए वह जो वीकनेसेज हैं उनमें सुधार आप कर रहे हैं, और सुधार करना चाहिये और ट्रेनिंग के ऊपर आपको ज्यादा जोर देना चाहिये। अभी थोड़े दिन पहले मैं दिल्ली गया था वहां पर नये प्रकार के क्राइम किस तरह से कमिट हो रहे हैं और सोशल डिस्टोर्शन में और समाज में किस तरह की विकृतियां आयी हैं और किस तरह से इन्वेस्टीगेशन होना चाहिए, यह कम्बांड ट्रेनिंग वहां चल रही थी जिसमें जोधपुर के एस. पी. भी थे, जयपुर के इंस्पेक्टर्स भी उस ट्रेनिंग में शामिल थे। ट्रेनिंग जरूरी है, प्रशिक्षण दीजिये, लगातार रिफ्रेशर कोर्स होगा तो निश्चित तौर पर उनकी मेंटेलिटी और अप्रोच में फर्क पड़ेगा।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, अकाउण्टेबिलिटी की बात आयी है, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हर स्तर पर डीवाई. एस. पी. से लेकर आई. जी. तक की अकाउंटेबिलिटी के बारे में स्पष्ट प्रशासनिक व्यवस्थाए की जा रही हैं। यह तो यहां की है, अकाउंटेबिलिटी तो अब आयेगी, सारा कल्चर डवलप हो रहा है, ह्यूमन राइट्स कमीशन भी है, शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन भी है, वुमेन कमीशन भी है, माइनोरिटीज कमीशन भी है। तो यह सारी व्यवस्था जिस तरह से बन रही है और जैसा पिरामिड बन रहा है उसमें धीरे-धीरे पुलिस को भी अपने सारे कण्डक्ट को चेंज करने को, पुरानी परम्पराओं को अच्छे सुधारवादी तौर-तरीकों पर लाने की व्यवस्था होगी और इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं यह विश्वास दिलाता हूं सदन को कि आप मेरी यह पुलिस विभाग की मांग मंजूर करो और इस मांग से अगले साल जनता और गरीबों का सबसे ज्यादा भला करने में पुलिस लगेगी, कानून और व्यवस्था ठीक से निपटायेगी।

मांग संख्या 16 का पारण

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या-16, पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3, 19, 25, 95,000/- (तीन अरब, उन्नीस करोड़, पच्चीस लाख, पिचानवे हजार) तक की राशि, जिसमें

(श्री अध्यक्ष)

लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर थोड़े समय के लिये चर्चा

यमुना जल बंटवारे के तहत राज्य के हिस्से का पानी नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर थोड़े समय के लिए चर्चा।

श्री हरिसिंह जी (कुम्हेर), सदस्य, विधान सभा यमुना जल बंटवारे के तहत राज्य के हिस्से का पानी नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में प्रक्रिया के नियम 127 के अन्तर्गत थोड़े समय के लिए चर्चा उठायेंगे। सिंचाई मंत्री उत्तर देंगे।

कल एक व्यवस्था मांगी गयी थी उसमें मैंने व्यवस्था दे दी है और कल मैं उसको सुना दूंगा। आज समय ज्यादा हो गया है।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : कल क्यों लें ?

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं, आपका तो ले रहे हैं। श्री हरिसिंह जी, आपका आज ही ले रहे हैं।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक अत्यधिक महत्व के, महत्व ही नहीं लोक महत्व के और लोक महत्व के ही नहीं अपितु....

श्री रतनलाल ताम्बी : और लोग भी बहस करेंगे, इसको कल ले लेना।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर माननीय सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं और वह ऐसा विषय है जो कि.... (व्यवधान)....

श्री शिवनाथ सिंह : कल ले लीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मिनट, माननीय सदस्य को निवेदन कर दूं....

श्री परसराम मदेरणा : सदन के माननीय सदस्य ज्यादा उठ गये इसलिए कल ले लिया जाता ....(व्यवधान)...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बात ही खतम कर रहा हूं। माननीय सदस्य को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 22 तारीख को यमुना वाटर के सम्बन्ध में जो बोर्ड का गठन हुआ है उस बोर्ड की भी मीटिंग है, रिव्यू कमेटी की भी मीटिंग

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

है और उसके बाद में जो कुछ राजस्थान के हिस्से का पानी है वह कब और किस प्रकार से मिलेगा, उसकी सारी व्यवस्था हो जाएगी और यमुना कैनाल, अपर यमुना कैनाल बोर्ड गठित होकर 22 तारीख को काम शुरू कर देगा तो आपकी चिन्ता अपने आप समाप्त हो जाएगी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : ठीक है।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल दिनांक 20-4-95 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 22.09 बजे, गुरुवार; 20 अप्रैल, 1995 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट—1

तारांकित प्रश्न संख्या 398 का विवरण

अजमेर शहर में संभावित मलेरिया की रोकथाम हेतु निम्न उपाय किये गये हैं :—

(1) अजमेर शहर में उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (मलेरिया) का मुख्यालय है। इस कार्यालय में मलेरिया का स्टाफ भी कार्यरत है। अजमेर शहर में अरबन मलेरिया स्कीम भी लागू है। इसके अन्तर्गत अजमेर शहर में निम्न स्टाफ कार्यरत हैं :—

1. एक बायलोजिस्ट
2. दो मलेरिया निरीक्षक
3. 18 वरिष्ठ फील्ड वर्कर
4. 65 फील्ड वर्कर कार्यरत हैं।

शहरी मलेरिया योजना के अन्तर्गत अजमेर शहर को दो हिस्सों में बांटा गया है। पूर्व एवं पश्चिम क्षेत्र इनके अन्तर्गत मलेरिया निरीक्षक तथा सुपीरियर फील्ड वर्कर्स और फील्ड वर्कर्स को शहर के 22 भागों में लगा रखा है जो प्रत्येक सप्ताह अपने-अपने क्षेत्रों में एन्टीलार्वा का कार्य करते हैं। स्थानीय नगरपालिका के सहयोग से डी. डी. टी. का छिड़काव गन्दी नालियों की सफाई और गड्ढों को भरने का कार्य किया जाता है।

(2) शहरी क्षेत्र में मलेरिया नियंत्रण हेतु रक्त परीक्षण के लिए तीन लैब टेक्नीशियनों को भी मलेरिया कार्यालय में लगा रखा है। जहां पर वे अजमेर शहर में स्थित चिकित्सा संस्थानों से प्राप्त ब्लड स्लाइडों की जांच 24

घंटों में करते हैं तथा जो स्लाइड पोजेटिव आती है के रोगियों को उसी दिन से चिकित्सा अधिकारी प्रभारी की देख-रेख में कार्यरत प्रसाविकाओं द्वारा मेडिकल ट्रीटमेंट प्रारम्भ करा दिया जाता है।

(3) रीवेम्पिंग स्कीम की स्टाफ नर्स व प्रसाविका डिस्पेंसरी के क्षेत्र अनुसार सर्वे का कार्य भी कर रही है तथा बुखार के रोगी की स्लाइड लेती हैं।

(4) एंटीलार्वा में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा जिन गड्डों में पानी भरा हुआ है, के निकास की व्यवस्था के साथ-साथ जहां यह संभव नहीं है वहां क्रूड आयल डाला जाता है ताकि मलेरिया के मच्छर पैदा ना हो सके।

(5) शहरी क्षेत्र के स्लम् एरिया गंदी बस्ती में डी. डी. टी. स्प्रे का कार्य कराया जा रहा है।

(6) जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर में भी इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि इनके द्वारा स्लाइड की जांच की जाकर रोगी को माकूल उपचार दिया जा सके।

परिशिष्ट-2

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके

तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

अनुसूचित जाति विकास निगम की स्थापना एवं उद्देश्य

403. **श्री बाबूलाल वर्मा (डग) :** क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अनुसूचित जाति विकास निगम की स्थापना कब एवं किन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु की गयी थी ?

(2) क्या यह सही है कि निगम एवं एन. एस. एफ. डी. सी. के मध्य ऋण प्राप्त करने हेतु कोई समझौता हुआ है ? यदि हां, तो इसके अन्तर्गत ऋण वितरण हेतु कितना लक्ष्य रखा गया है ? क्या निर्धारित लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो लक्ष्य प्राप्त नहीं करने के क्या कारण रहे हैं ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा एन. एस. एफ. डी. सी. को दो करोड़ रुपये की राज्य गारंटी उपलब्ध करायी गयी थी ? यदि हां, तो उसके तहत कितनी राशि प्राप्त हो चुकी है एवं कितनी व्यय की जा चुकी है ?

(4) क्या यह भी सही है कि निगम द्वारा राज्य सरकार से एन. एस.एफ.डी.सी. के लिए अतिरिक्त राज्य गारंटी की मांग की गयी है ? यदि हां, तो सरकार गारंटी कब तक देने का विचार रखती है ? यदि नहीं तो, क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास निगम की स्थापना राजस्थान सहकारी समितियां अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत दिनांक 28-3-80 को राज्य के अनुसूचित जाति के गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के आर्थिक उत्थान के उद्देश्य हेतु की गयी थी ।

(2) जी हां । राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास निगम एवं एन. एस. एफ. डी. सी. के मध्य ऋण प्राप्त करने हेतु 26-11-91 को समझौता हुआ था । इस समझौते में लक्ष्यों की चर्चा नहीं की गयी थी ।

(3) जी हां । राज्य सरकार द्वारा दी गयी गारंटी के विपरित एन. एस. एफ. डी. सी., नई दिल्ली से विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत 219.33 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई । एन. एस. एफ. डी. सी. से प्राप्त राशि में से माह फरवरी, 1995 तक विभिन्न परियोजनाओं के

(समाज कल्याण राज्य मंत्री)

लिए 70.15 लाख रुपये की राशि लाभार्थियों को उपलब्ध करवायी जाकर व्यय की गयी।

(4) जी हां। यह प्रकरण सरकार के विचाराधीन है।

पंचायत मुख्यालय घोद हेतु रेफरल चिकित्सालय

404. श्री अमराराम (घोद) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति घोद मुख्यालय पर सरकार रेफरल अस्पताल कब तक शुरू करने का विचार रखती है?

(2) घोद विधान सभा क्षेत्र के स्वास्थ्य अधिकारी एवं कर्मचारियों के कितने पद कब से रिक्त हैं ? सरकार रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है ?

(3) घोद क्षेत्र के कितने स्वास्थ्यकर्मी प्रतिनियुक्ति पर हैं तथा इनकी प्रतिनियुक्ति अवधि कब तक समाप्त कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति घोद के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र वर्तमान में कूदन में पूर्व से ही कार्यरत है अतः उक्त पंचायत समिति के मुख्यालय पर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत करने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(2) घोद विधान सभा क्षेत्र में रिक्त पदों का विवरण संलग्न है। नर्सिंग संवर्ग तथा लेबोरेटरी टेक्नीशियनों के रिक्त पद प्रशिक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर भरने की कार्यवाही की जा सकेगी, वार्ड ब्वाय/हरिजन के रिक्त पदों के भरने पर रोक होने के कारण भरना संभव नहीं है।

(3) घोद क्षेत्र के कोई भी स्वास्थ्यकर्मी प्रतिनियुक्ति पर नहीं हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

विवरण

क्र. सं	चिकित्सा संस्थान का नाम	पद नाम	रिक्त पद की संख्या	दिनांक
1	2	3	4	5
1.	प्रा. स्वा. केन्द्र, दुजोद	लैब टेक्नीशियन	1	12/89
		हरिजन	1	12/89
2.	प्रा. स्वा. केन्द्र, घोद	वार्ड ब्वाय	1	7/93

1	2	3	4	5
3.	प्रा. स्वा. केन्द्र, फतेहपुर	चि. अधिकारी	1	15-3-95
		वार्ड ब्वाय	1	6/93
4.	प्रा. स्वा. केन्द्र, नागवा	लैब टैक्नीशियन	1	जनवरी/90
5.	प्रा. स्वा. केन्द्र, किरडोली	लैब टैक्नीशियन	1	1/90
		हरिजन	1	3/94
6.	प्रसवोत्तर केन्द्र, लोसल	प्रो. टी. नर्स (स्टाफ नर्स)	1	1986
		पसाविका	1	1986
		लैब टैक्नीशियन	1	1991
		वरिष्ठ लिपिक	1	4/94
		प्रो. टी. अटेंडेंट (वार्ड ब्वाय)	1	1990
7.	प्रा. स्वा. केन्द्र, कासी का बास	लैब टैक्नीशियन	1	1989
8.	उपकेन्द्र भवानीपुरा	प्रसाविका	1	11/93
	,, रैवासी	,,	1	2/89
	,, भैरूपुरा जागीर	,,	1	11/93
	,, पूरणपुरा	,,	1	2/89
	,, बोसाना	,,	1	11/93
	,, नोपा की ढाणी	,,	1	12/89
	,, सेसम	,,	1	12/93
	,, सामी	,,	1	3/94
	,, झुणका का बास	,,	1	2/89

308

विधान सभा क्षेत्र नाथद्वारा की सड़कों एवं पुलों की मरम्मत हेतु जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि

405. श्री शिवदान सिंह चौहान (नाथद्वारा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में नाथद्वारा निर्वाचन क्षेत्र की सड़कों के डामरीकरण एवं पुलों की मरम्मत हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गयी ?

(2) क्या स्वीकृत राशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में होकर उनके उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी कर दिये गये हैं ?

(3) क्या यह सही है कि स्वीकृत राशि से निर्माण एवं मरम्मत कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण नहीं किये जाने से राशि लैप्स हुई है ? यदि नहीं, तो स्वीकृत राशि का उपयोग कब तक कर लिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 1994-95 में नाथद्वारा निर्वाचन क्षेत्र की सड़कों के डामरीकरण हेतु कोई राशि स्वीकृत नहीं हुई तथा पुलों के बनाने हेतु एवं गिट्टी की सड़क बनाने हेतु 8 कार्यों पर 65.90 लाख रुपये की राशि स्वीकृत हुई है ।

(2) जी नहीं । कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है । स्वीकृति माह फरवरी एवं मार्च में जारी हुई । कार्य प्रगति पर है । माह मार्च, 1995 तक के उपयोगिता प्रमाण-पत्र कलक्टर, राजसमन्द को भेजे जा रहे हैं ।

(3) जी नहीं । जवाहर रोजगार योजना के तहत स्वीकृत कार्यों के लिए जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा राशि जमा कराने के बाद राशि लैप्स नहीं होती है, इस प्रकार राशि लैप्स नहीं हुई है । स्वीकृत राशि का उपयोग माह मार्च, 1996 से पूर्व कर लिया जावेगा ।

थाना मालवीय नगर (जयपुर) में धारा 304 के अन्तर्गत दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट

406. श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि थाना मालवीय नगर, जयपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 91/94 के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था ? यदि हां, तो किसकी प्रार्थना पर ?

(2) इस प्रकरण के अनुसंधान की कार्यवाही किस अधिकारी द्वारा की जा रही है तथा अब तक क्या प्रगति रही ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(श्री परसादी लाल मीणा)

(3) क्या उक्त प्रकरण में किन्हीं व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया अथवा जमानत ली गयी ? यदि हां, तो नामों की सूची सदन की मेज रखें ।

(4) क्या उक्त प्रकरण का चालान न्यायालय में पेश किया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । परन्तु रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 304 ए भा. दं. सं. दर्ज की गयी । यह एफ. आई. आर. श्री फूल चन्द मीणा निवासी बिन्दायका के लिखित प्रार्थना पर दर्ज की गयी थी ।

(2) मुकदमा का अनुसंधान थानाधिकारी मालवीयनगर द्वारा किया जा रहा है । मुकदमे में एस. एम. एस. अस्पताल जयपुर से पैथोलोजी परीक्षण रिपोर्ट ना आने से अन्वेषणाधीन है ।

(3) जी, नहीं ।

(4) अभियोग में केमिकल रिपोर्ट एस. एम. एस. अस्पताल, जयपुर से प्राप्त नहीं होने से अन्वेषण लम्बित है । रिपोर्ट प्राप्त होने पर चिकित्सक की राय के आधार पर विधिक कार्यवाही की जावेगी ।

यमुना जल वितरण के नियंत्रण हेतु बोर्ड का गठन

407. श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यमुना जल बंटवारे के सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश एवं राजस्थान सरकार के बीच कोई सहमति बनी है ? यदि हां, तो क्या एवं नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या अड़चन है ?

(2) क्या यमुना जल वितरण के नियंत्रण हेतु बोर्ड के गठन किये जाने के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई गतिरोध है ? यदि हां, तो क्या और गतिरोध को दूर करने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या-क्या प्रयास किये गये हैं ? इस गतिरोध से राजस्थान को जल वितरण में कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है ?

उत्तर

(1) यमुना जल बंटवारे के सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश एवं राजस्थान तथा अन्य बेसिन राज्यों यथा उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं दिल्ली के मध्य दिनांक 12-5-1994 को पारस्परिक सहमति द्वारा समझौता हस्ताक्षरित किया जा चुका है । जिसकी प्रतिलिपि परिशिष्ट--"अ" पर संलग्न है ।

(2) यमुना जल वितरण के नियन्त्रण हेतु अपर यमुना रिवर बोर्ड का गठन केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक 11-3-95 को किया जा चुका है ।

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN UTTAR PRADESH, HARYANA, RAJASTHAN, HIMACHAL PRADEAH AND NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI REGARDING ALLOCATION OF SURFACE FLOW OF YAMUNA

1. **WHEREAS** the 75% dependable national virgin flow in the Yamuna river upto Okhla has been assessed as 11.70 Billion Cubic Metres (BCM) and the mean year availability has been assessed as 13.00 BCM.

2. **AND WHEREAS** the water was being utilised by the Basin Staes ex-Tajewala and ex-Okhla for meeting the irrigation and drinking water needs without any specific allocation.

3. **AND WHEREAS** a demand has been made by some Basin States on this account and the need for a specified allocation of the utilisable water resources of river Yamuna has been felt for a long time.

4. **AND WHEREAS** to maximise the utilisation of the surface flow of river Yamuna a number of storage projects have been identified.

5. **AND WHEREAS** the States have agreed that a minimum flow in proportion of completion of upstream storages going upto 10 cumec shall be maintained downstream of Tajewala and downstream of Okhla Headworks throughout the year from ecological consideration, as upstream storages are built up progressively in a phased manner.

6. AND WHEREAS it has been assessed that a quantum of 0.68 BCM may not be utilisable due to flood spills;

7. NOW THEREFORE, considering their irrigation and consumptive drinking water requirements, the uasin States agree on the following allocation of the utilisable water resources of river Yamuna ussessed on mean year availability;

1.	Haryana	5.730 BCM
2.	Uttar Pradesh	4.032 ,,
3.	Rajasthan	1.119 ,,
4.	Himachal Pradesh	0.378 ,,
5.	Delhi	0.724 ,,

Subject to the following :

i) Pending construction of the storages in the upper reaches of the river, there shall be an interim seasonal allocation of the annual utilisable flow of river Yamuna as follows :

STATES (BCM)	SEASONAL ALLOCATION OF YAMUNA WATERS			
	July Oct.	Nov. Feb.	March June	Annual
1	2	3	4	5
Haryana	4.017	0.686	0.937	5.730

1	2	3	4	5
Uttar Pradesh	3.216	0.343	0.473	4.032
Rajasthan	0.963	0.070	0.086	1.119
Himachal Pradesh	0.190	0.108	0.080	0378
Delhi	0.580	0.068	0.076	0.724
Total	9.056	1.275	1.652	11.983

Provided that the interim seasonal allocation will be distributed on ten daily basis.

Provided further that the said interim seasonal allocation shall get progressively modified, as storages are constructed, to the final annual allocation as indicated in para 7 above.

ii) **Separate agreement will be executed in respect of each identified storage within the framework of overall allocation made under this agreement.**

iii) **The allocation of available flows amongst the beneficiary States will be regulated by the Upper Yamuna River Board within the overall framework**

of this agreement.

Provided that in a year when the availability is more than the assessed quantity, the surplus availability will be distributed amongst the States in proportion to their allocations.

Provided also that in a year when the availability is less than the assessed quantity, first the drinking water allocation of Delhi will be met and the balance will be distributed amongst Haryana, U. P.; Rajasthan and H. P., in proportion to their allocation.

8. This agreement may be reviewed after the year 2025 if any of the basin States so demand.

9. We place on record and gratefully acknowledge the assistance and advice given by the Union Minister of Water Resources in arriving at this expeditious and amicable settlement.

New Delhi, the 12th May, 1994

Chief Minister
Uttar Pradesh

Chief Minister
Haryana

Chief Minister
Rajasthan

Chief Minister
Himachal Pradesh

Chief Minister
Delhi

Minister (Water Resources)

विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना के अनुदानित छात्रावास

408. श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अनुदानित छात्रावासों में रहने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के कितने छात्रों को वर्ष 1994-95 में कितना मैस भत्ता दिया गया ?

(2) नीमकाथाना तहसील में अनुसूचित जाति/जनजाति के कितने छात्रावास कहां-कहां अनुदानित हैं ? उनको कितना मैस भत्ता दिया जाता है ?

(3) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र में छात्रावासों के निर्माण हेतु राशि दी गयी है ? यदि हां, तो कितनी ?

(4) नीमकाथाना कस्बे में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रावासों में कितने छात्र रहते हैं ? इन भवनों की उपयुक्तता के लिए कितनी राशि अनुमानित है ?

उत्तर

(1) अनुसूचितजाति/जनजाति के 2602 छात्रों के लिए वर्ष 1994-95 में रु. 42.05 लाख की राशि मैस भत्ते के रूप में स्वीकृत की गयी।

(2) नीमकाथाना तहसील में अनुसूचित जाति/जनजाति के अनुदानित छात्रावास संचालित नहीं है। विमुक्त एवं घुमन्तू जाति का है।

(3) नीमकाथाना तहसील क्षेत्र के अनुसूचित जाति छात्रावास गुहाला का भवन निर्माण कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (एन. आर. ई. पी.) के अन्तर्गत पंचायत समिति नीमकाथाना द्वारा प्रारम्भ किया गया था। दी गयी धनराशि का विवरण प्राप्त होने पर प्रस्तुत किया जाएगा।

(4) नीमकाथाना कस्बे में राजकीय अनुसूचित जनजाति छात्रावास में 45 छात्र रहते हैं एवं अनुदानित छात्रावास में 42 छात्र रहते हैं। दोनों छात्रावास किराये के भवनों में संचालित हैं। राजकीय छात्रावास भवन निर्माण के कार्य पर लगभग 24.65 लाख की राशि अनुमानित है। अनुदानित छात्रावास के भवन की व्यवस्था संस्था द्वारा की जाती है।

बून्दी शहर के विभिन्न भागों में चिकित्सा व्यवस्था

409. श्री ओमप्रकाश शर्मा (बून्दी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्यराज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बून्दी नगर की बढ़ती हुई जनसंख्या को मद्दे नजर रखते हुए गुरूनानक कालोनी या विकास नगर, रजतगृह कालोनी में डिस्पेंसरी खोलने की आवश्यकता है ? यदि हां, तो

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

सरकार यहां पर डिस्पेंसरी कब तक खोलने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह सही है कि बून्दी नगर में बालचन्द पाडा, नवल सागर पार्क में भी डिस्पेंसरी चालू है ? यदि हां, तो इस डिस्पेंसरी में चिकित्सक की नियुक्ति कब की गई थी एवं वर्तमान में चिकित्सक कब से नहीं है ?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम सुवांसा, ग्राम बरूधण में चिकित्सालय भवन का निर्माण हो चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार यहां डिस्पेंसरी प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) बून्दी शहर की जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुये नगरवासियों को चिकित्सा सुविधा सामान्य चिकित्सालय बून्दी द्वारा उपलब्ध करवायी जा रही है। भविष्य में डिस्पेंसरी खोले जाने के विषय में समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर अन्य स्थानों के साथ विचार करना सम्भव हो सकेगा।

(2) बालचन्द पाडा बून्दी स्थित नवल सागर पार्क में वर्तमान में एडपोस्ट कार्यरत है जहां चिकित्सक का पद स्वीकृत नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(3) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुवांसा का भवन निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा विभाग को हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है। जिसके पश्चात् कार्यरत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को नवनिर्मित भवन में स्थापित करना संभव होगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरूधन का भवन निर्माण कार्य पूर्ण होना शेष है। भवन निर्माण पूर्ण होने पर कार्यरत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हस्तांतरित करना संभव हो सकेगा।

पार्वती/उटंगन नदी पर निर्मित पुल (राजाखेड़ा-आगरा मार्ग) से प्राप्त टोल-टैक्स की राशि

410. **श्रीमती मनोरमा सिंह** (राजाखेड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राजाखेड़ा आगरा मार्ग पर पार्वती/उटंगन नदी पर निर्मित पुल जिसके निर्माण लागत की कुल राशि में 1/3 भाग का योगदान राज्य सरकार का रहा है, टोल टैक्स के रूप में राज्य सरकार को धनराशि प्राप्त हो रही है ? यदि हां, तो पुल के निर्माण से अब तक वर्षवार कितनी धनराशि की वसूली टोल टैक्स के रूप में की गयी ?

उत्तर

यह पुल सन् 1960 में उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकार के संयुक्त योगदान के अन्तर्गत बनाया गया और टोल-टैक्स की राशि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वसूल की जा रही है। राजस्थान राज्य सरकार

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

को वर्तमान में टोल टैक्स में से कोई राशि प्राप्त नहीं हो रही है।

महिला उत्पीड़न रोकने के उपाय

411. श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में 1 जनवरी, 1994 से 31 जनवरी, 1995 तक महिलाओं को नग्न, अर्धनग्न या उत्पीड़ित करने की कितनी घटनाएं घटित हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त घटनाओं में से कितनी घटनाएं पुलिस थानों या पुलिस हिरासत में होने का आरोप है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार ने इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कारगर कदम उठाये हैं?

उत्तर

(1) राज्य में 1-1-94 से 31-1-95 तक की अवधि में महिलाओं को नग्न, अर्धनग्न करने की एक घटना घटित हुई जिसका विवरण परिशिष्ट "क" में संलग्न प्रेषित है। महिला उत्पीड़न के सम्बन्ध में उक्त अवधि में विभिन्न मदों में कुल 8856 घटनाएं घटित हुई। विवरण परिशिष्ट "ख" संलग्न है।

(2) उक्त अवधि में पुलिस थाने व पुलिस हिरासत में कोई घटना घटित नहीं हुई है।

(3) महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं की रोकथाम के लिए निम्न कारगर कदम उठाये गये हैं :–

(अ) जयपुर शहर में एक महिला थाना स्थापित किया गया है। राज्य में प्रत्येक पुलिस रेन्ज मुख्यालय पर एक-एक महिला थाना सृजित किया जाना प्रस्तावित है।

(आ) महिलाओं पर दहेज अत्याचारों के मुकदमे विशेष प्रतिवेदन के अपराध माने हैं। जिनकी तफतीश वृत्ताधिकारी स्तर के अधिकारियों से करवायी जाती है।

(इ) महिला अपराधों पर नियंत्रण के लिए वर्तमान में महिला पुलिस अधीक्षक का पदस्थापन किया गया है।

(ई) महिलाओं पर किसी प्रकार का अत्याचार न हो इसलिए पूर्ण रूप से प्रयास किये जाते हैं और घटना घटित होते ही तुरन्त कार्यवाही की जाती है एवं अपराधियों की गहनता व त्वरित गति से निष्पक्ष तफतीश अमल में लायी जाती है।

(उ) विवाहित महिलाओं की मृत्यु के सभी मामलों में कठोर कार्यवाही किये

(गृह मंत्री)

जाने के बारे में समय-समय पर परिपत्र व आदेश जारी किये जाते हैं।

(ऊ) महिला उत्पीड़न के प्रकरणों की मानीटरिंग करने व प्रभावी कार्यवाही करवाये जाने हेतु प्रदेश स्तर पर अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध एवं सतर्कता, के अधीन दहेज प्रकोष्ठ की स्थापना की हुई है।

करणीजी व जी. बी. माइनर के दक्षिणी मोघे

412. **श्री अमरचन्द मिड्ढा** (सूरतगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि घग्घर नदी में बाढ़ आने के दिनों में करणीजी व जी. बी. माइनर के दक्षिण दिशा की ओर खुलने वाले मोघे बन्द कर दिये जाते हैं तथा नहर में पानी कम कर दिया जाता है ? यदि हां, तो समस्त मोघों का विवरण चक के नाम सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार बाढ़ के दिनों में उत्तर दिशा की ओर खुलने वाले मोघों में अतिरिक्त पाइप लगाकर सिंचाई सुविधा बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो सरकार इसकी स्वीकृति कब तक देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो एक तरफ सूखा और एक तरफ बाढ़ पीड़ित किसानों के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

(3) क्या उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर द्वारा बाढ़ में बेकार जा रहे पानी का सदुपयोग करने के लिए साइफन लगाकर करणीजी के उत्तर दिशा की ओर पानी पहुंचाने के प्रस्ताव भेजे गये हैं ? यदि हां, तो ये साइफन कब तक व कहां-कहां निर्मित कर दिये जायेंगे ? उपखण्ड अधिकारी द्वारा किये गये सर्वे के विवरण की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) घग्घर बाढ़ आने के दिनों में करणीजी वितरिका के मोघों को बन्द नहीं किया जाता है। केवल जी. बी. माइनर के अंतिम छोर के तीन मोघों पर बाढ़ से नहर क्षतिग्रस्त होने के कारण पानी नहीं पहुंचता है, जिसका विवरण निम्नानुसार हैं :—

क्रमांक	मोघे का नाम	मोघे का डिस्चार्ज
1.	91 जी. बी.	1.96 क्यूसेक्स
2.	92 जी. बी.	1.77 "
3.	94 जी. बी.	1.51 "
	कुल	5.24 क्यूसेक्स

(सिचाई मंत्री)

इस कारण जी. बी. माइनर हैड से लगभग 5 क्यूसेक्स पानी नहर में कम चलाया जाता है।

(2) जी नहीं। क्योंकि उक्त नहरें अपनी क्षमताओं के अनुसार पूर्ण चलती हैं।

(3) जी नहीं।

कस्बा आनन्दपुर काल (जैतारण) में छात्रावास

413. **श्री सुरेन्द्र गोयल** (जैतारण) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जैतारण तहसील के आनन्दपुर काल कस्बे में छात्रावास खोलने की स्वीकृति दी गयी है? यदि हां, तो सरकार इस छात्रावास भवन का निर्माण कब तक करवाने का विचार रखती है?

(2) क्या इस भवन हेतु ग्राम पंचायत ने भूमि उपलब्ध करवा दी है? यदि हां, तो कितने बीघा जमीन दी गयी।

उत्तर

(1) जी हां। इस छात्रावास भवन का निर्माण वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

(2) जी हां। पंचायत द्वारा 120′× 220′ वर्गफुट भूमि आवंटित की गयी है।

देवगढ़ (राजसमन्द) का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

414. **श्री लक्ष्मण सिंह** (भीम) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजसमन्द जिले के देवगढ़ नगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को रैफरल अस्पताल में कब क्रमोन्नत किया गया था?

(2) क्या यह सही है कि उक्त रैफरल अस्पताल भवन को वर्तमान में कार्यरत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के समीप ही बनाने हेतु वर्ष 1989-90 में तत्कालीन सरकार के मंत्री ने शिलान्यास किया था? यदि हां, तो किस मंत्री द्वारा तथा किसकी अध्यक्षता में?

(3) क्या यह सही है कि वर्तमान चिकित्सालय का भवन देवगढ़ नगर के नजदीक सड़क के पास स्थित है जहां नगर व गांवों के मरीज सीधे बस से उतर कर पहुंच सकते हैं?

(4) क्या यह सही है कि वर्तमान सरकार ने नगर से करीब 1400 मीटर दूर, वीरान स्थान पर नया भवन बनाने का निर्णय लिया है? यदि हां, तो क्यों?

(श्री लक्ष्मण सिंह)

(5) क्या नये प्रस्तावित स्थान पर सड़क अथवा पानी व बिजली की सुविधा उपलब्ध है ?

(6) क्या नये प्रस्तावित भवन स्थल पर गांवों से आने वाले मरीजों को लाने ले जाने के लिए देवगढ़ नगर में तांगों या आटो रिक्शा की व्यवस्था है ?

(7) क्या वर्ष 1991-92 या 1992-93 में तत्कालीन जिला कलक्टर श्री सुभाष गर्ग ने देवगढ़ रेफरल अस्पताल के स्थान व निर्माण से सम्बन्धित कोई रिपोर्ट सरकार को प्रेषित की थी ? यदि हां, तो रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवगढ़ जिला राजसमन्द को राज्यादेश दिनांक 16-2-89 द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उच्चीकृत किया गया था ।

(2) जी हां । तत्कालीन मंत्री श्री माधवसिंह दीवान एवं श्री गुलाबसिंह शक्तावत ने विधायक श्री लक्ष्मण सिंह की अध्यक्षता में शिलान्यास किया था ।

(3) यह सही है कि वर्तमान भवन आबादी के मध्य स्थित है किन्तु उक्त भवन वर्तमान परिस्थितियों में केवल प्राथमिक चिकित्सा सुविधा ही उपलब्ध करा पा रहा है । क्रमोन्नत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की विशिष्ठ सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु तथा भावी विकास की सम्भावना के लिए नये परिसर में जहां समुचित भूमि उपलब्ध है बड़ा भवन बनाना प्रस्तावित है ।

(4) यह सही है कि देवगढ़ नगर के निकट मेला मैदान में समुचित भूमि उपलब्ध होने के कारण और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देवगढ़ जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया गया है चिकित्सा सेवाओं के विस्तार, भावी विकास की विपुल सम्भावनाओं और जन सहयोग से भवन निर्माण होने हेतु धनराशि उपलब्ध होने के कारण नये परिसर में नया भवन बनाने का निर्णय लिया गया है ।

(5) वर्तमान में सड़क की सुविधा उपलब्ध नहीं है किन्तु प्रस्तावित भूमि के निकट सड़क मार्ग है । पानी व बिजली की सुविधा नये भवन निर्माण के साथ-साथ उपलब्ध करायी जाती है जो कि यहां पर भी उपलब्ध करायी जाएगी ।

(6) देवगढ़ नगर की आबादी भी बढ़ रही है और स्थानीय आवागमन के साधन वर्तमान में उपलब्ध है और नगरीय विकास के साथ-साथ आवश्यकतानुसार बढ़ना स्वाभाविक है ।

(7) जी हां । तत्कालीन जिला कलक्टर श्री सुभाष गर्ग द्वारा दिनांक 19-3-1993

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री)

को राज्य सरकार को प्रेषित दो पत्रों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गयी हैं। यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 1991 में तत्कालीन जिला कलक्टर ने अपने पत्र दिनांक 31-10-91 के द्वारा यह अवगत कराया था कि पूर्व निर्मित स्वास्थ्य केन्द्र के विस्तार की गुंजाइश नहीं है व देवगढ़ नगरपालिका के प्रस्तावानुसार नये स्थान पर भवन निर्माण हेतु 6 बीघा भूमि आवंटन का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा खसरा नम्बर 2336 दिनांक 9-6-92 को 6 बीघा भूमि का आवंटन किया गया 31-10-91 के पत्र की प्रति भी सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं।)

विधान सभा क्षेत्र डेगाना की सड़कों का डामरीकरण

415. **श्री रिछपालसिंह** (डेगना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1994-95 के दौरान विधान सभा क्षेत्र डेगाना के अन्तर्गत कुल कितनी राशि सड़कों के डामरीकरण, मरम्मत एवं ग्रेवल सड़क निर्माण पर व्यय की गयी।

(2) डेगाना तहसील के कितने पंचायत मुख्यालय ऐसे हैं जो अभी तक किसी भी सम्पर्क सड़क से नहीं जोड़े गये हैं ?

(3) वर्ष 1995-96 के दौरान तहसील डेगाना की कौन-कौन सी सड़कों का डामरीकरण कराने की सरकार की योजना है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1994-95 के दौरान विधान सभा क्षेत्र डेगाना के अन्तर्गत सड़कों के डामरीकरण पर 16.23 लाख व मरम्मत पर 36.21 लाख व ग्रेवल सड़क निर्माण पर 35.82 लाख रुपये व्यय किये गये। सूची संलग्न है।

(2) डेगाना तहसील के निम्नांकित दो पंचायत मुख्यालय अभी तक किसी भी सम्पर्क सड़क से नहीं जोड़े गये हैं—

1. डाग्रोली मीठी
2. मोगास

उक्त दोनों पंचायत मुख्यालयों को आठवीं पंचवर्षीय योजना काल में जोड़े जाने की योजना है।

(3) वर्ष 1995-96 में डेगाना तहसील की 12 सड़कों के डामरीकरण की योजना है। सूची संलग्न है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

अजमेर, उदयपुर एवं सिरोही क्षेत्रों में उपलब्ध खानों का आवण्टन

416. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर के पास पन्ना, उदयपुर एवं सिरोही में मार्बल व जालौर और बाड़मेर में ग्रेनाइट के भण्डार हैं ? यदि हां, तो सरकार की इनके आवंटन के बारे में क्या नीति है ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार ने नई खनिज नीति की घोषणा की थी ? यदि हां, तो क्या इसको लागू करने में विलम्ब हो रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि सभी प्रकार की खानों का आवंटन लाटरी पद्धति से नहीं किया जाता ? यदि हां, तो क्या सरकार इनका आवंटन अब लाटरी पद्धति से करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। खनिज पन्ना का आवंटन खान एवं खनिज (विनियम एवं विकास) अधिनियम, 1957 एवं खनिज रियायत नियम, 1960 के प्रावधानुसार किया जाता है। खनिज ग्रेनाइट व मार्बल के आवंटन हेतु पृथक से नीति बनी हुई है।

(2) जी, हां। इस नयी खनिज नीति के प्रमुख प्रावधानों को नीति के साथ लागू कर दिया गया है। सभी अधिसूचनाए एवं परिपत्र खनिज नीति की घोषणा की तिथि को जारी कर दिये गये। इसलिये विलम्ब होने का प्रश्न ही नहीं है।

(3) अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 व इसके अन्तर्गत बनाई गयी खनिजों के लिए निर्धारित नीतियों में आवश्यकतानुसार लाटरी सिस्टम का प्रावधान रखा गया है।

प्राकृतिक जल स्त्रोतों से छोटी नालियों (सारणों) का निर्माण

417. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या सिचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जनजाति उप योजना क्षेत्र के जनजाति काश्तकार प्राकृतिक जल स्त्रोतों के पानी को रोककर छोटी-छोटी नालियों (सारणों) द्वारा अपने खेतों में सिचाई कार्य करते हैं ? यदि हां, तो किन-किन जिलों व तहसीलों में ?

(2) क्या सरकार ऐसे स्थानों को

(322)

(श्री महावीर भगोरा)

पक्का बांध कर पानी रोकने व उक्त नालियों (सारणों) को पक्का बनाकर जनजाति के काश्तकारों को सहायता व स्थायी व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो विभाग की इस सम्बन्ध में क्या योजना प्रस्तावित है एवं कब तक इस योजना की क्रियान्विति की जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां । विवरण परिशिष्ट-"अ" पर सलंग्न है ।

(2) जी नहीं ।

जिले व तहसीलें जहां सारणों द्वारा सिंचाई की जा रही है की सूची

क्र.सं.	जिला	तहसील
1.	बारां	शाहबाद
2.	बारां	किशनगंज
3.	उदयपुर	कोटड़ा
4.	उदयपुर	गोगुन्दा
5.	उदयपुर	झाडोल

लाडनूं व जसवन्तगढ़ चिकित्सालयों के चिकित्सकों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतें

418. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि लाडनूं व जसवन्तगढ़ अस्पताल में कार्यरत डाक्टरों के विरुद्ध शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई थीं ? यदि हां, तो कब एवं उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? शिकायतों व जांच रिपोर्ट की प्रतियां सदन की मेज पर रखें ।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(2) उक्त शिकायतों की जाच में किन-किन को दोषी पाया गया और उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त सभी शिकायतों की अभी तक जांच नहीं हुई है ? यदि हां, तो ये शिकायतें किस-किस स्तर पर विचाराधीन हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। लाडनूं व जसवन्तगढ़ अस्पताल में कार्यरत डाक्टरों के विरुद्ध माननीय विधायक के द्वारा 14-9-94 11-7-94 एवं दिनांक 23-7-94 को शिकायतें की गयीं। उक्त शिकायतों की जांच संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन--बीकानेर द्वारा कराई गयी, शिकायतों व जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) डाक्टर श्रीमती रश्मि राजवंशी, चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, लाडनूं राजप्रासादगृह में सोनोग्राफी मशीन लगाकर वाणिज्य संस्थान खोलने तथा अनाधिकृत धन वसूली करने की दोषी पाये जाने पर उनके खिलाफ सी. सी. ए. रूल्स 17 की कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी चिकित्सक को दोषी नहीं पाया गया है।

(3) जी नहीं। एक जांच अभी बाकी है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

ग्राम पीपलिया कलां (जैतारण) की सड़कों का जीर्णोद्धार

419. श्री सुखलाल सेंणचा (रायपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) रायपुर निर्वाचन क्षेत्र में जैतारण से पीपलिया कलां सड़क कहां-कहां पर क्षतिग्रस्त है ?

(2) क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सड़क की शीघ्र मरम्मत कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) रायपुर निर्वाचन क्षेत्र में जैतारण से पीपलिया कलां सड़क वर्तमान में कहीं पर भी क्षतिग्रस्त नहीं है।

(2) उक्त सड़क जो क्षतिग्रस्त हुई थी, दिसम्बर, 1994 तक उसकी मरम्मत कर दी गयी है।

धारा 58 जाप्ता फौजदारी के अन्तर्गत थानों द्वारा प्रेषित सूचना

420. श्री हरिसिंह (कुम्हेर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री हरिसिंह)

क्या धारा 58 जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत पुलिस थानों से वांछित सूचना जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय को समय पर दी जाती है ? यदि हां, तो थाना कुम्हेर व सेवर से इस धारा के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर को दी गयी दिनांक 1-4-1994 से 31-1-1995 तक की सूचना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

पुलिस थानों से धारा 58 जा. फौ. के अन्तर्गत की गयी गिरफ्तारियों की सूचना सम्बन्धित जिला/उपखण्ड मजिस्ट्रेट को साधारणतः प्रेषित नहीं की जा रही है। दिनांक 1-4-94 से 31-1-95 तक धारा 58 जाप्ता फौजदारी के तहत थाना सेवर द्वारा 26 व्यक्तियों की तथा थाना कुम्हेर द्वारा 13 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की सूचना जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर को प्रेषित की गयी हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

पुलिस थाना कुम्हेर (जिला भरतपुर)

सूची भारतीय दण्ड संहिता/जाप्ता फौजदारी व अन्य लोकल एण्ड स्पेशल एक्ट में गिरफ्तार शुदा व्यक्तियों की, थाना कुम्हेर दिनांक 1-4-1994 से 31-1-1995 तक ।

क्र. सं. 1	नाम पता मुलजिमान 2	मु. नं. व धारा 3	58 जा. फौ. में दी गई सूचना की दिनांक 4
1.	नत्थी पुत्र श्री प्यारे नि. ग्रा. सरसाई पुलिसथाना डीग ।	100/94 धारा 147, 149, 323 324, 307 भा.द.स.	2093/31-3-94
2.	शिवराम पुत्र नत्थी नि. ग्रा. सरसाई थाना डीग		"
3.	खेमसिंह पुत्र कंचन जाट नि. कुरवाड़ा	256/93 147, 148, 149, 302 307,323, 324, 325 भा.द.स. 3/25 आ. एक्ट	2512/दि. 22-4-94
4.	मोहनसिंह पुत्र मूरासिंह जाट नि. कुरवाडा	"	"
5.	राधेश्याम पुत्र खेमसिंह जाट नि. कुरवाडा	"	"
6.	सत्तवीर नन्दुआ जाट कुरवाड़ा	"	"

1	2	3	4
7.	मोतीलाल पुत्र हरिकिशन वैश्य नि. पीतलमियो	125/94 304 बी. 147 भा.द.स.	2536/23-4-94
8.	राजेश पुत्र मोतीलाल वैश्य नि. पीतलमियो	"	"
9.	मुस. गुनमाला पुत्रमोती जाट नि. पीतलमियो, भरतपुर	125/94 304 बी. 147 भा.द.स.	2536/23-4-94
10.	राजेन्द्र पुत्र तेजसिंह मीणा नि. रामनगर	121/94 382 भा.द.स.	2550/25-4-94
11.	फूलसिंह पुत्र गिर्राजजाट नि. कुम्हेर	34 पुलिस एक्ट	आर/831-12-94
12	रामलाल पुत्र मोहनलाल ब्राह्मण नि. कुम्हेर	"	6-1-95
13.	रेवती पुत्र गोविन्दा जाटव नि. बडा मोहल्ला, कुम्हेर	"	"
	थाना सेवर जिला भरतपुर		
1.	महेन्द्र सिंह पुत्र बृजी जाट नि. मैना का पुरा किरावली (अछनेरा)	41/109 (2) जा. फो.	11-4-94
2.	पप्पू पुत्र नेता जाट नि. मैनाकापुरा किरावली अछनेरा	"	"

1	2	3	4
3.	जगनु पुत्र सोनी जाटव, नि. मलार सेवर	41/109 (2) जा. फो.	18-4-94
4.	भरोसी पुत्र नेनगा नि. शंकरपुरा	,,	20-4-94
5.	लखन पुत्र परसादी गुजर, नि. बेरी	,,	,,
6.	रामवीर पुत्र वेद राम नि. बेरी	,,	,,
7.	रामलखन पुत्र गोविन्द गुजर, नि. साई नगर	,,	6-2-95
8.	जगमाल पुत्र किशनसिंह राजपूत नि. गंगापुर सिटी	,,	,,
9.	प्रदीप कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार नि. विमानिया	,,	28-4-94
10.	राजाराम पुत्र रतना जाटव नि. भगनपुरा	,,	,,
11.	गुलाब सिंह पुत्र किशनसिंह, नि. कछुगांव मथुरा	,,	6-6-94
12.	ओमप्रकाश पुत्र कलुआ जाटव नि. ,, ,,	,,	,,
13	रजनीकांत पुत्र कन्हैया नि. खेरीफति, भरतपुर	,,	4-7-94

1	2	3	4
14.	विजय सिंह पुत्र किशनसिंह, नि. ककरावली फरीदाबाद	41/109 (2) जा. फो.	5-8-94
15.	विष्णु कुमार पुत्र भंवरपाल नि. गोपालगढ	,,	30-9-94
16.	धर्मेन्द्र कुमार पुत्र किशन सिंह, नि. गोपालगढ	41 (109) जा. फो.	5-9-94
17.	बबलु पुत्र जगन्नाथ नि. नगर कटरा, भरतपुर	,,	5-10-94
18.	सीताराम पुत्र इतवारी कुम्हार, नि. दोपुरा सेवर	,,	19-10-94
19.	प्रेम सिंह पुत्र भीम सिंह पंजाबी, नि. काकडा (महाराष्ट्र)	,,	,,
20.	दर्शन सिंह पुत्र मनफूल सिंह सिख, नि. बहादुरपुरा, सैपऊ	,,	,,
21.	राकेश पुत्र प्रकाश वैश्य, नि. आबूरोड, सिरोही	,,	13-11-94
22.	देवेन्द्र सिंह पुत्र उदयसिंह राजपूत नि. गुलाबपाडा	,,	,,

1	2	3	4
23.	प्रकाश पुत्र बद्रीनारायण कुम्हार, नि. नारी का नाका, जयपुर	41 (109) जा. फो.	13-11-94
24.	अशोक कुमार पुत्र मनोहर लाल वैश्य नि. मुसावर	"	"
25.	सलीम पुत्र मुन्सी मुसलमान नि. मुसावर	"	"
26.	विकास पुत्र जगदीश प्रसाद नि. सदर बाजार सिरोही	"	"

अपर घोड़ी बांध की पुलिया निर्माण

421. **श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अपर घोड़ी बांध की बलेवड़ी कैनाल पर बनी हुई पुलिया टूटी हुई है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पुलिया के टूटने से सन्नाटी गांव में रहने वाले लोगों को आने जाने में बहुत कठिनाई होती है ? यदि हां, तो उनके लिये खैरवाड़ा आने का और कौन-सा मार्ग है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त पुलिया को पुनः बनवाने के लिये बार-बार जनता की मांग होने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी ? यदि हां, तो सरकार अब इस पुलिया को कब तक बनवाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। अपर घोड़ी बांध से बलेवड़ी नहर नहीं निकाली गयी है।

(2) प्रश्न के भाग (1) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में कोई सूचना अपेक्षित नहीं है।

(3) उपरोक्तानुसार।

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र मण्डावा के चिकित्सालय

422. **श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा)** : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र मण्डावा में किस-किस अस्पताल तथा डिस्पेंसरी में डाक्टर एवं अन्य स्टाफ की कमी कब से चल रही है तथा कितने स्थान किस-किस श्रेणी के रिक्त हैं ? रिक्त स्थानों की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी ?

(2) इस वर्ष सरकार उक्त क्षेत्र में कितने अस्पताल तथा डिस्पेंसरी किस-किस स्थान पर खोलने का विचार रखती है तथा कब तक यह अस्पताल खोल दिये जायेंगे ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र में मण्डावा की

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री)

चिकित्सा संस्थाओं में रिक्त पदों सूची को संलग्न है। रिक्त स्थानों पर स्टाफ की पूर्ति शीघ्र किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। जिन पदों को भरने पर रोक है, उन्हें भरना सम्भव नहीं हो सकेगा।

(2) वित्तीय वर्ष 1995-96 में 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाना तथा चार शहरी डिस्पेंसरी खोला जाना प्रस्तावित है, स्थानों का चयन करना शेष है।

रिक्त पदों की सूची

क्र.सं.	संस्था का नाम	पद	रिक्त पद की संख्या	रिक्त कब से
1	2	3	4	5
1	बिसाऊ	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन)	1	94 से
		कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1	94 से
		सिस्टर	1	83 से
		वरिष्ठ लिपिक	1	93 से
		प्रसाविका	1	94 से
		वाहन चालक	1	93 से
		धोबी	1	83 से
		वार्ड बाय (पद 4)	4	3 पद 92 से 1 पद 93 से

1	2	3	4	5
2	मण्डावा	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	94 से
		वाहन चालक	1	93 से
		वार्ड बाय-2	1	94 से
3.	महनसर	मेल नर्स-2	1	94 से
4.	अलसीसर	वरिष्ठ लिपिक	1	94 से
		लेब टेक्नीशियन	1	91 से
5,	लादूसर	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1	93 से
6.	गांग्यासर	मेल नर्स-2	1	94 से
		लेब टेक्नीशियन	1	90 से
7.	नूआ	लेब टेक्नीशियन	1	92 से
8.	टमकोर	मेल नर्स-2	1	94 से
9.	बिरमी	मेल नर्स-2	1	94 से
		लेब टेक्नीशियन	1	92 से

334

(332)

1	2	3	4	5
10.	कांट	महिला स्वास्थ्य-दर्शिका	1	93 से
		लेब टेक्नीशियन	1	93 से
11.	कालियासर	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1	93 से
		लेब टेक्नीशियन	1	93 से
		स्वीपर	1	93 से
12.	मारू	लेब टेक्नीशियन	1	92 से
13.	वहादुरवास	मेल नर्स-2	1	94 से
14.	मलसीसर	मेल नर्स-2	2	94 से
		स्टाफ नर्स	1	94 से
		लेब टेक्नीशियन	1	94 से
		कनिष्ठ विशेषज्ञ	1	94 से

परिशिष्ट-3

अतारांकित प्रश्न संख्या 610 की प्रतियां

प्रथम सूचना अभियोग संख्या 25/95 धारा 379 ता. हि. थाना कामा जिला भरतपुर दिनांक 2-3-95

श्रीमान

एस. एच. ओ. साहब
पुलिस थाना कामा

महोदय,

निवेदन है कि कामां पहाड़ी फल्ड कंट्रोल नाला (के. पी. ड्रेन) सिंचाई विभाग कामां उपखण्ड के तहत है इस नाले पर राधानगरी रेगूलेटर के पास सिंचाई विभाग की चौकी है । जहां काफी मात्रा में देशी बबूल के पेड़ खड़े हुए है । दिनांक 28-2-95 तथा 1-3-95 की रात को ग्राम अकाता के कुछ लोगों ने मिलकर बबूल के पेड़ काटने शुरू कर दिये, जिस पर वहां तैनात कर्मचारी हरभजन बेलदार ने जे ईएन., सिंचाई विभाग, कामां को आकर बताया तो जे. ईएन. ने मौके पर जाकर जांच की व काट कर ले जायी गयी लकड़ी के ट्रैक्टर का मय कर्मचारी श्री रफीक जे. ईएन. गोपाल सुपरवाईजर वगैरहा का पीछा किया तो खुर्शीद मेव अकाता पुनहाना में दीनू मेव के आरे पर लकड़ी बेचता पाया गया । जिसने लकड़ी राधानगरी रेगूलेटर से काटना बताया, उन लकड़ियों को हमने सिंचाई विभाग की होने के कारण पुनहाना में आंरा पर रखवा रखी है, खुर्शीद वहां से मौका पाकर स्लिप हो गया, लकड़ियों का तोल न्यू पाकीजा धर्मकांटा पुनहाना पर करवाया गया है । खुर्शीद व इनके साथियों ने सिंचाई विभाग के बबूलों को चोरी से काटा है वहां पर पेड़ों की रखवाली के लिये हरभजन, गोरधन, (बेलदार,) सिंचाई विभाग व राम प्रसाद गार्ड, वन विभाग के तैनात है ।

मुझे आज आने पर यह बात जे. ईएन. व अन्य कर्मचारियों ने बताई रिपोर्ट कार्यवाही हेतु पेश है ।

एस. डी.

भगवान
सहायक अभियन्ता,
सिंचाई कामा ।
2-3-95

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त मजमून की तहरीरी रिपोर्ट श्री भगवान पुत्र श्री बोधा राम जाति अग्रवाल उम्र 42 साल निवासी जवाहर नगर धौलपुर जिला धौलपुर हाल सहायक अभियन्ता सिंचाई विभाग कामां ने उपस्थित थाना होकर पेश की कि जिसकी नकल उक्त में अक्षर से अक्षर की गयी । मजबून रिपोर्ट से मामला जुर्म धारा 379 ता. हि. का घटित होना पाया गया अतः मु. न. 25/95 व दफा मजकूर में कायम करतफ्तीश सुपुर्द ए. एस आई. श्री हरप्रसाद की गई । प्रतियां एफ. आई आर. नियमानुसार इरसाल की गई । एक प्रति मुस्तगीस को नकल एफ. आई. आर. निःशुल्क दी गई ।

एस. डी.

भगवान, ए. ई. एन.
2-3-95

एस. डी.

भगवान सिंह
एस. एच. ओ.
थाना कामां
2-3-95
समय 1.45 पी. एम.

नकल प्रथम सूचना अभियोग संख्या : 18/95 धारा 42/52 फोरेस्ट एक्ट व 379 भा. दं स. पुलिस थाना पहाड़ी जिला भरतपुर दिनांक 26. 2. 95

सेवामें,

श्रीमान एस. एच. ओ. साहब,
पुलिस स्टेशन पहाड़ी ।

विषय :—मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि कल दिनांक 25-2-95 को मन ए. एस. आई. धर्मपाल सिंह मय कानि. जगराम सिंह 1025, उमरचन्द्र 745 जगदीश प्रसाद 682 के हमरा श्री लल्लूराम बेलदार सिंचाई विभाग खिल्लू का के केपी ट्रेन कट्रोल पर पहुंचा जहां पर करीब 40 पेड़ लकड़ी हरी बम्बूल कटी मिली जिसको राबरू मौतबिरान फर्द जब्ती जब्त किया गया । उक्त लकड़ी काटने वालों के बारे में जानकारी की गई तो जरिए मुखबीर खास पता चला कि खुर्शीद पुत्र अब्दुल गनी मेव खलचाना जसमाल पुत्रकमलखा, बल्लू पुत्र दरियाव, रसीद पुत्रजोहरु रसीद पुत्रमोहरखा महमूदा पुत्र जुगला उम्र मोहम्मद पुत्र हाफिसजी मेवान निवासी कठोल चन्द्र भोपाली के चार लड़के आरोह खलचना, मंगी पुत्र जसमाल आदर खां पुत्र जसमाल व जसमाल स्वयं काम की समय से इस केपीट्रेन से चोरी से पेड काटकर उनाहना व होडल हरियाणा में बेचते हैं उक्त नहर से चिटी मेव व इसके अन्य साथी तीन चालीस आदमी भी चोरी से पेड काटकर बेचते रहते है । मौके पर करीब 700-800 पेड़ बबूल कटे हुए के निशानात मौजूद हैं अतः रिपोर्ट में फर्द जब्ती के पेश कर निवेदन है कि कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें ।

प्रार्थी

ह०
(धर्मपाल सिंह)
ए एस.आई थाना पहाड़ी

दिनांक 26-2-95

338

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त लिखित रिपोर्ट श्री धर्मपालसिंह ए. एस. आई. थाना पहाडी मय फर्द जब्ती लकड़ी बबूल के उपस्थित थाना होकर पेश की जिसकी नकल अक्षशः की गई मजबून तहरीर से मामला धारा 42/52 फोरेस्ट एक्ट व धारा 379 भा. दं. सं. का घटित होना पाया जाता है। अतः अभियोग संख्याः 18/95 धाराए उपरोक्त में पंजीबद्ध कर मन ऐस. एच. ओ. रतन सिंह मशरु तफ्तीश व प्रतियां एफ. आई. आर. नियमानुसार जारी हुई।

एस. डी. /—

रतन सिंह
एस. एच. ओ. पहाडी दिनांक 26-2-95
समय 2.00 पी. एम.

परिशिष्ट-4

अतारांकित प्रश्न संख्या 615 की सूची

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के जिला स्तर के अधिकारियों के उपयोग हेतु आवंटित वाहनों की संख्या एवं 31 मार्च, 1995 तक (एक वर्ष) के जिलेवार खर्च के आंकड़े :—

क्र. सं.	जिला	संयुक्त निदेशक	मेडिकल प. क.	मु. चि. एवं स्वा. अधि.	मेडि. प.क.	उप मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी (स्वा.)	(प. क.)	(मलेरिया)	जिला कुष्ठ रोग अधिकारी	जिला रोग प्रतिरक्षण अधिकारी	कुल खर्चा 1 अप्रैल, 94 से 31 मार्च, 1995
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	अजमेर	2	1	2	1	1	2	5	—	5	2 46
2.	अलवर	—	—	1	1	1	2	1	1	4	0.93
3.	बांसवाड़ा	—	—	2	1	—	2	1	—	2	1.49
4.	बाड़मेर	—	—	1	—	—	2	4	—	6	1.80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	भरतपुर	—	—	1	1	1	2	4	2	2	1.58
6.	भीलवाड़ा	—	—	1	1	1	2	2	—	3	1.00
7.	बीकानेर	1	1	1	1	1	2	3	—	4	1.33
8.	बून्दी	—	—	1	1	—	2	2	—	2	1.31
9.	बांरा	—	—	1	1	—	—	1	—	–	0.43
10.	चित्तौड़गढ़	—	—	1	1	1	2	3	—	3	1.00
11.	चूरू	—	—	—	1	1	2	2	—	4	1.10
12.	डूंगरपुर	—	—	3	1	2	2	3	—	2	1.44
13.	धौलपुर	—	—	2	1	—	2	2	—	2	1.16
14.	दौसा	—	—	1	1	—	2	1	—	—	0.82
15.	गंगानगर	—	—	1	1	1	2	2	—	4	1.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	जयपुर	—	1	4	1	4	2	4	1	4	2.06
17.	जैसलमेर	—	—	1	1	1	2	2	—	4	1.41
18.	झालावाड़	—	—	1	1	1	2	2	—	2	1.34
19.	जालोर	—	—	2	1	1	2	4	—	3	1.76
20.	झुन्झुनूं	—	—	1	1	1	2	4	—	3	1.33
21.	जोधपुर	2	1	1	1	3	2	3	—	4	1.95
22.	कोटा	1	1	1	—	2	2	4	—	2	1.40
23.	नागौर	—	—	1	1	1	2	3	1	5	1.40
24.	पाली	—	—	1	1	1	2	—	—	3	1.00
25.	राजसमंद	—	—	1	—	—	—	1	—	—	0.42
26.	सवाईमाधोपुर	—	—	1	1	2	2	4	—	3	1.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.	सीकर	—	....	1	1	1	2	3	—	3	1.18
28.	सिरोही	—	—	1	—	—	2	3	—	2	1.21
29.	टोंक	—	—	1	1	—	2	3	—	2	1.06
30.	उदयपुर	1	1	1	1	3	2	2	—	5	1.70
	योग	7	6	38	26	29	56	78	5	86	40.18

परिशिष्ट--5

अतारांकित प्रश्न संख्या 622 का विवरण

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/उपस्वास्थ्य केन्द्र खोलने के मापदण्ड निम्न प्रकार से हैं :—

	सामान्य क्षेत्र	जनजाति/रेगिस्तानी क्षेत्र
प्रा. स्वा. केन्द्र	प्रति 30,000 की ग्रामीण जनसंख्या पर एक	प्रति 20 हजार की ग्रामीण जनसंख्या पर एक
उपकेन्द्र	प्रति 5,000 की ग्रामीण जनसंख्या पर एक	प्रति 3,000 की ग्रामीण जनसंख्या पर एक

3484

स्टाफ के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण

क्र.सं.	चिकित्सा संस्थान का नाम	पद नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1	2	3	4	5	6
1.	प्रा. स्वा. केन्द्र, खैरवा	व. चि. प्रधि.	1	....	1
		चि. प्रधि.	1	1	....
		मे. न. II	2	2	....
		प्रसाविका	2	2	....
		बी. एच. एस. (फी.)	1	1	....
		वाहन चालक	1	1	....
		स्वा. निरीक्षक	1	1	....
2.	प्रा. स्वा. केन्द्र, गुन्दोज	चि. प्रधि.	2	2	....
		मे. न. II	1	1	....

1	2	3	4	5	6
2.	प्रा. स्वा. केन्द्र, गुन्दोज	म. स्वा. वर्शिका	1	1	....
		प्रसाविका	1	1	....
		स्टाफ नर्स	1	1	....
		कनिष्ठ लिपिक	1	1	....
		लैब टैक्नी	1	1	....
		वरिष्ठ लि.	1	1	....
3.	प्रा. स्वा. केन्द्र, लाम्बिया	चि. अधि.	1	1	....
		मे. न. II	2	2	....
		प्रसाविका	1	1	....
		लेब. टेक्नी.	1	....	1
4.	प्रा. स्वा. केन्द्र, चेण्डा	चि. अधि.	1	1	....
		मे. न. II	1	1	....

1	2	3	4	5	6
	प्रा. स्वा. केन्द्र, चेण्डा	प्रसाविका	1	....	1
		लैब टैक्नी.	1	1	....
					....
5.	प्रा. स्वा. केन्द्र, जैंतपुर	चि. अधि.	1	1	....
		मे. न. II	2	2	....
		प्रसाविका	1	1	....
		लैब टैक्नी.	1	1	....
6.	सोमुदायिक स्वा. केन्द्र, रोहट	कनि. विशेषज्ञ (मेडि. सर्ज.)	2	2	....
		व. चि. अधि.	1	1	....
		चि. अधि.	3	3	....
		मे. न. I	1	....	1
		मे. न. II	4	4	[illegible]

1	2	3	4	5	6
	सामुदायिक स्वा. केन्द्र, रोहट	स्टाफ नर्स	2	1	1
		प्रसाविका	2	2	....
		सहा, रेडियो ग्रा.	1	....	1
		बी. एच. एस.	1	1	....
		लैब टैक्नो.	1	1	....
		स्वा. निरीक्षक	1	1	....
		वरिष्ठ लि.	1	1	....
		कनिष्ठ लि.	2	2	....
			1		....
		वाहन चालक	1	1	....
7.	उच्चीकृत उपकेन्द्र, रूपावास	मे. न. II प्रसाविका	1	1	....

1	2	3	4	5	6
8.	उच्चीकृत उपकेन्द्र, मावरी	मे. न. II प्रसाविका	1	1	....
9.	उच्चीकृत उपकेन्द्र, गुडाएन्दला	मे. न. II प्रसाविका	1	1	....
10.	उच्चीकृत उपकेन्द्र, गढवाड़ा	मे. न. II प्रसाविका	1	....	1
		,,	1	....	....
11.	उच्चीकृत उपकेन्द्र, कुलथाना	मे. न. II प्रसाविका	1	1	....
12.	उच्चीकृत उपकेन्द्र, खारण्डा	मे. न. II प्रसाविका	1	1	....
		,, ,,	1		....
13.	उच्चीकृत उपकेन्द्र, दिवान्दी	मे. न. II प्रसाविका	1	1	....

1	2	3	4	5	6
14.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बूसी	व. चि. अ.	1	1	....
		चिकित्सा अधि.	1	1	....
		मेल नर्स-II	2	2	...
		ए. एन. एम.	2	2	....
		स्वास्थ्य निरीक्षक	1	1	....
15.	प्रा. स्वा. केन्द्र, खोड़	चिकित्सा अधिकारी	1	1	....
		मेल नर्स-II	2	2	....
		प्रसाविका	1	1	....
		लैब टैक्नीशियन	1	1	....
16,	उच्चीकृत उपकेन्द्र, घाघोडी	मेल नर्स-II	1	1	....
		प्रसाविका	1	1	....
17.	उच्चीकृत उपकेन्द्र, मांडल	मेल नर्स-II	1	1	....
		प्रसाविका	1	1	....

1	2	3	4	5	6
18.	उप स्वास्थ्य केन्द्र (पंचायत समिति, पाली).	प्रसाविका	26	26	....
19.	—यथा— (पंचायत समिति, रोहट)	प्रसाविका	17	17	....
20.	—यथा (पंचायत समिति. बुसी)	प्रसाविका	3	3	..